दिल्ली मास्टर प्लान - 2047

यह मास्टर प्लान को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा डी.डी. एक्ट 1957 की धारा 11A(2) के तहत मंजूरी दी गई है तथा 20.08.2026 की राजपत्र का.आ. संख्या 4597(ई) दिनांक 20 अगस्त 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275618
CG-DL-E-20082026-275618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4417] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948
No. 4417] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(राजधानी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

का.आ. 4597(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. संख्या 2189 (ई) दिनांक 09 जून, 2021 को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, जिसमें दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 11-क के उप-खंड (3) के अनुसार उक्त सूचना की तिथि से 45 दिनों के अंदर यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण का.आ. संख्या 2915 (ई) के माध्यम से, उक्त अवधि इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

3. जबकि, उक्त सार्वजनिक सूचनाओं के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच बोर्ड द्वारा विचार किया गया और केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान को व्यापक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया।

4. अतः, उक्त अधिनियम की धारा 11-क के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा वर्ष 2047 के परिप्रेक्ष्य से दिल्ली के मास्टर प्लान को, शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना एस.ओ. संख्या 141 (ई) दिनांक 07.02.2007 के माध्यम से अधिसूचित दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में किए गए व्यापक संशोधन के रूप में, अब तक किए गए सभी संशोधनों सहित, अनुमोदित करती है। उक्त वर्ष 2047 के परिप्रेक्ष्य से दिल्ली का मास्टर प्लान, जैसा कि इसमें अधिसूचित किया गया है, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान - वर्ष 2047 के परिप्रेक्ष्य सहित

कार्यकारी सारांश

1. जैसे जैसे भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के करीब पहुँच रहा है, **विकसित भारत @2047** की परिकल्पना एक ऐसे विकसित, नवोन्मेषी (इनोवेटिव), समावेशी (इन्क्लूसिव) तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र का आह्वान करती है, जिसकी आधारशिला सतत आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी नेतृत्व तथा उच्च जीवन-स्तर पर आधारित हो। इस परिकल्पना की प्राप्ति के लिए ऐसे विश्वस्तरीय नगरों का विकास आवश्यक है, जो आर्थिक वृद्धि, नवीनीकरण तथा राष्ट्रीय प्रगति के प्रेरक केंद्र के रूप में कार्य करें।

2. राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली इस विकास यात्रा में कुशल शासन, कार्यनीति तथा नीतिनिर्माण के केंद्र के रूप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। साथ ही यह भारत के प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ज्ञान केंद्रों में से एक है। दिल्ली के शहरी परिवेश, आधारभूत संरचना तथा सार्वजनिक संस्थानों की गुणवत्ता भविष्य में भारत की वैश्विक छवि को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

3. **दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)** ने गत छह दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न मास्टर प्लानों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी के सुनियोजित विकास का मार्गदर्शन किया है। इस अवधि में आवास, परिवहन अवसंरचना, पर्यावरणीय पुनरूद्धार तथा राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाओं का विकास किया गया है। केंद्र सरकार तथा डीडीए द्वारा विकसित प्रमुख परियोजनाओं में कर्तव्य पथ विकास, जनरल पूल आवासीय

परिसर(जीपीआरए), भारत मंडपम, यशोभूमि, जैव विविधता उद्यान (बायोडायवर्सिटी पार्क), बांसेरा तथा यमुना वाटिका शामिल हैं। इसी संस्थागत विरासत के आधार पर यह मास्टर प्लान (एमपीडी), डीडीए को राजधानी के अगले चरण के समेकित (इंटीग्रेटेड) एवं सतत शहरी रूपांतरण (सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) के लिए अग्रणी एजेंसी के रूप में स्थापित करता है।

4. **दिल्ली मास्टर प्लान–2047 (एमपीडी–2047)** दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण सहिष्णु तथा समावेशी राजधानी के रूप में विकसित करने हेतु दीर्घकालिक स्थानिक (स्पाशियल), आर्थिक एवं संस्थागत रूपरेखा प्रदान करता है। यह योजना आर्थिक गतिशीलता, तकनीकी नवाचार तथा उच्च **जीवन-योग्यता** को प्रोत्साहित करते हुए दिल्ली की समृद्ध **ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण** सुनिश्चित करती है। विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप एमपीडी–2047 का उद्देश्य लगभग **3.2 करोड़ नागरिकों के लिए दिल्ली को विश्वस्तरीय, समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त महानगर के रूप में विकसित करना है।**

5. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिल्ली की केंद्रीय भूमिका** को ध्यान में रखते हुए, एमपीडी–2047 अपनी स्थानिक विकास कार्यनीति (स्पाशियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की क्षेत्रीय नियोजन रूपरेखा के साथ समन्वित करता है। समन्वित आधारभूत संरचना, क्षेत्रीय गतिशीलता (रीज़नल मोबिलिटी), आर्थिक एकीकरण तथा संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा देकर यह योजना दिल्ली की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करते हुए **सतत एवं एकीकृत क्षेत्रीय विकास** को प्रोत्साहित करती है।

6. यह योजना शहरी नियोजन को केवल रेगुलेटरी दृष्टिकोण से हटाकर विकासोन्मुख दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करती है, जो निवेश, नवाचार तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत दिल्ली को **हरित, जलवायु-अनुकूल, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राजधानी,** सुगम जीवन, उच्च जीवन-योग्यता, सशक्त अर्थव्यवस्था तथा व्यवसाय करने के अनुकूल वातावरण वाले नगर के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसके प्रमुख आर्थिक उपक्रम निम्नलिखित हैं—

क) निवेश हेतु तैयार व्यापारिक (इंवस्टमेंट रेडी बिज़नस एंड कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट) एवं व्यावसायिक क्षेत्र

उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना, आधुनिक कार्यालय परिसर तथा सुदृढ़ परिवहन संपर्क से युक्त आधुनिक व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, ताकि व्यवसाय, वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट मुख्यालय, स्टार्टअप तथा सर्विस सेक्टर इंटरप्राइज आकर्षित हो सकें।

ख) नवाचार एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र (इनोवेशन एंड रिसर्च इकोसिस्टम)

अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता को बढ़ावा देकर दिल्ली को ज्ञान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। नरेला में प्रस्तावित 138 हेक्टेयर शिक्षा केंद्र (एजुकेशन हब) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जिससे ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था तथा कुशल रोजगार का सृजन होगा।

ग) इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र

राजमार्गों, रेल नेटवर्क तथा शहरी विस्तार कॉरिडोर से जुड़े आधुनिक औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टरों का विकास किया जाएगा, जिनमें वेयरहाउसिंग, वितरण केंद्र तथा एकीकृत माल परिवहन (इंटीग्रेटेड फ्रेट फैसिलिटी) सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इससे आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता (सप्लाई चेन एफिशियेंसी) बढ़ेगी तथा परिवहन लागत में कमी आएगी।

घ) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन)

यह प्लान उन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करता है जहाँ दिल्ली को उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों (हाई वेल्यू सेक्टर्स) में कार्यनीतिक बढ़त प्राप्त है। **हाई डेन्सिटी कॉरिडोर जोन** (अर्बन एक्सटेंशन रोड–II के साथ) में उच्च सघनता, कॉमपैक्ट एवं मिश्रित उपयोग वाले विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें आवासीय, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, व्यावसायिक तथा अन्य संगत उपयोगों का समग्र विकास किया जाएगा।

ङ) सार्वजनिक परिवहन से जुड़े हुए मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्र (मिक्स्ड यूज अर्बन सेन्टर इंटीग्रेटेड विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट)

एमपीडी–2047 की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक ट्रां**जिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट (टीओडी)** को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत इंक्लूसिव ज़ोनिंग के माध्यम से प्रमुख सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोरों के आसपास वहन करने योग्य आवास, कार्यालय, खुदरा व्यापार, शैक्षणिक संस्थान तथा सार्वजनिक सेवाओं का कॉमपेक्ट डेवलपमेंट किया जाएगा। मेट्रो तथा क्षेत्रीय परिवहन स्टेशनों के आसपास उच्च सघनता एवं सघन विकास (काम्पैक्ट डेवलपमेंट) से यात्रा समय में कमी, यातायात भीड़ में कमी, भूमि उपयोग की दक्षता में वृद्धि, रोजगार एवं सेवाओं तक बेहतर पहुँच तथा पैदल चलने योग्य, जीवंत एवं आर्थिक रूप से सक्रिय नेबरहुड क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा।

7. यह योजना **मानव पूंजी (ह्यूमन कैपिटल)** को सतत आर्थिक विकास का आधार मानते हुए ऐसे शहर के विकास पर बल देती है, जो गुणवत्तापूर्ण आवास, सुलभ परिवहन, सुदृढ़ सामाजिक अवसंरचना, स्वस्थ

जीवन-पर्यावरण तथा विविध रोजगार अवसरों के माध्यम से प्रतिभाओं को आकर्षित करने, पोषित करने और बनाए रखने में बढ़ावा दे सकें।

8. अनुमान है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली विश्व के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित होगी। जनसंख्या वृद्धि, परिवारों के आकार में परिवर्तन तथा भविष्य के शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए लगभग **40 लाख अतिरिक्त आवासों** की आवश्यकता होगी। इस मांग की सतत एवं समावेशी पूर्ति हेतु एमपीडी–2047 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के अधिकतम उपयोग तथा पुनर्विकास, पुनरुत्थान एवं नीतिनिर्देशित नियोजित विकास (पॉलिसी-लेड प्लॉन्ड डेवलपमेंट) के माध्यम से नए शहरी विस्तारों के विकास की संतुलित कार्यनीति अपनाता है। अपनी स्थानिक विकास कार्यनीति (स्पाशियल डेवलपमेंट स्ट्रैटजी) के माध्यम से यह योजना शहरी नियोजन को आर्थिक विकास का सक्षम माध्यम बनाती है।

9. एमपीडी–2047 सतत शहरी आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेशन तथा जीवन-गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए द्विस्तरीय स्थानिक विकास (टू-प्रोंज्ड स्पाशियल डेवलपमेंट) कार्यनीति अपनाता है।

क) यह योजना ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), मिश्रित-उपयोग विकास, शहरी नवीनीकरण और आधारभूत संरचना के विस्तार के माध्यम से **वर्तमान शहरी क्षेत्रों (ब्राउनफील्ड क्षेत्रों) के पुनर्विकास / पुनरुत्थान और सघनीकरण** को बढ़ावा देती है, जिससे सुविधायुक्त भूमि का कुशल उपयोग संभव हो सके।

i. **वर्तमान नेबरहुड क्षेत्रों का पुनर्विकास:** दिल्ली में सहकारी आवास निर्माण समितियाँ (सीएचबीएस), डीडीए आवास योजनाएँ, डीडीए प्लॉट विकास, पुनर्वास कॉलोनियाँ, जनरल पूल आवासीय क्षेत्र (जीपीआरए), नियोक्ता/सरकारी आवास, सहकारी समूह आवास समितियाँ (सीजीएचएस), निजी समूह आवास परियोजनाएँ तथा अन्य नियोजित आवासीय विकास जैसी विविध आवासीय संरचनाएँ विकसित हुई हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों के नवीनीकरण, सघनीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता है। योजना पुराने आवासीय भवनों, अल्प उपयोगी प्लॉटों तथा लो-डेन्सिटी वाले क्षेत्रों के पुनर्विकास को प्रोत्साहित करती है, जहाँ आधारभूत संरचना पहले से उपलब्ध है। इससे अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ सड़कों, उपयोगिता सेवाओं, सार्वजनिक स्थलों एवं सामुदायिक सुविधाओं में भी सुधार होगा।

ii. **स्लम एवं जेजे क्लेस्टरों का इन-सीटू पुनर्वास:** इस कार्यनीति के पूरक के रूप में एमपीडी–2047 समावेशी आवासीय ढाँचा अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य जीवन-स्तर में सुधार तथा आवासन और मूलभूत शहरी सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। "जहाँ झुग्गी, वहाँ मकान" के सिद्धांत के अनुरूप योजना झुग्गी-झोपड़ी समूहों का इन-सीटू पुनर्वास प्रोत्साहित करती है, जिससे सुरक्षित,

सम्मानजनक एवं वहन करने योग्य आवास के साथ-साथ आवश्यक सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके तथा निवासी अपने समुदाय में ही बने रहें।

iii. **अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) का सुधार एवं नियमितीकरण:** योजना आधारभूत संरचना के उन्नयन, बेहतर संपर्क, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार तथा उपयुक्त विकास मानकों के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों के नियोजित सुधार, नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) एवं पुनर्विकास के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। इससे इन क्षेत्रों का औपचारिक शहरी संरचना में समावेशन होगा तथा वहाँ के निवासियों के जीवन-स्तर में सुधार आएगा।

ख) साथ ही, **ग्रीनफील्ड का नियोजन होगा जो क्षेत्र को** लैंड पूलिंग नीति तथा लो डेन्सिटी एरिया विकास जैसी नीतियों के माध्यम से सुव्यवस्थित, आधारभूत संरचना-आधारित शहरी विस्तार को सुदृढ़ करेगा, एवं भविष्य की विकास की आवश्यकताओं को सतत रूप से पूरा कर सकें। इन कार्यनीतियों का उद्देश्य भूमि उपयोग का अनुकूलन, आधारभूत संरचना की दक्षता में वृद्धि, जीवन-योग्यता में सुधार तथा दिल्ली के समग्र रूपांतरण को गति देना है।

i. दिल्ली के बड़े ग्रीनफील्ड क्षेत्रों का विकास **लैंड पूलिंग नीति** एवं अन्य विकास मॉडलों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें समावेशी ज़ोनिंग इंक्लूसिव जोनिंग अप्रोच अपनायी जाएगी, जिसके अंतर्गत आवास, वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक सुविधाएँ, मनोरंजन तथा अन्य संगत उपयोगों का समग्र विकास होगा। यह आधारभूत संरचना-आधारित विकास, फ्लेक्सिबल विकास विनियम (फलेक्सिबल डेवलपमेंट रेगुलेशन) तथा अभिनव फ्लेक्सी रोड्स अवधारणा पर आधारित होगा, जिससे आत्मनिर्भर एवं एकीकृत नेबरहुड़ क्षेत्र विकसित होंगे तथा बिखरे हुए शहरी विकास पर रोक लगेगी।

ii. **लो डेन्सिटी एरिया** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतिम पेरिफेरियल ग्रामों की भूमि तथा लो-डेन्सिटी आवासीय क्षेत्र) मुख्यतः लो-डेन्सिटी आवासीय विकास के लिए निर्धारित होंगे, जिससे इन क्षेत्रों की कम सघनता एवं पर्यावरणीय विशेषताओं का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

10. एमपीडी–2047 शहरी नियोजन के केंद्र में नागरिकों को रखते हुए **युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान देता है।** यह योजना सामुदायिक स्तर की आधारभूत सुविधाओं से पूर्ण, जीवंत एवं सुलभ नेबरहुड क्षेत्रों के सृजन को प्रोत्साहित करती है, जिनमें पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक केंद्र, खेल एवं मनोरंजन सुविधाएँ, नवाचार एवं सह-कार्य स्थल (को-वर्किंग प्लेस), मनोरंजन केंद्र, पब्लिक प्लाज़ा तथा सुरक्षित पैदल यात्री-अनुकूल सड़कें सम्मिलित हैं।

11. एमपीडी–2047 दिल्ली के **स्वास्थ्य सेवा संबंधी इको सिस्टम** को सुदृढ़ करने हेतु शहर भर में अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के एकीकृत नेटवर्क के

विकास को प्रोत्साहित करता है। योजना का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों एवं सार्वजनिक परिवहन से एकीकृत, समान रूप से वितरित स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। साथ ही, विश्वस्तरीय तृतीयक एवं अति-विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास द्वारा दिल्ली की भूमिका को राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म) गंतव्य के रूप में सुदृढ़ करना है।

12. एमपीडी–2047 **आधारभूत संरचना-आधारित विकास मॉडल** को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत नए विकास को सड़क, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति तथा डिजिटल संपर्क जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर निर्देशित किया जाएगा। यह अवसंरचना-प्रथम दृष्टिकोण अनियोजित विकास को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि नए क्षेत्र को प्रारंभ से ही आवश्यक शहरी सेवाएँ उपलब्ध हों।

13. एमपीडी–2047 दिल्ली के भविष्य के विकास एवं क्षेत्रीय एकीकरण के प्रमुख प्रेरक तत्व के रूप में **मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस), रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) तथा हाई स्पीड रेल (एचएसआर)** नेटवर्क को मान्यता दी गई है। वर्तमान में दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क लगभग 416 किमी है, जिसके भविष्य में लगभग 279 किमी तक विस्तारित होने की संभावना है। आरआरटीएस नेटवर्क लगभग 383 किमी तक विस्तारित किए जाने की योजना है, जो दिल्ली को गाजियाबाद, मेरठ, पानीपत, करनाल तथा अलवर जैसे प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों से जोड़ेगा। परिचालित 82 किमी लंबा दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली एवं मेरठ के बीच यात्रा समय को एक घंटे से कम कर चुका है, जो उच्च गति क्षेत्रीय संपर्क की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। भूमि उपयोग, आवास, रोजगार तथा सार्वजनिक परिवहन के इंटीग्रेशन द्वारा एमपीडी–2047 एक जुड़े हुए, पारगमन-उन्मुख एवं सतत महानगरीय क्षेत्र के निर्माण का प्रयास करता है, जो भविष्य की जनसंख्या एवं आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करेगा।

14. निजी वाहनों की अपेक्षा नागरिकों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एमपीडी–2047 में एक ऐसे संबद्ध, ट्रांजिट ओरिएन्टेड एवं पैदल यात्री-अनुकूल शहर की परिकल्पना की गई है, जहाँ **सार्वजनिक परिवहन, पैदल आवागमन, साइकिलिंग तथा अन्य सक्रिय परिवहन साधन प्रमुख परिवहन विकल्प होंगे।** इसके लिए पैदल एवं साइकिल अवसंरचना का एकीकृत नेटवर्क, सार्वजनिक सुगम्यता, निर्बाध मल्टी-मॉडल एकीकरण तथा प्रभावी अंतिम छोर (लास्ट माइल) संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, विद्युत, हाइड्रोजन एवं अन्य निम्न-उत्सर्जन परिवहन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर स्वच्छ गतिशीलता (क्लीन मोबिलिटी) की ओर रूख को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक चार्जिंग एवं

ईंधन पुनर्भरण अवसंरचना विकसित की जाएगी। इससे उत्सर्जन में कमी, पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार तथा स्वस्थ शहरी वातावरण के निर्माण में सहायता मिलेगी।

15. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राजधानी की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक सुदृढ़ भौतिक, सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना प्रणाली आवश्यक है। योजना रेजिलियंट नेटवर्क, स्मार्ट एवं डिजिटल रूप से सक्षम अवसंरचना, सुव्यवस्थित एवं **दक्ष पार्किंग प्रणालियों**, उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं तथा बेहतर डिजिटल संपर्क को सुदृढ़ करने पर बल देती है, जिससे शहरी दक्षता एवं सेवा वितरण में सुधार हो सके।

16. एमपीडी–2047 में खेल अवसंरचना को सामाजिक अवसंरचना एवं शहरी जीवन-योग्यता के अभिन्न घटक के रूप में मान्यता दी गई है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, 23 डीडीए खेल परिसरों तथा तीन गोल्फ कोर्स सहित **दिल्ली में उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के व्यापक नेटवर्क** के आधार पर योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी हेतु शहर की क्षमता को और सुदृढ़ करना है। योजना सार्वजनिक, निजी एवं सहयोगात्मक विकास मॉडलों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय, शहर, जिला एवं नेबरहुड पर खेल अवसंरचना के विकास एवं उन्नयन का प्रावधान करती है। इसमें **नरेला, द्वारका एवं रोहिणी उप-शहरों जैसे उभरते विकास केंद्रों** में अंतरराष्ट्रीय मानक की नई खेल सुविधाओं का विकास भी सम्मिलित है। योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खेल एवं मनोरंजन सुविधाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा दिल्ली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

17. **पर्यावरणीय स्थिरता** एमपीडी–2047 का एक प्रमुख स्तंभ है। योजना पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन, शहरी वनों के विस्तार, जैव विविधता संरक्षण, यमुना एवं अन्य जलाशयो के पुनर्जीवन तथा जलवायु-अनुकूल परिदृश्यों और **ग्रीन कनेक्ट नेटवर्क** के विकास को बढ़ावा देती है। यह पार्कों, वनों, जैव विविधता उद्यानों, बावड़ियों, ग्रीन स्ट्रीट तथा इकोलॉजिकल कोरिडोर को आपस में जोड़ेगा। योजना संसाधन-गहन सजावटी परिदृश्यों एवं विस्तृत खुले लॉन आधारित विकास से हटकर ऐसे पारिस्थितिक रूप से सक्षम हरित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है, जिनमें कैनॉपी कवर में वृद्धि, स्थानीय आवासों का पुनर्स्थापन, देशज प्रजातियों का उपयोग तथा प्रकृति-आधारित समाधान सम्मिलित हों। योजना हरित क्षेत्रों को जीवंत सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक एवं सामुदायिक संपदा के रूप में भी परिकल्पित करती है, जो पारिस्थितिकीय सुदृढ़ता (इकोलाजिकल रेजीलियंस) को सशक्त बनाते हैं, पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करते हैं तथा शहरी जीवन-

योग्यता को बढ़ाते हैं। वर्तमान में **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का लगभग 22% भाग हरित आच्छादन के अंतर्गत है।** मास्टर प्लान (एमपीडी) – 2047 का उद्देश्य वनों, जैव विविधता उद्यानों, शहरी हरित क्षेत्रों तथा पारिस्थितिक कॉरिडोरों के सृजन एवं संवर्धन के माध्यम से शहर के हरित नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ तथा विविधतापूर्ण बनाना है।

18. दिल्ली रिज से **यमुना नदी तक विस्तृत पारिस्थितिक निरंतरता (इकोलाजिकल कंटीनम) को ध्यान में रखते हुए, एमपीडी–2047** में दिल्ली की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं सतत प्रबंधन हेतु एकीकृत ग्रीन-ब्लू अवसंरचना का दृष्टिकोण अपनाया गया है। योजना नजफगढ़, ट्रांस-यमुना तथा बारापुला जल निकासी बेसिनों के अंतर्गत यमुना बाढ़ क्षेत्र, प्राकृतिक एवं निर्मित नालों, वेटलैंड, झीलों तथा अन्य जलाशयों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का प्रावधान किया गया है। कैनॉपी कवर बढ़ाने, इकोलोजिकल कोरिडोर के पुनर्स्थापन, जल विज्ञान संबंधी कार्यप्रणाली में सुधार तथा हरित एवं नीली संपदा को सार्वजनिक स्थलों के साथ एकीकृत करके यह योजना दिल्ली की पारिस्थितिक विरासत के कायाकल्प करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता (रिजिलिएंस) विकसित करने, अर्बन हीटआइलैण्ड प्रभाव को कम करने तथा स्वस्थ एवं अधिक रहने योग्य शहरी वातावरण बनाने का प्रयास करती है।

19. औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति (डीकोलोनाइजेशन) तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, मास्टर प्लान–2047 ऐतिहासिक भवनों के उपयुक्त पुनर्प्रयोग, पारंपरिक बाज़ारों के पुनरुद्धार, पुरातात्त्विक उद्यानों, विरासत परिभ्रमणों, सांस्कृतिक परिपथों तथा सार्वजनिक स्थलों के उन्नयन के माध्यम से **विरासत संरक्षण को शहरी पुनरुत्थान के साथ इन्टीग्रेटेड करता है**। योजना दिल्ली की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व को भी स्वीकार करती है, जिसमें इसकी समृद्ध परम्पराएँ, विविध खाद्य परम्पराएँ, उत्सव, हस्तशिल्प, प्रदर्शन कलाएँ तथा अन्य जीवंत परम्पराएँ सम्मिलित हैं, जो नगर के बहुलतावादी (प्लूरलिस्टिक) स्वरूप को प्रतिबिंबित करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य दिल्ली की विशिष्ट पहचान का संरक्षण करते हुए सांस्कृतिक उद्यमों, सृजनात्मक उद्योगों तथा सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना है।।

20. **पर्यटन** को आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक माना गया है। इसके अंतर्गत विरासत स्थलों, पारिस्थितिक (इकोलोजी) एवं नदी तट पर्यटन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी सुविधाओं, खेल एवं मनोरंजन अवसंरचना, मनोरंजन क्षेत्रों तथा वर्षभर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों के समेकित विकास का प्रावधान किया गया है, जिससे दिल्ली को संस्कृति, खान-पान, व्यापार तथा आराम के पल व्यतीत करने (लीजर) पर्यटन के वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

21. एमपीडी–2047 सक्षम विनियमों (इनेबलिंग रेगुलेशन), संस्थागत समन्वय तथा समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रियाओं से समर्थित सुदृढ़ कार्यान्वयन एवं निगरानी तंत्र प्रदान करता है। योजना का उद्देश्य प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन को सुगम बनाना तथा एमपीडी–2047 की परिकल्पना को धरातल पर मापनीय परिणामों में परिवर्तित करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नियोजन, डिजिटल ट्विन अनुप्रयोगों तथा आँकड़ा-आधारित निर्णय प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल नवाचार दिल्ली के भावी विकास के शासन एवं प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगे, जिससे शहर अधिक दक्ष, उत्तरदायी एवं सुशासित बन सकेगा ।

22. समुचित एवं पारदर्शी शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमपीडी–2047 डिजिटल भूमि प्रबंधन, चरणबद्ध विकास, वेल्यू कैप्चर मैकेनिज्म तथा सुदृढ़ नियामक व्यवस्था (रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) के माध्यम से भूमि के दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह व्यवस्था भूमि मूल्य अनुमानों पर नियंत्रण स्थापित करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि मूल्य में वृद्धि से प्राप्त लाभ सार्वजनिक अवसंरचना एवं सामुदायिक विकास में निवेश किया जाए। दिल्ली के पेरिफेरियल ग्रामों की विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संदर्भ संवेदनीय और कम सघनता विकास, ग्रामीण उद्यमिता तथा आधारभूत संरचना में निवेश को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे आजीविका के अवसरों में वृद्धि हो तथा कृषि एवं पारिस्थितिक परिसंपत्तियों (इकोलोजिकल एसेट्स) का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

23. मास्टर प्लान–2047 के अंतर्गत सहयोगात्मक सुशासन व्यवस्था का उद्देश्य भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) सहित स्थानीय निकायों, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) सहित अवसंरचना सेवा प्रदाताओं, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समन्वित नियोजन (को ओरिएन्टेड प्लानिंग), निर्णय-निर्माण एवं क्रियान्वयन (इंपलीमेंटेशन) को बढ़ावा देना है।योजना का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, शहरी अवसंरचना एवं सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाना तथा दिल्ली की दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, संस्थागत क्षमता एवं जलवायु अनुकूलन क्षमता को सशक्त करना है।

24. इन सभी पहलों के माध्यम से एमपीडी–2047 शहरी नियोजन को आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेशन तथा संस्थागत उत्कृष्टता के उत्प्रेरक के रूप में पुनर्परिभाषित करता है। यह केवल एक वैधानिक नियोजन दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित भारत की राजधानी के लिए एक व्यापक स्थानिक

विकास (स्पाशियल डेवलपमेंट) रूपरेखा है। आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, पर्यावरणीय संरक्षण, प्रौद्योगिकी नवाचार, सांस्कृतिक विरासत तथा सहयोगात्मक शासन को एकीकृत करते हुए यह योजना ऐसे शहर के निर्माण का लक्ष्य रखती है जो रहने योग्य, जलवायु-अनुकूल, उत्पादक एवं वैश्विक स्तर पर प्रशंसित हो। योजना का प्रभावी कार्यान्वयन न केवल दिल्लीवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि दिल्ली को सतत शहरी विकास के वैश्विक मानक तथा वर्ष 2047 में भारत की आकांक्षाओं एवं उपलब्धियों के गौरवपूर्ण प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा।

दिल्ली मास्टर प्लान – 2047 (एमपीडी – 2047) के विषय में

दिल्ली मास्टर प्लान – 2047 (एमपीडी–2047) दिल्ली के नियोजित विकास का एक प्रमुख वैधानिक साधन है और जो वर्तमान स्थिति का समग्र आकलन करते हुए भविष्य के विकास की दिशा एवं कार्यनीति निर्धारित करता है। मास्टर प्लान (एमपीडी) का प्रभावी कार्यान्वयन दिल्ली के विकास से संबंधित सभी एजेंसियों की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिनमें भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के संबंधित विभाग, सेवा प्रदाता एजेंसियाँ, भूमि स्वामित्व रखने वाली एजेंसियाँ, विनियामक संस्थाएँ (रेगुलेटरी एजेंसी), स्थानीय निकाय (लोकल बोडी) तथा अन्य संबद्ध संस्थाएँ सम्मिलित हैं।

दिल्ली के प्रथम मास्टर प्लान (एमपीडी) को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत वर्ष 1962 में अधिसूचित किया गया था। इसके उपरांत वर्ष 2001 तथा 2021 के मास्टर प्लान (एमपीडी) अधिसूचित किए गए, जो अपने-अपने पूर्ववर्ती मास्टर प्लानों के व्यापक संशोधित संस्करण थे। ये सभी मास्टर प्लान (एमपीडी) 20 वर्ष की परिकल्पना अवधि के लिए तैयार किए गए थे, जिसने दिल्ली के सुनियोजित विकास हेतु एक समग्र रूपरेखा प्रदान की।

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) –2047 "विकसित भारत @2047" की परिकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया तथा इसका उद्देश्य लगभग 3.2 करोड़ नागरिकों के लिए दिल्ली को विश्वस्तरीय, समावेशी, सतत एवं आर्थिक रूप से सशक्त राजधानी नगर के रूप में विकसित करना है। यह योजना वहन करने योग्य (अफोर्डेबल) आवास, बेहतर गतिशीलता, आधुनिक आधारभूत संरचना, पर्यावरणीय स्थिरता तथा डिजिटल सुशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन-स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। एमपीडी–2047 भविष्य में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने हेतु एक 'स्ट्रेटेजिक' एवं 'सक्षमकारी' (इनेबलिंग) रूपरेखा प्रदान करता है।

एमपीडी – 2047 दस्तावेज़ की संरचना

योजना आलेख को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया है:

भाग – I : पृष्ठभूमि

इस भाग में दिल्ली का समग्र परिचय प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, पूर्व नियोजन अनुभव, जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या अनुमान तथा पर्यावरण, आवास, अर्थव्यवस्था, भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना तथा परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण सम्मिलित है।

इस भाग में दिल्ली की भूमि उपयोग योजना भी प्रस्तुत की गई है तथा इसके उपरांत प्रमुख फोकस क्षेत्रों, अवसरों एवं चुनौतियों का उल्लेख किया गया है, जो आगामी अध्यायों में प्रस्तुत कार्यनीतियों एवं प्रस्तावों का आधार बनते हैं।

भाग – II : विजन, कार्यनीतियाँ, स्थानिक नीतियाँ (स्पाशियल पालिसीज) एवं विकास रूपरेखा(डेवलपमेंट फ्रेमवर्क)

इस भाग में दिल्ली के नियोजित विकास के लिए निर्धारित विजन एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यनीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, विरासत एवं संस्कृति, आवास, सामाजिक अवसंरचना, परिवहन एवं गतिशीलता, भौतिक अवसंरचना, आपदा तैयारी तथा संतुलित एवं सतत शहरी विकास के समर्थन हेतु (जीआईएस) आधारित नियोजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह भाग शहर के भावी विकास का मार्गदर्शन करने वाली स्पाशियल डेवलपमेंट पालिसीज को भी प्रस्तुत करता है, जिनमें ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड दोनों क्षेत्रों का विकास, लैंड पूलिंग, ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, हाई डेंसिटी कॉरिडोर/डेवलपमेंट, विशेष विकास क्षेत्रों सहित नियोजित और अनियोजित क्षेत्रों का पुनःउत्थान करना शामिल है। इस भाग का समापन विकास संहिता (डेवलपमेंट कोड) एवं प्लान मोनिटरिंग फ्रेमवर्क के साथ होता है, जो मास्टर प्लान (एमपीडी) के नियामक एवं कार्यान्वयन संबंधी (रेगुलेटरी एण्ड इम्पलीमेंटेशन) ढाँचे (फ्रेमवर्क) का आधार प्रदान करते हैं।

भाग – III : विकास नियंत्रण मानदण्ड

तीसरे भाग में विभिन्न प्रकार के विकास एवं उपयोग परिसरों, मिश्रित उपयोग संबंधी प्रावधान, टीडीआर तथा अन्य नियामक नियंत्रणों (डेवलपमेंट कन्ट्रोल नार्मस) को प्रस्तुत किया गया है।

हिंदी अनुवाद में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भाग I: पृष्ठभूमि

अध्याय 1. संदर्भ एवं वर्तमान परिदृश्य

1.1 परिचय

दिल्ली विश्व के सबसे पुराने निरंतर बसे नगरों में से एक है, जिसका समृद्ध इतिहास हजार वर्षों से अधिक प्राचीन है। भारत की राजधानी के रूप में, दिल्ली ने विकास के कई चरणों से गुजरते हुए एक विशिष्ट शहरी संरचना का निर्माण किया है जो विरासत, संस्कृति और आधुनिक शहरी विकास को सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत करती है। अपने ऐतिहासिक सुनियोजित क्षेत्रों से लेकर नियोजित शहरी विस्तार और समकालीन विकास तक, यह नगर भारत की विविध सभ्यता और वास्तुकला विरासत को प्रतिबिंबित करता है।

आज दिल्ली देश की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर जुड़ा एक महानगर है। नगर के निरंतर विकास के साथ-साथ, इसे बढ़ती जनसंख्या, सीमित भूमि उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन और बदलती आर्थिक आकांक्षाओं को समायोजित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही अपनी विरासत को संरक्षित करने और शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

मास्टर प्लान दिल्ली-2047 (एमपीडी-2047) शहर के सतत और समावेशी विकास को दिशा देने के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। यह दिल्ली को एक रहने योग्य, लचीली (फ्लैक्सिबल), सुनियोजित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राजधानी के रूप में परिकल्पित करता है, जिसके लिए ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट और ब्राउन फील्ड के डेवलपमेंट के अन्तर्गत-स्थानीय पुनरुद्धार हेतु नई योजना नीतियों का उपयोग किया जाएगा। ये नीतियां कुशल भूमि उपयोग, सतत गतिशीलता, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, पर्यावरणीय स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली समर्थित होंगी, साथ ही दिल्ली की अनूठी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करेंगी।

1.2 क्षेत्रीय संदर्भ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) देश का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, जिसका विस्तार लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी), हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले तथा राजस्थान के 5 जिले सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय योजना-2001 (जिसे वर्ष 1989 में अधिसूचित किया गया था) के पश्चात एनसीआर का क्षेत्रफल बढ़ा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के समन्वित एवं नियोजित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) को रीजनल प्लान एवं फंक्शनल प्लान तैयार करने, प्रत्येक सहभागी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सबरीजनल प्लान एवं प्रोजेक्ट प्लान की तैयारी की व्यवस्था करने तथा सहभागी

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, फंक्शनल प्लान, सब रीजनल प्लान एवं प्रोजेक्ट प्लान के रीजनल प्लान एवं प्रभावशील करना क्रियान्वयन का समन्वय करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनियोजित एवं अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रीय योजना में 4 नीतिगत क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है:

(i) **एनसीटी दिल्ली**: एनसीटी का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी है और यह भविष्य में भी यथावत रहेगा। एनसीटी चारों ओर से एनसीआर के राज्यों से घिरा हुआ है तथा इसके भूमि विस्तार की कोई संभावना नहीं है जैसा एनसीआर के अन्य भागों से संभव है।

(ii) **सेंट्रल नेशनल कैपिटल रिजन (सीएनसीआर):** सीएनसीआर को अब एनसीटी की सीमा से लेकर इस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे (ईपीई) तथा कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे (केएमपी) तक, एक्सप्रेसवे के इस पहले रिंग (सर्कुलर रीजनल एक्सप्रेसवे-I अर्थात सीआरई-I) के मार्गाधिकार के बाहरी किनारे से 5 किमी तक के क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित किया जा रहा है।

(iii) **हाइवे कॉरिडोर ज़ोन (एचसीजेड) एवं ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी):** ट्रांसपोर्ट कॉरिडोरों के साथ अनियोजित विकास को रोकने तथा इन संपर्क मार्गों की विकास क्षमता का उपयोग करने के लिए पहली योजनाओं में हाइवे कॉरिडोर ज़ोन (एचसीजेड) का प्रस्ताव किया गया था। इसके अंतर्गत राजमार्गों के दोनों ओर 500 मीटर क्षेत्र में नियोजित विकास को सक्षम बनाया जाना था। वर्तमान में मेट्रो रेल नेटवर्क, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा एक्सप्रेसवे के विकास के साथ, ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर एवं उनमें स्थित ट्रांजिट केंद्र इन क्षेत्रों में सघन विकास के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान करते हैं। इससे परिवहन की सुगमता बढ़ेगी, परिवहन लागत में कमी आएगी तथा इन कॉरिडोर के माध्यम से मूल रूप से नियोजित जनसंख्या की अपेक्षा कहीं अधिक जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार होगा।

(iv) **शेष एनसीआर:** एनसीआर के वे सभी अन्य क्षेत्र, जो उपर्युक्त किसी भी ज़ोन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, शेष एनसीआर ज़ोन के अंतर्गत आएंगे।

1.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली(एनसीटीडी)

भारत की राजधानी होने के कारण नई दिल्ली, भारत सरकार का मुख्यालय है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) के रूप में विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। एनसीटीडी का क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें निर्धारित अधिकार-क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न स्थानीय निकाय सम्मिलित हैं। दिल्ली में 357 गाँव हैं तथा योजना एवं प्रबंधन की सुविधा के लिए इसे 17 योजना जोनों (मैप 2 देखें) में

विभाजित किया गया है। मास्टर प्लान (एमपीडी) ऐसी कार्यनीतियाँ प्रदान करती है जो इन विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं की जिम्मेदारियों एवं कार्यों का समन्वय करते हुए शहर के भावी विकास का मार्गदर्शन करती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), उत्तर भारत के उपभोग एवं वितरण केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा देश की जीडीपी में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसमें दिल्ली का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। निर्बाध संपर्क एवं सुदृढ़ अवसंरचना के कारण दिल्ली उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक तथा पुनर्वितरण का महत्वपूर्ण केंद्र है। भविष्य में वितरण एवं पुनर्वितरण संबंधी गतिविधियाँ उभरते हुए समर्पित माल परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रों की ओर स्थानांतरित हो सकती हैं। तथापि, व्यवसाय, व्यापार एवं डिजिटल लॉजिस्टिक्स के अग्रणी केंद्र तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरक के रूप में दिल्ली अपना आर्थिक महत्व बनाए रखेगी।

दिल्ली मेट्रो, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में शहरी गतिशीलता की जीवनरेखा के रूप में स्थापित हो चुकी है तथा 303 परिचालित स्टेशनों सहित यह देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसका कुल नेटवर्क 416 किलोमीटर (2026) है। क्षेत्र में निर्बाध, सतत एवं उच्च क्षमता वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 104 किलोमीटर लंबा नेटवर्क निर्माणाधीन तथा 175 किलोमीटर लंबा नेटवर्क योजना स्तर पर है। रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम ने भी क्षेत्रीय आवागमन एवं गतिशीलता को सुदृढ़ करके, जिससे गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद तथा रोहतक जैसे नगर सुगम पहुँच की दूरी के अंदर आ गए हैं।

दिल्ली की भावी भूमिका एक ऐसे महानगर के रूप में परिकल्पित की गई है, जो मनोरंजन, कार्य एवं आवास के विविध विकल्प उपलब्ध कराए तथा साथ ही अपनी प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय संपदाओं (इकोलोजिक एसेट्स) का संरक्षण करते हुए भावी जनसंख्या एवं विकास गतिविधियों को सतत आधार प्रदान करे।

1.4 मास्टर प्लान (एमपीडी) का क्रमिक विकास (1962, 2001 और 2021)

राष्ट्रीय राजधानी के नियोजित विकास की प्रक्रिया दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधिनियमन से प्रारम्भ हुई, जिसके उपरांत वर्ष 1962 में दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) (एमपीडी-1962) अधिसूचित किया गया।

एमपीडी-1962 ने वैधानिक भूमि उपयोग नियोजन और बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के माध्यम से योजनाबद्ध शहरी विकास द्वारा दिल्ली के विकास के लिए व्यापक विजन निर्धारित किया। इस योजना का

उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्थानीय व्यवस्था का विकास एवं भूमि उपयोग विकास योजना के अनुरूप हो तथा आवश्यक अवसंरचना एवं सेवाओं का विकास भी उसी के अनुरूप किया जा सके। इस योजना में 1981 तक अनुमानित 50 लाख की जनसंख्या को समायोजित करने के लिए लगभग 45,000 हेक्टेयर शहरी क्षेत्र की परिकल्पना की गई थी ।

1 अगस्त 1990 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2001 (एमपीडी-2001) ने भी मूलतः उसी नियोजन प्रक्रिया को पुनः स्थापित किया, जिसका प्रतिपादन एमपीडी-1962 में किया गया था। एमपीडी-2001 में दिल्ली को उसके क्षेत्र का अभिन्न अंग मानते हुए नियोजित करने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, सेंट्रल सिटी एरिया को विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित करने, शहरी विरासत के संरक्षण, नगर केंद्रों के विकेन्द्रीकरण तथा निम्न-ऊँचाई, उच्च-सघनता एवं पद सोपान (हार्यरिकल) शहरी विकास पर विशेष बल दिया गया। इस योजना ने शहरीकरण के लिए लगभग 18,000 से 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार करके और रोहिणी, द्वारका तथा नरेला सहित नए उप-नगरों के विकास को बढ़ावा देकर नियोजित शहरी विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया । इस योजना में 130 लाख की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया था ।

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 (एमपीडी-2021) जिसे 7 फरवरी 2007 में अधिसूचित किया गया था, पिछले मास्टर प्लानों (एमपीडी) का व्यापक संशोधित स्वरूप था, जिसने नियोजित विकास के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान की। इसमें प्रचलित भूमि नीति में अनेक नवाचार एवं सुधार प्रस्तावित किए गए तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। नए क्षेत्रों के नियोजित विकास के साथ-साथ पुराने एवं जर्जर क्षेत्रों के पुनर्जीवन हेतु उनके पुनर्विकास को प्रोत्साहन देना योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना ने जन परिवहन आधारित नगरीय पुनर्संरचना, विद्यमान शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास एवं सघनीकरण तथा नगर सुधार के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई। साथ ही, बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने, अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पुनर्विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अधिक खुले स्थान सृजित करने हेतु व्यापक पुनर्विकास कार्यनीति का आह्वान किया। इस योजना के लिए अनुमानित जनसंख्या 230 लाख थी ।

एमपीडी-2021 ने यह माना कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने तथा लैंड पूलिंग एवं विकास की दक्षता बढ़ाने के लिए विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। इसके अंतर्गत लैंड पूलिंग की वैकल्पिक पद्धतियाँ, निजी क्षेत्र की भागीदारी, अनुरूप भूमि उपयोग, विकास मानदंड तथा ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) जैसी नई अवधारणाएँ प्रस्तुत की गईं। निजी स्वामित्व वाली भूमियों के संयोजन के माध्यम से विकास हेतु लैंड पूलिंग नीति वर्ष 2013 में अधिसूचित की गई थी और परिणामस्वरूप इसके संशोधन एवं विनियमों को वर्ष 2018 में अधिसूचित किया गया था । वर्ष 2015 में

ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की अवधारणा को मास ट्रांजिट स्टेशन नोड के आसपास शहर की पुनर्संरचना के उद्देश्य से लागू किया गया। योजना के अंतर्गत पुराने एवं जर्जर क्षेत्रों के पुन:उत्थान हेतु प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया।

1.5 प्लान तैयार करना

वर्तमान स्थिति का आकलन करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान कमियों की पहचान करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान (एमपीडी) के लिए एक आधारभूत अध्ययन किया गया, जिसमें केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों की संबंधित हितधारक एजेंसियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गया तथा परिवहन, सार्वजनिक परिवहन की पहुँच, अर्थव्यवस्था, विरासत एवं अनियोजित बस्तियों से संबंधित अध्ययन किए गए। दिल्ली के विकास के विभिन्न क्षेत्रों एवं पहलुओं पर अनेक विशेषज्ञों ने अपने सुझाव प्रदान किए। मूलभूत रिपोर्ट तथा शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों एवं चुनौतियों के विश्लेषण से शहर से संबंधित प्रमुख चिंताएँ सामने आईं। इन निष्कर्षों की पुष्टि प्लान की तैयारी के दौरान आयोजित सार्वजनिक परामर्शों एवं फोकस ग्रुप डिसकशन में भाग लेने वाले नागरिकों, हितधारकों एवं विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों एवं विजन में निहित विवरणों से हुई।

आधारभूत अध्ययन के अंतर्गत, पिछले दो दशकों में दिल्ली के विकास की दिशा का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) -2021 की विस्तृत समीक्षा की गई, जिससे इसके क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों एवं सीखों का विश्लेषण किया जा सके।

योजना निर्माण के दौरान नागरिक समाज संगठनों, आरडब्ल्यूए संघों, मार्केट एसोसिएशनों, पेशेवर संस्थाओं तथा आम नागरिकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर दिल्ली के नागरिकों के विचार, अपेक्षाएँ एवं आकांक्षाएँ संकलित की गईं। सितंबर से नवंबर 2020 के दौरान ऑनलाइन सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं, दिव्यांगजन, पेशेवरों, लैंगिक मुद्दों पर कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)एवं झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, व्यापारियों तथा उद्योग प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। इन परामर्शों, ग्रुप डिसकशन, ऑनलाइन पोर्टल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे शहर से विजन-वक्तव्य प्राप्त किए गए। इस योजना के लिए विज़न का निर्माण शहर-व्यापी परामर्श, केंद्रित समूह चर्चाओं, ऑनलाइन वेब पोर्टल तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सुझावों के आधार पर किया गया।

प्राधिकरण तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत जून 2021 में ड्राफ्ट मास्टर प्लान (एमपीडी) को 75 दिनों के लिए सार्वजनिक किया गया, ताकि सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित की जा सकें। प्रारूप दस्तावेज़ में संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा योजनाएँ (सर्विस प्लान) परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित थीं। इस अवधि में 34,000 से अधिक सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। अक्टूबर 2021 में जाँच एवं सुनवाई बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ने प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर प्रस्तुत विचार की सुनवाई की तथा ड्राफ्ट योजना में संशोधन हेतु अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं। मास्टर प्लान (एमपीडी) के अंतिम दस्तावेज़ में (i) केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों और जनता से प्राप्त प्रासंगिक सुझाव एवं आपत्तियाँ, (ii) बोर्ड की अनुशंसाएँ तथा (iii) मंत्रालय के सुझाव सम्मिलित किए गए।

1.6 वर्तमान परिदृश्य

1.6.1 जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी)

रोज़गार, उच्च शिक्षा तथा आवासीय अवसरों की दृष्टि से दिल्ली एक प्राथमिक शहर है। भारत की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) में 1951 से 2011 के बीच क्रमशः 52.44%, 52.91%, 52.98%, 51.45%, 47.03% तथा 21.20% की दशकवार जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। पिछले दो दशकों में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि तथा प्रवासन—दोनों के संदर्भ में वृद्धि दर में कमी आई है। इसके बावजूद, निरपेक्ष संख्या के आधार पर एनसीटी दिल्ली में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1.39% निवास करता है और यह विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है।

दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, जनसंख्या का 30.3% हिस्सा 15-30 वर्ष के आयु वर्ग में है जिससे दिल्ली विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक बन गया है । उच्च साक्षरता दर (86.2%) के साथ-साथ, यहाँ 15-59 वर्ष (2011) की आयु वर्ग के लगभग 11 लाख लोगों का एक बड़ा शिक्षित कार्यबल भी है । शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर सृजित करना आवश्यक है। दिल्ली की लगभग 30% आबादी 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं की है (दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20), जो दर्शाता है कि दिल्ली को एक अधिक बाल-हितैषी शहर बनने की आवश्यकता है। अतः शहर में सभी आयु वर्ग और सभी क्षमताओं के बच्चों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 2.26 लाख ऐसे प्रवासी दिल्ली में निवास कर रहे थे जिनकी निवास अवधि 0-9 वर्ष के बीच थी। तथापि, वर्ष 2001–11 के दशक के दौरान दिल्ली में कुल प्रवासन में कमी

दर्ज की गई। दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, दिल्ली में होने वाला अधिकांश प्रवासन पड़ोसी राज्यों से था। यद्यपि प्रवासियों की निरपेक्ष संख्या अभी भी अधिक है, तथापि उनके प्रोफ़ाइल, प्रवासन के उद्देश्य तथा निवास अवधि की समग्र समझ आवास, नागरिक सुविधाओं और रोजगार की प्रभावी योजना एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले दशक में दिल्ली में कुल प्रवासन में कमी का एक प्रमुख कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, गाज़ियाबाद आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का बढ़ना तथा भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार संवर्धन कार्यक्रम हैं।

भारत की जनगणना (2011) के अनुसार, दिल्ली की 97% से अधिक जनसंख्या शहरी है। वर्ष 1991 में जनसंख्या घनत्व 6,352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। दिल्ली की जनसंख्या का आकलन उच्च, मध्यम तथा निम्न वृद्धि परिदृश्यों के आधार पर किया गया। वर्ष 2018 में दिल्ली की कुल प्रजनन दर 1.5 थी तथा पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में इसमें निरंतर कमी आएगी (इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा तैयार दिल्ली की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर अध्ययन-एमपीडी-2041)। जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए उच्च प्रजनन, मध्यम प्रजनन तथा निम्न प्रजनन परिदृश्यों में क्रमशः 1.5, 1.3 तथा 1.1 की कुल प्रजनन दर को आधार माना गया है। पिछले दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए, 2.92 करोड़ (29.2 मिलियन) की अनुमानित जनसंख्या वाले मध्यम वृद्धि परिदृश्य को अपनाया गया है। जनगणना के अपडेट होने के पश्चात इस अनुमान का पुनः मापन हो सकता है। एनसीटी दिल्ली की पाँच-पाँच वर्ष के अंतराल पर अनुमानित जनसंख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

तालिका 1.1 : दिल्ली के लिए पाँच वर्षीय अंतराल पर अनुमानित जनसंख्या का आकलन

क्र. सं.	वर्ष	पुरुष (मिलियन में)	महिला (मिलियन में)	कुल (मिलियन में)
1.	2021	11.1	9.5	20.6
2.	2026	12.2	10.4	22.6
3.	2031	13.4	11.4	24.8
4.	2036	14.6	12.3	26.9
5.	2041	15.9	13.3	29.2

स्रोत: एमपीडी-2041 हेतु किए गए जनसांख्यिकीय आकलन (दिल्ली के लिए जनसंख्या, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार अध्ययन : एमपीडी-2041, मानव विकास संस्थान द्वारा)

उपर्युक्त आकलनों के आधार पर वर्ष 2047 में दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3.2 करोड़ (32 मिलियन) होने का अनुमान है। शहर की जनसांख्यिकीय संरचना में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन संभावित हैं। प्रथम, कार्यशील आयु वर्ग (25–60 वर्ष) की जनसंख्या के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश से प्राप्त संभावित आर्थिक लाभों का दोहन करने के लिए पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन आवश्यक होगा। द्वितीय, विश्लेषण से यह भी संकेत मिलता है कि 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुपात भी बढ़ेगा।

पिछले मास्टर प्लान (एमपीडी) में जनसंख्या वृद्धि का 50 प्रतिशत प्रवास के कारण होने का अनुमान लगाया गया था। वर्तमान जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं तथा भूमि के उच्च मूल्यों के परिणामस्वरूप शहर में अनियोजित बस्तियों का विस्तार हुआ है। वर्तमान योजना अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि में प्रवास का योगदान लगभग 41 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.6.2 सैक्टर

(i) पर्यावरण:

दिल्ली प्राकृतिक पर्यावरणीय सम्पदाओं से समृद्ध है, जिनमें यमुना नदी, अरावली रिज, जलाशय, वन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पार्क, मैदान, तालाब, बावड़ियाँ आदि जैसी मानव-निर्मित सम्पदा भी इसकी पर्यावरणीय धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सभी परिसंपत्तियाँ तथा उनका परस्पर जुड़ा हुआ तंत्र नागरिकों को ओपन स्पेस उपलब्ध कराते हैं तथा जैव विविधता, सूक्ष्म जलवायु एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक पारिस्थितिकीय लाभ प्रदान करते हैं। तथापि, ये पर्यावरणीय परिसंपत्तियाँ प्रदूषण, अतिक्रमण तथा पर्यावरणीय अवनति जैसी गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रही हैं।

वायु एवं जल प्रदूषण का प्रभाव व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा इसकी भौगोलिक सीमाओं के बाहर से आता है। अतः इन समस्याओं के समग्र समाधान हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई तथा बहु-राज्यीय समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शीतकाल के दौरान उद्योग एवं परिवहन तथा ग्रीष्मकाल में धूल एवं उद्योग प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्सर्जन, कचरा जलाना तथा डीज़ल जनरेटर सेट भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

दिल्ली की समृद्ध ब्लू एसेट्स में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यमुना नदी है, जिसका शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंध है। शहर में प्राकृतिक एवं निर्मित नालों का विस्तृत नेटवर्क है, जो मुख्यतः नजफगढ़, ट्रांस-यमुना तथा बारापुला नामक तीन जल निकासी बेसिनों में फैला हुआ है। यमुना तथा अन्य जलाशयों में बढ़ते जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव-जंतुओं का लोप हुआ है तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (वॉटर इकोलोजी) प्रभावित हुआ है। वज़ीराबाद से ओखला तक का 22 किलोमीटर लंबा नदी खंड, जो यमुना नदी की कुल लंबाई का 2 प्रतिशत से भी कम है, नदी में प्रदूषण भार का लगभग 76 प्रतिशत वहन करता है। यद्यपि यमुना एक बारहमासी नदी है, फिर भी शुष्क मौसम में वज़ीराबाद के डाउनस्ट्रीम भाग में इसमें मीठे जल का प्रवाह नहीं रहता। (स्रोत : नदी कायाकल्प समिति, (आरआरसी) जीएनसीटीडी की कार्ययोजना)। इस अवधि में नदी का प्रवाह मुख्यतः उन नालों के माध्यम से आने वाले शोधित एवं अशोधित अपशिष्ट जल से बना होता है, जो नदी में गिरते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) प्रमुख नालों (अनुलग्नक-2 देखें) की निगरानी करती है, जो नदी में अधिकांश प्रदूषित अपशिष्ट जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी हैं। अतः नदी प्रबंधन की किसी भी कार्यनीति में बाढ़ क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा, ताकि पारिस्थितिकीय क्षति एवं संभावित बाढ़ खतरों की रोकथाम की जा सके।

साथ ही, शहर ने हरित आवरण में वृद्धि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जो गत मास्टर प्लान अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ी है। वर्तमान में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन विभाग के अनुसार, कुल भू-क्षेत्र का लगभग 22% भाग हरित आवरण के अंतर्गत है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के वर्गीकरण के आधार पर, दिल्ली में तीन प्रकार के वन हैं। रिज एक आरक्षित वन है, जो लगभग 7784 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है (उत्तरी रिज वन: 87 हेक्टेयर, केंद्रीय रिज वन: 864 हेक्टेयर, दक्षिण-मध्य रिज वन: 626 हेक्टेयर, दक्षिणी रिज वन: 6,200 हेक्टेयर तथा नानकपुरा रिज वन: 7 हेक्टेयर) और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6% भाग है।

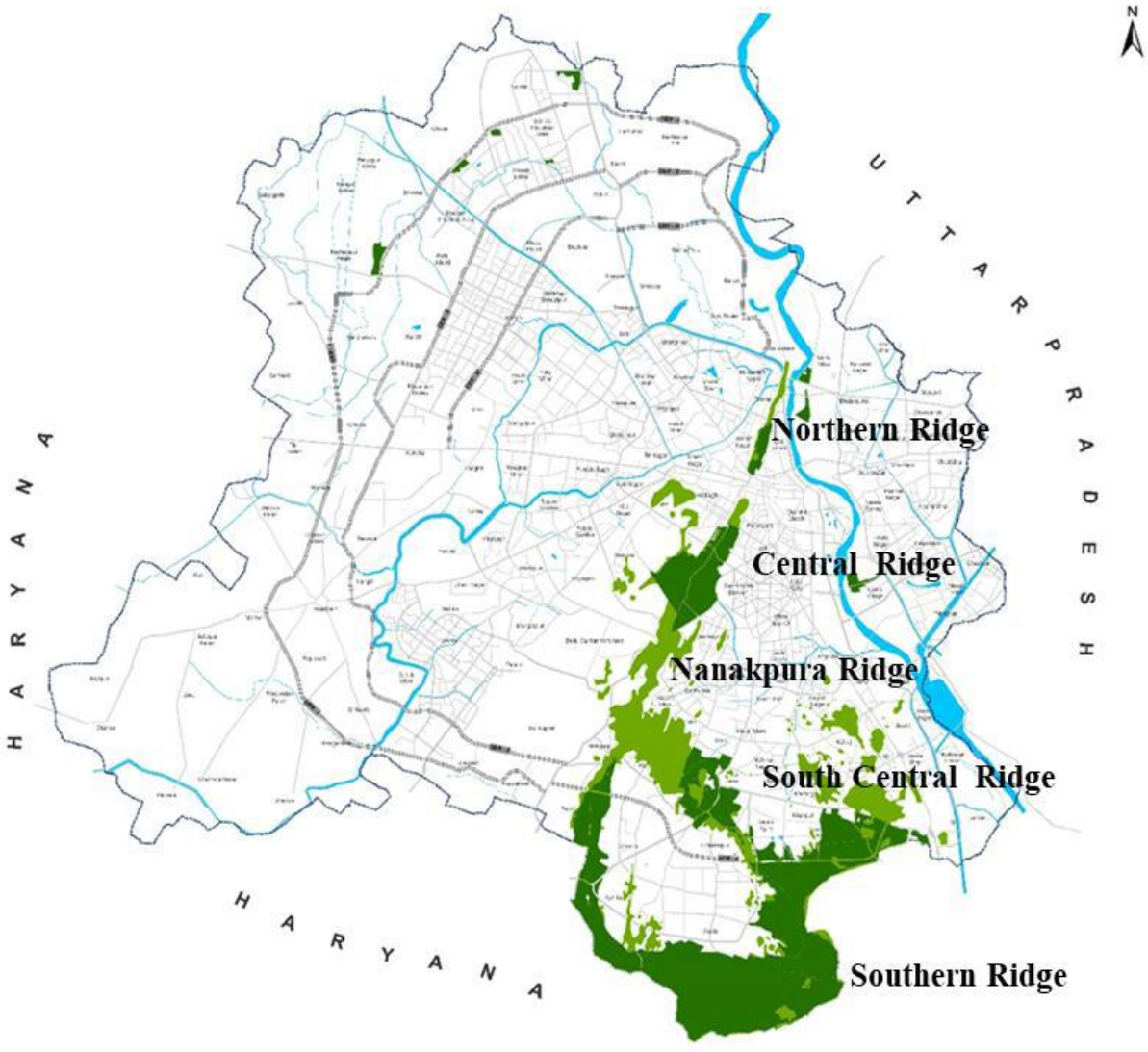

चित्र 1: एनसीटी दिल्ली में रिज क्षेत्र

(केवल उदाहरण के लिए)

दूसरी श्रेणी में 26 संरक्षित वन सम्मिलित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,658 हेक्टेयर है। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत, वन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 40 अवर्गीकृत वनों का रख-रखाव 'नगर वन' के रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पार्क एवं उद्यान सोसाइटी के अनुसार, दिल्ली में 18,000 से अधिक पार्क और उद्यान हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सात समर्पित जैव विविधता पार्क भी विकसित किए गए हैं, जो संरक्षण के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करते हैं (अनुलग्नक-1 देखें)। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागों में 746 पार्कों (6,830 हेक्टेयर क्षेत्र) का रख-रखाव भी किया जा रहा है (अनुलग्नक-1 देखें)।

(ii) अर्थव्यवस्था:

दिल्ली देश के सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रहे महानगरीय केंद्रों में से एक है। दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,27,055 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है। शहर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तृतीयक (सेवा) (टर्शरी सेक्टर) पर आधारित है, जिसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान योगदान 85 प्रतिशत है। इसके पश्चात (सेकेन्डरी सेक्टर्स) (12 प्रतिशत) तथा प्राथमिक (प्रारंभिक सेक्टर्स) (3 प्रतिशत) का योगदान है।

सरकार द्वारा समय-समय पर लगभग 2,500 हेक्टेयर भूमि पर विकास के विभिन्न पदसोपानों (हार्यकी) के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक केंद्र विकसित किए गए हैं। लगभग 2,774 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित नियोजित औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के भूमि उपयोग वितरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ राजधानी के औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। दिल्ली में शहर भर में फैली हुई खुदरा, थोक तथा भंडारण सुविधाओं का व्यापक नेटवर्क उपलब्ध है।

वर्तमान में दिल्ली का औद्योगिक परिदृश्य मुख्यतः सूक्ष्म, (एमएसएमई) की प्रधानता, बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमित उपस्थिति तथा स्वच्छ एवं सेवा-आधारित उद्योगों की ओर धीमे बदलाव से परिलक्षित होता है। शहर में लगभग 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र तथा 25 असंगत (नान कन्फर्मिंग) औद्योगिक क्लस्टर हैं। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि मुख्यतः फूड प्रोसेसिंग, निर्मित धातु उत्पाद (फेब्रिकेटड मेटल), रसायन

तथा परिवहन उपकरण जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित है, जबकि परिधान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ पारंपरिक उद्योग भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

दिल्ली केंद्र एवं अर्द्ध-सरकारी संस्थानों का मुख्यालय होने के साथ-साथ अनेक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय संगठनों का भी प्रधान कार्यालय है। यह बैठकों, प्रोत्साहन यात्राओं, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई), यात्रा एवं आतिथ्य (ट्रेवल एण्ड हॉस्पिटेलिटी) उद्योग का एक प्रमुख गंतव्य है। इसके अतिरिक्त, शहर की समृद्ध विरासत का उपयोग पर्यटन, यात्रा, खाद्य एवं पेय, रचनात्मक कला, मीडिया, डिज़ाइन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

लैंड पूलिंग तथा अन्य विकास कार्यनीतियों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप निर्माण क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि की अपेक्षा है। इसी प्रकार, ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) तथा क्षेत्रीय स्तर पर सुदृढ़ परस्पर निर्भरता परिवहन, व्यापार एवं खुदरा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।

(iii) विरासत एवं संस्कृति

दिल्ली विश्व के सबसे पुराने निरंतर बसे नगरों में से एक है, जिसमें इसकी 1459 पहचानी गई धरोहर संपत्तियों में समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत झलकती है, जिसमें विश्व धरोहर स्थल, संरक्षित स्मारक, धरोहर इमारतें, ऐतिहासिक क्षेत्र और सांस्कृतिक परिदृश्य शामिल हैं। दिल्ली में विश्व धरोहर स्थल, केंद्रीय संरक्षित स्मारक तथा राज्य संरक्षित स्मारक स्थित हैं, जो क्रमशः यूनेस्को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा अनेक विरासत भवनों को भी अधिसूचित किया गया है, जो अधिकांशतः निजी स्वामित्व वाली तथा वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही संपत्तियाँ हैं और संबंधित स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। दिल्ली के अनेक विरासत भवन एवं स्मारक अतिक्रमण, जर्जर अवस्था, अनुपयुक्त उपयोग तथा असंवेदनशील पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अतः विरासत परिसंपत्तियों के संरक्षण एवं नियमित निगरानी पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है।

शहर की निर्मित विरासत मुख्यतः यमुना नदी एवं रिज के मध्य स्थित सेंट्रल दिल्ली क्षेत्र में केंद्रित है। इनमें से अनेक विरासत परिसरों एवं क्षेत्रों के रूप में समूहित हैं, जिनमें शहर के विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित होने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। शाहजहानाबाद (चाँदनी चौक सहित), निजामुद्दीन, महरौली, तुगलकाबाद, जहाँपनाह, हौज़ खास तथा लुटियंस दिल्ली जैसे विरासत क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण विरासत भवन एवं स्मारक स्थित हैं। अनेक विरासत भवन एवं ऐतिहासिक क्षेत्र, जलाशयों एवं वनों जैसी प्राकृतिक

परिसंपत्तियों से परस्पर जुड़े हुए हैं, जिससे समेकित नियोजन के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं। कला एवं सांस्कृतिक उत्सव, खाद्य भ्रमण, विरासत भ्रमण आदि गतिविधियों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं, जिन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दिल्ली में वास्तुशिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक प्रतिष्ठित भवन भी हैं, जिन्हें सांस्कृतिक संवर्धन के दायरे में लाया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त, दिल्ली में प्रतिष्ठित नगर स्तरीय केंद्रों, पार्कों एवं खुले स्थलों जैसे इंडिया गेट, कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क तथा नेहरू पार्क, बड़े सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिसरों, वाल्ड सिटी के पारंपरिक एवं ऐतिहासिक बाजारों, दिल्ली हाट जैसे थीम स्थलों, जनपथ जैसे बाजारों, एम्पोरियमों, पार्कों, चौकों एवं सड़कों सहित विविध प्रकार के सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मंडी हाउस जैसे विविध रचनात्मक कला स्थलों, विरासत परिसंपत्तियाँ एवं सांस्कृतिक परिसर, तथा वन, जलाशय एवं यमुना बाढ़ क्षेत्र जैसी पर्यावरणीय परिसंपत्तियाँ भी शहर की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

(iv) **आश्रय:**

रोजगार, सामाजिक सेवाओं तथा अन्य शहरी गतिविधियों के साथ आवास का घनिष्ठ स्थानिक संबंध है। किसी भी शहर में जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में आवासन और सामाजिक अवसंरचना की केंद्रीय भूमिका होती है।

दिल्ली में भूमि एवं आवास का विकास मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से किया गया है, जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित रही है। आवास क्षेत्र में दिल्ली ने विकास की अनेक परतों को समाहित किया है। नियोजित आवासीय क्षेत्रों में प्लॉटिड डेवलपमेंट के अंतर्गत सहकारी आवास निर्माण समितियाँ (सीएचबीएस – CHBS), डीडीए आवासीय प्लॉटों, पुन:स्थापन (रिसेटलमेंट) कॉलोनियाँ तथा पुनर्वास कॉलोनियाँ (एमओआर - MoR) विकसित की गई हैं। इसी प्रकार, समूह आवास के अंतर्गत जनरल पूल आवासीय क्षेत्र (जीपीआरए - GPRA), सरकारी/नियोक्ता आवास, सहकारी समूह आवास समितियाँ (सीजीएचएस - CGHS), डीडीए समूह आवास योजनाएँ तथा निजी समूह आवास परियोजनाएँ विकसित की गई हैं।

शहर की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या निम्न एवं मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। भूमि की अत्यधिक ऊँची कीमतों के कारण किफायती आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों तथा शहरी गाँवों के सघनीकरण में वृद्धि हुई है।

लगभग 28.4 प्रतिशत परिवार किराये के आवासों में निवास करते हैं (जनगणना 2011 के अनुसार)। दिल्ली सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 के अनुसार शहर की 32.3 प्रतिशत जनसंख्या प्रवासी है, जो कम प्रवेश एवं निकास लागत के कारण किराये के आवास को प्राथमिकता देती है। वर्तमान में इस किराये के आवास की अधिकांश मांग की पूर्ति अनियोजित बस्तियों द्वारा की जा रही है।

अनियोजित क्षेत्रों में आवासीय भंडार तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)के निवासियों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है तथा लागू विनियमों के अनुसार इन कॉलोनियों के नियमितीकरण एवं पुनर्विकास को सुगम बना रही है।

वर्ष 2011 से 2047 की अवधि के लिए, प्रति परिवार औसत 4.5 व्यक्तियों के आधार पर दिल्ली में लगभग 40 लाख आवासीय इकाइयों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इस आवासीय मांग का आकलन आवासीय कमी, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न नई मांग, विद्यमान आवासों में परिवारों की संख्या में वृद्धि, वर्तमान आवासीय स्टॉक की जर्जरता के कारण प्रतिस्थापन की आवश्यकता तथा शहर में उपलब्ध रिक्त आवासीय स्टॉक जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(v) **सामाजिक अवसंरचना**

सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ, सुरक्षा अवसंरचना, संचार, वितरण संबंधी सुविधाएँ तथा अन्य संबंधित सेवाएँ शामिल हैं। सामाजिक अवसंरचना का नियोजन, विकास एवं सेवा प्रदाय विभिन्न सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

इन सुविधाओं का वितरण सिटी, सब-सिटी, सामुदायिक तथा स्थानीय स्तर पर किया गया है। मास्टर प्लान-2021 के अनुसार, नरेला और द्वारका जैसे शहरी विस्तार क्षेत्रों को भी समेकित आवास, परिवहन तथा सामाजिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है।

दिल्ली को खेल, शिक्षा, व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं। नरेला समेकित खेल परिसर तथा नरेला शिक्षा केंद्र को प्रमुख खेल एवं संस्थागत गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि भारत मंडपम तथा यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर) अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आईसीटी प्रणालियों से युक्त हैं, जिनमें वैश्विक तथा स्थानीय विशेषज्ञता का उत्कृष्ट समन्वय किया गया है।

द्वारका को दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय प्रवेश-द्वार तथा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी सामरिक अवस्थिति, मेट्रो नेटवर्क, द्वारका एक्सप्रेसवे, यूईआर-II तथा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई

अड्डे से निकटता इसके विकास को विशेष बल प्रदान करती है। 34 हेक्टेयर में विकसित किए जा रहे (डिप्लोमेटिक एन्कलेव) से दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय संपर्क केंद्र के रूप में इसकी भूमिका और अधिक सुदृढ़ होगी, जबकि भारत वंदना पार्क जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाएँ इसके पर्यटन, मनोरंजन तथा निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देंगी। विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा शहरी सुविधाओं से पूर्ण द्वारका को व्यापार, कूटनीति तथा वैश्विक सहभागिता के प्रमुख केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

(vi) **परिवहन एवं गतिशीलता**

(क) **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: (रीजनल कनेक्टिविटी)** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का केंद्रीय भाग है तथा गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं फरीदाबाद जैसे निकटवर्ती नगरों के साथ इसकी मजबूत क्षेत्रीय परस्पर निर्भरता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन एनसीआर में लोगों एवं माल का बड़े पैमाने पर आवागमन होता है। निकटवर्ती शहरी केंद्रों एवं एनसीआर में विकसित की जा रही अनेक नई परियोजनाएँ, जैसे इन्टीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर(पश्चिमी), अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर(पूर्वी), डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडर आदि, यात्री एवं माल परिवहन के स्वरूप को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करेंगी। इससे शहर की विद्यमान परिवहन अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है। शहरी विस्तार मार्ग (यूईआर-II) एक कार्यनीतिक गतिशीलता कॉरिडोर है, जो दिल्ली के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डे, तीन उप-नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा अन्य उभरते शहरी केंद्रों को आपस में जोड़कर संपर्क को सुदृढ़ करता है। दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार, प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कोरिडोर, क्षेत्रीय तीव्र रेल परिवहन प्रणाली तथा बाईपास एवं पेरिफेरियल सड़कों का निर्माण क्षेत्रीय गतिशीलता को नया स्वरूप प्रदान करेगा तथा दिल्ली में यातायात अवरोध को कम करने में सहायक होगा।

(ख) **अंतर-नगरीय आवागमन:** शहर के समक्ष नव-विकसित शहरी क्षेत्रों तक सुगम पहुँच उपलब्ध कराने, यातायात अवरोध को कम करने, कम-उपयोगी परिवहन संपत्तियों का कायाकल्प करने तथा पैदल एवं साइकिल आधारित आवागमन को प्रोत्साहित करने जैसी आंतरिक चुनौतियाँ भी हैं। भविष्य में शहरी गतिशीलता का प्रचलन स्वच्छ ईंधनों के उपयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन प्रणालियों तथा यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से चिह्नित होगा। अतः इन पहलुओं को शहर की परिवहन कार्यनीतियों में समुचित रूप से सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी दिल्ली में सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की भी पर्याप्त संभावनाएँ हैं, जिनका अन्वेषण किया जाना आवश्यक है।

(ग) **सार्वजनिक परिवहन एवं सक्रिय आवागमन:**

दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018 में किए गए अध्ययन के अनुसार मोटर चालित परिवहन साधनों द्वारा की जाने वाली यात्राओं का मोडल विभाजन लगभग 60:40 है, जो सार्वजनिक परिवहन एवं मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन के पक्ष में है। तथापि, सक्रिय आवागमन की संभावनाओं का अभी भी पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाया है। पिछले एक दशक में पैदल यात्राओं की हिस्सेदारी में केवल नगण्य वृद्धि हुई है, जबकि साइकिल यात्राओं की संख्या लगभग एक-तिहाई घट गई है। दिल्ली पुलिस के दुर्घटना अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित *दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएँ, 2019* के अनुसार दिल्ली में होने वाली लगभग आधी घातक सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्री, साइकिल चालक आदि जैसे संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता सम्मिलित थे। अतः सड़क सुरक्षा दिल्ली के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरी है तथा सुरक्षित, पैदल-अनुकूल एवं साइकिल-अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) **पार्किंग प्रबंधन:** दिल्ली के लिए प्रभावी पार्किंग प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब तक पार्किंग की बढ़ती मांग का समाधान मुख्यतः पार्किंग क्षमता में वृद्धि करके किया जाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप निजी परिवहन साधनों के उपयोग में और वृद्धि हुई है। पार्किंग हेतु भूमि का आवंटन भूमि संसाधनों के उचित उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है। भविष्य में दिल्ली में मांग-आधारित पार्किंग प्रबंधन कार्यनीतियों को अपनाना तथा विद्यमान अवसंरचना का अधिकतम एवं दक्ष उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। पार्किंग की योजना एवं प्रबंधन एकीकृत पार्किंग नियोजन रूपरेखा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पार्किंग स्थलों का दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो, सुगम पहुँच में सुधार हो तथा सतत शहरी गतिशीलता को प्रोत्साहन मिले।

(vii) भौतिक अवसंरचना एवं आपदा तैयारी

(क) भौतिक अवसंरचना:

जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विषय हैं, जबकि जलापूर्ति, विद्युत एवं जल निकासी अंतर्राज्यीय विषय हैं। अतः इन अवसंरचनात्मक घटकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम योजना एवं समुचित व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक अवसंरचना घटक के लिए भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापक क्षमता-वृद्धि योजना आवश्यक है। इस उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, विद्युत विभाग, जीएनसीटीडी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,

जीएनसीटीडी द्वारा एमपीडी-2047 के अनुरूप अवसंरचना योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिन्हें सेवा योजनाओं के रूप में परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है।

i. जलापूर्ति

दिल्ली में जलापूर्ति एवं वितरण का दायित्व दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्रों में दिल्ली जल बोर्ड बड़ी मात्रा में जलापूर्ति करता है, जबकि जल वितरण का कार्य संबंधित निकायों द्वारा किया जाता है। जिन क्षेत्रों में जल वितरण नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहाँ दिल्ली जल बोर्ड टैंकरों के माध्यम से जल उपलब्ध कराता है। दिल्ली जल-संकटग्रस्त शहर है तथा जनसंख्या वृद्धि, जल का अपव्ययी उपयोग तथा तंत्रगत जल हानि के कारण उपलब्ध जल संसाधनों पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है।

वर्ष 2021 में जलापूर्ति 935 एमजीडी थी, जबकि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल की मांग 1380 एमजीडी आँकी गई थी। वर्ष 2047 तक पेयजल की अनुमानित मांग लगभग 1600 एमजीडी होगी।

दिल्ली जल बोर्ड ने वर्ष 2047 तक अतिरिक्त 401 एमजीडी जल की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इस मांग की पूर्ति हेतु अगले 4–5 वर्षों में अल्प एवं मध्यम अवधि के उपायों के माध्यम से 110 एमजीडी तथा आगामी 10–15 वर्षों में मध्यम एवं दीर्घकालिक उपायों द्वारा अतिरिक्त 291 एमजीडी जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत सिंचाई में प्रयुक्त यमुना जल का प्रतिस्थापन कर जलापूर्ति बढ़ाना, उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त कच्चे जल की प्राप्ति तथा रेणुकाजी, लखवार एवं किशाऊ में अपस्ट्रीम जल भंडारण परियोजनाओं का विकास सम्मिलित है। इस प्रकार दिल्ली के लिए अनुमानित जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वित प्रयास तथा भारत सरकार का आवश्यक सहयोग एवं हस्तक्षेप अपेक्षित होगा।

ii. अपशिष्ट जल: दिल्ली जल बोर्ड सीवरेज नेटवर्क के लिए उत्तरदायी है। जिसमें संग्रहण, उपचार तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग एवं विसर्जन शामिल है। दिल्ली में अपशिष्ट जल का प्रबंधन सीवर नेटवर्क प्रणाली तथा सेप्टिक टैंकों पर आधारित ऑन-साइट सेनिटेशन प्रणाली दोनों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड ने नालों में बिना उपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए डीसेन्ट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम तथा गाद प्रबंधन प्रणालियों की भी योजना बनाई है। जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाना संभव नहीं है, वहाँ इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के समानांतर तंत्र के माध्यम से उप-नालों से बिना उपचारित अपशिष्ट जल को रोककर उसका उपचार करने की योजना है, ताकि वह नदी में प्रवाहित होने से पहले ही उपचारित हो सके।

दिल्ली जल बोर्ड यमुना नदी में सीधे गिरने वाले प्रमुख नालों के सीवेज को निकटवर्ती सीवेज उपचार संयंत्रों की ओर मोड़कर उसके उपचार के प्रयास भी कर रहा है। 22 प्रमुख नालों में से 11 नालों को पहले ही इंटरसेप्ट किया जा चुका है, जिससे बिना उपचारित अपशिष्ट जल के नदी में प्रवाह को रोका जा सके।

वर्तमान में दिल्ली में 814 एमजीडी की स्थापित सीवेज उपचार क्षमता उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष लगभग 744 एमजीडी अपशिष्ट जल का उपचार किया जा रहा है। उपचार क्षमता को और सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर नए सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिससे वर्ष 2047 तक लगभग 1285 एमजीडी, अर्थात् कुल जलापूर्ति के लगभग 80% अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके।

दिल्ली जल बोर्ड संबंधित एजेंसियों एवं प्राधिकरणों को पार्कों, उद्यानों, हरित क्षेत्रों एवं अन्य सार्वजनिक खुले स्थानों में लैंड स्केपिंग एवं सिंचाई कार्यों हेतु उपचारित जल की उपलब्धता एवं उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। पेयजल की मांग कम करने तथा जल संसाधनों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे गैर-पेय प्रयोजनों में उपचारित जल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन: दिल्ली की जल निकासी प्रणाली का स्वरूप मुख्यतः अरावली की तलहटी एवं उससे जुड़े लैंड आउट क्रोप द्वारा निर्धारित होता है। वर्षा जल का प्रवाह प्रायः पश्चिम के उच्च भूभागों से पूर्व में स्थित यमुना नदी की ओर होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इंटिग्रेटिड ड्रेन मैनेजमेंट सैल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के सभी नालों के पुनरुद्धार एवं प्रबंधन हेतु "नालों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ" विषयक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना है। इसमें सभी ड्रेन स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।

शहर के विभिन्न भागों में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी अवसंरचना को अधिक सक्षम बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही जलाशयों का पुनर्जीवन, पार्कों में वर्षा जल संचयन तथा नालों में ठोस अपशिष्ट के डंपिंग पर नियंत्रण जैसे कम लागत वाले बाढ़-निवारण उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए। अगले 30 वर्षों की जल निकासी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान (डीडीएमपी) तैयार किया जा रहा है, ताकि तीव्र शहरीकरण एवं बार-बार होने वाले जलभराव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके।

iv. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: पिछले कई वर्षों से दिल्ली में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। नगर निगम ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन नगर निगम दिल्ली, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा दिल्ली

छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में दिल्ली में उत्पन्न होने वाले नगर निगम ठोस अपशिष्ट का लगभग 47.5 प्रतिशत प्रोसेस किया जाता है, जबकि शेष अपशिष्ट का मुख्यतः भलस्वा, गाज़ीपुर एवं ओखला स्थित तीन लैंडफिल स्थलों पर निपटान किया जाता है। दिल्ली अपने पुराने लैंडफिल स्थलों को समतल करने की दिशा में कार्य कर रही है तथा नगर निगम दिल्ली इन डंप स्थलों के पृथक्करण, प्रोसेस एवं पूर्ण निष्पादन हेतु बड़े पैमाने पर बायो-माइनिंग की प्रक्रिया संचालित कर रहा है।

वर्तमान लैंडफिल स्थल अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक भर चुके हैं। शहर में उत्पन्न होने वाले नगर निगम ठोस अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2026 में 13,500 टन प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2047 तक लगभग 25,764 टन प्रतिदिन होने का अनुमान है।

v. **बिजली:** दिल्ली में प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली की खपत 1,343 यूनिट है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,460 यूनिट है। वर्ष 2021 में पारंपरिक विद्युत आपूर्ति क्षमता 7,161 मेगावाट थी। वर्तमान (रिन्यूएबल आपरेशन पावर परचेम एग्रीमेंट) अथवा बिजली आपूर्ति व्यवस्थाओं की क्षमता 923 मेगावाट थी। वर्ष 2047 तक अधिकतम बिजली मांग लगभग 25,500 मेगावाट होने का अनुमान है।

vi. गैस नेटवर्क: प्राकृतिक गैस का उपयोग परिवहन क्षेत्र में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), घरेलू एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) तथा उद्योगों में री-गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। शहर को विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस आधारित स्वच्छ ईंधनों के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

vii. दूरसंचार एवं डिजिटल अवसंरचना: डिजिटल अवसंरचना एवं डिजिटल सेवाएँ दिल्ली के विकास के प्रमुख आधार के रूप में तेजी से उभर रही हैं। डिजिटल अवसंरचना के विकास हेतु दिल्ली ने भारतीय टेलीग्राफ नियमों के अनुरूप 'राइट ऑफ वे' नीति को अपनाया है, जिससे भूमिगत (ऑप्टिकल फाइबर) एवं भूमितल के ऊपर (मोबाइल टावर) डिजिटल अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाया जा सके। वर्ष 2020 में दिल्ली में 57 मिलियन से अधिक दूरसंचार कनेक्शन उपलब्ध थे, जिनमें से लगभग 54 मिलियन वायरलेस कनेक्शन थे, जिन्हें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था।

(ख) आपदा तैयारी एवं प्रतिरोधक क्षमता:

दिल्ली मास्टर प्लान के आरंभ के बाद से विभिन्न चरणों में विकसित हुई है, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र समय के साथ बढ़े हैं। जैसे-जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, कई पुराने मोहल्लों को पुनर्विकास और उनके भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के उन्नयन की आवश्यकता है ताकि उन्हें

सुरक्षित और अधिक फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। नियमित और अनियोजित क्षेत्रों में भी अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है, साथ ही बेहतर संरचनात्मक, अग्नि और विद्युत सुरक्षा की आवश्यकता है।

दिल्ली सिस्मिक जोन IV में स्थित है और यहाँ भूकंप, बाढ़, आग लगने, औद्योगिक और केमिकल दुर्घटनाओं, इमारतों के गिरने, जल-जमाव और अन्य आपातकालीन स्थितियों का खतरा बना रहता है। यमुना नदी में बाढ़ के कारण शहर को अलग-अलग स्तर की बाढ़ का सामना करना पड़ता रहा है। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के आंकड़ों के अनुसार, 2016-21 के दौरान शहर में आग लगने की 1,45,000 से ज्यादा घटनाएँ हुईं, जिनमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) द्वारा तैयार किया गया 'दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान' दिल्ली में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और सूचीबद्ध करता है। यह योजना संरचनात्मक सुरक्षा, आग सुरक्षा, इलेक्ट्रिक सुरक्षा आदि के लिए समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट करने का प्रस्ताव देती है।

आने वाले दो दशकों में, दिल्ली सुरक्षित, अनुकूल और टिकाऊ बुनियादी ढांचा विकसित करेगी ताकि अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके और साथ ही आपदाओं और जलवायु परिवर्तन की प्रतिरोधी क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। सभी संबंधित एजेंसियों को शक्तिशाली और अनुकूल बुनियादी ढांचा सेवाओं की सुविधा देकर एक टिकाऊ और संसाधन-कुशल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

1.7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए भूमि उपयोग योजना

1.7.1 भूमि उपयोग योजना:

भूमि उपयोग योजना से आशय उस योजना से है जिसमें विकास संहिता (डेवलपमेंट कोड) में परिभाषित उपयोग क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा। इन उपयोग क्षेत्रों की सीमाएँ भूमि उपयोग योजना में सड़कों, रेलवे पटरियों, नालों आदि जैसी भौतिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। एमपीडी-2047 के लिए भूमि उपयोग योजना भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें पूर्व में स्वीकृत (मानचित्र 1 देखें) प्रस्तावित स्थानिक नीतियाँ जैसे ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति, हाई डेन्सिटी कोरिडोर, लो-डेन्सिटी रेजिडेंशियल एरिया, लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए) तथा लैंड पूलिंग नीति को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, मेट्रो, आरआरटीएस, एक्सप्रेसवे जैसे अवसंरचना नेटवर्कों को भी सम्मिलित किया गया है। यह योजना मौजूदा एवं प्रस्तावित सड़कों की निरंतरता सुनिश्चित करती है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क (रीजनल कनेक्टिविटी) को सुदृढ़ बनाने में सहायक है।

भूमि उपयोग योजना के क्रियान्वयन को विभिन्न विकास प्रणालियों के अंतर्गत अपनाए जाने वाले डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जैसे लैंड एसेम्बली, नगर नियोजन योजना, एमआरटीएस के साथ सघनीकरण आदि के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था नियोजित शहरी विकास (टाउन प्लानिंग स्कीम), वर्तमान निर्मित पर्यावरण (एक्जिरिंटग बिल्ट एन्वायरमेंट) के पुनर्विकास तथा उन्नत अवसंरचना एवं सेवाओं से युक्त योजनाओं की तैयारी को सुगम बनाएंगे।

एमपीडी-2047 के अंतर्गत भूमि उपयोग योजना को व्यापक रूप से निम्नलिखित दो योजना फ्रेमवर्क में वर्गीकृत किया गया है:

(i) अधिग्रहित एवं विकसित क्षेत्रों में नियोजन: पहले से विकसित क्षेत्रों में विकास संहिता के अंतर्गत निर्धारित उपयोग क्षेत्रों के माध्यम से भूमि उपयोग निर्धारित किया गया है। योजना में नौ (9) व्यापक भूमि उपयोग श्रेणियों की पहचान की गई है अर्थात आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, मनोरंजक, परिवहन, यूटिलिटी, सरकारी, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, कृषि एवं जलाशय इन भूमि उपयोगों को आगे 24 उपयोग जोनों में वर्गीकृत किया गया है (खंड 5.1.3 एवं 5.1.5 देखें)।

तथापि, 30 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू. अथवा उससे अधिक चौड़ाई वाली गलियों/सड़कों से संलग्न आवासीय भूखंडों (सभी श्रेणियों की कॉलोनियों में), जिन्हें न तो मिश्रित भू-उपयोग के रूप में अधिसूचित किया गया है और न ही वाणिज्यिक सड़कों के रूप में, पर वाणिज्यिक गतिविधियां शुल्क के भुगतान के अधीन भूतल अथवा प्रथम निचले तल (स्टिल्ट के मामले में) पर अनुमन्य होंगी। ऐसे आवासीय भूखंडों पर सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी, सिवाय उन गतिविधियों के जिनमें किसी भी प्रकार के दुर्गंधयुक्त, खतरनाक, ज्वलनशील, असंगत अथवा प्रदूषणकारी पदार्थों या प्रक्रियाओं का उपयोग/संचालन शामिल हो। ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियां केवल भूतल अथवा प्रथम निचले तल (स्टिल्ट के मामले में) पर ही अनुमन्य होंगी। इसके अतिरिक्त, नीति-आधारित विकास क्षेत्रों में, विनियमों में निर्धारित सड़क मार्गाधिकार (Road Right of Way) के आधार पर भूखंडों के भीतर अनुमन्य गतिविधियों/भू-उपयोगों का मिश्रण अनुमन्य होगा।

(ii) नीति आधारित विकास क्षेत्र: इन क्षेत्रों में विकास निजी भू-स्वामियों एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता वाले योजना प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा (मानचित्र 4 देखें)। पूर्व-निर्धारित प्लॉट स्तर के भूमि उपयोग के स्थान पर विकास को स्वीकृत स्पैशियल पालिसी एवं प्लानिंग स्कीम द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो लचीलेपन, मिश्रित उपयोग विकास, समेकित अवसंरचना तथा सतत शहरी विकास को बढ़ावा देती हैं। इन

क्षेत्रों में अनुमत भूमि उपयोग, विकास नियंत्रण एवं क्रियान्वयन तंत्र संबंधित स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं द्वारा नियंत्रित होंगे। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) लैंड पूलिंग क्षेत्र: लैंड पूलिंग क्षेत्रों में विभिन्न नियोजन क्षेत्रों में फैला लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है। इन क्षेत्रों का विकास समावेशी ज़ोनिंग अप्रोच के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, मनोरंजक तथा अन्य संगत उपयोगों का संतुलित मिश्रण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि नेबरहुड सतत एवं आत्मनिर्भर क्षेत्र विकसित किए जा सकें।

योजना निर्माण ढांचा एक फ्लैक्सिबल भूमि उपयोग प्रणाली को अपनाता है, जिसमें अनुमत उपयोग और विकास की गहनता साथ में लगी हुई सड़क के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के आधार पर तय की जाएगी। यह तरीका विकसित होती आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने में फ्लेक्सिबल प्रदान करता है, मिक्स-यूज़ विकास को प्रोत्साहित करता है, भूमि के उपयोग में सुधार करता है, और चलने योग्य, ट्रांजिट सर्पोटिव शहरी वातावरण को बढ़ावा देता है।

(ख) लो-डेन्सिटी एरिया: लो-डेन्सिटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा से लगे एक पेरिफेरियल गाँव की रेवेन्यू बाउन्ड्री की दूरी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा पिछले मास्टर प्लान (एमपीडी) के लो-डेन्सिटी आवासीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इसका अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः लो-डेन्सिटी आवासीय प्लॉटों का विकास किया जाएगा। प्लॉट आकार एवं उससे लगी सड़क की चौड़ाई के आधार पर लागू विकास मानदंडों के अनुसार अन्य गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इस प्रणाली का उद्देश्य चरणबद्ध अवसंरचना विकास एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है, साथ ही इस क्षेत्र के लो डेन्सिटी एवं पर्यावरणीय स्वरूप को बनाए रखा जाएगा।

(ग) टीओडी जोन के अंतर्गत विकास: टीओडी जोन लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो मेट्रो कॉरिडोरों तथा आरआरटीएस, रेलवे स्टेशनों एवं हाई स्पीड रेल स्टेशनों के प्रभाव क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सघन, ट्रांजिट ओरिएनटेड एवं मिश्रित उपयोग विकास के माध्यम से वहन करने योग्य आवास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक तथा अन्य संगत उपयोगों का उपयुक्त मिश्रण होगा।

(घ) हाई डेंसिटी कॉरिडोर जोन (एचडीसी): हाई डेंसिटी कॉरिडोर जोन लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो निर्मित शहरी विस्तार सड़क-II (यूईआर- II) के साथ स्थित है। इन क्षेत्रों का उद्देश्य आवासीय, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, व्यावसायिक एवं अन्य संगत उपयोगों के मिश्रण के साथ उच्च सघनता एवं कॉम्पेक्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। मास्टर प्लान (एमपीडी) में प्रस्तावित भविष्य के यूईआर विस्तारों के निर्माण के

पश्चात एचडीसी के प्रावधान उन क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। विकास को स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा, ताकि इंटीग्रेटेड अवसंरचना, भूमि का कुशल उपयोग, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि तथा बेहतर संपर्क सुनिश्चित किया जा सके।

1.7.2 योजना जोन (प्लानिंग जोन)

प्रशासनिक सुविधा, व्यवस्थित नियोजन, कार्यनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शहर के संतुलित समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) -2047 के अंतर्गत 17 योजना जोन में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों को 'ए' से 'पी' तक निर्दिष्ट किया गया है (जिसमें 'I' क्षेत्र सम्मिलित नहीं है)।

तालिका 1.2 : योजना जोन (पूर्व मास्टर प्लान (एमपीडी) के अंतर्गत चिन्हित)

क्रम सं.	ज़ोन	ज़ोन का नाम
1	ए	पुराना शहर (वाल्ड सिटी एवं वाल्ड सिटी अलग क्षेत्र)
2	बी	नगर विस्तार (करोल बाग)
3	सी	सिविल लाइंस
4	डी	नई दिल्ली
5	ई	ट्रांस यमुना
6	एफ	दक्षिण दिल्ली-I
7	जी	पश्चिम दिल्ली-I
8	एच	उत्तर-पश्चिम दिल्ली-I
9	जे	दक्षिण दिल्ली-II
10	के-I	पश्चिम दिल्ली-II
11	के-II	द्वारका

12	एल	पश्चिम दिल्ली-III
13	एम	उत्तर-पश्चिम दिल्ली-II
14	एन	उत्तर-पश्चिम दिल्ली-III
15	ओ	यमुना नदी एवं नदी तट क्षेत्र
16	पी-I	नरेला
17	पी-II	उत्तरी दिल्ली

1.7.3 दिल्ली का मानचित्रण

तेजी से विकसित हो रहे महानगर के रूप में दिल्ली को ऐसी सुदृढ़ नियोजन प्रणाली की आवश्यकता है, जो जटिल स्थानिक, सामाजिक तथा अवसंरचनात्मक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सके। एमपीडी-2047, एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में, आगामी दो दशकों में दिल्ली के सतत एवं नियोजित विकास का मार्गदर्शन करने का उद्देश्य रखती है। यह आवश्यक है कि योजना की कार्यनीतियाँ समयानुसार बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि योजना के प्रावधान शहर के विकास हेतु निर्धारित विजन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक एवं प्रभावी बने रहें।

इन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा भूमि उपयोग, अवसंरचना एवं पर्यावरणीय विशेषताओं का सटीक मानचित्रण सुनिश्चित करने के लिए एमपीडी-2047 में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) आधारित अप्रोच अपनाने तथा उन्नत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों (जियो स्पेशियल टेक्नोलाजी) को एकीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आँकड़ों का एकीकरण संभव होगा तथा निरंतर अपडेट के माध्यम से नियोजन अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावी बन सकेगा।

यद्यपि पिछले मास्टर प्लानों ने नियोजित विकास के लिए आधारभूत रूपरेखा प्रदान की थी, तथापि एमपीडी-2047 में पारंपरिक नियोजन पद्धतियों से प्रौद्योगिकी-आधारित (टेक्नोलाजी ड्रीवन) स्थानिक नियोजन प्रणाली (स्पाशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क) की ओर अग्रसर, दिल्ली जैसी जटिल शहरी व्यवस्था के प्रबंधन में अधिक सटीकता, पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करता है। पूर्व के मास्टर प्लान (एमपीडी) मुख्यतः पारंपरिक द्वि-आयामी (2डी) मानचित्रों तथा मैनुअल डेटा एकीकरण पर आधारित थे, जबकि एमपीडी-2047 में जीआईएस, रियल टाइम डेटा प्रणालियों तथा डिजिटल मॉडलिंग जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते

हुए डायनमिक त्रि-आयामी (3डी) मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। दिल्ली के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान (एमपीडी) का निर्माण निम्नलिखित राष्ट्रीय पहलों के उद्देश्यों के अनुरूप भी किया जाएगा—

(i) **अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)** भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का उद्देश्य शहरों के लिए मानकीकृत एवं बड़े पैमाने पर भू-स्थानिक/डेटाबेस (स्पाशियल) का निर्माण करना है, जिससे शहरी प्रशासन, नियोजन की दक्षता तथा संसाधनों के बेहतर आवंटन को प्रोत्साहन मिल सके।

(ii) **पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान** का उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर आधारित समेकित अवसंरचना नियोजन को बढ़ावा देना है। यह जीआईएस आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं की एक से दूसरे माध्यम तक निर्बाध एवं समन्वित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

(iii) **स्वच्छ भारत मिशन** ने अपशिष्ट प्रसंस्करण (वेस्ट प्रोसेसिंग) में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों तथा पुराने कचरा निस्तारण स्थलों के सुधार के माध्यम से स्वच्छ दिल्ली के निर्माण को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रमुख दिशानिर्देशों में भू-संदर्भित (जीआईएस) आधारित मानचित्रों का निर्माण, स्तरीय अवसंरचना डेटासेट का विकास, स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली (एसडीएसएस) का उपयोग, डेटा का मानकीकरण एवं अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बढ़ाने हेतु अपडेट किए जा सकने वाले डिजिटल डेटाबेस की स्थापना शामिल है। इन दिशानिर्देशों को अपनाने से स्थानिक आँकड़ों के मानकीकरण, विभिन्न एजेंसियों के डेटासेटों के एकीकरण, नियोजन में डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा बेहतर समन्वय एवं सुशासन को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।

1.8 चुनौतियाँ एवं प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र

पिछले तीन मास्टर प्लानों के अनुभव तथा वर्तमान स्थिति के आधारभूत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न आधारभूत अवसंरचना सेवाओं के लिए अनुमान मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़ती शहरीकरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। हालांकि, विशेष रूप से जल आपूर्ति, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) से संबंधित अवसंरचना सुविधाएँ विकास की गति के अनुरूप नहीं बढ़ पाई हैं। वर्तमान में दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है, जिसके वर्ष 2047 तक लगभग 3.2 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। इस परिस्थिति में शहर के रूपांतरण एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है।

प्रमुख चुनौतियों में अनधिकृत कॉलोनियाँ, झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं अनियोजित क्षेत्र प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित वास्तविकताओं का समाधान केवल वर्तमान स्थिति तक सीमित न रहकर भविष्य में इनके विस्तार एवं वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक होगा।

एमपीडी-2047 पूर्ववर्ती योजना की कार्यनीतियों को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के विकास को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग एवं सघनता वितरण का अनुकूलन, ट्रांजिट सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, सेवाओं तक बेहतर पहुँच तथा पर्यावरणीय संतुलन के साथ शहर के अनुकूल एवं सतत विकास को सुनिश्चित करना है।यह योजना दिल्ली के भविष्य के विकास को दिशा देने हेतु एक 'कार्यनीतिक' (स्ट्रेटेजिक) एवं 'सक्षमकारी' ढाँचा विकसित करने के लिए आवश्यक नीतियों को सम्मिलित करती है।

जनसंख्या, संसाधनों की उपलब्धता एवं आर्थिक विकास के अनुमानों, आधारभूत अध्ययन रिपोर्टों, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एमपीडी-2047 के प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनका विवरण निम्नलिखित है—

(i) आवास आपूर्ति में अंतर को दूर करना: दिल्ली में आवास की मांग एवं उपलब्धता के मध्य स्पष्ट अंतर है। अनधिकृत कॉलोनियाँ, जेजे क्लस्टर तथा अनियोजित क्षेत्र कम लागत वाले आवास विकल्प उपलब्ध कराकर इस अंतर को पूरा करते हैं, परंतु इनमें उच्च सघनता एवं सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। विभिन्न प्रकार की आवासीय संरचनाओं का विकास तथा किराये के आवास की आवश्यकताओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। दिल्ली की एनसीआर से मजबूत कनेक्टिविटी है और भूमि लागत में अंतर के कारण क्षेत्रीय आवासीय विकास दिल्ली की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक रहेगा। इस परस्पर निर्भरता को दिल्ली में भविष्य की आवास विकास कार्यनीतियों एवं आवासीय प्रकारों के निर्धारण में सम्मिलित करना आवश्यक होगा।

(ii) गतिशीलता: दिल्ली में देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों (पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम) में से एक उपलब्ध है, फिर भी निजी वाहनों द्वारा बड़ी संख्या में यात्राएँ किए जाने के कारण यातायात जाम, अनियोजित पार्किंग एवं वायु प्रदूषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सार्वजनिक परिवहन की ओर मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए पैदल एवं साइकिल आधारित लास्ट माइल कनेक्टिविटी अवसंरचना विकसित करना आवश्यक है। दिल्ली में सक्रिय परिवहन की क्षमता का उपयोग करते हुए पैदल चलने एवं साइकिल चलाने को सुलभ, सुरक्षित, आरामदायक एवं किफायती परिवहन विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होंगे तथा पार्किंग आवश्यकताओं को अनुकूलित कर बेहतर पार्किंग प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(iii) पर्यावरण: दिल्ली का हरित क्षेत्र काफी समृद्ध है, जिसमें पर्याप्त हरित क्षेत्र, वन, रिज क्षेत्र एवं पार्क सम्मिलित हैं। हालांकि, इनका स्थानिक वितरण समान नहीं है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे वर्षा पैटर्न के नियमन, शहरी ताप प्रभाव को कम करने एवं बाढ़ नियंत्रण में सहायता के लिए हरित क्षेत्रों का संतुलित एवं न्यायसंगत वितरण आवश्यक है। वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय एवं स्थानीय दोनों स्तरों पर समग्र रूप से किया जाना आवश्यक है, जिससे सतत शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। दिल्ली में नालों, जलाशयों एवं सदानीरा (पेवेनियल) यमुना नदी का विस्तृत नेटवर्क मौजूद है, लेकिन नदी एवं अन्य जलाशयों में प्रदूषण के कारण जलीय जीवन प्रभावित हुआ है तथा जल पारिस्थितिकी तंत्र (वाटर इकोलोजी) में असंतुलन उत्पन्न हुआ है। यमुना नदी, नालों एवं जलाशयों का कायाकल्प तथा बढ़ते वायु एवं जल प्रदूषण का समाधान तत्काल आवश्यक है। इन कार्यनीतियों में यमुना बाढ़ क्षेत्र के संरक्षण एवं पुनरूद्धार को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण एवं प्रदूषणकारी गतिविधियाँ पारिस्थितिक क्षति तथा बाढ़ जोखिम को बढ़ाती हैं।

(iv) आर्थिक संभावना: दिल्ली की आर्थिक संभावना को बढ़ाने के लिए स्वच्छ उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्थिक केंद्रों का विकास, स्टार्टअप के लिए साझा कार्यस्थल (को-वर्क प्लेस) उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पर्यटन एवं एमआईसीई, आधुनिक लॉजिस्टिक्स एवं व्यापार जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वर्तमान कार्यस्थलों की गुणवत्ता में सुधार तथा अनौपचारिक क्षेत्र के लिए नए अवसरों का सृजन आवश्यक है।

(v) खुले क्षेत्रों से जनसामान्य को जोड़ना: जनसंख्या वृद्धि एवं विकास के बीच असंतुलन के कारण शहर में खुले स्थानों एवं सुविधाओं की उपलब्धता अपर्याप्त हो गई है।कार्यनीतिक पुनरुद्धार (स्ट्रेटजिक रीजनरेशन) पहलों के माध्यम से शहर के पुराने क्षेत्रों का पुन: उत्थान किया जा सकता है तथा भूमि उपयोग का बेहतर अनुकूलन किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों को सभी नागरिकों के लिए सुलभ, समावेशी एवं सुरक्षित बनाया जाना आवश्यक है।

(vi) विरासत परिसंपत्तियों (हेरिटेज एसेट्स) को संरक्षित करना: दिल्ली मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की विरासत परिसंपत्तियों वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। विरासत स्थलों की अवनति एवं ऐतिहासिक स्वरूप के नुकसान को रोकने के लिए इनके संरक्षण तथा अनुकूल पुनः उपयोग की आवश्यकता है। दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक पूंजी का उपयोग आर्थिक विकास, विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक स्थानों के निर्माण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आधुनिक एवं औद्योगिक विरासत वाले महत्वपूर्ण भवनों को भी संरक्षण एवं सांस्कृतिक संवर्धन के दायरे में लाना आवश्यक है।

(vii) जल: यद्यपि दिल्ली में जल संसाधनों की उपलब्धता है, फिर भी यह एक जल-संकटग्रस्त शहर है। शहर में भूजल स्तर में गिरावट, यमुना नदी का प्रदूषण तथा बार-बार होने वाले जलभराव जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन तथा संरक्षण एवं पुनः उपयोग आधारित कार्यनीतियों को अपनाना दिल्ली के भविष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना होगा।

(viii) बिजली एवं अपशिष्ट प्रबंधन (पॉवर एण्ड वेस्ट मेनैजमेंट): दिल्ली में बिजली की खपत एवं अपशिष्ट उत्पादन (वेस्ट जेनरेशन) देश में सर्वाधिक स्तरों में से एक है। अपशिष्ट रिसाइकिलिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा (रीन्यूवल एनर्जी) की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है। दिल्ली की अवसंरचना को तीव्र तकनीकी विकास के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। इसमें गैर-जीवाश्म ईंधन (नान फेसिल फ्यूल बेस्ट एनर्जी सोर्सेज) आधारित ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों, चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कल्ड इकोनोमी) तथा अपशिष्ट को संसाधन के रूप में उपयोग जैसी आधुनिक अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(ix) आपदा तैयारी एवं प्रतिरोधी क्षमता: दिल्ली भूकंप, आग एवं बाढ़ जैसी आपदाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित है।उच्च निर्मित सघनता, भवनों की खराब गुणवत्ता एवं पुराने निर्मित स्टॉक के कारण आपदाओं के प्रति शहर की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। कोविड-19 महामारी ने मिश्रित उपयोग वाले आत्मनिर्भर क्षेत्रों तथा सरल अवसंरचना की आवश्यकता को प्रमुखता से सामने रखा है। आपदा जोखिम को कम करने एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति शहर की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के आपदा न्यूनीकरण एवं तैयारी संबंधी नियमों के अनुरूप कार्यनीतियाँ विकसित की जानी आवश्यक हैं।

(x) निगरानी एवं मूल्यांकन: शहर स्तर पर इन्टीग्रेटेड मनिटरिंग प्रोटोकोल एवं बहु-एजेंसी समन्वय के साथ एक साझा डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में शहर की प्रगति की समय-समय पर निगरानी करना आवश्यक है, ताकि बदलती आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार योजना में आवश्यक संशोधन एवं सुधार किए जा सकें।

भाग-II: विजन, कार्यनीतियाँ, स्थानिक नीतियाँ एवं डेवलपमेंट फ्रेमवर्क

अध्याय 2. विजन और उद्देश्य

2.1 विजन 2047

(i) मास्टर प्लान (एमपीडी) -2047 का विजन है **"एक सतत, रहने योग्य एवं जीवंत दिल्ली का निर्माण करना।"**

(ii) योजना अवधि के दौरान शहर के निवासियों के समग्र सुख एवं कल्याण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे:

(क) **लक्ष्य 1 (जी1):** ऐसे पर्यावरणीय रूप से सतत शहर के रूप में विकसित होना, जो अपने नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करे, जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं के प्रभावों के प्रति सक्षम एवं सुगम हो।

(ख) **लक्ष्य 2 (जी2):** ऐसे भविष्य-उन्मुख शहर के रूप में विकसित होना, जो गुणवत्तापूर्ण, किफायती एवं सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराए तथा कुशल सेवाओं एवं हरित गतिशीलता प्रणालियों से युक्त हो।

(ग) **लक्ष्य 3 (जी3):** ऐसे सक्रिय शहर के रूप में विकसित होना, जो आर्थिक गतिविधियों, रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अवसर प्रदान करे।

(iii) योजना शहर की विविधता को भी मान्यता देती है तथा लोगों के लिए पहुँच एवं अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु एक समावेशी शहर के निर्माण की दिशा में कार्य करती है।

2.2 वर्ष 2047 के लिए उद्देश्य

विजन एवं लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित छह उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। इनका विस्तृत विवरण मास्टर प्लान (एमपीडी) में कार्यनीतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है—

(i) **उद्देश्य 1: पर्यावरणीय सततता को प्राथमिकता देना —** प्राकृतिक संपदा एवं जैव विविधता के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान देते हुए एन्वायरमेंट कन्सर्न को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना; प्रदूषण में कमी लाना; वर्तमान निर्मित पर्यावरण (एक्जिस्टिंग बिल्ट एन्वायरमेंट) को अधिक हरित बनाना; नियोजित मनोरंजन सुविधाओं का विकास करना; सर्कुलर ग्रीन इकोनामी को प्रोत्साहित करना; तथा प्राकृतिक एवं नियोजित खुले स्थलों (नेचुरल एण्ड प्लैण्ड ओपन स्पेसेज) का विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो विकसित करना।

(ii) **उद्देश्य 2:** आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना— स्वच्छ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के साथ परस्पर-पूरक संबंध सुनिश्चित करते हुए दिल्ली की विशिष्ट आर्थिक भूमिका को सुदृढ़ करना; समग्र निवेश वातावरण में सुधार करना; तथा विविध प्रकार के कार्य एवं कार्यस्थलों के विकास को समर्थन देना।

(iii) **उद्देश्य 3:** विरासत, संस्कृति एवं सार्वजनिक स्थलों का संवर्धन— विरासत एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं संवर्धन करना; जीवंत, समावेशी एवं आकर्षक सार्वजनिक स्थलों के विकास को प्रोत्साहित करना; सुदृढ़ आर्थिक संबंध स्थापित करना; तथा सांस्कृतिक अनुभव, पर्यटन और सक्रिय सार्वजनिक जीवन के लिए अवसर सृजित करना।

(iv) **उद्देश्य 4:** आवास एवं सामाजिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण— विभिन्न आय वर्गों एवं आवासीय प्रकारों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना; पुराने निर्मित क्षेत्रों के पुनरुद्धार एवं पुनर्विकास को प्रोत्साहित करना; तथा शहर के सघन क्षेत्रों में सामाजिक अवसंरचना की बढ़ती मांग को पूरा करना तथा ग्रीन फील्ड क्षेत्रों में स्थानिक नीति (स्पाशियल पोलिसीज) के माध्यम से नए हाउसिंग स्टॉक सृजित करना।

(v) **उद्देश्य 5:** दक्ष एवं अल्प-कार्बन मोबिलिटी की दिशा में अग्रसर होना— सार्वजनिक परिवहन तथा मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) के पक्ष में परिवहन साधनों के उपयोग में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना; किफायती एवं दक्ष गतिशीलता (अर्फोडेबल एण्ड एफिशियेंट मोबिलिटी) विकल्प उपलब्ध कराना; जन परिवहन तंत्र के निकट आवास एवं रोजगार के अवसर विकसित करना; तथा विभिन्न परिवहन साधनों के बीच निर्बाध अंतर-माध्यमीय एकीकरण को सुगम बनाना।

(vi) **उद्देश्य 6:** अनुकूल भौतिक अवसंरचना का विकास— लचीली एवं आपदा-सहिष्णु भौतिक अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करना; जल एवं ऊर्जा जैसे संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना; दक्ष एवं विश्वसनीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना; डिजिटल अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान देना; तथा शहर को आकस्मिक झटकों एवं आपदाओं का सामना करने में अधिक सक्षम एवं फ्लेक्सिबल बनाना।

2.3 प्रमुख निदेश

(i) **विभेदात्मक विकास कार्यनीति (डिफरेंशियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी):** योजना में लचीले विकास नियंत्रण मानदंडों को अपनाया गया है, जिसमें पर्यावरणीय संवेदनशीलता, जन परिवहन तक पहुंच, अवसंरचना क्षमता तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यनीतिक भूमिका (स्ट्रेटेजिक रोल) जैसे कारकों के आधार पर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यह दृष्टिकोण भूमि के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है, सतत एवं सघन शहरी विकास को समर्थन प्रदान करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों को आवास, कार्य, मनोरंजन एवं सार्वजनिक जीवन के लिए जीवंत केंद्रों के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाता है।

(ii) **कार्यनीतिक दृष्टिकोण (स्ट्रेटेजिक अप्रोच) एवं मिश्रित उपयोग विकास:** योजना भविष्य के विकास को उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन एवं सक्षम अवसंरचना से समर्थित कार्यनीतिक विकास केंद्रों एवं कॉरिडोरों

की ओर निर्देशित करती है। इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने, अवसंरचना के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील एवं अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों पर विकास दबाव को कम करने के लिए उच्च फ्लोर एरिया रेशियो एवं टीडीआर सहित विकास प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। योजना पारंपरिक एकल उपयोग आधारित क्षेत्र निर्धारण व्यवस्था से मिश्रित उपयोग विकास की ओर भी प्रोत्साहित करती है, जिससे संगत आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत एवं अन्य उपयोग एक साथ विकसित हो सकें। यह दृष्टिकोण जीवंत, पैदल-अनुकूल एवं समावेशी पड़ोसों का निर्माण करता है, यात्रा की आवश्यकता को कम करता है तथा आर्थिक गतिविधियों एवं सार्वजनिक जीवन को बढ़ावा देता है।

(iii) **संस्थागत सुशासन (इंन्टीट्यूश्नल गर्वनेंस):** योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बहु-स्तरीय सुशासन संरचना को मान्यता देते हुए सरकार-नेतृत्व वाले विकास एवं पुनर्विकास पहलों के मार्गदर्शन हेतु एक समन्वित संस्थागत ढांचा प्रस्तुत करती है। यह दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नगर निगमों तथा भूमि, अवसंरचना, आवास, परिवहन, विरासत एवं सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विभिन्न केंद्रीय एवं अन्य सरकारी एजेंसियों सहित प्रमुख संस्थानों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देती है। यह दृष्टिकोण कार्यनीतिक नियोजन (स्ट्रेटेजिक प्लानिंग), समन्वित क्रियान्वयन (को-ऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन) तथा प्रमुख शहरी क्षेत्रों के एकीकृत पुनर्विकास में सहायता करेगा, साथ ही राष्ट्रीय महत्व, स्थानीय आवश्यकताओं, सततता एवं समावेशी विकास के उद्देश्यों को संतुलित करेगा।

(iv) **विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी:** योजना विभिन्न हितधारकों के संयुक्त प्रयासों (लैंड पूलिंग, समामेलन (अमाल्गमेशन), नियोजन एवं क्रियान्वयन) के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा विकास को प्रोत्साहित करता है। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत नए विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों का विकास तथा पूर्व विकसित क्षेत्रों का पुन: उत्थान निजी पहल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

(v) **परिणाम आधारित योजना नियंत्रण:** योजना में व्यापक शहर-स्तरीय उद्देश्यों की प्रगति की नियंत्रण हेतु 20 सुझावात्मक प्रमुख कार्य-प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित एक सुदृढ़ मानिटरिंग फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है। इससे नियंत्रण निरीक्षण का केंद्र संपदा के निर्माण से हटकर उनके वास्तविक प्रभावों के आकलन पर केंद्रित होगा। उदाहरण के लिए, सीवेज शोधन संयंत्रों की संख्या की निगरानी करने के स्थान पर योजना जलाशयों में प्रदूषण की स्थिति का मूल्यांकन करेगी। यह व्यवस्था कार्यनीतियों एवं कार्यों के पुनर्संरेखण (रीअलाइमेंट) हेतु समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में भी सहायक होगी।

(vi) **स्थानीय क्षेत्र नियोजन (एलएपी) हेतु विशेष प्रावधान:** उभरती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा चिन्हित क्षेत्रों की संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए विशेष स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (एसएलएपी) के माध्यम से युवाओं एवं सेवा तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल हेतु किराये के आवास, पर्यटन एवं आतिथ्य अवसंरचना (जिसमें होटल, खाद्य एवं पेय प्रतिष्ठान, क्लाउड किचन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं), हाई स्ट्रीट शॉपिंग, सार्वजनिक क्षेत्र का उन्नयन, फ्रंटेज (फैसाड) नियंत्रण,

दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक सुगम्यता तथा महिलाओं एवं बच्चों की शहर में सहभागिता बढ़ाने हेतु सुरक्षा अवसंरचना जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया जा सकेगा। ऐसी योजनाएँ संबंधित एजेंसियों द्वारा, हितधारकों एवं आम जनता से समुचित परामर्श के उपरांत तथा भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके, एमपीडी-2047 के उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित एवं प्राप्त करने के लिए तैयार की जा सकेंगी।

अध्याय 3. कार्यनीतियाँ

3.1 पर्यावरण

3.1.1 प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन का समाधान

दिल्ली को प्रदूषण के आंतरिक स्रोतों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके प्रभावों के समाधान की आवश्यकता है। योजना जलवायु परिवर्तन के लिए दिल्ली राज्य कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण में सुधार, स्वच्छ उद्योगों को बढ़ावा देने, कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों, हरित परिवहन, हरित भवनों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु पूरक कार्यनीतियाँ प्रस्तुत करती है, जिससे पर्यावरणीय पैरामीटर में सुधार किया जा सके। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण हेतु संबंधित कानून एवं विनियम पहले से लागू हैं। योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाती है—

(क) स्थानीय स्रोतों से होने वाले वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करना।

(ख) जलवायु संबंधी समस्याओं के प्रभावों से निपटने की क्षमता में सुधार करना।

(i) **कार्यनीतियाँ:** विनियमों को लागू करने, प्रदूषण की समस्याओं के समाधान, दिल्ली की ग्रीन-ब्लू एसेट्स की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच में सुधार के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यनीतियाँ अपनाई जाएंगी। इसके माध्यम से समृद्ध एवं विविध पारिस्थितिक विरासत के संरक्षण एवं विकसित करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाएगा।

(क) **ग्रीन-ब्लू एसेट्स में सुधार:** ग्रीन-ब्लू एसेट्स का विकास वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, अर्बन हीट आइलैंड इफैक्ट एवं जलभराव जैसी समस्याओं के समाधान में योगदान देगा। दिल्ली की ग्रीन-ब्लू अवसंरचना में सुधार हेतु व्यापक कार्यनीतियाँ एवं कार्य योजना में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) **स्वच्छ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना:**

i अनुलग्नक 7 में दी गई सूची के अनुसार निषिद्ध/वर्जित उद्योग को दिल्ली के अंदर संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित किया जाए अथवा उनके स्थान पर अन्य अनुमत गतिविधियां संचालित की जाएं। गैर-प्रदूषणकारी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) **वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना:** वाहनों से होने वाले प्रदूषण को शहर में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। इसके समाधान हेतु सार्वजनिक परिवहन, विद्युत चालित वाहनों एवं गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियाँ तैयार की जाएंगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता तथा कुल वाहन यात्राओं की संख्या में कमी आएगी।

(घ) **जल प्रदूषण का समाधान करना:** सतही जलाशयों एवं भूजल के प्रदूषण का समाधान निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जाएगा:

i संबंधित एजेंसियों द्वारा यमुना नदी तथा नालों, झीलों, नमभूमियों एवं बावड़ियों की जल गुणवत्ता में सुधार हेतु समयबद्ध तरीके से वर्तमान प्रदूषकों को हटाने सहित आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ii विभिन्न विकास योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन एवं पुन: उपयोग की व्यवस्था संबंधित हितधारकों द्वारा सम्मिलित की जाएगी।

iii यमुना नदी एवं संबंधित जलाशयों में पर्याप्त प्रवाह एवं स्व-शुद्धिकरण वेग बनाए रखा जाएगा, जिससे प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया को बढ़ावा मिले तथा प्रदूषकों के संचय को रोका जा सके।

(ङ) **अनियंत्रित ठोस अपशिष्ट निपटान से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम:** अनियंत्रित रूप से ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं डंपिंग मृदा एवं जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसे निम्नलिखित कार्यनीतियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा—

i निर्धारित अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान स्थलों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट डालना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा उल्लंघन करने वालों पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ii स्रोत पर अपशिष्ट को अलग-अलग करना, पुन: उपयोग एवं रिसाइकिल तथा ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के उपरांत प्रबंधन हेतु अन्य नवीन उपाय स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाएंगे जिससे लैंड फिल साइटों की आवश्यकता न्यूनतम हो सके। इन आवश्यकताओं को स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं का हिस्सा बनाया जाएगा।

(च) **धूल प्रबंधन:** शहर में सूक्ष्म कण पीएम10 एवं पीएम2.5 की मात्रा में धूल का महत्वपूर्ण योगदान है। धूल प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रमुख कार्यनीतियाँ अपनाई जाएंगी—

i सभी निर्माण परियोजनाएं निर्माण सामग्री एवं सी एण्ड डी वेस्ट के प्रबंधन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धूल नियंत्रण उपायों का पालन करेंगी।

ii खाली पड़ी एवं स्क्रब लैंड, सड़कों के किनारे स्थित खाली जगह, सेंट्रल वर्ज, किनारों, हरित पट्टियों तथा अन्य नेटवर्क अवसंरचना क्षेत्रों में व्यवहार्यता के अनुसार संबंधित एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से हरित आवरण अथवा घास विकसित की जाएगी।

iii पैदल पथों को (वृक्ष गड्ढों एवं जालियों को छोड़कर) टिकाऊ एवं जल पारगम्य टाइलों/सामग्रियों से पूर्णतः निर्मित किया जाएगा।

(छ) **ध्वनि प्रदूषण को कम करना:** ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अनुशंसित अन्य दिशा-निदेशों के अनुसार तैयार एवं लागू की जाएगी। निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:

i प्रमुख सड़कों के किनारे वृक्षों, भू-आकृतिक संरचनाओं, मिट्टी के टीले, तटबंध आदि के माध्यम से हरित अवरोध विकसित किए जाएंगे, जो ध्वनि संचरण को प्रभावी रूप से रोकने में सहायक होंगे।

ii सड़कों एवं पेवमेंट के डिजाइन तथा सतही सामग्री का चयन इस प्रकार किया जाएगा जिससे ध्वनि में कमी लाई जा सके।

iii दिल्ली में पर्यावरणीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाएंगी और नियमित निगरानी की जाएगी।

(ज) **प्रदूषण, जलभराव एवं अत्यधिक ताप वाले चिन्हित क्षेत्रों को कम करने के उपाय:**

i. पेवमेंट, सड़कों एवं छतों का निर्माण नवीन सामग्रियों से किया जाएगा तथा उन पर हल्के रंगों का उपयोग जहां संभव हो, किया जाएगा।

ii. रोड़ सेक्शन में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु उपयुक्त वृक्ष एवं बफर सम्मिलित किए जाएंगे। जहां संभव हो, जलभराव को कम करने हेतु सतत नगरीय जल निकासी उपाय जैसे बायो-स्वैल, रेन गार्डन आदि सम्मिलित किए जाएंगे।

iii. प्रदूषण को अवशोषित करने वाली स्थानीय वृक्ष एवं पौधों को विभिन्न हरित पहलों एवं उद्यानों के विकास में सम्मिलित किया जाएगा। संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं एवं अन्य तकनीकी समाधानों का भी पता लगाया जा सकता है।

(ii) **निगरानी ढांचा:** पर्यावरणीय पैरामीटरों को ट्रैक करने के लिए पर्यावरणीय मानकों की निगरानी हेतु दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा एक निगरानी ढांचा स्थापित किया जाएगा। ऐसे निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों को नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यमों से प्रकाशित किया जाएगा, जिससे इन विषयों के प्रति जन-जागरूकता में वृद्धि हो। वायु प्रदूषण, ध्वनि स्तर, हरित क्षेत्रों एवं जलाशयों में अवैध रूप से ठोस एवं तरल वेस्ट डालने जैसी गतिविधियों की सूचना एकत्र करने हेतु जन-सहभागिता आधारित सूचना की संभावनाओं का भी पता लगाया जा सकता है।

3.1.2 ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर

दिल्ली प्राकृतिक ब्लू एसेट्स से समृद्ध है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यमुना नदी है, जिसका शहर के इतिहास, संस्कृति एवं आध्यात्मिक जीवन से गहरा संबंध है। शहर में नजफगढ़, ट्रांस-यमुना एवं बारापुला जल निकासी बेसिनों में फैला प्राकृतिक एवं निर्मित नालों का विस्तृत नेटवर्क विद्यमान है किन्तु पिछले वर्षों में अतिक्रमण, प्रदूषण तथा जलाशयों के प्राकृतिक रूप से सूखने के कारण इन एसेट्स का क्षेत्रफल एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यह मास्टर प्लान (एमपीडी) शहर में ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकृत प्रबंधन हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है—

(क) प्राकृतिक ग्रीन-ब्लू एसेट्स का क्षेत्र।

(ख) नियोजित हरित स्थान।

योजना अवधि के दौरान मौजूदा प्राकृतिक एसेट्स के संरक्षण एवं संवर्धन, नए एसेट्स के सृजन तथा निर्मित पर्यावरण में ग्रीन-ब्लू विशेषताओं को बढ़ाने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा:

i. पर्यावरणीय: हरित क्षेत्र एवं जैव विविधता में वृद्धि, तापमान, बाढ़ एवं प्रदूषण में कमी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलन क्षमता।

ii स्वास्थ्य: स्वच्छ जीवन-पर्यावरण, सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार।

iii सामाजिक एवं सांस्कृतिक: प्रकृति के प्रति जन-जागरूकता, लोगों का प्राकृतिक परिवेश से जुड़ाव तथा मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए अधिक स्थान।

iv आर्थिक- निवेश के लिए बेहतर वातावरण तथा शहरी कृषि जैसी हरित अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा।

(i) **प्राकृतिक ग्रीन एण्ड ब्लू एसेट्स का संरक्षण एवं संवर्धन:** शहर के अनेक प्राकृतिक एसेट्स (अनुलग्नक-3) जैसे यमुना नदी, रिज, नाले एवं जलाशय संबंधित एजेंसियों द्वारा पहले से ही संरक्षित अथवा आरक्षित घोषित किए जा चुके हैं।

(क) **ग्रीन एवं ब्लू एसेट्स के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निम्नलिखित व्यापक कार्य नीतियों को लागू किया जाएगा:**

i. **सीमा सुरक्षा**

क. प्राकृतिक एसेट्स की सुरक्षा हेतु बाड़, अर्थ-बर्मिंग के साथ वनस्पति, पैदल एवं साइकिल मार्ग अथवा अन्य उपयुक्त उपाय अपनाए जाएँगे।

ख. जहाँ एसेट्स की सीमाएँ सड़क, बाँध अथवा प्राकृतिक विशेषताओं द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, वहाँ विजुअल इंटीग्रेसन एवं सतही जल निकासी बनाए रखने हेतु यथासंभव दीवार अथवा बाड़ का निर्माण नहीं किया जाएगा।

ii. **अन्य कार्यनीतियां**

क. पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाली हानिकारक विदेशी प्रजातियों को हटाकर कम जल की आवश्यकता वाली और / अथवा प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी स्थानीय वनस्पतियों का रोपण किया जाएगा।

ख. व्यवहार्यता के अनुसार स्थानीय प्रजातियों का वनरोपण एवं वृक्ष को अन्य स्थान पर लगाया जाएगा।

ग. पर्यावरणीय एसेट्स की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और संबंधित एजेंसियों द्वारा इन एसेट्स को प्रदूषण से मुक्त रखने तथा किसी भी अन्य समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

घ. यमुना नदी एवं अरावली रिज की जैव विविधता को संरक्षित एवं संवर्धित किया जाएगा तथा जलाशयों की पारिस्थितिकी सुधारने हेतु उपयुक्त जलीय प्रजातियों को विकसित किया जा सकेगा। जलाशयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयुक्त जलीय-जीवों को जलाशयों में छोड़ा जाएगा।

ङ. दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा अन्य एजेंसियाँ नदी एवं झीलों का पुनरूद्धार करेंगी। शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग भी इन परियोजनाओं में किया जाएगा।

(ख) **प्रकृति के साथ लोगों के जुड़ाव को बढ़ाना:** पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को 'सहभागी क्षेत्र (इंट्रेक्टिव ज़ोन)' के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जहाँ संबंधित एजेंसियों द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक पहुँच प्रदान करते हुए सक्रिय/निष्क्रिय मनोरंजन, व्यायाम/योग, प्रकृति शिक्षा कक्षाएँ, पर्यावरणीय अनुसंधान, पिकनिक, कैम्पिंग, जैव विविधता भ्रमण आदि गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। मानकों के अनुसार शौचालय, पेयजल, विश्राम स्थल, आगंतुक सूचना केंद्र, कियोस्क आदि जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(ग) **यमुना नदी एवं बाढ़ मैदानों के कायाकल्प हेतु विशेष पहल:** दिल्ली का इतिहास एवं सांस्कृतिक जीवन यमुना नदी एवं उसके बाढ़ मैदानों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इनके कायाकल्प हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगी:

i. यमुना नदी एवं उसके बाढ़ मैदानों की पहचान, प्रचलित अभिलेखों तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा अन्य लागू सक्षम प्राधिकारी के तकनीकी आकलन के आधार पर की जाएगी।

ii. सक्रिय बाढ़ मैदान को 'निर्माण निषिद्ध क्षेत्र' घोषित किया जाएगा तथा उसमें केवल मनोरंजनात्मक उपयोगों की अनुमति होगी। धार्मिक संरचनाओं सहित सभी अनधिकृत निर्माणों को संबंधित एजेंसी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। आवश्यक शासकीय उपयोगिताओं, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियां, सार्वजनिक अवसंरचना विकास तथा बाढ़ मैदानों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाले कार्यों की अनुमति केवल सक्षम प्राधिकारी/वैधानिक निकाय की स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त होने पर ही दी जाएगी।

iii. सक्रिय बाढ़ मैदान के बाहर के क्षेत्र में विकास सीमित रहेगा। विद्यमान अधिकृत एवं नियोजित निर्माणों तथा आवश्यक शासकीय उपयोगिताओं को लागू मानकों तथा वैधानिक निकाय की स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के अनुसार यथावत बनाए रखने की अनुमति होगी। इस क्षेत्र में आगे का विकास केवल सामाजिक-सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक उपयोगों, आवश्यक उपयोगिताओं तथा सार्वजनिक अवसंरचना तक सीमित रहेगा और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी/वैधानिक निकाय की स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) आवश्यक होगा।

iv. यमुना नदी एवं उसके बाढ़ के मैदानों के पुनरूद्धार हेतु उपाय:

क. वज़ीराबाद बैराज एवं ओखला बैराज के मध्य 22 कि.मी. लंबे यमुना नदी खंड का पुनरूद्धार एवं पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन किया जाएगा।

ख. लगभग 1,700 हेक्टेयर यमुना बाढ़ मैदान के पुनरूद्धार हेतु 13 प्रमुख पुनरूत्थान परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिनका मुख्य उद्देश्य नमभूमियों, प्राकृतिक गढ़्ढों, बाढ़ मैदान पारितंत्रों तथा जैव विविधता का पुनरूत्थान करते हुए जलवायु अनुकूलता एवं भूजल पुनर्भरण को सुदृढ़ करना होगा।

ग. विद्यमान नमभूमियों की गाद निकाल कर उनका बाढ़ जल के संग्रहण हेतु पुनरूद्धार किया जाएगा तथा विद्यमान प्राकृतिक गढ़्ढों को विकसित एवं गहरा कर नए नमभूमि एवं जल भंडारण बेसिन निर्मित किए जाएंगे। ये क्षेत्र नदी-तटीय प्रजातियों से विकसित बाढ़ मैदान वनों एवं घासभूमियों के पूरक होंगे तथा दोनों मिलकर जैव विविधता के लिए प्राकृतिक आवास के रूप में कार्य करेंगे।

घ. जहाँ भी संभव हो, नदी के किनारे हरित बफर विकसित एवं संरक्षित किया जाएगा तथा उसमें नदी-तटीय प्रकृति की वनस्पतियों का रोपण किया जाएगा, जिससे नदी तट का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

ङ. रिज–यमुना पार्क संयोजक का विकास एकीकृत 200 कि.मी. लंबे साइकिल नेटवर्क के रूप में किया जाएगा, जिसमें यमुना बाढ़ मैदान के साथ 52 कि.मी. का खंड सम्मिलित होगा, ताकि संपर्कता को बढ़ावा मिले तथा रिज–यमुना सतत पारिस्थितिकीय कॉरिडोर को सुदृढ़ किया जा सके। जहाँ भी व्यवहार्य हो, तटबंधों के साथ 75–100 मीटर चौड़ा सार्वजनिक हरित मार्ग विकसित किया जा सकेगा, जिसमें साइकिल एवं पैदल पथ तथा शांत मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उद्यानों एवं नदी तक जनसामान्य की पहुँच बेहतर हो तथा नदी और लोगों के बीच जुड़ाव मजबूत हो।

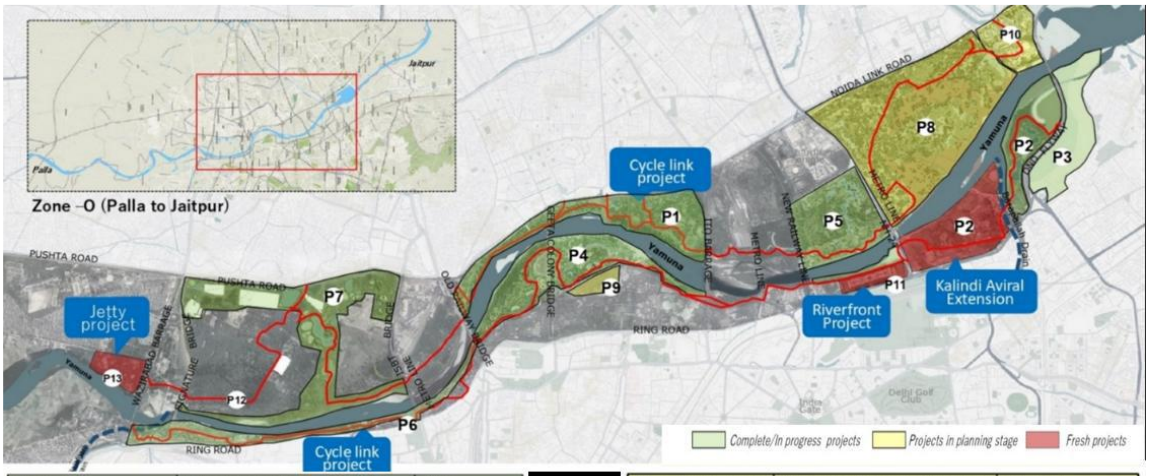

P1- Asita	Old Railway Bridge to ITO Barrage (E)	90 Ha
P2- Kalindi Aviral	NH-24 to DND Flyway (W)	263 Ha
P3 - Kalindi Biodiversity Park	DND to Kalindi By-pass (W)	115 Ha
P4 - Yamuna Vatika	Old Railway Bridge to ITO Barrage (W)	200 Ha
P5-Amrut Biodiversity Park	New Railway Line to NH-24 (E &W)	116.25 Ha
P6- Ghat Area	Wazirabad to Old Railway Bridge (W)	66 Ha
P7- Yamuna Vanasthali	Wazirabad Barrage to ISBT Bridge (E)	236.5 Ha

P8 - Mayur Nature Park	Nizamuddin Bridge to DND Flyway (E)	371.62 Ha
P9- Eco-tourism area	Geeta Colony Bridge to ITO Barrage (W)	30 Ha
P10- Hindon Sarovar	Nizamuddin Bridge to DND Flyway (E)	53.6 Ha
P11- River Front Project	New India Garden to NH-24 (W)	25 Ha
P12- Cycle link project	Wazirabad Barrage to DND Flyway (E &W)	21 Kms on western bank & 30 Kms
P13- Jetty project	Upstream of Wazirabad Barrage (E)	40.5 Ha

चित्र 2: रिवर यमुना फ़्लड प्लेन प्रोजेक्ट्स

(केवल उदाहरण के लिए)

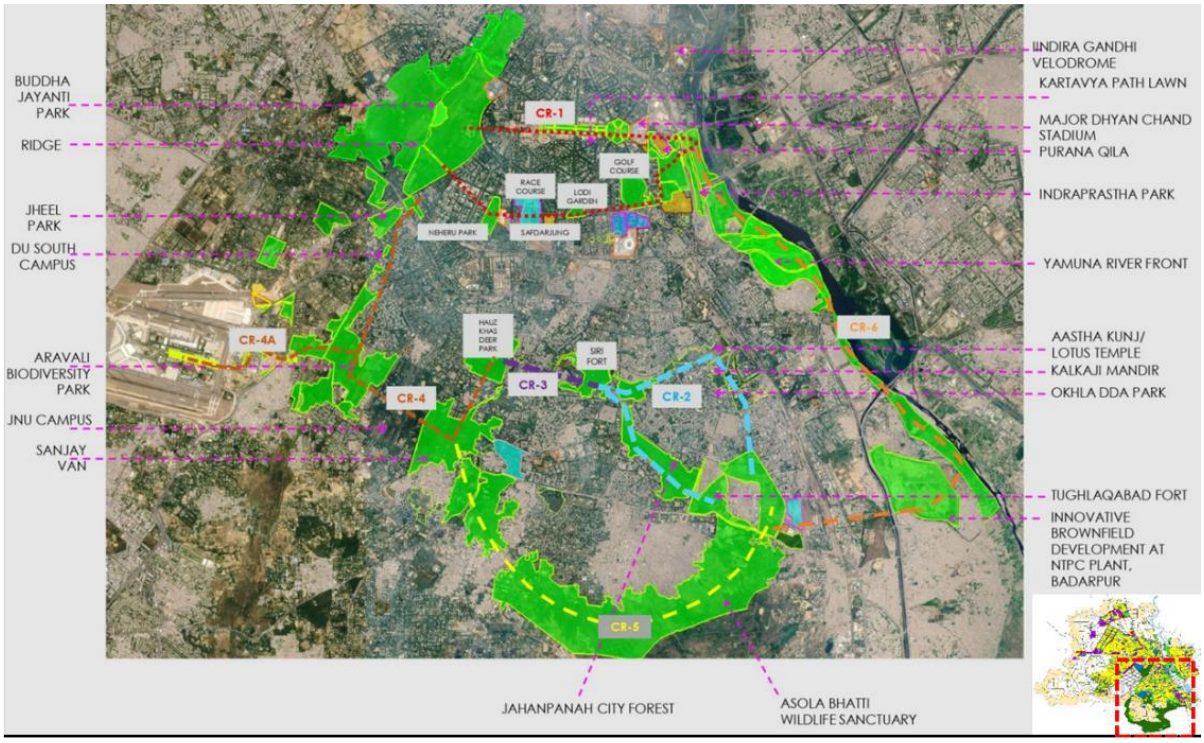

चित्र 3: पार्क कनेक्टर्स

(केवल उदाहरण के लिए)

च. यमुना नदी में गिरने वाले सभी 22 नालों के अपशिष्ट जल को अवरोधित कर उसका शोधन, निर्मित नमभूमियों तथा जैव-शोधन (बायो-रिमेडिएशन) के माध्यम से किया जाएगा, जिससे यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अवरोधित नालों के कॉरिडोरों का पुनर्स्थापन किया जाएगा तथा उन्हें हरित क्षेत्रों एवं बाढ़ मैदानों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत कर सतत पारिस्थितिकीय कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। नदी एवं अन्य जलाशयों में अशोधित अथवा अनियमित रूप से अपशिष्ट जल, मलजल, औद्योगिक बहि:स्राव तथा ठोस अपशिष्ट का प्रवाह पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

छ. घाट आदि क्षेत्रों का उपयोग सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से किया जाएगा तथा त्योहारों के दौरान पूजा सामग्री का विसर्जन, प्रतिमाओं का विसर्जन आदि गतिविधियों का नियंत्रित किया जाएगा।

ज. बाढ़ मैदानों में मलबा, कूड़ा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों एवं अनधिकृत निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए मानव सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी तथा सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी।

(घ) **पारिस्थितिक-सांस्कृतिक एसेट्स का संरक्षण:** दिल्ली में अनेक ऐतिहासिक स्मारक ऐसे हैं जो ग्रीन और ब्लू एसेट्स में अथवा उनके निकट स्थित हैं। पुरातात्त्विक उद्यान ऐसी पारिस्थितिकीय-सांस्कृतिक एसेट्स का एक उदाहरण हैं। ऐसी पारिस्थितिकीय-सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के संरक्षण एवं विकास हेतु सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजनाएँ (सीआरएमपी) तैयार की जाएँगी। ऐतिहासिक उद्यानों, जल संरचनाओं (बावड़ियों, कुओं, तालाबों आदि) के पुनरूद्धार का कार्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। दिल्ली की ऐतिहासिक बावड़ियों का पुनरूद्धार किया जाएगा तथा जहाँ भी संभव हो, उनके पारंपरिक जल संचयन कार्यों को पुनरूद्धार करते हुए उन्हें शहर की भूजल पुनर्भरण कार्यनीति के साथ एकीकृत किया जाएगा। पारिस्थितिकीय स्थिरता एवं जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जहाँ भी संभव हो, जल प्रणालियों एवं एक्वीफर्स के साथ उनके लुप्त हो चुके संबंधों को पुनः जोड़ने के प्रयास किए जाएँगे।

(ङ) **वृक्षों का संरक्षण एवं मनोरंजक क्षेत्रों का सुधार:**

i. वनरोपण, बहु-स्तरीय हरित बफर, नगर वनों के विस्तार, अरावली रिज के संरक्षण, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्निर्माण तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के माध्यम से दिल्ली को भारत के सबसे हरित महानगरों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा।

ii. वृक्ष आवरण को बढ़ाने हेतु ट्री-लेयर को सघन करके, रिज क्षेत्र का संरक्षण, स्थानीय वनों का पुनर्स्थापन तथा हानिकारक प्रजातियों को हटाकर स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। इससे प्रत्येक नागरिक के लिए अधिक स्वच्छ, शीतल, हरित एवं जलवायु-अनुकूल राजधानी का निर्माण होगा।

iii. संबंधित एजेंसियाँ विशेष ट्री कॉरिडोरों, पुराने वृक्षों, उच्च कार्बन अवशोषण क्षमता वाले वृक्षों तथा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में सहायक वृक्षों की पहचान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। स्थानीय वृक्षों के रोपण तथा उन्हें कल्चरल ट्रेल/नैचुरल ट्रेल से जोड़ने को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान वृक्ष आवरण के संरक्षण हेतु सभी परियोजनाएँ समय-समय पर संशोधित जीएनसीटीडी की वृक्ष को अन्य स्थान पर लगाने की नीति का पालन करेंगी।

iv शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता बढ़ाने, वायु गुणवत्ता सुधारने एवं हरित क्षेत्र में वृद्धि हेतु सघन स्थानीय वृक्षारोपण पद्धति से छोटे वन विकसित किए जाएँगे। इसके लिए संबंधित भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियाँ आवश्यक पहल करेंगी।

(च) **अन्य उपाय:** पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों के समीप परियोजनाओं पर निम्नलिखित कार्यनीतियाँ लागू होंगी—

i. प्राकृतिक नालों एवं जलाशयों के किनारे स्थित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में नाले/जलाशय के किनारे से न्यूनतम अनिवार्य बफर क्षेत्र बनाए रखा जाएगा। इन बफर क्षेत्रों को संबंधित भू-स्वामी/विकासकर्ता संस्थाओं द्वारा सक्रिय हरित क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें उद्यान, वृक्षारोपण, भूदृश्यांकन आदि सम्मिलित होंगे। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

ii. इन क्षेत्रों तथा उनके बफर क्षेत्रों में निर्माण अपशिष्ट डालना अथवा आसपास के विकास क्षेत्रों से सीवेज/अपशिष्ट जल का प्रवाह पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

iii. भवनों का मुख ग्रीन एवं ब्लू एसेट्स की ओर हो तथा फ्रंटेज को बालकनी, खिड़कियों, पैदल प्रवेश द्वारों, भूतल पर व्यावसायिक अथवा सार्वजनिक फ्रंटेज आदि के माध्यम से सक्रिय बनाए रखा जाए।

iv. निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अनिवार्य होगा।

(ii) **नए ग्रीन-ब्लू एसेट्स का विकास:**

(क) **शहर की परिधि पर लो डेंसिटी एरिया:** शहर की परिधि पर पर्यावरणीय सततता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लो डेंसिटी एरिया में सीमित विकास की अनुमति दी जाएगी।

(ख) **नालों के किनारे शहर-स्तरीय हरित मार्ग के रूप में हरित बफर:**

i. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से नालों के किनारे हरित मार्गों का विकास करेगा। इन हरित मार्गों के माध्यम से पैदल एवं साइकिल पथों द्वारा जुड़े हुए शहर-व्यापी ग्रीन-ब्लू एसेट्स नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा।

ii. हरित स्थानों को प्राकृतिक अथवा भू-दृश्य आधारित हरित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित रखा जा सकता है अथवा वर्षा जल के संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें नमभूमियों, दलदली क्षेत्रों तथा बायो-स्वैल के रूप में विकसित किया जा सकता है। बफर के कुछ भागों को सार्वजनिक उपयोग के लिए उद्यानों, योग स्थलों, सक्रिय खेलों, ओपन एयर एग्जीबिशन स्थलों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, वृक्ष संग्रहालयों, सामुदायिक उद्यानों, नौकायन सुविधाओं, कियोस्क आदि के रूप में डिजाइन किया जा सकता है। विरासत पथों का एकीकरण हरित मार्गों के साथ किया जा सकता है।

(ग) **कम उपयोग वाले स्थलों एवं बंजर भूमि को ग्रीन-ब्लू एसेट्स के रूप में पुनः उपयोग करना:**

i. राजघाट थर्मल पावर स्टेशन, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन जैसे बंद थर्मल पावर संयंत्रों, अप्रचलित सरकारी सुविधाओं तथा अन्य पुरानी अथवा अल्प-उपयोगित स्थलों की पहचान संबंधित एजेंसी द्वारा की जाएगी, ताकि उनका पुन: अनुकूल उपयोग सामाजिक-सांस्कृतिक, संस्थागत, पारिस्थितिकीय, मनोरंजनात्मक अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगों के लिए किया जा सके।

ii. सर्कुलर इकोनोमी की कार्यनीतियों, जैसे कि लैंडफिल स्थलों पर संचित पुराने अपशिष्टों (लीगेसी अपशिष्ट) का प्रोसेसिंग एवं पुनर्चक्रण, को अपनाया जाएगा।

(घ) **अन्य पहलें:**

i. लैंड पूलिंग क्षेत्रों में नियोजित हरित क्षेत्रों का प्रावधान: विद्यमान वृक्षारोपण, नमभूमियां तथा निचले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक उद्यानों एवं भूजल पुनर्भरण एक्वीफर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था बनी रहे तथा इन एसेट्स का संरक्षण

हो सके। भवनों के अंदर उद्यानों एवं खुले स्थलों के क्षेत्रफल में वृद्धि के उद्देश्य से मिश्रित उपयोग की अनुमति होगी।

ii. बाढ़ की रोकथाम हेतु संबंधित एजेंसियों द्वारा जलागम क्षेत्र प्रबंधन किया जाएगा।

iii. सक्रिय मनोरंजन एवं खेल सुविधाओं का प्रावधान:

क. स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने तथा खेल कौशल के विकास हेतु नए खेल स्टेडियम, जिला खेल परिसर, खेल मैदान, बहुउद्देशीय खेल मैदान आदि का विकास किया जाएगा।

ख. सुरक्षा संबंधी अनापत्तियों के अधीन पोडियम और टेरेस का उपयोग ओपन एयर खेल सुविधाओं के विकास के लिए किया जा सकता है।

ग. समूह आवास परिसरों एवं विद्यालयों में खेल सुविधाओं की अनुमति निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

iv. विशेष हरित परियोजनाएं: सभी संबंधित एजेंसियों को जैव विविधता उद्यान, मनोरंजन उद्यान, चिल्ड्रन एडवेंचर ग्राउण्ड, पौधशालाएं, छोटे वन, नगरीय वन, हरित छतें, छत उद्यान, सामुदायिक उद्यान, पॉलिनेटर गार्डन, नगरीय नमभूमियां आदि विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

v. भूजल पुनर्भरण: दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य संबंधित एजेंसियां कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाएं शुरू करेंगी।

vi. सर्वसमावेशी खेल क्षेत्र: भूमि निर्धारित करके अथवा वर्तमान कम्युनिटी एवं डिस्ट्रिक्ट पार्कों में उपयुक्त रेट्रोफिटिंग करके ऐसे खेल क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। इनका डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी आयु वर्ग के बच्चों, दिव्यांगजन, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों की खेल एवं मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे।

(ङ) प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा दिल्ली से बाहर स्थानांतरित होने के उपरांत सरेंडर की गई भूमि का उपयोग हरित क्षेत्रों एवं खुले स्थलों के विकास हेतु किया जाएगा।

(च) संबंधित एजेंसियां दिल्ली के नालों के पुन: उत्थान का कार्य करेंगी। व्यवहार्यता के अनुसार साहिबी नदी (नजफगढ़ नाला) को नौपरिवहन योग्य जलमार्ग सहित एक पर्यावरण-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(iii) **निर्मित पर्यावरण में ग्रीन-ब्लू विशेषताएं बढ़ाना:** नियोजित हरित क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों एवं निर्मित संरचनाओं में ग्रीन-ब्लू विशेषताओं को बढ़ाने के लिए संबंधित एजेंसियों और /अथवा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए)/ मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एमटीए), आदि द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं—:

(क) **सार्वजनिक क्षेत्रों को हरा-भरा बनाना:**

i. स्थानीय निकाय 18 मीटर अथवा उससे अधिक मार्ग-अधिकार चौड़ाई वाली सड़कों को हरित कर सकते हैं। ऐसी सड़कों पर छायादार वृक्षों की कतारें, प्लाजा चौक, बायो स्वेल्स आदि विकसित कर अनुकूल सूक्ष्म जलवायु का निर्माण किया जा सकता है। पुलों एवं पैदल ऊपरी पुलों के स्तंभों, छतों तथा परापेटों पर भी हरित तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है। जिन सड़कों पर पैदल संचलन योजनाएं (वॉक प्लान) लागू की जा रही हैं, वहां हरियाली एवं भू-दृश्य विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. सतही वाहन पार्किंग स्थलों में जल पारगम्य (परवियस) एवं अपारगम्य (नॉन परवियस) फर्श का मिश्रित उपयोग किया जाएगा। जहां संभव हो, वहां नियमित अंतराल पर वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि वर्षा जल का भूमि में रिसाव सुगम हो सके।

iii. संबंधित एजेंसियां फ्लाई ओवरों के नीचे के अवशिष्ट क्षेत्रों, जलापूर्ति पाइपलाइनों के किनारे की भूमि तथा बिना पक्की सड़क पट्टियों में भू-दृश्य विकास एवं वृक्षारोपण करेंगी। फ्लाई ओवरों तथा ऊंचे एमआरटीएस/आरआरटीएस कॉरिडोरों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जाएगी। निर्धारित मानकों के अनुसार पैदल पथों पर वृक्षारोपण की अनुमति होगी।

(ख) **जल-संवेदी नगरीय डिजाइन:**

i. वर्षा जल निकासी व्यवस्था को उद्यानों तथा सड़कों के भू-दृश्य विकास एवं डिजाइन का अभिन्न भाग बनाया जाएगा। उद्यानों में वर्षा जल संचयन हौदी के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. अपारगम्य पक्की सतहों के स्थान पर अर्द्ध-पारगम्य फर्श सामग्री का उपयोग किया जाएगा जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिले।

iii. पार्कों (सामुदायिक स्तर एवं उससे बड़े) में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधाओं को भू-दृश्य डिजाइन में सम्मिलित किया जाएगा तथा शोधित जल का उपयोग उद्यानिकी अथवा भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाएगा। जैविक एवं उद्यानिकी अपशिष्ट की प्रोसेसिंग हेतु पृथक स्थान भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ग) **उद्यानिकी एवं खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन:**

शहरी कृषि, सामुदायिक उद्यान, वनस्पति उद्यान, हरित दीवारें, वर्टिकल गार्डन, रूफटॉप गार्डन, टेरेस गार्डन/फार्मिंग, मृदारहित कृषि, जल-आधारित कृषि, पात्र उद्यानिकी, औषधीय पौध उद्यान आदि को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा:

i. खाली पड़ी भूमि पर धूल नियंत्रण के उपाय के रूप में घास एवं झाड़ियों का आवरण विकसित किया जाएगा। ऐसी भूमि पर अंतरिम उपयोग के रूप में शहरी कृषि एवं उद्यानिकी की अनुमति होगी।

ii. संरचनात्मक सुरक्षा के अधीन वर्टिकल फार्मिंग (इंडोर फार्मिंग) की अनुमति होगी।

iii. स्थानीय निकाय एवं संबंधित एजेंसियां समुदायों/आरडब्ल्यूए/विद्यालयों/ अन्य हितधारकों को दिशा-निर्देश एवं क्षमता विकास संबंधी सहयोग उपलब्ध करा सकती हैं।

(घ) **भवनों एवं स्थलों में सतत विशेषताएं:**

i. भवनों में हरित विशेषताओं का प्रावधान प्रचलित भवन उपविधियों (यूबीबीएल) के अनुसार होगा।

ii. प्लॉटों/भवनों में रूफ गार्डन, हरित दीवारें, भू-दृश्य विकसित और/ अथवा जल पारगम्य भूमि जैसी ग्रीन-ब्लू विशेषताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. स्थानीय निकाय अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वर्तमान भवनों तथा प्लॉट स्तर पर पुनर्निर्माण में ग्रीन रूफ, वर्टिकल ग्रीन आदि के विकास एवं रखरखाव को प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त कर प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।

(iv) **ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन:**

(क) ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डेटा बेस विकसित किया जाएगा।

(ख) ग्रीन-ब्लू एसेट्स के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 'पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों' (अनुलग्नक–3) में अनधिकृत निर्माण अथवा अतिक्रमण के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे अतिक्रमण के लिए किसी प्रकार का मुआवजा अथवा पुनर्वास प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ग) संबंधित एजेंसियां हरितीकरण संबंधी पहलों के लिए नई वित्त व्यवस्थाओं की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं।

(घ) संबंधित एजेंसियां ग्रीन-ब्लू एसेट्स के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय हितधारक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे तथा इन साझा संसाधनों के प्रति सामुदायिक स्वामित्व की भावना विकसित करेंगे।

3.2 अर्थव्यवस्था

दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्यतः सेवा-आधारित है, जिसमें व्यापार, खुदरा तथा लोक प्रशासन का प्रमुख स्थान है। भूमि तथा पर्यावरणीय नियंत्रणों के कारण विनिर्माण सीमित है। यह योजना रोजगार के अवसरों का सृजन तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विविध प्रकार के कार्यस्थलों के विकास को प्रोत्साहित करके दिल्ली की आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य रखती है। योजना का उद्देश्य औपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रावधान करना तथा प्रदूषण-रहित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना है।

योजना की कार्यनीतियाँ निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगी—

(i) चिकित्सा पर्यटन और वेलनेस, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग, साइबर/आईटी हब, शिक्षा आदि से संबंधित आर्थिक केंद्रों का विकास।

(ii) असंगत क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिक केंद्रों तथा अनियोजित औद्योगिक एवं गोदाम गतिविधियों का पुनर्विकास।

(iii) 24x7 अर्थव्यवस्था सहित मौजूदा आर्थिक केन्द्रओं का अनुकूलित उपयोग।

(iv) अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सुविधाओं में सुधार।

3.2.1 विकास कार्यनीतियाँ

(i) **स्वच्छ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण-रहित उद्योगों, खुदरा व्यापार, थोक व्यापार एवं वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सरकारी कार्यालयों, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे—

(क) **ज्ञान एवं साइबर अर्थव्यवस्था:** साइबर एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था, उच्च-प्रौद्योगिकी रोबोटिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्ञान एवं नवाचार, अनुसंधान एवं विकास आदि।

(ख) **एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनिया) सांस्कृतिक एवं रचनात्मक अर्थव्यवस्था:** एमआईसीई हेतु विश्वस्तरीय केंद्र, आतिथ्य, पर्यटन, डिजाइन एवं फैशन, प्रकाशन, खाद्य एवं पेय, मीडिया, दृश्य एवं प्रदर्शन कलाएँ, मनोरंजन उद्योग आदि।

(ग) **स्वास्थ्य एवं शिक्षा:** विद्यालय एवं उच्च शिक्षा, तृतीयक/विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएँ, वेलनेस, अनुसंधान एवं विकास, जैव-प्रौद्योगिकी, औषधीय अनुसंधान आदि।

(घ) **लॉजिस्टिक्स एवं वाणिज्य:** ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, बिग बॉक्स रिटेल आदि।

(ङ) **सर्कुलर इकोनॉमी:** पुनर्चक्रण एवं मरम्मत आधारित अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ठोस अपशिष्ट, ई-कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट आदि का पुनर्चक्रण एवं अप साइकिलिंग पुनः उपयोग।

(ii) कार्यनीतिक आर्थिक केंद्रों एवं हबों का विकास/पुनरूद्धार: इन केंद्रों में नियोजित मिश्रित उपयोग के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सामाजिक सुविधाएँ, आतिथ्य सेवाएँ, छात्रावास/रेंटल हाउसिंग तथा श्रमिक आवास शामिल होंगे। इन आर्थिक केंद्रों एवं हबों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन पहुँच, पैदल यात्री संपर्क तथा उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्थलों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

(क) **आर्थिक हब:** चिह्नित क्षेत्रों को निवेश आकर्षित करने तथा कार्यस्थलों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। चिन्हित ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को हाई-डेन्सिटी मिश्रित उपयोग नोड के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे आवास और कार्यस्थलों का सार्वजनिक परिवहन के निकट विकास सुनिश्चित हो सके तथा दिल्ली में विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं /गतिविधियों तक बेहतर पहुँच उपलब्ध हो सके।

(ख) **मौजूदा आर्थिक केंद्रों का उन्नयन:** मौजूदा आर्थिक केंद्रों एम.सी.सी, डी.सी, सी.सी का पुनःउत्थान के माध्यम से उन्नयन किया जाएगा, जिससे परिवहन सुविधा, सार्वजनिक स्थलों का विकास तथा भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

(iii) **हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना:** इस योजना के अंतर्गत भवन तथा प्लॉट स्तर पर अर्बन फार्मिंग, कम्युनिटी गार्डन, वर्टिकल गार्डन, रूफटॉप गार्डन, टैरिस गार्डन/फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स आदि को बढ़ावा दिया जाता है।

(iv) **विकेन्द्रीकृत कार्यस्थलों एवं रोजगार के उभरते स्वरूपों को सुगम बनाना:** ई-कॉमर्स हेतु गोदामों, स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था के लिए सह-कार्यस्थलों (को-वर्किंग स्पेसिज), के रूप में विकेन्द्रीकृत कार्यस्थलों, क्लाउड किचन तथा रोजगार के अन्य उभरते स्वरूपों की व्यवस्था के लिए विकास को पैदल आवागमन की सुविधा, सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता को प्रोत्साहित एवं सुविधाजनक बनाया जाएगा।

(v) **24X7 अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** '24 घंटे- संचालित शहर' की अवधारणा को ऐसे नोड्स, प्रीसिंक्ट्स अथवा सर्किट चिह्नित करके विकसित किया जाएगा, जो पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को आकर्षित कर सकें। कार्यस्थलों, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक सुविधाओं के उपयोग की अवधि में विस्तार से जीवंत नाइट टाइम गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

(vi) **अनौपचारिक क्षेत्र एवं महिला कार्यबल को प्रोत्साहन:** इस योजना के अंतर्गत नियोजित उपयोग परिसरों/लेआउटों में अनौपचारिक इकाइयों के समायोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पथ विक्रेताओं के लिए प्रावधान पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 तथा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक विनियमों के अनुरूप होंगे। महिला कार्यबल की सुविधा हेतु कार्य केंद्रों में शिशु देखभाल केंद्र, सार्वजनिक सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

(vii) प्रदूषण संबंधी चुनौतियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी/आईटीईएस), ज्ञान-आधारित एवं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों, उद्यमशील गतिविधियों, असेंबली आधारित उद्योगों, पर्यटन, आतिथ्य, संचार, तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तथा उच्च शिक्षा की परिकल्पना की गई है।

3.2.2 व्यापार एवं व्यवसाय

(i) वर्ष 1962 से पूर्व के व्यावसायिक क्षेत्र: दिल्ली मास्टर प्लान - 1962 की अधिसूचना से पूर्व जिन आवासीय क्षेत्रों तथा सड़कों/मार्ग खण्डों को व्यावसायिक क्षेत्र/व्यावसायिक सड़क घोषित किया गया था अथवा जहाँ एमपीडी-1962 के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग की अनुमति थी, वहाँ दस्तावेजी साक्ष्य के अधीन एमपीडी-1962 में अनुमत सीमा तक ऐसे उपयोग को जारी रखने की अनुमति होगी। स्थानीय निकाय, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, वर्ष 1962 से पूर्व मौजूद आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

(ii) मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर (एमसीसी): निम्नलिखित क्षेत्र सामूहिक रूप से दिल्ली के केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं तथा इन्हें एमसीसी कहा गया है:

(क) कनॉट प्लेस एवं इसका विस्तार में कनॉट प्लेस (सीपी) तथा आउटर सर्कल से निकलने वाले चिह्नित रेडियल मार्ग, अर्थात् जनपथ, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंचकुइयाँ रोड, बाराखम्बा रोड एवं कस्तूरबा गांधी मार्ग के अतिरिक्त गोल मार्केट, मंडी हाउस, प्रगति मैदान तथा इन्द्रप्रस्थ एस्टेट सम्मिलित हैं।

i. कनॉट प्लेस एवं इसका विस्तार विरासतीय एवं प्रतिष्ठित भवनों से युक्त एक प्रतिष्ठित केंद्र है, जहाँ कार्यालय, आतिथ्य, मनोरंजन, खुदरा व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधियों का मिश्रित स्वरूप मौजूद है। वर्तमान लेआउट योजना के अनुसार प्लॉटों का आकार यथावत रखा जाएगा तथा किसी भी प्रकार का उप-विभाजन अनुमय नहीं होगा।

ii. मंडी हाउस सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, राज्य भवनों आदि से युक्त प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप को संरक्षित रखते हुए उसका संवर्धन किया जाएगा।

iii. प्रगति मैदान अंतरराष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है तथा एमआईसीई हब के रूप में कार्य करता है। इसका पुनर्विकास, भारत मण्डपम अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र के रूप में किया गया है।

iv. इन्द्रप्रस्थ एस्टेट मुख्यतः सरकारी कार्यालयों का केंद्र है, जिसके मध्य संस्थान, ऐतिहासिक स्मारक तथा खेल एवं सांस्कृतिक परिसर स्थित हैं। इस क्षेत्र को संस्थागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

(ख) वाल्ड़ सिटी एवं इसका विस्तार पारंपरिक क्षेत्र है जो दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश का आर्थिक केंद्र हैं।

वाल्ड़ सिटी एक विरासत क्षेत्र है, जहाँ चाँदनी चौक जैसे प्रीसिंकट्स सहित बड़ी संख्या में विरासत भवन हैं। वाल्ड़ सिटी से गोदाम/वेयरहाउस गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से बाहर स्थानांतरित करने तथा क्षेत्र में खुदरा व्यापार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुधार एवं पुनःउत्थान योजना तैयार की जाएगी।

वॉल्ड़ सिटी के बाहर स्थित क्षेत्रों में पहाड़गंज, सदर बाज़ार, आज़ाद मार्केट, बाड़ा हिन्दू राव आदि सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में मौजूदा विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों, जैसे पहाड़गंज को आतिथ्य क्षेत्र तथा सदर बाज़ार को वेयरहाउसिंग एवं थोक व्यापार केंद्र के रूप में, पुनःउत्थान के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा। सांस्कृतिक अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पारंपरिक बाज़ारों एवं अन्य क्षेत्रों की पहचान कर उनका उन्नयन किया जाएगा। इन क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी सुधार एवं पुनःउत्थान कार्य योजना के संबंधित प्रावधानों के अनुसार किए जाएँगे।

(ग) करोल बाग में आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉटों का मिश्रित स्वरूप मौजूद है। इस क्षेत्र के लिए एक एकीकृत सुधार योजना तैयार की जाएगी तथा पुनःउत्थान अथवा सुधार संबंधी सभी कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे। महानगरीय नगर केंद्र (एम.सी.सी) के क्षेत्रों के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा व्यापक सुधार योजना तैयार की जाएगी, जिसमें शहरी डिजाइन, जर्जर भवनों का पुनर्विकास/मरम्मत, विरासत भवनों का संरक्षण, भू-दृश्य विकास, यातायात एवं परिवहन सुधार योजना, सुरक्षित पैदल मार्ग, पार्किंग क्षेत्र, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्षेत्र आदि का समावेश होगा। इन क्षेत्रों में झुग्गी-झोंपड़ी (जेजे क्लस्टर), अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी तथा इन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।

(iii) नियोजित व्यावसायिक क्षेत्रों का क्रम: विभिन्न स्तरों पर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकसित नियोजित व्यावसायिक क्षेत्रों का क्रम निम्नानुसार होगा:

(क) जिला केंद्र (डीसी) की योजना रिटेल व्यापार, वित्तीय सेवाएँ, कार्यालय, आतिथ्य सत्कार, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए बनाई है। जिला केंद्रों की सूची अनुलग्नक-4 में दी गई है।

(ख) सामुदायिक केंद्र (सीसी) की योजना समुदाय स्तर पर खुदरा व्यापार, वित्तीय सेवाएँ, कार्यालय, आतिथ्य, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ तथा उनसे संबंधित गतिविधियों के लिए की गई है।

(ग) स्थानीय बाजार (एलएससी) एवं सुविधा बाजार (सीएससी) में खुदरा दुकानें तथा पर्सोनेल सर्विस इस्टेबलिशमेंट सम्मिलित होंगे, जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तथा सकल आवासीय उपयोग के भाग के रूप में शामिल किए जाएंगे।

(iv) सेवा बाजार एवं सेवा केंद्र: नगर में सेवा एवं मरम्मत गतिविधियों, मोटर वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आदि के साथ-साथ गैस गोदाम, हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री, कबाड़ एवं स्क्रैप सामग्री आदि से संबंधित

सुविधाओं के लिए पृथक स्थानों की आवश्यकता है। ऐसे स्थान निम्नलिखित दो रूपों में उपलब्ध कराए जाएंगे: सेवा बाजार (नियोजित व्यावसायिक क्षेत्रों के अंदर) अथवा सेवा केंद्र (नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में)। एलएससी/सीएससी के अधिकतम 10 प्रतिशत अप्रयुक्त स्थलों को भी सेवा बाजारों में परिवर्तित किए जाने की अनुमति होगी।

3.2.3 आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी)

दिल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन एवं मनोरंजन, खेल तथा व्यापार का अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। अतः विभिन्न आय वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होटल, बजट होटल, अतिथि गृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग हाउस, धर्मशालाएँ तथा सर्विस अपार्टमेंट जैसी आवासीय सुविधाओं की आवश्यकता है।

(i) होटलों के लिए निर्धारित उपयोग क्षेत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित क्षेत्रों में भी सर्विस अपार्टमेंट, होटल, बजट होटल, अतिथि गृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग आदि उपयोगों की अनुमति होगीः

(क) व्यावसायिक केंद्र

(ख) नगर स्तरीय सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ, जैसे कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र आदि।

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों, थोक बाजारों, आईएफसी परिसरों तथा वेयरहाउसिंग योजनाओं के अंतर्गत नियोजित व्यावसायिक क्षेत्र।

(घ) परिवहन नोड, (आईएसबीटी, बस डिपो/टर्मिनल, बहु-माध्यम परिवहन केंद्र (मल्टी-मॉडल हब्स), रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा) तथा टीओडी नोड्स।

(ङ) अन्य उपयोग क्षेत्र, जहाँ ऐसे उपयोग पहले से मौजूद हैं तथा जिनके बिल्डिंग प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हैं।

(ii) होटलों का विकास, मानदण्डों के अनुसार, न्यूनतम 24 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) वाले औद्योगिक प्लॉटों के उपयोग परिवर्तन के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसी प्रकार, बजट होटलों का विकास भी न्यूनतम 12 मीटर आरओडब्ल्यू पर किया जा सकता है।

(iii) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, अतिथि गृह तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग सुविधाओं को भी प्रावधानों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग के अंतर्गत अनुमति होगी।

(iv) 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' सुविधाओं को अनुमति केंद्र अथवा राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

(v) योजना के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग हेतु एफएआर के फ्लेकसीबल उपयोग द्वारा विभिन्न गतिविधियों के मिश्रण की अनुमति देकर होटल सुविधाओं के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग को भी सुविधाजनक बनाया गया है।

3.2.4 थोक व्यापार एवं वेयरहाउसिंग

दिल्ली उत्तर भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का एक प्रमुख उपभोग तथा वितरण केंद्र है। आगामी रीजन फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) तथा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) तथा इनके दिल्ली की वितरण केंद्र के रूप में भूमिका एवं मौजूदा थोक व्यापार तथा वेयरहाउसिंग व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार(जीएनसीटीडी) एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक व्यापक लॉजिस्टिक कार्यनीति तैयार की जाना आवश्यक है।

नगर के भीतर माल परिवहन से उत्पन्न यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से शहर के केंद्र से थोक व्यापार एवं वेयरहाउसिंग गतिविधियों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करना आवश्यक है। ई-कॉमर्स के विस्तार के साथ छोटे एवं विकेन्द्रीकृत वेयरहाउसिंग केंद्रों की आवश्यकता भी बढ़ी है।

(i) औद्योगिक प्लॉटों (नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित) का उपयोग परिवर्तन कर उन्हें वेयरहाउस के रूप में उपयोग करने की अनुमति, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, प्रदान की जाएगी।

(ii) एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले तथा 30 मीटर आरओडब्ल्यू से सीधे पहुंच रखने वाले वेयरहाउसों में बिग बॉक्स रिटेल के विकास हेतु खुदरा गतिविधियों की अनुमति होगी।

(iii) वाल्ड सिटी के भीतर संचालित वेयरहाउसिंग एवं थोक व्यापार गतिविधियों को उपयुक्त अनुरूप क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस पुनर्स्थापन को सुगम बनाने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं।

(iv) मौजूदा उप-नगर स्तर के थोक बाजार (अनुलग्नक-5), सभी प्रकार की मंडियाँ तथा अनुमोदित वेयरहाउसिंग स्थलों को योजना के प्रावधानों के अनुसार पुनःउत्थान करने की अनुमति होगी, जिससे

उनका आधुनिकीकरण एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता विस्तार सुनिश्चित किया जा सके।

(v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेल एवं एलपीजी के किसी भी नए डिपो की स्थापना की अनुमति नहीं होगी। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने हेतु नए डिपो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे।

नियोजित थोक बाजारों एवं वेयरहाउसिंग स्थलों के अतिरिक्त, दिल्ली के विभिन्न भागों में कई असंगत गोदाम एवं गोदाम समूह विकसित हो गए हैं। ऐसे गोदामों एवं गोदाम समूहों का नियमितीकरण तथा नियोजित पुनःउत्थान योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जिन गोदाम अथवा गोदाम समूहों को निर्धारित अवधि के भीतर विनियमित अथवा पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा, उन्हें अनिवार्य रूप से संगत भूमि उपयोग वाले क्षेत्रों, जैसे आईएफसी, नियोजित थोक बाजार, वेयरहाउसिंग योजनाएँ तथा विनियमित गोदाम समूहों में स्थानांतरित करना होगा।

3.2.5. उद्योग

दिल्ली में महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधियाँ मौजूद हैं, जिनमें नियोजित औद्योगिक क्षेत्र, फ्लैटेड फैक्ट्री क्लस्टर (अनुलग्नक-6) तथा अधिसूचित असंगत औद्योगिक क्षेत्र (अनुलग्नक-11) सम्मिलित हैं। ये उद्योग, घरेलू उद्योगों के साथ मिलकर, कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। आर्थिक विकास संबंधी नीतियों का उद्देश्य ऐसे लघु, सूक्ष्म उद्यमों एवं असंगठित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करना होगा, जो रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, साथ ही अर्थव्यवस्था को स्वच्छ, प्रदूषणरहित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

विनिर्माण उद्योग से सेवा, ज्ञान, वित्त, मीडिया तथा अन्य उभरते उद्योगों की ओर परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए मौजूदा आर्थिक केंद्रों का विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु को-वर्किंग स्पेसिज तथा फ्लेक्सिबल कार्यस्थलों की मांग निरंतर बढ़ रही है। डिजिटल एवं दूरसंचार अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण से नवीन एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद में डेटा-सक्षम प्रौद्योगिकियों की भागीदारी में वृद्धि होगी।

दिल्ली को स्वच्छ, नवाचार-संचालित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसका आधार सतत विकास, उच्च मूल्य संवर्धित विनिर्माण तथा सेवाएँ होंगी। शहर में हरित उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वाहन, सर्कुलर इकोनॉमी आधारित उपक्रमों तथा ज्ञान-आधारित क्षेत्रों को

प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जबकि प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा।

औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख दिशा निर्देश एवं नीतिगत फ्रेमवर्क निम्नानुसार होगा:

(i) **वर्ष 1962/एमपीडी-1962 से पूर्व के औद्योगिक क्षेत्र:** वर्ष 1962 से पूर्व मौजूद अथवा एमपीडी - 1962 के अंतर्गत जहाँ औद्योगिक उपयोग की अनुमति थी, वहाँ ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में एमपीडी - 1962 के अनुसार, अनुमत सीमा तक औद्योगिक उपयोग, दस्तावेजी साक्ष्य के अधीन, जारी रहेगा। तथापि, नीचे उल्लिखित खंड (ii) एवं (iii) इन क्षेत्रों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि (घरेलू उद्योगों सहित) की अनुमति नहीं होगी—बंगलों जोन (लुटियंस एवं सिविल लाइंस), रिज, ज़ोन 'ओ', जलाशयों एवं नहरों के बफर क्षेत्र, पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, आरक्षित एवं संरक्षित वन, सहकारी समूह आवास समितियाँ, डीडीए आवास, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास, समूह आवास (जनता फ्लैट को छोड़कर), एआरएचसी आदि।

(iii) अनुलग्नक-7 में उल्लिखित निषिद्ध श्रेणी के उद्योगों को दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं है। सभी औद्योगिक इकाइयों को, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(iv) दिल्ली के मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची अनुलग्नक-6 में दी गई है। इन नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनःउत्थान, विनियमों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में पार्किंग, सार्वजनिक स्थलों तथा सामान्य सुविधाओं, जैसे सीईटीपी के विकास के लिए डीएसआईआईडीसी अथवा स्थानीय औद्योगिक संघों द्वारा पहल की जा सकेगी।

(v) औद्योगिक प्लॉटों का उपयोग परिवर्तन कर उन्हें समूह आवास, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, व्यावसायिक उपयोग तथा डेटा सेंटर के रूप में विकसित करने की अनुमति योजना के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(vi) स्टार्ट-अप एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्लॉटों में बिना उपयोग परिवर्तन के वर्किंग स्पेस को विकसित करने के लिए अनुमत एफएआर का 10 प्रतिशत उपयोग किया जा सकेगा।

(vii) नए औद्योगिक क्षेत्रों/टाऊनशिप का विकास स्वच्छ उद्योगों के केंद्रों के रूप में किया जाएगा, जिनमें बिज़नेस पार्क, टेक पार्क एवं साइबर हब, ज्ञान केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग आदि सम्मिलित होंगे। ऐसे क्षेत्रों का विकास एकीकृत योजनाओं के रूप में किया जा सकेगा। अनुमत औद्योगिक गतिविधियों की सूची अनुलग्नक-8 में दी गई है।

(viii) घरेलू उद्योगों को योजना के प्रावधानों के अनुसार आवासीय परिसरों से संचालित करने की अनुमति होगी। अनुमत घरेलू उद्योगों की सूची अनुलग्नक-9क एवं अनुलग्नक-9ख में दी गई है।

अधिसूचित, असंगत औद्योगिक क्षेत्रों (अनुलग्नक-11) के अधिसूचित क्षेत्र का नियमितीकरण एवं नियोजित पुनःउत्थान योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जो उद्योग क्षेत्र निर्धारित अवधि के भीतर विनियमित अथवा पुन: शुरू नहीं किए जाएंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों अथवा विनियमित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा।

3.2.6 सरकारी कार्यालय

भारत सरकार, जीएनसीटीडी, स्थानीय निकायों, न्यायालय परिसरों आदि के विभिन्न कार्यालय दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित हैं। यह क्षेत्र नगर में रोजगार सृजन के प्रमुख स्रोतों में से एक है। भूमि का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनःउत्थान के माध्यम से आधुनिक बहुमंजिला कार्यालय परिसरों का विकास किया जाएगा, जिनमें कर्मचारी आवास, व्यावसायिक सुविधाएँ तथा अन्य आवश्यक सहायक सुविधाओं का समुचित प्रावधान होगा।

3.2.7 आवासीय उपयोग परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियाँ

आवासीय उपयोग परिसरों के भीतर व्यावसायिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) सुविधाओं जैसी गैर-आवासीय गतिविधियों (मिश्रित उपयोग) की अनुमति योजना के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

3.2.8 अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

बेहतर रोजगार एवं आजीविका के अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में बेरोजगार एवं अल्प-रोजगार लोगों दिल्ली की ओर प्रवास करती है तथा लघु उद्यमों, पथ विक्रय एवं व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न रहती है। अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप मांग-आधारित कार्य में

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है तथा उन्हें सेवा क्षेत्र का अभिन्न अंग माना गया है।

(i) पथ विक्रेताओं के लिए प्रावधान: पथ विक्रेताओं से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीय शहरी पथ विक्रेता नीति तथा पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अनुरूप होंगे।

(क) साप्ताहिक बाजार, तहबाज़ारी, अनौपचारिक बाज़ार अथवा हाट सहित विक्रय क्षेत्र का निर्धारण स्थानीय निकायों द्वारा टाउन वेंडिंग समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा।

(ख) टाउन वेंडिंग कमेटियों, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशंस आदि के परामर्श से संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग और नो-वेंडिंग क्षेत्रों का सीमांकन (डेमार्केशन) किया जाएगा।

(ग) अनौपचारिक गतिविधियों के समायोजन हेतु सड़कों में प्रासंगिक दिशा निर्देशों के अनुसार बहुउद्देशीय उपयोग क्षेत्र का प्रावधान किया जाएगा। निर्दिष्ट विक्रय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) अनौपचारिक इकाइयों के लिए प्रावधान

व्यावसायिक/औद्योगिक क्षेत्रों, थोक बाजारों/ इंटीग्रेटिड फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी), सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं तथा कार्यालय परिसरों में अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए योजना में निर्धारित किए गए हैं। नियोजित उपयोग परिसरों एवं उपयोग क्षेत्रों के भीतर ऐसे प्रावधान योजना के अनुसार किए जाएंगे तथा इन इकाइयों को लेआउट योजना एवं भवन योजना में भी प्रदर्शित किया जाएगा।

मौजूदा स्थायी अनौपचारिक इकाइयों के समूहों (क्लस्टर) के स्थान एवं सघनता का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण किया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा उनके पुनर्स्थापन अथवा उन्नयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी गतिविधियाँ मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पर अतिक्रमण न करें। संबंधित स्थानीय निकाय ऐसे क्षेत्रों के लिए सुधार योजनाएँ तैयार करेगा तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

स्थानीय निकाय अथवा संबंधित एजेंसियाँ, निर्धारित क्षेत्रों, (विक्रय क्षेत्र, साप्ताहिक बाजार, तहबाज़ारी क्षेत्र, अनौपचारिक बाज़ार एवं हाट आदि) में पथ विक्रेताओं एवं अनौपचारिक इकाइयों को बारी-बारी से संचालन की अनुमति प्रदान करेंगी।

अनधिकृत कॉलोनियों, शहरी ग्रामों तथा स्लम के पुनःउत्थान अथवा सुधार के अंतर्गत, व्यवहार्यता के अनुसार बहुउद्देशीय सामुदायिक कार्य केंद्र/कार्यस्थलों का प्रावधान किया जाएगा।

3.3 विरासत, संस्कृति एवं सार्वजनिक स्थल

3.3.1 विरासत (हेरिटेज)

दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्राचीन आबाद नगरों में से एक है। अपने इतिहास के दौरान यह अनेक बस्तियों का केंद्र रही है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ संस्कृति एवं विरासत का अद्वितीय समन्वय विकसित हुआ है। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे विरासत स्मारक, भवन एवं विरासत प्रीसिंकट्स मौजूद हैं, जिनका सार्वभौमिक विरासतीय महत्व है।

दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल, केंद्रीय संरक्षित स्मारक तथा पुरातत्व विभाग, जीएनसीटीडी के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीडी तथा एनडीएमसी ने भी अनेक विरासत भवन (हेरिटेज बिल्डिंग्स) को अधिसूचित किया है, जिनमें से अनेक निजी स्वामित्व वाले, ट्रस्टों अथवा सरकारी स्वामित्व वाले हैं तथा निरन्तर उपयोग में बने हुए हैं। दिल्ली में स्थित इन हेरिटेज बिल्डिंग्स/स्मारकों में से अनेक अतिक्रमण, जीर्णावस्था, असंगत उपयोग तथा असंवेदनशील पुननिर्माण/परिवर्तन के कारण गंभीर खतरे का सामने कर रहे हैं। हेरिटेज एसेट्स के संरक्षण, सुरक्षा तथा निगरानी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

दिल्ली की अपनी विरासत मुख्यतः योजना जोन ए, बी, सी, डी एवं एफ में, यमुना नदी एवं रिज के मध्य स्थित क्षेत्र में है। इनमें से अनेक विरासत परिसंपत्तियाँ समूहों अथवा विरासत प्रीसिंकट्स/क्षेत्रों के रूप में मौजूद हैं, जिनमें नगर के विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित होने की पर्याप्त क्षमता है। वाल्ड सिटी (चाँदनी चौक सहित), निजामुद्दीन, महरौली, तुगलकाबाद, जहाँपनाह, हौज़ खास तथा लुटियंस दिल्ली जैसे विरासत क्षेत्रों में दिल्ली के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विरासत भवन स्थित हैं। अनेक विरासत भवन एवं ऐतिहासिक क्षेत्र जलाशयों तथा वनों जैसी प्राकृतिक परिसंपत्तियों से भी जुड़े हुए हैं, जिससे एकीकृत नियोजन की व्यापक संभावनाएँ हैं। कला एवं सांस्कृतिक उत्सव, खाद्य परिभ्रमण (फूड वॉक्स), विरासत भ्रमण (हेरिटेज वॉक्स) तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन-जागरूकता बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। दिल्ली में स्थापत्य की दृष्टि से अनेक प्रतिष्ठित भवन भी हैं, जिन्हें सांस्कृतिक संवर्धन के दायरे में सम्मिलित किया जा सकता है। योजना की कार्यनीतियाँ निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होंगीः-

(क) विरासत परिसंपत्तियों का संरक्षण और/अथवा अनुकूल पुनः उपयोग।

(ख) ऐतिहासिक क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना, जीवन-स्तर एवं आर्थिक गतिविधियों का संवर्धन।

(i) धरोहर परिसंपत्तियों वाले क्षेत्र: नगर में विरासत परिसंपत्तियों की उच्च सघनता वाले तीन प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की गई है—

(क) विरासत क्षेत्र: विरासत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें विरासत भवनों, संरचनाओं, समूहों अथवा परिसरों की उल्लेखनीय सघनता, परस्पर संबद्धता अथवा निरंतरता मौजूद हो। पहचाने गए विरासत क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

i. वॉल्ड सिटी सिटी (चाँदनी चौक सहित)

ii. लुटियंस बंगलों जोन (एलबीजेड) के अंतर्गत (संबंधित प्राधिकरण द्वारा चिह्नित क्षेत्र)

iii. सिविल लाइंस बंगलों एरिया के अंतर्गत स्थित क्षेत्र

(ख) सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स: सांस्कृतिक परिसर मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की विरासत का सघन केंद्र होता है तथा जो स्थापत्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं संबद्ध मूल्यों से समृद्ध होता है। ऐसी परिसंपत्तियाँ परस्पर स्ट्रीट तथा एकीकृत निर्मित स्वरूप द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स की पहचान शहरी ग्रामों तथा वाल्ड सिटी में की जा सकती है। अनुलग्नक-15 में पहचाने गए सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स की एक सांकेतिक सूची दी गई है।

(ग) पुरातात्त्विक पार्क: पुरातात्विक पार्क वह क्षेत्र है जो अपनी विरासत परिसंपत्तियों तथा उनसे संबद्ध भूमि के कारण विशिष्ट पहचान रखता है तथा पर्यटन का आकर्षण होने के अतिरिक्त जनसाधारण के लिए व्याख्यात्मक एवं शैक्षणिक संसाधन के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। दिल्ली में निर्दिष्ट पुरातात्त्विक पार्क निम्नलिखित हैं—

i. महरौली पुरातात्त्विक पार्क

ii. तुगलकाबाद जैव-विविधता पार्क

iii. सुल्तानगढ़ी पुरातात्त्विक पार्क

iv. इन्द्रप्रस्थ पुरातात्त्विक पार्क

v. उत्तरी रिज पुरातात्त्विक पार्क

आवश्यक अध्ययन के आधार पर संबंधित एजेंसियां अतिरिक्त विरासत क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स एवं पुरातात्त्विक उद्यानों की पहचान भी कर सकेंगे।

(ii) विरासत परिसंपत्तियों (हेरिटेज एसेट्स) हेतु कार्यनीतियाँ

(क) वॉल्ड सिटी (चाँदनी चौक सहित): वाल्ड सिटी दिल्ली का ऐतिहासिक केंद्र एवं प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है, जो मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की विरासत से समृद्ध है। यहाँ विश्व विरासत स्थल लाल किला सहित अन्य अधिसूचित विरासत परिसंपत्तियाँ हैं। इस क्षेत्र का विशिष्ट शहरी स्वरूप कटरे, बाज़ार, गलियाँ, विस्ता तथा दिल्ली की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं से निर्मित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय समन्वय प्रस्तुत करता है। वर्तमान में यह क्षेत्र प्रदूषणकारी एवं जोखिम वाली आर्थिक गतिविधियों, थोक व्यापार एवं वेयरहाउसिंग के कारण मालवाहक यातायात, भवनों की जर्जर अवस्था, अपर्याप्त आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अनौपचारिक एवं असंवेदनशील परिवर्तन इस क्षेत्र के मूल ऐतिहासिक स्वरूप को निरंतर क्षति पहुँचा रहे हैं। क्षेत्र के पुनःउत्थान हेतु समन्वित बहु-एजेंसी पहल निम्नानुसार की जाएगी—

i. वॉल्ड सिटी के भीतर स्थित सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स का सीमांकन किया जाएगा। संबंधित स्थानीय निकाय/एजेंसी अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से, इन प्रीसिंकट्स हेतु संरक्षण एवं क्षेत्र सुधार योजनाएँ तैयार करेगी तथा उन्हें कार्यान्वित करेगी। संरक्षण, पुनर्स्थापन तथा उपर्युक्तानुसार अनुकूली पुनः उपयोग (एडैप्टिव रीयूज) के लिए विरासत भवनों के स्वामियों को सहायता प्रदान की जा सकती है।

ii. सभी प्रदूषणकारी उद्योगों एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों को वाल्ड सिटी से हटाया जाएगा। गोदामों तथा थोक व्यापारिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाएगा तथा अन्य उपयुक्त स्थलों पर स्थानांतरित किया जाएगा। जोखिमपूर्ण/ज्वलशील वस्तुओं के भंडारण की अनुमति नहीं होगी तथा भारी-भरकम वस्तुओं के भंडारण को सीमित रखा जाएगा।

iii. स्थानीय निकाय द्वारा सभी प्रमुख बाजारों (उन क्षेत्रों सहित जहां से थोक गतिविधियों को स्थानांतरित किया जाना है) के साथ-साथ व्यावसायिक (कमर्शियल) और मिश्रित-उपयोग स्ट्रीट की पहचान की जाएगी। पहचान किए गए व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ-साथ नीचे निर्दिष्ट उपयोगों में खुदरा व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी।

iv. क्षेत्र को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय प्लॉटों में सामाजिक-सांस्कृतिक उपयोग, जैसे—प्रदर्शन स्थल, लघु संग्रहालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, कैफे, को-वर्किंग स्पेसिज, शिल्प केंद्र, अतिथि गृह आदि की अनुमति होगी। बेड एंड

ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों की अनुमति पर्यटन मंत्रालय अथवा अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।

v. वाल्ड सिटी का सूक्ष्म शहरी ढाँचा तथा इसकी विशिष्ट सड़क संरचना इसकी ऐतिहासिक पहचान का अभिन्न अंग है और इसे यथावत बनाए रखा जाएगा। अधिसूचित विरासत क्षेत्रों में समूह आवास की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, क्षेत्र की ऐतिहासिक नगरीय संरचना एवं विरासत स्वरूप के संरक्षण हेतु अनिवार्य स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान लागू नहीं होगा।

vi. वाल्ड सिटी में 24x7 अर्थव्यवस्था सक्रिय रूप से मौजूद है। गतिविधियों एवं सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स की पहचान की जाएगी।

vii. संबंधित प्राधिकरण/स्थानीय निकाय निम्नलिखित क्षेत्रीय सुधार प्रयासों को सुगम बनाएगा अथवा उनका क्रियान्वयन करेगा—

क. वाल्ड सिटी के लिए एक समग्र यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी, जिसमें— प्रमुख मोटर वाहन मार्ग, पैदल यात्री क्षेत्र एवं सड़कें, गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) मार्ग, सेवा एवं मालवाहक वाहनों के प्रवेश की सीमा एवं समय, निवासियों एवं पर्यटकों हेतु साझा पार्किंग स्थल, तथा क्षेत्र में उपयोग होने वाले मेट्रो स्टेशनों के आसपास यात्रियों के सुव्यवस्थित आवागमन (कम्यूटर डिसपर्सल) की योजना तैयार की जाएगी।

ख. वाल्ड सिटी को एक्टिव ट्रैवल एरिया–(एटीए) के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें पैदल आवागमन, साइकिल मार्ग, सार्वजनिक बाइक साझाकरण (पब्लिक बाइक शेयरिंग) आदि की सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।

ग. वाल्ड सिटी के भीतर स्थित उद्यानों एवं खुले स्थलों का संरक्षण किया जाएगा तथा उनका उपयोग बहु-स्तरीय पार्किंग के निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा।

घ. कटरों, बाज़ारों आदि के लिए क्षेत्रीय सुधार योजनाएँ स्थानीय निवासियों एवं अन्य हितधारकों से परामर्श करके तैयार की जाएँगी। इन योजनाओं में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों का उन्नयन, आपातकालीन परिस्थितियों में निकासी हेतु सार्वजनिक स्थलों की पहचान, आधारभूत सेवाओं एवं

उपयोगिताओं का सुधार, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ऊपरी (ओवरहेड) उपयोगिता तारों का सुव्यवस्थितकरण (डीक्लटरिंग)। बाज़ार व्यापारी संघ तथा आरडब्ल्यूए को सड़क एवं सार्वजनिक स्थल सुधार कार्यों के क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ख) बंगलो एरिया (लुटियंस बंगलो ज़ोन एवं सिविल लाइंस बंगलो एरिया): बंगलो एरिया की मूल विशेषताओं—जैसे एवेन्यू, बड़े प्लॉट, विस्तृत हरित परिदृश्य तथा निम्न-ऊँचाई वाले विकास को प्रोतसाहित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित की अनुमति नहीं होगी— मिश्रित उपयोग विकास, एमआरटीएस कोरिडोरों के साथ उच्च घनत्व विकास, हरित आवरण (ग्रीन कवर) में कमी। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विकास स्वीकृत योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी लुटियंस बंगलो एरिया एवं सिविल लाइंस बंगलो एरिया संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

(ग) सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स के लिए प्रावधान: सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

i. दिल्ली विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकायों के सहयोग से, सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स की पहचान एवं सीमांकन करेगा।

ii. प्रत्येक सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण स्थानीय निकायों के सहयोग से सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (सीआरएमपी) तैयार करेगा। सीआरएमपी में हेरिटेज बिल्डिंग्स के अर्बन डिज़ाइन, वास्तुकला एवं निर्मित स्वरूप संबंधी नियंत्रण हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की पहचान एव जीर्णोद्धार तथा यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन हेतु क्षेत्र-स्तरीय कार्यनीतियाँ शामिल होंगी। जहां भी व्यवहार्य हो, प्रीसिंकट्स की मुख्य सड़कों के ग्राउंड लेवल पर एक्टिव फ्रंटेज को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रीसिंकट्स के अंदर सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

iii. प्रीसिंकट्स का भाग बनने वाली सड़कों को सड़क सुधार एवं गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु सक्रिय यात्रा क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

iv. विरासत परिसंपत्तियों अथवा सांस्कृतिक परिसरों को जोड़ने वाले प्राकृतिक नालों के किनारे हरित मार्ग (ग्रीनवेज) को व्यवहार्यता के अनुसार पर्यटकों हेतु आवश्यक सुविधाओं सहित पर्यावरण-सांस्कृतिक कोरिडोरों के रूप में विकसित किया जाएगा।

v. सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स में विरासत भ्रमण मार्ग (हेरिटेज ट्रेल/वॉक्स) को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे भ्रमण मार्गों को कल्चरल सर्किटों तथा सांस्कृतिक उत्सवों के साथ भी एकीकृत किया जा सकेगा।

vi. सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिसूचित सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स के अंतर्गत स्थित आवासीय प्लॉटों में, प्लॉट के आकार अथवा पहुँच मार्ग की चौड़ाई की परवाह किए बिना तथा आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के अधीन, निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति होगी। नीचे उल्लिखित गतिविधियों हेतु संपूर्ण अनुमेय एफएआर का उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, संबंधित सीआरएमपी में निर्धारित भवन अथवा लेआउट संबंधी विशेष शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

क. आर्ट गेलरीज़ एवं प्रदर्शनी स्थल,

ख. सांस्कृतिक प्रदर्शन स्थल,

ग. लघु संग्रहालय,

घ. रेस्तराँ एवं कैफे,

ङ. अतिथि गृह,

च. सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र,

छ. पुस्तकालय एवं वाचनालय,

ज. कला एवं शिल्प केंद्र,

झ. सूचना/व्याख्या केंद्र,

ञ. रिटेल शॉप (केवल स्मृति-चिह्न विक्रय केंद्र, पुस्तकालय/बुक शॉप तथा अनुलग्नक-12 के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली दुकानें)।

(घ) पुरातात्त्विक पार्कों के लिए प्रावधान:

i. दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्मित विरासत तथा प्राकृतिक विरासत दोनों के संरक्षण हेतु सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (सीआरएमपी) तैयार करेगा। इस योजना में निम्नलिखित संभावित विरासत संसाधनों की पहचान की जाएगी- ऐतिहासिक संरचनाएँ, उद्यान, बाग, खुले जलाशय, सीढ़ीदार कुएँ,

बावड़ीयाँ, तथा अन्य संबंधित विरासत संसाधन। स्थल के संवेदनशील विकास हेतु आवश्यक अर्बन डिजाइन एवं भूदृश्य संबंधी नियंत्रण भी सीआरएमपी में निर्धारित किए जाएँगे।

ii.गतिविधियों की अनुमति, योजना के प्रावधानों के अनुसार होगी।

iii.आवश्यक स्वीकृतियों के अधीन, पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से निर्मित अस्थायी संरचनाओं/ सार्वजनिक कला एवं कलात्मक प्रतिष्ठापनों को सीमित अवधि के लिए अनुमति दी जा सकेगी, ताकि उत्सवों, सांस्कृतिक आयोजनों, किसान बाजारों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जा सके।

iv.जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ पुरातात्त्विक उद्यानों के भीतर स्थित धरोहर संरचनाओं के अनुकूल पुनः उपयोग की अनुमति योजना के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(iii) **विरासत भवनों के संरक्षण के लिए मानदण्ड:**

(क) स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विरासत भवनों के उपयोग/पुनः उपयोग हेतु निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

i. विरासत भवनों के संरक्षण, परिरक्षण, कायाकल्प, पुनर्निर्माण, मरम्मत, अनुकूल पुनः उपयोग (अडेपटिव रीयूज), परिवर्धन तथा परिवर्तन आदि की अनुमति होगी।

ii. विरासत भवन की मूल विरासत विशेषताओं तथा उसके महत्त्वपूर्ण स्थापत्य तत्वों, विशेषकर मुख्य भाग (फसाड) को सुरक्षित, संरक्षित एवं अनुरक्षित रखा जाएगा। अनुकूल पुनः उपयोग एवं आवश्यक संशोधनों की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकेगी कि भवन की समग्र ऐतिहासिक एवं स्थापत्य अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे।

iii. योजना के प्रावधानों के अनुसार विरासत हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) की अनुमति होगी।

iv. स्थानीय निकाय, भू-स्वामित्व रखने वाली एजेंसियाँ तथा सभी विरासत भवनों अथवा संरचनाओं के स्वामी—चाहे वे संरक्षित अथवा असंरक्षित, सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध हों—उनका संरक्षण, परिरक्षण, कायाकल्प, पुनर्निर्माण, मरम्मत, अनुकूल/पुनः उपयोग, परिवर्धन एवं परिवर्तन कर सकेंगे। ऐसी गतिविधियों की अनुमति इस तथ्य से अप्रभावित होगी कि भवन अथवा संरचना आरक्षित वन, रिज, भू-आकृतिक रिज अथवा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित है, बशर्ते कि कार्य केवल संबंधित विरासत भवन अथवा संरचना तक सीमित रहे।

चित्र 4: हेरिटेज बिल्डिंग का संरक्षण

(केवल उदाहरण के लिए)

(ख) **अनुकूल पुनः उपयोग (अडेप्टिव री-यूज़):** हेरिटेज बिल्डिंग्स का अनुकूल पुनः उपयोग उनके ऐतिहासिक एवं संदर्भ के अनुरूप अनुमेय होगा। सूचीबद्ध हेरिटेज बिल्डिंग्स में संगत उपयोगों की अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों की स्वीकृति, विरासत प्रभाव आकलन के अधीन होगी।

i. हेरिटेज बिल्डिंग्स के किसी भाग अथवा संपूर्ण भवन को व्यावसायिक, कार्यालय, होटल अथवा सामाजिक-सांस्कृतिक उपयोगों में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें सांस्कृतिक प्रदर्शन स्थल, संग्रहालय, पुस्तकालय, शिल्प केंद्र तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। ऐसा परिवर्तन केवल तभी अनुमेय होगा, जब भवन के स्वरूप तथा उसके विरासतीय महत्व का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

ii. जिन हेरिटेज बिल्डिंग्स में अनुकूली पुनःउपयोग का प्रस्ताव किया गया हो, उनमें लागू स्थान मानकों में, जहाँ आवश्यक हो, विरासत प्रभाव आकलन के आधार पर तथा भवन के विरासतीय स्वरूप के संरक्षण के अधीन, स्वीकृतिप्रदाता प्राधिकरण द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

iii. ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग्स में, स्वामी द्वारा स्वीकृतिप्रदाता प्राधिकरण की स्वीकृति के अनुसार, पर्याप्त अग्नि एवं जीवन सुरक्षा उपलब्ध कराए जाएँगे।

iv. स्थल के खुले क्षेत्रों में अनौपचारिक बाजार, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के आयोजन हेतु पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से निर्मित अस्थायी संरचनाओं के निर्माण की अनुमति, संबंधित स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन, अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक अवधि के लिए दी जा सकेगी।

(ग) विरासत टीडीआर

i. संपत्ति के विरासत स्वरूप के संरक्षण हेतु 50 एफएआर का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

ii. यह प्रोत्साहन एफएआर टीडीआर (ट्रांस्फरेबल डेवलेपमेंट राइट्स) के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए पृथक विनियम बनाए जाएंगे।

iii. टीडीआर प्रमाणपत्र (टीडीआर सर्टिफिकेट) तभी जारी किया जाएगा, जब संबंधित संपत्ति की आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्य पूर्ण कर लिए गए हों तथा संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया गया हो।

iv. निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानीय निकाय /संबंधित एजेंसी जुर्माना वसूल करेगा—

क. प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मरम्मत एवं रखरखाव कार्य न किए जाने पर।

ख. भवन के विरासत मूल्य को क्षति पहुँचाने पर।

(iv) विरासत प्रबंधन हेतु नगर स्तर की कार्यनीतियाँ

(क) स्थानीय निकाय/संबंधित एजेंसियाँ हेरिटेज सेल की स्थापना करेंगे, जो निम्नलिखित कार्य करेंगे और ये विरासत परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं निगरानी, आधुनिक /औद्योगिक धरोहर स्थलों की पहचान, सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स का सीमांकन, पूरक आर्थिक /सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक उत्सवों एवं विरासत भ्रमणों (हेरिटेज वॉक) का आयोजन, अनुकूल पुनः उपयोग (अड़ेपटिड रियूज़) परियोजनाओं को प्रोत्साहन, तथा इन पहलों के समर्थन हेतु हेरिटेज निधि (हेरिटेज फंड) की स्थापना करेंगे।

(ख) संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित विरासत परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी की जाएगी, जिससे उनकी स्थिति का आकलन कर संरक्षण /आधारभूत अवसंरचना उन्नयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

(ग) संबंधित प्राधिकरण विरासत संपत्तियों के स्वामियों को उनकी विरासत संरचनाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(घ) राष्ट्रीय एवं राज्य संरक्षित स्मारकों तथा भवनों का संरक्षण एवं प्रबंधन: संबंधित अधिनियमों एवं विधिक उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। विनियमित तथा निषिद्ध क्षेत्रों में कोई भी विकास संबंधित अधिनियमों /नियमों के अनुरूप होगा।

(ङ) क्षेत्रीय आधारभूत अवसंरचना उन्नयन तथा आगंतुक सुविधाओं के विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(च) संबंधित/वैधानिक प्राधिकरण विरासत परिसंपत्तियों के संरक्षण/अनुरक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा सुव्यवस्थितकरण के लिए समयबद्ध रूप से आवश्यक उपाय करेंगे।

3.3.2 सार्वजनिक स्थल

दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों की विविधता अत्यंत व्यापक है। इनमें इंडिया गेट, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, बाँसेरा आदि जैसे प्रतिष्ठित नगर स्तरीय हब्स, उद्यान और बड़े सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिसर, वाल्ड सिटी के पारंपरिक /ऐतिहासिक बाजार; दिल्ली हाट जैसे विषय-आधारित स्थल; जनपथ जैसे बाजार; एम्पोरियम; तथा विभिन्न उद्यान, चौक एवं सड़कें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, मंडी हाउस जैसे रचनात्मक कला केंद्रों, विरासत परिसंपत्तियाँ एवं सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स, तथा वन, जलाशय एवं यमुना बाढ़ क्षेत्र जैसी पर्यावरणीय परिसंपत्तियाँ भी नगर के सार्वजनिक जीवन के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

योजना का उद्देश्य सुरक्षित एवं जीवंत सार्वजनिक परिवेश का विकास करना है। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों में आवश्यक सुविधाओं एवं आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाएगा ताकि सुरक्षा एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इससे पैदल आवागमन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर, सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक एकता में सुधार होगा। साथ ही, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा खुदरा व्यापार एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर के प्रतिष्ठित स्थलों, प्रतीकात्मक स्थानों तथा दृश्य कोरिडोरों की पहचान कर उनका पुनरुद्धार करना भी आवश्यक है। योजना निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष बल देती है:

(क) सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों की उपलब्धता ।

(ख) भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के मध्य पारस्परिक संबंध को सुदृढ़ करना।

(i) नगर स्तरीय सार्वजनिक केंद्रों (पब्लिक हब्स) एवं नेटवर्क का विकास:

(क) **सिटी हब्स:** नगर में सार्वजनिक जीवन को सुदृढ़ बनाने की कार्यनीति के अंतर्गत ऐसे सार्वजनिक स्थलों एवं प्रतिष्ठित स्थलों का विकास किया जाएगा जो नगर की विशिष्ट पहचान का अभिन्न अंग हैं। नगर के विकसित एवं अविकसित, दोनों प्रकार के, क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक गतिविधियों के समर्थन हेतु उन्नत सुविधाओं सहित पुनर्विकसित किया जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के स्थलों का विकास /उन्नयन नगर स्तर के सार्वजनिक स्थलों के रूप में किया जाएगा:

i. सार्वजनिक तट: यमुना बाढ़ क्षेत्र के पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के पुनःउत्थान तथा नदी एवं नालों के बफर क्षेत्रों के किनारे सक्रिय सार्वजनिक तट के विकास हेतु कार्यनीतियाँ इस योजना में निर्धारित की गई हैं।

ii. शहरी वन एवं प्राकृतिक हरित क्षेत्र: आरक्षित एवं संरक्षित वनों के अंतर्गत स्थित क्षेत्र, नागरिकों को सक्रिय जीवनशैली अपनाने तथा प्रकृति से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। भू-स्वामित्व रखने वाली एजेंसियाँ नियंत्रित प्रवेश (रेग्युलेटिड एक्सेस) सुनिश्चित करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में परस्पर क्रियाशील क्षेत्रों की पहचान एवं विकास कर सकेंगी।

iii. सांस्कृतिक केंद्र: वाल्ड सिटी (चांदनी चौक सहित), निजामुद्दीन, चिराग दिल्ली, इंडिया गेट लॉन, कनॉट प्लेस तथा हौज़ खास, महरौली आदि शहरी ग्राम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वजनिक गतिविधियाँ अत्यधिक हैं। इसके अतिरिक्त, मंडी हाउस, लोधी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली हाट आदि जैसे अन्य क्षेत्र भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। संबंधित एजेंसियाँ ऐसे स्थलों एवं उनके आसपास के सार्वजनिक परिवेश के उन्नयन हेतु आवश्यक प्रयास करेंगी।

iv. बाजार स्थान: दिल्ली के विविध बाजारों को सक्रिय यात्रा क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, जहाँ पैदल यात्रियों के लिए मार्ग विकसित किए जा सकेंगे।

v. पुनः प्राप्त क्षेत्रों का सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकास: अप्रयुक्त खदानों, लैंडफिल स्थलों, ऐश डाइक, ताप विद्युत संयंत्रों आदि का व्यवहार्यता के अनुसार समयबद्ध पुनरुद्धार कर उन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु विकसित अथवा पुनः प्रयोग किया जाएगा।

(ख) नगर स्तरीय सर्किट: योजना में ग्रीन-ब्लू कॉरीडोर, विरासत एवं सांस्कृतिक सर्किट तथा अस्थायी फेस्टिवल सर्किटों के विकास की संभावनाओं की पहचान की गई है। संबंधित एजेंसियाँ ऐसे सर्किटों की पहचान कर पर्यटन क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रयास करेंगी। संभावित सर्किटों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-13 में दी गई है।

(ग) कल्चरल सर्किट : यह योजना 24x7 अर्थ्वयवस्था (इकोनॉमी) को प्रोत्साहित करती है। इससे सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि तथा स्टैगरिंग एक्टिविटीज करने से यातायात दबाव में कमी लाने में सहायता मिलेगी। इन सर्किटों को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा—

i. स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियाँ ऐसे सर्किटों की पहचान करेंगी जिनमें विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हों।

ii. योजना में नियोजित मिश्रित उपयोग तथा अधिसूचित सांस्कृतिक प्रीसिंकट्स में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति के माध्यम से इन सर्किटों पर सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित किया गया है। संबंधित एजेंसियाँ रेस्तराँ, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों, खेल सुविधाओं, खुदरा प्रतिष्ठानों आदि के संचालन समय में आवश्यक विस्तार की अनुमति दे सकेंगी।

iii. संबंधित एजेंसियाँ चिह्नित सर्किटों में आवश्यक आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु मिलकर कार्य करेंगी।

iv. संबंधित एजेंसियाँ कलाकारों, सांस्कृतिक समूहों, निवासी समूहों, युवा संगठनों, बाजार एवं विक्रेता संघों तथा साप्ताहिक बाजारों के आयोजकों के साथ मिलकर अस्थायी अथवा सांस्कृतिक उत्सव, विषय-आधारित नाइट वॉक, रात्रि बाजार आदि आयोजित कर सर्किटों को प्रोत्साहित कर सकेंगी।

(घ) सार्वजनिक स्थलों के उन्नयन हेतु नई वित्त व्यवस्थाओं जैसे कि विज्ञापन के माध्यम से संसाधन जुटाना, सार्वजनिक स्थलों को कम समय तक लीज पर देने, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी आदि, का पता एवं उपयोग संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

(ii) स्थानीय सार्वजनिक स्थलों का उन्नयन:

(क) **स्ट्रीट में सार्वजनिक जीवन:** स्ट्रीट नगर की भूमि का एक बड़ा भाग है तथा ये सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक स्थल हैं। इस क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए सड़कों को पुनः नागरिकों के लिए विकसित किया जाएगा।

i. सार्वभौमिक रूप से सुगम स्ट्रीट एवं सार्वजनिक स्थल, पर्याप्त सड़क अवसंरचना, शेडिंग व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से पैदल चलने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. पथ विक्रेताओं के लिए निर्धारित विक्रय क्षेत्र चिह्नित किए जाएंगे।

iii. अतिक्रमण, अवैध पार्किंग तथा अनधिकृत निर्माणों धार्मिक संरचनाओं सहित को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।

(ख) **प्लाज़ा**: प्लाज़ा ऐसे स्थल हैं जहाँ लोग पैदल चल सकते हैं, बैठ सकते हैं तथा सामूहिक रूप से एकत्रित हो सकते हैं। इनका आकार पास के चौक एवं नुक्कड़ से लेकर संस्थागत अग्रभागों, नगर के चौराहों तथा प्याजा तक भिन्न-भिन्न हो सकता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे स्थल किसी आपदा और/ अथवा आपातकाल की स्थिति में निकासी स्थल के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

i. प्लाज़ाओं का विकास हरित क्षेत्र, पुनःउत्थान क्षेत्रों तथा ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) क्षेत्रों में किया जा सकेगा।

ii. ट्रांजिट स्टेशनों की परियोजनाओं में भूतल, कॉन्कोर्स अथवा ऊपरी स्तर पर प्लाज़ाओं का प्रावधान किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक आवागमन सुगम हो तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भीड़ के लिए खुले क्षेत्र उपलब्ध हो सकें।

iii. यदि किसी प्लॉट का एक भाग प्लाज़ा के विकास हेतु प्रदान किया जाता है, तो उस भाग के एफएआर का शेष प्लॉट पर उपयोग किया जा सकेगा।

iv. सार्वजनिक प्लाज़ा जनता के लिए खुले रहेंगे।

(ग) गतिविधि आधारित कार्यक्रम: विविध गतिविधियां से जीवंत, सुरक्षित तथा "सड़क पर सतत मानवीय उपस्थिति" (आइज़ ऑन द स्ट्रीट) वाले सार्वजनिक स्थलों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा—

i. फ्लेक्सिबल मिश्रित उपयोग: अनुमत प्रावधानों के अनुसार प्लॉटों तथा भवनों के भीतर विभिन्न गतिविधियों के मिश्रण की अनुमति होगी।

ii. पुस्तकालय, खुदरा, डाकघर आदि सार्वजनिक उपयोग को यथासंभव भवनों के निचले तल पर सड़क से सीधे प्रवेश के साथ बनाया जाएगा।

iii. हरित क्षेत्र, टीओडी क्षेत्रों तथा पुनःउत्थान क्षेत्रों में आर्केड, स्तंभयुक्त गलियारे (कोलोनेड्स), दुकानों के अग्रभाग, पैदल प्रवेश/निकास, प्लाज़ा, पहुँच बिंदु आदि के रूप में सक्रिय फ्रंटेज बनाए रखे जाएंगे।

iv. बहु-उद्देशयीय उपयोगिता वाले क्षेत्र (एमयूजेड), भूमिगत पैदल मार्ग तथा प्लाज़ाओं में एकरूप एवं मानकीकृत आकार के ढलानदार छत वाले कियोस्क, अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्र, निर्धारित विक्रय क्षेत्र, सार्वजनिक कला प्रतिष्ठापन, प्रदर्शन स्थल, आउटडोर प्रदर्शनी स्थल, खेल तत्व, जल संरचनाएँ, स्ट्रीट फर्नीचर, चार्जिंग प्वाइंट, संकेतक तथा वाचन कोने आदि का प्रावधान किया जाएगा।

(घ) मनोरंजनात्मक स्थल: निर्धारित मानकों के अनुसार हरित क्षेत्र तथा पुनःउत्थान क्षेत्रों दोनों में उद्यान, हरित क्षेत्र एवं खुले स्थल प्रदान किए जाएंगे।

(iii) सार्वजनिक स्थलों के उन्नयन हेतु अन्य उपाय:

(क) सभी सार्वजनिक सभा स्थलों एवं सार्वजनिक भवनों के निकट आपदा अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग हेतु निकासी क्षेत्रों की पहचान संबंधित प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

(ख) सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कला प्रतिष्ठापनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक कला संबंधी दिशा निर्देश समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक नीति के अनुसार होंगे।

(ग) फ्लाई ओवरों के नीचे तथा सब-वे के आसपास स्थित अवशिष्ट स्थलों का व्यवहार्यता के अनुसार हरित विकास, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, उद्यानों तथा सार्वजनिक कला प्रतिष्ठापनों के माध्यम से पुनःउत्थान किया जाएगा, जिससे लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

(घ) संबंधित एजेंसियाँ स्थानीय हितधारकों एवं नागरिकों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थलों के सह-प्रबंधन तथा को-डिजाइन को प्रोत्साहित करेंगी। सार्वजनिक स्थलों की पहुँच-सुगमता, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था तथा विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार एवं विकास योजनाएँ तैयार की जा सकेंगी। ऐसे प्रस्ताव स्थानीय हितधारकों द्वारा तैयार किए जा सकते हैं तथा संबंधित स्थानीय निकायों से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के पश्चात उनका क्रियान्वयन किया जाएगा।

(iv) सार्वजनिक स्थलों पर अवैध गतिविधियों एवं अतिक्रमण के प्रति शून्य सहनशीलता (जीरो टोलरेंस):

(क) सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण, अनधिकृत कब्जा अथवा निजीकरण के प्रति पूर्णतः शून्य सहनशीलता (ज़ीरो-टोलरेंस) अपनाई जाएगी। वाहनों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण, दुकानों का अनधिकृत विस्तार, निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पथ विक्रय तथा कबाड़, कचरा आदि के व्यवसाय सहित किसी भी प्रकार की अन्य अनधिकृत गतिविधियों के विरुद्ध संबंधित एजेंसियों द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(ख) सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग के विरुद्ध संबंधित एजेंसियों द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

(v) हाई राइज डेवलेपमेंट के आसपास सार्वजनिक स्थल

(क) हाई राइज डेवलेप्मेंट वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों के विकास की कार्यनीति इस प्रकार होगी कि भवनों एवं सार्वजनिक परिवेश के मध्य सशक्त एवं सक्रिय संपर्क (इंटरफ़ेस) स्थापित हो।

(ख) भवनों के आसपास का क्षेत्र हाई डेन्सिटी डेवलेपमेंट को सहयोग प्रदान करने हेतु अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र के रूप में भी कार्य करेगा।

(ग) प्रमुख पारगमन (ट्रांजिट) स्टेशनों के आसपास पब्लिक प्लाज़ाओं का विकास अनिवार्य होगा।

(घ) पोडियम एवं टावर विकास मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सक्रिय संपर्क स्थापित हो सके तथा विभिन्न वर्टिकल उपयोग संभव हो।

(ङ) विजुअल ओपेननेस सुनिश्चित करने हेतु बहु-प्रवेश बिंदुओं वाले पारगम्य किनारों को विकसित किया जाएगा।

(च) दुकानों, कैफे, रिटेल आदि के माध्यम से सक्रिय फ्रंटेज एवं भूतल पर सक्रिय सार्वजनिक संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा।

(छ) छायायुक्त, अवरोध-मुक्त एवं पैदल चलने योग्य सार्वजनिक परिवेश का विकास किया जाएगा, जिसमें बैठने की व्यवस्था, विक्रय क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराई जाएगी।

3.4 आश्रय

निर्दिष्ट आवासीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई आवासीय कार्यनीतियों का उद्देश्य विभिन्न किफायती भागों, टाइपोलॉजी और स्वामित्व की आवश्यकताओं के अनुरूप आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही, सुरक्षा, रहने योग्य वातावरण तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ बेहतर निर्मित पर्यावरण को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। किफायती आवास को प्राथमिकता देते हुए आवासीय स्टॉक की उपलब्धता तथा विकसित आधारभूत सुविधाओं युक्त भूमि के विकास हेतु बहुआयामी कार्यनीति अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक एजेंसियों एवं सहकारी आवास समितियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

एमपीडी-2047 के अंतर्गत आवासीय कार्यनीति तीन प्रमुख दृष्टिकोणों पर आधारित हैः (i) किफायती आवास सहित नए हाउसिंग स्टॉक का निर्माण; (ii) मौजूदा आवासीय क्षेत्रों का पुनर्जीवन एवं उन्नयन; तथा (iii) किफायती रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहन।

नए आवासों की आपूर्ति को लैंड पूलिंग एरियाज, ट्रांजिट ऑरिएन्टिड डेवलपमेंट (टीओडी) क्षेत्रों, हाई डेन्सिटी कोरिडोर और लो डेन्सिटी एरिया (एलडीए) में नियोजित विकास के माध्यम से, निजी क्षेत्र की सहभागिता अन्य कार्यान्वयन तंत्रों की भागीदारी के साथ सुगम बनाया जाएगा। साथ ही, मौजूदा आवासीय क्षेत्रों का पुनर्जीवन एवं उन्नयन कर निर्मित पर्यावरण, अवसंरचना तथा सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके अंतर्गत नियोक्ता आवास, पुनर्वास कॉलोनियाँ, सहकारी समूह आवास समितियाँ तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवास भी सम्मिलित होंगे।

अनियोजित क्षेत्रों में आवासीय कार्यनीति समावेशी विकास पर आधारित होगी, जिसे विस्थापन को न्यूनतम रखते हुए आवासीय परिस्थितियों तथा आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। इस कार्यनीति के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) का पुनर्विकास, इन-सीटू उन्नयन, शहरी ग्रामों, विशेष विकास क्षेत्रों तथा वॉल्ड सिटी एवं उसके विस्तार क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा।

3.4.1 आवास की उपलब्धता

मौजूदा आवासीय स्टॉक के उन्नयन तथा नए आवासीय स्टॉक के निर्माण हेतु अनुमानित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा निम्नलिखित माध्यमों से की जाएगा:

(i) लैंड पूलिंग क्षेत्रों का विकास।

(ii) नियोजित एवं अनियोजित ब्राउनफील्ड क्षेत्रों का पुनःउत्थान।

(iii) लो-डेनसिटी एरिया का विकास।

(iv) अनुमेय आवासीय एफएआर में वृद्धि का उपयोग करते हुए पुनर्निर्माण /संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण।

(v) सकल आवासीय भूमि उपयोग के अंतर्गत स्थानीय स्तर की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

(vi) योजना अवधि के दौरान आवासीय विकास एवं पुनःउत्थान में निजी क्षेत्र (भू-/संपत्ति स्वामी, विकासकर्ता एवं अन्य हितधारक) की प्रमुख भूमिका होगी। सार्वजनिक एजेंसियाँ मुख्यतः सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएँगी।

(vii) आवासीय विकास के लिए समूह आवास को प्राथमिक आवासीय स्वरूप के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।

(viii) सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की परियोजनाओं में किफायती आवास को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा—

(क) 25 से 60 वर्गमीटर कार्पेट क्षेत्रफल वाले छोटे आकार के आवासीय इकाइयों के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे उपलब्ध सीमित भूमि का अधिकतम उपयोग करते हुए आवासीय आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

(ख) किफायती किराए के आवास (रेंटल हाऊसिंग) उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र को उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

(ग) छात्रावास, डॉरमिटरी, श्रमिक आवास आदि जैसे आवासीय स्वरूपों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों, श्रमिकों, कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं आदि को बेहतर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

(ix) अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) एवं अनधिकृत निर्माणों की आगे की वृद्धि को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियाँ एवं भू-स्वामी लैंड पूलिंग क्षेत्रों, लो-डेन्सिटी क्षेत्रों तथा नगर की अन्य खाली भूमि का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करेंगे। अनधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण हेतु स्थानीय निकाय निम्नलिखित हतोत्साही उपाय लागू कर सकते हैं— अत्यधिक संपत्ति कर, अधिक विद्युत शुल्क, अधिक जल शुल्क।

(x) सतत विकास तथा समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री, नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकी तथा आपदा-रोधी संरचनाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.4.2 ग्रीन फील्ड में आवास

(i) **लैंड पूलिंग क्षेत्र/ ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) में आवास:** लैंड पूलिंग क्षेत्रों तथा ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) क्षेत्रों में विकास से छोटे आकार के आवास सहित विभिन्न प्रकार के आवासीय स्वरूप विकसित करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। लैंड पूलिंग एवं टीओडी क्षेत्रों में लगभग 30 लाख आवासीय इकाइयों के विकास की क्षमता है।

(ii) **लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए) में आवास:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ स्थित पेरिफेरल ग्रामों की राजस्व सीमा की एक पेरिफेरल ग्राम की गहराई तक के क्षेत्र तथा पूर्ववर्ती मास्टर प्लान के अंतर्गत एलडीआरए में स्थित क्षेत्रों में आवासीय विकास लो-डेन्सिटी का ही रहेगा। इन क्षेत्रों में सीमित संख्या में आवासीय इकाइयों एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की अनुमति होगी।

3.4.3 मौजूदा नियोजित आवासीय क्षेत्रों का पुनःउत्थान

पुनःउत्थान के माध्यम से भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए नए आवासों का सृजन तथा मौजूदा आवासीय स्टॉक की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इससे वर्तमान क्षेत्रों को पर्याप्त नागरिक सुविधाओं एवं मनोरंजन स्थलों से युक्त, आत्मनिर्भर एवं रिजिल्यंट स्वरूप में रूपांतरित करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

(i) समूह आवास (डीडीए फ्लैट, सीजीएचएस, जीपीआरए आदि) नियोक्ता आवास का पुनःउत्थान किया जाएगा।

(ii) बंगला एरिया: लुटियंस बंगला क्षेत्र/ सिविल लाइंस बंगला क्षेत्रों में विकास, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी एलबीजेड दिशानिर्देशों तथा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जाएगा। सिविल लाइंस भी एक बँगला क्षेत्र है, जिसकी मूल स्वरूप को बनाए रखना आवश्यक होगा।

(iii) वॉल्ड सिटी, वॉल्ड सिटी विस्तार, करोल बाग आदि क्षेत्रों में पुनःउत्थान विशेष विकास क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) विनियमित अनधिकृत कॉलोनियों को संबंधित प्रावधानों के अनुसार पुनःउत्थान योजनाएँ लागू करने की अनुमति होगी।

(v) पुनर्वास कॉलोनियाँ पहुँच-सुगमता, अपर्याप्त आधारभूत सेवाओं तथा निम्न निर्माण गुणवत्ता जैसी समस्याएं हैं। इन कॉलोनियों का पुनःउत्थान योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

(vi) शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा अन्य संबंधित एजेंसियाँ निर्धारित मानकों के अनुसार दिल्ली में शहरी बेघरों हेतु आश्रय उपलब्ध कराएगी।

3.4.4 मौजूदा अनियोजित आवासीय क्षेत्रों का पुनःउत्थान

(i) **अनधिकृत कॉलोनियाँ (यूसी):** अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) का पुनःउत्थान संबंधित विनियम 4.6.2 के अनुसार किया जाएगा। इससे उचित सड़क नेटवर्क, खुले स्थानों, सुविधाओं और आपातकालीन वाहनों, अग्निशमन वाहनों आदि की निर्बाध पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी। अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)में बड़ी संख्या में निवासी किराए के आवासों में निवास कर रहे हैं; अतः पुनःउत्थान के माध्यम से किराए के आवासों की उपलब्धता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ii) **शहरी ग्राम (अधिसूचित लाल डोरा तथा अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों सहित):** शहरी ग्रामों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा क्षेत्र विकास योजना तैयार की जाएगी। अनेक शहरी ग्राम विरासत की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं; अतः ऐसे क्षेत्रों में योजना के प्रावधानों के अनुसार पुनःउत्थान एवं संरक्षण की समन्वित कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी।

(iii) **स्लम/झुग्गी-झोंपड़ी समूह (जेजे क्लस्टर):** जहाँ भी व्यवहार्य हो, केवल अधिसूचित झुग्गी-झोंपड़ी समूहों का इन-सीटू स्लम पुनर्वास अथवा अन्य क्षेत्रीय सुधार योजनाओं (निजी/सरकारी) के माध्यम से उन्नयन किया जाएगा। इन-सीटू पुनर्वास/उन्नयन अथवा नगर-स्तरीय स्लम सुधार कार्यनीतियों के अंतर्गत उपलब्ध खाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवासीय स्टॉक अथवा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों पर पुनर्स्थापन पर विचार किया जा सकेगा।

3.4.5 रेंटल हाउसिंग

योजना में ऐसे रेंटल हाउसिंग स्टॉक के विकास का प्रावधान किया गया है जो अधिभोग में फ्लेक्सिबलपन, भौगोलिक गतिशीलता तथा कम प्रवेश एवं निर्गमन लागत वाले किफायती आवास विकल्प उपलब्ध कराए। इससे विभिन्न आय वर्गों, विद्यार्थियों, एकल कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं तथा प्रवासी आबादी के लिए छात्रावास, स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट, डॉरमिटरी आदि के माध्यम से उपयुक्त आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवासों को नए किराया मॉडल के माध्यम से अल्पावधि किराये पर उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे प्रवासी एवं मौसमी श्रमिकों की आवासीय आवश्यकताओं को

पूरा किया जा सके। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से किफायती रेंटल हाउसिंग को निम्न प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा:

(i) किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) की अनुमति स्वतंत्र रूप में अथवा नई परियोजनाओं के भाग के रूप में दी जाएगी।

(ii) औद्योगिक प्लॉटों एवं औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों हेतु किफायती रेंटल हाउसिंग अथवा एआरएचसी विकसित करने की अनुमति होगी। ऐसे आवास डॉरमिटरी अथवा छोटे आकार के आवासीय इकाइयों के रूप में विकसित किए जा सकेंगे।

(iii) अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के पुनःउत्थान स्कीमों के अंतर्गत भी रेंटल हाउसिंग की अनुमति होगी।

(iv) सार्वजनिक आवास के निर्माण में संलग्न सभी संबंधित एजेंसियाँ, व्यवहार्यता के अनुसार, अपने कुल आवासीय स्टॉक का एक निर्धारित भाग निम्न आय वर्ग के लिए रेंटल हाउसिंग के रूप में विकसित करेंगी। इसके अतिरिक्त रेंट-टू-ओन जैसे वैकल्पिक मॉडल भी अपनाए जा सकेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य एजेंसियाँ अपने अनसोल्ड अथवा खाली सार्वजनिक आवासों को रेंटल मार्केट में उपलब्ध कराएँगी ताकि इन परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। ऐसे आवासीय इकाइयों/ब्लॉकों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी उद्यमों, सरकारी विभागों आदि को भी किराये पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित एजेंसियाँ सार्वजनिक भूमि पर, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक केंद्रों आदि जैसे गतिविधि केंद्रों के निकट, किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) विकसित कर सकेंगी, जिससे कार्यस्थलों के समीप किफायती रेंटल हाउसिंग की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

(vi) जीएनसीटीडी में सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के आवासों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिनमें से अनेक आवास खाली अथवा अनसोल्ड हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली के लगभग 11 प्रतिशत आवास (आवासीय तथा मिश्रित उपयोग वाले आवास सहित) खाली हैं। ऐसे उपलब्ध सार्वजनिक खाली आवासों को भी किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(vii) सार्वजनिक एजेंसियाँ अपने रेंटल हाउसिंग स्टॉक (जिसमें किफायती किराया आवास परिसर भी सम्मिलित हैं) के प्रबंधन हेतु रेंटल मैनेजमेंट प्रबंधन एजेंसियों की नियुक्ति कर सकेंगी।

सार्वजनिक एजेंसियाँ आवासीय एग्रीगेटर के साथ सहयोग कर उपलब्ध आवासों, उनके स्थान, किराया दरों आदि संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करा सकेंगी।

3.5 सामाजिक अवसंरचना

सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ, सुरक्षा एवं संरक्षा अवसंरचना, संचार, वितरण संबंधी सुविधाएँ तथा अन्य संबंधित कार्य सम्मिलित हैं। इनका वितरण नगर, उप-नगर, सामुदायिक तथा स्थानीय स्तर पर किया गया है। प्लान की कार्यनीतियाँ निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगी:

(i) सामाजिक अवसंरचना की उन्नत उपलब्धता एवं पहुँच।

(ii) नवीन उपयोगों/कार्यों की शुरूआत करने हेतु वर्धित सुगमता।

3.5.1 सामाजिक अवसंरचना हेतु प्रमुख कार्यनीतियाँ

शहर में सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता एवं पहुँच को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

(i) समान प्रकृति के उपयोग परिसरों की ग्रुपिंग: समान प्रकृति के उपयोगों/कार्यों को एक साझा उपयोग परिसर के अंतर्गत समूहित करने की कार्यनीति अपनाई गई है, जिससे आवश्यकता एवं मांग के अनुसार आबंटित प्लॉट पर परिभाषा का ध्यान किए बिना किसी भी अनुमन्य उपयोग का विकास किया जा सके। उदाहरणार्थ, मेटरनिटी होम, नर्सिंग होम/पॉलीक्लिनिक, औषधालय, परिवार कल्याण केंद्र, शिशु चिकित्सा केंद्र, जेरियाट्रिक केंद्र तथा डायग्नोस्टिक सेंटर को एक साझा उपयोग परिसर 'स्वास्थ्य केंद्र' के अंतर्गत समाहित किया गया है।

(ii) सामाजिक अवसंरचना हेतु उपलब्ध भूमि/स्थान का उचित उपयोग:

(क) अन्य संगत उपयोगों के साथ भवनों में वर्टिकल मिक्सिंग के माध्यम से सामाजिक सुविधाओं के विकास हेतु सुगमता प्रदान की गई है।

(ख) चिन्हित पीएसपी सुविधाओं की अनुमति आवासीय उपयोग के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के अनुसार रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट पर होगी।

(ग) इस योजना में निर्धारित न्यूनतम प्लॉट साइज केवल ले-आउट प्लान के प्रयोजन हेतु दिया गया है। संबंधित एजेंसियाँ, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के लागू मानदण्डों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप सामाजिक अवसंरचना सुविधाओं के विकास की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(iii) मौजूदा सुविधाओं का विस्तार:

(क) सुविधाओं के विस्तार हेतु मौजूदा पीएसपी तथा स्थानीय स्तर की सुविधा प्लाटों को विनियमों के अनुसार पुनःउत्थान की अनुमति होगी।

(ख) अनुपयोगी, अल्प-उपयोगित अथवा अप्रयुक्त पीएसपी प्लॉटों के उपयोग की अनुमति पीएसपी सुविधाओं अथवा उपयोगिताओं के अंतर्गत किसी भी अनुकूलित उपयोग के लिए की जाएगी।

(iv) समावेशी विकास:

(क) सभी नई सुविधाओं एवं सार्वजनिक सुविधाओं का डिजाइन /विकास इस प्रकार किया जाएगा कि वे बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन/विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ हों। जहाँ संभव हो, वहाँ मौजूदा सुविधाओं का भी इस उद्देश्य से पुनःसुधार किया जाएगा।

(ख) अनियोजित क्षेत्रों में भी पीएसपी सुविधाओं का विकास निम्नलिखित माध्यमों से किया जाएगा:

i. प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा जैसी अनिवार्य सामाजिक अवसंरचना हेतु प्लॉट क्षेत्रफल, सेटबैक आदि के लिए आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी।

ii. आवासीय पुनःउत्थान योजना में अनुमत एफएआर से अतिरिक्त प्रदत्त सुविधा एफएआर का उपयोग अनिवार्य रूप से पीएसपी सुविधाओं के विकास हेतु किया जाएगा।

3.5.2 सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाएँ

(i) **स्वास्थ्य सेवाएँ:** स्वास्थ्य सुविधाएँ सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं तथा इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। विशेष रूप से सघन आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए सुगम मानदंड निर्धारित किए गए हैं। हाल के अध्ययनों के अनुसार द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार की आवश्यकता है। चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिजम) में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उनसे संबंधित सहायक गतिविधियों के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

(क) स्वास्थ्य सुविधाएँ निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके लिए निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगी:

i. स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएँ स्टैंड-अलोन प्लॉटों पर अथवा योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुमत उपयोगों के रूप में विकसित की जा सकेंगी।

ii. इस योजना में नशा मुक्ति केंद्र, देखभाल केंद्र, नशा पुनर्वास केंद्र, ऑफ्टर केयर सेंटर, अर्ली इन्वेंशन सेंटर, स्वास्थ्य लाभ हेतु संक्रमणकालीन देखभाल गृह, अस्थायी राहत देखभाल केंद्र, दिव्यांगजन/विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सीय देखभाल सुविधाएँ आदि को 'स्वास्थ्य केंद्र' शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

iii. वैश्विक महामारी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया हेतु स्थानीय स्तर पर सैंपल कलेक्शन सेंटर तथा जाँच प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की अनुमति होगी। आपदाओं (वैश्विक महामारियों सहित) के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन हेतु उप-नगर स्तर पर आपदा प्रबंधन इकाई (डीएमयू) तथा नगर स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) का प्रावधान किया गया है। डीएमसी एवं डीएमयू में औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी प्रयोगशालाएँ, प्राथमिक उपचार सुविधाएँ, प्रभावित व्यक्तियों के लिए आश्रय, आइसोलेशन यूनिट्स आदि स्थापित की जा सकेंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में संबंधित प्राधिकरण/वैधानिक प्रावधानों द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ भी सम्मिलित होंगी।

iv. पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय एवं पशु चिकित्सा क्लीनिक आदि के रूप में पशु चिकित्सा सुविधाएँ निर्धारित मानदंड के अनुसार उपलब्ध कराई जाएँगी।

(ख) तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ तथा उनसे संबंधित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं एवं चिकित्सकीय अनुसंधान के अतिरिक्त महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ भी हैं। इनका विकास लागू मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) शिक्षा:

(क) दिल्ली में साक्षरता दर उच्च है तथा यहाँ सुदृढ़ शैक्षणिक अवसंरचना उपलब्ध है, जिसमें सरकारी एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा संस्थान, स्वतंत्र संस्थान, चिकित्सा संस्थान, नर्सिंग/ पैरामेडिकल संस्थान, व्यावसायिक संस्थान तथा कौशल केन्द्र आदि सम्मिलित हैं। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली एक प्रमुख क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित हुई है।

(ख) प्रमुख संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान; पूसा संस्थागत क्षेत्र स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान; कुतुब संस्थागत क्षेत्र तथा दिल्ली विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। इन संस्थानों ने दिल्ली को उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकीय नवाचार, स्वास्थ्य सेवाओं तथा लोक नीति के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में स्थापित किया है। ये संस्थान व्यापक स्तर पर रोजगार प्रदान करते हैं, भारत एवं विदेशों से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों तथा पेशेवरों को आकर्षित करते हैं, नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं तथा ज्ञान-आधारित उद्योगों को समर्थन प्रदान करते हैं। सामूहिक रूप से, ये संस्थागत केन्द्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं, मानव पूंजी को सशक्त करते हैं तथा शिक्षा, अनुसंधान, शासन एवं विशिष्ट लोक सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी केन्द्र के रूप में दिल्ली की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करते हैं।

(ग) शैक्षणिक सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगी:

i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालयों में सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों के लिए आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों हेतु एफएआर बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है।

ii. दिव्यांगजन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान एकल सुविधाओं के रूप में भी स्थापित किए जा सकेंगे। सभी नए एवं मौजूदा विद्यालयों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा।

iii. आवासीय विद्यालयों के विकास की अनुमति होगी।

(घ) मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों का उचित उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकेगा:

i. विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग-अलग मानदंड एवं मानक संबंधित सक्षम प्राधिकरणों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) आदि द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लागू होंगे।

ii. विद्यालय परिसर में विद्यालय समय के पश्चात् कोचिंग केन्द्रों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों के मामले में सक्षम प्राधिकारी की

पूर्व स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक होगा; तथा ख. पट्टे (लीज) पर ली गई भूमि पर निजी रूप से संचालित विद्यालयों के मामले में पट्टादाता (लेसर) को पूर्व सूचना देने तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के उपरान्त इसकी अनुमति होगी।

(ङ) संस्थागत केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण:

i. शहर की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा लोक सेवा संस्थानों के विकास एवं विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. वर्तमान संस्थागत क्षेत्रों के अतिरिक्त, नरेला में नए संस्थागत केंद्रों का प्रस्ताव किया गया है, जहाँ सार्वजनिक एवं निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों का विकास किया जाएगा।

(iii) **सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र**: दिल्ली बड़े पैमाने पर कन्वेंशन केंद्रों एवं प्रदर्शनी स्थलों की उपलब्धता के कारण बैठकें, प्रोत्साहन कार्यक्रम, सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों (एमआईसीई) के लिए भारत का एक प्रमुख गंतव्य है। हस्तशिल्पियों तथा पारंपरिक कला एवं कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बाजारों (हाट) का विकास किया गया है। दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को और सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(क) विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रों को वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, परिवारों आदि की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध करवाया जाएगा।

(ख) कौशल विकास केंद्र/ प्रशिक्षण केंद्र/ सामुदायिक सभा स्थल/ पुस्तकालय/ शिशु देखभाल केंद्र, आदि का प्रावधान निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। ऐसी सुविधाएँ किसी भी उपयुक्त प्लॉट पर (मनोरंजन एवं पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर, भूमि उपयोग की परवाह किए बिना) विकसित की जा सकेंगी।

(ग) कन्वेंशन सेंटरों, सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र आदि जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रों में इनके बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होटल, कार्यालय, दुकानें आदि सहायक उपयोगों की अनुमति होगी। दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से:

i. पुरातात्त्विक उद्यानों, ऐतिहासिक स्मारकों तथा जैव-विविधता उद्यानों के अंतर्गत व्याख्यान केंद्र/ आगंतुक केंद्र/ सूचना केंद्र तथा पुस्तकालय/वाचनालय जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रों की अनुमति होगी।

ii. संबंधित एजेंसियों से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के उपरांत विरासत भवनों को आर्टिस्ट स्टूडियो, कार्य प्रदर्शन स्थल, संग्रहालय, पुस्तकालय, संगीत केंद्र, शिल्प केंद्र आदि के रूप में अनुकूली पुनः उपयोग (अडेप्टिव री-यूज़) किया जा सकेगा।

iii. अधिसूचित कल्चरल प्रीसिंक्ट एवं धरोहर क्षेत्रों में सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मौजूदा भवनों के उपयोग की भी अनुमति होगी।

(iv) **सुरक्षा एवं संरक्षा अवसंरचना:** कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा आपातकालीन सेवाएँ उपलब्ध कराना दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित विभिन्न एजेंसियों की जिम्मेदारी है। स्थानीय, सामुदायिक, उप-नगर तथा नगर स्तर पर इन सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

(v) **डाक एवं दूरसंचार सुविधाएँ:** पिछले दो दशकों में डाक एवं दूरसंचार अवसंरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। संबंधित विभाग/एजेंसियाँ आबंटित भूमि के वर्तमान उपयोग का आकलन कर भूमि/निर्मित क्षेत्र के बेहतर उपयोग की संभावनाओं की जाँच करे, ताकि भू-स्वामी एजेंसी की स्वीकृति एवं नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप अन्य सार्वजनिक एवं पीएसपी सुविधाओं/मिश्रित उपयोगों का विकास किया जा सके।

(vi) वितरण संबंधी सुविधाएँ:

(क) दूध, फल, सब्ज़ी आदि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विक्रय हेतु किराना दुकानों जैसी सुविधाएँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएँगी। पीडीएस की सुविधाएँ/उचित मूल्य दर दुकानें आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थापित की जा सकेंगी।

(ख) एलपीजी गोदाम (बुकिंग कार्यालय सहित अथवा बिना बुकिंग कार्यालय के) की अनुमति केवल सामुदायिक स्तर पर तथा आवासीय एवं मनोरंजनात्मक भूमि उपयोग क्षेत्रों को छोड़कर सभी भूमि उपयोग जोनों में होगी।

(ग) एलडीओ/एसकेओ तथा कोयला डिपो की अनुमति नहीं होगी तथा इन्हें समाप्त किया जाएगा। पट्टे (लीज) के आधार पर आबंटित एलडीओ/एसकेओ आउटलेट तथा कोयला डिपो की भूमि का उपयोग आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने एवं परिवर्तन प्रभार के भुगतान के उपरांत भूमि उपयोग के अनुरूप अन्य अनुमत गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।

(घ) लाइसेंस के आधार पर आबंटित एलडीओ/एसकेओ आउटलेट एवं कोयला डिपो समाप्त कर दिए जाएँगे तथा ऐसी भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः वापिस ले ली जाएगी।

(vii) **शमशान/कब्रिस्तान/सेमेटरी सुविधाएँ:**

(क) अत्याधुनिक शवदाह गृह स्थापित किए जाएँगे तथा मौजूदा शवदाह गृहों का समयबद्ध रूप से बेहतर किया जाएगा। शवदाह हेतु पर्यावरण-अनुकूल लकड़ी का विकल्प, गैस आधारित तथा विद्युत शवदाह गृहों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ख) कब्रिस्तानों/सेमेटरी का विकास उपयुक्त पार्किंग एवं भूदृश्य प्रावधानों सहित किया जाएगा।

(ग) आवश्यकता के अनुसार पशुओं के लिए भी कब्रिस्तान/शवदाह सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

(viii) सार्वजनिक सुविधाएँ:

(क) सार्वजनिक सुविधाओं की अनुमति सभी भूमि उपयोग जोनों में होंगे तथा इन्हें सड़क अवसंरचना सुधार एवं क्षेत्रीय सुधार पहलों के अंतर्गत विकसित/उन्नत किया जाएगा। सार्वजनिक सुविधाओं का विकास इस प्रकार किया जाएगा कि पैदल यात्रियों एवं गैर-मोटर चालित परिवहन की आवाजाही बाधित न हो, जिसके लिए कम से कम 2 मीटर चौड़ा मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) सार्वजनिक सुविधाएँ बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन/विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएँगी तथा इनमें बाल देखभाल सुविधाओं का भी समावेश किया जाएगा। इनका विकास यूबीबीएल में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ix) **अन्य पीएसपी सुविधाएँ:** धार्मिक सुविधाएँ, वृद्धाश्रम, अनाथालय, कार्यशील महिलाओं/पुरुषों के छात्रावास, सुधारात्मक/पुनर्वास सुविधाएँ, बाल-सुधार गृह, प्रेक्षण केंद्र, बंदी गृह सुविधाएँ आदि का प्रावधान आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संगत पीएसपी उपयोगों के मिश्रण की अनुमति होगी।

(x) **खेल सुविधाएँ:** दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल परिसरों का एक सुदृढ़ नेटवर्क उपलब्ध है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम,

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज तथा त्यागराज खेल परिसर सम्मिलित हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के 23 खेल परिसरों एवं 3 गोल्फ कोर्सों के व्यापक नेटवर्क के समर्थन से दिल्ली खेल, मनोरंजन एवं अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरी है। इस सुदृढ़ आधार पर, एमपीडी-2047 सुलभ खेल अवसंरचना, खेल मैदानों, उद्यानों, सामुदायिक केन्द्रों, पुस्तकालयों, सह-कार्यस्थलों तथा सुरक्षित एवं पैदल यात्री-अनुकूल सार्वजनिक स्थलों से युक्त जन-अनुकूल नेबरहुड की परिकल्पना करता है, जिससे सक्रिय, स्वस्थ एवं समावेशी समुदायों को प्रोत्साहन मिल सके। पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर सभी उपयोग क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की अनुमति होगी।

3.6 परिवहन एवं गतिशीलता

3.6.1 परिवहन अवसंरचना एवं कनेक्टिविटीः

परिवहन संबंधी कार्यनीतियों का उद्देश्य आंतरिक गतिशीलता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है, जिनमें नव-शहरीकृत क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करना, यातायात भीड़भाड़ में कमी लाना, अल्प-उपयोगित परिवहन परिसंपत्तियों का पुनःउत्थान, पैदल आवागमन एवं साइकिल उपयोग को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित हैं। शहर में सुचारू सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्पेशियल इंटीग्रेशन (भूमि उपयोग एवं परिवहन का एकीकरण, बहु-माध्यमीय एकीकरण, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी आदि) तथा सिस्टम्स इंटीग्रेशन (बस मार्गों का युक्तिकरण, एकीकृत टिकट व्यवस्था सहित इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु कमांड एवं नियंत्रण केंद्र आदि) दोनों आवश्यक हैं।

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्तनकारी परिवर्तनों के लिए तैयारी करना तथा नगर में दक्ष एवं सतत् गतिशीलता समाधान लागू करना आवश्यक है। इसमें स्वच्छ ईंधनों का उपयोग, तकनीकी रूप से उन्नत परिवहन प्रणालियों को लागू करना तथा यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सम्मिलित है। योजना का उद्देश्य मोटर चालित यात्राओं में वाहनों के विभाजन में सार्वजनिक परिवहन तथा मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) की हिस्सेदारी बढ़ाना है।

निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगी—

(क) यात्री एवं फ्रेट परिवहन की दक्षता में सुधार।

(ख) परिवहन से संबंधित भूमि परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग।

(ग) कुल मोटर चालित यात्राओं के अनुपात में निजी परिवहन साधनों की हिस्सेदारी में कमी।

(घ) स्मार्ट एवं सतत् गतिशीलता समाधानों को अपनाना।

(ङ) परिवहन के नवीन साधनों की शुरुआत।

(च) यमुना नदी, साहिबी नदी (नजफगढ़ नाला), नहरों आदि के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का विकास।

(छ) एयर पॉड, एयर टैक्सी आदि जैसे वायु-आधारित परिवहन साधनों का विकास।

(i) रीजनल कनेक्टिविटी में सुधार:

(क) **वायु परिवहन:** दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई यात्री आवागमन का अधिकांश भाग इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा संचालित होता है। जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रारंभ होने के साथ इन दोनों हवाई अड्डों के मध्य सड़क, रेल तथा अन्य भावी परिवहन साधनों के माध्यम से सुचारू मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी की योजना बनाई जाएगी तथा उसका विकास किया जाएगा, ताकि यात्री एवं फ्रेट परिवहन की दक्षता सुनिश्चित हो तथा दिल्ली-एनसीआर एवं रीजनल कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो सके।

(ख) **रेल परिवहन**: दिल्ली देश के अन्य भागों से पाँच प्रमुख रेलवे स्टेशनों अर्थात नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हज़रत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल तथा सराय रोहिल्ला के माध्यम से जुड़ी हुई है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्रस्तावित पुनर्विकास से रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी, बस टर्मिनलों, मेट्रो रेल तथा आरआरटीएस स्टेशनों के मध्य मल्टी-मोडल ट्रांजिट इंटिग्रेशन एण्ड पैसेंजर ट्रांसफर को सक्षम बनाया जाएगा। बढ़ते रेल यातायात को ध्यान में रखते हुए नए रेलवे स्टेशनों की भी योजना बनाई जाएगी।

(ग) **हाई स्पीड रेल (एचएसआर):** प्रस्तावित हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कोरिडोर दिल्ली की अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करेंगे, यात्रा समय में कमी लाएँगे तथा प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगे। प्रस्तावित सात हाई स्पीड रेल कोरिडोर में से तीन दिल्ली को वाराणसी, अहमदाबाद तथा अमृतसर/चंडीगढ़ से जोड़ते हैं।

(घ) **रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (आरआरटीएस)**: एनसीआर-2032 के फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान के अंतर्गत दिल्ली को एनसीआर के विभिन्न नगरों से रेल-आधारित जन परिवहन प्रणाली द्वारा जोड़ने हेतु आठ आरआरटीएस कोरिडोरों का सुझाव दिया गया है। आरआरटीएस नगर के विभिन्न प्रवेश स्थानों पर भीड़भाड़ कम करने तथा आर्थिक गतिविधियों, आवास एवं अन्य सेवाओं के लिए दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों के मध्य संपर्क को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) ने निम्नलिखित नेटवर्कों के माध्यम से एनसीआर के नगरों को जोड़कर क्षेत्रीय गतिशीलता को सुदृढ़ किया है—

i. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ (संचालित – 80 कि.मी.)

ii. दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी–बावल–बहरोड़

iii. दिल्ली–पानीपत–करनाल

iv. दिल्ली–फरीदाबाद–बल्लभगढ़–पलवल

v. गाज़ियाबाद–हापुड़

vi. दिल्ली–बहादुरगढ़–रोहतक

vii. गाज़ियाबाद–खुर्जा

viii. दिल्ली–शाहदरा–बडौत।

(ङ) **मेट्रो रेल:** शहर के अंदर तथा विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हेतु दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। नए नेटवर्कों के लिए योजना निर्माण के चरण से ही मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा तथा मौजूदा स्टेशनों पर इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

(च) **अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी)**: आईएसबीटी नगर के महत्वपूर्ण रीजनल कनेक्टिविटी केंद्र हैं। आईएसबीटी के आसपास के क्षेत्रों की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि यातायात प्रबंधन में सुधार हो तथा नगर के अन्य परिवहन साधनों के साथ सुचारू एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। भविष्य में प्रस्तावित सभी आईएसबीटी को प्राथमिकता के आधार पर नगर के प्रवेश स्थानों के निकट स्थापित किए जाएंगे तथा उन्हें नगर के अन्य भागों से मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा जोड़ा जाएगा।

(ii) नीतिगत परिवहन लिंक: गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, जेवर हवाई अड्डा, झज्जर स्थित एम्स परिसर आदि जैसे वर्तमान एवं भावी क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संभाव्यता तथा अंतर्राज्यीय समन्वय के अधीन, संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित नीतिगत परिवहन लिंक विकसित किए जाएँगे। इन लिंकों का विकास यथासंभव जन परिवहन प्रणाली के रूप में किया जाएगा—

(क) नीतिगत लिंक-1: एनएच-1 से गाज़ियाबाद स्थित लोनी-बागपत एक्सप्रेसवे तक यूईआर-I का उत्तरी विस्तार ।

(ख) नीतिगत लिंक-2: एनएच-8 (द्वारका) से नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर हवाई अड्डे यूईआर -II का दक्षिणी विस्तार तक।

(ग) नीतिगत लिंक-3: द्वारका सेक्टर-21 से गुरुग्राम स्थित हूडा सिटी सेंटर तक।

(घ) नीतिगत संपर्क-4: द्वारका से एम्स, झज्जर तक।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, परिवहन संबंधी एजेंसियाँ सड़क स्वामित्व एजेंसियों के समन्वय से मौजूदा परिवहन अवसंरचना के विस्तार तथा भविष्य की परिवहन परियोजनाओं (लॉजिस्टिक्स सहित) के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक भूमि आरक्षित करने के प्रावधान सुनिश्चित करेंगी।

(iii) सड़क नेटवर्क:

(क) दिल्ली में लगभग 33,000 किलोमीटर का विस्तृत सड़क नेटवर्क है, जिसकी योजना रिंग-रेडियल स्वरूप में एक पदानुक्रमीय प्रणाली के आधार पर तैयार की गई है, ताकि क्षेत्रीय, अंतःनगरीय तथा स्थानीय यातायात की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से पूरा किया जा सके।

(ख) सड़कों का निम्नलिखित पदानुक्रम अपनाया जाएगा—

i. **राष्ट्रीय राजमार्ग (60 मीटर अथवा उससे अधिक आरओडब्ल्यू):** एनसीटी दिल्ली के अंदर स्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास दिल्ली सीमा तक नियंत्रित प्रवेश कोरिडोरों के रूप में किया जाएगा। इन कोरिडोरों का डिजाइन एवं विकास एनएचएआई द्वारा संबंधित एजेंसियों के समन्वय से किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो, 90 मीटर आरओडब्ल्यू रखा जाएगा। तथापि, शहर के अंदर यह किसी भी स्थिति में 60 मीटर से कम नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर सड़क परिदृश्य सुधार जैसे कि फुटपाथों, सर्विस रोड आदि के सौंदर्यीकरण कार्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किए जाएँगे, जबकि मुख्य कैरिजवे का अनुरक्षण एनएचएआई द्वारा किया जाएगा।

ii. **आर्टेरियल रोड (45 मीटर तथा उससे अधिक आरओडब्ल्यू):** आर्टेरियल रोड शहर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हुए लंबी दूरी की आवाजाही उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के हैवी ट्रैफिक वॉल्यूम वहन करते हैं। 45 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाले कुछ वर्तमान मार्ग, जो व्यवहार में आर्टेरियल रोड के रूप में कार्य कर रहे हैं, आवश्यक सुधारों के साथ इसी रूप में जारी रह सकते हैं ताकि आवागमन में वृद्धि हो सके। जहाँ संभव हो, सभी आर्टेरियल रोड के साथ पैदल यात्रियों तथा गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए पूर्णतः पृथक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

iii. **सब-आर्टेरियल रोड (30 मीटर से ≤45 मीटर आरओडब्ल्यू):** सब-आर्टेरियल रोड़ कार्यात्मक रूप से आर्टेरियल रोड के समान होते हैं। 30 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाले कुछ वर्तमान मार्ग, जो व्यवहार में सब-आर्टेरियल रोड़ के रूप में कार्य कर रहे हैं, आवश्यक सुधारों के साथ जारी रह सकते हैं ताकि आवागमन को बेहतर बनाया जा सके। जहाँ संभव हो, सब-आर्टेरियल मार्गों पर पैदल यात्रियों तथा/या साइकिल पथ के लिए पृथक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

iv. **कलेक्टर रोड (12 मीटर से <30 मीटर आरओडब्ल्यू):** कलेक्टर रोड विभिन्न समीपवर्ती क्षेत्रों को जोड़ते हैं तथा स्थानीय सड़कों को आर्टेरियल एवं सब-आर्टेरियल मार्गों से जोड़ते हैं। 12 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाले वर्तमान मार्ग, जो कलेक्टर रोड़ के रूप में कार्य कर रहे हैं, आवश्यक सुधारों के साथ जारी रह सकते हैं ताकि आवागमन में सुधार हो सके।

v. **लोकल स्ट्रीट (आरओडब्ल्यू<12 मीटर):** लोकल स्ट्रीट समीपवर्ति क्षेत्रों अथवा स्थानीय उपयोग के लिए होती हैं और इनका 12 मीटर आरओडब्ल्यू से कम होता है। ऐसी सड़कों को धीमी गति वाले मिश्रित यातायात के अनुरूप (वाहनों की गति नियंत्रित रखने हेतु यातायात-शमन उपायों के माध्यम से), गैर-मोटर चालित परिवहन को प्राथमिकता देने वाली सड़कों अथवा पूर्णतः पैदल मार्गों के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(ग) आर्टेरियल रोड तथा उनसे निम्न श्रेणी की सड़कों पर फुटपाथों, सर्विस रोड, मुख्य सड़क (मध्य विभाजक सहित) आदि का रखरखाव, सौंदर्यीकरण तथा सड़क-दृश्य सुधार, संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।

(घ) सभी नई सड़कों का विकास समय-समय पर सरकार द्वारा जारी मानकों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप पूरे क्रॉस-सेक्शन के साथ किया जाएगा। जहाँ संभव हो, वर्तमान सड़कों का भी उन्नयन अथवा पुनर्संरचना इन मानदण्डों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

(ङ) सभी नई आर्टेरियल सड़कों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए आरओडब्ल्यू के अंदर स्थान का प्रावधान किया जाएगा।

(च) वर्तमान तथा नई सड़कों के आरओडब्ल्यू में, जहाँ संभव हो, विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए यूटिलिटी डक्ट के प्रावधान हेतु स्थान सुनिश्चित किया जाएगा।

(छ) सड़क स्वामित्व एजेंसियाँ तथा यातायात पुलिस प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा की जाँच करेंगी ताकि विशेष रूप से पैदल यात्रियों, गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) तथा दोपहिया वाहनों के लिए सुरक्षित यात्रा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। जाँच में सुझाए गए सुधारात्मक उपायों को सड़क रखरखाव के अंतर्गत लागू किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जाँच प्रतिवेदन संबंधित एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ज) संबंधित एजेंसियाँ चिन्हित क्षेत्रों अथवा विशिष्ट मार्गों पर बीआरटीएस, ट्राम, डबल डेकर बसों आदि जैसे विकल्पों का परीक्षण कर सकती हैं। ऐसे क्षेत्रों अथवा मार्गों की पहचान कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) के अंतर्गत भी की जा सकती है।

iv. नगर-स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली:

(क) दिल्ली के लिए एक सतत तथा आवश्यकता-आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने हेतु नेटवर्क का एकीकरण प्रमुख कार्यनीति होगा।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क तथा बस प्रणाली शहर की प्राथमिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का आधार होंगी। आगामी रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) शहर के अंदर की यात्राओं को भी सहयोग प्रदान कर सकता है। जहाँ भी संभव हो, वर्तमान नेटवर्क को मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम तथा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे अन्य सार्वजनिक परिवहन माध्यमों के द्वारा और सुदृढ़ किया जाएगा।

(ग) गैर-मोटर चालित यात्राएँ (पैदल, साइकिल तथा साइकिल रिक्शा) कुल यात्राओं का 42 प्रतिशत हैं, जिनमें पैदल यात्राओं की हिस्सेदारी (35 प्रतिशत) साइकिल/साइकिल रिक्शा द्वारा की जाने वाली यात्राओं (7 प्रतिशत) की तुलना में कहीं अधिक है। सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो एवं बस) द्वारा की जाने वाली यात्राएँ कुल यात्राओं का 24 प्रतिशत हैं। गैर-मोटर चालित वाहनों (एनएमवी) तथा सार्वजनिक परिवहन द्वारा की जाने वाली यात्राएँ मिलकर कुल यात्राओं का 66 प्रतिशत हैं। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्राओं के लिए मोटर चालित परिवहन साधनों (सार्वजनिक परिवहन सहित) को प्राथमिकता दी जाती है। 5 किलोमीटर से कम दूरी की यात्राओं के लिए पैदल, साइकिल, साइकिल रिक्शा तथा ई-रिक्शा को मुख्य परिवहन साधन माना जाता है।

(घ) औसत यात्रा दूरी (पैदल यात्राओं को छोड़कर) वर्ष 2007 में 6 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2018 में 10.9 किलोमीटर हो गई है। इसका कारण क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास तथा सड़क एवं सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के माध्यम से पहुँच की अपेक्षाकृत बेहतर सुविधा है। मेट्रो की औसत यात्रा दूरी सर्वाधिक 16.7 किलोमीटर है, जो लंबी दूरी की दैनिक यात्राओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, जबकि दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन तथा बसें 8 से 14 किलोमीटर की मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

(ङ) दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक बस फ्लीट में वर्तमान में 6,593 बसें हैं, जिनमें 4,838 इलेक्ट्रिक बसें (वर्ष 2026) सम्मिलित हैं, तथा इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2047 तक दिल्ली एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की परिकल्पना करती है, जिसे आधुनिक तथा मुख्यतः इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का समर्थन प्राप्त होगा। यह प्रणाली व्यापक कवरेज,

विश्वसनीय उच्च-आवृत्ति सेवाएँ तथा मेट्रो, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस), रेल एवं अन्य परिवहन साधनों के साथ सुचारू एकीकरण के माध्यम से सभी के लिए सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक गतिशीलता सुनिश्चित करेगी।

(च) बस प्रणाली का उपयोग सड़क आधारित सार्वजनिक परिवहन उपलबध कराने, अपर्याप्त रूप से सेवित क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने और एमआरटीएस के लिए फीडर सेवा के रूप में किया जाएंगा।

i. मेट्रो रेल/आरआरटीएस स्टेशनों को जोड़ने और शहर के सभी भागों को बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए बस मार्गों की फ्रिकवेंसी को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा और इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।

ii. संबंधित एजेंसियां आवश्यकता के अनुसार विशेष फीडर बस सेवाओं (छोटी बसे, आरटीवी, मेट्रो रेल, आरआरटीएस फीडर तथा लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्पों) की योजना बनाएंगी और उनका संचालन करेंगी।

(छ) लैंड पूलिंग क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। न्यू बस रूट नेटवर्क, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस), हाई स्पीड बस रूट आदि की योजना बनाकर उन्हें लागू किया जाएगा। मेट्रो रेल प्रणालियों को विशिष्ट कोरिडोरों के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रस्तावित शहरी विस्तार मार्गों (यूईआर) को लैंड पूलिंग क्षेत्रों तथा शहर के अन्य भागों के मध्य संपर्क उपलब्ध कराने हेतु जन परिवहन कोरिडोरों के रूप में विकसित किया जाएगा।

(ज) सेवा स्तरों में सुधार (जैसे सूचना प्रणालियाँ, बस आश्रय स्थल जैसी संबद्ध अवसंरचना, बसों का परिचालन एवं रखरखाव, विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए सेवाओं का समावेशन, प्रीमियम मार्ग आदि) के लिए गुणवत्ता में सुधार हेतु पहल संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएँगी।

(झ) सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या को बेहतर पहुँच, लास्ट माइल कनेक्टिविटी संपर्क तथा सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

(ञ) सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हेतु संबंधित ट्रांजिट एजेंसियाँ निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकती हैं:

i ट्रांजिट स्टेशनों को सुगम एवं सुलभ बनाना तथा उनमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, अवसंरचना, डाइनिमिक पब्लिक डिस्प्ले एंड अनाउंसमेंट सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा।

ii. शहर के अंदर की यात्राओं के लिए किराया संरचना का निर्धारण आवश्यकता तथा सेवाओं की आवृत्ति के अनुसार किया जाएगा।

iii. हाई फुटफॉल वाले स्टेशनों को जोड़ने हेतु एक्सप्रेस मार्ग विकसित किए जाएंगे, ताकि स्टॉप्स की संख्या न्यूनतम रहे तथा यात्रा समय को कम किया जा सके।

iv. संभाव्यता के अनुसार, अधिसूचित/चिह्नित मार्गों एवं नेटवर्कों पर 24X7 इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(v) **भूमि उपयोग और परिवहन के बीच समन्वय:**

(क) भूमि उपयोग एवं परिवहन का एकीकरण सार्वजनिक परिवहन केंद्रों, जैसे मेट्रो रेल, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस), रेलवे स्टेशनों, मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब, बस टर्मिनलों इत्यादि के निकट सघनता का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए तथा मिश्रित उपयोग की अनुमति देकर बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि अधिकाधिक लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

(ख) भूमि उपयोग एवं परिवहन का एकीकरण निम्नलिखित माध्यमों से लागू किया जाएगा:

i. **ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट नीति:**

क. इसका उद्देश्य वर्तमान एवं प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना तथा उससे जुड़े बड़े उपयोगकर्ता आधार का लाभ उठाते हुए सतत गतिशीलता को बढ़ावा देना तथा कॉम्पैक्ट मिक्स्ड-यूज विकास के माध्यम से भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है।

ख. मौजूदा तथा प्रस्तावित/अनुमोदित मेट्रो कॉरिडोर/मार्गों की सेंट्रल लाइन के दोनों ओर 500 मीटर चौड़े कॉरिडोर तथा आरआरटीएस/रेलवे स्टेशनों/एचएसआर आदि के 500 मीटर रेडियस वाले नोड में स्थित टीओडी क्षेत्रों में उच्च सघनता वाले, मिश्रित भूमि उपयोग आधारित विकास तथा उच्च एफएआर का प्रावधान परिकल्पित किया गया है।

ग. सभी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) क्षेत्रों का विकास सतत, पैदल यात्री अनुकूल तथा जीवंत क्षेत्रों के रूप में किया जाएगा, जिनमें टीओडी क्षेत्रों के अंदर मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

ii. हाई डेन्सिटी कॉरिडोर जोन:

1. इस नीति का उद्देश्य शहरी विस्तार मार्ग–II (यूईआर–II) के निर्मित खंड के साथ सघन, मिश्रित उपयोग तथा उच्च सघनता वाले विकास को प्रोत्साहित कर भूमि उपयोग को अधिकतम करना है।
2. इसका उद्देश्य सुचारू संपर्क सुनिश्चित करना, यात्रा की आवश्यकता को कम करना तथा सड़क एवं सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही शहरी विस्तार मार्ग–II (यूईआर–II) के निर्मित खंड के साथ सतत, पैदल-अनुकूल शहरी विकास को प्रोत्साहित करना है।
3. यह नीति मास्टर प्लान में परिकल्पित शहरी विस्तार मार्गों के भावी खंडों पर भी, उनके निर्मित होने के पश्चात, लागू होगी।

(vi) **इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम:**

(क). **मल्टी-मोडल इंटिग्रेशन (एमएमआई):**

i. रेल-आधारित परिवहन स्टेशनों (मेट्रो रेल, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस), रेलवे स्टेशन, रिंग रेल तथा बस टर्मिनलों पर विभिन्न परिवहन साधनों के बीच सुचारू एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

ii. ट्रांजिट स्टेशनों एवं परिवहन केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में पैदल यात्रियों के लिए प्लाज़ा, वेंडिंग क्षेत्र, बस स्टॉप, सार्वजनिक सुविधाएँ, पैदल एवं साइकिल अवसंरचना, मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन स्टैंड तथा सार्वजनिक पार्किंग स्थलों सहित बहु-माध्यम एकीकरण योजनाएँ संबंधित परिवहन एवं सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा तैयार एवं लागू की जाएँगी। इनका अनुमोदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि सभी परिवहन साधनों के बीच सुरक्षित, बाधारहित, पैदल-अनुकूल पहुँच और सुगम आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके। डीडीए द्वारा 86 एमएमआई योजनाएँ तैयार की गई है, जिनको डीएमआरसी तथा सड़क स्वामित्व अभिकरणों द्वारा लागू किया गया है।

iii. लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुविधा को सुदृढ़ करने तथा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए बहु-माध्यम एकीकरण की समेकित योजना बनाई जाएगी। इसमें पैदल यात्रियों,

वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों तथा दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। पैदल अवसंरचना को समावेशी नागरिक सार्वजनिक स्थलों के रूप में जलवायु-संवेदी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उन्मुख डिजाइन के आधार पर विकसित किया जाएगा।

iv. संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसियाँ संभाव्यता के अनुसार बहु-माध्यम एकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराएँगी। सभी नए परिवहन स्टेशनों एवं बहु-माध्यम परिवहन केंद्रों के डिजाइन के अभिन्न भाग के रूप में इन एमएमआई की योजना बनाई जाएंगी एवं लागू किया जाएगा।

v. मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब **(एमएमटीएच):** दिल्ली में अनेक ऐसे अधिक यात्री-आवागमन वाले परिवहन केंद्र हैं जहाँ रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, आरआरटीएस तथा मेट्रो रेल जैसे अनेक परिवहन साधन एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। इन्हें एमएमटीएच के रूप में विकसित किया जाएगा तथा सभी संबंधित परिवहन एजेंसियाँ संयुक्त रूप से इनके लिए समग्र योजना निम्नानुसार तैयार करेंगी।

क. संबंधित परिवहन एजेंसियाँ इन परियोजनाओं की समन्वित योजना बनाएंगी एवं उन्हें लागू करेंगी। आवश्यकतानुसार वे अपनी भूमि का एकीकरण कर एक ही भवन या परिसर में विभिन्न परिवहन साधनों को समाहित कर सकती हैं।

ख. यदि प्लॉट रेलवे लाइन, सड़क आदि जैसी भौतिक बाधाओं से अलग-अलग हों, तो आवश्यक सांविधिक स्वीकृति के अनुसार स्काईवॉक, भूमिगत मार्ग आदि के माध्यम से भवनों का एकीकरण किया जा सकेगा।

ग. एमएमटीएच परियोजनाओं में मल्टीलेवल इंटरचेंज सुविधाओं एवं सक्रिय सार्वजनिक स्थलों, जैसे रिटेल पोडियम, के माध्यम से लोगों के लिए विभिन्न परिवहन साधनों के बीच परिवर्तन को सरल बनाया जाएगा। आवश्यक स्वीकृतियों के अधीन स्काईवॉक, भूमिगत मार्ग तथा पैदल पुलों द्वारा अलग-अलग परिसरों को जोड़ने की अनुमति भी दी जा सकेगी। इन हबों में सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक स्थलों को सम्मिलित कर सुरक्षा, सामाजिक सहभागिता तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

घ. परिवहन एजेंसियाँ डेटा एकीकरण, बेहतर कार्यान्वयन तथा विभिन्न परिवहन साधनों के बीच सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम

(आईटीएस) तथा एआई आधारित यात्री एवं यातायात प्रबंधन प्रणालियों जैसे एकीकृत गतिशीलता समाधान लागू करेंगी।

ड. आनंद विहार–कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट तथा निजामुद्दीन–सराय काले खाँ को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ रेल, मेट्रो, बस, पैरा-परिवहन तथा गैर-मोटर चालित परिवहन का एकीकरण कर अंतिम चरण की संपर्क सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा।

च. दिल्ली के अंदर प्रस्तावित एचएसआर, आरआरटीएस तथा मेट्रो रेल स्टेशनों की योजना एमएमटीएच के रूप में बनाई जाएगी ताकि यात्रियों को सुचारू रूप से इंटरचेंज सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

छ. किसी भी एमएमटीएच के 500 मीटर रेडियस के दायरे में स्थित टीओडी परियोजना को तभी अनुमोदन दिया जाएगा जब वह समग्र योजना के साथ एकीकृत हो।

(vii). निजी परिवहन के उपयोग को हतोत्साहित करना:

(क) **भीड़-भाड़ शुल्क निर्धारण (कन्जेशन प्राइसिंग)**: सड़क स्वामित्व एजेंसियाँ एवं परिवहन विभाग, यातायात पुलिस के परामर्श से, शहर के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें भीड़-भाड़ शुल्क क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इनमें ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट नोड, वाल्ड सिटी हेरिटेज जोन तथा मैट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर (एमसीसी) के आसपास के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इसे लागू करने के लिए आरएफआईडी टैगिंग इत्यादि जैसी प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) **पार्किंग डिमांड मैनजमेंट :** कार्यस्थलों, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक केंद्रों, बाजारों आदि में सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता सीमित की जाएगी ताकि निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके। पार्किंग को मांग प्रबंधन के प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ (सख्त प्रवर्तन सहित) अपनाई जाएँगी:

i. जहाँ सार्वजनिक परिवहन की उच्च उपलब्धता है, वहाँ सड़क सार्वजनिक पार्किंग (ऑन स्ट्रीट एण्ड ऑफ स्ट्रीट) को प्रतिबंध किया जाएगा।

ii. स्थान एवं समय के आधार पर डायनेमिक पार्किंग शुल्क लागू किया जाएगा ताकि निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके।

(viii) **फ्रेट एवं लॉजिस्टिक्स:**

(क) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य लागत-कुशल, प्रौद्योगिकी-सक्षम तथा माल का अंतिम छोर तक त्वरित वितरण सुनिश्चित करना तथा परिवहन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है। यह नीति लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, लॉजिस्टिक्स सेवाओं के डिजिटलीकरण तथा मल्टी-मॉडल परिवहन के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। लॉजिस्टिक्स में संसाधनों की योजना, समन्वय, वेयरहाउसिंग तथा उनके स्रोत से अंतिम गंतव्य तक परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित है। लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्यनीतियों को कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) के अंतर्गत तैयार किया जाएगा।

(ख) माल परिवहन यातायात के संदर्भ में यह अनुमानित है कि प्रतिदिन लगभग 1.69 लाख मालवाहक वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं तथा दिल्ली से बाहर जाते हैं। अंतःनगरीय माल परिवहन की मांग को पूरा करने वाले मालवाहक वाहनों का विभाजन निम्नानुसार है— मालवाहक वैन (6.6 प्रतिशत), मालवाहक ऑटो (32.1 प्रतिशत), हल्के व्यावसायिक वाहन (23.8 प्रतिशत), टू-एक्सेल ट्रक (11 प्रतिशत), मल्टी एक्सेल ट्रक (7.9 प्रतिशत), हैंड कार्ट (12.4 प्रतिशत), एनिमल कार्ट (0.6 प्रतिशत), साइकिल रिक्शा (2.6 प्रतिशत) तथा ई-रिक्शा (3.0 प्रतिशत)।

(ग) दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कार्यरत कारखानों की संख्या वर्ष 2011 में 8,219 से बढ़कर वर्ष 2024 में 8,869 हो गई है। इन कारखानों में नियोजित श्रमिकों की अनुमानित संख्या वर्ष 2011 में 3,78,361 से बढ़कर वर्ष 2024 में 4,14,201 हो गई है।

(घ) वर्तमान में दिल्ली में फल एवं सब्जियों की 7 प्रमुख मंडियाँ (आज़ादपुर, केशोपुर, ओखला, आईएफसी गाज़ीपुर, नरेला, शाहदरा तथा नजफगढ़) स्थित हैं, जो विभिन्न खुदरा बाजारों को कृषि उपज का वितरण करती हैं। इनमें से चार मंडियाँ (आज़ादपुर, केशोपुर, ओखला तथा आईएफसी गाज़ीपुर) प्रतिदिन लगभग 21,123 टन फल एवं सब्जियों की कृषि उपज का प्रबंधन करती हैं।

(ङ) वर्तमान में गाज़ीपुर एवं नरेला में दो क्रियाशील इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी) तथा संजय गांधी नगर, आज़ादपुर एवं पंजाबी बाग में तीन ट्रांसपोर्ट नगर स्थित हैं।

(च) माल परिवहन दिल्ली के यातायात का एक प्रमुख भाग है तथा इसका विस्तृत अध्ययन सीएमपी के अंतर्गत किया जाएगा। ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से दिल्ली के भीतर से होकर गुजरने वाले फ्रेट ट्रैफिक में कमी आने की अपेक्षा है। दादरी से मुंबई, अमृतसर से कोलकाता तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) तथा अन्य ऐसे मालवाहक कोरिडोरों से संपर्क स्थापित किया जाएगा तथा उनका नियोजन एवं विकास किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नए ड्राई पोर्ट विकसित किए जाएंगे। डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास तथा ई-कॉमर्स के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर माल वितरण हेतु माल परिवहन में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप नगर में लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग की मांग भी बढ़ेगी।

(छ) दिल्ली के लिए सीएमपी में माल परिवहन, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउस हबों की कनेक्टिविटी में सुधार तथा सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने हेतु विस्तृत कार्यनीतियाँ प्रदान की जाएँगी।

(ज) भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित एजेंसियों द्वारा वर्तमान ट्रांसपोर्ट नगरों, थोक बाजारों तथा सभी प्रकार की मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

(झ) नगर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए तुगलकाबाद स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) को एनसीआर के किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने की संभावना को प्राथमिकता के आधार पर तलाशा जाएगा।

(ञ) ई-कॉमर्स के सुव्यवस्थित विकास को सुगम बनाने तथा माल वितरण की दक्षता में सुधार हेतु वेयरहाउसिंग, वितरण केंद्र आदि जैसी गतिविधियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इसके लिए लघु वेयरहाउसिंग योजनाओं को अनुमति दी जाएगी तथा उपयोग परिवर्तन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में नए वेयरहाउसों के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ix) **प्रौद्योगिकी-आधारित उपाय:**

(क) परिवहन एजेंसियाँ विभिन्न परिवहन साधनों एवं प्रणालियों की दक्षता तथा समन्वय बढ़ाने के लिए इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगी। बेहतर समाधान एवं पूर्वानुमान आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से यातायात का पूर्वानुमान, सार्वजनिक परिवहन बेड़े का गतिशील एवं दक्ष संचालन, विभिन्न परिवहन साधनों का समन्वय तथा यात्रियों को वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) विभिन्न परिवहन साधनों का ऐप आधारित एकीकरण प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उपलब्ध मार्ग विकल्पों, परिवहन साधनों, किरायों, सर्विस आवृत्ति तथा अनुमानित यात्रा समय जैसी रियल टाइम जानकारी प्राप्त हो सके।

(ग) सार्वजनिक परिवहन साधनों के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली अथवा स्मार्ट गतिशीलता कार्ड को निर्धारित समय-सीमा में लागू किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन तथा मांग-आधारित टैक्सी सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

(घ) परिवहन एजेंसियों द्वारा एक समान किराया प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा सकती है।

(x) **स्वच्छ ईंधन एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:** वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए बिजली, हाइड्रोजन आदि स्वच्छ ईंधनों तथा उनसे संबंधित अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा। विद्युत गतिशीलता तेजी से विकसित हो रही है और यह परिकल्पना की गई है कि नीतिगत प्रोत्साहनों, प्रोत्साहन योजनाओं तथा आवश्यक अवसंरचना के माध्यम से विद्युत चालित वाहनों का उपयोग जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों की तुलना में अधिक होगा। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार की विद्युत वाहन नीति भी सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तन को सुगम बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगीः-

क. पूरे शहर में सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी।

ख. वर्तमान एवं नए ईंधन स्टेशनों पर विद्युत चार्जिंग अथवा अन्य स्वच्छ ईंधन संबंधी अवसंरचना हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

ग. स्थानीय निकाय पृथक/समर्पित बैटरी रिसाइकलिंग सेंटरों की स्थापना करने में सहायता करेंगे।

घ. पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी बैटरी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम हेतु संबंधित एजेंसियों द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किए जाएँगे।

ङ. चार्जिंग स्टेशन सड़क के आरओडब्ल्यू के अंदर स्थापित नहीं किए जाएँगे, बल्कि उन्हें निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा।

(xi) संस्थागत फ्रेमवर्क:

क. यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फॉर दिल्ली (यूएमटीए) की स्थापना: समेकित परिवहन प्रणाली की योजना, विकास, नीतियों के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन के लिए एक एकल

प्राधिकरण की स्थापना समय की आवश्यकता है। इससे अनावश्यक व्यय, कार्यों की पुनरावृत्ति, आपसी ओवरलैप तथा परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। इसलिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर यूएमटीए की स्थापना की जाएगी।

ख. इसके अतिरिक्त, यूएमटीए-दिल्ली आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 2014 की व्यापक गतिशीलता योजना मार्गदर्शिका के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए व्यापक गतिशीलता योजना का निर्माण, निगरानी एवं क्रियान्वयन करेगा। इस मार्गदर्शिका के अनुसार व्यापक गतिशीलता योजना शहर में शहरी परिवहन के भावी विकास की दिशा निर्धारित करने वाला विजन स्टेटमेंट होगा तथा इसमें एकीकृत नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत शहरी परिवहन के सभी घटकों को सम्मिलित किया जाएगा।

ग. कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) फॉर दिल्ली- इसमें निम्नलिखित प्रमुख विषयों को सम्मिलित किया जाएगा, यद्यपि यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होगी—

i. एकीकृत भूमि उपयोग एवं परिवहन नियोजन को बढ़ावा देते हुए वाहनों की अपेक्षा लोगों एवं माल की गतिशीलता को अधिकतम करने की कार्यनीति।

ii. एकीकृत सार्वजनिक परिवहन, जिसमें जन परिवहन प्रणालियाँ, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा पैदल यात्रियों की सुविधाएँ शामिल हैं, को प्रमुख परिवहन साधनों के रूप में सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करना।

iii. समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, शहरी गरीबों तथा दिव्यांगजनों सहित वंचित समूहों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना।

iv. सभी उपयोगकर्ताओं, विशेषकर गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) उपयोगकर्ताओं एवं पैदल यात्रियों के लिए सभी परिवहन साधनों में सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना।

v. शहर में लो-कार्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देना तथा प्रदूषण कम करने हेतु निम्न अथवा शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों (जेडईवी) को अपनाना।

vi. क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ उपयुक्त, सतत एवं लागत-प्रभावी क्रियान्वयन कार्यक्रम तैयार करना।

vii. उच्च निष्पादन क्षमता, डेटा-ड्रिवेन तथा सुसमन्वित शहरी गतिशीलता प्रणाली विकसित करना, जिससे संसाधनों एवं अवसंरचना का एकीकरण तथा अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

viii. परिवहन साधनों की हिस्सेदारी के लक्ष्यों के अनुरूप चरणबद्ध निवेश कार्यक्रम एवं नीतिगत प्रस्ताव तैयार किए जाएँगे, ताकि संसाधनों के आवंटन तथा गतिशीलता के उद्देश्यों के बीच स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध सुनिश्चित किया जा सके।

3.6.2 सक्रिय यात्रा (एक्टिव ट्रैवल)

दिल्ली में सक्रिय यात्रा की अपार संभावनाओं का उपयोग करते हुए पैदल चलने तथा साइकिल चलाने को किफायती, सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों को लाभ प्राप्त होगा। विभिन्न परिवहन साधनों के अनुसार औसत यात्रा दूरी के आंकड़े दर्शाते हैं कि पैदल यात्राओं की औसत दूरी लगभग 1.6 किलोमीटर है, जबकि साइकिल द्वारा की जाने वाली यात्राओं की औसत दूरी लगभग 3.6 किलोमीटर है।

i. **सक्रिय यात्रा हेतु सड़क डिजाइन**

क. सड़कों का अभिकल्प इस प्रकार किया जाएगा कि सड़क क्षेत्र का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो तथा पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए बाधारहित आवाजाही को प्राथमिकता दी जाए। वर्तमान सड़कों का चरणबद्ध रूप से पुनरुद्धार किया जाएगा ताकि वे पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक उपयोगी बन सकें।

ख. नई सड़क अवसंरचना के डिजाइन तथा वर्तमान सड़कों के सुधार में निम्नलिखित प्रमुख घटकों को सम्मिलित किया जाएगा—

i. बाधारहित एवं सतत गैर-मोटर चालित परिवहन नेटवर्क अवसंरचना, जैसे फुटपाथ, साइकिल ट्रैक आदि।

ii. पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों तथा मोटर चालित वाहनों के बीच टकराव को न्यूनतम कर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय—

क. जहाँ संभव हो, समतल स्तर पर पैदल एवं साइकिल पारपथ, व्यस्त चौराहों पर पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक सिग्नल तथा विद्यालयों, बाजारों आदि के निकट पेलिकन क्रॉसिंग उपलब्ध कराए जाएँगे।

ख. आवश्यकता होने पर भूमिगत मार्ग अथवा पैदल ऊपरी पुल विकसित किए जाएँगे, जिनमें व्यावसायिक गतिविधियों एवं सार्वजनिक कला जैसी सुविधाएँ भी सम्मिलित की जा सकेंगी।

ग. वाहन गति को नियंत्रित करने के उपाय सड़क मार्गों में सम्मिलित किए जाएँगे।

iii. मल्टी-यूटिलिटी जोन (एमयूजेड) का विकास किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगेः (1) सड़क फर्नीचर, जैसे बैठने की व्यवस्था, कूड़ेदान, संकेतक, सार्वजनिक शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष तथा पेयजल आदि; (2) निर्धारित अंतराल पर रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं एवं कियोस्क के लिए स्थान; (3) गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर आदि जैसी सेवा लाइनें; (4) पार्किंग तथा सार्वजनिक साइकिल साझा प्रणाली की व्यवस्था शामिल होगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त एवं निर्बाध पैदल मार्ग उपलब्ध रहे।

iv. परिवहन स्टेशनों पर साइकिल पार्किंग, सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, टैक्सियों तथा मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन के लिए यात्रियों के चढ़ने-उतरने हेतु निर्धारित स्थान उपलब्ध कराए जाएँगे।

v. दिन के समय देशज एवं प्रदूषण अवशोषित करने वाले वृक्षों के रोपण द्वारा छायादार वातावरण तथा रात्रि में पैदल यात्रियों के अनुकूल प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

ग. सड़क सुधार कार्य पैदल एवं साइकिल अवसंरचना से संबंधित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जाएँगे।

ii. **एक्टिव ट्रैवल एरिया (एटीए) एंड एक्टिव ट्रैवल नेटवर्क सक्रिय यात्रा नेटवर्क:**

क. जिन क्षेत्रों में पैदल यात्रियों की आवाजाही अधिक है, जैसे सघन व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र, सांस्कृतिक परिसर, 24x7 इकॉनमी के लिए चिन्हित सड़कें एवं क्षेत्र आदि, उन्हें संबंधित एजेंसियों द्वारा एटीए के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

ख. दिल्ली में पैदल चलने की सुगमता को बढ़ाने हेतु विनियम, 2019 अधिसूचित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत प्रारंभिक चरण में पैदल संचलन योजनाओं की तैयारी के लिए 24 प्राथमिकता क्षेत्रों की

पहचान की गई है। दिल्ली में सुरक्षित, छायायुक्त, सर्वजन रूप से सुलभ तथा निर्बाध पैदल मार्गों के नगरव्यापी नेटवर्क का विकास कर, जिन्हें सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रों के साथ एकीकृत किया जाएगा, "पैदल चलने के अधिकार" को प्रोत्साहित किया जाएगा।

i. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 14 वॉक-प्लान तैयार किए गए हैं तथा उन्हें सड़क स्वामित्व एजेसिंयों द्वारा लागू किया जा रहा है। अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं को यातायात प्रबंधन, एमएमआई योजनाओं आदि से संबंधित योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा।

ii. अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए वॉक-प्लान संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की जाएँगी।

iii. संबंधित एजेंसियाँ अधिक पैदल आवागमन वाले विशिष्ट क्षेत्रों को 'केवल पैदल यात्रियों' अथवा 'केवल गैर-मोटर चालित परिवहन' के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित करेंगी। चरणबद्ध शहरी हस्तक्षेपों के माध्यम से इन सड़कों को पूर्णतः पैदल-अनुकूल क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है।

iv. लैंड पूलिंग क्षेत्रों, ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट क्षेत्रों तथा पुनःउत्थान योजनाओं के अंतर्गत आने वाली सभी नई विकास परियोजनाओं को सक्रिय यात्रा क्षेत्र माना जाएगा।

ग. सांस्कृतिक केंद्रों तथा अन्य सक्रिय यात्रा कोरिडोरों को जोड़ने वाले सतत सक्रिय यात्रा नेटवर्क निम्नलिखित के साथ विकसित किए जाएँगे—

i. जहाँ संभव हो, 30 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली सड़कें।

ii. साइकिल राजमार्ग के रूप में चिन्हित एवं विकसित गलियारे।

iii. प्राकृतिक नालों एवं यमुना नदी के किनारे विकसित हरित मार्ग।

(iii.) सक्रिय यात्रा को बढ़ावा देने हेतु अन्य कार्यनीतियाँ प्रौद्योगिकी का उपयोग सक्रिय यात्रा को प्रभावी बनाने तथा पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों के अनुभव एवं सुरक्षा में सुधार हेतु किया जाएगा।

(क.) संबंधित एजेंसियाँ ऐसे स्मार्ट अनुप्रयोग विकसित करेंगी जिनके माध्यम से पैदल एवं साइकिल मार्गों, हरित मार्गों, हेरिटेज ट्रेल, सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक साइकिल साझा प्रणाली की रियल टाइम

उपलब्धता, लोकप्रिय स्थलों एवं भोजनालयों, आगामी भ्रमणों, मैराथन तथा सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी उपलब्ध हो सके।

(ख.) वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु यातायात संकेतों पर स्मार्ट वायु गुणवत्ता सेंसर स्थापित किए जा सकते हैं।

(ग.) पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, यातायात नियमों के पालन की निगरानी तथा सड़क फर्नीचर की क्षति अथवा तोड़फोड़ रोकने के लिए निगरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

(घ.) फुटपाथों एवं गैर-मोटर चालित परिवहन मार्गों से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग तथा अनधिकृत संरचनाओं (धार्मिक संरचनाओं सहित) को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।

3.6.3 पार्किंग प्रबंधन

प्लान की पार्किंग संबंधी कार्यनीतियाँ निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेंगी—

क. रेशनलाइज पार्किंग नार्म्स ।

ख. मांग प्रबंधन के माध्यम से वर्तमान पार्किंग सुविधाओं का उचित उपयोग।

i. सक्रिय यात्रा को बढ़ावा देने हेतु अन्य कार्यनीतियाँ

क. किसी क्षेत्र/स्थानीयता में पार्किंग की उपलब्धता और प्रबंधन हेतु दिल्ली में पार्किंग स्थलों के रखरखाव एवं प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार एक कॉम्प्रिहेन्सिव एरिया बेस्ड प्लान तैयार किया जाएगा।

ख. स्थानीय निकाय उच्च वाहन आवागमन एवं पार्किंग कन्जेशन वाले क्षेत्रों, जैसे बाजारों, व्यावसायिक केंद्रों आदि, को प्राथमिकता पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र (पीएमए) के रूप में अधिसूचित करेंगे।

ग. चिन्हित पीएमए के लिए पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजना (पीएमएपी) तैयार की जाएगी।

i. इन योजनाओं में पार्किंग की मांग के प्रबंधन, उपलब्ध पार्किंग के नियम, 'नो-पार्किंग' जोन की पहचान, गतिशील पार्किंग शुल्क आदि के लिए कार्यनीतियाँ शामिल होंगी।

ii. स्थानीय निकाय सड़क स्वामित्व एजेंसियों, यातायात पुलिस तथा स्थानीय हितधारकों के परामर्श से पीएमएपी तैयार कर सकते हैं। हितधारकों द्वारा भी पीएमएपी तैयार की जा सकती

है, जिसे लागू करने से पूर्व स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ii. सार्वजनिक पार्किंग:

(क.) सार्वजनिक पार्किंग में अधिकृत सड़क-किनारे एवं सड़क से बाहर की पार्किंग, जिसमें बहु-स्तरीय पार्किंग भी शामिल है, सम्मिलित होगी। यातायात भीड़ वाले क्षेत्रों में निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता को उच्च पार्किंग शुल्क के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। गतिशील पार्किंग शुल्क को विभिन्न क्षेत्रों में व्यस्त समय तथा गतिविधि/भीड़ के स्तर से जोड़ा जाएगा।

(ख.) अस्पतालों, विद्यालयों, सार्वजनिक कार्यालयों आदि जैसे अधिक आवागमन वाले उपयोगों/गतिविधियों के निकट सार्वजनिक पार्किंग सुविधाएँ (ऑन स्ट्रीट एण्ड ऑफ-स्ट्रीट दोनों) उपलब्ध कराई जाएँगी।

(ग.) आवासीय क्षेत्रों में सड़क-किनारे पार्किंग के विनियमन हेतु चरणबद्ध व्यवस्था अपनाई जाएगी, जिसमें परमिट के माध्यम से पार्किंग स्थान को लीज पर देना, नए वाहनों के पंजीकरण को पार्किंग उपलब्धता से जोड़ने जैसी नीतियाँ सम्मिलित होंगी।

(घ.) मनोरंजन क्षेत्र (टॉट-लॉट, पार्क, खेल मैदान आदि), पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (नदियाँ, झीलें, नाले, बाढ़ क्षेत्र, वन, रिज आदि) अथवा अन्य खुले स्थानों का उपयोग पार्किंग विकास के लिए नहीं किया जाएगा।

(ङ.) ऑफ स्ट्रीट पब्लिक पार्किंग स्थलों में दिव्यांगजन तथा विद्युत चालित वाहनों (ई-वीकल्स)के लिए यूबीबीएल के अनुसार स्थान आरक्षित किए जाएँगे।

(च.) **मल्टी लेवल पार्किंग (एमएलपी):** सार्वजनिक/ निजी पहल के माध्यम से एमएलपी को विकसित किया जाएगा

i. एमएलपी भूमि एवं पूजी-प्रधान परियोजनाएँ हैं। सरकारी भूमि पर इन्हें पीपीपी के आधार पर विकसित किया जाएगा।

ii. किसी मौजूदा एमएलपी से 500 मीटर की दूरी के अंदर निजी वाहनों के लिए ऑन स्ट्रीट पब्लिक पार्किंग को हतोत्साहित किया जाएगा तथा उसका शुल्क ऑफ स्ट्रीट पार्किंग सुविधा से अधिक रखा

जाएगा, ताकि बहु-स्तरीय पार्किंग के उपयोग को बढ़ावा मिले। हालांकि, आईपीटी तथा टैक्सियों के लिए हॉल्ट एंड गो / 'पार्क एंड राइड' सुविधा की अनुमति एमएलपी के पास दी जा सकती है।

iii. जहाँ संभव हो, पैदल यात्रियों के लिए निकटवर्ती भवनों तक प्रत्यक्ष पहुँच उपलब्ध कराई जाएगी।

iv. एमएलपी में पीबीएस और आईपीटी तथा टैक्सियों के लिए पार्किंग जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

v. एमएलपी को प्राथमिकता के आधार पर टीओडी क्षेत्रों के बाहर विकसित किया जाएगा, ताकि वे 'पार्क एंड राइड' सुविधा के रूप में कार्य कर सकें।

iii. पार्किंग मानक: प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए निर्धारित पार्किंग मानकों के अनुसार समतुल्य कार स्थान के रूप में पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।

iv. अन्य परिवहन साधनों के लिए पार्किंग:

(क.) व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों, आईएफसी, आईसीडी आदि के निकट मालवाहक वाहनों की पार्किंग हेतु स्थान संबंधित एजेंसियों द्वारा चिन्हित किए जाएँगे।

i. प्रवेश प्रतिबंधित समय के दौरान मालवाहक वाहनों के लिए टोल गेट/टोल प्लाज़ा के निकट पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

ii. ई-कॉमर्स में प्रयुक्त वाहनों की पार्किंग वेयरहाउसिंग एवं वितरण केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख.) आवश्यकता होने पर बस डिपो एवं बस टर्मिनलों को उनकी पार्किंग क्षमता बढ़ाने के लिए सम्भावना के अनुसार चरणबद्ध रूप से बहु-स्तरीय पार्किंग में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(ग.) विद्यालयी वाहन (बसें एवं वैन) विद्यालय परिसर के अंदर ही खड़े किए जाएँगें। विद्यालयों को मानकों के अनुसार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना होगा।

घ. **डीटीसी डिपो में बसों के लिए पार्किंग सुविधाएँ:** शहर में बस पार्किंग सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। इसलिए बस डिपो एवं टर्मिनलों की क्षमता तथा भविष्य की आवश्यक माँग के लिए व्यापक योजना बनाई जाएगी।

i. बस पार्किंग मानकों के अनुसार शहर में पर्याप्त बस पार्किंग एवं टर्मिनल स्थान उपलब्ध कराए जाएँगे।

ii. डिपो के लिए भूमि का चयन एवं आवंटन डीटीसी तथा क्लस्टर बसों के मार्गों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि अनावश्यक दूरी तथा परिवहन एजेंसियों की अन्य क्षति को न्यूनतम किया जा सके।

iii. भूमि के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बसों हेतु बहु-स्तरीय पार्किंग को प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. जहाँ तक संभव हो, सभी बस डिपो टर्मिनल के रूप में भी कार्य करेंगे।

v. बड़े सार्वजनिक पार्किंग स्थल, फ्लाईओवरों के नीचे का क्षेत्र, चौड़ी मुख्य सड़कें तथा शहर के कम उपयोग वाले क्षेत्रों का उपयोग गैर-व्यस्त समय में सार्वजनिक/निजी बसों एवं व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग के लिए उपयुक्त शुल्क पर किया जा सकेगा।

vi. निजी बसों, निजी व्यावसायिक वाहनों, ट्रकों तथा लॉजिस्टिक्स टर्मिनलों के लिए शहर की परिधि पर स्थानों की योजना एवं व्यवस्था की जाएगी।

(v.) अनधिकृत पार्किंग:

(क.) सार्वजनिक सड़कों एवं फुटपाथों पर अनधिकृत पार्किंग के प्रति "जीरो टोलरेंस" अपनाई जाएगी।

(ख.) परिवहन एवं प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भारी जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस रद्ध करना तथा वाहन पंजीकरण के निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(ग.) वाहन पंजीकरण नीति में भी किसी व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा खरीदे गए वाहनों की संख्या के अनुसार क्रमिक रूप से बढ़ते हुए पंजीकरण शुल्क का प्रावधान किया जाएगा।

vi. अन्य कार्यनीतियाँ

(क.) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित स्मार्ट ऐप विकसित किए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से ऑन-स्ट्रीट एवं ऑफ स्ट्रीट उपलब्ध पार्किंग सुविधाओं, निकटतम उपलब्ध पार्किंग स्थानों तथा उनके शुल्क की रियल टाइम की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे ऐप आधारित पार्किंग स्थलों को साझा संसाधन के रूप में उपयोग करने की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं।

(ख.) शहर में सड़क किनारे खड़े कबाड़ अथवा उपयोग में न आने वाले वाहनों के कारण मूल्यवान सड़क स्थान अवरुद्ध होता है। स्थानीय निकाय तथा यातायात पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे वाहनों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर स्क्रैप यार्ड में भेजा जाए। सार्वजनिक सड़कों से ऐसे वाहनों को हटाने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस की होगी।

(ग.) अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन, एग्रीगेटर सेवाओं आदि के लिए अल्पकालिक ठहराव तथा यात्रियों के चढ़ने-उतरने की सुविधाएँ स्थानीय निकाय अथवा सड़क स्वामित्व एजेंसी द्वारा हितधारकों के परामर्श से विकसित की जा सकती हैं।

(vii.) **सांस्थानिक फ्रेमवर्क:** पार्किंग की योजना, प्रबंधन और विनियमन (नियमों के अनुसार संचालन) एक संगठित, एकीकृत तथा तकनीक-आधारित प्रणाली के माध्यम से यूनिफाइड पार्किंग प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जाएगा।

3.7 भौतिक अवसंरचना एवं आपदा तैयारी

3.7.1 भौतिक अवसंरचना

मास्टर प्लान में जलापूर्ति, सीवरेज एवं जल-निकासी जैसी सहायक अवसंरचना प्रणालियों के एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, ताकि जल रिसाइकल, वर्षा जल संचयन तथा उसका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार सॉलिड वेस्ट एवं सीवरेज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन आदि के लिए भी किया जाएगा। सौर ऊर्जा, रिसाइकल तथा अन्य वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने विकसित क्षेत्रों तथा पुनःउत्थान क्षेत्रों में सीवरेज, जलापूर्ति एवं जलनिकासी नेटवर्क के विस्तार की तकनीकी व्यवहार्यता का प्राथमिकता के आधार पर संबंधित एजेंसियों द्वारा आकलन किया जाएगा।

i. **जलापूर्ति, अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर) एवं जलनिकासी प्रबंधन:** दीर्घकालिक जल सुरक्षा एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाकर सुनिश्चित की जा सकती है, जिसमें जलापूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी को अर्बन वॉटर साइकल की परस्पर संबद्ध अवसंरचनाओं के रूप में देखा जाए। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

i. वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता।

ii. वर्षा जल का प्रभावी प्रबंधन।

क. **जल:** जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं—

i. **जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी):** दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार वर्तमान 1560 एमजीडी की कुल पम्पिंग क्षमता में सुधार तथा चार नए जल शोधन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ii. **जलापूर्ति का युक्तिसंगत बनाना:** नई विकास परियोजनाओं में जलापूर्ति का प्रबंधन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

क. लैंड पूलिंग क्षेत्रों तथा लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए) में सेक्टर लेआउट एवं बिल्डिंग डिजाइन स्तर पर जल संरक्षण संबंधी प्रावधान अनिवार्य होंगे। अतः प्रति व्यक्ति जल आवश्यकता को 40 जीपीसीडी तक सीमित रखा जाएगा।

ख. पुनःउत्थान तथा टीओडी योजनाओं को निर्धारित मानकों से अधिक अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तथापि, योजना जोन के भीतर स्थित किसी खाली पड़ी भूमि के विकास हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति व्यक्ति जल आवश्यकता को मौजूद मानक 60 जीपीसीडी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से घटाकर 50 जीपीसीडी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक लाने का उद्देश्य है, जिसे डिजाइन तथा प्रबंधन संबंधी उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

iii. जल संरक्षण:

क. केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में कुल 175 एमसीएम (38,546 एमजी) वार्षिक वर्षाजल बहाव में से 24.39 एमसीएम (5,372 एमजी) वॉटर रिचार्ज योग्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। इस क्षमता का उपयोग बरसाती नालों में चैक डैम एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण द्वारा किया जाएगा।

ख. नए विकास कार्यों में यूबीबीएल के अनुसार कम जल खपत वाले प्लम्बिंग उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा

ग. ग्राउण्ड वॉटर रिचार्जिंग के उद्देश्य से जलाशयों के पुनःउत्थान एवं संरक्षण का कार्य किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एन सी टी दिल्ली में रिज क्षेत्र में चैक डैम, नाला बंध, संस्थागत एवं व्यावसायिक भवनों में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पर्कुलेशन पॉण्ड, झील बेसिन, एक्विफर स्टोरेज एवं रिकवरी वैल, पार्क एवं उद्यान रिचार्ज क्षेत्र, फ्लाईओवर एवं शहरी सड़कें तथा यमुना बाढ़ क्षेत्र आदि जैसी विभिन्न

योजनाओं की पहचान एवं प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) **वेस्ट वॉटर:** वेस्ट वॉटर के प्रभावी प्रबंधन हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

i. **गैर-पेय उपयोगों हेतु शोधित वेस्ट वॉटर:** शोधित वेस्ट वॉटर का 100% शोधन एवं अधिकतम पुनः उपयोग को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा:

क. लैंड पूलिंग सेक्टरों एवं लो-डेन्सिटी एरिया में सभी विकास परियोजनाएँ जीरो लिक्विड डिस्जार्च सुनिश्चित करेंगी।

ख. जिन नई विकास अथवा पुनःउत्थान परियोजनाओं से प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक वेस्ट वॉटर निकलता हो अथवा जिनका प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर से अधिक हो, उनके अनुमोदन हेतु दोहरी-पाइप प्रणाली सहित विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली अनिवार्य होगी।

ग. विकेन्द्रीकृत शोधन इकाइयाँ एकल अथवा बहु-भवनों, बहु-प्लॉटों अथवा किसी स्कीम/ सेक्टर या ले-आउट के लिए साझा सुविधा के रूप में स्थापित की जा सकती हैं।

ii. **वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट:** दिल्ली जल बोर्ड शोधित वेस्ट वॉटर के व्यापक उपयोग हेतु चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होंगेः-

क. विकेन्द्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्रों का प्रबंधन: सीवेज शोधन एवं रिसाइकल प्लॉट संयंत्रों की क्षमता जल प्रवाह की आवश्यकता के बराबर अथवा उससे अधिक होगी। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा तैयार सीवरेज मास्टर प्लान-2031 के अनुसार आवश्यकता के आधार पर 14 सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी), 42 विकेन्द्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्र (डीएसटीपी) तथा 2 सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) एवं इंटरसेप्टर सीवर परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

ख. पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकताओं के अनुरूप शोधित बेस्ट वॉटर का नदी में निर्वहन।

ग. झीलों एवं अन्य जलाशयों का पुनःउत्थान एवं रखरखाव।

घ. एक्विफर स्टोरेज, तालाबों एवं झीलों के विकास के माध्यम से ग्राउण्ड वॉटर रिचार्ज।

ङ. उद्यानिकी, सिंचाई, बस, मेट्रो एवं रेलवे कैरेज तथा अन्य वाहनों की धुलाई, सड़कों की सफाई, अग्निशमन तथा निर्माण कार्यों जैसे गैर-पेय प्रयोजनों में उपचारित जल का उपयोग।

च. संभाव्यता के अनुसार उद्योगों में गैर-पेय प्रयोजनों हेतु उपचारित जल का उपयोग।

ग. **जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन:** उचित जल निकासी सुनिश्चित करने तथा वर्षा जल के प्रभावी उपयोग हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

i. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जल निकासी मास्टर प्लान को मल्टी-एजेंसी समन्वय के माध्यम से लागू किया जाएगा तथा इसकी नियमित निगरानी की जाएगी।

ii. नए लेआउट प्लान एवं क्षेत्र सुधार परियोजनाओं में जल-संवेदी शहरी डिजाइन अपनाया जा सकता है, जिससे पूरे शहर में जल अवशोषित करने वाली सतहों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। संभाव्यता के अनुसार जैविक जल-निकासी नालियाँ, वनस्पति फ़िल्टर, जल पारगम्य वर्षा जल नालियाँ, वर्षा उद्यान, अर्ध-पारगम्य खडंजा आदि को अपनाया जा सकता है।

iii. नए विकास कार्यों में जल निकासी प्रावधान का डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि वर्षा जल को चिन्हित भूजल पुनर्भरण स्थलों की ओर प्रवाहित अथवा निर्वाहित किया जा सके।

iv. नदियों, प्राकृतिक नालों तथा झीलों के बफर क्षेत्रों में उपयुक्त वनस्पति रोपित की जाएगी, जिससे वे शहर के लिए प्राकृतिक जल अवशोषक क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकें।

v. भूजल पुनर्भरण की कार्यनीतियों के साथ भूजल दोहन पर सख्त विनियम भी लागू किए जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत बोरवेलों के अतिरिक्त किसी अन्य बोरवेल से जल निकासी को अवैध माना जाएगा।

vi. सड़क विकास प्लानों, फ्लाईओवरों तथा ग्रेड सेपरेटरों में जल निकासी व्यवस्था को अभिन्न घटक के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

vii. संबंधित एजेंसी द्वारा जल निकासी प्रावधान का जीआईएस आधारित मानचित्रण एवं डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

viii. क्षेत्र में ऊपरी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए चयनित नालों का पुनःउत्थान भी आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(घ.) **अन्य कार्यनीतियाँ:**

i. नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार, उसके सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने तथा इक्वेटिक इको-सिस्टम के पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएँगे।

ii. दिल्ली जल बोर्ड निम्नलिखित उपायों को अपनाकर जल उपलब्धता एवं मांग प्रबंधन को मजबूत कर सकता है:

क. गैर-राजस्व जल की मात्रा में कमी लाना, सतत जलापूर्ति प्रणाली अपनाना तथा स्मार्ट मीटरिंग लागू करना।

ख. प्रत्येक परिवार को मीटरयुक्त जल कनेक्शन उपलब्ध कराना

ग. जल के अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए क्रमिक जल शुल्क प्रणाली लागू करना।

iii. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहाँ सीवरेज नेटवर्क स्थापित करना संभव नहीं है, वहाँ दिल्ली जल बोर्ड सेप्टिक टैंकों एवं मल गाद की नियमित सफाई हेतु संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगा।

iv. वेस्ट वॉटर शोधन से प्राप्त उप-उत्पादों की प्रोसेसिंग कर उनका उपयुक्त रिसाइकल अथवा पुनः उपयोग किया जाएगा।

ii. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट):** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाएंगी—

i. अपशिष्ट प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण।

ii. अपशिष्ट की प्राप्ति एवं रिसाइकल।

iii. न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ अपशिष्ट प्रबंधन।

क. **नगर ठोस अपशिष्ट का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन:**

i. स्थानीय निकाय समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के साथ-साथ इस योजना की अनुशंसाओं को भी लागू करेंगे।

ii. स्रोत अथवा स्थानीय स्तर पर वेस्ट सेग्रीगेशन एण्ड मैनेजमेंट, अपशिष्ट को एकत्र करने वाले अनौपचारिक कर्मियों, स्थानीय समुदायों, आरडब्ल्यूए, एमटीए आदि की भागीदारी तथा सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएँगे—

क. स्थानीय निकाय आरडब्ल्यूए, एमटीए, अपशिष्ट को एकत्र करने वाले अनौपचारिक कर्मियों तथा अन्य हितधारकों की भागीदारी से विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देंगे। स्थानीय निकाय

यह सुनिश्चित करेंगे कि अनियोजित बस्तियों (झुग्गी-झोपड़ी समूहों सहित) में अपशिष्ट का संग्रहण, प्रबंधन एवं शोधन उसके उत्पन्न होने के निकट ही किया जाए।

ख. स्थानीय क्षेत्र (आवासीय क्षेत्र, आवासीय सोसाइटी, कॉलोनियाँ, अपार्टमेंट, बाजार आदि) अपने परिसर की सीमा के अंदर वेट म्यूनिशिपल सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन कम्पोस्टिंग, बायो-मीथेनेशन आदि पर्यावरण-अनुकूल उपायों के माध्यम से करेंगे।

ग. ड्राई रिसाइकलेबल एमएसडब्ल्यू को सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों अथवा प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाएगा। पर्याप्त क्षमता एवं स्थान वाले मौजूदा ढलावों को स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर पर सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों के रूप में विकसित कर सकते हैं, जहाँ अपशिष्ट का पृथक्करण एवं रिसाइकलेबल योग्य सामग्री प्राप्त की जा सके। वर्तमान ढलावों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर उनका पुनः उपयोग किया जाएगा।

घ. बड़े अपशिष्ट उत्पादकों (जैसे होटल, रेस्तराँ आदि) से उत्पन्न वेट वेस्ट का स्रोत पर ही पृथक्करण एवं प्रोसेस किया जाएगा अथवा उसे अधिकृत कम्पोस्टिंग प्लांटों तक पहुँचाया जाएगा।

ङ. दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से स्थानीय निकाय गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों आदि के सहयोग से सोसाइटियों, आरडब्ल्यूए एवं एमटीए को सतत अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर पर वेस्ट मैनेजमेंट को सोसाइटियों, आरडब्ल्यूए एवं एमटीए के लिए अनिवार्य बनाएँगे। यदि वे स्थानीय वेस्ट मैनेजमेंट नहीं अपनाते हैं, तो उन पर अपेक्षाकृत अधिक कर दर लागू की जाएगी।

च. सभी नॉन म्युनिसिपल वेस्ट जैसे ई-वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट आदि की प्रोसेसिंग सरकार द्वारा अधिकृत प्रोसेसिंग सेंटरों में किया जाएगा। केवल निष्क्रिय अपशिष्ट (इनर्ट वेस्ट), यदि कोई हो, को ही केंद्रीकृत लैंडफिल स्थलों पर निस्तारित करने की अनुमति होगी।

ख. **एमएसडब्ल्यू के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करनाः** एमएसडब्ल्यू के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय लागू किए जाएँगेः-

i. वेस्ट के निपटान के लिए लैंडफिल पर निर्भरता कम की जाएगी तथा मौजूदा लैंडफिल स्थलों को चरणबद्ध रूप से हरित अथवा मनोरंजन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाएगा। ओखला, भलस्वा एवं गाज़ीपुर स्थित लैंडफिल स्थलों पर संचित पुराने वेस्ट का निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों (तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

ii. नए लैंडफिल स्थलों को हतोत्साहित किया जाएगा। यदि किसी नए लैंडफिल का प्रस्ताव किया जाता है, तो उसका उपयोग केवल निष्क्रिय अपशिष्ट (इनर्ट वेस्ट) के निपटान के लिए किया जाएगा तथा उसमें वैज्ञानिक लैंडफिल तकनीकों को अनिवार्य रूप से अपनाया जाएगा।

iii. स्थानीय निकाय तथा अन्य संबंधित सरकारी एवं निजी एजेंसियाँ म्युनिसिपल एण्ड नॉन म्युनिसिपल वेस्ट (संभाव्यता के अनुसार निष्क्रिय अपशिष्ट (इनर्ट वेस्ट) सहित) की प्रोसेसिंग, पोस्ट-प्रोसेसिंग तथा रिसाइकल के लिए नवीन एवं पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाएँगी।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाना तथा जलाशयों, पार्कों, हरित क्षेत्रों एवं खुले भूभागों में अपशिष्ट फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

v. अधिकृत सी एण्ड डी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी तथा जहाँ संभावना हो, वहाँ नए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएँगे।

vi. अपशिष्ट से मुक्त किए गए लैंडफिल स्थलों का उपयोग एवं विकास मौजूदा लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) **नॉन-म्युनिसिपल वेस्ट:** ई-वेस्ट (विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, आदि), बायो मेडिकल वेस्ट तथा हानिकारक वेस्ट जैसे नॉन-म्युनिसिपल वेस्ट का प्रबंधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इनको प्रोसेसिंग हेतु अतिरिक्त सुविधाएँ निम्न प्रकार होंगी—

i. बायो-मेडिकल वेस्ट तथा कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट शोधन सुविधाएँ आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाएँगी।

ii. ई-वेस्ट के रिसाइक्लिंग, प्रोसेसिंग एवं निपटान हेतु संबंधित एजेंसियों द्वारा उपयुक्त प्रावधान किए जाएँगे।

(घ) **संसाधन के रूप में अपशिष्ट:** अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एजेंसियाँ "रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल" के सिद्धांतों को अपनाएँगी।

i. समय-समय पर संशोधित प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का ईंधन तेल में रूपांतरण, सड़क निर्माण एवं ऊर्जा संयंत्रों में को-प्रोसेसिंग जैसे नवीन उपायों द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।

ii. रिसाइक्लड़ वेस्ट उत्पादों एवं कम्पोस्टिंग को "वेस्ट टू वेल्थ" व्यवस्था के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

iii. वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

iv. रिसाइक्लिंग उद्योग एवं ईको-पार्कों में अपशिष्ट सामग्री को ठीक करने, पुनः उपयोग एवं रिसाइक्लिंग हेतु समर्पित स्थान उपलब्ध कराए जाएँगे।

v. निर्माण संबंधी परियोजनाओं में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के कन्सट्रक्शन एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

(iii) विद्युत: अतिरिक्त विद्युत क्षमता वृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियों का सुझाव दिया जाता है:

क. दिल्ली सरकार संभावित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों एवं परियोजनाओं की पहचान हेतु नवीकरणीय ऊर्जा योजना तैयार करेगी।

ख. दिल्ली में सौर ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, इसलिए निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगी:

i. दिल्ली की "कृषि एवं सौर फार्म योजना" के अनुरूप हरित क्षेत्रीय विकास क्षेत्रों में सौर फार्मों को बढ़ावा दिया जाएगा।

ii. दिल्ली की विभिन्न नहरों एवं नालों का उपयोग संभाव्यता के अनुसार संबंधित एजेंसियों द्वारा सौर/जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा संबंधित एजेंसियाँ संभाव्यता के अनुसार सोलर/हाइड्रो एनर्जी के उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देगी।

iii. दिल्ली में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए500 वर्गमीटर से अधिक रुफ-टॉप क्षेत्र वाले सरकारी भवनों एवं संस्थागत परिसरों में दिल्ली सौर नीति के अनुसार सौर फोटोवोल्टिक (सोलर पीवी) प्रणाली स्थापित की जाएगी।

iv. हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय एवं नगर बस स्टेशन/डिपो, स्टेडियम आदि सार्वजनिक सुविधाएँ व्यवहार्यता के अनुसार अपनी विद्युत आवश्यकता क्रमशः सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करेंगी।

(ग) भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जा सकती है:

i. सड़कों, पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा आधारित एलईडी प्रकाश व्यवस्था अपनाई जाएगी।

ii. सौर फोटोवोल्टिक एवं सौर-सहायक जल ताप प्रावधानों की स्थापना यूबीबीएल के अनुसार होगी।

iii. विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर स्थापित करेंगी।

(घ) विद्युत आपूर्ति हेतु विभेदक मूल्य निर्धारण प्रणाली को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा अपनाया जा सकता है।

(ङ) संभाव्यता के अनुसार विद्युत अवसंरचना में निम्नलिखित सुधार किए जाएँगे:

i. ट्रांसमिश्न नेटवर्क का प्लान प्रस्तावित मास्टर प्लान/ ज़ोनल प्लान के आरओडब्ल्यू के अंतर्गत किया जाएगा।

ii. नई उपकेंद्रों का विकास एवं आधुनिकीकरण आधुनिक तकनीकों के आधार पर किया जाएगा।

iii. पूरे शहर में रोड क्रॉस सेक्शन में वित्तीय एवं व्यवहार्यता के अनुसार चरणबद्ध रूप से विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा, जिसमें लैंड पूलिंग क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुले लटकते तारों एवं केबलों को संभाव्यता के अनुसार भूमिगत किया जाएगा। पंजीकृत आरडब्ल्यूए, सोसायटियाँ एवं बाज़ार मार्केट ट्रेडर्स एसोसियशनों आदि को इस कार्य के पूर्ण/आंशिक वित्तपोषण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों द्वारा उपयुक्त टैक्स प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

iv. गैस नेटवर्क: प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियों का सुझाव दिया जाता हैः

क. 12 मीटर एवं उससे अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़कों में गैस पाइपलाइन का समेकित नियोजन किया जाएगा।

ख. नए विकास कार्यों में घरेलू स्तर पर पाइप्ड गैस कनेक्शन के प्रावधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग. नियोजित पुनःउत्थान प्रक्रिया से रही अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) तक भी पाइप्ड गैस कनेक्शन का विस्तार किया जा सकता है।

(v) दूरसंचार एवं डिजिटल अवसंरचना: इसमें निम्नलिखित सुधार प्रस्तावित हैं—

(क) 5जी एवं उससे उन्नत नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर कवरेज तथा शहर की सेवाओं की डिजिटल प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं बिग डेटा, आदि के साथ एकीकरण अवसंरचना प्रावधान।

(ख) प्रभावी शहरी प्रबंधन, यातायात नियंत्रण एवं आपातकालीन राहत के लिए स्थानीय निकाय एक एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित कर सकते हैं।

(ग) संबंधित एजेंसियों द्वारा साइबर सुरक्षा, वैश्विक मानकों के अनुरूप वायरलेस एवं ब्रॉडबैंड नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) एवं साइबर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में डेटा केंद्रों की अनुमति दी गई है। संभाव्यता के अनुसार 12 मीटर एवं उससे अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़कों में ऑप्टिकल फाइबर हेतु स्थान/ डक्ट उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्रों में स्मार्ट पोल स्थापित किए जा सकते हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरे, सेंसर तथा सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएँ होंगी।

3.7.2 आपदा तैयारी एवं प्रतिरोधक क्षमता

यह योजना जोखिमों एवं संवेदनशीलताओं को कम करने, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने, अत्याधुनिक प्रतिरोधी अवसंरचना एवं प्रणालियों के माध्यम से आपदा प्रभाव को कम करने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने तथा नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है। इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

क) भूकंप-प्रतिरोधक क्षमता

ख) अग्नि दुर्घटनाओं एवं शहरी बाढ़ से संवेदनशीलता में कमी।

ग) अन्य आपदाओं एवं जोखिमों का सामना करने की क्षमता।

(ii) **प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता एवं तैयारी:**

(क) **भूकम्पीय जोखिम के प्रति संवेदनशीलता में कमी:** दिल्ली भूकम्पीय क्षेत्र –IV के अंतर्गत आता है, जहाँ भूकंप से अत्यधिक क्षति हो सकती है। शहर तीन भ्रंश रेखाओं, अर्थात् मथुरा भ्रंश रेखा, सोहना भ्रंश रेखा तथा दिल्ली-मुरादाबाद भ्रंश रेखा पर स्थित है। दिल्ली हेतु राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार

भूकंपीय जोखिम सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण रिपोर्ट में उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(ख) भूकम्पों से जन-धन की हानि को न्यूनतम करने तथा भूकम्पीय संवेदनशीलता में कमी लाने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ प्रस्तावित हैं:

i. भवन उपनियम के प्रावधानों के अनुसार भवनों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट भवन स्वामियों तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा कराया जाएगा।

ii. प्रासंगिक भारतीय मानकों/संहिताओं के अनुरूप स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट को उच्च जोखिम क्षेत्रों, संवेदनशील बस्तियों, अधिक जन-आवागमन वाले सार्वजनिक भवनों, आपदा प्रतिक्रिया इकाइयों (जैसे अग्निशमन, पुलिस, एकीकृत नियंत्रण केन्द्र आदि) वाले भवनों तथा आवश्यक आधारभूत संरचना में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

iii. नए भवनों एवं संरचनाओं का संरचनात्मक डिजाइन भूकंपरोधी भवनों संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

iv. परिवहन, जलापूर्ति, ईंधन आदि से संबंधित महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं को भूकंपरोधी बनाने के लिए संबंधित एजेंसियाँ बेस आइसोलेशन, हाइड्रोलिक डैम्पनर तथा अन्य उपयुक्त संरचनात्मक तकनीकों को अपनाएंगी।

v. संबंधित एजेंसियां प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संभावित क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करेंगी। ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य पुन: उत्थान के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग अथवा पुनर्निर्माण किया जा सकेगा।

vi. सभी श्रेणी के भवनों में संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

vii. सघन रूप से विकसित क्षेत्रों में आपातकालीन निकासी हेतु पर्याप्त खुले स्थान पुन: उत्थान योजनाओं को लागू करके उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iii) **अन्य आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता में कमी लाना:**

(क) **अग्नि दुर्घटनाओं के जोखिम में कमी लाना**: सघन बस्तियों में स्थित औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयाँ तथा आवासीय परिसरों में अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहती है। शहर में अग्नि जोखिम को न्यूनतम करने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगी:

i. ऐसे भवन जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग, भंडारण अथवा संचालन किया जाता है, उनके लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफस) से अनिवार्य अनापत्ति प्राप्त करना तथा आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाना अनिवार्य होगा। ऐसे उपयोगों का आवासीय अथवा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) उपयोगों के साथ मिलाने की अनुमति नहीं होगी।

ii. शहरी गांवों तथा अन्य सघन आबादी वाले ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ सामान्य अग्निशमन वाहनों की पहुँच संभव नहीं है, वहाँ हाइड्रेंट नेटवर्क, मोबाइल फायर हाइड्रेंट तथा अन्य अग्निशमन उपकरणों जैसे वैकल्पिक उपाय विकसित किए जाएं।

iii. संबंधित एजेंसियों द्वारा अग्नि-संवेदनशील के रूप में चिन्हित भवनों में अग्नि-निवारण एवं न्यूनीकरण उपायों हेतु रेट्रोफिटिंग की जाए। सभी श्रेणी के भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

iv. विद्युत चालित वाहनों (ईवी) की बैटरियाँ संभावित अग्नि जोखिम उत्पन्न करती हैं। अतः उनका भंडारण, चार्जिंग तथा निस्तारण सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

v. विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय तथा अन्य संबंधित एजेंसियाँ चरणबद्ध तरीके से चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर वाल्ड सिटी, शहरी गाँवों तथा अन्य सघन क्षेत्रों में भवनों की विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगी। इसके अंतर्गत सड़कों पर खुले एवं लटकते हुए विद्युत तारों तथा केबलों को सुरक्षित बनाया जाएगा ।

(ख) **शहरी बाढ़ एवं जलभराव में कमी लाना**: दिल्ली में शहरी बाढ़ तथा जलभराव की आवृत्ति एवं तीव्रता में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके दृष्टिगत हरित आवरण में वृद्धि तथा जल-संवेदनशील शहरी डिजाइन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जाएँगी:

i. सभी प्राकृतिक एवं अभिकल्पित नालों को अतिक्रमण एवं अवरोधों से मुक्त रखा जाएगा तथा उनकी नियमित गाद निकासी एवं गाद के उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

ii. स्थानीय निकाय बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित उद्यानों एवं पार्कों को बाढ़ अवशोषण क्षेत्र के रूप में निर्धारित कर सकेंगे।

iii. यमुना बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन परियोजनाएँ संबंधित एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय मानकों के पूर्ण अनुपालन के साथ क्रियान्वित की जाएँगी।

(ग) **महामारी के प्रति संवेदनशीलता में कमी लाना:**

i. प्लॉटों के अंदर सेवाओं, कार्यस्थलों एवं आवासों की परस्पर निकटता सुनिश्चित करने हेतु शहर में नियोजित मिश्रित भूमि उपयोग तथा संगत उपयोगों के वर्टिकल मिक्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं में सह-कार्यस्थल, साझा कार्यस्थल, कार्यस्थलों की व्यवस्था तथा गृह-आधारित कार्य को प्रोत्साहन देकर विकेन्द्रीकृत कार्यस्थलों का विकास किया जाएगा।

iii. नए विकास में बड़े हरित क्षेत्रों, खुले स्थानों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्लाज़ा तथा नियोजित पुन: उत्थान के माध्यम से विकास किया जाएगा, जिससे महामारी जैसी परिस्थितियों में सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहायता मिल सकेगी।

iv. एफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग, स्वामित्व आधारित आवास, श्रमिक आवास, महिला एवं पुरुष होस्टलों आदि का विकास करके प्रवासी आबादी के लिए आवास विकल्पों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी।

v. विशेष रूप से सघन एवं अनियोजित क्षेत्रों में सामुदायिक स्थानों तथा बहु-सुविधा प्लॉटों का विकास किया जाएगा, ताकि आपदा के समय उनका वैकल्पिक उपयोग किया जा सके।

(iv) **आपदाओं एवं जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया:**

(क) दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना तथा दिल्ली के राजस्व जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजनाएँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई हैं तथा उन्हें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इन योजनाओं में विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं के लिए आपदा-विशिष्ट शमन योजनाएँ तैयार की गई है, जिनमें उत्तरदायी एजेंसियों तथा कार्यान्वयन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(ख) आपदा की स्थिति में आवश्यक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी सेवा प्रदाता एजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ एवं दिशा-निर्देश तैयार करेंगी।

(ग) निवासियों हेतु सभी क्षेत्रों, विशेषकर सघन आबादी वाले क्षेत्रों में, समर्पित निकासी स्थल एवं सुरक्षित आश्रय स्थल चिन्हित किए जाएँगे।

i. निकासी स्थल ऐसे खुले स्थान होंगे जहाँ अग्नि जोखिम, भूकम्प अथवा अन्य आपदाओं के समय लोग सुरक्षित रूप से एकत्रित हो सकें। इनमें पार्क, बहुउद्देशीय खेल मैदान, अन्य खुले स्थान आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

ii. संक्रामक रोगों के प्रकोप के दौरान अस्वस्थ अथवा रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आरडब्ल्यूए अथवा स्थानीय निकायों द्वारा उपयुक्त आंतरिक स्थलों को भी आश्रय स्थल के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(घ) आपातकालीन बचाव एवं हवाई एम्बुलेंस के माध्यम से त्वरित आपदा प्रतिक्रिया हेतु, बहुमंजिला भवनों एवं बड़े अस्पतालों की छतों पर यूबीबीएल तथा अन्य प्रासंगिक विनियमों के अनुसार उपयुक्त रूप से हेलिपैड की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं, ले-आउट प्लान तथा निर्माण कार्यों की तैयारी एवं क्रियान्वयन के दौरान दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.8 जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान (एमपीडी) –2047

डीडीए द्वारा एक जीआईएस आधारित मास्टर प्लान (एमपीडी) विकसित की जाएगी, जिसके अंतर्गत स्थानिक एवं गैर-स्थानिक डेटा को नीति-ढाँचे, विकास उद्देश्यों तथा अवसंरचना नियोजन के साथ एकीकृत करते हुए व्यापक डिजिटल भूमि उपयोग डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि दिल्ली का डिजिटल ट्विन विकसित किया जा सके। दिल्ली का डिजिटल ट्विन शहर का एक गतिशील एवं वास्तविक समय आधारित आभासी प्रतिरूप होगा, जिसमें स्थानिक, भौतिक एवं कार्यात्मक आँकड़ों को एकीकृत मंच पर समाहित किया जाएगा। यह जियो रेफरेंस बेस्ड मैप तथा जीआईएस परिवेश पर आधारित होगा तथा इसमें अवसंरचना नेटवर्क, भूमि उपयोग प्रतिरूप, सेंसरों एवं प्रशासनिक प्रणालियों से प्राप्त वास्तविक समय के आँकड़ों सहित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का समावेश किया जाएगा। इस एकीकृत मंच का उपयोग शहरी विकास परिदृश्यों के कार्यान्वयन से पूर्व उनके अनुकरण, दृश्यांकन एवं मूल्यांकन हेतु निर्णय-सहायक प्रणाली के रूप में किया जाएगा।

(i) **डेटा कलेक्शन:** एमपीडी-2021 की भूमि उपयोग योजना की बेस लेयर्स का उपयोग करते हुए तथा मौजूदा मानचित्रों का डिजिटलीकरण एवं उन्हें एक समान निर्देशांक प्रणाली से जियो-रेफरेंस कर एक डिजिटल आधार मानचित्र तैयार किया जाएगा। यह आधार मानचित्र पुराने मानचित्रों, लैंड-रिकॉर्ड तथा नियोजन दस्तावेज़ों का समेकित संकलन होगा, जिसमें सड़क नेटवर्क, रेलवे लाइनें, जलाशय, उपयोगिता सेवाओं का नेटवर्क आदि शामिल होंगे।

(ii) **डेटा तैयार करना:** विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा का स्थानिक त्रुटियों, जैसे—ओवरलैप, गैप एवं असंरेखण का समाधान कर परिशोधन किया जाएगा। मौजूदा एवं प्रस्तावित सड़क नेटवर्क की निरन्तरता की जांच की जाएगी तथा उसमे आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि विभिन्न क्षेत्रों तथा पड़ोसी राज्यों के साथ परिवहन कॉरीडोर का समुचित संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) **जियो रेफरेंस बेस मैप तैयार करना:** स्थानिक एवं गैर-स्थानिक डेटा के एकीकरण तथा सभी डेटा को समान संदर्भ प्रणाली एवं मानकीकरण के अनुरूप व्यवस्थित कर एकीकृत जीआईएस डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

(iv) **सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण:** स्थानिक एवं गैर-स्थानिक डेटा की शुद्धता का स्थल सत्यापन तथा क्रॉस वैलीडेशन के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। त्रुटियों एवं असंगतियों में सुधार किया जाएगा। जिससे जीआईएस प्रणाली के परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

(v) **अनुरक्षण एवं अपडेट करना:** मास्टर प्लान (एमपीडी) के जीआईएस डेटाबेस को वार्षिक आधार पर नियमित अनुरक्षण एवं अपडेट किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रियल टाइम के डेटा, स्थल सर्वेक्षणों तथा भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तनों को समयबद्ध रूप से डेटाबेस में समाविष्ट किया जाएगा।

3.8.2 जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान (एमपीडी) का उपयोग

दिल्ली में नियोजन संबंधी जटिलताओं के समाधान तथा शहर को सतत विकास की दिशा में अग्रसर करने हेतु सटीकता, पारदर्शिता, कार्यकुशलता तथा हितधारकों की सहभागिता में वृद्धि करते हुए जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान (एमपीडी) एक सुदृढ़ रूपरेखा प्रदान करेगी।

(i) **प्लानिंग में कार्यकुशलता:** जीआईएस टूल वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, भूमि उपयोग का ज़ोन निर्धारण करने तथा विभिन्न मानदंडों के आधार पर विकास हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त, नेटवर्कों एवं सेवा-अंतराल का मानचित्रण कर आधारभूत संरचना नियोजन, पर्यावरणीय आकलन तथा जोखिम विश्लेषण में भी सहायता प्राप्त होगी। विभिन्न विकास परिदृश्यों एवं अनुकरण का विकास कर तथा प्रस्तावित नीतियों के क्रियान्वयन से पूर्व उनके प्रभावों का आकलन कर यह प्रणाली नियोजन प्रक्रिया को अधिक डेटा-आधारित, कार्यकुशल एवं उत्तरदायी बनाएगी।

(ii) **शहरी विकास का विनियमन:** जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान (एमपीडी) का उपयोग भूमि उपयोग क्षेत्रों के सटीक सीमांकन एवं सतत निगरानी के माध्यम से शहरी विकास के विनियमन हेतु किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास गतिविधियाँ अनुमोदित नियोजन मानदण्डों एवं नीतियों के अनुसार हों।

(iii) **मॉनीटरिंग:** जीआईएस मैप्स को रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वे तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत कर भूमि उपयोग में परिवर्तन, अवसंरचना के विकास तथा नियोजन विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक गतिशील एवं निरंतर अद्यतन होने वाला प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। वास्तविक समय तथा आवधिक डेटा के एकीकरण से अनधिकृत विकास एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम करने, परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने, वास्तविक विकास की तुलना नियोजित प्रस्तावों से करने तथा हरित क्षेत्रों के संरक्षण को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी।

(iv) **पारदर्शिता एवं जन सहभागिता:** वेब-बेस्ड जीआईएस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नागरिकों को नियोजन संबंधी डेटा की प्राप्ति सुलभ होगी, प्रस्तावित भूमि उपयोग परिवर्तनों का अवलोकन कर सकेंगे तथा अपने सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ दे सकेंगे। यह पारदर्शिता हितधारकों के मध्य विश्वास को सुदृढ़ करेगी तथा अधिक इन्क्लूसिव निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देंगी। साथ ही, स्पष्ट एवं सुलभ स्थानिक जानकारी उपलब्ध कराकर भूमि स्वामित्व, जोन निर्धारण तथा विकास अनुमति से संबंधित विवादों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

(v) **सरकारी एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय:** जीआईएस डेटाबेस विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य डेटा के आदान-प्रदान तथा समन्वित कार्य के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा तथा संभावित टकरावों (कॉनफ्लिक्ट) अथवा कार्यकुशलता की कमियों की पहचान करने में सहायता करेगा। यह एकीकृत व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि सभी नीतियाँ परस्पर समन्वित हों तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास अधिक संगठित, सुसंगत एवं सतत रूप से किया जा सके।

अध्याय–4 : स्थानिक विकास नीतियाँ

4.1 लैंड पूलिंग

लैंड पूलिंग पॉलिसी शहरी विकास का नया फ्रेमवर्क है, जिसमें प्राइवेट संस्थाएं या भू-स्वामी, भूमि को जोड़कर टाउन प्लानिंग स्कीम या किसी अन्य मॉडल के जरिए डीडीए के साथ मिलकर भूमि के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भू-स्वामी या स्वामियों के समूह निर्धारित मानकों एवं विनियमों के अनुसार अपनी भूमि के विकास में हिस्सा बन सकते हैं जिससे विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। एकीकृत योजना के लिए, सार्वजनिक सड़कों, सुविधाओं, जन-उपयोगी सेवाएं, हरित क्षेत्रों और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जरूरी जमीन डीडीए को हस्तांतरित की जाएगी।

शुल्क एवं प्रभार, अनुमोदन प्रक्रिया, मानदण्ड, शिकायत निवारण तंत्र तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण इसके विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।

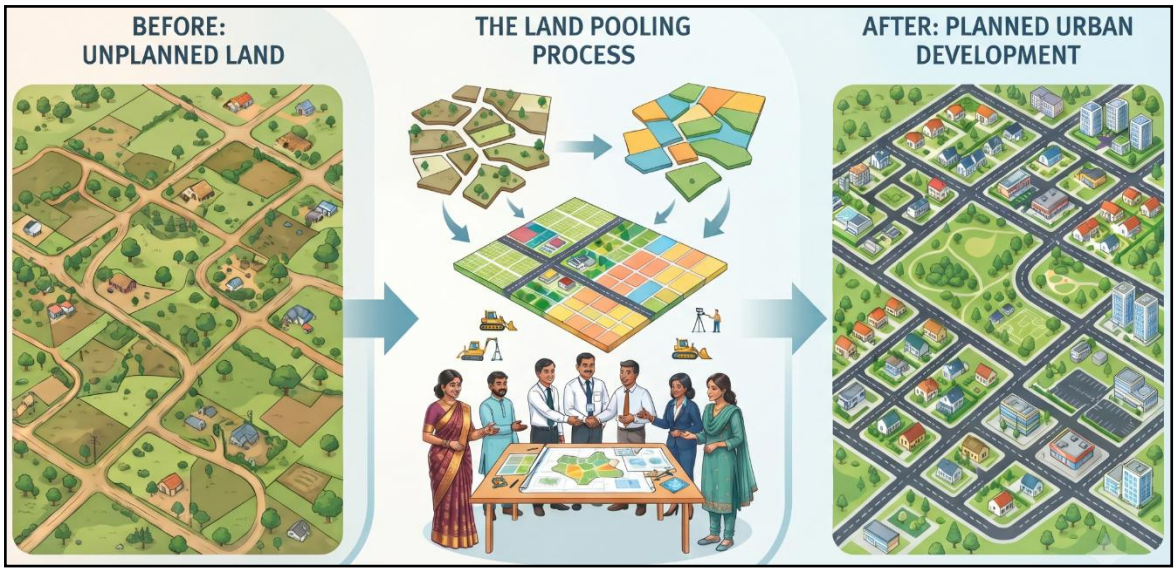

चित्र 5: लैंड पूलिंग प्रक्रिया

(केवल उदाहरण के लिए)

4.1.1 प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)

(i) इस अध्याय के प्रावधान प्लानिंग जोन के-1, एल, एन, पी-II, जे (भाग) तथा पी-I के एक भाग (अधिग्रहित न की गई भूमि), जिन्हें विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, पर लागू होंगे। निम्नलिखित क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होंगे—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के अंतर्गत आने वाली भूमि।

(ख) लाल डोरा (आबादी) क्षेत्र तथा गाँवों के अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र।

(ग) कोई भी सरकारी परियोजना, जिनके लिए डीडीए अथवा स्थानीय निकाय/एमसीडी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो अथवा जिसकी विकास योजना पहले से अनुमोदित हो।

(घ) पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, जैसे अधिसूचित वन/क्षेत्रीय उद्यानों के अंतर्गत आने वाली भूमि, प्राकृतिक नाले, जलाशयों तथा दिल्ली आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र।

(ङ) सरकार के स्वामित्व वाली अथवा किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आने वाली भूमि।

(च) धरोहर स्थलों के अंतर्गत भूमि।

(छ) सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नॉन-कॉनफॉर्मिंग औद्योगिक समूह तथा नॉन-कॉनफॉर्मिंग गोदाम समूह।

(ii) उपर्युक्त खंड 4.1.1 (i) में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त, विनियमों में अन्य क्षेत्रों को शामिल करने अथवा अन्य अपवादों का उल्लेख करने का प्रावधान किया जा सकता है।

4.1.2 मार्गदर्शक सिद्धांत

(i) लैंड पूलिंग क्षेत्रों में योजनाओं की तैयारी निम्नलिखित में से किसी एक विकास मॉडल को अपनाकर की जाएगी—

(क) भू-स्वामियों के समूह द्वारा भूमि के एकत्रीकरण के माध्यम से विकास।

(ख) डीडीए द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग स्कीमों के माध्यम से विकास।

(ग) किसी अन्य मॉडल के माध्यम से विकास, जिसे विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।

(ii) लैंड पूलिंग क्षेत्र में समस्त विकास अनुमोदित योजना के आधार पर इन्क्लूसिव जोनिंग की अवधारणा के अनुसार किया जाएगा, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, औद्योगिक तथा अन्य संगत उपयोगों का मिश्रण सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व क्षेत्रीय विकास योजनाओं की भूमि उपयोग योजना में दर्शाया गया संबंधित भूमि उपयोग, अनुमोदित विकास रूपरेखा द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा।

(iii) लैंड पूलिंग क्षेत्रों में 30 मीटर अथवा उससे अधिक मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) वाली सड़कों का नेटवर्क दिखाए गए हैं (मानचित्र-4 देखें)। डीडीए वास्तविक भौतिक परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तावित रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार पर इन सड़कों को अधिसूचित करेगा तथा उनका विकास करेगा।

(iv) सड़कों एवं अन्य आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक भूमि भू-स्वामियों के समूह द्वारा पूलिंग के माध्यम से अथवा इस नीति के अंतर्गत किसी अन्य विकास मॉडल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यदि सड़क एवं आधारभूत संरचना हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो डीडीए सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित नीति के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करेगा।

(v) डीडीए अनुमोदित योजना के अनुसार योजनाओं की तैयारी तथा सभी सड़कों, पार्कों, खेल मैदानों, जन उपयोगी सेवाएं, सेवाओं, सामाजिक आधारभूत संरचनाओं, सामाजिक आवास आदि के विकास हेतु प्रमुख समन्वयकारी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

(vi) भू-स्वामियों के समूह द्वारा भूमि एकत्रिकरण के माध्यम से विकसित की जाने वाली प्रत्येक योजना का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए।

(vii) डीडीए टाउन प्लानिंग स्कीम की अवधारणा के माध्यम से चरणबद्ध विकास हेतु स्कीमों की पहचान भी करेगा।

(viii) किसी भी आकार के भू-खंड के भू-स्वामी विनियमों में निर्दिष्ट आवेदन प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करा कर योजना में भाग ले सकेंगे। लैंड पूलिंग हेतु प्रस्तुत भूमि सभी प्रकार के भारों एवं दायित्वों से मुक्त होगी तथा संबंधित भू-स्वामी के पास उस भूमि का वैध स्वामित्व एवं वास्तविक भौतिक कब्जा होना आवश्यक होगा।

(ix) विकास की लागत का परिकलन संपूर्ण स्कीम के आधार पर किया जाएगा तथा भू-स्वामियों से विकास प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा। डीडीए अथवा सेवा प्रदाता एजेंसी विकास प्रभार एवं अन्य लागू शुल्कों के भुगतान के आधार पर संरचना के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे।

(x) लैंड पूलिंग स्कीम्स के अंतर्गत डीडीए अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को हस्तांतरित भूमि का उपयोग अपनाए गए डेवलपमेंट मॉडल के आधार पर किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

(xi) लैंड पूलिंग क्षेत्रों में लागू अन्य विकास नीतियों, जैसे टीओडी, एचडीसी आदि के अंतर्गत आने वाले प्लॉटों के लिए विकास नियंत्रण मानदण्ड संबंधित नीतियों के अनुसार शासित होंगे। अन्य मामलों में, लैंड पूलिंग नीति के विकास नियंत्रण मानदण्ड लागू होंगे।

(xii) योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छूट प्राधिकरण के अनुमोदन से ही दी जाएगी।

4.1.3 विकास नियंत्रण मानदंड

(i) स्कीम्स के अंतर्गत प्रत्येक प्लॉट का एफएआर 200 होगा।

(ii) प्लॉट में अलग-अलग तरह की गतिविधियों या इस्तेमाल की अनुमति विनियमों में निर्धारित मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के आधार पर होगी।

(iii) टाउन प्लानिंग स्कीम के मामले में भूमि हिस्सेदारी का प्रतिशत विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा।

(iv) यदि भू-स्वामियों के समूह के पास 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के आपस में जुड़े हुए भूमि खंड हों, तो वे उस क्षेत्र को विकास स्कीम के रूप में अधिसूचित कराने हेतु डीडीए से अनुरोध कर सकते हैं। भूमि हिस्सेदारी का वितरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित 60:40 के अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

तालिका 4.1.1 : लैंड पूलिंग – योजना स्तर पर भूमि उपयोग का वितरण

क्रम संख्या	भूमि उपयोग	योजना स्तर पर क्षेत्र वितरण	
		अधिकतम 60 % (भू-स्वामियों का हिस्सा)	न्यूनतम 40 % (डीडीए का हिस्सा)
1	सकल आवासीय	53%*	-
2	व्यावसायिक	5%	5%
3	पीएसपी	2%	-

4	**सेवाएँ (मनोरंजनात्मक, पीएसपी, सड़क और आवागमन) और बिक्री योग्य घटक**	-	35%

तथापि, भू-स्वामियों द्वारा भूमि के समेकन की स्थिति में, विशिष्ट योजनाओं के लिए डीडीए द्वारा विशिष्ट विनियम तैयार किए जा सकते हैं।

(v) स्कीम में चिह्नित सड़कों/आधारभूत संरचना /सेवाओं (जिसमें जलापूर्ति लाइनें, विद्युत आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी आदि सम्मिलित हैं) के प्रावधान हेतु भूमि की आवश्यकता निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

4.1.4 शिकायत निवारण

नीति के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।

4.2 ट्रांजिट ऑरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी)

ट्रांजिट ऑरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) शहरी विकास का एक नया आदर्श है, जिसके अंतर्गत वर्तमान एवं प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन ट्रांजिट संरचना तथा उससे जुड़े बड़े उपयोगकर्ता आधार का लाभ उठाकर सतत गतिशीलता सुनिश्चित की जाती है तथा सघन मिश्रित भूमि उपयोग विकास के माध्यम से भूमि का अधिकतम अनुकूल उपयोग किया जाता है।

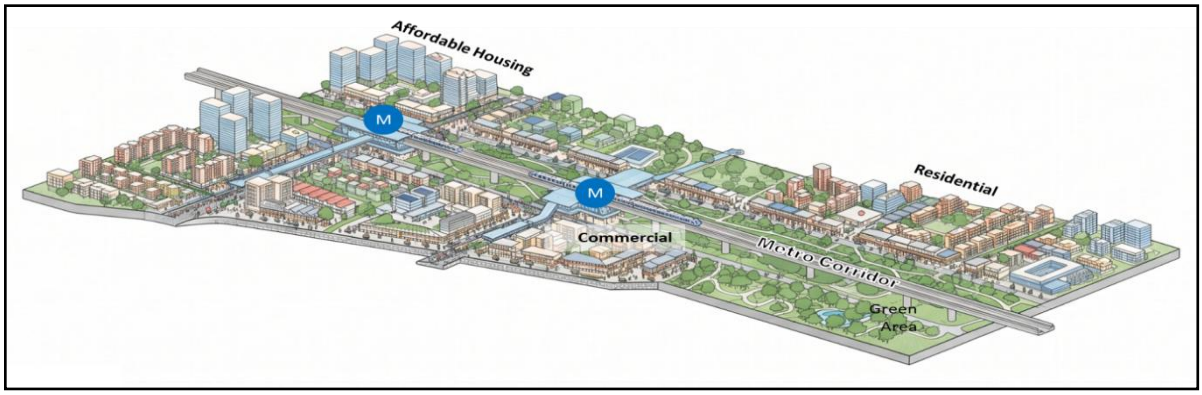

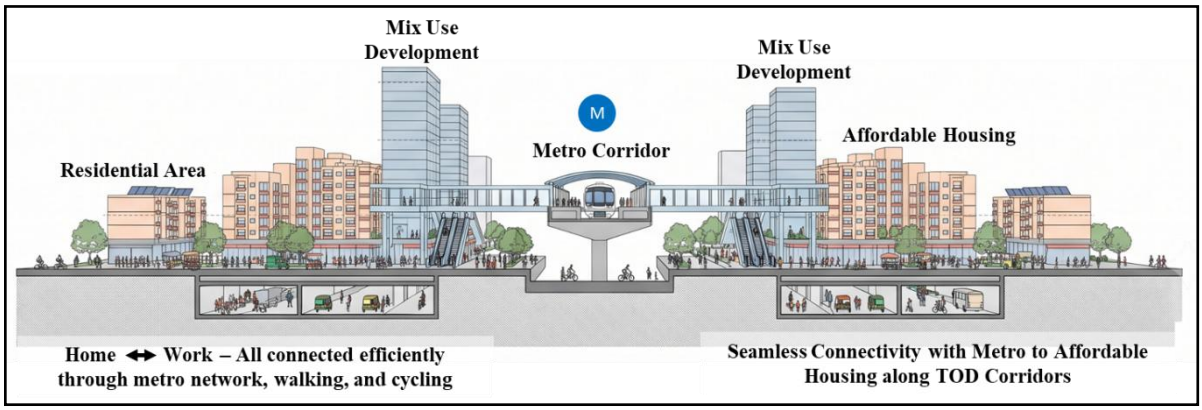

चित्र 6: ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी)

(केवल उदाहरण के लिए)

4.2.1 परिभाषाएँ

(i) **"टीओडी क्षेत्र":** वर्तमान एवं प्रस्तावित/अनुमोदित मेट्रो कॉरिडोर/मार्गों की मध्य रेखा के दोनों ओर 500 मीटर चौड़े कॉरिडोर तथा रीजनल एवं अंतर्राज्यीय जन परिवहन स्टेशनों, जैसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), रेलवे स्टेशन, हाई-स्पीड रेल (एचआरएस) आदि के 500 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्र को टीओडी क्षेत्र कहा जाएगा। ट्रांजिट स्टेशनों के केंद्रक (सेंट्रोइड) का उपयोग टीओडी नोड को निरूपित करने के लिया किया जाएगा, जहां इस नीति के प्रावधान लागू हैं।

(ii) **"टीओडी प्लॉट"**: ऐसा प्लॉट जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर हो तथा जो इस नीति के अनुसार निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

(iii) **"कार्पेट क्षेत्रफल"**: रेरा अधिनियम के अनुसार, "किसी अपार्टमेंट का, वाह्य दीवारों द्वारा आवेष्टित क्षेत्र, सर्विस शाफ्टों के अधीन के क्षेत्रों, अनन्य बालकोनी या बरामदे के क्षेत्रों और अनन्य खुले टेरेस क्षेत्र को छोड़कर, वास्तविक प्रयोक्तव्य फर्श क्षेत्र अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत अपार्टमेंट की आंतरिक विभाजक दीवारों द्वारा आवेष्टित क्षेत्र आता है।"

(iv) **"विकासकर्ता संस्था (डीई)":** विकासकर्ता संस्था (डीई) से आशय ऐसे भूमि/संपत्ति स्वामी अथवा एकाधिक संस्थाओं से है, जिन्होंने टीओडी प्लॉट के नियोजन एवं विकास के लिए वैध एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय समझौते के माध्यम से एक साथ कार्य करने का निर्णय लिया हो।

4.2.2 नीति की प्रयोज्यता

टीओडी नीति केवल टीओडी क्षेत्र में ही लागू होगी। निम्नलिखित क्षेत्रों अथवा डीडीए द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में यह नीति लागू नहीं होगी—

(i) पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील कोई भी क्षेत्र

(ii) ज़ोन 'ओ' तथा उसके बफर क्षेत्र।

(iii) लो-डेन्सिटी एरिया।

(iv) स्मारक निषिद्ध क्षेत्र तथा विरासत भवन।

(v) सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र (एमसीडी एवं डीडीए की लेआउट योजना के अनुसार) ।

(vi) लुटियंस बंगला क्षेत्र एवं चाणक्यपुरी (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और एलएण्डडीओ की लेआउट योजना के अनुसार) ।

(vii) अधिसूचित छावनी (कैंटोनमेंट) क्षेत्र।

4.2.3 टीओडी मानदंड

(i) टीओडी नीति में भागीदारी स्वैच्छिक है। टीओडी प्लॉटों के मामले में, स्वीकृत टीओडी परियोजना के अनुसार वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिस्थापित माना जाएगा। टीओडी नीति में भाग नहीं लेने के इच्छुक वर्तमान भू-स्वामी, मास्टर प्लान (एमपीडी) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।

(ii) पात्रता के लिए टीओडी प्लॉटों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

(क) टीओडी प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर होना चाहिए। टीओडी प्लॉट पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से (प्लॉट का कम-से-कम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल) टीओडी क्षेत्र के भीतर स्थित हो सकते हैं।

(ख) टीओडी प्लॉट तक पहुँच कम-से-कम 18 मीटर आरओडब्ल्यू वाली मौजूदा सड़क से होनी चाहिए। यदि 18 मीटर आरओडब्ल्यू वाली मौजूदा पहुँच सड़क

उपलब्ध नहीं है, तो 18 मीटर आरओडब्ल्यू (या उससे ज़्यादा) वाली किसी भी मौजूदा सड़क से, लगातार 18 मीटर आरओडब्ल्यू वाली प्रस्तावित सड़क के आधार पर टीओडी योजना पर विचार किया जा सकता है। ऐसी सड़कों के लिए, इस नीति के तहत पैदल चलने और साइकिल चलाने की सुविधा बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त भूमि को टीओडी योजना क्षेत्र से बाहर आरक्षित रखा जाएगा। ऐसे सड़क चौड़ीकरण अथवा सार्वजनिक सुविधा हेतु स्थानीय निकाय को समर्पित भूमि के हिस्से के लिए एफएआर लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना स्वीकृत करते समय उक्त प्रावधान को टीओडी परियोजना योजना में अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पैदल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए, टीओडी योजना के परियोजना प्रस्तावक अपने विकल्प के अनुसार परियोजना स्थल को ट्रांजिट स्टेशन से जोड़ने हेतु भूमिगत अथवा एलिवेटिड पैदल मार्ग उपलब्ध करा सकते हैं।

(iii) टीओडी क्षेत्र में चल रही परियोजनाएँ भी इस नीति के अंतर्गत टीओडी मानदंडों का लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी, बशर्ते वे इस नीति के सभी प्रावधानों, मानदंडों एवं शर्तों का अनुपालन करें तथा निर्धारित टीओडी प्रभार एवं अतिरिक्त एफएआर प्रभार का भुगतान करें।

(iv) एफएआर

(क) टीओडी प्लॉट के लिए एफएआर निम्नानुसार होगा:

i. समय-समय पर अधिसूचित टीओडी प्रभार भुगतान पर बेस एफएआर 400 होगा।

ii. विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा टीओडी परियोजना में एफएआर के वास्तविक उपयोग की परवाह किए बिना बेस एफएआर 400 के लिए टीओडी प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

iii. निजी भूमि पर स्थित उन टीओडी परियोजनाओं के लिए, जहाँ ऊँचाई संबंधी प्रतिबंधों के कारण अथवा ग्राउन्ड कवरेज में छूट दिए जाने के बाद भी बेस एफएआर का उपयोग संभव नहीं है, अथवा स्थल-विशिष्ट बाधाओं के कारण ग्राउन्ड कवरेज में छूट देना संभव नहीं है, वहाँ टीओडी समिति टीओडी परियोजनाओं हेतु बेस एफएआर एवं टीओडी प्रभार में छूट प्रदान कर सकती है। ऐसे प्लॉट के मामलों में टीओडी परियोजना में प्राप्त एफएआर के अनुपात के अनुसार प्रो-राटा बेस पर टीओडी प्रभार में छूट दी जा सकती है।

iv. अधिकतम अनुमत एफएआर 500 होगा।

v. 400 से अधिक एफएआर की अनुमति केवल अतिरिक्त एफएआर प्रभार के भुगतान के उपरांत ही दी जाएगी। अतिरिक्त एफएआर प्रभार का निर्धारण 400 से अधिक स्वीकृत एफएआर के अनुरूप प्रो-राटा आधार पर किया जाएगा। यह भुगतान समय-समय पर अधिसूचित टीओडी प्रभार के अतिरिक्त होगा।

(ख) टीओडी जोन में प्रत्येक प्लॉट पर अनुमत मिश्रित उपयोग निम्नानुसार होगा:

i. कुल अनुमेय एफएआर का न्यूनतम 65 प्रतिशत भाग 60 वर्गमीटर से कम कार्पेट क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाइयों के लिए आरक्षित होगा। इसमें गेस्ट हाउस एवं स्टूडियो अपार्टमेंट भी सम्मिलित होंगे।

ii. कुल अनुमेय एफएआर का न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग मास्टर प्लान (एमपीडी) में उल्लिखित स्थानीय स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों, सार्वजनिक सुविधाओं तथा सामाजिक सुविधाओं के लिए आरक्षित होगा।

iii. कुल अनुमेय एफएआर के शेष 25 प्रतिशत भाग का उपयोग किसी भी आकार की आवासीय इकाइयों अथवा कार्यालय स्थान/गेस्ट हाउस/स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए किया जा सकेगा।

नोट:

i. मौजूदा सर्विस लेन/ पब्लिक रोड/ पब्लिक ड्रेन/ पब्लिक पार्क आदि के लिए, ऐसे क्षेत्रों में आने वाली भूमि को एफएआर, ग्राउन्ड कवरेज तथा योजना क्षेत्र की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

ii. विकास के भाग के रूप में उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक सुविधाएँ, जैसे सार्वजनिक शौचालय, पुल आदि, एफएआर से मुक्त होंगी, बशर्ते उनका नियमित अनुरक्षण विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा किया जाए तथा वे पूरे दिन आम जनता के लिए खुले एवं सुलभ रहें। ऐसा न होने पर संबंधित स्थानीय निकाय उन्हें अपने अधीन ले लेगा।

iii. उपर्युक्त मानदंड केवल आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सरकारी तथा परिवहन भूमि उपयोग पर लागू होंगे। इन श्रेणियों में मौजूदा गतिविधियाँ इस नीति के अंतर्गत गठित टीओडी समिति द्वारा अनुमोदित टीओडी परियोजना के अनुसार प्रतिस्थापित मानी जाएँगी।

iv. टीओडी जोनों में बढ़े हुए आबादी के अनुरूप स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु, टीओडी जोन के

भीतर पूर्णतः स्थित सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्लॉटों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्टैंड-अलोन टीओडी परियोजनाओं के रूप में आवेदन करने की अनुमति होगी:

(क) ऐसे प्लॉटों को, मूलतः अभिप्रेत समान उपयोग बनाए रखते हुए, टीओडी लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य प्लॉट के साथ समामेलित किया जा सकेगा।

(ख) ऐसे प्लॉटों का संपूर्ण एफएआर टीओडी परियोजना में केवल सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) उपयोग के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा। ऐसे स्थलों पर मिश्रित उपयोग की अनुमति नहीं होगी तथा वर्तमान उपयोग परिसर यथावत रखा जाएगा।

(ग) विद्यालय प्लॉटों के मामले में खेल मैदान के मौजूद क्षेत्रफल को उसी प्लॉट में यथावत रखा जाएगा अथवा उसमें वृद्धि की जाएगी।

(घ) पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होगी।

v. परिवहन भूमि उपयोग के लिए, मिश्रित उपयोग की अनुमति सभी परिचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात दी जाएगी।

vi. सरकारी भूमि पर टीओडी परियोजनाओं के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों में टीओडी समिति की संस्तुति पर केंद्र सरकार के अनुमोदन की शर्त पर छूट प्रदान की जा सकती है।

vii. आवासीय एवं गैर-आवासीय उपयोगों के वर्टिकल मिक्स वाले भवनों में, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन पर आवश्यक पृथक प्रवेश/निकास एवं सेवा कोर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(v) ग्राउन्ड कवरेज: टीओडी प्लॉट पर प्रस्तावित विकास में अधिकतम 40 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज की अनुमति होगी। तथापि, निजी भूमि पर स्थित ऐसे टीओडी परियोजनाओं के मामले में, जो ऊँचाई संबंधी प्रतिबंधों के कारण अनुमत एफएआर का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अग्नि एवं सुरक्षा मानकों तथा हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखे जाने वाले क्षेत्र से समझौता किए बिना, टीओडी समिति द्वारा ग्राउन्ड कवरेज में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(vi) **सेटबैक:**

(क) 2000 वर्गमीटर से 10,000 वर्गमीटर तक के प्लॉटों के लिए – न्यूनतम फ्रन्ट सेटबैक: 9 मीटर, रियर सेटबैक: 6 मीटर, तथा साइड सेटबैक्स: 6 मीटर।

(ख) 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों के लिए – न्यूनतम फ्रन्ट सेटबैक: 15 मीटर, रियर सेटबैक: 12 मीटर, तथा साइड सेटबैक्स: 12 मीटर।

(vii) **हरित क्षेत्र:** टीओडी परियोजना के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। निजी भूमि पर स्थित टीओडी परियोजनाओं के लिए टीओडी समिति द्वारा इस सीमा में अधिकतम 2 प्रतिशत तक का परिवर्तन अनुमत किया जा सकेगा।

(viii) **पार्किंग:**

(क) टीओडी प्लॉट में प्रत्येक 100 वर्गमीटर एफएआर क्षेत्र के लिए 1 समतुल्य कार स्थान (ईसीएस) उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली मिश्रित उपयोग स्कीमों में टीओडी प्लॉट के भीतर उपलब्ध कराई जाने वाली कुल पार्किंग क्षमता का न्यूनतम 30 प्रतिशत भाग 'सार्वजनिक पार्किंग' सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) सर्वजन अभिगम्यता तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारभूत संरचना से संबंधित सभी प्रावधान मौजूदा मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ix) मिश्रित उपयोग वाले टीओडी परियोजनाओं में, यथासंभव सार्वजनिक सड़कों के फ्रंटेज पर एक्टिव फ्रंटेज उपलब्ध कराया जा सकेगा। एक्टिव फ्रंटेज में आर्केड, स्तंभयुक्त बरामदे, दुकानों के फ्रंटेज, पैदल यात्रियों के प्रवेश/निकास, प्लाज़ा, अभिगम बिंदु, पारदर्शी खिड़कियाँ आदि सम्मिलित होंगे।

(x) टीओडी जोन में मौजूद प्लॉटों के समामेलन एवं पुनर्गठन की अनुमति होगी। यदि किसी समामेलित प्लॉट के अंदर ऐसी सार्वजनिक सड़क स्थित हो, जो किसी अन्य प्लॉट तक पहुँच को प्रभावित करती हो, तो उसे यथावत बनाए रखा जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार मौजूदा सेवाओं के पुनर्संरेखण के साथ वैकल्पिक नई सड़क विकसित की जाएगी। क्षेत्र में समग्र यातायात संचलन व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सड़क भी उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2.4 नीति के कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण इस नीति के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा तथा उसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी—

(क) टीओडी परियोजनाओं के अनुमोदन के उद्देश्य से सम्पूर्ण टीओडी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण टीओडी परियोजनाओं के अनुमोदन

तथा भवन मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु नोडल प्राधिकरण होगा। सेवाओं की उपलब्धता, अनुरक्षण तथा आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय/सेवा प्रदाता एजेंसियों का होगा।

(ख) समेकित टीओडी प्लॉट के भाग के रूप में लीजहोल्ड व्यक्तिगत प्लॉट, लीजहोल्ड संस्थागत प्लॉट को छोड़कर, सभी देयकों के भुगतान के उपरांत फ्रीहोल्ड माने जाएंगे।

(ग) एक विशिष्ट टीओडी निधि की स्थापना एवं प्रबंधन किया जाएगा।

(घ) टीओडी नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए एक विशिष्ट पोर्टल अथवा माइक्रो साइट स्थापित की जाएगी।

(ii) टीओडी समिति एवं अनुमोदन प्रक्रिया:

(क) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i. अभियंता सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण।

ii. प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन), दिल्ली विकास प्राधिकरण।

iii. मुख्य नगर नियोजक, एमसीडी।

iv. मुख्य अभियंता, भवन विभाग, एमसीडी।

v. मुख्य वास्तुविद्, एनडीएमसी।

vi. मुख्य वास्तुविद्, डीएमआरसी।

vii. दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस आदि सेवा प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधि।

viii. दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली यातायात पुलिस के प्रतिनिधि।

ix. निदेशक (भवन), दिल्ली विकास प्राधिकरण।

x. परियोजना की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषय विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

xi. आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

(ख) भवन मानचित्रों सहित टीओडी परियोजना का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) के माध्यम से प्रस्तुत किया

जाएगा। टीओडी समिति टीओडी प्लॉट को स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके उपरांत भवन मानचित्रों को ओबीपीएस के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ग) अनुमोदन प्रक्रिया में तीव्रता लाने के उद्देश्य से टीओडी समिति नियमित रूप से बैठक करेगी। टीओडी परियोजना के अनुमोदन की अधिकतम समय-सीमा भवन मानचित्रों के अनुमोदन सहित, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन होगी।

(घ) यदि परियोजना के सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा आवेदक को अनुमोदन अथवा अस्वीकृति की सूचना नहीं दी जाती है, तो ओबीपीएस पोर्टल पर 60 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद भवन मानचित्रों सहित टीओडी परियोजना को स्वीकृत माना जाएगा।

(ङ) टीओडी परियोजना का प्रस्ताव, प्रचलित दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) तथा यूबीबीएल में जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जिसमें जीरो डिस्चार्ज एवं दोहरी-पाइपिंग प्रणाली, सौर ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा दक्षता तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, से संबंधित अनिवार्य सतत विकास प्रावधानों/हरित भवन मानकों का अनुपालन करेगा।

(च) टीओडी जोन का मानचित्र, स्थानिक विकास नीति दर्शाने वाले मानचित्र 4 के भाग के रूप में संलग्न है। जैसे-जैसे नए मेट्रो कॉरिडोर/मार्ग तथा रीजनल एवं अंतरराज्यीय जन परिवहन स्टेशन, जैसे रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), रेलवे स्टेशन, हाई स्पीड रेल (एचएसआर) आदि, परिचालित/ नियोजित/ अनुमोदित किए जाएंगे, उन्हें स्वतः ही टीओडी के अंतर्गत माना जाएगा। जिन टीओडी जोनों में नए मेट्रो कॉरिडोर/मार्ग तथा रीजनल एवं अंतरराज्यीय जन परिवहन स्टेशन, जैसे आरआरटीएस, रेलवे स्टेशन अथवा हाई स्पीड रेल, नियोजित अथवा अनुमोदित अवस्था में हैं, वहाँ टीओडी परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया उनके निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने के साथ प्रारम्भ होगी।

(छ) विकासकर्ता संस्था (डीई) टीओडी प्रभार तथा अतिरिक्त एफएआर प्रभार (400 से अधिक एफएआर के लिए, जहाँ आवश्यक हो), दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान करेंगी। टीओडी समिति द्वारा टीओडी प्लॉट की स्वीकृति के उपरांत उक्त प्रभार ओबीपीएस के माध्यम से जमा किए जाएंगे। इन प्रभारों को विनियमों में

विस्तारित किया जाएगा, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट टीओडी निधि हेतु एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, ताकि विनिर्दिष्ट संबंधित एजेंसियों द्वारा टीओडी क्षेत्र में क्षेत्रीय सुधार एवं आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना उन्नयन कार्य किए जा सकें।

(ज) टीओडी क्षेत्र के भीतर मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जन परिवहन एजेंसी अथवा अन्य सार्वजनिक/निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी के माध्यम से किया जाएगा।

4.2.5 शिकायत निवारण

टीओडी परियोजनाओं के अनुमोदन तथा टीओडी क्षेत्र में आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों के निष्पादन से संबंधित शिकायतें टीओडी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, जिनका निस्तारण विभिन्न स्थानीय निकायों तथा सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा उनकी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

4.3 हाई डेन्सिटी कॉरिडोर डेवलपमेंट

हाई डेन्सिटी कॉरिडोर (एचडीसी) क्षेत्र की परिकल्पना शहरी विस्तार सड़क (यूईआर)-II के निर्मित भाग के साथ-साथ योजना क्षेत्रों के-1, एल, एन, पी-I एवं पी-II में भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करने के उद्देश्य से की गई है, जिसके अंतर्गत सघन, मिश्रित उपयोग एवं उच्च सघनता वाले विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य निर्बाध संपर्कता को बढ़ावा देना, यात्रा मांग को कम करना तथा सड़क एवं सार्वजनिक परिवहन आधारभूत संरचना के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना है, साथ ही यूईआर-II के निर्मित भाग के साथ सतत, पैदल यात्री अनुकूल शहरी विकास को प्रोत्साहित करना है। यह नीति भविष्य में मास्टर प्लान में परिकल्पित यूईआर के उन विस्तारों पर भी लागू होगी, जिन्हें समय-समय पर क्रियान्वित किया जाएगा। एचडीसी क्षेत्र के बाहर आने वाली भूमि का विकास दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) में लागू संबंधित नीति के अनुसार किया जाएगा।

चित्र 7: हाई डेन्सिटी कॉरिडोर डेवलपमेंट (एचडीसी)

(केवल उदाहरण के लिए)

4.3.1 परिभाषाएँ

(i) **"एचडीसी जोन**: शहरी विस्तार सड़क (यूईआर)-II के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की सीमा से दोनों ओर 250 मीटर चौड़े कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (यूईआर-II के निर्मित भाग के साथ द्वितीयक सेवा मार्ग की उपलब्धता के अधीन), जो योजना क्षेत्र के-1, एल, एन, पी-1 एवं पी-II में स्थित है और जहाँ इस नीति के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) **"सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी)"**: एचडीसी जोन की सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) डीडीए द्वारा तैयार की जाएगी तथा यह संबंधित लैंड पूलिंग क्षेत्र के लिए तैयार की गई सड़क नेटवर्क प्लान के अनुरूप होगी। इस योजना में नई सड़कों का प्रावधान, मौजूदा सड़कों के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) को चौड़ा करने का चौड़ीकरण, सड़क आधारभूत संरचना का उन्नयन (जिसमें पैदल चलने वाले क्षेत्रों का विकास एवं गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) सुविधाएँ शामिल हैं) तथा एचडीसी क्षेत्र में प्रस्तावित उच्च सघनता वाले विकास को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मूलभूत आधारभूत संरचना एवं सेवाओं का प्रावधान शामिल होगा।

(iii) **"एचडीसी प्लॉट"**: से आशय ऐसे "फाइनल प्लॉट" से है, जो इस नीति के अंतर्गत निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो तथा जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल न्यूनतम 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले "मूल प्लॉट" में से 50% क्षेत्रफल घटाए जाने के पश्चात न्यूनतम 4,000 वर्ग मीटर हो।

(iv) **"कार्पेट क्षेत्रफल":** रेरा अधिनियम के अनुसार, "किसी अपार्टमेंट का, वाह्य दीवारों द्वारा आवेष्टित क्षेत्र, सर्विस शाफ्टों के अधीन के क्षेत्रों, अनन्य बालकोनी या बरामदे के क्षेत्रों और अनन्य खुले टेरेस क्षेत्र को छोड़कर, वास्तविक प्रयोक्तव्य फर्श क्षेत्र अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत अपार्टमेंट की आंतरिक विभाजक दीवारों द्वारा आवेष्टित क्षेत्र आता है।"

(v) **"विकासकर्ता संस्था (डीई)"**: से अभिप्राय ऐसे भू-/संपत्ति स्वामी अथवा एकाधिक संस्थाओं से है, जिन्होंने एचडीसी प्लॉटों के नियोजन एवं विकास हेतु विधिसम्मत तथा

विधिक रूप से प्रवर्तनीय अनुबंध के माध्यम से एक साथ कार्य करने का निर्णय लिया हो।

4.3.2 नीति की प्रयोज्यता

यह नीति केवल एचडीसी क्षेत्र में ही लागू होगी (मानचित्र 4 देखें)। यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगी—

(i) पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील कोई भी क्षेत्र

(ii) लो-डेन्सिटी एरिया ।

(iii) स्मारक निषिद्ध क्षेत्र एवं विरासत भवन।

(iv) छावनी एवं रक्षा क्षेत्र।

4.3.3 एचडीसी मानदण्ड

(i) एचडीसी नीति में भागीदारी स्वैच्छिक होगी। एचडीसी प्लॉटों के मामले में, भूमि उपयोग स्वीकृत एचडीसी परियोजना के अनुसार होगा। एचडीसी में भाग नहीं लेने के इच्छुक प्लॉटों के लिए मास्टर प्लान (एमपीडी) की प्रचलित नीति लागू होगी।

(ii) **एचडीसी प्लॉटों को पात्रता हेतु निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करना होगा:**

(क) न्यूनतम 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला फाइनल प्लॉट, न्यूनतम 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले "मूल प्लॉट" के 50% क्षेत्रफल को सरेंडर किए जाने के पश्चात, एचडीसी नीति के अंतर्गत विकास हेतु पात्र होगा। उक्त एचडीसी प्लॉट संबंधित लैंड पूलिंग क्षेत्र के लिए अधिसूचित सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) का भाग होगा।

ख) सड़क चौड़ीकरण/सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु डीडीए के लिए, अधिकतम 50% भूमि कटौती सीमा से अधिक सरेंडर किए गए क्षेत्र के संबंध में एचडीसी प्लॉटों को एफएआर लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह प्रावधान इस नीति में उल्लिखित समिति के अनुमोदन से उन फाइनल एचडीसी प्लॉटों के लिए अनुमत्य होगा, जिनके "मूल प्लॉट" का क्षेत्रफल न्यूनतम 8,000 वर्ग मीटर है, परंतु विभिन्न स्थल-स्तरीय बाधाओं के कारण 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला "फाइनल प्लॉट क्षेत्र" आरएनपी में आवंटित नहीं किया जा सकता हो।

(ग) एचडीसी प्लॉट पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से (कम से कम 75 प्रतिशत प्लॉट क्षेत्र) एचडीसी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हो सकते हैं।

(घ) एचडीसी प्लॉट तक पहुँच न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) वाली सड़क से होनी चाहिए।

(iii) **एफएआर:** अंतिम एचडीसी प्लॉट क्षेत्रफल का उपयोग विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा किसी भी उपयोग, अर्थात् आवासीय, व्यावसायिक, पीएसपी तथा वेयरहाउसिंग/लॉजिस्टिक्स के विकास के लिए निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा:

(क) आवासीय, व्यावसायिक तथा पीएसपी उपयोग के लिए अधिकतम अनुमेय एफएआर 400 होगा।

(ख) अनुमेय एफएआर का 20% भाग आवासीय, व्यावसायिक तथा पीएसपी उपयोग में 60 वर्गमीटर कार्पेट क्षेत्रफल से कम आकार वाली आवासीय इकाइयों के साथ किफायती आवासों के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा।

(ग) यूईआर-II से जुड़ने वाली मास्टर प्लान (एमपीडी) सड़कों का विकास वेयरहाउसिंग/लॉजिस्टिक नोड के रूप में किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम अनुमेय एफएआर 120 होगा।

(घ) समय-समय पर अधिसूचित एचडीसी प्रभार का भुगतान भू-स्वामी द्वारा किया जाएगा।

(ङ) यदि स्थल-विशिष्ट बाधाओं के कारण अनुमत एफएआर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो टीओडी समिति ग्राउंड कवरेज में छूट प्रदान कर सकती है।

(च) वेयरहाउसिंग/लॉजिस्टिक्स उपयोग हेतु निर्धारित प्लॉटों को छोड़कर अन्य वर्टिकल मिक्सिंग उपयोग की अनुमति होगी। आवासीय एवं गैर-आवासीय उपयोग वाले वर्टिकल मिक्सिंग उपयोग भवनों में, लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप पृथक प्रवेश/निकास तथा सेवा कोर उपलब्ध कराए जाएंगे।

नोट:

(i) मौजूदा सेवा लेन, सार्वजनिक सड़कें, सार्वजनिक नालियाँ, सार्वजनिक पार्क आदि क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि को एफएआर, ग्राउन्ड कवरेज अथवा स्कीम क्षेत्रफल की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ii) विकास के भाग के रूप में उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक सुविधाएँ, जैसे सार्वजनिक शौचालय, पुल आदि, एफएआर से मुक्त होंगी, बशर्ते कि उनका नियमित रखरखाव विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा किया जाए तथा वे पूरे दिन सार्वजनिक उपयोग एवं पहुँच के लिए खुले रहें। ऐसा न होने की स्थिति में संबंधित स्थानीय निकाय उक्त सुविधा का अधिग्रहण कर लेगा।

(iii) सरकारी भूमि के लिए विकास नियंत्रण मानदण्डों में छूट, टीओडी समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के अनुमोदन पर प्रदान की जा सकेगी।

(iv) **ग्राउन्ड कवरेज**:

(क) आवासीय, व्यावसायिक और पीएसपी उपयोग हेतु एचडीसी प्लॉटों के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज की अनुमति होगी।

(ख) वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स उपयोग हेतु एचडीसी प्लॉटों में अधिकतम 70 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज की अनुमति होगी, जिसमें एचडीसी प्लॉटों के भीतर लोडिंग/अनलोडिंग सुविधा उपलब्ध होगी।

(ग) ऊँचाई संबंधी प्रतिबंधों के कारण अनुमत एफएआर का उपयोग न कर पाने वाली एचडीसी परियोजनाओं के लिए टीओडी समिति द्वारा ग्राउन्ड कवरेज में छूट प्रदान की जा सकती है, बशर्ते अग्नि एवं सुरक्षा मानकों, हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखे जाने वाले क्षेत्र तथा वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स उपयोग हेतु निर्धारित एचडीसी प्लॉटों में पार्किंग, लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु आवश्यक क्षेत्र से समझौता न किया जाए।

(v) **सेटबैक**

(क) 4,000 वर्गमीटर से 10,000 वर्गमीटर तक के प्लॉटों के लिए— न्यूनतम फ्रंट सेटबैक: 9 मीटर, रियर सेटबैक: 6 मीटर, साइड सेटबैक्स: 6 मीटर प्रत्येक

(ख) 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों के लिए— न्यूनतम फ्रंट सेटबैक: 15 मीटर, रियर सेटबैक: 12 मीटर, साइड सेटबैक्स: 12 मीटर प्रत्येक

(vi) **हरित क्षेत्र:** प्लॉट के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 15 प्रतिशत भाग हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

(vii) **पार्किंग:**

(क) आवासीय, व्यावसायिक और पीएसपी उपयोग हेतु प्रयुक्त प्रत्येक 100 वर्गमीटर एफएआर क्षेत्र के लिए दो (02) समतुल्य कार्य स्थल (ईसीएस) उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स उपयोग हेतु प्रयुक्त प्रत्येक 100 वर्गमीटर एफएआर क्षेत्र के लिए एक (01) समकक्ष कार स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। लोडिंग एवं अनलोडिंग सुविधा प्लॉट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) सार्वभौमिक अभिगम्यता (यूनिवर्सल एक्सेसीबिलिटी) तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारभूत संरचना से संबंधित सभी प्रावधान प्रचलित यूबीबीएल के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

(viii) अधिमानतः मिश्रित उपयोग वाले प्लॉटों पर एक्टिव फ्रंटेज (सार्वजनिक सड़कों के फ्रंटेजों पर) उपलब्ध कराया जा सकता है। एक्टिव फ्रंटेज में आर्केड, स्तम्भयुक्त बरामदे, दुकानों के फ्रंटेज, पैदल यात्रियों के प्रवेश/निकास, प्लाज़ा, पहुँच बिन्दु, पारदर्शी खिड़कियाँ आदि सम्मिलित होंगे।

ix) एचडीसी क्षेत्र में मौजूदा प्लॉटों के समामेलन एवं पुनर्गठन की अनुमति होगी। यदि किसी अन्य प्लॉट तक पहुँच को प्रभावित करने वाला कोई सार्वजनिक मार्ग समामेलित प्लॉट के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे यथावत बनाए रखा जाएगा अथवा मौजूदा सेवाओं के पुनर्संरेखण के साथ नया वैकल्पिक मार्ग विकसित किया जाएगा/किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्र में समग्र

आवागमन व्यवस्था में सुधार हेतु अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। एचडीसी प्लॉट की पहुँच न्यूनतम 18 मीटर आरओडब्ल्यू वाले मार्ग से होना अनिवार्य होगा।

4.3.4 नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा

(i) डीडीए इस नीति के क्रियान्वयन को सुगम बनाएगा तथा उसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी:

(क) डीडीए सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) की तैयारी और एचडीसी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए नोडल प्राधिकरण होगा।

(ख) रोड नेटवर्क और अन्य सुविधाएँ डीडीए द्वारा विकसित की जाएंगी।

(ग) एचडीसी प्लॉटों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक भूमि, भू-स्वामियों के समूह द्वारा लैंड पूलिंग के माध्यम से अथवा किसी अन्य विकास मॉडल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) एचडीसी क्षेत्र में क्षेत्रीय सुधार तथा आधारभूत संरचना के संवर्द्धन से संबंधी कार्यों (आवश्यकतानुसार) के लिए विशिष्ट एचडीसी निधि हेतु एक एस्क्रो खाते की स्थापना एवं उसका प्रबंधन किया जाएगा।

(ङ) एचडीसी नीति के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए एक विशिष्ट पोर्टल अथवा माइक्रो वेबसाइट स्थापित की जाएगी।

(ii) **समिति:** समिति वही होगी जो टीओडी नीति के अंतर्गत गठित टीओडी समिति है।

(iii) **सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) की तैयारी एवं अनुमोदन**:

(क) एचडीसी क्षेत्र के लिए आरएनपी, संबंधित लैंड पूलिंग क्षेत्र के लिए अधिसूचित सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) के अनुरूप, समग्र विकास का मार्गदर्शन करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाएगी तथा एचडीसी प्लॉटों का विकास किए जाने से पूर्व उनका तैयार होना अनिवार्य होगा।

(ख) एचडीसी क्षेत्र के लिए तैयार की जाने वाली सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) में यूईआर-II के समानांतर प्रस्तावित द्वितीयक सेवा मार्ग से पहुँच का प्रावधान होगा।

(ग) सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) का उद्देश्य, जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, निम्नलिखित का प्रावधान करना होगा—

(i) मौजूदा सभी सड़कों, मास्टर प्लान (एमपीडी) की प्रस्तावित सड़कों तथा संबंधित लैंड पूलिंग क्षेत्र की सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) में प्रस्तावित सड़कों का निर्धारण करना।

(ii) मौजूदा एवं प्रस्तावित सड़क नेटवर्क को दर्शाते हुए प्रस्तावित सर्कुलेशन नेटवर्क का निर्धारण एवं प्रावधान करना।

(iii) सर्कुलेशन नेटवर्क का प्रस्ताव इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि पैदल आवागमन एवं साइकिल आवागमन को प्रोत्साहन मिले तथा सार्वभौमिक अभिगम्यता के प्रावधान सुनिश्चित हों। साथ ही, यह परिवहन नोड/स्टेशन(नों) तक प्रत्यक्ष पैदल पहुँच उपलब्ध कराएगा।

(iv) प्रस्तावित हरित क्षेत्रों को मौजूदा हरित क्षेत्रों से जोड़ना।

(v) योजना तथा अन्य अभिलेखों में उन सड़कों हेतु भूमि का उल्लेख किया जाएगा, जो मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण अथवा नई सड़कों के प्रस्ताव की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण में निहित होगी।

(vi) आवश्यक आधारभूत संरचना के संवर्द्धन का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़कों का निर्माण तथा जल निकासी तंत्र का विकास सम्मिलित होगा।

(vii) प्रस्तावित सड़कों के निर्माण तथा मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक भूमि सभी प्रकार के भार एवं दावों से मुक्त अवस्था में डीडीए को हस्तांतरित की जाएगी। उक्त भूमि का उपयोग डीडीए द्वारा सड़कों, उपयोगिताओं, खुले स्थलों तथा हरित क्षेत्रों के विकास हेतु किया जाएगा।

(viii) प्रस्तावित नई सड़कों तथा विद्यमान सड़कों के चौड़ीकरण का विकास, भू-स्वामियों द्वारा सरेंडर भूमि के 50 प्रतिशत भाग पर किया जाएगा।

(iv) **एचडीसी परियोजना का अनुमोदन:**

(क) एचडीसी प्लॉट के लिए प्रस्तावित उपयोग (आवासीय/व्यावसायिक/पीएसपी/वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स उपयोग) को दर्शाने वाले एचडीसी परियोजना प्रस्ताव, भवन मानचित्र के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) एचडीसी परियोजना के भवन मानचित्रों को डी.डी.ए. के ओबीपीएस के माध्यम से अनुमोदित किए जाने से पूर्व एचडीसी प्लॉट का अनुमोदन टीओडी समिति द्वारा किया जाएगा। टीओडी समिति द्वारा अनुमोदित एचडीसी प्लॉट के उपयोग को संबंधित लैंड पूलिंग क्षेत्र की अनुमोदित सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी) में विधिवत रूप से अंकित किया जाएगा।

(ग) समिति, एचडीसी क्षेत्र की समग्र सर्कुलेशन व्यवस्था और संबंधित लैंड पूलिंग क्षेत्र हेतु आरएनपी से समझौता किए बिना एचडीसी परियोजना की सर्कुलेशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचडीसी क्षेत्र की पूर्व अनुमोदित आरएनपी में परिवर्तन की सिफारिश कर सकती है ।

(घ) एचडीसी परियोजना प्रस्ताव में प्रचलित दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) एवं यूबीबीएल में निर्धारित अनिवार्य सतत विकास प्रावधानों/हरित भवन मानकों का अनुपालन किया जाएगा, जिनमें जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जीरो-डिस्चार्ज, दोहरी-पाइपिंग प्रणाली, सौर ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा दक्षता तथा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।

(ङ) अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समिति नियमित रूप से बैठक करेगी। एचडीसी परियोजना के अनुमोदन की अधिकतम समय-सीमा, डी.डी.ए. के ओबीपीएस के माध्यम से भवन मानचित्रों के अनुमोदन सहित, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 60 दिन होगी।

(च) यदि सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा आवेदक को अनुमोदन अथवा अस्वीकृति की सूचना नहीं दी जाती है, तो ओबीपीएस पोर्टल पर एचडीसी परियोजना को 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात अनुमोदित माना जाएगा।

(छ) समिति उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार एफएआर, ग्राउन्ड कवरेज तथा एचडीसी प्रभारों में छूट प्रदान कर सकती है।

(ज) विकासकर्ता संस्था (डीई) क्षेत्र सुधार तथा आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों (आवश्यकतानुसार) के निष्पादन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को एचडीसी प्रभारों का भुगतान करेगी।

(v) **एचडीसी प्रभार**: लागू प्रभार इस नीति के विनियमों के भाग के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे। ये प्रभार समिति द्वारा एचडीसी प्लॉट की स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरांत डी.डी.ए. की ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) के माध्यम से जमा किए जाएंगे। इन प्रभारों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, ताकि एचडीसी क्षेत्र में क्षेत्र सुधार एवं आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण कार्य (आवश्यकतानुसार) किए जा सकें।

(vi) **शिकायत निवारण:** एचडीसी परियोजनाओं के अनुमोदन और एचडीसी क्षेत्र में आधारिक संरचना संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतें समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। इन शिकायतों का निवारण डीडीए तथा अन्य संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा अपनी-अपनी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

4.4 लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए)

लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ लगे एक परिधीय ग्राम राजस्व सीमा के भीतर तथा पूर्ववर्ती मास्टर प्लान (एमपीडी) के अंतर्गत लो-डेन्सिटी रिहायशी क्षेत्र (एलडीआरए) सम्मिलित होंगे। यह क्षेत्र दिल्ली के शहरी परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी विशेषताएँ कम आबादी वाले विकास, पर्याप्त खुले क्षेत्र तथा पर्यावरणीय परिसंपत्तियाँ हैं। उपरोक्त क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग पहले ही नियोजित एवं अनियोजित विकासों के लिए उपयोग किया जा चुका है।

इन क्षेत्रों के पारिस्थितिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए नियोजित, समान एवं सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपरोक्त दोनों क्षेत्रों को इस मास्टर प्लान (एमपीडी) के अंतर्गत कम आबादी वाले क्षेत्र (एलडीए) के रूप में नामित किया गया है। यह व्यापक श्रेणी एक समग्र नियोजन फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी, जिसके अंतर्गत संगत आवासीय, संस्थागत, मनोरंजनात्मक तथा अन्य अनुमत्य गतिविधियों के साथ-साथ पर्याप्त सार्वजनिक आधारभूत संरचना, उपयोगिताएँ, सामुदायिक सुविधाएँ एवं परिवहन नेटवर्क का प्रावधान किया जा सकेगा। यह फ्रेमवर्क संतुलित विकास को बढ़ावा देने, सेवा वितरण में सुधार करने, सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा करते हुए जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि करने का उद्देश्य रखता है।

4.4.1 प्रयोज्यता (एप्लिकेबिलिटी)

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ लगे एक परिधीय (पेरिफेरियल) ग्राम राजस्व सीमा के भीतर आने वाले सभी क्षेत्रों तथा पूर्ववर्ती मास्टर प्लान (एमपीडी) के अंतर्गत लो-डेन्सिटी रेजिडेन्शियल एरिया (एलडीआरए) को सम्मिलित करता है (अनुबंध–17) ।

(ii) इस क्षेत्र के उपभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे:

(क) अधिसूचित लाल डोरा क्षेत्रों (आबादी) तथा गांवों के अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों में आने वाले प्लॉट।

(ख) प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित स्मारक/क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि।

(ग) अनुमोदित/मौजूदा/प्रस्तावित मास्टर प्लान (एमपीडी) सड़कों, एचटी लाइनों, प्रमुख ट्रंक जल आपूर्ति लाइनों, सीवेज लाइनों तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के आरओडब्ल्यू के अंतर्गत आने वाली भूमि।

(घ) 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विनियम' तथा उसके पश्चात किए गए संशोधनों के अनुसार चिन्हित/नियमितीकृत अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के अंतर्गत आने वाली भूमि।

(ङ) ऐसी भूमि जहाँ इस योजना की अधिसूचना के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा किसी एजेंसी के माध्यम से विकास योजना को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

(च) मौजूदा संस्थान, जिन्हें नियमितीकरण हेतु अनुमोदित किया गया है अथवा नियमितीकरण के लिए विचार किया गया है, या जो अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

(छ) एलडीए के अंतर्गत असंगत (नॉन-कॉन्फॉर्मिंग) क्षेत्रों में स्थित मौजूदा गोदाम/गोदाम समूह, जिन्हें योजना के संबंधित प्रावधानों के अनुसार पहले ही नियमितीकरण के लिए विचार किया जा चुका है। यदि नियमितीकरण नहीं किया जाता है, तो ऐसी भूमि का विकास केवल एलडीए के मानदंड़ों के अनुसार किया जाएगा।

(ज) ट्रांजिट ऑरिएंटेड डेवलपमेंट, हाई डेन्सिटी कॉरिडोर (एचडीसी) तथा लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

(ट) अधिसूचित रिज, वन भूमि अथवा रीजनल उद्यान क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र (उन फार्म हाउसों को छोड़कर जिन्हें दिनांक 01.08.1990 से पूर्व स्वीकृति दी गई हो, अथवा उसके बाद संबंधित नगर नगम द्वारा, वर्तमान फॉर्म हाउसों के नियमितीकरण से संबंधित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया हो), बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति तथा जीएनसीटीडी के रिज प्रबंधन बोर्ड से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हों।

4.4.2 मार्गदर्शक सिद्धांत

(i) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की अनुमति है।

(ii) विकास मानदण्डों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं—

(क) प्रस्तावित विकास के लिए अनुमत्य उपयोगों/गतिविधियों तथा एफएआर को परिभाषित करने वाला व्यापक फ्रेमवर्क।

(ख) एलडीए के अंतर्गत आने वाले तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के भौतिक एवं कार्यात्मक एकीकरण हेतु संपर्क व्यवस्था एवं आधारभूत संरचना का प्रावधान।

(ग) पर्यावरणीय दृष्टि से सतत विकास के विकल्प, जिससे भू-स्वामी अपनी भूमि के आर्थिक मूल्य को प्राप्त कर सकें।

(iii) जहां विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार सड़कों के लिए अपेक्षित भूमि अथवा सड़क नेटवर्क योजना (आर.एन.पी.) के अनुसार मुख्य मार्गों की निरंतरता तथा अन्य सार्वजनिक अवसंरचना हेतु आवश्यक भूमि, भू-स्वामी(यों) द्वारा भूमि पूलिंग अथवा निर्धारित किए जाने वाले किसी अन्य विकास मॉडल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, वहां अनुमन्य एफ.ए.आर. तथा ग्राउंड कवरेज की गणना उक्त भूमि के योगदान से पूर्व के मूल भूखंड क्षेत्रफल के आधार पर की जाएगी। निर्धारित एफएआर और ग्राउंड कवरेज का उपयोग, सड़कों और अन्य सार्वजनिक अवसंरचना या सुविधाओं के लिए दी गई भूमि को छोड़कर शेष विकास योग्य प्लॉट एरिया में किया जाएगा।

बशर्ते, कि जहां ऐसे योगदान के कारण प्लॉट एरिया निर्धारित न्यूनतम 10,000 वर्गमीटर के प्लॉट क्षेत्रफल से कम हो जाता है, तो ऐसी कमी से विकास के लिए अनुमति हेतु प्लॉट की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं होगा और अनुमत एफएआर को वास्तविक प्लॉट एरिया के आधार पर गिना जाएगा।

(iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण / सेवा प्रदाता एजेंसी (एसपीएएस) द्वारा भू-स्वामी(यों) से बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी) तथा अन्य लागू प्रभारों के भुगतान के उपरांत आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4.4.3 लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए) में प्लॉट के लिए विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 4.4.1: लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए) में प्लॉट के लिए विकास नियंत्रण मानदंड

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट एरिया	विकास नियंत्रण मानदंड	गतिविधियां
आवासीय	10,000 वर्गमीटर	• एफएआर-10 • ग्राउंड कवरेज-अधिकतम 15% • ऊँचाई-अधिकतम 10 मीटर • न्यूनतम आरओडब्ल्यू-18 मीटर	**एक आवासीय इकाई (फार्महाउस) कुल अनुमेय एफएआर के भीतर, प्रत्येक 30 वर्गमीटर से कम फ्लोर एरिया वाली दो सर्विस स्टाफ आवास इकाइयों की अनुमति होगी।**
पीएसपी/सांस्थानिक	10,000 वर्गमीटर	• एफएआर-120	हेल्थ केयर फैसिलिटीज (वेटरनरी,

		• ग्राउंड कवरेज-अधिकतम 40% • ऊँचाई-अधिकतम 18 मीटर • न्यूनतम आरओडब्ल्यू-18 मीटर	अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सहित), स्कूल (सभी श्रेणियाँ, आवासीय एवं विशेष स्कूल सहित) कॉलेज, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालय*, अनुसंधान संस्थान* कौशल विकास संस्थान, कोचिंग संस्थान, सह-कार्य स्थल और वृद्धाश्रम।
मनोरंजनात्मक/सामाजिक-सांस्कृतिक	10,000 वर्गमीटर	• एफएआर-30 • ग्राउंड कवरेज-अधिकतम 20% • ऊँचाई-अधिकतम 15 मीटर • न्यूनतम आरओडब्ल्यू-18 मीटर	थीम/मनोरंजन पार्क, खेल सुविधाएं, मनोरंजनात्मक क्लब, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र स्थल, आर्ट गैलरी, बैक्वेट तथा पुस्तकालय
गोदाम/वेयरहाउस	10,000 वर्गमीटर	• एफएआर-100 • ग्राउंड कवरेज-अधिकतम 70% • ऊँचाई-अधिकतम 12 मीटर • न्यूनतम आरओडब्ल्यू-18 मीटर	स्टैंडअलोन गोदाम/वेयरहाउस, वितरण केंद्र और ऑपन एरिया मार्किट
व्यावसायिक/लॉजिस्टिक हब	10,000 वर्गमीटर	• एफएआर-60 • ग्राउंड कवरेज-अधिकतम 30% • ऊँचाई-अधिकतम 15 मीटर • न्यूनतम आरओडब्ल्यू-18 मीटर	खुदरा (रिटेल) दुकानें, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग स्कीमें , वाहन पार्किंग, मंडियाँ, (सभी प्रकार की)/थोक बाजार और सोलर फार्म।

*** बड़े कैंपस वाली यूनिवर्सिटी अथवा अनुसंधान संस्थान के मामले में केंद्र सरकार विशेष छूट दे सकती है।**

नोट:

(क) पूल/तालाब/जल निकायों की अनुमति होगी तथा इन्हें एफ.ए.आर. एवं सेटबैक मानदंडों से बाहर रखा जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गो के समानांतर किये जाने वाले विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंड लागू होंगे।

(ग) प्लॉट के किनारे से बिल्डिंग का सैटबैक सामने की तरफ न्यूनतम 15 मीटर और बाकी तीन तरफ 5 मीटर होना चाहिए।

(घ) वर्षा जल संचयन तथा अपशिष्ट (वेस्ट) जल रिचार्जिंग अनिवार्य होगा, जिसमें भूजल स्तर में हो रही कमी को सुधारने के लिए सर्फेस रनऑफ जल के भंडारण हेतु प्रावधान किया जाएगा।

4.4.4 अन्य नियंत्रण

(i) भूमि के उप-विभाजन के उद्देश्य से, जहाँ भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है, वहाँ उप-विभाजित प्लॉटों (प्रत्येक न्यूनतम 10,000 वर्ग मीटर) तक पहुँच हेतु न्यूनतम 12 मीटर चौड़ाई वाली आंतरिक सड़क को फीडर सड़क के रूप में नियोजित किया जा सकता है। ऐसे प्लॉटों को ऐसी सड़कों के नियोजन हेतु सरेंडर की गई आनुपातिक भूमि के आधार पर एफएआर एवं ग्राउन्ड कवरेज का लाभ प्रदान किया जाएगा।

(ii) निजी भूमि पर निर्मित मौजूदा स्वीकृत कम आबादी वाले प्लॉटों, (जो इस योजना की अधिसूचना की तिथि तक निर्मित हो चुके हैं), पूर्व में स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार ही जारी रहेंगे। कोई भी भवन अथवा संपत्ति, जो पुनर्निर्माण अथवा पुन: उत्थान का विकल्प चुनती है, उसे उपर्युक्त खण्ड 4.4.3 में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

(iii) यदि कोई मौजूदा प्लॉट ऐसी सड़क के किनारे स्थित है, जिसका मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) सड़क की निर्धारित न्यूनतम चौड़ाई से कम है, तो सड़क के किनारे स्थित सभी भू-स्वामी(यों) को आवाजाही हेतु आवश्यक भूमि का योगदान करना होगा। वास्तविक प्लॉट एरिया के एफएआर और ग्राउंड कवरेज शेष प्लॉट पर पारस्परिक उपाय के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

(iv) कोई भी मौजूदा निर्माण, खण्ड 4.4.3 में निर्धारित सभी मानदण्डों की पूर्ति करने पर, दण्ड एवं अन्य आवश्यक प्रभारों के भुगतान के अधीन नियमितीकरण हेतु पात्र हो सकता है।

(v) सीमा अथवा प्रवेश द्वार के समीप वॉच एवं वार्ड गार्ड यूनिट की अनुमति यूबीबीएल के अनुसार होगी तथा इसे एफएआर एवं सेटबैक मानदण्डों से बाहर रखा जाएगा।

4.4.5 अवसरंचना एवं संपर्क व्यवस्था का प्रावधान

(i) अंतर-शहरी एवं अंतःशहरी संपर्क व्यवस्था में सुधार हेतु एलडीए के लिए रोड नेटवर्क प्लान (आरएनपी) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाएगी तथा निम्नानुसार के अनुसार लागू की जाएगी:

(क) आरएनपी का कार्यान्वयन भू-स्वामियों के समूह द्वारा लैंड पूलिंग के माध्यम से अथवा विनियमों में निर्धारित किसी अन्य विकास मॉडल के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) भू-स्वामी सड़कों एवं सेवाओं हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य रूप से योगदान देंगे। सरेंडर भूमि के लिए एफएआर का उपयोग शेष प्लॉट में किया जाएगा।

(ग) सार्वजनिक सुविधाओं, उपयोगिताओं तथा प्लॉटों हेतु पहुँच मार्गों के विकास के लिए भू-स्वामियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी आवश्यक प्रभार, जैसे बाह्य विकास प्रभारों (ईडीसी), विकास प्रभार आदि का भुगतान करना होगा।

(ii) संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुविधाएं और उपयोगिताएं विकसित की जाएंगी।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा कोई अन्य भू-स्वामी एजेंसी, ग्राम सभा भूमि एवं अन्य सरकारी स्वामित्व वाली भूमि का विकास सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कर सकती है, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यावसायिक एवं सामुदायिक सुविधाओं का विकास भी सम्मिलित होगा।

(iv) सभी प्लॉटों को पारिस्थितिकीय रूप से आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में नेट जीरो अवधारणा के रूप में डिजाइन किया जाएगा तथा व्यक्तिगत अथवा साझा आधार पर निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी:

(क) अपशिष्ट (वेस्ट) जल का 100 प्रतिशत विकेंद्रीकृत शोधन तथा अधिकतम पुनः उपयोग ।

(ख) 100 प्रतिशत हरित अपशिष्ट (वेस्ट) का पृथक्करण और पुन: उपयोग।

(ग) सौर ऊर्जा आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा मांक का 5 प्रतिशत पूरा करना वांछनीय।

(घ) सरफेस पार्किंग एवं ओपन प्लाजा हेतु अनुमत सामग्री का उपयोग करना।

(ङ) अनिवार्य वर्षा जल संचयन, बिना लाइन वाले भंडारण तालाबों एवं जलाशयों के माध्यम से वर्षा जल को स्थल के भीतर ही संरक्षित किया जाएगा जिन्हें भू-दृश्य एवं शहरी डिजाइन का भाग बनाया जाएगा।

(च) आवासीय उपयोग परिसर के अंतर्गत प्लॉटों में कुल प्लॉट एरिया का न्यूनतम 50% एरिया ग्रीन एरिया के तौर पर बनाये रखना होगा और ऐसे ग्रीन एरिया का हिस्सा बनने के लिए कुल प्लॉट एरिया का न्यूनतम 30% एरिया पेड़ों की कैनोपी (पेड़ों के फैलाव) से ढ़का हुआ होना चाहिए।

4.5 नियोजित क्षेत्रों का पुन: उत्थान

दिल्ली में निर्मित परिसंपत्तियां महत्वपूर्ण हैं जो कई दशक पुरानी हैं और इतिहास के दौरान विकास के कई चरणों से गुजर चुकी है। शहर के निरंतर विकास एवं दिल्ली के क्षैतिज विस्तार की सीमाओं के कारण बड़े पैमाने पर नए शहरी विकास की संभावनाएँ सीमित होती जा रही हैं। अतः पहले से विकसित भूमि के पुनर्गठन एवं उपयोग की प्रक्रिया के माध्यम से पुन: उत्थान का विकल्प इस योजना के प्रमुख तत्वों में से एक होगा।

बढ़ती हुई आबादी को योजनाबद्ध तरीकें से समायोजित करने के लिए पुन:उत्थान कार्यनीति को सभी उपयोग क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जाएगा ताकि योजनाबद्ध क्षेत्रों में मौजूदा शहरी भूमि का कुशल एवं अधिकतम उपयोग हो सके। यह कार्यनीति आधारभूत संरचना जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क नेटवर्क, खुले क्षेत्रों तथा आवश्यक सामाजिक आधारभूत संरचना के प्रावधान पर आधारित होगी।

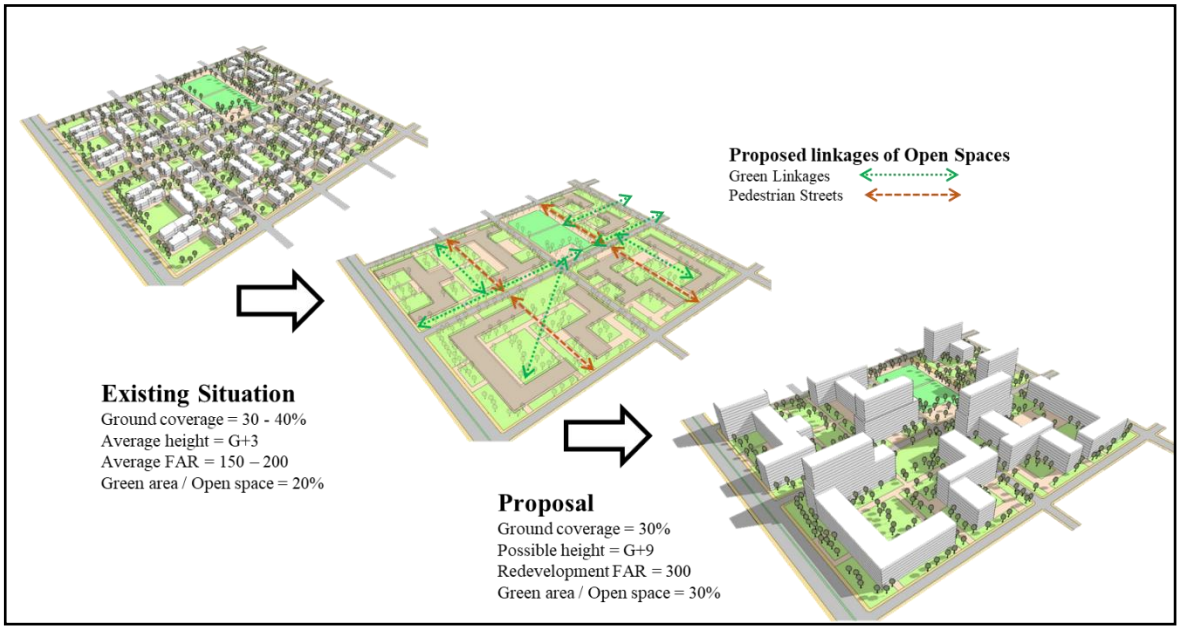

चित्र 8: योजना क्षेत्रों में पुन:उत्थान
(केवल उदाहरण के लिए)

लक्षित क्षेत्रों की पहचान उनके उन्नयन की आवश्यकता तथा विकास की संभावनाओं के आधार पर की जाएगी। रोड नेटवर्क प्लान संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा भू-स्वामियों/निवासियों के परामर्श से तैयार की जाएंगी। पुन: उत्थान हेतु विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, संपत्तियों के पुनर्गठन/पूलिंग की अनुमति नियोजन उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। यह प्रक्रिया संभावित क्षेत्रों के

पुन: उत्थान, सार्वजनिक स्थानों के विस्तार तथा नीतिगत विकास को सुगम बनाएगी, जिससे उनकी अप्रयुक्त संभावनाओं का उपयोग किया जा सकेगा।

योजना की अधिसूचना के पश्चात पुन: उत्थान हेतु विनियम तैयार एवं अधिसूचित किए जाएंगे। नियोजित क्षेत्रों के पुन: उत्थान हेतु विस्तृत विनियमों में आवेदन प्रक्रिया, भूमि/संपत्ति पूलिंग, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/योजनाएँ, हितधारकों/आवास इकाइयों के स्वामित्व के मध्य एफएआर का विभाजन, भूमि का सरेंडर, संपत्ति की बिक्री एवं खरीद, समय-सीमा, शिकायत निवारण तंत्र आदि सम्मिलित होंगे।

4.5.1 प्रयोज्यता:

इस अध्याय के प्रावधान निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़कर शहर के सभी विकसित क्षेत्रों पर लागू होंगे:

(i) शहरी गांव, विनियमों के अनुसार चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियां, स्लम, असंगत औद्योगिक क्षेत्र एवं असंगत गोदाम क्षेत्र।

(ii) पर्यावरणीय दृष्टि से कोई भी संवदेनशील क्षेत्र।

(iii) जोन 'ओ'।

(iv) लैन्ड पूलिंग क्षेत्र।

(v) लो-डेन्सिटी एरिया (एलडीए)।

(vi) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र।

(vii) सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र।

(viii) लुटियंस बंगला क्षेत्र।

(ix) कनॉट प्लेस एवं उसका विस्तार क्षेत्र।

(x) ट्रांजिट ऑरिएंटिड डेवलपमेंट।

नोट : उपर्युक्त बिंदु (vii) एवं (viii) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का पुन: उत्थान संबंधित क्षेत्रों में लागू विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

4.5.2 मार्गदर्शक सिद्धांत

(i) नियोजित आवासीय, व्यावसायिक, पीएसपी तथा औद्योगिक क्षेत्रों का पुन: उत्थान, डीडीए/स्थानीय निकाय/ भू-स्वामियों द्वारा तैयार की गई रोड नेटवर्क प्लान (आरएनपी) के आधार पर किया जाएगा।

(ii) जल प्रबंधन (दोहरी-पाइप प्रणाली, विकेंद्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्र, जल पुन: उपयोग आदि), सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (स्रोत पर पृथक्करण, सरकुलर अर्थव्यवस्था आदि), नवीकरणीय ऊर्जा तथा नेट-जीरो अवधारणा की प्राप्ति हेतु सतत पद्धतियां को अपनाया जाएगा।

(iii) पुन: उत्थान योजनाओं के अंतर्गत यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु सड़क चौड़ीकरण, पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं (मल्टी लेवल कार पार्किंग आदि) उपलब्ध कराई जाएंगी।

(iv) सेवा प्रदाता एजेंसियां, जहां भी सेवाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता हो, लागू शुल्कों के भुगतान लेने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.5.3 पुन: उत्थान क्षेत्र

(i) शर्तें:

(क) पुन:उत्थान हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल आवासीय क्षेत्रों के लिए 3,000 वर्ग मीटर तथा व्यावसायिक, औद्योगिक एवं पीएसपी क्षेत्रों के लिए 1,000 वर्ग मीटर होगा।

(ख) पुन:उत्थान की स्थिति में अधिकतम एफएआर बेस एफएआर का 1.5 गुना होगा।

(ग) प्लॉटों के समामेलन एवं पुनर्गठन की अनुमति होगी।

(ii) रोड नेटवर्क योजना (आरएनपी) एवं पहुँच:

(क) पुन: उत्थान क्षेत्रों के लिए रोड नेटवर्क योजना (आरएनपी) तैयार की जाएगी।

(ख) पुनर्गठित क्षेत्रों की रोड नेटवर्क योजना (आरएनपी) अनुमोदन हेतु डीडीए/स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) पुनर्गठित प्लॉटों का फ्रंटेज आरएनपी के अनुसार होगा।

(घ) आरएनपी में निर्धारित सड़क के मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) तथा सड़क चौड़ीकरण हेतु सौंपी जाने वाली भूमि, यदि कोई हो, विनियमों के अनुसार होगी।

(ङ) सरेंडर की गई भूमि का एफएआर शेष प्लॉट के अंतर्गत उपयोग किया जा सकेगा।

4.5.4 आवासीय क्षेत्रों में पुन: उत्थान

(i) आवासीय पुन: उत्थान क्षेत्र/योजना:

(क) सरकारी आवास/नियोक्ता आवास (सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि):

i. पुन: उत्थान कार्य मास्टर प्लान (एमपीडी)/लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पृथक समूह आवास प्लॉट के रूप में किया जा सकता है।

ii. सरकारी आवास के विकास नियंत्रण मानदण्डों में छूट केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्रदान की जा सकती है।

(ख) ग्रुप हाउसिंग (सीजीएचएस प्लॉट, डीडीए आवास आदि):

i. पुन: उत्थान कार्य संबंधित आरडब्ल्यूए/सोसाइटियों/फेडरेशनों द्वारा एकीकृत एवं समग्र नियोजन के माध्यम से किया जाएगा।

ii. सीजीएचएस प्लॉटों में आवासीय इकाइयों की संख्या में कोई भी वृद्धि संबंधित लागू अधिनियम/विनियमों के अनुसार होगी।

iii. डीडीए आवासों में संपूर्ण/आंशिक क्षेत्र (जहाँ स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित नहीं हैं) का पुन: उत्थान विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अनुमत होगा।

(ग) प्लॉटेड हाउसिंग (सीएचबीएस, पुनर्वास कॉलोनियाँ, पुनर्स्थापन कॉलोनियाँ आदि):

ऐसे क्षेत्रों का पुन: उत्थान विनियमों के अनुसार स्कीम क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है।

4.5.5 औद्योगिक क्षेत्रों में पुन: उत्थान

नियोजित औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के भूमि उपयोग वितरण का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनमें राजधानी शहर की औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं। ये क्षेत्र दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) के प्रारंभ से ही चरणबद्ध रूप से विकसित हुए हैं तथा बाजार की गतिशीलता से भी प्रभावित रहे हैं। परिणामस्वरूप, इनमें से अनेक क्षेत्रों में पुराने निर्मित ढाँचे तथा अपर्याप्त सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना है, जिससे आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुन: उत्थान निम्नलिखित श्रेणियों के लिए विनियमों के अनुसार किया जाएगा:

(i) औद्योगिक प्लॉट (प्लॉटेड/फ्लैटेड)

(ii) एकीकृत औद्योगिक पार्कों का विकास।

4.5.6 व्यावसायिक क्षेत्रों में पुन: उत्थान

(i) जिला केंद्रों (डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स), सामुदायिक केंद्रों (कम्युनिटी सेंटर्स), स्थानीय शॉपिंग केंद्रों (लोकल शॉपिंग सेंटर्स) तथा सुविधा शॉपिंग केंद्रों (कन्वीनियंस शॉपिंग सेंटर्स) की पुन: उत्थान योजनाएँ लागू विनियमों के अनुसार तैयार की जाएंगी—

(क) संपूर्ण चिन्हित क्षेत्र के लिए एकीकृत योजना के रूप में; अथवा

(ख) जिला केंद्रों (डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स), सामुदायिक केंद्रों (कम्युनिटी सेंटर्स) के मामले में व्यक्तिगत स्थलों के रूप में भी कार्यान्वित की जा सकती हैं।

(ii) 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक केंद्रों में विनियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमत व्यावसायिक एफएआर के अधिकतम 40% तक समूह आवास की अनुमति होगी।

(iii) उप-शहरी स्तर के थोक बाजारों का पुन: उत्थान विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) स्टैंड-अलोन सिनेमाघरों को परिवर्तन प्रभार के भुगतान के अधीन व्यावसायिक उपयोग हेतु पुन: उत्थान की अनुमति दी जाएगी। 3,000 वर्ग मीटर तक के प्लॉटों के मामले में व्यावसायिक गतिविधियां अनुमेय, लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) के अनुसार अनुमत होंगी और 3000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉटों के मामलें में गतिविधियां अनुमेय सामुदायिक केंद्र (कम्युनिटी सेंटर) के अनुसार अनुमत होंगी।

4.5.7 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्रों में पुन: उत्थान

(i) सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) क्षेत्रों का पुन: उत्थान (योजना एवं प्लॉट स्तर दोनों पर) विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) शहर में पर्याप्त एवं विविध प्रकार की सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्लॉटों का समामेलन किया जा सकता है।

(iii) अप्रासंगिक, अल्प उपयोगित अथवा अप्रयुक्त पीएसपी प्लॉटों को नवीन विचारों एवं बाजार की गतिशीलता के आधार पर विनियमों के अनुसार अन्य पीएसपी सुविधाओं अथवा उपयोगिताओं हेतु उपयोग करने की अनुमति होगी।

4.5.8 नियमित अनधिकृत कॉलोनियाँ

नियमित अनधिकृत कॉलोनियों (समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से नियमित) में पुन: उत्थान हेतु अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू प्रावधानों के अनुसार पुनर्विकास योजनाएँ संचालित करने की अनुमति होगी।

4.6 अनियोजित क्षेत्रों का पुन: उत्थान

अनियोजित/अनधिकृत क्षेत्रों की पहचान सामान्यतः भवनों की खराब स्थिति, अपर्याप्त भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं तथा कमजोर पहुंच व्यवस्था (विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में) के आधार पर की जाती है। समय के साथ इनमें से कई क्षेत्र उच्च घनत्व वाले, मिश्रित उपयोग क्षेत्रों के रूप में विकसित हो गए हैं, जहां आवास एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए किफायती विकल्प उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में नियमितीकरण एवं पुन: उत्थान के माध्यम से सुरक्षा मानकों में सुधार, आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

शहर के विभिन्न अनियोजित क्षेत्रों के पुन: उत्थान के लिए मानदंड निर्धारित करते समय इन क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों, जैसे भू-स्वामित्व से संबंधित समस्याएं, अधिक जनसंख्या घनत्व तथा वर्तमान में निर्मित भवनों के स्वरूप को ध्यान में रखा जाएगा। अनियोजित क्षेत्रों के पुन: उत्थान के लिए आवश्यक विनियमन, जहां अपेक्षित हो, योजना की अधिसूचना के पश्चात, तैयार किए जाएंगे।

4.6.1 प्रयोज्यता

(i) निम्नलिखित प्रकार के गैर-नियोजित क्षेत्र इस भाग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं:

(क) गैर-नियोजित आवासीय क्षेत्र:

i. सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए अनुमोदित अनधिकृत कॉलोनियाँ।

ii. स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी समूह

iii. शहरी गाँव, जिनमें अधिसूचित लाल डोरा एवं अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(ख) गैर-नियोजित समूह:

i. असंगत औद्योगिक क्षेत्र

ii. असंगत गोदाम

(ii) इस खंड के प्रावधान निम्नलिखित गैर-नियोजित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे—

(क) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र

(ख) जोन 'ओ'

(ग) एनएमए/एएसआई द्वारा विनियमित क्षेत्र

(घ) सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र

(ङ) लुटियंस बंगला क्षेत्र

उपर्युक्त गैर-नियोजित क्षेत्रों का पुन: उत्थान संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित लागू दिशा-निर्देशों एवं इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

4.6.2 अनधिकृत कॉलोनियाँ (यूसी)

अनधिकृत कॉलोनियाँ (यूसी) दिल्ली के शहरी स्वरूप का एक महत्वपूर्ण एवं जटिल घटक हैं, जो शहर की तीव्र जनसंख्या वृद्धि, आवास की कमी तथा बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती हैं। इन कॉलोनियों का विकास मुख्य रूप से नियोजित आवास आपूर्ति एवं बढ़ती मांग, विशेषकर किफायती आवास की मांग, के मध्य अंतर के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बस्तियों का विकास औपचारिक नियोजन एवं विनियामक ढाँचे से बाहर हुआ।

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के निवासियों को स्वामित्व अथवा अंतरण/बंधक अधिकार प्रदान करना अधिसूचित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) विनियम, 2019' तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इन क्षेत्रों में किफायती किराये के आवास, पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) में निर्मित पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने हेतु पात्र अनधिकृत कॉलोनियों/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)में मौजूद भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के उन्नयन एवं सुधार के लिए निम्नलिखित दो दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे:

(i) **अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)का नियमितीकरण** उपर्युक्त अधिसूचित विनियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगा।

(ii) **अनधिकृत कॉलोनियों/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के पुन: उत्थान की योजनाएं:** उपर्युक्त अधिसूचित विनियमों के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)के पुन: उत्थान के लिए विनियम में निर्दिष्ट उपवर्जनों को छोड़कर निम्नलिखित प्रावधान तैयार किए गए हैं।

(क) अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान योजना विकासकर्ता संस्था (डीई) अथवा आरडब्ल्यूए या आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) अथवा अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के समूह का

प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय समझौते के माध्यम से तैयार की जाएगी।

(ख) पुन: उत्थान योजना हेतु न्यूनतम योजना क्षेत्रफल 2,000 वर्ग मीटर होगा।

(ग) आवेदक संबंधित प्राधिकरण के परामर्श से लेआउट योजना एवं सेवाओं की योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(घ) अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में होगा:

(i) आवेदक को संपूर्ण अनधिकृत कॉलोनी अथवा उसके किसी भाग या अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)के समूह के लिए अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्र की लेआउट योजना का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ii) यूबीबीएल के प्रावधानों के अनुसार भवन योजनाओं के लिए व्यक्तिगत अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(ङ) स्थल तक सीधी पहुंच न्यूनतम 9 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू वाले मार्ग से होनी चाहिए, बशर्ते कि प्लॉट के भीतर पार्किंग की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई हो।

(च) यदि ऐसी पहुंच उपलब्ध नहीं है, तो प्रस्तावित लेआउट योजना में कम से कम एक ओर 9 मीटर आरओडब्ल्यू वाला मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है तथा उक्त मार्ग के लिए आवश्यक भूमि का वहन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। ऐसा मार्ग न्यूनतम 12 मीटर आरओडब्ल्यू वाले किसी मौजूदा मार्ग से जुड़ा होना चाहिए।

(छ) अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्रों में समूह आवास के विकास हेतु प्लॉटों के एकीकरण एवं पुनर्गठन की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एकीकृत प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 2,000 वर्ग मीटर हो।

(ज) सुविधाओं, सेटबैक, खुले स्थानों आदि के लिए लागू मानदंड निम्नलिखित स्तरों के अनुसार होंगे:

तालिका 4.6.1: अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान योजनाओं के स्तर

क्रम संख्या	स्तर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1	स्तर 1	2,000 वर्ग मीटर से 3,000 वर्ग मीटर तक
2	स्तर 2	3,000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 5,000 वर्ग मीटर तक
3	स्तर 3	5,000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 10,000 वर्ग मीटर तक
4	स्तर 4	10,000 वर्ग मीटर से अधिक

(झ) सभी अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्रों में नीचे दी गई तालिका 4.6.3 के अनुसार सेटबैक उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सेटबैक का उपयोग पड़ोसी अनधिकृत कॉलोनियों/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के लिए पहुंच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सड़कों के चौड़ीकरण अथवा विकास के लिए किया जाएगा।

(ञ) अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्र को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवास के प्रावधान से छूट प्रदान की जाएगी।

(ट) अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्रों का आकार एवं सीमा, जहां तक संभव हो, नियमित स्वरूप में बनाए रखा जाएगा।

(ठ) दो या दो से अधिक समीपवर्ती अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) (अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के समूह)/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)को एकल अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, जिसकी पहचान स्थल पर सड़कों, नालों आदि जैसी भौतिक स्थिति के आधार पर की जाएगी। प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समीपवर्ती अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी)तक संपर्कता, जिसमें बुनियादी सेवाएं भी शामिल हैं, उपलब्ध हो तथा नेटवर्क की निरंतरता बनी रहे।

(ड) अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनी की सीमा के बाहर स्थित सन्निकट अतिरिक्त क्षेत्र (जो अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनी का भाग नहीं है) को भी शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि दोनों ओर के भू-स्वामी एकीकृत रूप से योजना तैयार करने के लिए सहमत हों। यह अतिरिक्त क्षेत्र चिन्हित अनधिकृत कॉलोनी के क्षेत्रफल के 25% से अधिक

नहीं होगा। इस अतिरिक्त क्षेत्र पर लागू विकास नियंत्रण मानदंड (अर्थात एफएआर एवं ग्राउन्ड कवरेज) उसके वर्तमान भूमि उपयोग के अनुरूप होंगे। अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान क्षेत्र के विकास नियंत्रण मानदंड इस अतिरिक्त क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे; तथापि, उक्त क्षेत्र के लिए सेटबैक नीचे दी गई तालिका 4.6.3 के अनुसार लागू होंगे।

(ढ) सड़कों, खुले स्थान, नालों आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को एकीकृत योजना निर्माण हेतु स्तर 3 एवं स्तर 4 की योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को अनुमत एफएआर एवं ग्राउन्ड कवरेज की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों का पुनर्गठन अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान योजना के भाग के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते:

(i) योजना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद सड़कों, गलियों, पार्कों, नालों आदि के क्षेत्रफल के बराबर या उससे अधिक क्षेत्रफल इन सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया जाए।

(ii) योजना में शामिल किसी भी सरकारी भूमि के बराबर क्षेत्रफल को सुरक्षित रखा जाए तथा संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जाए।

(iii) सार्वजनिक पार्कों एवं सड़कों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को हस्तांतरित किया जाए तथा उन्हें सदैव आम जनता के उपयोग हेतु खुला रखा जाए।

(ण) पुन: उत्थान योजना क्षेत्र का भूमि उपयोग "आवासीय" होगा।

(त) पुन: उत्थान योजना के लिए अनुमत एफएआर अधिकतम 350 होगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) इस अनुमत योजना स्तर एफएआर में से अधिकतम 15% एफएआर का उपयोग स्थानीय सुविधाओं के निर्माण हेतु किया जा सकता है, जिसमें से केवल 5% एफएआर का उपयोग व्यावसायिक उपयोग (स्थानीय स्तर) के लिए किया जा सकता है।

(ii) सभी योजनाएं अतिरिक्त पीएसपी सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रोत्साहन सुविधा एफएआर (अनुमत एफएआर से अधिक) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी, जो निम्नानुसार होंगी:

तालिका 4.6.2: सुविधा एफएआर

क्रम संख्या	अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान योजना के स्तर	उपलब्ध सुविधा एफएआर	सुविधा एफएआर के उपयोग हेतु विनियामक शर्तें
1	स्तर 1	20	माध्यमिक विद्यालयों एवं शहर स्तरीय सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी।
2	स्तर 2	30	
3	स्तर 3	40	सभी पीएसपी उपयोग अनुमन्य होंगे। शहर स्तरीय सुविधाओं के लिए पृथक प्रवेश/निकास उपलब्ध कराया जाएगा।
4	स्तर 4	50	

(थ) लागू प्रभार:

(i) बेस एफएआर 350 होगा, जो समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

(ii) विकासकर्ता संस्था (डीई) अथवा आरडब्ल्यूए या आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) अथवा अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्र सुधार एवं आधारभूत संरचना संवर्धन कार्यों (आवश्यकतानुसार) को पूरा करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय को पुन: उत्थान प्रभार एवं अन्य लागू आधारभूत संरचना प्रभारों का भुगतान करना होगा। ये प्रभार पुन: उत्थान योजना की स्वीकृति के बाद जमा किए जाएंगे तथा विशिष्ट पुन: उत्थान निधि के लिए एस्क्रो खाते के माध्यम से पृथक रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे।

(द) विभिन्न स्तरों की अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान योजनाओं के लिए निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे:

तालिका 4.6.3: अनधिकृत कालोनियों की पुन:उत्थान योजना हेतु मानदण्ड

क्रम संख्या	पैरामीटर	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
1.	ग्राउंड कवरेज	50 % तक	50 % तक	40 % तक	40 % तक
2.	मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की स्थिति के अनुसार न्यूनतम सेटबैक*	(क) 9 मीटर और उससे अधिक आरओडब्ल्यू साहित प्रत्येक ओर 2.0 मीटर (ख) 7.5 मीटर से अधिक-9.0 मीटर से कम आरओडब्ल्यू सहित प्रत्येक ओर 3.0 मीटर (ग) 3.0 मीटर से अधिक- 7.5 मीटर से कम आरओडब्ल्यू सहित प्रत्येक ओर 4.5 मीटर (घ) 3.0 मीटर के आरओडब्ल्यू अथवा सटे हुए मौजूदा बिल्ट-अप सहित प्रत्येक ओर 6.0 मीटर			
3.	सार्वजनिक स्थान**	10% क्षेत्रफल एकल प्लॉट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।	10% क्षेत्रफल एकल प्लॉट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।	10% क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु खुले स्थान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 500 वर्ग मीटर का कम से कम एक प्लॉट शामिल होगा।	10% क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु खुले स्थान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 1,000 वर्ग मीटर का कम से कम एक प्लॉट शामिल होगा।
4.	पार्किंग	उपयोग परिसर को ध्यान में रखे बिना प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.0 ईसीएस			
5.	पीएसपी सुविधाओं हेतु भूमि*** (पृथक प्लॉट के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी तथा संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तांतरित की जाएगी)				

*सेटबैक क्षेत्रों को सदैव बाधारहित रखा जाएगा तथा आवश्यकता होने पर सड़कों के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

**इनकी पहुंच न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) वाले मार्ग से होनी चाहिए तथा इन्हें संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया जाएगा। स्थानीय निकाय आवश्यकता के अनुसार ऐसे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग पार्क, प्लाजा अथवा उपयोगिताओं की स्थापना हेतु कर सकता है।

***इन्हें न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) वाले मार्ग से पहुंच सहित एक समेकित प्लॉट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय निकाय इस भूमि का उपयोग विद्यालयों अथवा बहु-सुविधा केंद्रों (जिसमें स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, सामुदायिक भवन, बस्ती विकास केंद्रों, पुलिस चौकियों, बाल देखभाल केंद्र, प्रारंभिक शिक्षण केंद्र, लघु स्तर की प्रदूषण रहित आर्थिक गतिविधियां, सामुदायिक ग्रीन वेस्ट रीसाईक्लिंग केंद्र, सामग्री पुनर्चक्रण केंद्र, अनौपचारिक बाजार आदि शामिल हैं) के प्रावधान हेतु कर सकता है।

(ध) न्यूनतम आवश्यक स्तर की सेवाएं एवं सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी होंगी। कम किए गए स्थान मानकों के आधार पर सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु मानदंड निम्नानुसार होंगे:

तालिका 4.6.4: कम किए गए स्थान मानकों हेतु मानदण्ड

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>सुविधा</th><th colspan="3">अलग-अलग प्लॉटों पर बनी सुविधाएं</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>न्यूनतम प्लॉट एरिया (वर्ग मीटर)</th><th>एफएआर</th><th>ग्राउंड कवरेज (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>प्राइमरी स्कूल</td><td rowspan="2">जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है</td><td colspan="2" rowspan="3">मास्टर प्लान (एमपीडी) के प्रावधानों के अनुसार</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सीनियर सेकेंडरी स्कूल</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्टिकल मिक्सिंग के माध्यम से मल्टी फैसिलिटी सेंटर के रूप में कोई अन्य स्थानीय सुविधा</td><td>आवश्यकतानुसार</td></tr>
</table>

(न) स्तर-4 की अनधिकृत कॉलोनी पुन: उत्थान योजनाओं में, समग्र योजना के अनुमोदन के उपरांत न्यूनतम 3,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले छोटे खण्डों के लिए क्रियान्वयन की अनुमति दी जा सकती है।

(प) अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा आधारभूत संरचना सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें नीतिगत रूप से स्थित सार्वजनिक फायर हाइड्रेंट की स्थापना तथा स्थानीय निकाय द्वारा अग्निशमन प्रणालियों और उपकरणों का आधुनिकीकरण शामिल है। प्रत्येक निवासी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके घर में कार्यशील अग्निशामक यंत्र उपलब्ध हो। साथ ही, तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया में सुधार के लिए धुआं/फायर अलार्म भी लगाए जा सकते हैं। ये उपाय सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने, अग्नि जोखिमों को कम करने तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

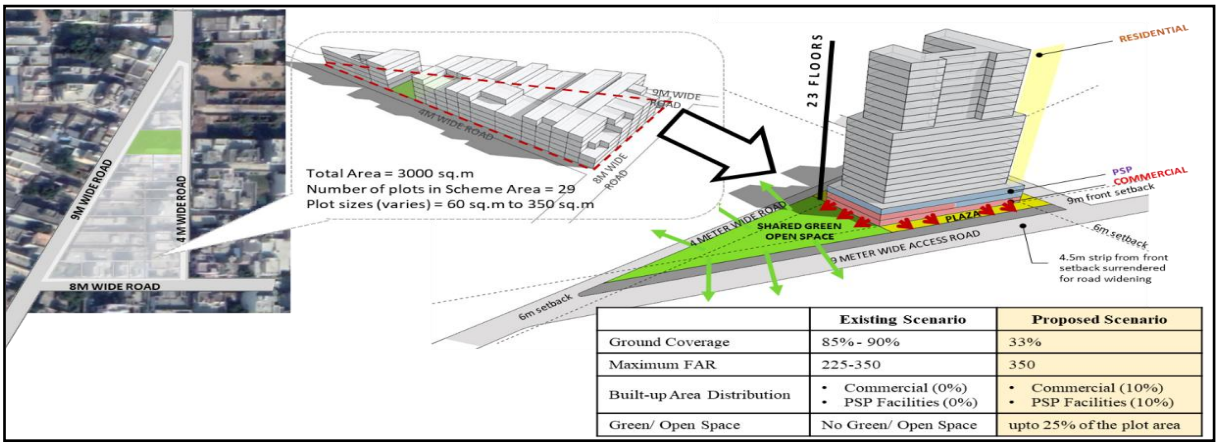

	Existing Scenario	Proposed Scenario
Ground Coverage	85%- 90%	33%
Maximum FAR	225-350	350
Built-up Area Distribution	• Commercial (0%) • PSP Facilities (0%)	• Commercial (10%) • PSP Facilities (10%)
Green/ Open Space	No Green/ Open Space	upto 25% of the plot area

चित्र 9: अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) का पुनर्विकास

(केवल उदाहरण के लिए)

4.6.3 शहरी गांव

(i) शहरी गांव दिल्ली की सबसे पुरानी आबादी वाली बस्तियों में से हैं और इनमें मूल गांव आबादी, जिसमें लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र शामिल हैं। ये बस्तियां कई दशकों में स्वाभाविक रूप से विकसित हुई हैं और महत्वपूर्ण आवासीय एवं आर्थिक केंद्रों के रूप में कार्य करते हुए अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान बनाए हुई हैं। कई गांवों में पारंपरिक व्यवसायों के साथ-साथ उभरती व्यावसायिक , सेवा, खुदरा, आतिथ्य, वेयरहाउसिंग और गृह आधारित आर्थिक गतिविधियां भी जारी हैं।

(ii) दिल्ली के विस्तार के साथ, अधिकांश शहरी गांव अब शहर के विकास का हिस्सा बन गए हैं और इनके चारों ओर नियोजित विकास हो चुका है। बढ़ती जनसंख्या, बदलती आजीविका और बढ़ते भूमि मूल्यों के कारण, इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और सार्वजनिक स्थानों में आवश्यक वृद्धि के बिना तेजी से बढ़ोतरी, वर्टिकल पुनर्विकास और प्लॉटों का विभाजन हुआ है।

(iii) कई शहरी गांवों में विरासत भवन, ऐतिहासिक जलाशयों, मंदिर, मस्जिद, हवेलियां, ओर्चार्ड और अन्य सांस्कृतिक परिसंपत्तियां भी स्थित हैं, जो दिल्ली की पहचान और स्वरूप को

बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनका क्षेत्र-आधारित पुनरुद्धार के माध्यम से संरक्षण किया जाना आवश्यक है, साथ ही इनकी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित रखा जाना चाहिए।

(iv) योजना पद्धति मौजूदा विकास प्रतिरूपों को मान्यता देगी तथा पारंपरिक योजना मानकों जिन्हें लागू करना कठिन है, को लागू करने के बजाय नियोजित पुनर्विकास को सुगम बनाने हेतु फ्लेक्सिबल मानदंड प्रदान करेगी।

(क) पुन:उत्थान कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निवासियों, आरडब्ल्यूए तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से क्षेत्र सुधार योजना के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) क्षेत्र सुधार योजना संपूर्ण गांव या सार्वजनिक सड़कों, पार्क, रेलवे कॉरिडोरों, नालों या प्राकृतिक विशेषताओं से घिरे किसी निश्चित पुन:उत्थान क्षेत्र को कवर कर सकता है।

(v) योजना उचित पहुंच, भौतिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना, विरासत के संरक्षण तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता की वृद्धि को सुनिश्चित करेगी। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) रोड नेटवर्क योजना (आरएनपी) जिसमें उन सभी रोड का उल्लेख होगा जिन्हें यातायात भीड़ की समस्या के समाधान हेतु न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) तक चौड़ा किया जाना आवश्यक है। ऐसी रोडों से लगे पुनर्निमाण के समय रोड को चौड़ा करने हेतु भूमि उपलब्ध कराएंगी तथा शेष प्लॉट पर एफएआर का उपयोग करने की अनुमति होगी।

(ख) गांव के अंदर उपलब्ध ग्राम सभा भूमि की पहचान करना जिनका उपयोग स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय स्तर की पीएसपी तथा सामाजिक-सांस्कृति सुविधाओं के विकास हेतु किया जा सके। विकास की जगह हेतु समुदाय, सामुदायिक/साझा पार्किंग, सावर्जनिक स्थानों, उपयोगिताओं, स्थानीय रिसाइकिलिंग क्षेत्रों तथा खाली स्थलों को भी निर्धारित करेगी।

(ग) प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक जलाशयों तथा विरासत परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, के जीर्णोद्धार तथा स्थानीय हरित क्षेत्रों, ओर्चार्ड आदि के विकास के लिए कार्यनीतियां।

(घ) शहरी गांव में मौजूदा गोदामों को स्टैंड-अलोन गोदाम शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

(vi) शहरी गांवो में, व्यक्तिगत प्लॉटों (प्लॉटेड हाउसिंग) के लिए, विनियमों के अनुसार गांव के अनुमोदित लेआउट प्लान पर बल दिए बिना, भवन योजना अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

(vii) शहरी गांवों के कुल भूमि उपयोग को आवासीय माना जाएगा। स्थानीय स्तर की सुविधाओं के प्रावधान को सुगम बनाने हेतु निम्नलिखित की अनुमति होगी:

(क) 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले तथा न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से पहुंच रखने वाले प्लॉटों पर, स्थानीय स्तर के पीएसपी केंद्रों की सुविधा हेतु आवासीय एफएआर का 100 % तक उपयोग करने की अनुमति होगी।

(ख) न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से पहुंच रखने वाले प्लॉटों पर, संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों की स्वीकृति पर अनुमेय एफएआर के 5% तक व्यावसायिक उपयोग की अनुमति होगी।

(ग) व्यक्तिगत/समामेलित प्लॉटों पर, लागू मानदंड़ों के अनुसार स्थानीय स्तर की सुविधाओं के प्रावधान हेतु पुनर्निर्माण की अनुमति होगी।

(घ) स्थानीय स्तर की सुविधाओं के लिए मानदंड तथा स्थान मानक, संबंधित विकास नियंत्रण मानदंड़ो के अनुसार होंगे

(viii) शहरी गांव ऐतिहासिक रूप से मिश्रित उपयोग वाली बस्तियों के रूप में कार्य करते रहे हैं और इनमें अनुकूल आर्थिक गतिविधियों, जैसे खुदरा व्यापार, कार्यालय, रेस्तरां, कैफे, सांस्कृतिक स्थल, सह-कार्यस्थल तथा नेबरहुड कमर्शियल एक्टिविटीज,गृह-आधारित उद्यमों एवं कुटीर उद्योगों, गेस्ट हाउस, होम स्टे/शार्ट स्टे तथा सर्विस्ड आवास, शिल्पकार कार्यशालाओं, सृजनात्मक उद्योगों एवं स्टार्ट-अप कार्यस्थलों को प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा। स्थानीय वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स की अनुमति केवल वहीं होगी, जहां वे आसपास के उपयोगों के अनुकूल हो।

(ix) शहरी गांवों में पुन: उत्थान योजनाओं को अनधिकृत पुन: उत्थान योजनाओं हेतु निर्धारित मानदंड़ों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

4.6.4 स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टर

(i) स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों में भवनों की जर्जर स्थिति होती है, अपर्याप्त पहुंच मार्ग होता है तथा भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का अभाव होता है, जिसके कारण ये आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। दिल्ली को "झुग्गी-झोपड़ी मुक्त" बनाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों का पर्यावरणीय उन्नयन तथा पुनर्वास करना आवश्यक है, ताकि वहां निवास करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

(ii) दिल्ली में स्लम /झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों के आकार, सघनता, स्वरूप, पहुंच, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके पुनर्वास/पुन: उत्थान के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। शहर-स्तरीय झुग्गी-झोपड़ी सुधार कार्यनीति निम्नलिखित तीन घटकों पर आधारित होगी:

(क) स्लम का इन-सीटू पुनर्वास (आईएसआर)

(ख) रिलोकेशन

(ग) इन-सीटू अपग्रेडेशन /क्षेत्र सुधार

(iii) मनोरंजनात्मक भूमि उपयोग, पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्रों, जैसे रिज, वन, जैव विविधता पार्क, यमुना बाढ़ क्षेत्र, जलाशयों, ड्रेन एवं वाटर चैनल, रेलवे सुरक्षा जोन, विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं, तथा सड़क मार्गाधिकार पर स्थित स्लम एवं जे.जे. क्लस्टर इन-सीटू पुनर्वास हेतु पात्र नहीं होंगे।

(iv) **इन-सीटू स्लम पुनर्वास (आईएसआर) योजना**: सभी पात्र झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर (उपर्युक्त उपबंध (iii) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर) आधारभूत भूमि उपयोग की परवाह किए बिना इन-सीटू पुनर्वास किया जाएगा। इस हेतु, भौतिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता से संबंधित अन्य शर्तों के अधीन निम्नलिखित विकास नियंत्रण मानदंड लागू होंगे।

तालिका 4.6.5 : इन-सीटू पुनर्वास (आईएसआर) हेतु विकास नियंत्रण मानदंड

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
1.	**इन-सीटू स्लम पुनर्वास (आईएसआर)**	2000	500 रिम्यूनरेटिव (लाभकारी) घटक	9	अप्र*
			500 रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) घटक		

* अप्र: कोई प्रतिबंध नहीं, बशर्ते कि संबंधित सांविधिक निकायों से स्वीकृति प्राप्त हो। यदि किसी सांविधिक प्रतिबंध के कारण अनुमत भवन ऊँचाई सीमित हो जाती है, तो पात्र लाभार्थियों को समायोजित करने के लिए आवश्यकतानुसार सर्वप्रथम रिहैबिलिटेशन घटक को बढ़ाया जाएगा।

नोट:

(क) ग्राउंड कवरेज पर कोई पाबंदी नहीं है। अनिवार्य सेटबैक का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) भवन ऊंचाई पर ऐसे प्रतिबंध अथवा अन्य स्थल संबंधी बाधाओं के कारण रिम्यूनरेटिव घटक से अप्रयुक्त एफएआर को सर्किल रेट के आधार पर गणना किए गए समतुल्य टीडीआर प्रदान करके प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ग) ऐसे टीडीआर का उपयोग टीओडी क्षेत्र के भीतर अथवा मास्टर प्लान (एमपीडी) एवं टीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

(क) सामान्य नियंत्रण:

(i) रिहैबिलिटेशन प्लॉटों का क्षेत्रफल कुल प्लॉट क्षेत्रफल के 40% से कम नहीं होगा। शेष प्लॉट क्षेत्र का उपयोग रिम्युनरेटिव घटक के लिए किया जा सकेगा।

(ii) आईएसआर योजना में रिहैबिलिटेशन घटक तथा रिम्युनरेटिव घटक दोनों पर 500-500 का एफएआर लागू होगा।

(iii) आईएसआर प्लॉटों के साइज के लिए न्यूनतम सेटबैक निम्नानुसार होंगे, जो संबंधित सांविधिक निकायों के अनुमोदन के अधीन होंगे:

तालिका 4.6.6: आईएसआर हेतु सेटबैक मानदण्ड

क्रम संख्या	प्लॉट का आकार (वर्ग मीटर)	सेट्बैक (मीटर)			
		फ्रन्ट	रियर	साइड 1	साइड 2
1	2000-10,000	9	6	6	6
2	10,000 से अधिक	15	12	12	12

(iv) सभी पात्र लाभार्थियों का इन-सीटू पुनर्वास किया जाएगा अन्यथा उन्हें अन्य उपर्युक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

(v) पुनर्वास हेतु पात्र लाभार्थियों की पहचान पुनर्स्थापना परियोजना के प्रारंभ होने से पूर्व की जाएगी।

(vi) बिखरी हुई झुग्गियों को समीपवर्ती झुग्गी-झोपड़ी स्थलों के साथ (अधिमानतः 3 किमी के भीतर) सम्मिलित कर एक समग्र योजना तैयार की जा सकती है। समग्र योजनाओं के मामले में, स्लम/झुग्गी-झोपड़ी समूहों का पुनर्वास सम्मिलित प्लॉटों में से किसी भी प्लॉटों पर किया जा सकता है तथा शेष प्लॉटों का उपयोग रिम्युनरेटिव संबंधी प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है।

(vii) 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली झुग्गियों के मामले में, यदि आसपास आईएसआर योजना की व्यवहार्यता न होने के कारण उनका समामेलन (क्लबिंग) संभव नहीं है, तो उनके पुनर्स्थापन हेतु विचार किया जा सकता है। पुनर्स्थापन के पश्चात रिक्त होने वाले ऐसे स्थलों को भी आईएसआर के रिम्यूनरेटिव संबंधी घटक के अनुसार विकास हेतु पात्र माना जाएगा।

(viii) यदि रिम्यूनरेटिव घटक का उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाता है, तो विकासकर्ता को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवास के लिए 15 प्रतिशत एफ.ए.आर. उपलब्ध

कराने की अनिवार्यता (जैसा कि समूह आवास के मामलों में निर्धारित है) से छूट प्रदान की जाएगी।

(ix) आईएसआर योजना के अंतर्गत रिहैबिलिटेशन तथा रिम्युनरेटिव घटकों के लिए सघनता की कोई पाबंदी नहीं होगी।

(x) उपयोगों का वर्टिकल मिक्सिंग (स्टेकिंग) अनुमत होगा।

(xi) आईएसआर योजनाओं पर टीओडी नीति के मानदण्ड लागू नहीं होंगे।

(ख) रिहैबिलिटेशन घटक हेतु अन्य मानदण्ड:

(i) रिहैबिलिटेशन घटक में आवासीय इकाई का कारपेट क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर होगा। कारपेट क्षेत्रफल की परिभाषा रेरा अधिनियम के अनुसार होगी।

(ii) आवासीय घटक हेतु प्लॉट क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भाग बहुउद्देशीय खुले स्थान के लिए एकल प्लॉट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें खेल मैदान भी सम्मिलित किए जा सकेंगे। परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर, प्राधिकरण के अनुमोदन से इसमें 2 प्रतिशत तक का परिवर्तन अनमत होगा।

(iii) रिहैबिलिटेशन घटक के लिए एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के प्रत्येक 100 वर्गमीटर पर 1 ई.सी.एस. पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) रिहैबिलिटेशन घटक में निर्मित क्षेत्र के रूप में सुविधाएँ उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। इन सुविधाओं हेतु उपलब्ध कराया गया क्षेत्र एफएआर की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उपलब्ध कराए गए सुविधा क्षेत्र का उपयोग सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन, आगंनवाड़ी/क्रेच, छोटी दुकानों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा आदि के लिए किया जाएगा।

(v) ये सुविधाएँ संबंधित आईएसआर योजना से उत्पन्न आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। सुविधाओं हेतु निर्मित-क्षेत्र की आवश्यकताएँ निम्नानुसार हो सकती हैं:

तालिका 4.6.7: आईएसआर हेतु सुविधाओं वाले क्षेत्र

क्रम संख्या	सुविधाएं	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	बहु उद्देशीय सामुदायिक हॉल	200
2	प्राथमिक स्कूल	1 नंबर
3	आंगनवाड़ी/ क्रेच	100
4	5 लघु दुकानें (जैसे— मिल्क बूथ, उचित मूल्य की दुकान आदि)।	100
5	स्वास्थ्य देखभाल केंद्र	100
6	औषधालय	20

नोट:

(क) उपर्युक्त मानदण्ड अधिकतम 1500 आवासीय इकाइयों तक के लिए हैं। उपर्युक्त सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल में आनुपातिक वृद्धि आईएसआर योजना के अनुसार की जा सकती है।

(ख) 1 हेक्टेयर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल वाली आईएसआर परियोजनाओं में सभी सुविधाओं का कुल क्षेत्र अनुमत एफएआर के 3% से अधिक नहीं होगा। सुविधाओं के क्षेत्र को डिजाइन के अनुसार बहु भवनों/ब्लॉकों में वितरित किया जा सकता है।

(vi) इन सुविधाओं का प्रावधान अधिमानतः भूतल तथा प्रथम तल पर वर्टिकल मिक्सिंग के रूप में किया जा सकेगा। इन सुविधाओं को लेआउट योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(vii) योजनाएं तैयार करने के समय निम्नलिखित नियामक एवं डिजाइन उपाय अपनाए जाएंगे—

(क) आवासीय इकाई के डिजाइन में स्टोरेज स्थान स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे तथा फर्नीचर रखने हेतु पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) एक्सटर्नल फ़साड का डिजाइन लंबे समय एवं न्यूनतम अनुरक्षण जैसे कि मौसम प्रतिरोधी पेंट के साथ ईंट की जाली आदि का उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(ग) रिसाव की समस्या से बचने हेतु नम क्षेत्र (वेट कोर) को प्राथमिकता से बाहरी दीवारों के साथ स्थित किया जाएगा।

(घ) निर्बाध प्लंबिंग सेवाओं हेतु पृथक सेवा शाफ्ट उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(ङ) भूतल स्तर पर अंधेरे, संकरे एवं असुरक्षित स्थानों के निर्माण को रोकने के लिए डिजाइन तैयार करते समय बहु-स्तरीय स्ट्रीटस्केप को सम्मिलित किया जा सकता है।

(च) सॉलिड वेस्ट डिस्पोज़ल एवं मैनेजमेंट हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(छ) जहाँ भी संभव हो, लिफ्ट के संचालन, स्ट्रीट लाइटिंग एवं अन्य सामान्य सेवाओं हेतु सौर ऊर्जा प्रणालियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ग) रिम्युनरेटिव घटक हेतु अन्य मानदण्ड:

(i) रिम्युनरेटिव घटक का एफएआर का उपयोग निर्धारित न्यूनतम पहुंच संबंधी मानदण्डों को पूरा करने की शर्त पर मिश्रित उपयोग/किसी भी उपयोग (पीएसपी, व्यावसायिक, आवासीय) हेतु किया जा सकेगा। यदि विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया जाता है, तो उपयोग किए गए एफएआर पर संबंधित उपयोग के लिए विकास नियंत्रण मानदण्ड प्रो-राटा आधार पर लागू होंगे।

तालिका 4.6.8: आईएसआर के अंतर्गत रिम्युनरेटिव घटक हेतु अनुमत उपयोग

क्रम संख्या	आई.एस.आर. योजना का प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आरओडब्ल्यू (मीटर)	अनुमत उपयोग
1.	2000-4000 वर्ग मीटर	9	एल.एस.सी. में अनुमत व्यावसायिक गतिविधियाँ, समस्त सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) उपयोग तथा आवासीय उपयोग।
2.	4000 वर्गमीटर से अधिक	18 मीटर और उससे अधिक	सीसी में अनुमत व्यावसायिक गतिविधियों, समस्त सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) उपयोगों तथा आवासीय उपयोग की अनुमति होगी।

ii. रिम्युनरेटिव संबंधी घटक के लिए एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के प्रत्येक 100 वर्गमीटर पर 2 ई.सी.एस. के मानक के अनुसार पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) **पुनर्स्थापन:** ऐसे स्लम/जे.जे. क्लस्टरों के मामले में, जहाँ संबंधित साईट पर आई.एस.आर. करना भौतिक अथवा वित्तीय रूप से संभव नहीं है, वहाँ निवासियों के पुनर्स्थापन हेतु उपलब्ध रिक्त ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय क्षेत्र के उपयोग अथवा अन्य आई.एस.आर. योजना के साथ समूहीकरण (क्लबिंग) के विकल्प पर भी विचार किया जा सकेगा।

(vi) **इन-सीटू अपग्रेडेशन/क्षेत्र सुधार:** मूलभूत शहरी सेवाओं के प्रावधान तथा इन क्षेत्रों को अधिक रहने योग्य बनाने एवं आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए इन-सीटू अपग्रेडेशन/क्षेत्र सुधार संबंधी उपाय अपनाए जाएंगे।

4.6.5 असंगत औद्योगिक क्षेत्र

(i) जीएनसीटीडी ने असंगत क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की अधिकता (70% से अधिक प्लॉटों पर औद्योगिक गतिविधि) वाले क्षेत्रों को अधिसूचित किया है (अनुलग्नक 11 देखें) । इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की कमी पाई जाती है।

(ii) स्थानीय निकाय/संबंधित एजेंसियाँ, उद्योग मालिकों के संघों/सोसाइटियों के परामर्श से, क्षेत्र स्तर पर रोड नेटवर्क प्लान तैयार कर अधिसूचित करेंगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जाएंगे:

(क) वर्तमान सड़क नेटवर्क तथा सड़कों की चौड़ाई।

(ख) सड़क चौड़ीकरण रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार किया जाएगा।

(ग) क्षेत्र की पहुंच न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली मौजूदा सड़क से सुनिश्चित की जाएगी।

(iii) अधिसूचित क्षेत्र (सुस्पष्ट रूप से निर्धारित/अनुमोदित भौतिक सीमाओं सहित) का भू-उपयोग, लागू उपयोग परिवर्तन प्रभार के भुगतान के अधीन, औद्योगिक उपयोग के लिए अनुमत्य होगा।

(iv) भवन योजना की स्वीकृति के लिए आरएनपी पर विचार किया जाएगा, उद्योग मालिकों के पास मौजूदा प्लॉटों पर भवन योजना की स्वीकृति प्राप्त करने या पुनर्विकास योजनाओं को शुरू करने का विकल्प होगा।

(v) इस खंड के प्रावधान निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि इन क्षेत्रों में उद्योगों की अनुमति नहीं है: लुटियंस बंगलों जोन, सिविल लाइंस बंगला जोन, रीजनल पार्क, रिज क्षेत्र, जोन 'ओ', प्राकृतिक जलाशय एवं उनके बफर क्षेत्र, नहरें, सुरक्षा दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र, सूचीबद्ध विरासत परिसंपत्तियाँ, आरक्षित/संरक्षित वन, डीडीए फ्लैट्स, कॉऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियाँ तथा सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि।

(vi) **अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट स्तर पर भवन निर्माण योजना का अनुमोदन:** प्लॉट स्तर पर भवन योजना अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(क) सड़क चौड़ी करने हेतु व्यक्तिगत प्लॉट मालिकों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी:

i) रोड नेटवर्क प्लान (आरएनपी) में 12 मीटर/18 मीटर तक चौड़ी की जाने वाली प्रस्तावित सड़कों से लगे भूखण्डों को इस प्रयोजन हेतु आनुपातिक आधार पर भूमि उपलब्ध करानी होगी। क्षेत्र के अन्य सभी भूखण्डों को न्यूनतम 9 मीटर चौड़ाई वाली सड़क से प्लॉट तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करानी होगी।

(ii) ऐसी भूमि की सुरक्षा करना तथा सड़क चौड़ी करने के समय उसे सभी प्रकार की बाधाओं एवं अतिक्रमणों से मुक्त अवस्था में स्थानीय निकाय को सौंपना भू-स्वामियों की जिम्मेदारी होगी।

(iii) सड़क चौड़ी करने हेतु भूमि सौंपने के पश्चात, भू-स्वामियों को शेष प्लॉट पर संपूर्ण भूखंड़ के अनुमत एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति होगी।

(iv) लागू प्रभारों के भुगतान के बाद, सड़क चौड़ी करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए अधिकतम 1000 वर्गमीटर तक के समामेलित प्लॉट क्षेत्रफल हेतु प्लॉटो के एकीकरण की अनुमति दी जाएगी।

(ख) प्लॉट स्तर पर निम्नलिखित विकास नियंत्रण लागू होंगे:

(i) प्लॉट का आकार कितना भी हो 200 एफ.ए.आर. अनुमत होगा।

(ii) अनुमत एफ.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग प्रशासनिक कार्यालय स्थान/रिटेल दुकान के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

(iii) 150 वर्गमीटर तक के प्लॉटों के लिए पार्किंग तथा माल के लोडिंग/अनलोडिंग हेतु अग्र भाग में न्यूनतम 3 मीटर का सेटबैक बिना चारदीवारी के बनाए रखना अनिवार्य होगा। शेष प्लॉट पर भूतल स्तर पर 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त की जा सकेगी। पार्किंग सहित विकास नियंत्रण मानदंड नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार लागू होंगे।

(iv) पार्किंग की निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति प्लॉट परिसर के अंदर अथवा साझा पार्किंग सुविधा के माध्यम से पूरी की जाएगी।

(v) सुरक्षा, सेवाओं, पर्यावरणीय सुरक्षा आदि से संबंधित सभी आवश्यकताओं को यूबीबीएल तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(vii) **असंगत औद्योगिक क्षेत्रों की पुन: उत्थान योजनाएं**: असंगत औद्योगिक क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र की रोड नेटवर्क प्लान (आरएनपी)/लेआउट योजना के अनुमोदन के पश्चात, नियमित किए गए प्लॉटो के भू-स्वामी नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुन: उत्थान हेतु निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पुन: उत्थान योजनाएँ क्रियान्वित करने के लिए विकासकर्ता संस्था (डीई) के रूप में एकजुट हो सकते हैं।

(viii) मौजूदा प्लॉटों पर बिल्डिंग प्लान अनुमोदन तथा पुन: उत्थान योजनाओं पर लागू सामान्य शर्तें:

(क) निषिद्ध/नकारात्मक उद्योगों की सूची में उल्लिखित उद्योगों (अनुलग्नक-7) को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ख) पुन: उत्थान योजनाओं के अनुमोदन तथा प्लॉट स्तर पर भवन योजना अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात, योजना/प्लॉट को अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संगत माना जाएगा।

(ग) पुन: उत्थान योजनाओं के अंतर्गत, ऐसे प्लॉट जिनका उपयोग औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उन्हें सभी आवश्यक अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ प्राप्त करने के पश्चात वर्तमान उपयोग अथवा किसी अन्य संगत उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) विकासकर्ता संस्था(डीई)/भू-स्वामी संबंधित एजेंसियों को सभी लागू प्रभार का भुगतान करेंगे।

4.6.6 असंगत गोदाम

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गोदाम (क्लस्टर के रूप में तथा स्वतंत्र इकाइयों के रूप में) अनियोजित तरीके से विकसित हो गए हैं, जिनमें ग्राम आबादी, विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र तथा लैंड पूलिंग और लो-डेन्सिटी एरिया के रूप में अधिसूचित गाँव भी सम्मिलित हैं। यद्यपि ये गतिविधियाँ व्यापार, वाणिज्य एवं आपूर्ति श्रृंखला को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तथापि इनके अनियोजित विकास के परिणामस्वरूप भू-उपयोग संबंधी टकराव, यातायात जाम, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, पर्यावरणीय मामले, अग्नि एवं सुरक्षा संबंधी जोखिम तथा आसपास के क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं।

मास्टर प्लान (एमपीडी) में इन मौजूदा असंगत गोदामों/गोदाम समूहों को संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से विनियमित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को संरक्षित रखते हुए सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तदनुसार, स्वतंत्र गोदामों तथा मौजूदा गोदाम समूहों के विनियमन एवं पुन: उत्थान हेतु मानदंड एवं मानक निर्धारित किए गए हैं।

यह खंड निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा: लुटियंस बंगलो जोन, सिविल लाइंस बंगलो जोन, रिज क्षेत्र, जोन-ओ, प्राकृतिक जल निकाय एवं उनके बफर क्षेत्र, नहरें, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, सूचीबद्ध विरासत परिसंपत्तियाँ, आरक्षित/संरक्षित वन, डीडीए फ्लैट्स, सहकारी समूह आवास समितियाँ, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि।

(i) असंगत स्टैण्ड-अलोन गोदाम

ऐसे स्टैण्ड-अलोन गोदाम प्लॉट जो किसी भी क्लस्टर का हिस्सा नहीं हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियंत्रित होंगे:

(क) दिनांक 21.06.2018 को या उससे पूर्व मौजूदा ग्राम आबादी (लाल डोरा क्षेत्र) तथा विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों में स्टैण्ड-अलोन गोदामों को अनुमति प्रदान की जाएगी (एसओ संख्या 3027 (ई) दिनांक 21.06.2018 द्वारा गजट अधिसूचना) ।

(ख) शेष क्षेत्रों में केवल ऐसे स्टैण्ड-अलोन गोदामों को जारी रखने की अनुमति होगी, जिनकी न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधी पहुँच हो तथा जिनके नक्शे दिनांक

31.12.2023 तक अनुमोदित हो चुके हों (एसओ संख्या 3405 (ई) दिनांक 19.08.2021 द्वारा गजट अधिसूचना) ।

(ग) केवल ऐसे स्वीकृत स्टैण्ड-अलोन गोदाम, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्लॉटों पर स्थित हैं, पुनर्निर्माण कर वेयरहाउसिंग योजना के रूप में विकसित किए जाने हेतु अनुमन्य होंगे। इसके लिए पुन: उत्थान योजनाओं में उल्लिखित मानदंड लागू होंगे।

(ii) **ग्राम आबादी क्षेत्रों में स्टैण्ड-अलोन गोदामों के लिए बिल्डिंग प्लॉन अनुमोदन**: स्टैण्ड-अलोन गोदामों के स्वामी निम्नलिखित न्यूनतम शर्तों के अधीन स्थानीय निकायों से बिल्डिंग प्लॉन अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं:

तालिका 4.6.9: स्टैण्ड-अलोन गोदामों के अनुमोदन हेतु न्यूनतम शर्तें

क्रम संख्या	**स्थान**	**प्लॉट का आकार**	**न्यूनतम मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) ***
1.	ग्राम आबादी (लाल डोरा क्षेत्र) एवं विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र	500 वर्गमीटर तक	9 मीटर (यदि सड़क राजस्व विभाग द्वारा परिभाषित/अनुमोदित है तो 7.5 मीटर)
		500 वर्गमीटर से अधिक	12 मीटर

* यह मार्गाधिकार मौजूदा सड़क के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। स्टैण्ड-अलोन गोदामों के मामले में सड़क चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) असंगत गोदाम क्लस्टर:

(क) संबंधित प्राधिकरण/एजेंसी, गोदाम मालिकों अथवा गोदाम मालिकों की एसोसियशनों/सोसाइटियों के परामर्श से, दिनांक 21.06.2018 से पूर्व मौजूद असंगत गोदाम क्लस्टरों की पहचान एवं सीमांकन करेगी। ऐसे समूह एक सन्निहित क्षेत्र में न्यूनतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के होंगे तथा उन्हें न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधी पहुँच प्राप्त होगी। साथ ही, ऐसे क्लस्टर के 55 प्रतिशत से अधिक प्लॉटो पर गोदाम गतिविधियाँ संचालित होनी चाहिए।

(ख) संबंधित एजेंसियां, गोदाम स्वामियों की एसोसियशनों/सोसायटियों के परामर्श से, प्रत्येक चिन्हित क्लस्टर हेतु रोड नेटवर्क प्लान तैयार एवं अनुमोदित करेंगी। रोड नेटवर्क प्लान(आरएनपी) में वर्तमान सड़कें, चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित सड़कें तथा नई प्रस्तावित सड़कें

सम्मिलित होंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक क्लस्टर की सीधी पहुंच न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से हो तथा पूरे क्लस्टर में न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क व्यवस्था उपलब्ध हो। परिसंचरण, आपातकालीन पहुंच तथा पुनर्विकास को सुगम बनाने हेतु चिन्हित विशिष्ट सड़कों का चौड़ीकरण न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार तक किया जाएगा।

(ग) आरएनपी को संबंधित गोदाम क्लस्टरों के लिए अनुमोदित ले-आउट प्लान के रूप में माना जाएगा, जिसके आधार पर भू-स्वामियों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे मौजूदा प्लॉटो पर बिल्डिंग प्लान अनुमोदन प्राप्त करें अथवा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पुन: उत्थान योजनाएँ क्रियान्वित करें।

(घ) सभी मौजूदा गोदामों के लिए स्थानीय निकायों से चरणबद्ध तरीकें से आरएनपी की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iv) गोदाम क्लस्टरों की अनुमोदित रोड नेटवर्क प्लान के अंतर्गत प्लॉट स्तर पर बिल्डिंग प्लान अनुमोदन: प्लॉट स्तर पर बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:

(क) सड़क चौड़ीकरण हेतु व्यक्तिगत प्लॉट स्वामियों द्वारा पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी:

i. रोड नेटवर्क प्लान में चौड़ीकरण हेतु चिन्हित सड़कों से सटे प्लॉटो द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। भू-स्वामी ऐसी भूमि की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे तथा सड़क चौड़ीकरण के समय स्थानीय निकाय उक्त भूमि सभी प्रकार के बाधाओ एवं अतिक्रमण से मुक्त स्थिति में सौंपी जाएगी।

ii. सड़क चौड़ीकरण हेतु भूमि सरेंडर किए जाने के पश्चात शेष प्लॉट पर संपूर्ण प्लॉट के लिए अनुमत एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति भूमि स्वामियों को दी जाएगी।

iii. 500 वर्ग मीटर और उससे कम तक के प्लॉटों की पहुंच न्यूनतम 9 मीटर आरओडब्ल्यू वाली सड़क से होगी तथा क्लस्टर के अन्य सभी प्लॉटो की पहुंच न्यूनतम 12 मीटर आरओडब्ल्यू वाली सड़क से होगी।

iv. सड़क चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लागू प्रभारों के अनुसार प्लॉटों के समामेलन की अनुमति दी जाएगी।

v. यदि किसी क्लस्टर में ग्राम आबादी क्षेत्र सम्मिलित है, तो ऐसे सभी गोदाम जो राजस्व सड़कों से सटे हैं तथा जिन्हें रोड नेटवर्क प्लान(आरएनपी) में चौड़ीकरण हेतु चिह्नित नहीं किया गया है, उन्हें स्टैण्ड-अलोन गोदाम माना जाएगा और उनका अनुमोदन स्टैण्ड-अलोन गोदामों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ख) एफ.ए.आर., ग्राउन्ड कवरेज , पार्किंग आदि जैसे विकास नियंत्रण गोदामों पर लागू विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार प्लॉट स्तर पर अनुमत होंगे।

(v) असंगत गोदाम समूहों हेतु पुन: उत्थान योजनाएं: भू-स्वामी, संपूर्ण क्लस्टर अथवा क्लस्टर के किसी भाग के लिए न्यूनतम 2 हेक्टेयर योजना क्षेत्र वाली पुन: उत्थान योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक विकासकर्ता इकाई (डीई) के रूप में एकत्रित होकर कार्य कर सकते हैं। योजनाओं की तैयारी हेतु प्लॉटो के समामेलन एवं पुनर्गठन की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(क) **गोदाम क्लस्टरों की पुन: उत्थान** योजना निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी:

i. योजना की सीधी पहुंच अनुमोदित रोड नेटवर्क प्लान (आरएनपी) में चिह्नित 18 मीटर आरओडब्ल्यू वाली सड़क से होगी। यदि संपूर्ण क्लस्टर को एकल योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो योजना की सीधी पहुंच 30 मीटर आरओडब्ल्यू वाली सड़क से होगी।

ii. योजना में सन्निहित प्लॉटों को सम्मिलित किया जाएगा तथा यथासंभव प्लॉटों का आकार नियमित एवं सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगी। किसी आंशिक क्लस्टर के पुन: उत्थान की स्थिति में, योजना क्षेत्र की सीमाएं सड़कों, नालों आदि जैसी भौतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होनी चाहिए।

iii. योजना के अंतर्गत अनुमोदित सड़क नेटवर्क प्लान(आरएनपी) के अनुसार योजना से सटी सभी 18 मीटर आरओडब्ल्यू वाली सड़कों के चौड़ीकरण एवं विकास हेतु आनुपातिक आधार पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यदि योजना से सटी कोई अन्य सड़क 12 मीटर से कम चौड़ाई की है, तो ऐसी सड़क को न्यूनतम 12 मीटर आरओडब्ल्यू तक चौड़ा करने हेतु आवश्यक भूमि भी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

iv. समेकित नियोजन एवं पुनर्विकास के उद्देश्य से मौजूद सार्वजनिक सड़कों, खुले क्षेत्रों, नालों तथा अन्य सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं को योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। इन सार्वजनिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र, अनुमत एफ.ए.आर. तथा ग्राउन्ड कवरेज की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन सार्वजनिक क्षेत्रों का पुनर्विन्यास संबंधित प्राधिकरण से पूर्व

अनुमोदन अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने के अधीन किया जा सकता है कि संबंधित सार्वजनिक उपयोग हेतु योजना के अंतर्गत समान अथवा अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध रहे। ऐसे क्षेत्रों को संबंधित स्थानीय निकाय को सौंपा/हस्तांतरित किया जाएगा।

(v) चिह्नित गोदाम क्लस्टर में स्थित रिक्त प्लॉटों को पुन: उत्थान योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, बशर्ते कि उनका कुल संचयी क्षेत्रफल योजना के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) वेयर हाउसिंग योजना का विकास:

उपरोक्त पुन: उत्थान क्षेत्र का नियोजन एवं विकास एकीकृत वेयर हाउसिंग योजना के रूप में किया जा सकता है, जिसमें भूखंडित अथवा बहुमंजिला वेयर हाउसिंग का मिश्रण अथवा दोनों का संयोजन सम्मिलित हो सकता है, जो निम्नलिखित विकास नियंत्रणों के अधीन होगा:

i. योजना हेतु अधिकतम अनुमत फ्लोर एरिया रेशियो(एफ.ए.आर.) 100 होगा तथा व्यक्तिगत प्लॉटों पर अधिकतम 70 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज अनुमत होगा।

ii. सेटबैक तथा अन्य नियोजन एवं विकास मानदंड लागू मास्टर प्लान (एमपीडी) के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

iii. योजना स्तर पर कुल अनुमत एफ.ए.आर. के अधिकतम 25 प्रतिशत का उपयोग सहायक उपयोगों, जिसमें कार्यालय स्थान, थोक व्यापार तथा/अथवा बिग-बॉक्स रिटेल सम्मिलित हैं, हेतु किया जा सकता है।

iv. कुल योजना क्षेत्र के अधिकतम 10 प्रतिशत क्षेत्र को सामान्य सुविधाओं, जिसमें साझा पार्किंग, निष्क्रिय पार्किंग, माल चढ़ाने एवं उतारने के क्षेत्र/सुविधाएं सम्मिलित हैं, हेतु आरक्षित किया जाएगा। विद्युत उपकेंद्र, पंप हाउस, अग्निशमन केंद्र, पुलिस चौकी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत संरचनाओं जैसी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं हेतु भी पर्याप्त भूमि चिन्हित की जाएगी।

v. पार्किंग की आवश्यकता 100 वर्ग मीटर के एफएआर एरिया पर 2 ई.सी.एस. के अनुसार योजना क्षेत्र के अंदर ही पूरी की जाएगी। योजना का समग्र लेआउट तथा योजना में सम्मिलित

सभी भवन, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा, सेवाओं, पर्यावरणीय संरक्षण आदि से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(ग) **पुन: उत्थान एवं वेयर हाउसिंग योजनाओं, दोनों पर लागू अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी:**

i. जब भी किसी गोदाम क्लस्टर के अंतर्गत पुन: उत्थान /वेयर हाउसिंग योजनाएं अनुमोदित की जाती हैं तथा प्लॉट स्तर पर भवन योजना अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो योजना/प्लॉट का भू-उपयोग संगत माना जाएगा। यह प्रावधान स्टैण्ड-अलोन गोदामों पर लागू नहीं होगा, वह उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे।

ii. किसी क्लस्टर के अंतर्गत ऐसे प्लॉट, जिनका उपयोग गोदामों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उन्हें उसी उपयोग के साथ जारी रखने की अनुमति होगी अथवा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात गोदाम गतिविधि प्रारंभ की जा सकती है। ऐसे प्लॉटों को पुन: उत्थान योजनाओं के अंतर्गत भी सम्मिलित किया जा सकता है।

iii. कंसोर्टियम/डीई/भू-स्वामियों द्वारा संबंधित एजेंसियों को उपयोग परिवर्तन प्रभार सहित सभी लागू प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

(vi) गोदामों के लिए लागू विकास मानदंड निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.6.10: गोदाम प्लॉटो हेतु विकास नियंत्रण मानदंड

क्रम संख्या	**प्लॉट का आकार (वर्ग मीटर)**	**अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)**	**अधिकतम एफएआर**	**अधिकतम ऊंचाई**
1.	500 तक	70	140	अ.प्र.
2.	500 से अधिक - 2000 तक		120	
3.	2000 से अधिक		100	

(क) अनुमत एफ.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग गोदाम गतिविधि से संबंधित कार्यकक्ष/प्रशासनिक कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

(ख) पार्किंग की आवश्यकता 100 वर्ग मीटर के एफएआर एरिया पर 2 ई.सी.एस. के अनुसार प्लॉट के अंदर ही पूरी की जाएगी। प्लॉट स्तर पर पुनर्निर्माण के समय पार्किंग हेतु स्टिल्ट की अनुमति दी जाएगी।

(ग) बेसमेंट की अनुमति मास्टर प्लान (एमपीडी) के संबंधित अनुभाग में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अनुमेय होगा।

(घ) केवल अहानिकारक सामग्रियों के स्टोरेज की अनुमति होगी, जो सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के अधीन होगी।

(ङ) भू-स्वामियों द्वारा संबंधित एजेंसियों को उपयोग परिवर्तन प्रभार सहित सभी लागू प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

4.7 विशेष विकास क्षेत्र

विशेष विकास क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें नगर के पुराने ऐतिहासिक व्यावसायिक केंद्रों, जैसे कि वाल्ड सिटी, सदर बाज़ार, पहाड़गंज, करोल बाग आदि के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों की विशेषता सघन निर्मित स्वरूप, संकीर्ण संचलन मार्ग, कम-उँचाई एवं उच्च-घनत्व वाले विकास तथा मुख्यतः आवासीय, व्यावसायिक (खुदरा एवं थोक) एवं औद्योगिक उपयोगों का मिश्रित स्वरूप है। साथ ही, इन क्षेत्रों का महत्वपूर्ण धरोहर महत्व है। इन क्षेत्रों में हानिकारक/प्रदूषणकारी उद्योगों तथा जोखिमयुक्त व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

इन क्षेत्रों में सुगम पहुँच में सुधार, भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, धरोहर परिसंपत्तियों का संरक्षण तथा इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के संवर्धन हेतु समग्र कार्यनीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता है। संबंधित स्थानीय निकाय, निर्धारित समय-सीमा के भीतर, स्थानीय निवासियों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श से विशेष क्षेत्र पुनर्विकास प्लान तैयार करेगा, जिसमें रोड नेटवर्क प्लान (आरएनपी) तथा क्षेत्र सुधार प्लान सम्मिलित होंगी।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/(पीएसपी) उपयोग/सेवाओं, जैसे अस्पताल (तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र), औषधालय, महाविद्यालय, विद्यालय, पुलिस थाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, स्थानीय सरकारी कार्यालय, पार्किंग आदि, अपने वर्तमान स्थान पर यथावत बनाए रखा जाएगा तथा पुनर्विकास प्लान में अतिरिक्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) स्थलों का भी प्रावधान किया जाएगा। इन क्षेत्रों में सामाजिक अवसंरचना के प्रावधान हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यकतानुसार कमी प्रदान की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, रीडेवलेपमेंट प्लान में माल के लदान–उतार तथा सरफेस पार्किंग की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जा सकेगा।

यदि इन क्षेत्रों के अंतर्गत कोई सांस्कृतिक परिसर स्थित है, तो उसकी पहचान की जाएगी तथा संबंधित स्थानीय निकाय अथवा अभिकरण उसके संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन की योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करेगा। धरोहर भवनों के स्वामियों को उनके संरक्षण तथा पुनः अनुकूल उपयोग के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान की जा सकेगी। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिसूचित सांस्कृतिक परिसरों के अंतर्गत स्थित आवासीय प्लॉटों में अधिसूचित गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी।

4.7.1 वाल्ड सिटी

वाल्ड सिटी दिल्ली का ऐतिहासिक केंद्र है तथा भारत के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। यह चाँदनी चौक, खारी बावली, चावड़ी बाज़ार, दरीबा कलाँ, किनारी बाज़ार, नई सड़क, भागीरथ पैलेस, सदर बाज़ार तथा बल्लीमारान जैसे प्रतिष्ठित बाज़ारों का केंद्र है। यद्यपि अनेक थोक व्यापारिक गतिविधियाँ धीरे-धीरे फुटकर व्यापार तथा आगंतुक आधारित व्यवसायों में परिवर्तित हो रही हैं, तथापि यह क्षेत्र क्रय-विक्रय, व्यापार, पर्यटन तथा विरासत के प्रमुख गंतव्य के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बनाए हुए है।

वाल्ड सिटी के लिए प्लान कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य विरासत-आधारित पुनर्जीवन होगा, जिसमें संरक्षण, आधुनिक अवसंरचना तथा आर्थिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे—

(i) ऐतिहासिक बाज़ारों के विशिष्ट स्वरूप एवं पहचान का संरक्षण करते हुए उन्हें सजीव फुटकर/थोक व्यापार, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा पर्यटन के आकर्षक गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा।

(ii) विरासत भवनों के अनुकूल पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनका उपयोग सांस्कृतिक केंद्रों, संग्रहालयों, विशिष्ट लघु होटलों, अल्पाहार गृहों, कला दीर्घाओं, हस्तशिल्प दुकानों तथा अन्य संगत उपयोगों के लिए किया जा सके।

(iii) विरासत संरक्षण, सड़क अवसंरचना के उन्नयन तथा सार्वजनिक अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का ढाँचा लागू किया जाएगा।

(iv) ऊपरी विद्युत तारों के स्थान पर भूमिगत उपयोगिता तंत्र स्थापित कर, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाकर पुरानी अवसंरचना का उन्नयन किया जाएगा।

(v) चयनित मार्गों को पैदल यात्रियों के लिए प्राथमिकता प्रदान करते हुए, चौड़े पादपथ, बेहतर फर्शीकरण, सार्वभौमिक अभिगम्यता, स्ट्रीट फर्नीचर तथा दिशा-सूचक व्यवस्था विकसित कर पैदल आवागमन को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं की निर्बाध पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

(vi) वाल्ड सिटी को सेवा प्रदान करने वाले छह मेट्रो स्टेशनों द्वारा उपलब्ध निर्बाध संपर्कता का लाभ उठाते हुए, पैदल आवागमन, ई-रिक्शा तथा अन्य गैर-मोटरचालित परिवहन साधनों के माध्यम से अंतिम चरण की संपर्कता को सुदृढ़ किया जाएगा।

(vii) वाल्ड सिटी के भीतर यातायात भीड़भाड़ को न्यूनतम करने हेतु उपयुक्त परिधीय स्थलों पर बहुस्तरीय एवं साझा पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिन्हें शटल सेवाओं तथा पैदल संपर्क मार्गों से जोड़ा जाएगा।

(viii) व्यावसायिक गतिविधियों को सुगम बनाने तथा भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से समेकन केंद्रों, निर्धारित लदान–उतार क्षेत्रों, समयबद्ध आपूर्ति व्यवस्था तथा दक्ष ऊर्ध्वाधर भंडारण प्रणालियों सहित सुव्यवस्थित माल परिवहन एवं रसद व्यवस्था विकसित की जाएगी।

(ix) जहाँ आवश्यक हो, व्यापारियों से परामर्श कर गोदामों एवं अन्य असंगत गतिविधियों का चरणबद्ध पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही वाल्ड सिटी के भीतर फुटकर व्यापार, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा।

(x) पुराने एवं अल्प-उपयोगित भवनों, खुले स्थलों तथा सार्वजनिक भूमि का पुनर्जीवन कर उन्हें सार्वजनिक चौकों, सांस्कृतिक स्थलों तथा सामुदायिक समागम स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

(xi) सुरक्षित, आकर्षक एवं जीवंत पड़ोस विकसित करने के लिए प्रकाश व्यवस्था, संकेतक व्यवस्था, निगरानी प्रणाली तथा सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

(xii) विरासत परिभ्रमण, उत्सवों, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय व्यंजनों तथा सायंकालीन गतिविधियों को प्रोत्साहित कर वाल्ड सिटी को एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा।

4.7.2 वाल्ड सिटी एक्सटेंशन

पहाड़गंज, सदर बाज़ार, रोशनारा रोड तथा इनके आसपास के क्षेत्र वाल्ड सिटी के विस्तार का भाग हैं। इन क्षेत्रों में विद्यमान थोक व्यापारिक बाज़ार के आधुनिकीकरण हेतु निर्मित संरचना के नवीनीकरण, माल की कुशल आवाजाही तथा आधुनिक थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के समर्थन के लिए आवश्यक सहायक अवसंरचना एवं सेवाओं के विकास के संबंध में समग्र कार्यनीतियाँ तैयार की जाएँगी।

(i) संबंधित स्थानीय निकाय व्यापारियों से परामर्श कर क्षेत्र सुधार प्लान तैयार करेगा, जिसमें अमलगमेशन एवं पुनः उत्थान के लिए उपयुक्त ब्लॉक/समूहों की पहचान तथा क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना, परिवहन सुधार एवं पार्किंग प्रबंधन प्लान का निर्धारण किया जाएगा।

(ii) ब्लॉक/समूहों के लिए पुनरूत्थान योजनाएं विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार एवं क्रियान्वित की जाएँगी।

4.7.3 करोल बाग

करोल बाग एक प्लॉट-आधारित विकास क्षेत्र है, और यहाँ के आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोगों का मिश्रित स्वरूप इसकी विशेषता है।

(i) आवासीय प्लॉटों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन) संबंधित मास्टर प्लान के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(ii) स्थानीय निकाय पैदल आवागमन, साइकिल मार्ग, सार्वजनिक स्थलों तथा हरित क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य से क्षेत्र सुधार योजना भी तैयार कर सकते हैं।

(iii) करोल बाग के अनेक क्षेत्रों का विशिष्ट स्थापत्य स्वरूप है। ऐसे क्षेत्रों तथा आधुनिक धरोहर भवनों की पहचान के लिए स्थानीय निकाय द्वारा सर्वेक्षण कराया जा सकता है।

(iv) ऐसे क्षेत्रों के पुनः उत्थान के लिए स्थानीय निकाय नगरीय डिजाइन अथवा स्थापत्य नियंत्रण संबंधी प्रावधान निर्धारित कर सकता है।

अध्याय 5 विकास संहिता

5.1 विकास संहिता

विकास संहिता का उद्देश्य प्लान के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास की गतिविधियों को विनियमित करना है। यह संहिता उपयोग क्षेत्र तथा उपयोग परिसर के मध्य स्पष्ट अंतर स्थापित करती है। यह उपयोग गतिविधियों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित दो स्तरों पर एक व्यवस्थित संहिता प्रदान करती है—

(क) उपयोग क्षेत्र का उपयोग परिसरों में रूपांतरण (ले-आउट); तथा

(ख) उपयोग परिसरों पर विभिन्न उपयोग गतिविधियों की अनुमति।

यह संहिता सभी भवनों/प्लॉटों/स्कीम क्षेत्रों के विकास, विस्तार, परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण के मानदंड निर्धारित करती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ विशिष्ट विकास नियंत्रण के पृथक प्रावधान किए गए हों। इस प्लान के अंतर्गत विकास को व्यापक रूप से निम्नलिखित दो नियोजन रूप-रेखाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(i) **अधिग्रहित एवं विकसित क्षेत्रों में नियोजन:** पूर्व से विकसित क्षेत्रों में, इस संहिता के अंतर्गत निर्दिष्ट उपयोग क्षेत्रों के माध्यम से भूमि उपयोग निर्धारित किया गया है।

(ii) **नीति-आधारित विकास क्षेत्र:** इनमें वे क्षेत्र सम्मिलित हैं जहाँ विकास निजी भूमि स्वामियों तथा अन्य हितधारकों की सहभागिता पर आधारित नियोजन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलेपमेंट (टीओडी), लैंड पूलिंग क्षेत्र, लो डेंसिटी एरिया, हाई डेंसिटी कॉरिडोर आदि के अंतर्गत विकास संबंधित क्षेत्रीय विकास नीतियों में निर्धारित विशिष्ट विकास नियंत्रणों के अनुसार किया जाएगा ।

5.1.1 परिभाषाएँ

इस विकास संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ होंगे—

(i) भूमि उपयोग प्लान का अर्थ उस प्लान से है, जो खंड 5.1.3 में परिभाषित उपयोग क्षेत्रों को दर्शाती है।

(ii) ज़ोनल डेंवलपमेंट प्लान से अभिप्राय एनसीटी दिल्ली के किसी एक ज़ोन (डिवीज़न) के लिए बनाए गए उस प्लान से है, जिसमें सामाजिक अवसंरचना, उद्यान एवं खुले क्षेत्र, रोड नेटवर्क तथा अन्य संबंधित विवरणों का विस्तृत

प्रावधान किया गया हो।

(iii) उपयोग ज़ोन से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है, जिसे खंड 5.1.3 के अनुसार नगरीय कार्यों की किसी एक विनिर्दिष्ट उपयोग श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया हो।

(iv) लेआउट प्लान (एलओपी) से अभिप्राय ऐसे प्लान से है, जिसमें सभी उपयोग परिसरों का विन्यास एवं आकार दर्शाया गया हो। प्रत्येक उपयोग क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र के विस्तार के आधार पर, एक अथवा एक से अधिक ले-आउट प्लान हो सकते हैं तथा इसके विपरीत भी। किसी लेआउट प्लान या उप-विभाजन प्लान में मनोरंजन, उपयोगिताओं तथा परिवहन से संबंधित परिसरों को छोड़कर कम-से-कम दो उपयोग परिसर होने अनिवार्य हैं।

(v) लेआउट प्लान में सभी प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों का स्थान तथा उनकी चौड़ाई, प्लॉटों के माप, भवन रेखाएँ एवं सेटबैक, ड्रेन, सार्वजनिक सुविधाओं एवं सेवाओं, विद्युत लाइनों आदि का स्थान तथा विकास संहिता के संबंधित प्रावधानों के अनुसार स्थल के कुल क्षेत्रफल, सड़कों के अंतर्गत क्षेत्रफल, पार्कों, खेल के मैदानों, मनोरंजन स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों हेतु आरक्षित क्षेत्रफल का विवरण सम्मिलित होगा।

(vi) साइट प्लान से अभिप्राय ऐसे विस्तृत प्लान से है, जिसमें विकास संहिता तथा एकीकृत भवन उपविधियों (यूबीबीएल) के संबंधित प्रावधानों के अनुसार किसी प्लॉट पर प्रस्तावित संरचनाओं, पार्किंग क्षेत्रों, खुले स्थानों, भूदृश्य विन्यास तथा अन्य विकास संबंधी विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया गया हो।

(vii) उपयोग परिसर से अभिप्राय किसी उपयोग ज़ोन के अंतर्गत स्थित उन उप-विभाजनों में से एक से है, जिसे अनुमोदित लेआउट प्लान/उप-विभाजन प्लान, साइट प्लान अथवा उपयोग प्लान में किसी विशिष्ट उपयोग के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। किसी परिसर का भूमि उपयोग अनुमोदित ले-आउट प्लान, स्थानीय क्षेत्र प्लान अथवा संबंधित स्थानिक विकास नीति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(viii) टाउन प्लानिंग स्कीम से अभिप्राय ऐसे प्लान से है, जो एकाधिक स्वामित्व वाली भूमि के माध्यम से किसी अधिसूचित क्षेत्र के एकीकृत विकास अथवा पुनर्विकास के लिए तैयार किया जाता है। इस प्लान के अंतर्गत सड़क नेटवर्क,

अवसंरचना, सार्वजनिक प्रयोजनों तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए आवश्यक भूमि का प्रावधान करने के उपरांत प्लॉटों का पुनर्गठन एवं पुनर्वितरण किया जाता है, जिससे सुनियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित हो तथा सभी हितधारकों के मध्य लागत एवं लाभ का न्यायसंगत वितरण संभव हो सके।

5.1.2 दिल्ली–2047 के लिए भूमि उपयोग प्लान

(i) दिल्ली मास्टर प्लान–2047 के लिए भूमि उपयोग प्लान को जीआईएस प्लेटफार्म पर, अनुमोदित ज़ोनल डेंवलपमेंट प्लान, लेआउट प्लान तथा प्रस्तावित स्थानिक विकास नीतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

(ii) दिल्ली के भूमि उपयोग प्लान तथा प्लान दस्तावेज़ को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

5.1.3 भूमि उपयोग एवं उपयोग क्षेत्र

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को नौ (9) भूमि उपयोग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख तालिका 5.1 में किया गया है। प्रत्येक भूमि उपयोग श्रेणी के अंतर्गत एक अथवा अधिक उपयोग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आगे लेआउट प्लान में आवश्यकतानुसार, शर्तों सहित अथवा बिना शर्तों के, अपेक्षित संख्या में उपयोग परिसरों में उप-विभाजित किया जाएगा। भूमि उपयोग प्लान में प्रदर्शित अनुसार, कोई भी उपयोग क्षेत्र एक अथवा एक से अधिक स्थानों पर स्थित हो सकता है।

तालिका 5.1: भूमि उपयोग और उपयोग क्षेत्र

क्रम संख्या	भूमि उपयोग	उपयोग क्षेत्र	
1.	आवासीय	आरडी*	आवासीय क्षेत्र
		आरएफ	विदेशी मिशन
2.	व्यावसायिक	सी1	रिटेल शॉपिंग, जनरल बिज़नेस और कॉमर्स, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेन्टर
		सी2	थोक और गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और तेल डिपो, आईएफसी
		सी3	होटल
3.	औद्योगिक	एम1	मैन्युफैक्चिरंग, सेवा उद्योग और मरम्मत उद्योग
4.	मनोरंजन	पी1	रीज़नल पार्क
		पी2	सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क, कम्युनिटी पार्क, मल्टीपरपज़

			ग्राउंड, ग्रीन बफर
		पी3	ऐतिहासिक स्मारक
		पी4	खेल सुविधाएं/ कॉम्प्लेक्स/ केंद्र /स्टेडियम
5.	परिवहन	टी1	एयरपोर्ट
		टी2	टर्मिनल/ डिपो/ यार्ड/ ऑपरेशनल एरिया रेल/ एमआरटीएस/ बस/ ट्रक/ आरआरटीएस/ हाई स्पीड रेल
		टी3	परिचालन–रेल /एमआरटीएस /सड़क /आरआरटीएस/ हाई स्पीड रेल
6.	यूटिलिटी	यू1	जल (ट्रीटमेंट प्लांट, आदि)
		यू2	सीवरेज (ट्रीटमेंट प्लांट, आदि)
		यू3	बिजली (पावर हाउस, सब-स्टेशन, आदि)
		यू4	सॉलिड वेस्ट, (ट्रीटमेंट, डिस्पोज़ल, आदि के लिए जगह)
		यू5	ड्रेन
7.	सरकारी	जी1	राष्ट्रपति संपदा और संसद भवन
		जी2	सरकारी कार्यालय परिसर/ न्यायालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
		जी3	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)
8.	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	पीएस1	सामान्य सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक; अस्पताल; शिक्षा और अनुसंधान/ विश्वविद्यालय/ कॉलेज; शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय; सामाजिक सांस्कृतिक परिसर/ केन्द्र; पुलिस स्टेशन/ पुलिस मुख्यालय/ पुलिस लाइन, अग्निशमन केंद्र/ आपदा प्रबंधन केंद्र; धार्मिक; कब्रिस्तान/ श्मशान घाट/ सीमेटरी
9.	कृषि एवं जल निकाय	ए1	कृषि भूमि
		ए2	नदी और जल निकाय

* राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित ग्राम आबादी (लाल डोरा) तथा विस्तारित लाल डोरा का भूमि उपयोग, चाहे वह किसी भी उपयोग क्षेत्र में स्थित हों, आवासीय माना जाएगा।

(ii) ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी), लैंड पूलिंग एरिया, लो डेंसिटी कॉरिडोर, हाई डेंसिटी कॉरिडोर आदि के अंतर्गत विकास, संबंधित स्थानिक विकास नीतियों तथा विनियमों (यदि कोई

हों) में निर्धारित विशिष्ट विकास नियंत्रणों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे विकास के मामलों में, स्वीकृत विकास रूपरेखा के अनुरूप मौजूदा भूमि उपयोग स्वतः अधिलिखित माना जाएगा।

(iii) ग्राम सभा की भूमि का विकास संबंधित भूमि-स्वामी एजेंसी द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान भी सम्मिलित होगा।

(iv) सरकारी भूमि के मामले में, आवश्यक प्रयोजनों की पूर्ति हेतु भूमि उपयोग तथा विकास नियंत्रण मानकों में संशोधन, भारत सरकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(v) दिल्ली छावनी तथा एयरपोर्ट क्षेत्र (जिसमें एयरोसिटी भी सम्मिलित है) के अंतर्गत आने वाली भूमि का विनियमन संबंधित प्राधिकरणों के मानकों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी वाले सभी प्रोजेक्ट्स में लैंड वेल्यू कैप्चर को अपनाया जाएगा।

(vi) माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निदेशों के अनुपालन में प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों द्वारा सौपीं गई भूमि का उपयोग ग्रीन बेल्ट तथा खुले स्थानों के विकास हेतु किया जाएगा ।

(vii) दिल्ली के नियोजित क्षेत्रों के भीतर स्थित निजी स्वामित्व वाली ऐसी भूमि के खंडों जिनका विकास अब तक अनियोजित रहा है, का विकास "निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम बनाने संबंधी विनियम" के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(viii) पूर्ववर्ती मास्टर प्लानों के अंतर्गत "अस्थायी सिनेमा" के रूप में प्रयुक्त प्लॉटों का विकास, मास्टर प्लान/ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान में निर्धारित संबंधित आधारभूत भूमि उपयोग के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

5.1.4 ज़ोनल डेंवलपमेंट प्लान (जेडडीपी)

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सत्रह (17) प्लान ज़ोन (डिविजन) में विभाजित किया गया है|

(ii) विद्यमान विकसित क्षेत्रों के लिए जेडडीपी, मास्टर प्लान तथा ले-आउट प्लान के मध्य एक समन्वयकारी कड़ी के रूप में कार्य करेगी। विभिन्न उपयोग परिसरों को दर्शाने वाली विकास प्लान तथा लेआउट प्लान, मास्टर प्लान के अनुरूप होंगी।

(iii) ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान में ऐसे क्षेत्रों/मार्गों की पहचान की जाएगी, जहाँ विशेष भवन अथवा नगरीय डिजाइन संबंधी विशेष नियंत्रण, जैसे—अग्रभाग नियंत्रण, मटेरियल

स्पेसीफिकेशन्स, एलीवेशन, ऊँचाई नियंत्रण, परिधि दीवारें, संकेतक आदि लागू किए जाने हों। ऐसे नियंत्रण विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण/संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा तैयार करके अधिसूचित किए जाएँगे। ऐसे अग्रभाग नियंत्रण में सड़क की ओर स्थित संरचनाओं पर वर्टिकल हरितीकरण संबंधी प्रावधान भी सम्मिलित किए जा सकते हैं।

(iv) स्थानिक नीति-आधारित विकास क्षेत्रों, (जैसे— लैंड पूलिंग, एलडीए, एचडीसी आदि) को छोड़कर, सभी ज़ोन के लिए ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान, दिल्ली–2047 की अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष के भीतर, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अपडेट और अधिसूचित किए जाएँगे।

(v) मौजूदा नियोजित क्षेत्रों में, यदि मास्टर प्लान तथा ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान के प्रावधानों के मध्य किसी प्रकार का विरोधाभास हो, तो मास्टर प्लान के प्रावधान प्रभावी होंगे।

5.1.5 निर्धारित उपयोग क्षेत्र एवं उपयोग परिसर

(i) प्रत्येक उपयोग क्षेत्र में विशिष्ट उपयोग परिसर सम्मिलित हैं (अनुलग्नक 22 देखें)। उपयोग परिसर में संगत गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं तथा इनका विकास या तो पृथक प्लॉटों के रूप में किया जा सकता है (प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए निर्धारित) अथवा एकीकृत/समग्र प्लानों के रूप में किया जा सकता है, जैसे—डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, कम्युनिटी सेन्टर, आईएफसी, वेयरहाउसिंग स्कीम, एकीकृत औद्योगिक पार्क/टाउनशिप आदि)।

(क) यह प्लान विभिन्न उपयोग क्षेत्रों के अंतर्गत अनुमेय एवं गैर-अनुमेय उपयोग परिसरों/गतिविधियों की सूची (अनुलग्नक 18 से 21) प्रदान करता है, जो दिल्ली के सभी लेआउट प्लानों एवं साइट प्लानों पर लागू होगा। पूर्व स्वीकृत लेआउट प्लानों के अनुसार अनुमोदित उपयोग परिसर यथावत् अनुमत रहेंगे। किसी उपयोग परिसर में परिवर्तन की अनुमति, जहाँ लागू हो, निर्धारित उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान के अधीन होगी।

(ख) प्रत्येक उपयोग परिसर में संबंधित निर्धारित उपयोगों/उपयोग गतिविधियों के अंतर्गत विशिष्ट उपयोग/गतिविधियों की अनुमति, निर्धारित शर्तों के साथ अथवा बिना शर्तों के, प्रदान की जा सकेगी। उपयोग परिसर को नियंत्रित करने वाले संबंधित विनियमों के अनुसार अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, प्राथमिक उपयोग से संबंधित अन्य गतिविधियों की भी अनुमति दी जा सकेगी।

(ग) प्रत्येक उपयोग परिसर का स्थान एवं सीमा-निर्धारण ले-आउट प्लान/ जेडडीपी/मास्टर प्लान अथवा संबंधित स्थानिक विकास नीति के अनुरूप होगा।

(ii) उपयोग परिसर के स्थान, सीमाओं तथा उपयोग में कोई भी परिवर्तन, विधिवत अनुमोदित किया जाएगा तथा उसे संबंधित लेआउट प्लान में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) प्लान में स्थानिक विकास नीतियों के प्रावधानों के अनुसार एकल प्लॉट/स्कीम के भीतर संगत उपयोगों के मिश्रण की भी अनुमति प्रदान की गई है।

(iv) सभी उपयोग क्षेत्रों में पार्क, ओपन पार्किंग, आवागमन, यूटिलिटी तथा सार्वजनिक जन-सुविधाएँ अनुमेय होंगी।

(v) पार्किंग सभी उपयोग ज़ोन में अनुमत सुविधाओँ में से एक है, जिसमें मनोरंजन के लिए खुले स्थान और पार्क शामिल है, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर (अनुलग्नक-2 देखें)।

5.1.6 प्लानों की संस्वीकृति

(i) लेआउट प्लान/साइट प्लान तथा बिल्डिंग प्लानों की संस्वीकृति संबंधित अधिकार क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की जाएगी। प्राधिकरण अथवा किसी अन्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विधि के अनुसार पूर्व में अनुमोदित लेआउट प्लान इस संहिता के अंतर्गत अनुमोदित माना जाएँगा।

(ii) किसी क्षेत्र के लिए अनुमोदित लेआउट प्लान उपलब्ध न होने की स्थिति में, मास्टर प्लान/ ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) जहाँ आवश्यक हो, दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति सभी भूमि उपयोग श्रेणियों में लेआउट प्लान, समग्र/एकीकृत प्लानों तथा अन्य चिन्हित प्लानों की संस्वीकृति हेतु दिशा-निर्देश तैयार करेगी। टेक्निकल कमेटी को विकास संगठनों/स्थानीय निकायों से प्लान प्राप्त करने तथा आवश्यकतानुसार निर्देश/सुझाव जारी करने का अधिकार होगा।

(iv) यूबीबीएल के प्रावधानों के अनुसार, नियमों के उल्लंघन को निपटाने (कंपाउड करने) के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार अथोरिटी/स्थानिक निकायों को दिया जाएगा।

(v) संबंधित स्थानीय निकाय को वर्ग गज से वर्ग मीटर में क्षेत्रफल परिवर्तन के कारण प्लॉट आकार में होने वाले अधिकतम 2% तक के अंतर को स्वीकार करने का अधिकार होगा।

(vi) जहाँ मास्टर प्लान/ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान अथवा अन्य विनियमों के अंतर्गत परिसर स्तर पर उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई हो, वहाँ केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उपयोग परिवर्तन प्रभार/ अन्य देय शुल्कों का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

(vii) सभी लेआउट प्लानों/एकीकृत स्कीम के अनुरूप सर्विस प्लान, जिनमें जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, यूटिलिटी डक्ट्स आदि जैसी भौतिक अवसंरचना का प्रावधान हो, संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों के लागू मानकों के अनुरूप होंगी।

(viii) विभिन्न नीतियों/विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य योजनाएँ, लेआउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन हेतु अनिवार्य आवश्यकता होंगी।

(ix) मास्टर प्लान के अनुसार अनुमत अतिरिक्त एफएआर का उपयोग (प्लॉट के लिए आवंटित एफएआर के अतिरिक्त), केवल केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रभारों के भुगतान के पश्चात ही किया जा सकेगा।

(x) भूमि उपयोग/उपयोग क्षेत्रों की अपेक्षा किये बिना, सभी भवन संरचनाओं को बाधा रहित निर्मित पर्यावरण के लिए निर्धारित स्थान मानकों का अनुपालन करना पड़ेगा।

(xi) पार्किंग का प्रावधान तालिका 11.7 के अनुसार होगा। यदि पार्किंग का दुरुपयोग पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसी द्वारा अधिसूचित शुल्कों के अनुसार दंड लगाया जाएगा तथा संपत्ति के स्वामी द्वारा पार्किंग- व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

(xii) अतिरिक्त एफएआर अनुपात तथा/या ऊँचाई की स्वीकृति अथवा नियमितीकरण हेतु आवेदन करने वाला प्रत्येक आवेदक, किसी संरचनात्मक अभियंता से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। जहाँ ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा भवन अन्यथा संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है, वहाँ संबंधित स्थानीय निकाय/एजेंसी द्वारा भूस्वामी को निर्धारित अवधि के भीतर भवन की संरचनात्मक स्थिरता में सुधार करने हेतु औपचारिक सूचना जारी की जाएगी। ऐसा न करने की स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा भवन को असुरक्षित घोषित किया जाएगा तथा ऐसे भवन को स्वामी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा ध्वस्त किया जाएगा।

(xiii) सभी भवन एवं लेआउट प्लान एकीकृत यूबीबीएल तथा मास्टर प्लान के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

(xiv) जहाँ किसी उपयोग परिसर के लिए विकास नियंत्रण निर्धारित नहीं किए गए हैं,
वहाँ ऐसे विकास, नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

(xv) अतिरिक्त एफएआर का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भवन प्लान में संशोधन के मामले में, भवन परिसर अतिरिक्त एफएआर का उपयोग तभी कर सकेगा जब प्लॉट के भीतर ही पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराई गई हो।

(xvi) ऐसे भवन परिसरों के संबंध में, जिनका बिल्डिंग प्लान इस प्लान की अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत हो चुका हैं तथा जिनमें पूर्ववर्ती मास्टर प्लान के अनुसार पार्किंग मानकों का लाभ लिया गया था, वे प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। इस प्लान की अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त किए जाने वाले अतिरिक्त एफएआर पर इस प्लान की तालिका 11.7 के अनुसार निर्धारित पार्किंग मानक लागू होंगे।

(xvii) शहरी गाँवों के मामले में, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एरिया इंप्रूवमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। मास्टर प्लान मार्गों तथा ज़ोनल प्लान मार्गों के किनारे स्थित गाँवों के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा अर्बन डिज़ाइन स्कीम, संकेतक प्लान, पहुँच नियंत्रण डिजाइन तथा लेआउट तैयार किया जाएगा, जिसमें पर्याप्त पार्किंग-व्यवस्था का समुचित प्रावधान होगा।

5.1.7 सुविधाओं का क्रम

संतुलित एवं नियोजित विकास को सुगम बनाने तथा किसी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर अवसंरचना, सार्वजनिक सुविधाओं एवं आवश्यक सेवाओं के प्रावधान और उनके समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनसंख्या-आधारित विकास पदानुक्रम प्रस्तावित किया गया है। प्रति इकाई क्षेत्र हेतु न्यूनतम मानदंड केवल लेआउट प्लान के प्रयोजन के लिए संकेतात्मक प्रकृति के होंगे तथा दैनिक आवश्यकताओं, नियोजन संबंधी आवश्यकताओं एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर इनमें उपयुक्त/अनुकूलन किया जा सकेगा।

जनसंख्या-आधारित विकास पदानुक्रम निम्नानुसार होगा—

(i) **स्थानीय स्तर**: 10,000 तक की जनसंख्या के लिए सुविधाएँ।

(ii) **सामुदायिक स्तर**: 1 लाख तक की जनसंख्या के लिए सुविधाएँ।

(iii) **उप-नगर स्तर**: 5 लाख तक की जनसंख्या के लिए सुविधाएँ।

(iv) **नगर स्तर**: नगर स्तर एवं रीज़नल स्तर की सुविधाएँ।

तालिका 5. 2: सुविधाओं का क्रम

स्तर	सुविधाएँ	इकाइयों की संख्या	न्यूनतम प्रति इकाई क्षेत्र	प्रदान किया जाना है	
				एलओपी	जेडडीपी
स्थानीय	अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ*	1 @ 10,000	500 वर्गमीटर	√	
	प्रारंभिक शिक्षा केंद्र	1 @ 10,000	500 वर्गमीटर	√	
	स्कूल (छठी तक)	1 @ 10,000	2000 वर्गमीटर	√	
	स्कूल (बारहवीं तक)	1 @ 10,000	4000 वर्गमीटर	√	
	स्थानीय स्तर पर सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र	2 @ 10,000	500 वर्गमीटर	√	
	धार्मिक/सामुदायिक सुविधा	2 @ 10,000	100 वर्गमीटर	√	
	टॉट लॉट	40 @ 10,000	125 वर्गमीटर	√	
	आवासीय क्षेत्र खेल का मैदान	2 @10,000	5000 वर्गमीटर	√	
	नेबरहुड खेल क्षेत्र	1 @ 10,000	5000 वर्गमीटर	√	
	आवासीय क्षेत्र पार्क	2 @10,000	5000 वर्गमीटर	√	
	नेबरहुड पार्क	1 @ 10,000	1.0 हेक्टेयर	√	
	यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष/पुलिस चौकी	आवश्यकता के अनुसार	--	√	
	कन्वीनिएंस शॉपिंग सेंटर	2 @ 10,000	1000 वर्गमीटर	√	
	लोकल शॉपिंग सेंटर	1 @ 10,000	3000 वर्गमीटर	√	
सामुदायिक	पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा #	1 @ 1 लाख	300 वर्गमीटर	√	
	स्वास्थ्य केंद्र #	6 @ 1 लाख	1000 वर्गमीटर	√	
	अस्पताल**	3 @ 1 लाख	2000 वर्गमीटर	√	√

	सामाजिक सांस्कृतिक सुविधा केंद्र - सामुदायिक स्तर पर जिसमे बैंक्वेट हॉल, बारात घर आदि शामिल हैं	2 @ 1 लाख	1000 वर्गमीटर	√	
	पुलिस पोस्ट /अग्निशमन पोस्ट	1 @ 1 लाख	2500 वर्गमीटर तक	√	
	शहरी बेघरों के लिए आश्रय	1 @ 1 लाख	100 वर्गमीटर	√	
	कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर	1 @ 1 लाख	1.0 हेक्टेयर		√
	कम्युनिटी पार्क	1 @ 1 लाख	3.5 हेक्टेयर	√	√
	कम्युनिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड	1 @ 1 लाख	2.0 हेक्टेयर	√	√
	एलपीजी गोदाम बुकिंग ऑफिस सहित	आवश्यकतानुसार	600 वर्गमीटर तक (पीईएसओ के लागू स्टैंडर्ड के अनुसार)	√	
	बस टर्मिनल	1 @ 1 लाख	1000 वर्गमीटर	√	
	बसों, एलएमवी, आईपीटी, आदि के लिए पार्किंग स्थल।	2 @ 1 लाख	1000 वर्गमीटर	√	
	कम्युनिटी सेन्टर	1 @ 1 लाख	2.0 हेक्टेयर	√	√
	सेवा बाजार	1 @ 1 लाख	2000 वर्गमीटर	√	
	अनौपचारिक क्षेत्र बाजार	1 @ 1 लाख	1000 वर्गमीटर	√	
सब-सिटी	अस्पताल**	3 @ 5 लाख	1.5 हेक्टेयर		√
	नशामुक्ति/ पुनर्वास केंद्र	1 @ 5 लाख	2000 वर्गमीटर	√	
	पशु चिकित्सा अस्पताल	1 @ 5 लाख	2000 वर्गमीटर	√	
	विशेष विद्यालय	4 @ 5 लाख	2000 वर्गमीटर	√	
	अनुसंधान एवं विकास केंद्र/कॉलेज/कोई	4 @ 5 लाख	कम से कम 1000 वर्गमीटर या संबंधित एक्रेडिटेशन	√	

	अन्य संस्थान		इंस्टीट्यूशन/ अथॉरिटी के नियमों के अनुसार		
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा केंद्र - सामुदायिक स्तर	1 @ 5 लाख	1000 वर्गमीटर	√	
	अन्य पीएसपी सुविधाएँ	5 @ 5 लाख	1000 वर्गमीटर	√	
	डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर	1 @ 5 लाख	3.0 हेक्टेयर		√
	पुलिस स्टेशन	2 @ 5 लाख	1.0 हेक्टेयर तक	√	√
	अग्निशमन केंद्र	2 @ 5 लाख	1.0 हेक्टेयर तक	√	√
	आपदा प्रबंधन इकाई	1 @ 5 लाख	आवश्यकता के अनुसार	√	√
	श्मशान घाट/ विद्युत शवदाह गृह	1 @ 5 लाख	2000 वर्गमीटर	√	√
	डिस्ट्रिक्ट पार्क	1 @ 5 लाख	25.0 हेक्टेयर		√
	डिस्ट्रिक्ट मल्टीपरपज़ ग्राउंड	1 @ 5 लाख	4.0 हेक्टेयर		√
	बस टर्मिनल	1 @ 5 लाख	2000 वर्गमीटर	√	
	बस डिपो	1 @ 5 लाख	4000 वर्गमीटर		√
	डिस्ट्रिक्ट सेन्टर	1 @ 5 लाख	10.0 हेक्टेयर		√
नगर	मेडिकल कॉलेज/ नर्सिंग और पैरामेडिक संस्थान/पशु चिकित्सा संस्थान	आवश्यकता के अनुसार	नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार		√
	आवासीय विद्यालय	आवश्यकता के अनुसार	2.0 हेक्टेयर तक	√	√
	विश्वविद्यालय परिसर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित	आवश्यकता के अनुसार	यूजीसी/एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार		√
	प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र	आवश्यकता के अनुसार			√

	डिवीज़नल स्पोर्ट्स सेन्टर	1@ 10 लाख और उससे अधिक	10.0 हेक्टेयर		√
	गोल्फ कोर्स	आवश्यकता के अनुसार			√
	अंतर्राष्ट्रीय खेल केंद्र	आवश्यकता के अनुसार	20 हेक्टेयर		√
	अन्य पीएसपी केंद्र	आवश्यकता के अनुसार	2000 वर्गमीटर	√	√
	धार्मिक/कम्युनिटी सेन्टर	आवश्यकता के अनुसार		√	√
	डिस्ट्रिक जेल	1@ 50 लाख	आवश्यकता के अनुसार		√
	पुलिस लाइन/प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, पुलिस फायरिंग रेंज, केंद्रीय पुलिस संगठन/सुरक्षा बल सहित पुलिस कैंप, आपदा प्रबंधन इकाई, जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला/ राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान	आवश्यकता के अनुसार		√	√
	पी एंड टी सुविधा (टाइप-I)	2 @ 20 लाख	2000 वर्गमीटर	√	
	पी एंड टी सुविधा (टाइप-II)	आवश्यकता के अनुसार		√	√
	कब्रिस्तान/सिमेट्री	1 @ 10 लाख	2000 वर्गमीटर	√	√
	जानवरों के लिए कब्रिस्तान/श्मशान घाट	1 @ 10 लाख	-	√	
	सिटी पार्क	2 @10 लाख	40.0 हेक्टेयर		√

	सिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड	1 @10 लाख	8.0 हेक्टेयर		√
	बस डिपो	आवश्यकता के अनुसार			√
	आईएसबीटी	आवश्यकता के अनुसार	5.0 हेक्टेयर		√
	थोक बाजार	1@ 10 लाख	आवश्यकता के अनुसार		√

नोट:

* प्लॉट क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत तक की भिन्नता अनुमेय होगी।

** आवासीय क्षेत्रों के भीतर अस्पताल प्लॉट का आकार अधिकतम 1.5 हेक्टेयर तक सीमित होगा। ऐसे प्लॉटों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी तीन दिशाएँ खुली हों तथा कम-से-कम एक दिशा में 18 मीटर चौड़ा आरओडब्ल्यू उपलब्ध हो।

आवासीय उपयोग परिसर के लिए प्लान तैयार करते समय, सामुदायिक स्तर तथा उससे उच्च स्तर पर, 12 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) अथवा यथा निर्धारित आरओडब्ल्यू वाले मार्गों पर, (प्रति 10,000 जनसंख्या के लिए निर्धारित सभी स्थानीय स्तर की सुविधाओं के अतिरिक्त), इन उपयोग परिसरों/सुविधाओं का भी प्रावधान अथवा अनुमति दी जा सकेगी।

तालिका 5.3: यूटिलिटी

यूटिलिटी					
जल-आपूर्ति और स्वच्छता					
स्तर	**सुविधाएँ**	**इकाइयों की संख्या**	**प्रति इकाई क्षेत्र**	**एलओपी**	**जेडडीपी**
एनए	**सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)/अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र**				
	एसटीपी (एसपीएस और ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी तक (22.7 एमएलडी) क्षमता तक	आवश्यकता के अनुसार	650 वर्गमीटर /एमएलडी	√	√
	एसटीपी (एसपीएस और ईपीएस के	आवश्यकता के अनुसार	1100 वर्गमीटर /एमएलडी	√	√

	साथ) – 5 एमजीडी (22.7 एमएलडी) से अधिक क्षमता				
	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस)	आवश्यकता के अनुसार	50 वर्गमीटर /एमएलडी	√	
	अपशिष्ट पम्पिंग स्टेशन (ईपीएस)	आवश्यकता के अनुसार	50 वर्गमीटर / एमएलडी	√	
	जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)				
	डब्ल्यूटीपी - 80 एमजीडी (363 एमएलडी)	आवश्यकता के अनुसार	300 वर्गमीटर /एमएलडी	√	√
	डब्ल्यूटीपी - 40 एमजीडी (182 एमएलडी)	आवश्यकता के अनुसार	400 वर्गमीटर /एमएलडी	√	√
	बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों वाले भूमिगत जलाशय				
	5 एमएलडी क्षमता	आवश्यकता के अनुसार	700 वर्गमीटर /एमएलडी	√	
	50 एमएलडी क्षमता	आवश्यकता के अनुसार	600 वर्गमीटर /एमएलडी	√	√
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
स्थानीय	अपशिष्ट अलग करने और यूटिलिटी वाहनों की पार्किंग/मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी एरिया (पहले: ढलाओ के नाम से जाना जाता था)	1 @ 10,000	200 वर्गमीटर	√	
सब-सिटी	मटीरियल रिकवरी फ़ैसिलिटी (सेमी-ऑटोमैटिक): 200 टीपीडी	1 @ 5 लाख	6,000-8,000 वर्गमीटर		√
नगर	मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (ऑटोमेटेड): > 10,000 टीपीडी	1@ > 20 लाख	10,000-20,000 वर्गमीटर		√

बिजली					
स्थानीय	विद्युत उप-केन्द्र 11 के.वी.	आवश्यकता के अनुसार	48-80 वर्गमीटर	√	
समुदाय	विद्युत उप-केन्द्र 33/66 के.वी.		1500-2,000 वर्गमीटर	√	√
सब-सिटी	विद्युत उप-स्टेशन 220 केवी		7,000-10,000 वर्गमीटर	√	√
	विद्युत उप-स्टेशन 400 केवी		4.0 हेक्टेयर		√
	विद्युत उप-स्टेशन 765 केवी		16.0 हेक्टेयर		√

अध्याय 6. प्लान की निगरानी और मूल्यांकन

6.1 निगरानी रूपरेखा

मास्टर प्लान नगर विकास के मार्गदर्शन हेतु एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य रूपरेखा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्लान की कार्यनीतियाँ परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित एवं समन्वित होती रहें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्लान के प्रावधान नगर के विकास हेतु निर्धारित विज़न एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक एवं प्रभावी बने रहें। इसके लिए एक सुदृढ़ निगरानी रूपरेखा की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से समय-समय पर सुझाए गए मुख्य प्रदर्शन संकेतक, समय-सीमाओं तथा कार्य बिंदुओं की समीक्षा की जा सके।

विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की जमीनी स्तर प्रगति की निगरानी की जाएगी। प्रत्येक पाँच वर्ष में एक विस्तृत समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार मास्टर प्लान में संशोधन किए जाएँगे।

प्लान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा—

(i) **केपीआई आधारित मूल्यांकन**: नगर के मापन सूचकांक पर केंद्रित, सुझाए गए मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) वाला एक मूल्यांकन ढाँचा विकसित किया जाएगा।

(ii) **डेटा साझाकरण एवं प्रबंधन**: प्लान की निगरानी में सहयोग प्रदान करने हेतु डेटा साझाकरण के लिए एक ढाँचा निर्धारित किया जा सकेगा।

(iii) **समर्पित निगरानी इकाई** : प्लान की प्रगति की निगरानी हेतु डीडीए में एक अंतर्विषयक टीम/इकाई स्थापित की जाएगी।

(iv) **कार्यान्वयन सहायता**: चिन्हित परियोजना/प्लानों के कार्यान्वयन को, हितधारकों को सहायता प्रदान करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सुगम बनाया जाएगा।

6.1.1 मल्टी-एजेंसी समन्वय रूपरेखा

निगरानी समितियाँ, लक्ष्यों एवं विज़न की प्राप्ति हेतु प्रगति की निगरानी के लिए, (अनुलग्नक 14 में सुझाए गए संकेतकों के अतिरिक्त) अन्य संकेतकों की पहचान भी कर सकती हैं।

(i) निगरानी समितियाँ वार्षिक आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी। उच्च स्तरीय समिति वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करेगी, समन्वय को सुगम बनाएगी तथा प्लान में संशोधन हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।

(ii) डीडीए की ओर से एक वार्षिक मल्टी-एजेंसी कार्यशाला आयोजित की जा सकती है, जिसमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा सामने आ रही कार्यान्वयन समस्याओं पर चर्चा की जा सके, रोडमैप

की समीक्षा हो, कुल प्रगति का आकलन किया जा सके और भविष्य की योजनाओं एवं परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जा सके।

6.1.2 डेटा साझाकरण एवं प्रबंधन

उच्च स्तरीय समिति द्वारा डेटा साझाकरण प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसका अनुपालन संबंधित एजेंसियों द्वारा केपीआई के मूल्यांकन हेतु अनिवार्य रूप से किया जाएगा। डीडीए द्वारा संबंधित एजेंसियों हेतु डेटा अपलोड करने के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित किया जा सकता है।

6.1.3 निगरानी एवं समीक्षा

(i) प्लान के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सहायक कार्यों के निष्पादन के लिए डीडीए में एक निगरानी एवं समीक्षा इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक टीम सम्मिलित होगी।

(ii) इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएँगे—

क. विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक पोर्टल पर डेटा बैंक का विकास एवं रखरखाव करना।
ख. वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।
ग. मास्टर प्लान के जीआईएस डेटाबेस का प्रबंधन एवं इसको अपडेट करना।
घ. प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने और चुनौतियों की पहचान करने के लिए संबंधित विषयों पर अध्ययन करना/करवाना/सिफारिश करना।

6.1.4 कार्यान्वयन सहायता (इम्पलीमेंटेशन स्पोर्ट)

डीडीए तथा अन्य एजेंसियाँ—

(i) स्थानिक विकास नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु, यदि आवश्यक हो, सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करेंगे।

(ii) सूचना उपलब्ध कराने तथा नागरिकों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल विकसित एवं संचालित करेंगे।

(iii) क्षेत्र सुधार परियोजना को डिजाइन करने एवं कार्यान्वयन हेतु, हितधारक समूहों जैसे आरडब्ल्यूए, प्रॉफेशनल तथा नागरिक समाज संगठनों को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन (अन्य एजेंसियों के साथ प्रदान करेंगे।

(iv) सामुदायिक सहभागिता, निर्मित पर्यावरण के हरितीकरण आदि के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों में सुधार हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री विकसित करेंगे।

भाग-III

विकास नियंत्रण मानदंड

अध्याय-7. आवासीय हेतु विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

7.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 7.1आवासीय- उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	**प्लॉटेड हाउसिंग**	एक या एक से ज़्यादा आवासीय इकाई(याँ) और उसमें एक या एक से ज़्यादा मेन बिल्डिंग ब्लॉक और सहायक ब्लॉक हो सकते हैं। (1962 से पहले के दो मंज़िला प्लॉटेड फ्लैट, प्लॉटेड आवासीय क्षेत्र माने जाएंगे)
2.	**समूह आवास**	न्यूनतम 3000 वर्गमीटर एरिया (लाल डोरा/ विस्तारित लाल डोरा के लिए 2000 वर्गमीटर) का परिसर, जिसमें आवासीय इकाई के साथ बुनियादी सुविधाएं हों।
3.	**स्टूडियो अपार्टमेंट**	40-60 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाली आवासीय इकाई के लिए परिसर
4.	**धर्मशाला या उनके समकक्ष**	अल्प अवधि के लिए बुनियादी सुख-सुविधाओं वाले अस्थाई आवास
5.	**राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह**	राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अतिथियों के लिए अल्प अवधि आवासन वाले सरकारी परिसर
6.	**किफायती किराया आवास परिसर**	किराए पर रहने के लिए परिसर, जिसमें रहने की इकाई और डॉरमेट्री के साथ बुनियादी सुविधाएं भी हों।
7.	**गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस**	आमतौर पर ऐसे परिसर जो किसी संस्थान से जुड़े अथवा स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने वाले जो स्टाफ/अतिथि को कुछ समय रहने के लिए अस्थायी आवास प्रदान करें।
8.	**छात्रावास**	ऐसे परिसर जिनमें रूम और/अथवा डॉरमेट्री के रूप में आवास प्रदान किए गए हो और जो आमतौर पर किसी संस्थान से जुड़े हुए हों और डाइनिंग सुविधा सहित अथवा बिना डाइनिंग सुविधा के हों।
9.	**फॉरन मिशन**	फॉरन मिशन के लिए परिसर।

7.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

7.2.1 प्लॉटेड हाउसिंग

तालिका 7.2: प्लॉटेड हाउसिंग के लिए डीसीएन

उपयोग परिसर	प्लॉट एरिया (वर्ग मीटर)		अधिक-तम ग्राउंड कवरेज (%)	अधि-कतम एफए आर	आवासीय इकाइयों की अधिकतम संख्या
प्लॉटेड हाउसिंग	1.	50 तक	90	350	3
	2.	50 से अधिक तथा 100 तक	90	350	4
	3.	100 से अधिक तथा 250 तक	75	300	4
	4.	250 से अधिक तथा 750 तक	75	225	5
	5.	750 से अधिक तथा 1000 तक	50	200	7
	6.	1000 से अधिक तथा 1500 तक	50	200	7
	7.	1500 से अधिक तथा 2250 तक	50	200	10
	8.	2250 से अधिक तथा 3000 तक	50	200	10
	9.	3000 से अधिक तथा 3750 तक	50	200	10
	10	3750 से अधिक	50	200	10

प्लॉटेड हाउसिंग हेतु अन्य नियंत्रण :

(i) गणना के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक आवासीय इकाई में 4.5 व्यक्तियों तथा प्रत्येक सर्वेंट क्वार्टर में 2.25 व्यक्तियों का अधिभोग माना जाएगा।

(ii) विकास हेतु आवासीय प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर होगा।

(iii) किसी भी श्रेणी के किसी प्लॉट पर अनुमेय कुल ग्राउंड कवरेज तथा कुल निर्मित फ्लोर एरिया, उससे निम्न श्रेणी के सबसे बड़े प्लॉट के लिए अनुमेय ग्राउंड कवरेज तथा निर्मित फ्लोर एरिया से कम नहीं होगा।

(iv) जिन प्लॉटों में स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान नहीं है, उनमें भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (अर्थात् भूतल + 3 रहने योग्य तल) होगी। जिन प्लॉटों में स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान है, उनमें भवन की अधिकतम ऊँचाई 17.5 मीटर (अर्थात् स्टिल्ट + 4 रहने योग्य तल) तक होगी।

(v) यदि भवन में स्टिल्ट क्षेत्र का निर्माण यूबीबीएल के अनुसार केवल पार्किंग प्रयोजन हेतु किया गया हो, तो ऐसे स्टिल्ट क्षेत्र को एफएआर की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, किन्तु भवन की कुल ऊँचाई की गणना में इसे सम्मिलित किया जाएगा।

(vi) 100 वर्ग मीटर से अधिक तथा 750 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों में स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों में, मानकों के अनुसार पार्किंग/ईसीएस की पूर्ति हेतु पार्किंग का प्रावधान सेटबैक/स्टिल्ट में किया जा सकेगा।

(vii) प्लॉट के उप-विभाजन की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी एक आवासीय प्लॉट पर एक से अधिक भवन निर्मित किए जाते हैं, तो ऐसे सभी भवनों का कुल एफएआर तथा ग्राउंड कवरेज, उक्त प्लॉट के लिए अनुमत एफएआर एवं ग्राउंड कवरेज से अधिक नहीं होगा।

(viii) अधिकतम 64 वर्गमीटर तक के दो प्लॉटों के समामेलन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(क) स्थानीय निकाय द्वारा लेआउट प्लान में समकालिक रूप से आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

(ख) अधिकतम ग्राउंड कवरेज, सेटबैक, पार्किंग, आवासीय इकाइयों की संख्या आदि का निर्धारण समामेलित प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार किया जाएगा।

(ग) दो अलग-अलग प्लॉटों के लिए अधिकतम अनुमेय एफएआर, अनुमेय एफएआर के योग से कम नहीं होगा।

(ix) प्रत्येक सर्वेंट क्वार्टर में रसोई, बरामदा, स्नानगृह एवं शौचालय से अलग कम से कम 11 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक रहने योग्य कक्ष होना अनिवार्य होगा। सर्वेंट क्वार्टर का अधिकतम क्षेत्रफल 25 वर्ग

मीटर होगा। यदि सर्वेंट क्वार्टर का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर से अधिक है, तो उसे अलग आवासीय इकाई माना जाएगा।

(x) स्टैंडर्ड प्लान: प्राधिकरण द्वारा अनेक स्टैंडर्ड प्लान अभिकल्पित (डिजाइन) एवं अनुमोदित हैं। जहाँ लागू हों, ये प्लान प्रभावी बने रहेंगे। ऐसे प्लानों को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विकास नियंत्रणों के अनुसार संशोधित किया जाएगा जो प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा।

(xi) न्यूनतम सेटबैक निम्नलिखित तालिका के अनुसार होंगे:

तालिका 7.3: प्लॉटेड हाउसिंग के लिए न्यूनतम सेटबैक मानदंड

क्रम संख्या	प्लॉट का आकार (वर्ग मीटर)	न्यूनतम सेटबैक (मीटर में)			
		सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2
1.	100 तक	0	0	0	0
2.	100 से अधिक तथा 250 तक	3	0	0	0
3.	250 से अधिक तथा 500 तक	3	3	3	0
4.	500 से अधिक तथा 2,000 तक	6	3	3	3
5.	2000 से अधिक तथा 10,000 तक	9	6	6	6
6.	10,000 से अधिक	15	9	9	9

(क) यदि किसी प्लॉट पर (विशिष्ट परिस्थितियों में) उपर्युक्त निर्दिष्ट सेटबैक प्रदान करने के उपरांत भी अनुमत ग्राउंड कवरेज प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसे मामलों में तत्काल पूर्ववर्ती श्रेणी के लिए सेटबैक प्रदान किए जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

7.2.2 समूह आवास, किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी), स्टूडियो अपार्टमेंट, राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह तथा छात्रावास

तालिका 7.4: समूह आवास, किफायती किराया आवास परिसर, स्टूडियो अपार्टमेंट, राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह तथा छात्रावास हेतु विकास नियंत्रण मानदण्ड

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधि-कतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**समूह आवास, किफायती किराया आवास परिसर, स्टूडियो अपार्टमेंट, राज्य भवन/ राज्य अतिथि गृह**, छात्रावास**	40	200*	अ.प्र.

* एआरएचसी के मामले में अधिकतम अनुमेय एफएआर 300 होगा।

** राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह के मामले में अधिकतम अनुमेय ग्राउंड कवरेज 50 प्रतिशत होगा।

(i) समूह हाउसिंग हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगी।

(ख) लाल डोरा/विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों में समूह आवास हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर तथा सड़क के न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगा। यदि इन क्षेत्रों के ले-आउट प्लान पहले से अनुमोदित नहीं हैं, तो भविष्य में तैयार किए जाने वाले ले-आउट प्लानों में ऐसे प्लॉटों को समूह आवास प्लॉट के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) समूह आवास प्लॉटों में खुदरा दुकानें अनुमत एफएआर के अधिकतम 1.5 प्रतिशत अथवा 1000 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, तक अनुमेय होंगी। ऐसी दुकानों का स्पष्ट अंकन साइट प्लान में किया जाएगा तथा इन्हें वर्टिकल मिक्स के रूप में (केवल भूतल पर) अथवा प्लॉट के भीतर पृथक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

(घ) सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अनुमत एफएआर के अतिरिक्त 400 वर्ग मीटर अथवा अनुमत एफएआर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का निर्मित क्षेत्र एफएआर से मुक्त की अनुमति होगी, जिसका उपयोग सामुदायिक/मनोरंजन कक्ष, क्रेच/डे केयर, प्ले ज़ोन, इन-हाउस जिम, लाइब्रेरी/रीडिंग रूम, धार्मिक सुविधा, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष/क्लब, सुरक्षा कर्मियों के आवास तथा सोसायटी कार्यालय जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा।

(ङ) उपर्युक्त के अतिरिक्त, खेल सुविधाओं (खुले स्विमिंग पूल सहित) के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस कक्ष आदि तथा उनसे संबंधित चेंजिंग रूम, पम्प कक्ष आदि सुविधाओं के लिए अधिकतम 150 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र ग्राउंड कवरेज एवं एफएआर दोनों से मुक्त अनुमत्य होगा।

(च) विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमत एफएआर के अतिरिक्त न्यूनतम 15 प्रतिशत एफएआर का उपयोग सामुदायिक सेवा कार्मिक/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आवासीय इकाइयों के विकास के लिए किया जाएगा। प्रत्येक ऐसी आवासीय इकाई/डीयू का न्यूनतम कार्पेट क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर तथा अधिकतम 30 वर्ग मीटर होगा।

इन ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(i) ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों का 50 प्रतिशत भाग विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा अपने पास रखा जाएगा तथा केवल समूह आवास के अपार्टमेंट स्वामियों को बाजार दरों पर विक्रय किया जाएगा, ताकि समूह आवास के निवासियों/स्वामियों के लिए कार्यरत सामुदायिक सेवा कार्मिकों के आवास की व्यवस्था की जा सके। इन इकाइयों का विकास संबंधित समूह आवास परिसर में ही किया जाएगा।

(ii) शेष 50 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयाँ, विकासकर्ता संस्था द्वारा विकसित की जाएँगी तथा प्रासंगिक नीति के अनुसार डीडीए/स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित पात्र लाभार्थियों को विक्रय की जाएँगी। इनका विकास संबंधित समूह आवास परिसर अथवा विकासकर्ता संस्था के स्वामित्व वाले किसी वैकल्पिक स्थल पर, उसी अथवा समीपवर्ती प्लान क्षेत्र में अथवा इस संबंध में बनाई जाने वाली नीति/विनियमों के अनुसार किया जा सकेगा। इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे—

(क) यदि ईडब्ल्यूएस हेतु एफएआर का पूर्ण उपयोग संबंधित परियोजना में नहीं हो पाता है, तो विकासकर्ता संस्था अप्रयुक्त ईडब्ल्यूएस एफएआर को किसी अन्य समूह आवास प्लॉट पर समायोजित कर सकेगी, बशर्ते कि उस प्लॉट पर एफएआर 230 से अधिक न हो।

(ख) एक अथवा एकाधिक समूह आवास से अप्रयुक्त ईडब्ल्यूएस एफएआर का उपयोग एकल विकासकर्ता संस्था अथवा विकासकर्ता संस्थाओं का समूह संयुक्त रूप से भी कर सकेगा।

(ग) समूह आवास हेतु अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए ईडब्ल्यूएस आवास घटक का निर्माण पूर्ण होना अनिवार्य होगा।

(iii) विकासकर्ता संस्था द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस आवास घटक, सरकार/डीडीए द्वारा विहित गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुरूप परीक्षण के अधीन होगा। इस घटक का अंतिम हस्तांतरण/अधिग्रहण गुणवत्ता आश्वासन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत ही किया जाएगा।

(iv) वैकल्पिक स्थल पर आवश्यक पार्किंग, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ विकासकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी।

(v) विकासकर्ता संस्था को अपने हिस्से/स्वामित्व के सेलेबल कॉम्पोनेन्ट का वास्तविक विक्रय अथवा हस्तांतरण संभावित क्रेताओं के पक्ष में तभी करने की अनुमति होगी, जब निर्धारित भूमि तथा ईडब्ल्यूएस हाउसिंग घटक का हस्तांतरण/विक्रय

डीडीए/स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित पात्र लाभार्थियों को डीडीए द्वारा निर्धारित दरों पर कर दिया गया हो।

(छ) केन्द्र सरकार, डीडीए के परामर्श से, सार्वजनिक आवास तथा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए इन मानदंडो में छूट प्रदान कर सकेगी।

(ज) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के एमप्लॉयर हाउसिंग पर, सामुदायिक सेवा कार्मिक/ईडब्ल्यूएस तथा निम्न आय वर्ग हेतु निर्धारित अतिरिक्त एफएआर अथवा आवासीय इकाइयों की अनिवार्यता का पालन नहीं करना होगा।

(ii) एआरएचसी हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) एआरएचसी हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगा।

(ख) एआरएचसी का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण किसी भी संस्था, जिसमें सरकारी निकाय भी सम्मिलित हैं, द्वारा किया जा सकेगा अथवा भारत सरकार की किफायती किराया आवास परिसर प्लान के अनुसार इसके संचालन एवं अनुरक्षण हेतु किसी रियायतग्राही/निजी संस्था को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

(ग) एआरएचसी का विकास पी.पी.पी के आधार पर भी किया जा सकेगा-

(i) निर्मित एआरएचसी में 30 से 60 वर्ग मीटर तक के कार्पेट क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाइयों (क्रमशः एक/ दो बेडरूम) तथा 4 से 6 बेड़ वाले डॉरमेट्री (जिनमें प्रति बेड़ अधिकतम 10 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्रफल) तथा सभी सामान्य सुविधाएँ सम्मिलित हों, का समावेश होगा। यह व्यवस्था शहरी प्रवासी/ईडब्लूएस/एलआईजी श्रेणी के लिए होगी।

(ii) सभी डीयू का कार्पेट क्षेत्रफल अधिकतम 60 वर्ग मीटर होगा।

(iii) प्रत्येक एआरएचसी परियोजना में न्यूनतम 40 डीयू (दो बेडरूम/एक बेडरूम) और समतुल्य डॉरमेट्री बेड्स होंगे (30 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाले एक बेडरूम इकाई को 3 डॉरमेट्री बेड्स के समतुल्य माना जाएगा)। तथापि, दो-बेडरूम आवासीय इकाइयों की संख्या कुल आवासीय इकाइयों के एक-तिहाई (33 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।

(घ) निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं को एक-बेडरूम, दो-बेडरूम आवासीय इकाइयों तथा डॉरमेट्री (4 से 6 बेड़ वाले) आवासों को किसी भी उपयुक्त संख्या में उपलब्ध कराने की सुविधा होगी। तथापि,

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे परिसरों का उपयोग केवल शहरी प्रवासियों/गरीबों व ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के आवास हेतु ही हो तथा उनका अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग न हो जिसके लिए लाइसेंस अवधि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। एआरएचसी में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

(i) एआरएचसी के सभी निवासी, एआरएचसी के स्वामी द्वारा दिए गए लाइसेंस अधिकार के आधार पर ही संबंधित डीयू/ डॉरमेट्री इकाई का उपयोग करेंगे।

(ii) ऐसे लाइसेंस की न्यूनतम अवधि तीन माह तथा अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

(iii) लाइसेंस विलेख का नवीनीकरण अधिकतम निर्धारित लाइसेंस अवधि से आगे नहीं किया जाएगा।

(iv) यह एआरएचसी के स्वामी का दायित्व होगा कि वह किसी भी निवासी से लाइसेंस प्रदान करने के एवज में कोई प्रीमियम वसूल नहीं करेगा। किसी भी निवासी को नया लाइसेंस निष्पादित करके डीयू/ डॉरमेट्री इकाई/परिसर में अधिकतम निर्धारित लाइसेंस अवधि से अधिक निवास करने की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) परिसर में अनुमेय एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग व्यावसायिक उपयोग हेतु अनुमत होगा, जिसे संबंधित संस्था द्वारा किराये पर दिया जा सकेगा अथवा विक्रय किया जा सकेगा।

(च) सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 400 वर्ग मीटर अथवा अनुमेय एफएआर के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र एफएआर से मुक्त अनुमत्य होगा। इसका उपयोग सामुदायिक कक्ष, सोसायटी कार्यालय, आंगनवाड़ी तथा मिल्क बूथ जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा।

(छ) एआरएचसी से संबंधित कार्यप्रणाली केंद्र सरकार द्वारा जारी किफायती किराया आवास परिसर हेतु परिचालन दिशानिर्देश तथा डीडीए द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के अनुसार होगी।

(ज) जिन विषयों पर उक्त दिशानिर्देशों में स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए डीडीए/प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन पृथक विकास नियंत्रण मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे।

(iii) स्टूडियो अपार्टमेंट हेतु अन्य नियंत्रण :

(क) न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगा।

(ख) प्रत्येक डीयू का कार्पेट एरिया अधिकतम 60 वर्ग मीटर होगा।

(ग) सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 400 वर्ग मीटर अथवा अनुमेय एफएआर के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र एफएआर से मुक्त अनुमत्य होगा। इसका उपयोग सामुदायिक/मनोरंजन कक्ष, क्रेच/ डेकेयर, लाइब्रेरी/रीडिंग रूम, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष/क्लब, खेल क्षेत्र, इन-हाउस जिम तथा सोसायटी कार्यालय जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा।अधिकतम 1.5 प्रतिशत अथवा 1000 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, का उपयोग खुदरा दुकानों, भोजनालय तथा सहायक सुविधाओं हेतु किया जा सकेगा।

(iv) राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह हेतु अन्य नियंत्रण :

(क) न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर (भूमि की उपलब्धता की शर्त पर अथवा आवश्यकता के अनुसार) तथा सड़क का न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगा।

(ख) एफएआर का 15 प्रतिशत तक कर्मचारी आवास हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

(ग) ज़ोन–डी के उप-ज़ोन डी-13 के अंतर्गत अधिकतम ऊँचाई, समय-समय पर अपेक्षित सांविधिक सुरक्षा संबंधी स्वीकृतियों के अधीन होगी।

(v) छात्रावास हेतु अन्य नियंत्रण :

(क) छात्रावास हेतु न्यूनतम प्लॉट एरिया का कोई प्रावधान नहीं होगा, तथापि न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगा।

(ख) एफएआर का 20 प्रतिशत तक खुदरा दुकानों तथा कार्मिक सर्विस शॉपस हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

7.2.3 धर्मशाला, अतिथि गृह तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हाउस

तालिका 7.5 : धर्मशाला, अतिथि गृह तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हाउस हेतु विकास नियंत्रण मानदण्ड

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**धर्मशाला , गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस**	40	150	15

धर्मशाला, अतिथि गृह तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हाउस हेतु अन्य विकास नियंत्रण :

i. न्यूनतम प्लॉट एरिया 500 वर्ग मीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगा।
ii. एफएआर का 20 प्रतिशत तक खुदरा दुकानों तथा कार्मिक सर्विस शॉप्स हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

7.2.4 फॉरन मिशन (आरएफ)

तालिका 7.6 : फॉरन मिशन (आरएफ) के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**फॉरन मिशन**	40	200	18

फॉरन मिशन हेतु अन्य नियंत्रण :

(i) न्यूनतम प्लॉट एरिया का कोई प्रावधान नहीं होगा तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगा।

(ii) एलबीजेड एरिया एवं एनडीएमसी एरिया के अंतर्गत स्थित प्लॉटों के मामले में एफएआर 100 तक सीमित रहेगा।

7.2.5 आवासीय उपयोग क्षेत्र हेतु अन्य नियंत्रण:

(i) भवन की ऊँचाई सांविधिक वैधानिक निकायों से अपेक्षित अनापत्ति के अधीन होगी।

(ii) सामुदायिक सुविधाएँ तथा स्थानीय सुविधाएँ तालिका 5.2 में दिए गए मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएँगी। इन सुविधाओं के प्रावधान हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा—

(क) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इन सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम 12 मीटर आरओडब्ल्यू वाली सड़कों के किनारे स्थित किया जाना चाहिए।

(ख) सभी आवासीय उपयोग परिसरों के लिए पार्किंग की आवश्यकता तालिका 11.7 के अनुसार होगी।

(ग) स्थानीय स्तर पर टॉट लॉट का न्यूनतम आकार/क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर होगा।

(घ) विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्थान निर्धारण ले-आउट प्लान में क्लस्टर रूप में किया जाना चाहिए, ताकि सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र एवं खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

(ङ) भौतिक अवसंरचना की प्लानिंग मानदण्डों के अनुसार की जाएगी।

(iii) आवासीय नेबरहुड में सर्कुलेशन सिस्टम की प्लानिंग जिसमें सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ सम्मिलित है, संबंधित एजेंसियों के मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी।

(iv) निकटवर्ती क्षेत्र के लिए लैंडस्केप प्लान उद्यानों के विकास, सड़क किनारे वृक्षारोपण आदि के लिए तैयार की जाएगी।

(v) सभी प्लान, ले-आउट प्लान एवं स्कीमों का अनुमोदन संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा तथा विकास प्लान/डिजाइन दिव्यांगजनों के अनुकूल एवं उनके उपयोग हेतु होनी चाहिए।

(vi) अतिरिक्त एफएआर का अधिरोपण, समय-समय पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों के अनुसार किया जाएगा।

(vii) अनुमोदित ले-आउट प्लान के भाग के रूप में फॉरन मिशन उपयोग क्षेत्र में निम्नलिखित उपयोग परिसरों की अनुमति होगी—फॉरन मिशन, आवास (मिशन कर्मचारियों हेतु), अतिथि गृह, स्थानीय बाजार, बैंक, मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र एवं औषधालय, एकीकृत आवासीय विद्यालय, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, पुलिस चौकी, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर |

अध्याय-8 कमर्शियल हेतु विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

8.1 सामान्य व्यवसाय एवं कॉमर्स

8.1.1 उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 8.1 : कमर्शियल–उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

क्रम सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	**कन्वीनियेंस शॉपिंग सेंटर (सीएससी)**	एक ऐसा परिसर जिसे दुकानों के एक ऐसे समूह के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें रिटेल दुकानें, पर्सनल सर्विस दुकानें, मरम्मत/सर्विस दुकानें तथा सहायक सुविधाएं शामिल हैं, जो एक आवासीय क्षेत्र के भीतर 5,000 व्यक्तियों की आबादी की बार-बार आने वाली जरूरतों को पूरा करता हो।
2.	**लोकल शॉपिंग सेन्टर (एलएससी)**	एक ऐसा परिसर जिसे दुकानों के एक ऐसे समूह के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें रिटेल दुकानें, पर्सनल सर्विस दुकानें, मरम्मत/सर्विस दुकानें तथा सहायक सुविधाएं शामिल हैं, जो एक आवासीय क्षेत्र के भीतर 10,000 व्यक्तियों की आबादी की बार-बार आने वाली जरूरतों को पूरा करता हो।
3.	**कम्युनिटी सेंटर (सीसी)**	ऐसा परिसर जिसे कम्पोजिट कमर्शियल सेंटर के रूप मे बनाया गया हो, जिसमें रिटेल शॉपिंग, सामान्य व्यवसाय, कार्यालय, मनोरंजन, आतिथ्य, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा अन्य संबंधित उपयोग शामिल हैं, और जो 1,00,000 व्यक्तियों के समुदाय की जरूरतों को पूरा करता हो।
4॰	**डिस्ट्रिक्ट सेंटर (जिला केंद्र) (डीसी)/सब-सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट**	ऐसा परिसर जिसे एक विस्तृत कमर्शियल सेंटर के रूप में बनाया गया हो, जिसमें रिटेल शॉपिंग, सामान्य व्यवसाय, ऑफिस, मनोरंजन, आतिथ्य, बस टर्मिनल, सामाजिक-सांस्कृतिक और इससे जुड़े उपयोग के संबंध में समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रावधान हो।
5.	**मेट्रोपॉलिटन सिटी सेन्टर (एमसीसी)**	कनॉट प्लेस और उसका एक्सटेंशन, वॉल्ड सिटी और उसका एक्सटेंशन और करोल बाग, दिल्ली के सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करते हैं और इन्हें एमसीसी कहा जाता है।
6.	**सर्विस मार्केट**	एक ऐसा परिसर जिसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की मरम्मत/सर्विस करने वाली दुकानों के समूह और सामान्य मर्चेंडाइज़, हार्डवेयर और बिल्डिंग मटीरियल, स्क्रैप डीलर आदि की दुकानों के लिए निर्धारित किया गया हो।
7.	**सिनेमा/सिनेप्लेक्स/ मल्टीप्लेक्स**	एक ऐसा परिसर जहां फिल्मों और तस्वीरों के प्रोजेक्शन/डिस्प्ले की सुविधा हो और जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए ऐसी जगह हो जिसे ऊपर से कवर किया गया हो।

क्रम सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
8.	**अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बाज़ार**	अनौपचारिक इकाइयो के लिए निर्धारित एक ऐसी जगह, जो एक अस्थाई बाज़ार के रूप में काम करती है।
9.	**अनौपचारिक दुकान/ इकाई**	कम समय के लिए चलाई जाने वाली रिटेल/सर्विस यूनिट, स्टेशनरी या मोबाइल की दुकान।

नोट: रेडिएशन लीकेज को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बाद ही कमर्शियल क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने की अनुमति दी जाएगी।

8.1.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

(i) कन्वीनियेंस शॉपिंग सेंटर (सीएससी) और लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी):

तालिका 8.2: कन्वीनियेंस शॉपिंग सेंटर (सीएससी) और लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**कन्वीनियेंस शॉपिंग सेंटर**	50	150	अ.प्र.
2.	**लोकल शॉपिंग सेंटर**			

सीएससी एवं एलएससी के लिए अन्य नियंत्रण:

(क) सीएससी के लिए न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगा।

(ख) एलएससी के लिए न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगा।

(ग) एलएससी/सीएससी के प्रयोग में न आने वाले स्थलों में से अधिकतम 10 प्रतिशत स्थलों को सर्विस मार्केट में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(ii) अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सर्विस मार्केट और बाज़ार:

तालिका 8.3: अनौपचारिक सेक्टर के लिए सर्विस मार्केट और बाज़ार के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	सर्विस मार्केट	50	100	अ.प्र.
2.	अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बाज़ार			

अनौपचारिक क्षेत्र के सर्विस मार्केट एवं बाज़ार हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) अनौपचारिक क्षेत्र के बाज़ार हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगा।

(ख) सर्विस मार्केट हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगा।

(iii) कम्युनिटी सेंटर (सीसी) एवं डिस्ट्रिक्ट सेंटर (डीसी):

तालिका 8.4: कम्युनिटी सेंटर (सीसी) एवं डिस्ट्रिक्ट सेंटर (डीसी) के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**कम्युनिटी सेंटर**	50	200	अ.प्र.
2.	**डिस्ट्रिक्ट सेंटर**			

कम्युनिटी सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट सेंटर हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) आसफ अली रोड स्थित कमर्शियल सेंटर को छोड़कर, पूर्ववर्ती मास्टर प्लानों के अंतर्गत चिन्हित/विकसित किए गए गैर-पदानुक्रमिक कमर्शियल सेंटर (एनएचसीसी), का कम्युनिटी सेंटर के रूप में पुन डिजाइन किया जाएगा। इन क्षेत्रों पर कम्युनिटी सेंटर हेतु निर्धारित विकास मानदंड, अनुमेय गतिविधियाँ तथा अन्य उचित प्रावधान लागू होंगे।

(ख) कम्युनिटी सेंटर हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 24 मीटर होगा।

(ग) डिस्ट्रिक्ट सेंटर हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 30 मीटर होगा।

(घ) कम्युनिटी सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग अनौपचारिक क्षेत्र के सर्विस मार्केट तथा/अथवा बाज़ार के लिए अनुमत होगा।

(iv) मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट:

तालिका 8.5: मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**कमर्शियल प्लॉट: कनॉट प्लेस और इसके एक्सटेंशन में रिटेल एंड कामर्स**	25	150	अ.प्र.
2.	**फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स**			

मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) कमर्शियल प्लॉट: कनॉट प्लेस एवं उसके एक्सटेंशन में रिटेल एंड कामर्स

i. प्लॉट का आकार कमर्शियल क्षेत्र के लेआउट प्लान के अनुसार होगा। कनॉट प्लेस एवं उसके एक्सटेंशन में किसी भी प्लॉट का उपविभाजन अनुमत नहीं होगा।

ii. विकास नियंत्रण संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा पुनः तैयार की जाने वाली क्षेत्र के विस्तृत प्लान के अनुरूप होंगे।

क. मौजूदा भवन ऊँचाई यथावत रखी जाएगी तथा एफएआर की प्राप्ति अनुपातिक रूप से ग्राउंड कवरेज बढ़ाकर की जा सकेगी।

ख. कनॉट प्लेस के मिडिल सर्कल में किसी भी प्रकार का बेसमेंट की अनुमति नहीं होगी।

ग. अनिवार्य वास्तुकलात्मक नियंत्रण लागू होंगे।

(ख) फायर ब्रिगेड लेन एवं जनपथ लेन स्थित कमर्शियल कॉम्पलैक्स:

i. ग्राउंड कवरेज एवं एफएआर की गणना वर्तमान में उपलब्ध प्लॉटों पर की जाएगी।

ii. क्षेत्र का विकास विस्तृत प्लान के आधार पर किया जाएगा।

(v) अन्य तरह के कमर्शियल क्षेत्र:

तालिका 8.6: अन्य तरह के कमर्शियल क्षेत्र के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**आसफ अली रोड** (दिल्ली गेट-अजमेरी गेट स्कीम में कमर्शियल स्ट्रिप के रूप में दर्शाया गया क्षेत्र)	80%	200	20

आसफ अली रोड हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगा।

(ख) सेटबैक अनिवार्य नहीं होंगे। पुनर्निर्माण की स्थिति में पार्किंग हेतु स्टिल्ट का प्रावधान किया जाएगा।

(vi) कमर्शियल क्षेत्रों हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) भवन की ऊँचाई सांविधिक निकायों से स्वीकृति के अधीन होगी।

(ख) अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपांतरण प्रभार, समुन्नति कर/बाह्य विकास प्रभार आदि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) भूमिगत जल भंडारण टैंक, रूफ टाप जल संचयन प्रणाली, सूखे एवं गीले कचरे हेतु अलग डस्टबिन तथा पोस्ट-डिलीवरी काउंटर आदि जैसी यूटिलिटी प्लॉट के भीतर प्रदान की जाएगी।

(घ) 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक फ्लोर एरिया वाले प्रत्येक पृथक प्लॉट में विद्युत उपकेंद्र तथा जेनरेटर का प्रावधान प्लॉट के भीतर किया जाएगा।

(ङ) कमर्शियल सेंटर की एकीकृत प्लानों में संबंधित पदानुक्रम के नियोजित कमर्शियल क्षेत्रों हेतु अनुमत गतिविधियों के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अपेक्षित प्रभार के भुगतान की शर्त पर, प्लॉटों/दुकानों के समामेलन एवं उपविभाजन की अनुमति होगी।

(च) ग्राउंड कवरेज की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा में एट्रियम का क्षेत्रफल भी सम्मिलित होगा। एट्रियम के अंतर्गत उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल को एफएआर में गिना जाएगा।

(छ) 2 हेक्टेयर से बड़े कमर्शियल सेंटर में अनुमेय व्यावसायिक एफएआर का अधिकतम 40 प्रतिशत गुप्र हाऊसिंग के लिए अनुमत होगा तथा गुप्र हाऊसिंग के मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ प्लॉट के भीतर उपलब्ध कराई जाएँगी। यह प्रावधान पुनर्विकास एवं पुनर्निमाण की

परियोजनाओं में भी, आवश्यक भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता एवं उन्नयन के अधीन अनुमत होगा।

(ज) डेटा सेंटर विशिष्ट प्लॉटों पर अनुमत होगा जो विस्तृत प्लान का भाग होगा। डेटा सेंटर के विकास नियंत्रण मानदंड खंड 13.2 के अनुसार होंगे तथा ये प्लान स्तर के एफएआर एवं ग्राउंड कवरेज से स्वतंत्र रूप से लागू होंगे।

8.1.3 दुकान-एवं-रेजिडेंस कॉम्पलैक्स (दुकान प्लॉट/दुकान-एवं-रेजिडेंस प्लॉट) हेतु प्रावधान

दुकान-एवं-रेजिडेंस कॉम्पलैक्स (दुकान प्लॉट/दुकान-एवं-रेजिडेंस प्लॉट), जिन्हें बाद में सीसी/एलएससी/सीएससी के रूप में नामित किया गया है (जिसमें ज़ेडडीपी/लेआउट प्लान में कमर्शियल के रूप में निर्धारित/ दर्शाया गया है अथवा यूएलबी/जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित किया गया है), उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) में अनुमत गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति होगी:

i. ऐसे प्लॉटों पर एफएआर संबंधित आकार के रेजिडेंशियल प्लॉटेड विकास हेतु निर्धारित मानकों अथवा पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/आवंटन की शर्तों, इनमें से जो अधिक हो, के अनुसार होगा। तथापि, 100 वर्गमीटर से अधिक तथा 250 वर्गमीटर तक के प्लॉटों पर यदि मौजूदा भवन का कुल एफएआर, अनुमत एफएआर से अधिक है, तो केंद सरकार के अनुमोदन पर निर्धारित पेनल्टी चार्ज के भुगतान के अधीन ऐसे अतिरिक्त एफएआर (अधिकतम 350 एफएआर तक) की अनुमति होगी।

ii. किसी भी अतिरिक्त एफएआर का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रभार के भुगतान के बाद ही (प्लॉट के लिए आवंटित एफएआर से अधिक) अनुमत होगा।

iii. "रेजिडेंशियल" से "कमर्शियल" उपयोग में परिवर्तन हेतु उपयोग कन्वर्जन प्रभार का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा—

(क) दुकान प्लॉट: जिन प्लॉटों का पट्टा 'कमर्शियल प्लॉट'/'दुकान प्लॉट' के रूप में किया गया है तथा जिनमें पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/विक्रय विलेख से कोई विचलन नहीं है, उन पर मानक/स्वीकृत प्लान में दर्शाए गए उपयोग को ध्यान में रखे बिना कोई उपयोग कन्वर्जन प्रभार देय नहीं होगा।

(ख) दुकान-एवं-रेजिडेंस प्लॉट: जिन प्लॉटों का पट्टा "दुकान-एवं-रेजिडेंस प्लॉट" अथवा दुकान एवं रेजिडेंस के मिश्रित उपयोग के रूप में किया गया है, उनमें पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/विक्रय विलेख से भिन्न उपयोग केवल उपयोग परिवर्तन के अधीन क्षेत्र के लिए लागू कन्वर्जन प्रभार के भुगतान के उपरांत ही अनुमत होगा।

iv. किसी भी विस्तार/परिवर्तन/नए निर्माण/परिवर्तन के लिए भू-स्वामी को संबंधित स्थानीय निकाय से संशोधित भवन प्लान का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यह अनुमोदन भवन उपविधियों, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि के प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक अनुमोदन के अधीन होगी। पार्किंग का प्रावधान तालिका 11.7 के अनुसार किया जाएगा।

v. पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर अथवा प्लान क्षेत्र में साझा/सामूहिक पार्किंग के माध्यम से विकसित की जाएगी। सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था हेतु प्लान क्षेत्र में अतिरिक्त 5 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज अनुमत होगा।

vi. यदि आसपास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित स्थानीय निकाय ऐसे क्षेत्रों को पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट/क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण इन क्षेत्रों के लिए लास्ट माइल कन्नेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।

vii. ऐसे बाजारों के व्यापारी संघ, जिनमें दुकान प्लॉट/दुकान-एवं-रेजिडेंस प्लॉट सम्मिलित हों, संबंधित स्थानीय निकायों के परामर्श से सुधार प्लान तैयार करेंगे। इस प्लान में भीड़भाड़ कम करने (यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग प्रबंधन), अग्नि सुरक्षा, नागरिक सुविधाओं, तथा वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन से संबंधित कार्यनीतियाँ सम्मिलित होंगी। उक्त सुधार प्लानों का अनुमोदन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

8.1.4 अनौपचारिक इकाइयाँ

निम्नलिखित तालिका में, यथा निर्दिष्ट अनौपचारिक इकाइयों/कियोस्क का प्रावधान प्लान स्तर अथवा स्थल स्तर पर किया जाएगा। संबंधित लेआउट प्लान की स्वीकृति के समय ऐसी इकाइयों/कियोस्क का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

तालिका 8.7: अनौपचारिक इकाइयों/कियोस्क के लिए मानदंड

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अनौपचारिक इकाइयों/कियोस्क की संख्या
1.	मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियेंस शॉपिंग सेंटर	प्रति 1000 वर्गमीटर के फ्लोर एरिया में 2 कियोस्क (अनौपचारिक बाज़ार/सर्विस मार्केट के लिए निर्धारित जगह पर दिए जाएंगे)
2.	सरकारी और कमर्शियल ऑफिस	4000 वर्गमीटर और उससे ज़्यादा के सभी प्लॉट पर 5 कियोस्क
3.	थोक बाजार/इंटीग्रेटिड फ्रेट कॉम्प्लेक्स /वेयरहाउसिंग स्कीम	प्रति 10,000 वर्गमीटर फ्लोर एरिया पर 5 कियोस्क
4.	अस्पताल	प्रति प्लॉट 5 कियोस्क
5.	बस टर्मिनल	दो बस के लिए 1 कियोस्क
6.	पार्क: क. डिस्ट्रिक पार्क	 प्रत्येक मुख्य एंट्री पर 5 कियोस्क

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अनौपचारिक इकाइयों/कियोस्क की संख्या
	ख. स्थानीय स्तर के पार्क	प्रत्येक एंट्री पर 2 कियोस्क
7.	रेजिडेंशियल स्कीम/ग्रुप हाउसिंग	प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 कियोस्क
8.	औद्योगिक क्षेत्र	प्रति 10,000 वर्गमीटर 5 कियोस्क
9.	रेलवे टर्मिनस/एमआरटीएस स्टेशन	प्रोजेक्ट तैयार करते समय सर्वे के आधार पर होगा।

8.2 आईएफसी, थोक बाजार, वेयरहाउसिंग स्कीम

8.2.1 उपयोग परिसर, परिभाषाएँ और अनुमेय गतिविधियाँ

तालिका 8.8: आईएफसी, थोक बाजार, वेयरहाउसिंग स्कीम - उपयोग परिसर, परिभाषा और अनुमेय गतिविधियाँ

क्रम सं.	उपयोग परिसर	परिभाषाएं
1.	**इंटीग्रेटिड फ्रेट कॉम्प्लेक्स**	ऐसा परिसर/स्कीम जहां रिजनल और इन्ट्रा अर्बन फ्रेट मूवमेंट के लिए सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं और शहर में खास थोक बाज़ारों के साथ इंटर लिंकेज संपर्क स्थापित किया जाता है। इस परिसर में सामान/गाड़ियों के लिए स्टोरेज की सुविधाएं, वेयरहाउस, सर्विसिंग और खाली पार्किंग और अन्य संबंधित काम शामिल हैं।
2.	**थोक/सब-सिटी मार्केट**	ऐसा परिसर/स्कीम जहाँ से सामान और कमोडिटीज़ रिटेलर्स को बेची और डिलीवर की जाती हैं। ऐसे परिसर में स्टोरेज और गोदाम, लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा, सर्विसिंग और माल गाड़ियों के लिए खाली पार्किंग शामिल है।
3.	**वेयरहाउसिंग स्कीम**	ऐसे परिसर जहाँ सामान और कमोडिटीज़ को स्टोर, पैक और शिपिंग/डिस्पैच के लिए तैयार किया जाता है। इस परिसर में लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा, सर्विसिंग और मालवाहक गाड़ियों के लिए खाली पार्किंग की जगह शामिल है।

8.2.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 8.9-आईएफसी, थोक बाजार, वेयरहाउसिंग स्कीम के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
1.	**इंटीग्रेटिड फ्रेट कॉम्प्लेक्स**	-	70	100	30	अ.प्र.
2.	**थोक बाजार**					
3.	**वेयरहाउसिंग स्कीम**	20,000				
4.	**वेयरहाउस/गोदाम/भंडारण/कोल्ड स्टोरेज**	500 तक		140	12	अ.प्र.
		500 से ऊपर 2000 तक		120	18	अ.प्र.
		2000 से ऊपर		100	24	अ.प्र.

अ.प्र.: अप्रतिबंधित, सांविधिक निकायों से स्वीकृति लेने पर कोई पाबंदी नहीं।

आईएफसी: थोक बाजार एवं वेयरहाउसिंग स्कीम हेतु अन्य नियंत्रण

(i) इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी):

(क) आईएफसी का विकास एक विस्तृत प्लान के रूप में किया जाएगा, जिसमें वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, थोक व्यापार तथा सहायक कार्यों जैसे कमर्शियल गतिविधियाँ, सर्विस मार्केट, बस/मालवाहक वाहनों के टर्मिनल, सुविधाएँ, यूटिलिटी आदि के लिए पृथक क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे।

(ख) अनुमत एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत बोर्डिंग एवं लॉजिंग सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(ग) वेयरहाउस प्लॉट में अनुमत एफएआर का अधिकतम 25 प्रतिशत कार्यालय एवं खुदरा व्यापार हेतु उपयोग किया जा सकेगा। अनाज गोदामों में प्लॉट के भीतर छंटाई मशीनों की स्थापना भी अनुमत होगी।

(घ) 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले तथा 30 मीटर सड़क आरओडब्ल्यू से प्रत्यक्ष पहुँच रखने वाले वेयर हाउस प्लॉटों में अनुमत एफएआर का अधिकतम 50 प्रतिशत कार्यालयों तथा/अथवा बिग बॉक्स रिटेल हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

(ii) वेयरहाउसिंग स्कीम:

(क) ऐसी स्कीमों का विकास मिश्रित प्लॉटों अथवा बहुमंजिला वेयरहाउस के रूप में किया जा सकेगा।

(ख) प्लान स्तर पर अनुमत एफएआर का अधिकतम 50 प्रतिशत कार्यालयों, थोक व्यापार तथा/अथवा बिग बॉक्स रिटेल गतिविधियों हेतु उपयोग किया जा सकेगा। इस 50 प्रतिशत भाग के भीतर, कुल अनुमत एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत बोर्डिंग एवं लॉजिंग सुविधाओं तथा छंटाई मशीनों (अनाज गोदामों के लिए) की स्थापना हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

(iii) थोक बाजार: अनुमत एफएआर का अधिकतम 25 तक प्रतिशत कार्यालयों, खुदरा व्यापार तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(iv) अन्य लागू शर्तें: निर्धारित विकास मानकों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें सभी प्लॉटों/विस्तृत प्लानों पर लागू होंगी—

(क) एफएआर एवं ग्राउंड कवरेज प्लॉट के आधार पर लागू होगा।

(ख) यूटिलिटी तथा सार्वजनिक सुविधाएँ आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाएँगी।

(ग) लोडिंग एवं अनलोडिंग की सुविधा प्लॉट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूनतम पार्किंग का प्रावधान तालिका 11.7 के अनुसार होगा। 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉटों के लिए सामूहिक पार्किंग उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रत्येक प्लान में सामूहिक/खाली पार्किंग का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

(घ) 2000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए, सामने की तरफ खाली जगह (कम से कम 3 मीटर) छोड़नी होगी और बिना पक्की बाउंड्री वॉल के ऐसे गेट लगाने होंगे जिन्हें हटाया या खोला जा सके, ताकि प्लॉट के अंदर सामान लोड और अनलोड किया जा सके।

300 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों में विद्युत उपकेंद्र, भूमिगत जल भंडारण टैंक, रूफ़टोप वर्षा जल संचयन प्रणाली, सूखे एवं गीले कचरे हेतु पृथक डस्टबिन, सौर ताप/प्रकाश व्यवस्था आदि का प्रावधान प्लॉट के भीतर किया जाएगा।

(ङ) अतिरिक्त एफएआर प्रभार, समुन्नति कर तथा अन्य प्रासंगिक प्रभार केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

(च) ऐसे व्यक्तिगत प्लॉटों, जो किसी समग्र/एकीकृत विकास प्लान का भाग नहीं हैं, उनके लिए विकास नियंत्रण उपर्युक्त तालिका में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार होंगे।

8.3 होटल

8.3.1 उपयोग परिसर, परिभाषाएँ और अनुमत गतिविधियाँ

तालिका 8.10: होटल – उपयोग परिसर, परिभाषाएँ और अनुमत गतिविधियाँ

क्रम सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	**होटल**	एक ऐसी जगह/परिसर जिसमें किराए के कम से कम 10 कमरे हों और जो आम लोगों के लिए लघु अवधि/दीर्घ अवधि आधार पर रहने और खाने की सुविधा दे।
2.	**सर्विस अपार्टमेंट**	ऐसी जगह/परिसर जो पूरी तरह से फर्निश्ड, सर्विस्ड और सेल्फ-कंटेन्ड हो, जिसमें खाना बनाने की सुविधा हो और जिसका इस्तेमाल शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म व्यक्तिगत, पारिवारिक या कॉर्पोरेट आवासन के लिए किया जाता हो।
3.	**बजट होटल**	एक छोटे से मध्यम आकार का होटल/परिसर जो सीमित सर्विस के साथ रहने और खाने की सुविधा देता है।

8.3.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

i. होटल:

तालिका 8.11: होटल के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**होटल (होटल प्लॉट सहित)**	50	क. 30मी से कम आरओडब्ल्यू के लिए – 325 ख. 30मी और उससे ज़्यादा आरओडब्ल्यू के लिए- 375	अ.प्र.

होटल हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगा।

(ख) अनुमत एफएआर का अधिकतम 40 प्रतिशत भाग कार्यालयों (कमर्शियल/सरकारी), रिटेल, पर्सनल सर्विस शॉप तथा उनसे संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(ii) सर्विस अपार्टमेंट:

तालिका 8.12: सर्विस अपार्टमेंट के लिए डीसीएन

क्रम सं.	**उपयोग परिसर**	**अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)**	**अधिकतम एफएआर**	**ऊँचाई (मीटर)**
1.	**सर्विस अपार्टमेंट**	50	225	अ.प्र.

सर्विस अपार्टमेंट हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) सर्विस अपार्टमेंट हेतु न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर है तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर है।

(ख) सर्विस अपार्टमेंट में अनुमत एफएआर का अधिकतम 20 प्रतिशत भाग व्यावसायिक कार्यालयों, खुदरा व्यापार, पर्सनल सर्विस शॉप तथा आवश्यकता के अनुसार सहायक सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(iii) मोटल:

तालिका 8.13: मोटल के लिए डीसीएन

क्रम सं.	**उपयोग परिसर**	**अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)**	**अधिकतम एफएआर**	**ऊँचाई (मीटर)**
1.	**मोटल**	40	175	अ.प्र.

मोटल हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) नए मोटल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) मोटलों के लिए न्यूनतम आरओडब्ल्यू 30 मीटर है।

(ग) वर्तमान मोटलों के मामले में, 07-02-2007 को स्वीकृत प्लान में प्रदर्शित प्लॉट क्षेत्रफल पर अधिकतम 175 एफएआर अनुमति होगा। यह केंद्र सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. 550(ई) दिनांक 16-06-1995 तथा 04-03-2002 को केंद्र सरकार द्वारा जारी मोटल दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

(घ) यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ऊँचाई संबंधी कोई प्रतिबंध लागू हो, तो स्थल पर बढ़े हुए एफएआर की प्राप्ति के लिए 40 प्रतिशत के स्थान पर अधिकतम 50 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज अनुमति होगा।

(ङ) अतिरिक्त एफएआर प्रभार, कन्वर्जन प्रभार, समुन्नति कर/बाह्य विकास प्रभार आदि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(च) मोटल का रुख न्यूनतम 30 मीटर आरओडब्ल्यू सड़क की ओर होना चाहिए। (यदि सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, तो उसे मोटल क्षेत्र से पृथक आरक्षित रखा जाएगा)।

(छ) मोटलों में कुल एफएआर का अधिकतम 20 प्रतिशत भाग कमर्शियल कार्यालयों, खुदरा व्यापार तथा सर्विस शॉप के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अन्य अनुमत गतिविधियाँ होटल उपयोग परिसर पर लागू प्रावधानों के समान होंगी।

(ज) जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, यातायात आवागमन, पर्याप्त आरओडब्ल्यू वाली संपर्क सड़क तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान, संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने तक, भू-स्वामी द्वारा अपने व्यय पर किया जाएगा। मोटल स्वामी को संबंधित एजेंसियों द्वारा मांगे गए बाह्य विकास प्रभार, जिसमें पर्याप्त आरओडब्ल्यू वाली संपर्क सड़क का प्रावधान भी सम्मिलित है, का भुगतान करना होगा।

(झ) मूल/स्वीकृत मोटल प्लॉट का किसी भी निकटवर्ती/रिक्त प्लॉट के साथ समामेलन अनुमति नहीं होगा।

(iv) बजट होटल:

तालिका 8.14: बजट होटल के लिए डीसीएन

क्रम सं.	**उपयोग परिसर**	**अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)**	**अधिकतम एफएआर**	**ऊँचाई (मीटर)**
1.	**बजट होटल**	50	200	अ.प्र.

बजट होटल हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगा।

(ख) अनुमत एफएआर का अधिकतम 20 प्रतिशत भाग कार्यालयों (कमर्शियल/सरकारी), खुदरा व्यापार तथा व्यक्तिगत सर्विस शॉप के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(v) अन्य नियंत्रण:

(क) ऊँचाई सांविधिक निकायों से आवश्यक स्वीकृति के अधीन होगी।

(ख) सभी कमर्शियल उपयोग परिसरों के लिए पार्किंग की आवश्यकता का निर्धारण तालिका 11.7 के अनुसार किया जाएगा।

(ग) होटलों/बजट होटलों हेतु डीसीएन सभी श्रेणी के होटलों पर लागू होंगे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

i. व्यावसायिक केन्द्र, कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर/सब-सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तथा मेट्रोपोलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित होटल प्लॉट, एलबीज़ेड क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र तथा धरोहर संरचनाओं में स्थित होटलों को छोड़कर; तथा

ii. होटल-एवं-कमर्शियल प्लॉट

(घ) कमर्शियल सेंटर (अर्थात् कम्युनिटी सेंटर एवं उससे उच्च श्रेणी) में समग्र स्कीम के भाग के रूप में समर्पित होटल प्लॉट नियोजित किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में होटल प्लॉट पर होटलों हेतु विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन) लागू होंगे, जो स्कीम लेवल के एफएआर एवं ग्राउंड कवरेज से स्वतंत्र होंगे।

(ङ) कमर्शियल सेंटर (अर्थात् कम्युनिटी सेंटर एवं उससे उच्च श्रेणी) तथा होटल-एवं-व्यावसायिक प्लॉटों, जहाँ मूल पट्टा शर्तों के अनुसार समग्र एफएआर के अंतर्गत होटल की अनुमति थी/है, में यदि होटल हेतु निर्धारित डीसीएन के अनुसार अनुमत एफएआर उपलब्ध नहीं है, तो केवल इस उद्देश्य के लिए वह स्वतः अनुमेय सीमा तक बढ़ा हुआ माना जाएगा।

(च) होटलों/बजट होटलों की अनुमति औद्योगिक उपयोग क्षेत्र के कमर्शियल सेंटर, ट्रांस्पोर्ट नोड्स [जैसे आईएसबीटी, बस डिपो/टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स तथा मेट्रोपोलिटन पैसंजर टर्मिनल] तथा अन्य उपयोग क्षेत्रों में भी होगी, जहाँ वे पहले से विद्यमान हैं और जहाँ बिल्डिंग प्लानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है। उपर्युक्त उपयोग परिसर/उपयोग जोनों में इंटीग्रेटेड स्कीम के भाग के रूप में होटल विकसित किए जा सकेंगे, बशर्ते होटल का अधिकतम एफएआर एवं ग्राउंड कवरेज संबंधित इंटीग्रेटेड स्कीम/उपयोग जोन के लिए अनुमत एफएआर एवं ग्राउंड कवरेज से अधिक न हो।

(छ) अधिकतम अनुमेय ग्राउंड कवरेज के 50 प्रतिशत में एट्रियम का क्षेत्रफल सम्मिलित होगा। एट्रियम के अंतर्गत उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल को एफएआर में गिना जाएगा।

(ज) वर्तमान होटलों के मामले में, अतिरिक्त एफएआर की अनुमति तभी दी जाएगी, जब तालिका 11.7 के अनुसार आवश्यक पार्किंग की व्यवस्था पूर्णतः प्लॉट के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

(झ) यूटिलिटी एवं सार्वजनिक जन-सुविधाओं का प्रावधान आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(ञ) अतिरिक्त एफएआर प्रभार, कन्वर्जन प्रभार, समुन्नति कर तथा अन्य प्रासंगिक प्रभार, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित/निर्धारित/अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

(फ) सभी होटल एवं मोटल परिसरों में अपशिष्ट का सतत प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय 9. औद्योगिक क्षेत्र के विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

9.1 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र

9.1.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 9.1: उद्योग - उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	**औद्योगिक प्लॉटेड**	निषिद्ध गतिविधियों को छोड़ कर औद्योगिक गतिविधि परिसर, जो अप्रदूषणकारी और गैर खतरनाक हो
2.	**औद्योगिक गतिविधियों**	निषिद्ध कार्यों को छोड़ कर औद्योगिक कार्यों तथा गैर-प्रदूषणकारी एवं गैर-खतरनाक प्रकृति के कार्यों के लिए बहु-मंजिले भवन जिनमें शोर/जल/तरंग प्रदूषण/गंध प्रदूषण करने वाले उद्योग, शामिल नहीं है। ऐसे परिसर में सामान्य सहायक सेवाओं वाली छोटी औद्योगिक इकाइयों का प्रावधान होगा।
3.	**एकीकृत औद्योगिक पार्क/टाउनशिप**	निषिद्ध को छोड़ कर गैर-प्रदूषणकारी एवं गैर-हानिकारक प्रकृति के औद्योगिक गतिविधियों के लिए विकसित कोई एकीकृत क्षेत्र जिसमें सहायक सुविधाएँ हों।

9.1.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 9.2: उद्योग के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट एरिया (वर्गमीटर)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
1.	**औद्योगिक प्लॉटेड**	50 तक	100	200	9	अ.प्र.
		50 से अधिक और 400 तक	70		क. 100 वर्गमीटर तक के प्लॉट के लिए: 9 ख. 100 वर्गमीटर से अधिक और 400 वर्गमीटर तक: 12	
		400 से अधिक और 2000 तक	50		12	
		2000 से अधिक	40		2 हेक्टेयर तक के प्लॉट के	

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट एरिया (वर्गमीटर)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
					लिए: 24 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के प्लॉट के लिए: 30	
2.	**औद्योगिक फ्लैटेड**	400-2000	40		12	
		2000 से अधिक और 20,000 तक			24	
		20,000 से अधिक			30	

अ.प्र.: अप्रतिबंधित, सांविधिक प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन|

उद्योग हेतु अन्य नियंत्रण:

(i) अनुमत एफएआर का अधिकतम 5 प्रतिशत भाग अथवा 500 वर्गमीटर, इनमें से जो कम हो, का उपयोग प्रशासनिक कार्यालय, खुदरा विक्रय केंद्र/दुकान, रिपेयर शॉप, कैंटीन तथा एटीएम के लिए किया जा सकता है।

(ii) औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप एवं नवाचार केन्द्रों को प्रोत्साहित करने हेतु, औद्योगिक प्लॉट पर, किसी उपयोग परिवर्तन के बिना पर, अनुमत एफएआर का अधिकतम 10% भाग सह-कार्यस्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

(iii) उपयोग परिवर्तन प्रभार के भुगतान पर, तालिका 8.9 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आरओडब्ल्यू वाले में औद्योगिक प्लॉटों में वेयरहाउसिंग की अनुमति होगी।

(iv) संबंधित औद्योगिक प्लॉट पर संचालित औद्योगिक गतिविधि से संबद्ध आकस्मिक भंडारण (कच्चा माल, तैयार उत्पाद आदि) के लिए अनुमत एफएआर का अधिकतम 25% भाग उपयोग किया जा सकता है।

(v) अनुमेय एफएआर का अधिकतम 5% अथवा 50 वर्गमीटर, इनमें से जो कम हो, का उपयोग वॉच एंड वार्ड सहित कर्मियों के आवास प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।

(vi) 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक प्लॉटों पर किराये के आधार पर श्रमिकों/कर्मचारियों के आवास अथवा डॉरमेट्री के निर्माण हेतु अतिरिक्त 15% भाग एफएआर अनुमत होगा। श्रमिक आवास के लिए डॉरमेट्री की भी अनुमति होगी। श्रमिक आवास की प्रत्येक आवासीय इकाई का न्यूनतम कार्पेट क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होगा।

(vii) न्यूनतम पार्किंग का प्रावधान तालिका 11.7 के अनुसार होगा। 50 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉटों के लिए सार्वजनिक पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।

(viii) 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों में पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग की सुविधा प्लॉट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। 2000 वर्गमीटर तक के प्लॉटों में स्थायी बाउंड्री वॉल (न्यूनतम 3 मी) फ्रंट सैटबैक के स्थान पर रिट्रेक्टेबल गेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्लॉट के भीतर ही लोडिंग एवं अनलोडिंग की गतिविधियाँ संचालित की जा सकें।

(ix) अधिसूचित सर्विस सेन्टर का नियोजित प्लॉटेड औद्योगिक क्षेत्र के मानकों अथवा अनुमोदित स्कीम के अनुसार किया जाएगा।

(x) मोटर वाहनों/ऑटोमोबाइल की रिपेयर वर्कशॉप कार्यशाला को औद्योगिक गतिविधि के रूप में अनुमेय माना जाएगा।

(xi) अतिरिक्त एफएआर प्रभार, समुन्नति कर तथा अन्य प्रासंगिक प्रभार केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

(xii) सभी उद्योगों में निस्तारण से पूर्व ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था अनिवार्य होगी। अशोधित अपशिष्ट जल का निष्कासन अनुमत्य नहीं होगा। अपशिष्ट जल का प्राथमिक शोधन आवश्यकता के अनुसार प्लॉट स्तर पर किया जाएगा।

(xiii) 500 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों में विद्युत उपकेंद्र, भूमिगत जल भंडारण टैंक, रूफटॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली, सूखे एवं गीले कचरे हेतु पृथक डस्टबिन, सौर ताप/प्रकाश व्यवस्था आदि उपयोगिताओं का प्रावधान प्लॉट के भीतर किया जाएगा।

(xiv) औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्सृजन की अनुमति विनियमों के अनुसार होगी।

9.1.3 नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग परिवर्तन हेतु अनुमेय उपयोग

(i) औद्योगिक इकाइयाँ/प्लॉट व्यावसायिक उपयोग तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-

सार्वजनिक उपयोग में उपयोग परिवर्तन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते— प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर हो; प्लॉट न्यूनतम 24 मीटर आरओडब्ल्यू से लगा हो; तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागू प्रभार का भुगतान किया गया हो। ऐसे प्लॉटों पर अनुमत एफएआर संबंधित उपयोग परिसर के अनुसार होगा, परंतु यह अधिकतम 200 एफएआर (औद्योगिक उपयोग प्लॉट के अनुसार) तक सीमित रहेगा। अन्य विकास नियंत्रण मानदंड जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो संबंधित उपयोग परिसर के अनुसार होंगे।

(ii) 3000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली मौजूदा औद्योगिक

इकाइयों/भूखंडों, जो 24 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्ग (ROW) से लगे हुए हैं, को आवासीय उपयोग (समूह आवास) हेतु पात्र माना जाएगा। ऐसे भूखंडों पर समूह आवास के विकास नियंत्रण मानदंड लागू होंगे, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा संबंधित उपयोग के लिए निर्धारित उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान के अधीन होंगे।

(iii) पुनर्विकास के मामले में, समूह आवास के लिए अनुमेय एफएआर (FAR) का 1.5

गुना अनुमत होगा। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में खतरनाक/आपत्तिजनक/प्रदूषणकारी उद्योगों के स्थानांतरण हेतु उद्योगों द्वारा भूमि समर्पण से संबंधित भूखंडों के पुनर्विकास के मामले में अधिकतम एफएआर 400 से अधिक नहीं होगा।

(iv) अन्य नियंत्रण:

(क) उपयोग परिवर्तन से पूर्व सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना तथा भवन प्लान का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) समूह आवास में उपयोग परिवर्तन के मामले में, न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल प्राप्त करने हेतु बड़े औद्योगिक प्लॉटों का उपविभाजन अथवा औद्योगिक प्लॉटों के समामेलन की अनुमति होगी। यह प्रावधान विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों तथा अनुमोदित औद्योगिक स्कीम/ले-आउटों पर लागू होगा।

(ग) भवन की ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध एनए होगा, परंतु यह संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृति के अधीन होगा।

(घ) असंगत/नियमितीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित प्लॉटों पर उपयोग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) अवसंरचनात्मक सेवाओं पर अतिरिक्त भार को न्यूनतम करने के लिए वर्षा जल संचयन, अधिमानतः पुनः उपयोग हेतु वर्षा जल भंडारण, एसटीपी, दोहरी पाइपिंग प्रणाली, सौर पैनलों का प्रावधान किया जाएगा।

9.1.4 विभिन्न उपयोग क्षेत्रों एवं उपयोग परिसरों में औद्योगिक इकाइयों हेतु परिमाप

औद्योगिक वर्गीकरण के लिए पैरामीटर्स की सीमाएँ उद्योग की प्रकृति, क्षेत्रफल तथा औद्योगिक विकास के स्वरूप के अनुसार निर्धारित की जाएँगी। अधिकतम श्रमिकों की संख्या तथा विद्युत आवश्यकता संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

तालिका 9.3: विभिन्न उपयोग ज़ोन और उपयोग परिसरों में औद्योगिक इकाईयों के लिए पैरामीटर

क्रम संख्या	**उपयोग परिसर**	**अनुमत औद्योगिक गतिविधियाँ** (अनुलग्नक 8, 9 और 10 देखें)
1.	**आवासीय**	
	क. प्लॉटेड हाउसिंग (घरेलू उद्योग)	अनुलग्नक 9क
	ख. गाँव आबादी	अनुलग्नक 9क एवं 9ख
2.	**व्यावसायिक केंद्र**	अनुलग्नक 9क, 9ख एवं 10 [अनुमत उद्योगों की सेवा/मरम्मत/पैकेजिंग/असेंबली (बिना विनिर्माण के)]
3.	**औद्योगिक**	सिवाय उन इंडस्ट्रीज़ के जो मना हैं सभी इंडस्ट्रीज़, और गैर-प्रदूषणकारी और गैर-हानिकारक।

9.2 घरेलू उद्योग

आवासीय उपयोग परिसरों में घरेलू उद्योगों के रूप में औद्योगिक गतिविधियों (अनुलग्नक 9 क एवं 9 ख में सूचीबद्ध) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(i) बंगला क्षेत्र (लुटियंस एवं सिविल लाइन्स), रिज, ज़ोन-ओ, जल निकायों एवं नहरों के बफर क्षेत्र, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र,सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र,आरक्षित/संरक्षित वन, सहकारी समूह आवास समितियाँ, डीडीए आवास, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास,तथा समूह आवास (जनता फ्लैट को छोड़कर) आदि क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि (घरेलू उद्योग सहित) की अनुमति नहीं होगी।

(ii) केवल वे उद्योग, जो अप्रदूषणकारी, गैर-हानिकारक तथा आवासीय क्षेत्र में विधि द्वारा निषिद्ध नहीं हैं, अनुमत्य होंगे। घरेलू उद्योग इकाइयों की अनुमति आवासीय इकाई के अनुमत तल क्षेत्रफल के अधिकतम 50 प्रतिशत तक, किसी भी तल पर होगी। बेसमेंट में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

(iii) आवासीय क्षेत्रों में स्थित कोई भी उद्योग एनोडाइजिंग, ब्लीचिंग, कोयले का दहन, कैनिंग सुविधा, रंगाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मोल्डिंग कार्य, सीएफसी गैसों का उपयोग, वार्निशिंग, धुलाई तथा अन्य अधिक जल-आधारित प्रक्रियाएँ संचालित नहीं करेगा।

9.3 नए औद्योगिक क्षेत्र

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नई औद्योगिक गतिविधियाँ केवल उच्च प्रौद्योगिकी सेवा-आधारित उद्योगों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित अन्य गतिविधियों (अनुलग्नक-8 देखें) तक सीमित रहेंगी।

(ii) संबंधित एजेंसी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लेआउट प्लान तैयार करेगी तथा निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगी—

(क) नए औद्योगिक क्षेत्र में भूमि वितरण के अनुसार;

(ख) एकीकृत औद्योगिक पार्क (तालिका संख्या 9.4) के लिए मानकों के अनुसार।

9.3.1 नए औद्योगिक क्षेत्र में भूमि वितरण

(i) नए औद्योगिक क्षेत्र/टाउनशिप के विकास हेतु कुल भूमि क्षेत्रफल का 50–70 प्रतिशत भाग औद्योगिक उपयोग* एवं आवासीय उपयोग (श्रमिक आवास सहित**) के लिए, 5–8 प्रतिशत भाग मनोरंजन उपयोग के लिए, 12–18 प्रतिशत भाग परिसंचरण हेतु तथा अधिकतम 30 प्रतिशत भाग पीएसपी, व्यावसायिक उपयोग, उपयोगिताओं एवं सहायक गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा।

(ii) एकीकृत औद्योगिक पार्क:

तालिका 9.4: एकीकृत औद्योगिक पार्क/टाउनशिप के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट एरिया (वर्गमीटर)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	स्कीम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
1.	एकीकृत औद्योगिक पार्क/ टाउनशिप	20,000	40	200	30	अप्र.

तालिका 9.5: एकीकृत औद्योगिक पार्क/टाउनशिप में एफएआर वितरण

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	एफएआर का प्रतिशत
1.	**औद्योगिक***	60-65%
2.	**आवासीय (कार्यरत आवास सहित**)**	15-20%
3.	**व्यावसायिक**	10-25%
4.	**सामाजिक और भौतिक सुविधाएं:** क. सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक ख. उपयोगिताओं	
कुल		100%

*इसमें सेवा केंद्रों, सामुदायिक कार्य केंद्रों तथा औद्योगिक प्रकृति की अन्य समरूप सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र भी सम्मिलित होगा।

**एआरएचसी के लिए मानदंड लागू होंगे। हाउसिंग का उपयोग औद्यगिक क्षेत्रों में कार्य पर लगे वर्कर्स/कर्मचारियों के लिए होगा।

9.3.2 एकीकृत औद्योगिक पार्क/टाउनशिप पर लागू अन्य नियंत्रण

(i) औद्योगिक उपयोग हेतु अनुमत एफएआर का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग संबंधित औद्योगिक प्लॉट पर संचालित औद्योगिक गतिविधि से संबद्ध आकस्मिक भंडारण (कच्चा माल, तैयार उत्पाद आदि), के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(ii) पार्किंग के मानदंड तालिका 11.7 के अनुसार लागू होंगे।

(iii) सेटबैक के मानदंड तालिका 13.1 के अनुसार लागू होंगे।

9.4 औद्योगिक उपयोग क्षेत्र हेतु लेआउट प्लान के अनुमोदन की शर्तेः

(i) नए औद्योगिक क्षेत्र मुख्य आंतरिक सड़कों के साथ स्थित किए जाएंगे।

(ii) सभी नए औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्रों तक पहुँच न्यूनतम 30 मीटर आरओडब्ल्यू वाली सड़क से होगी। मुख्य परिधीय सड़क की ओर स्थित व्यक्तिगत औद्योगिक प्लॉटों तक पहुँच हरित बफर छोड़ने के उपरांत समर्पित सर्विस रोड के माध्यम से होगी।

(iii) औद्योगिक क्षेत्रों में परिधीय/पहुँच मार्गों के साथ न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का प्रावधान किया जाएगा।

(iv) अग्नि, विस्फोट, गैस के आकस्मिक रिसाव अथवा भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा उपयुक्त आपदा न्यूनीकरण उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।

(v) क्षेत्र के लिए भूदृश्य प्लान तैयार की जाएगी। सूचीबद्ध जल निकायों तथा/अथवा 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रत्येक जल निकाय को भूदृश्य प्लान में व्यवस्थित रूप से सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

(vi) वर्षा जल संचयन तथा वर्षा जल निकासी प्लान का प्रावधान लेआउट प्लान की स्वीकृति के समय किया जाएगा।

(vii) सभी पार्किंग एवं लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों में न्यूनतम 30 प्रतिशत अर्ध-पारगम्य सतह का प्रावधान किया जाएगा।

(viii) सीईटीपी, ठोस अपशिष्ट पृथक्करण/शोधन संयंत्र की व्यवस्था औद्योगिक समूह स्तर पर की जाएगी।

(ix) सभी उद्योगों में निस्तारण से पूर्व ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था

अनिवार्य होगी। ई-वेस्ट अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु भी आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। अशोधित अपशिष्ट जल को औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित जल निकायों, खुले क्षेत्रों आदि में प्रवाहित करने की अनुमति नहीं होगी। अपशिष्ट जल का प्राथमिक शोधन आवश्यकता के अनुसार प्लॉट स्तर पर किया जाएगा।

अध्याय 10. मनोरंजन हेतु विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

10.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 10.1: मनोरंजनात्मक – उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	**रीजनल पार्क**	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आने वाली अरावली रेंज को रिज कहा जाता है, जिसमें उत्तर, मध्य, नानकपुरा, मध्य दक्षिण और दक्षिण रिज शामिल हैं।
2.	**सिटी पार्क**	न्यूनतम40 हेक्टेयर का प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक या पेड़-पौधों वाली जगह का पार्क, जो मनोरंजन और/या संरक्षण/परिरक्षण के लिए अलग रखा गया हो।
3.	**डिस्ट्रिक्ट पार्क**	न्यूनतम 10 हेक्टेयर का प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक या पेड़-पौधों वाली जगह का पार्क, जो मनोरंजन और/या संरक्षण/परिरक्षण के लिए अलग रखा गया हो।
4.	**कम्युनिटी पार्क**	न्यूनतम 3.5 हेक्टेयर का प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक या पेड़-पौधों वाली जगह का पार्क, जो मनोरंजन और/या संरक्षण/परिरक्षण के लिए अलग रखा गया हो।
5.	**नेबरहुड पार्क**	न्यूनतम 1 हेक्टेयर का प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक या पेड़-पौधों वाली जगह का पार्क, जो मनोरंजन और/या संरक्षण/परिरक्षण के लिए अलग रखा गया हो।
6.	**एम्यूज़मेंट पार्क**	किसी खास थीम/आइडिया पर आधारित एक बड़ा आउटडोर एरिया जिसमें अलग-अलग आकर्षण होते हैं, जैसे राइड्स, गेम्स, और मनोरंजन के लिए अन्य एक्टिविटीज़/इवेंट्स।
7.	**सिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड**	अनेक सार्वजनिक गतिविधियाँ/समारोह/मनोरंजन की सुविधाओं के लिए न्यूनतम 8 हेक्टेयर एरिया की खुली जगह
8.	**डिस्ट्रिक्ट मल्टीपरपज़ ग्राउंड**	अनेक सार्वजनिक गतिविधियाँ/समारोह/मनोरंजन की सुविधाओं के लिए न्यूनतम 4 हेक्टेयर की खुली जगह
9.	**कम्युनिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड**	अनेक सार्वजनिक गतिविधियाँ/समारोह/मनोरंजन की सुविधाओं के लिए न्यूनतम 2 हेक्टेयर की खुली जगह
10.	**पुरातत्व पार्क***	पुरातत्व पार्क एक ऐसा क्षेत्र है, जो हेरिटेज रिसोर्स और ऐसे रिसोर्स से जुड़ी ज़मीन से पहचाना जाता है, जिसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में इसकी वैल्यू के अलावा आम लोगों के लिए भी एक व्याख्यात्मक और शिक्षात्मक रिसोर्स बनने की क्षमता है। ये रीजनल पार्क/सिटी पार्क/डिस्ट्रिक्ट पार्क आदि में हो सकते हैं।
11	**ऐतिहासिक स्मारक और संरचनाएं***	ऐतिहासिक स्मारक और इमारतें असल सांस्कृतिक संपत्ति हैं—जिसमें इमारतें, स्थल और लैंडमार्क शामिल होते हैं— जो

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषा
		महत्वपूर्ण कलात्मक, आर्किटेक्चरल, एसोसिएशनल और ऐतिहासिक महत्व दिखाती हैं।
12.	**बायोडायवर्सिटी पार्क**	अद्वितीय परिदृश्य वाले विशेष पार्क जो प्राकृतिक रिज़र्व का काम करते हैं और जिनमें देसी पेड़-पौधे और पशु-पक्षी रहते हैं।
13.	**ग्रीन बफर****	जलाशय, प्राकृतिक ड्रेन, एचटी लाइनों आदि के किनारे विकसित ग्रीन एरिया/कॉरिडोर।
14.	**अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स सेंटर/ डिवीज़नल स्पोर्ट्स सेंटर**	आउटडोर और इनडोर गेम्स के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर का परिसर, जिसमें पवेलियन बिल्डिंग, दर्शकों के लिए स्टेडियम संरचना और उससे जुड़ी सुविधाएं हों।
15.	**डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर**	आउटडोर और इनडोर गेम्स के लिए 3 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का परिसर, जिसमें पवेलियन बिल्डिंग, दर्शकों के लिए स्टेडियम संरचना और संबंधित सुविधाएं हों।
16.	**कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर**	आउटडोर और इनडोर गेम्स के लिए 1 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल का परिसर।
17.	**लोकल लेवल प्ले एरिया**	आउटडोर और इनडोर गेम्स के लिए 0.5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का परिसर।

*पुरातत्व पार्क या ऐतिहासिक स्मारक कॉम्प्लेक्स में उसके आस-पास कोई भी विकास, सभी सांविधिक निकायों और संबंधित एजेंसियों, जैसा भी लागू हो, से आवश्यक मंज़ूरी के अधीन होगा। अगर कम्युनिटी पार्क/सिटी पार्क/डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर कोई पुरातत्व पार्क है, तो पुरातत्व पार्क में मंज़ूर गतिविधि को पुरातत्व पार्क के ऐसे तय क्षेत्र में ही करने की अनुमति होगी ।

**ड्रेन/जलाशय/नदी के बेसिन एरिया में सीमित निर्माण की इजाज़त होगी। इसके लिए संबंधित एजेंसियों से आवश्यक मंज़ूरी लेनी होगी।

नोट:

(i) पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास पर प्रतिबंध रहेगा तथा ऐसा विकास, जहाँ लागू हो, सभी सांविधिक निकायों एवं संबंधित अभिकरणों से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त किए जाने के अधीन ही अनुमेय होगा।

(ii) विरासत क्षेत्रों में इंटरप्रिटेशन सेंटर, आगंतुक केन्द्र अथवा सूचना केन्द्र की रूपरेखा, आकार एवं प्रकृति का निर्धारण संबंधित स्थल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुरूप किया जाएगा।

10.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

10.2.1 पार्क और मल्टीपरपज़ ग्राउंड

तालिका 10.2: पार्क और मल्टीपरपज़ ग्राउंड के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	टॉट लॉट	125 वर्गमीटर	-		
2.	हाउसिंग एरिया प्लेग्राउंड	5000 वर्गमीटर			
3.	हाउसिंग एरिया पार्क	5000 वर्गमीटर			
4.	नेबरहुड खेल क्षेत्र	5000 वर्गमीटर			
5.	नेबरहुड पार्क	10000 वर्गमीटर			
6.	कम्युनिटी पार्क	3.5 हेक्टेयर	अन्य लागू नियंत्रणों के अनुसार		12
7.	कम्युनिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड	2.0 हेक्टेयर			
8.	डिस्ट्रिक्ट पार्क	10.0 हेक्टेयर			
9.	डिस्ट्रिक्ट मल्टीपरपज़ ग्राउंड	4.0 हेक्टेयर			
10.	सिटी पार्क	40 हेक्टेयर			
11	सिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड	8.0 हेक्टेयर			
12.	पुरातत्व पार्क	एनए			
13.	जैव-विविधता पार्क	एनए			
14.	रीजनल पार्क	एनए			
15.	एम्यूजमेंट पार्क	10.0 हेक्टेयर तक	10%	15	अप्र.

(i) कम्युनिटी पार्क हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) पार्क में सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं का कुल निर्मित क्षेत्रफल, पार्क के कुल क्षेत्रफल के 0.5 प्रतिशत अथवा 250 वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

(ख) पार्क के कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत भाग सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित

किया जाएगा।

(ii) कम्युनिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) मल्टीपरपज़ ग्राउंड में स्थित सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं का कुल निर्मित क्षेत्रफल, पार्क के कुल क्षेत्रफल के 1 प्रतिशत अथवा 500 वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

(ख) सार्वजनिक सभाओं/ अन्य आयोजनों की स्थिति में, कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग अस्थायी सॉफ्ट पार्किंग हेतु उपयोग किया जा सकेगा तथा शेष क्षेत्र का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

(ग) मल्टीपरपज़ ग्राउंड में वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया जाएगा।

(iii) डिस्ट्रिक्ट पार्क हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) डिस्ट्रिक्ट पार्क में सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं पर निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे—

i. पार्क में सभी स्थायी संरचनाओं का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।

ii. ऐसी संरचनाओं का जिला उद्यान के शेष क्षेत्र से कोई भौतिक पृथक्करण नहीं होगा।

iii. यदि पार्किंग हेतु पृथक क्षेत्र निर्धारित किया गया हो, तो वह उद्यान की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तथा उसे निर्मित संरचनाओं का भाग नहीं माना जाएगा।

(ख) कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत भाग सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।

(iv) डिस्ट्रिक्ट मल्टीपरपज़ ग्राउंड हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) मल्टीपरपज़ ग्राउंड में सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं का कुल क्षेत्रफल प्लॉट क्षेत्रफल के 1 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

(ख) सार्वजनिक सभाओं/ अन्य आयोजनों की स्थिति में, कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग अस्थायी सॉफ्ट पार्किंग हेतु उपयोग किया जा सकेगा तथा शेष क्षेत्र का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

(ग) मल्टीपरपज़ ग्राउंड में वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया जाएगा।

(v) सिटी पार्क हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले सिटी पार्क में निर्मित संरचनाओं के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

i. उद्यान में सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं का कुल क्षेत्रफल उद्यान के कुल क्षेत्रफल के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ii. यदि पार्किंग हेतु पृथक क्षेत्र निर्धारित किया गया हो, तो वह उद्यान की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तथा उसे निर्मित संरचनाओं का भाग नहीं माना जाएगा।

प्लॉट क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत भाग सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।

(ग) सिटी पार्क के भीतर 10 हेक्टेयर क्षेत्र पर डिस्ट्रिक्ट उद्यान के मानदंड लागू होंगे।

(vi) सिटी मल्टीपरपज़ ग्राउंड हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) मल्टीपरपज़ ग्राउंड में सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं का कुल निर्मित क्षेत्रफल प्लॉट क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

(ख) सार्वजनिक सभाओं/ अन्य आयोजनों की स्थिति में, कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग अस्थायी सॉफ्ट पार्किंग हेतु उपयोग किया जा सकेगा तथा शेष क्षेत्र का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

(ग) मल्टीपरपज़ ग्राउंड में वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया जाएगा।

(vii) पुरातात्त्विक उद्यान हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) उद्यान में सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं का कुल क्षेत्रफल उद्यान के कुल क्षेत्रफल के 0.5 प्रतिशत अथवा 10,000 वर्गमीटर, इनमे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(ख) इस निर्मित क्षेत्रफल की गणना में अनुकूली पुनः उपयोग, संरक्षण और मरम्मत हेतु चिन्हित धरोहर परिसंपत्तियाँ सम्मिलित नहीं की जाएँगी।

(ग) बिल्ट-अप क्षेत्रफल का निर्धारण धरोहर परिसंपत्तियों से संबंधित लागू अधिनियमों एवं नियमों सहित अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) संरचनाओं की रूपरेखा एवं ऊँचाई ऐसी होगी कि धरोहर परिसंपत्तियों के दृश्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो तथा इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ङ) सार्वजनिक कला एवं इंस्टालेशनस निर्मित क्षेत्रफल का भाग नहीं मानी जाएँगी।

(च) साइकिल पथ, पैदल मार्ग तथा आवागमन हेतु उद्यान से होकर वांछित स्थान तक जाने हेतु मार्ग का संरक्षण किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित समयावधि में आम जनता के लिए खुला रखा जाएगा।

(viii) जैव-विविधता (बायोडायवर्सिटी) पार्क हेतु अन्य नियंत्रण: पार्क में सभी स्थायी निर्मित संरचनाओं का कुल क्षेत्रफल उद्यान के कुल क्षेत्रफल के 1.0 प्रतिशत अथवा 10,000 वर्गमीटर, इनमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(ix) रीजनल पार्क हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) रीजनल पार्क के अंतर्गत आने वाली वन भूमि में किसी भी प्रकार का विकास वन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार(जीएनसीटीडी) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) ऐसे स्थलों के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा/गार्ड पोर्टा केबिन की व्यवस्था यूबीबीएल के प्रावधानों के अनुसार होगी। इसके अतिरिक्त, मनोरंजन क्षेत्र/सुलभ क्षेत्र/इंटरैक्टिव क्षेत्र के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में प्रति वर्ग किलोमीटर दो शौचालयों की अनुमति होगी।

(X) एम्यूजमेंट पार्कों के लिए अन्य नियंत्रण:

(क) मनोरंजन क्षेत्रों में एम्यूजमेंट पार्क के लिए कम से कम 10 हेक्टेयर प्लॉट क्षेत्र की अनुमति दी जाएगी और प्लॉट क्षेत्र का अधिकतम 30% का इस्तेमाल मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

10.2.2 स्पोर्ट्स सेन्टर एवं गोल्फ कोर्स

तालिका 10.3: खेल केंद्र एवं गोल्फ कोर्स हेतु विकास नियंत्रण मानदंड

क्र. सं	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउन्ड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	ऊँचाई (मीटर)
1.	**कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर**	20	40	अ.प्र.
2.	**डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर**			
3.	**डिवीज़नल स्पोर्ट्स सेंटर**			
4.	**गोल्फ कोर्स/क्लब**	10	20	
5.	**अंतरराष्ट्रीय खेल केंद्र**	विकास नियंत्रण मानदंड परियोजना की आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्धारित किए जाएंगे।		

i. कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर के लिए अन्य नियंत्रण:

(क) प्लॉट का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर से 3.0 हेक्टेयर के बीच तथा सड़क का न्यूनतम आरओडब्ल्यू 24 मीटर हैं।

(ख) अनुमत एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत दुकानों, रेस्तराँ/कैफेटेरिया, बैंक विस्तार काउंटर, कार्यालय, कियोस्क, वेंडिंग बूथ/अनौपचारिक इकाइयाँ उपयोगों के लिए किया जा सकता है।

ii. डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर के लिए अन्य नियंत्रण:

(क) प्लॉट का क्षेत्रफल 3.0 हेक्टेयर से 10.0 हेक्टेयर के बीच तथा सड़क का न्यूनतम आरओडब्ल्यू 24 मीटर हैं।

(ख) अनुमत एफएआर का अधिकतम 15 प्रतिशत दुकानों, रेस्तराँ/कैफेटेरिया, बैंक विस्तार काउंटर, कार्यालय, कियोस्क, वेंडिंग बूथ/अनौपचारिक इकाइयाँ, सूचना काउंटर उपयोगों के लिए किया जा सकता है।

(ग) अनुमत एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत छात्रावास, मनोरंजनात्मक क्लब, खिलाड़ियों/खेल से जुड़े व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा, रखरखाव एवं प्रबंधन संबंधित कर्मचारियों के लिए आवास उपयोगों के लिए किया जा सकता है ।

iii. डिवीज़नल स्पोर्ट्स सेंटर के लिए अन्य नियंत्रण:

(क) प्लॉट का क्षेत्रफल 10.0 हेक्टेयर तक तथा न्यूनतम आरओडब्ल्यू 30 मीटर है।

(ख) अनुमत एफएआर का अधिकतम 15 प्रतिशत दुकानों, रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया, बैंक

एक्सटेंशन काउंटर, कार्यालय, कियोस्क, वेंडिंग बूथ/अनौपचारिक इकाइयाँ, सूचना काउंटर उपयोगों के लिए किया जा सकता है।

(ग) अनुमत एफएआर का अधिकतम 10 छात्रावास, मनोरंजनात्मक क्लब, खेल से जुड़े व्यक्तियों / खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा, रखरखाव एवं प्रबंधन कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपयोगों के लिए किया जा सकेगा ।

iv. गोल्फ कोर्स/क्लब हेतु अन्य नियंत्रण:

(क) न्यूनतम आरओडब्ल्यू 30 मीटर है।

(ख) अनुमत एफएआर का अधिकतम 20% दुकानों , रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया, बैंक विस्तार काउंटर, कार्यालय, होटल, मनोरंजनात्मक क्लब, सूचना काउंटर उपयोगों के लिए किया जा सकता है।

(ग) उपयोग परिसर के मुख्य उद्देश्य से संबंधित अन्य गतिविधियाँ, संबंधित विनियमों अथवा सक्षम अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने पर, ही अनुमेय होंगी।

10.2.3 मनोरंजनात्मक उपयोग हेतु अन्य नियंत्रण:

(i) सभी उपयोग ज़ोन में मनोरंजनात्मक उपयोग अनुमति होगी।

(ii) पार्किंग मानदंड तालिका 11.7 के अनुसार लागू होंगे।

(iii) ऊँचाई संबंधित सांविधिक निकायों से अनापत्ति प्राप्त होने के अधीन होगी।

(iv) नीतिगत महत्व के पार्कों एवं खेल केन्द्रों के लिए प्राधिकरण आवश्यकता अनुसार प्रत्येक मामले में पृथक विकास नियंत्रण मानदंड निर्धारित कर सकता है।

(v) नालों अथवा जलाशयों (1.0 हेक्टेयर से अधिक) के किनारे स्थित सभी नई परियोजनाओं में, जहाँ संभव हो, जलाशय/नाले के किनारे से न्यूनतम 10 मीटर का अनिवार्य बफर क्षेत्र होगा।

(vi) सभी स्थायी एवं अस्थायी निर्माण ऐसे होंगे जो सभी व्यक्तियों के लिए समावेशी हों तथा दिव्यांगजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

(vii) नौकायन, फ्लोटिंग कैफे, फ्लोटिंग लाइब्रेरी आदि जैसी जल-आधारित गतिविधियाँ संबंधित प्राधिकरणों की अनुमति से जलाशयों पर संचालित की जा सकती हैं।

(viii) 225 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र वाले मल्टी-जिम की अनुमति होगी।

(ix) पार्कों हेतु अतिरिक्त नियंत्रण (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो)

(क) जो पार्क वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट पार्क अथवा सिटी पार्क के रूप में संचालित हैं, वे उसी श्रेणी में बने रहेंगे।

(ख) सभी पार्कों में वर्षा जल संचयन के प्रावधान अनिवार्य होंगे।

(ग) नेबरहुड पार्क और खेल मैदान, हाउसिंग एरिया पार्क, हाउसिंग एरिया प्लेग्राउंड तथा टॉट लॉट सकल आवासीय क्षेत्र का भाग होंगे।

(घ) प्राधिकरण की अनुमोदन से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप न्यूमैटिक

संरचनाएँ, गतिशील अग्रभाग, अस्थायी संरचनाएँ, प्रतिष्ठित संरचनाएँ, मूर्तियाँ, इंस्टॉलेशन तथा अन्य स्थापत्य विशेषताएँ जो गैर – आवासीय होंगी, एफएआर तथा ऊँचाई प्रतिबंध से मुक्त होंगी। पुरातात्विक पार्कों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) नेबरहुड पार्कों/खेल ज़ोन तथा उससे ऊपर की श्रेणी के उपयोग परिसरों (तालिका 10.1 के अनुसार) में शौचालय ब्लॉक, पंप कक्ष, विद्युत कक्ष, सुरक्षा कक्ष/गार्ड पोर्टा केबिन, उपकरण कक्ष सुविधा संरचनाओं की अनुमति होगी। ये संरचनाएँ एफएआर तथा ग्राउन्ड कवरेज से मुक्त होंगी। कर्तव्य पथ एवं विरासत ज़ोन में इन सुविधाओं के लिए संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों की अनुमति आवश्यक होगी।

(च) जिन पार्कों को बाढ़ जल संचयन के रूप में चिन्हित किया गया है, वहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा।

(छ) अनौपचारिक दुकानों के प्रावधान अनौपचारिक इकाइयों से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार होगें।

(ज) नालों के किनारे विकसित किए जाने वाले पार्कों एवं हरित गलियारों में भूजल एवं जलाशयों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल एवं जलाशयों का संरक्षण अनिवार्य होगा।

(X) ग्रीन बफर हेतु अतिरिक्त नियंत्रण

(क) नालों/जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र अथवा उच्च वोल्टेज (एच टी) विद्युत लाइन के नीचे सीमित निर्माण की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ख) किसी भी अनुमत गतिविधि के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अथवा अन्य संबंधित एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा

(ग) स्थल पर स्थित साइकिल ट्रैक, लोकल वॉक-वे, डिज़ाइअर लाइंस के लिए निर्धारित पहुँच मार्ग को सुरक्षित रखा जाएगा तथा निर्धारित समय के दौरान आम जनता के लिए खुला रखा जाएगा।

(घ) पब्लिक आर्ट और इंस्टालेशन एफएआर और ग्रांउण्ड कवरेज का हिस्सा नहीं होगा।

अध्याय 11. परिवहन, यूटिलिटी और सरकारी हेतु विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

11.1 परिवहन

11.1.1 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 11.1 : परिवहन हेतु डीसीएन

क्र. सं.	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल	भवन के अंतर्गत क्षेत्र (%) (अधिकतम)	अधिकतम एफएआर*	कर्मचारियों/ यात्रियों के आवास हेतु अधिकतम एफएआर(%)	आरओ डब्ल्यू (मीटर)
1.	हवाईअड्डा	भारतीय विमानपत्तटन प्राधिकरण (AAI) के मानदंडों के अनुसार। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपविधियां/मानदंड निर्धारित, संशोधित एवं कार्यान्वित कर सकता है। अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु भूमि मूल्य अर्जन के तंत्रों को अपनाया जा सकता है।				
2.	रेल टर्मिनल/ एकीकृत यात्री टर्मिनल	एनए	30	100	15	एनए
3.	आईएसबीटी**	50,000 वर्गमीटर	40		30	45
4.	बस डिपो **	4000 वर्गमीटर	50		25	24
5.	बस टर्मिनल**	1000 वर्गमीटर (सामुदायिक स्तर)	50		25	18
		2000 वर्गमीटर(उप-नगर स्तर)	50		25	18
6.	मेट्रो रेल/ आरआरटीएस/एच एसआरयार्ड/डिपो	एनए	20		15	एनए
7.	मल्टी लेवल पार्किंग (एमएलपी)	1000 वर्गमीटर	(तालिका11.2 देखें)		एनए	12
8	फ्यूल स्टेशन	क. न्यूनतम 30 मीटर × 36 मीटर; ख. अधिकतम 33 मीटर × 45 मीटर	एनए	40	एनए	24

*एफएआर की गणना केवल भवन क्षेत्र के आधार पर की जाएगी तथा इसका उपयोग भी केवल भवन क्षेत्र पर ही किया जाएगा।

**बस डिपो, बस टर्मिनल, सार्वजनिक बसों तथा आईएसबीटी के लिए मल्टी लेवल पार्किंग के मामले में बस शेल्टर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा। एफएआर की गणना संपूर्ण प्लॉट क्षेत्रफल के आधार पर की जाएगी, परन्तु इसका उपयोग केवल भवन क्षेत्र पर ही किया जाएगा।

नोट:

(i) अधिसूचित टीओडी ज़ोन में स्थित आई.एस.बी.टी., बस/मेट्रो डिपो, रेल टर्मिनल, एकीकृत यात्री टर्मिनल, मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट हब, मेट्रो स्टेशन, आरआरटीएस स्टेशन, हाई स्पीड रेल स्टेशन आदि का विकास टीओडी मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए आसपास के सड़क नेटवर्क के यातायात प्रभाव आकलन (टीआईए) तथा यातायात प्रबंधन योजना (टीएमपी) के अधीन विकास किया जाएगा।

(ii) 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी मल्टी लेवल पार्किंग प्लॉटों के लिए यातायात प्रभाव (टीआईए) का आकलन तथा यातायात प्रबंधन योजना (टीएमपी) तैयार करना अनिवार्य होगा।

(iii) ऊँचाई अनुमोदित योजना अथवा लागू स्थानीय प्रतिबंधों यदि कोई हैं, के अनुसार होगी।

(iv) सभी वर्तमान उपयोग परिसर कार्य करते रहेंगे।

परिवहन हेतु अन्य नियंत्रण:

(I) हवाई अड्डा:

(क) अनुमत गतिविधियाँ: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा निर्धारित हवाई अड्डे एवं विमानन यात्रियों से संबंधित सभी सुविधाएँ।

(II) **रेल टर्मिनल / एकीकृत यात्री टर्मिनल / मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल:**

(क) अनुमत गतिविधियाँ: रेलवे संचालन, यात्रियों एवं माल के प्रबंधन , वॉच एण्ड वॉर्ड, वेंडिंग बूथ/कियोस्क, कार्यालय (प्रशासनिक कार्यालय सहित), होटल/बजट होटल, शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रय, खुदरा व्यापार, पीएसपी सुविधाएँ, यात्रियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास, सर्विस अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएँ।

(ख) इनका विकास समेकित रूप से किया जाएगा।

(iii) आईएसबीटी:

(क) अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन एवं यात्रियों, बस टर्मिनल, पार्किंग, बसों के लिए, बहु स्तरीय पार्किंग, वॉच एण्ड वॉर्ड, वेंडिंग बूथ/कियोस्क, कार्यालय (प्रशासनिक कार्यालय सहित), होटल/बजट होटल, शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रय, खुदरा व्यापार, पीसपी सुविधाएँ, यात्रियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास, सर्विस अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएँ।

(ख) इनका विकास कंपोज़िट रूप में किया जाएगा।

(iv) बस डिपो

(क) अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन, रख-रखाव एवं यात्रियों , बस टर्मिनल, पार्किंग, बसों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, वॉच एण्ड वॉर्ड, वेंडिंग बूथ/कियोस्क, कार्यालय (प्रशासनिक कार्यालय सहित), होटल/बजट होटल,

शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रय, खुदरा व्यापार, पीसपी सुविधाएँ, यात्रियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास, सर्विस अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएँ।

(ख) जहाँ तक संभव हो, बस डिपो बस टर्मिनल के रूप में कार्य करेंगे।

(v) सार्वजनिक बसों हेतु मल्टीलेवल पार्किंग :

क. सार्वजनिक बसों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग की अनुमति सभी उपयोग ज़ोन में होगी, मनोरंजनात्मक एवं जलाशयों को छोड़कर।

ख. स्थल पर न्यूनतम 1 बस प्रति 70 वर्गमीटर एफएआर एरिया के मानक के अनुसार आवश्यक बस पार्किंग अवश्य उपलब्ध करवानी होगी।

ग. अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन, रखरखाव एवं यात्रियों से संबंधित सुविधाएँ, बस टर्मिनल, पार्किंग, वॉच एण्ड वॉर्ड, वेंडिंग बूथ/कियोस्क, कार्यालय (प्रशासनिक कार्यालय सहित), होटल/बजट होटल, शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रय, खुदरा व्यापार, पीएसपी सुविधाएँ, यात्रियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास, सर्विस अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएँ।

घ. निर्धारित सेटबैक छोड़ने के बाद बहु स्तरीय बस पार्किंग संरचना की अनुमति होगी।

vi. बस टर्मिनल: अनुमत गतिविधियाँ:बस संचालन एवं यात्रियों, बस टर्मिनल, पार्किंग, बसों के लिए बहु स्तरीय बस पार्किंग, वॉच एण्ड वॉर्ड, वेंडिंग बूथ/कियोस्क, कार्यालय (प्रशासनिक कार्यालय सहित), होटल/बजट होटल, शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रय, खुदरा व्यापार,पीएसपी सुविधाएँ, यात्रियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास, सर्विस अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएँ।

(vii) मेट्रो रेल/आरआरटीएस/एचएसआर स्टेशन:

(क) मेट्रो/आरआरटीएस/एचएसआर स्टेशन तथा उनसे संबद्ध संपत्ति विकास (कंपोज़िट विकास) को अधिकतम 3.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक सभी उपयोग ज़ोन में अनुमति होगी, किन्तु रिजनल पार्क/रिज, ज़ोन-ओ लुटियंस बंगलो ज़ोन तथा विरासत ज़ोन इसमें शामिल नहीं हैं।

(ख) अधिकतम एफएआर 100 तथा ग्राउन्ड कवरेज 25% होगा। भवन की ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते संबंधित सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त हो। बिना किसी व्यावसायिक घटक के मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण हेतु अतिरिक्त 20% ग्राउन्ड कवरेज की अनुमति होगी।

(ग) विकास कार्य कम्पोज़िट रूप से किया जाएगा तथा परिवहन एजेंसियाँ संबंधित सभी स्थानीय निकायों/एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगी।

(घ) प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई तक प्लेटफ़ॉर्मों एवं रेल पटरियों के ऊपर तथा नीचे विकास कार्य की अनुमति होगी।

(ङ) निम्नलिखित संरचनाएँ एफएआर से मुक्त होंगी (स्थानीय निकाय/अनुमोदन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी)

(i) ग्रेड पर स्थित सभी स्टेशन एवं ट्रैक, एलिवेटेड एवं भूमिगत, जिसमें प्रवेश संरचनाएँ, डीजी सेट भवन, चिलिंग प्लांट, विद्युत उपकेंद्र, आपूर्ति एवं निकास शाफ्ट, सुरंग वेंटिलेशन शाफ्ट शामिल हैं।

(ii) डिपो एवं रखरखाव कार्यशालाएँ।

(iii) ट्रैक्शन उपकेंद्र।

(iv) परिचालन नियंत्रण केन्द्र।

(च) निम्नलिखित संरचनाएँ एफएआर में सम्मिलित होंगी (स्थानीय निकाय/अनुमोदन प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी)

(i) पुलिस थाना।

(ii) परिचालन एवं रखरखाव कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं प्रशिक्षण केन्द्र।

(iii) केवल परिचालन कर्मचारियों एवं मेट्रो/आरआरटीएस/एचएसआर सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास।

(iv) मेट्रो/आरआरटीएस/एचएसआर परियोजना के निर्माण हेतु पुनर्वास कार्य।

(v) जनता की सुविधा हेतु मेट्रो/आरआरटीएस/एचएसआर स्टेशनों में दुकानें।

(vi) प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त कोई भी आवास योग्य संरचना।

(viii) मेट्रो/आरआरटीएस/एचएसआर यार्ड/डिपो: अनुमत गतिविधियाँ: रेल डिब्बों की आइडल पार्किंग, धुलाई एवं सफाई सुविधाएँ, रखरखाव संबंधी सुविधाएँ, वॉच एंड वार्ड, कर्मचारियों से संबंधित सुविधाएँ।

(ix) मल्टी लेवल पार्किंग (एमएलपी): स्थानीय निकायों द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग हेतु चिन्हित/आरक्षित प्लॉटों पर निम्नलिखित विकास नियंत्रण मानदंड लागू होंगे:

(क) अधिकतम अनुमत एफएआर(पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर) निम्नलिखित होगा:

तालिका 11.2: मल्टीलेवल पार्किंग हेतु विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

क्र.सं.	प्लॉट का आकार	एफएआर
1.	1000 – 3000 वर्गमीटर	100
2.	3000 वर्गमीटर से	3000 वर्गमीटर के लिए 100 एफएआर+शेष भूमि पर

क्र.सं.	प्लॉट का आकार	एफएआर
	अधिक तथा 10000 वर्गमीटर तक	60 एफएआर
3.	10000 वर्गमीटर से अधिक	3000 वर्गमीटर के लिए 100 एफएआर + 7000 वर्गमीटर के लिए 60 एफएआर (3000 वर्गमीटर से अधिक) + शेष भूमि पर 50 एफएआर (10000 वर्गमीटर से अधिक)

(ख) एमएलपी प्लॉट ऐसे मार्गों पर स्थित होंगे जो 12 मीटर आरओडब्ल्यू या उससे अधिक हो। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी/स्थानीय निकाय की अनुमोदन तथा यातायात पुलिस एवं अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ग) लाभकारी उपयोगों के अंतर्गत कम्युनिटी सेन्टर एवं पीएसपी सुविधाओं में अनुमत व्यावसायिक गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी।

(घ) लाभकारी उपयोग हेतु पार्किंग का प्रावधान 2 ईसीएस प्रति 100 वर्गमीटर की दर से किया जाएगा तथा एमएलपी घटक के लिए इसके अतिरिक्त 3 गुना ईसीएस का प्रावधान किया जाएगा।

(ङ) मल्टी लेवल पार्किंग की ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते संबंधित सांविधिक निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो।

(च) एमएलपी प्रबंधन और एमएलपी प्लॉट के प्रवेश मार्ग से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी तक सड़क किनारे पार्किंग के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी की होगी।

(छ) प्रबंधन एजेंसी द्वारा एमएलपी के आसपास सड़क किनारे पार्किंग को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। इसके लिए सड़क किनारे पार्किंग शुल्क को (मल्टी लेवल पार्किंग के पार्किंग शुल्क की तुलना में कम से कम तीन गुना) रखा जाएगा तथा अन्य उपयुक्त उपाय भी अपनाए जाएंगे।

(ज) कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम का हिस्सा बनने वाले एमएलपी प्लॉट संबंधित स्वीकृत प्लान के विकास नियंत्रण मानदंडों द्वारा शासित होंगे।

(झ) जिन एमएलपी प्लॉटों को इन मानदंडों द्वारा पूर्णतः कवर नहीं किया गया है, ऐसे मामलों को प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(x) फ्यूल स्टेशन:

(क) फ्यूल स्टेशन की अनुमति सभी उपयोग ज़ोन में दी जा सकती है लेकिन इसमें मनोरंजनतामक क्षेत्र (जैसे रीजनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क आदि) तथा ज़ोन-ओ को बाहर रखा गया है।

(ख) फ्यूल स्टेशन वर्तमान अथवा प्रस्तावित मास्टर प्लान/ज़ोनल प्लान/पीडब्ल्यू

डी/एमसीडी अथवा राजस्व विभाग की सड़कों पर अनुमत हैं।

(ग) फ्यूल स्टेशन-सह-सर्विस स्टेशन की अवस्थिति, विकास नियंत्रण तथा अनुमत, संबंधित एजेंसी की योजना/निर्णय अथवा समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार विनियमित होगी।

(घ) फ्यूल स्टेशन निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होंगे:

(i) फ्यूल स्टेशन ऐसी सड़कों पर होंगे जो 24 मीटर से कम आरओडब्ल्यू की न हो।

(ii) अधिकतम अनुमत ग्राउन्ड कवरेज 20% तथा अधिकतम एफएआर 40 होगा।

(iii) फ्यूल स्टेशन के लिए प्लॉट का आकार न्यूनतम: 30 मीटर × 36 मीटर, अधिकतम: 33 मीटर × 45 मीटर,सीएनजी मदर स्टेशन: न्यूनतम 75 मीटर× 40 मीटर अथवा आवश्यकता के अनुसार।

(iv) सड़क चौराहे की आरओडब्ल्यू रेखा से प्लॉट की न्यूनतम दूरी निम्नानुसार होगी—

(क) 30 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाली छोटी सड़कें - 50 मीटर।

(ख) 30 मीटर अथवा उससे अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़क - 100 मीटर।

(ग) प्लॉट का अग्रभाग 30 मीटर से कम नहीं होगा।

(v) अधिकतम ऊँचाई: 6 मीटर (कैनोपी एवं ऑफिस बिल्डिंग)।

(vi) निर्धारित सेटबैक छोड़ने के उपरांत कैनोपी को एफएआर से मुक्त रखा जाएगा।

(vii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिवर्तन प्रभार/लेवी के भुगतान के अधीन, अज्वलनशील एवं गैर-हानिकारक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 10 एफएआर तथा 10 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज की अनुमति होगी। कियोस्क, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र सुविधा तथा अन्य सहायक गतिविधियों की अधिकतम 5 वर्गमीटर तक अनुमति होगी। इन्हें अनुमत एफएआर के अंतर्गत अग्र सेटबैक में बिना किसी परिवर्तन प्रभार/लेवी के स्थापित किया जा सकेगा।

(viii) वर्तमान फ्यूल स्टेशनों के मामले में, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 10 एफएआर की अनुमति केवल उन्हीं फ्यूल स्टेशनों को होगी जो उपर्युक्त न्यूनतम आरओडब्ल्यू प्लॉट आकार एवं विकास नियंत्रण ऊपर दिए गए मानदंड (घ) का पालन करते हों तथा निर्धारित प्रभार का भुगतान करें।

(ix) विभिन्न उपयोग ज़ोन /उपयोग परिसरों के लेआउट प्लान तैयार करते समय फ्यूल स्टेशन का प्रावधान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :

तालिका 11.3 : फ्यूल स्टेशन के मानदंड

क्र. सं.	**उपयोग ज़ोन /उपयोग परिसर**	**मानदंड**
1.	आवासीय उपयोग ज़ोन	प्रत्येक 150 हेक्टेयर सकल आवासीय क्षेत्र पर दो फ्यूल स्टेशन।

क्र. सं.	उपयोग ज़ोन /उपयोग परिसर	मानदंड
2.	औद्योगिक उपयोग ज़ोन	प्रत्येक 40 हेक्टेयर सकल औद्योगिक क्षेत्र पर दो फ्यूल स्टेशन।
3.	फ्रेट कॉम्प्लेक्स	प्रत्येक फ्रेट कॉम्प्लेक्स में चार फ्यूल स्टेशन।
4.	डिस्ट्रिक्ट सेन्टर	प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में चार फ्यूल स्टेशन।
5.	कम्युनिटी सेन्टर	प्रत्येक कम्युनिटी सेन्टर में दो फ्यूल स्टेशन।
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग ज़ोन	प्रत्येक सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्षेत्र में दो फ्यूल स्टेशन।
7.	सुरक्षा बल परिसर/पुलिस/ अस्पताल/सरकारी परिसर	स्व-उपयोग/ आवश्यकता के अनुसार।

(ड.) किसी भी आवश्यकता की स्थिति में, विद्युत चार्जिंग स्टेशन अथवा अन्य ग्रीन फ्यूल हेतु आवश्यक अवसंरचना को, जहाँ भी व्यवहार्य हो, स्वतंत्र रूप से अथवा ईंधन स्टेशनों के भीतर एकीकृत स्थापना के रूप में अनुमत किया जाएगा।

11.1.2 पार्किंग मानक

(i) प्रत्येक उपयोग परिसर (तालिका 11.7 देखें) के लिए पार्किंग मानक निर्धारित किए गए हैं। तथापि, जहाँ किसी उपयोग परिसर के लिए पार्किंग मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं,वहाँ निम्नलिखित मानक लागू होंगे:

तालिका 11.4 :पार्किंग मानक

क्र. सं.	उपयोग परिसर	एफएआर एरिया के प्रति 100 वर्गमीटर पर अनुमत समतुल्य कार स्थान(ईसीएस)
1.	आवासीय	2.0
2.	व्यावसायिक	2.0
3.	विनिर्माण	2.0
4.	सरकारी	1.0
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ	2.0

नोट:

(क) साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए पार्कों, हरित क्षेत्रों तथा अन्य सार्वजनिक खुले स्थानों में साइकिल पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

(ख) एकीकृत योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त पार्किंग केवल साझा पार्किंग सुविधा के रूप में ही विकसित की जा सकती है, जो हर समय आम जनता के लिए सुलभ होगी।

(ग) एकाधिक उपयोग परिसरों वाली एकीकृत योजनाओं में पार्किंग की गणना एवं उसका युक्तिसंगत निर्धारण प्रत्येक उपयोग द्वारा उपभोग किए गए एफएआर के अनुपात में किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(ii) 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले विद्यमान भवनों में, सभी उपयोग परिसरों (प्लॉटेड आवासीय एवं मनोरंजनतामक क्षेत्र को छोड़कर) की अतिरिक्त पार्किंग आवश्यकता की पूर्ति हेतु समर्पित पार्किंग संरचनाओं के निर्माण के लिए स्वचालित एमएलपी के निर्माण हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त ग्राउन्ड कवरेज की अनुमति होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के व्यावसायिक विकास अथवा व्यावसायिक गतिविधि का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(i) सभी भवनों/उपयोग परिसरों में बेसमेंट पार्किंग के अतिरिक्त, भवन के फुटप्रिंट के अंतर्गत बहु-स्तरीय पार्किंग (कार लिफ्ट सहित) की अनुमति सभी सांविधिक स्वीकृतियों के अधीन होगी तथा यह एफएआर में शामिल नहीं होगी।

(ii) अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु आवश्यक सेटबैक/स्थान उपलब्ध कराने के पश्चात, खुले जगहों, बेसमेंट तथा हाई राइज आवरण के भीतर बहु-स्तरीय स्टैक पार्किंग अथवा स्वचालित पार्किंग की अनुमति होगी।

(v) पार्किंग स्थानों के प्रावधान हेतु स्थान मानक निम्नानुसार होंगे:

तालिका 11.5 : कार पार्किंग हेतु स्थान मानक

क्र. सं.	**पार्किंग का प्रकार**	**प्रति ईसीएस क्षेत्रफल (वर्गमीटर)**
1.	ओपन	23
2.	ग्राउन्ड फ्लोर कवर्ड	28
3.	बेसमेंट	32

क्र. सं.	पार्किंग का प्रकार	प्रति ईसीएस क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
4.	रैम्प सहित बहु-स्तरीय	30
5.	स्वचालित लिफ्ट सहित बहु-स्तरीय	16

(vi) पार्किंग की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति संबंधित प्लॉट के अंदर ही की जाएगी।

(vii) बड़ी परियोजनाओं के लिए यातायात प्रभाव आकलन (टीआईए) अध्ययन कराया जाएगा।

(viii) समतुल्य कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निर्धारित पार्किंग मानकों में सभी प्रकार के वाहनों, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, हल्के एवं भारी व्यावसायिक वाहन, बस आदि के लिए पार्किंग शामिल होगी। अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले नक्शे में विभिन्न वाहन श्रेणियों के अनुसार पार्किंग स्थानों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(ix) जिन विद्यमान सार्वजनिक भवनों में पार्किंग क्षमता 100 से अधिक वाहनों की है, उनमे कुल पार्किंग क्षेत्र का 5% भाग विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन हेतु आरक्षित किया जाएगा।

(x) दिल्ली में प्रचलित विद्युत वाहन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय/ भूमि स्वामित्व एजेंसियाँ सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु उपयुक्त प्लॉटों की पहचान करेंगी।

(xi) पार्किंग हेतु उपयोग किए गए क्षेत्र/तल को एफएआर से मुक्त रखा जाएगा।

तालिका 11.6: परियोजनाओं के लिए इन्डिकेटिव ऑन साइट पार्किंग की आवश्यकता*

मोड	मोड के अनुसार ईसीएस मानक	परिसंचरण सहित क्षेत्रफल	मोड के आधार पर वितरण - प्रति 1 ईसीएस/100 वर्गमीटर
कार/टैक्सी	1.00	23.00	0.60
दोपहिया वाहन	0.25	5.75	0.25
साइकिल	0.10	2.30	0.05
बस/शेयर्ड वैन	3.50	80.50	0.05
व्यावसायिक वाहन	3.50	80.50	0.05
कुल			**1.00 ईसीएस**

* उपरोक्त आँकड़े सांकेतिक हैं तथा प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार इनमें

परिवर्तन किया जा सकता है।

नोट: सभी परियोजनाओं में साइकिल पार्किंग का न्यूनतम निर्धारित अनुपात अनिवार्य होगा।

11.1.3 पार्किंग मानदंड

(i) मेट्रो के आधार पर छूट: यदि कोई संपत्ति किसी मेट्रो स्टेशन से पैदल चलकर पहुँचने योग्य दूरी पर स्थित है, तो उस संपत्ति के अंदर आवश्यक पार्किंग में निम्नलिखित निर्धारित प्रतिशतता पर छूट प्रदान की जाएगी:

क. मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए, प्लॉट के भीतर आवश्यक पार्किंग में निर्धारित पार्किंग मानक का 30 प्रतिशत कम किया जाएगा।

ख. मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर से अधिक तथा 800 मीटर से कम दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए, प्लॉट के भीतर आवश्यक पार्किंग में निर्धारित पार्किंग मानक का 15 प्रतिशत कम किया जाएगा।

(ii) छूट: यदि किसी संपत्ति के 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर कोई मल्टी लेवल पार्किंग स्थित है, तो उस संपत्ति के लिए आवश्यक पार्किंग में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

(iii) मेट्रो तथा मल्टी लेवल पार्किंग के आधार पर उपर्युक्त छूट केवल उन प्लॉटों पर लागू होगी, जिनका न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल निर्धारित दूरी की सीमा के अंदर स्थित हो।

(iv) तालिका 11.7 में उल्लिखित छूटें पहले से विकसित भवनों, योजनाओं अथवा ले-आउट में किए जाने वाले परिवर्धन अथवा परिवर्तन पर लागू नहीं होंगी। तथापि, संपूर्ण योजना के पुनरुद्धार के अंतर्गत इन छूटों का लाभ लिया जा सकता है।

(v) उपर्युक्त मेट्रो तथा मल्टी लेवल पार्किंग संबंधी छूटें नीचे दिए गए ईसीएस के पार्किंग मानकों पर लागू होंगी।

तालिका 11.7 : पार्किंग मानदंड

उपयोग परिसर/गतिविधि	पार्किंग प्रावधान*	छूट	
		मेट्रो	मल्टी लेवल पार्किंग
आवासीय परिसर			
समूह आवास	क. ईडब्ल्यूएस/सामुदायिक सेवा कार्मिक आवास – प्रति डीयू# 0.5 ईसीएस ख. 40–100 वर्गमीटर आकार की आवासीय इकाई (डीयू)# – प्रति डीयू# 1.0 ईसीएस ग. 100-200 वर्गमीटर आकार की आवासीय इकाई (डीयू)#–प्रति डीयू# 2.0 ईसीएस घ. 200 वर्गमीटर से अधिक आकार की आवासीय इकाई (डीयू)– प्रति डीयू# 2.0 ईसीएस तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए 1.0 अतिरिक्त ईसीएस #डीयू साइज कार्पेट एरिया सरकारी आवासीय योजना के मामले में, पार्किंग के नियम जीपीआरए कॉलोनियों के मामले में अपनाए गए लागू मानदंड के अनुसार होंगे।	एन पी	एन पी

स्टूडियो अपार्टमेंट	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	एनपी
प्लॉटेड आवास	क. 250 वर्गमीटर तक के प्लॉट में 1.0 ईसीएस	एनपी	एनपी
	ख. 250-300 वर्गमीटर से ज़्यादा साइज़ के प्लॉट में 2.0 ईसीएस	एनपी	एनपी
	ग. 300 वर्गमीटर से ज़्यादा के प्लॉट में, प्रत्येक 100 वर्गमीटर एफएआर क्षेत्र के लिए 1.0 ईसीएस ऊपर बताए गए सभी मामलों में, अगर किसी प्लॉट में ऊपर बताए गए पार्किंग मानदंड के साथ अनुमेय एफएआर हासिल नहीं होता है, तो पहले वाली श्रेणी के पार्किंग मानदंडों को अनुमति दी जाएगी।	एनपी	एनपी
छात्रावास/धर्मशाला या इसके समकक्ष/ अतिथि गृह /लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस/सराय	क. एफएआर क्षेत्र का 0.5 ईसीएस/100 वर्गमीटर ख. ये मानक मिश्रित उपयोग विनियम के तहत गेस्ट हाउस पर लागू नहीं होंगे।	पी	एनपी
राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी)	एफएआर क्षेत्र का 0.5 ईसीएस /100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
शहरी बेघरों के लिए आश्रय	कोई अनिवार्य पार्किंग उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।	एनपी	एनपी
वाणिज्य			
कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर / लोकल शॉपिंग सेंटर	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी

सर्विस मार्केट	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बाज़ार	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
कम्युनिटी सेंटर	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
डिस्ट्रिक्ट सेंटर/सब-सेंट्रल बिज़नस/ उप-नगर स्तरीय व्यावसायिक क्षेत्र	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
व्यावसायिक प्लॉट :खुदरा एवं वाणिज्य, मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर यानी कनॉट प्लेस और उसका विस्तार, फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
दुकान-एवं-निवास / दुकान का प्लॉट	व्यावसायिक उपयोग के अंतर्गत एफएआर के अनुपात हेतु: एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस /100 वर्गमीटर।	एनपी	एनपी
	आवासीय उपयोग के अंतर्गत एफएआर के अनुपात हेतु: आवासीय प्लॉट विकास के संबंधित आकार के अनुसार	एनपी	एनपी
आसफ अली रोड के अंदर/साथ व्यावसायिक घटक (दिल्ली गेट–अजमेरी गेट योजना में कमर्शियल स्ट्रिप के तौर पर दिखाया गया क्षेत्र)	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
थोक ,वेयरहाउस			
एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स/ थोक बाजार	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी

क) वेयरहाउसिंग योजनाएँ ख) वेयरहाउसिंग ग) गोदाम प्लॉट	क. 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट के लिए कॉमन पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। ख. 300 वर्गमीटर से ज़्यादा के प्लॉट के लिए एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर ग.	पी	पी
हॉस्पिटैलिटी			
होटल	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
सर्विस अपार्टमेंट	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	एनपी
मोटल	क. एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर ख. सभी गेस्ट पार्किंग की व्यवस्था मोटल परिसर के अंदर ही होनी चाहिए।	एनपी	एनपी
बजट होटल	एफएआर एरिया का 1.33 ईसीएस पर 100 वर्गमीटर	पी	एनपी
उद्योग			
क) औद्योगिक प्लॉट ख) औद्योगिक फ्लैटिड ग) एकीकृत औद्योगिक पार्क/टाउनशिप	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
सरकारी कार्यालय			
जिला न्यायालय	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय(केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय)	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी

सामाजिक अवसंरचना			
प्रारंभिक शिक्षा केंद्र	एफएआर एरिया का 1.33 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
विद्यालय (छठी तक)	एफएआर एरिया का 1.33 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
विद्यालय (छठी तक – सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा संचालित)	एफएआर एरिया का 0.5 ईसीएस /100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
विद्यालय (बारहवीं तक)	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
विद्यालय (बारहवीं तक – सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा संचालित)	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
आवासीय विद्यालय	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
स्पेशल स्कूल	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
कोचिंग सेंटर	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
अनुसंधान एवं विकास केंद्र/महाविद्यालय /कोई अन्य संस्थान	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
स्वास्थ्य केंद्र	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	एनपी
अन्य स्वास्थ्य सुविधा	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	एनपी
अस्पताल	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
सरकारी अस्पताल	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100	पी	पी

	वर्गमीटर		
मेडिकल कॉलेज /नर्सिंग और पैरामेडिक्स संस्थान	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
क. पशु चिकित्सालय ख. पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
पशु चिकित्सा संस्थान	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस /100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
अन्य पीएसपी सुविधाएँ	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
धार्मिक/सामुदायिक सुविधा	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
बैंक्वेट हॉल, बारात घर	एफएआर एरिया का 6.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा -स्थानीय स्तर	एफएआर एरिया का 1.33 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
फिटनेस सेंटर	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	एनपी
सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा - सामुदायिक स्तर	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
पुलिस चौकी	एफएआर एरिया का 1.33 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
पुलिस/फायर पोस्ट	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
पुलिस/फायर स्टेशन	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
डिस्ट्रिक्ट जेल	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी

पुलिस लाइन/प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, पुलिस फायरिंग रेंज, केंद्रीय पुलिस संगठन/सुरक्षा बल सहित पुलिस कैंप, आपदा प्रबंधन इकाई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्यालय और बटालियन, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला/राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
श्मशान घाट, कब्रिस्तान और कब्रगाह	एफएआर एरिया का 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	एनपी	एनपी
हरित एवं मनोरंजनात्मक क्षेत्र			
3.5 हेक्टेयर से अधिक के पार्कों के लिए- सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क और कम्युनिटी पार्क	आवश्यकतानुसार, अलग-अलग जगहों पर 25 से 40 ईसीएस के लॉट में पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है।	एनपी	एनपी
सिटी मल्टीपर्पज़ ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट मल्टीपर्पज़ ग्राउंड एवं कम्युनिटी मल्टीपर्पज़ ग्राउंड	न्यूनतम 50% हिस्सा सॉफ्ट पार्किंग के लिए होगा।	एनपी	एनपी
थीम आधारित / एम्यूजमेन्ट पार्क	एफएआर एरिया का 3.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर, जिसमें न्यूनतम 100 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी।	एनपी	एनपी
जैव विविधता पार्क (बायोडायवर्सिटी पार्क)	ज़रूरत के हिसाब से, अलग-अलग जगहों पर 20 से 25 इसीएस के लॉट में पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है।	एनपी	एनपी

स्पोर्ट्स सेंटर	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी
अन्य			
ट्रांजिट स्टेशन में विकास	एफएआर एरिया का 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर	पी	पी

*सभी उपयोग परिसरों में, उपर्युक्त मानकों के आधार पर लागू कटौतियों के साथ पार्किंग की व्यवस्था प्लॉट के भीतर की जाएगी।

11.2 यूटिलिटीज़

11.2.1 जल-आपूर्ति और स्वच्छता

तालिका 11.8: जल-आपूर्ति और स्वच्छता के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	स्तर	यूटिलिटीज़	संख्या	प्रति इकाई क्षेत्रफल *
1.	स्थानीय	सीवेज पम्पिंग स्टेशन	आवश्यकता के अनुसार	
		बूस्टर स्टेशन और ओएचटी के साथ भूमिगत जल की टंकी		
		स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल शोधन सुविधा		
2.	उपनगर	सीवेज पम्पिंग स्टेशन	आवश्यकता के अनुसार	
		अपशिष्ट जल शोधन सुविधा		
3.	नगर	सीवेज पम्पिंग स्टेशन	आवश्यकता के अनुसार	
		सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (180 एमएलडी)		

*5000 वर्गमीटर से बड़े किसी भी यूटिलिटीज़ प्लॉट जैसे एसटीपी, एसडब्लूएम, डब्ल्यूटीपी, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, गैस सब-स्टेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) स्टेशन वगैरह के भूमि-उपयोग में परिवर्तन के लिए प्रोसेस किया जाएगा।

11.3 सरकारी

11.3.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 11.9: सरकारी – उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषा	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, आदि।**	न्यायपालिका के कार्यालयों और उससे जुड़ी गतिविधियाँ जैसे वकीलों के कक्ष वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाले परिसर/कोर्ट कॉम्प्लेक्स।	न्यायालय, सरकारी और प्रशासनिक कार्यालय, आवासीय, डाकघर, कैंटीन/कैफेटेरिया, पुलिस चौकी, फायर पोस्ट, रेस्तरां, खुदरा दुकानें, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंक और एटीएम, वकीलों का चैंबर, व्यावसायिक कार्यालय, डिजिटल अवसंरचना सुविधाये,जिम/योग/मेडिटेशन सेंटर(इन-हाउस)क्रेच/शिशु देखभाल केंद्र,वेंडिंग बूथ/ कियोस्क /अनौपचारिक इकाइयाँ
2.	**सरकारी कार्यालय (केंद्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय)**	केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारी विभागों/एजेंसियों के कार्यालय के लिए परिसर।	सरकारी और प्रशासनिक कार्यालय, आवासीय, डाकघर, कैंटीन/कैफेटेरिया, पुलिस चौकी, रेस्तरां, खुदरा दुकान, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा, बैंक और एटीएम, व्यावसायिक कार्यालय, डिजिटल बुनियादी ढांचा सुविधा, जिम/योग/ध्यान केंद्र (इन-हाउस), क्रेच/बाल देखभाल केंद्र, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयाँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषा	अनुमत गतिविधियाँ
3.	**एकीकृत कार्यालय परिसर**	केंद्र,राज्य,स्थानीय सरकारी विभाग/ एजेंसी और पीएसयू के कार्यालय के लिए परिसर/ऑफिस कॉम्प्लेक्स। इन परिसरों में एक/कई विभागों/एजेंसियों के कार्यालय शामिल हो सकते हैं।	सरकारी और प्रशासनिक कार्यालय, आवासीय, डाकघर, कैंटीन/कैफेटेरिया, पुलिस चौकी, रेस्तरां, खुदरा दुकान, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा, बैंक और एटीएम, व्यावसायिक कार्यालय, डिजिटल अवसंरचना सुविधा, जिम/योग/ध्यान केंद्र (इन-हाउस)क्रेच/शिशु देखभाल केंद्र,वेंडिंग बूथ/ कियोस्क /अनौपचारिक इकाइयाँ

11.3.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 11.10: सरकारी कार्यालयों के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर*	न्यूनतम आरओ डब्लू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
1.	**जिला न्यायालय/फैमिली कोर्ट, सरकारी कार्यालय (केंद्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय), एकीकृत कार्यालय परिसर**	01हेक्टेयर तक	50%	300	18	अ.प्र.

अ.प्र: कोई प्रतिबंध नहीं, सांविधिक निकायों से आवश्यक अनापत्ति के अधीन।

* ज़ोन ओ तथा ज़ोन सी और ज़ोन डी में स्थित उपयोग परिसर हेतु अधिकतम एफएआर 200 होगा।

सरकारी के लिए अन्य नियंत्रण:

(i) आवासीय उपयोग हेतु अनुमत एफएआर का अधिकतम 5 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा।

(ii) पार्किंग संबंधित नियम तालिका 11.7 के अनुसार लागू होंगे।

(iii) व्यावसायिक कार्यालयों के लिए अनुमत एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा।

(iv) मौजूदा सरकारी भवनों/भूमि के गहन उपयोग, नए परियोजनाओं के साथ-साथ पुनर्निर्माण के मामले में: पुनर्निर्माण प्रक्रिया को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, अनुमत एफएआर का अधिकतम 10 प्रतिशत व्यावसायिक इस्तेमाल (जैसे खुदरा दुकानें/बैंक/एटीएम/रेस्तरां आदि) के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह भूमि स्वामित्व एजेंसी और स्थानीय निकायों की स्वीकृति के अधीन होगा।

(v) सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित) के मानदंड अनुमोदित लेआउट/योजना के अनुसार होंगे, जिसके लिए विकास नियंत्रण संबंधी उपयोग परिसर के अनुसार होंगे।

(vi) केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए मानदडों में छूट दे सकती है।

अध्याय:12 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) – सामाजिक अवसंरचना के लिए विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

12.1 पीएसपी – स्वास्थ्य सुविधाएं

12.1.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 12.1: स्वास्थ्य सुविधाएं - उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषाएं
1.	**अन्य स्वास्थ्य सुविधा**	ऐसा परिसर, जिसमें चिकित्सकीय परामर्श, औषधि उपलब्ध कराने तथा/अथवा किसी रोग के लक्षणों की पुष्टि हेतु विभिन्न परीक्षण करने की सुविधाएँ उपलब्ध हों। ऐसे परिसरों में सीमित संख्या में ऑब्जर्वेशन बेड भी हो सकते हैं। (जैसे– डिस्पेंसरी/क्लीनिक, कलेक्शन सेंटर्स, क्लीनिकल लेबोरेट्री आदि।)
2.	**पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा**	ऐसा परिसर, जिसमें पशुओं एवं पक्षियों के लिए चिकित्सकीय परामर्श, औषधि उपलब्ध कराने तथा/अथवा किसी रोग के लक्षणों की पुष्टि हेतु विभिन्न परीक्षण करने की सुविधाएँ उपलब्ध हों। (जैसे– पशुओं एवं पक्षियों के लिए डिस्पेंसरी, पालतू पशुओं के लिए क्लीनिक आदि।)
3.	**स्वास्थ्य केंद्र (नर्सिंग होम, केयर सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर आदि)**	ऐसा परिसर, जिसमें इंडोर पेशेंट एवं आउटडोर पेशेंट के उपचार/देखभाल हेतु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों। ऐसे परिसर में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ तथा किसी रोग/बीमारी की पुष्टि हेतु पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी संबंधी परीक्षण सुविधाएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं। (जैसे– नर्सिंग होम/मैटर्निटी होम/पॉलीक्लिनिक/ पीएचसी/फैमिली वेलफेयर सेंटर/पीडियाट्रिक सेंटर/जेरियाट्रिक सेंटर/ट्रांजिशनल केयर सुविधा/रेस्पाइट केयर सेंटर, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएँ/डायग्नोस्टिक सेंटर/वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, बच्चों एवं महिलाओं के लिए केयर सेंटर तथा इसी प्रकार की अन्य संबंधित गतिविधियाँ आदि।) अथवा ऐसा परिसर, जिसमें मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों (जैसे– ड्रग्स, अल्कोहल आदि) के उपचार एवं पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनका दायरा एक्यूट डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से लेकर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सेंटर तक हो। (जैसे– स्टैंडअलोन डी-एडिक्शन सेंटर/रिहैबिलिटेशन सेंटर)।
4.	**अस्पताल**	ऐसा परिसर, जिसमें इंडोर एवं आउटडोर पेशेंट्स के उपचार हेतु सामान्य अथवा विशिष्ट/उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों। ऐसे परिसर में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित आर एण्ड डी सुविधाएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं। (जैसे–अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र)।
5.	**पशु चिकित्सालय**	ऐसा परिसर, जिसमें पशुओं एवं पक्षियों के इंडोर एवं आउटडोर उपचार हेतु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों। (जैसे– पशु चिकित्सालय)।
6.	**मेडिकल कॉलेज/ नर्सिंग और पैरामेडिक संस्थान**	ऐसा परिसर, जिसमें चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिक्स तथा अन्य संबद्ध चिकित्सा पाठ्यक्रमों सहित पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम के अध्ययन अथवा प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिससे मान्यता प्राप्त योग्यताएँ प्रदान की जाती हों।

7.	**पशु चिकित्सा संस्थान**	ऐसा परिसर, जिसमें अंडर-ग्रेजुएट एवं पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सों के विद्यार्थियों के लिए अनुसंधान सुविधाओं सहित शैक्षिक तथा सहायक सुविधाएँ उपलब्ध हों।

नोटः

i. स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन/संचालन सार्वजनिक/निजी/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जा सकता है।

ii. रेडिएशन-आधारित गतिविधियों की अनुमति केवल भवन के भीतर रेडिएशन के रिसाव को रोकने हेतु समुचित सुरक्षा उपायों के साथ ही होगी।

12.1.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 12.2: स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
1.	**अन्य स्वास्थ्य सुविधा**	40	150	12	अप्र.
2.	**पशु स्वास्थ्य सुविधा, पशुचिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र**	40	150	18	
3.	**अस्पताल**	50 (एमएलपी सहित)	क. 24 मी. से कम आरओडब्ल्यू: 250 ख. 24 मी. और इससे अधिक आरओडब्ल्यू : 300 ग. 30 मी. और इससे अधिक आरओडब्ल्यू: 375	18	

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
4.	**चिकित्सा/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान पशु चिकित्सा संस्थान**	40	200 (आवासीय- अधिकतम 20%)	24	

अप्र.: अप्रतिबंधित, सांविधिक निकायों से आवश्यक अनापत्ति के अधीन।

पीएसपी – स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु अन्य नियंत्रण:

(i) अवसंरचना, सार्वजनिक सुविधाओं एवं आवश्यक सेवाओं के संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा क्षेत्र की जनसंख्या के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनसंख्या-आधारित विकास पदानुक्रम का प्रस्ताव किया गया है। जनसंख्या संबंधी मानदंड सांकेतिक हैं तथा दैनिक आवश्यकताओं, योजनाबद्ध आवश्यकताओं एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर इनमें उपयुक्त परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) स्वामियों/विकासकर्ताओं द्वारा सीवेज के ज़ीरो डिस्चार्ज को सुनिश्चित किया जाएगा। शोधित जल का उपयोग परिसर में उद्यानिकी, फ्लशिंग, कूलेंट टावर, धुलाई अथवा अन्य निर्माण स्थलों पर निस्तारण हेतु किया जा सकेगा।

(iii) सहायक सुविधाओं के लिए शर्तें:

तालिका 12.3: पीएसपी– स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सहायक सुविधाओं के मानदंड

क्रम संख्या	सुविधा श्रेणी	आवासीय घटक*	अन्य सहायक सुविधाएँ**
1.	**अन्य स्वास्थ्य/ पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा/स्वास्थ्य केंद्र**	-	अनुमेय एफएआर का अधिकतम 50 वर्गमीटर (सामुदायिक स्थान, धार्मिक स्थल, क्रेच आदि सहित)।
2.	**अस्पताल**	अनुमेय एफएआर का अधिकतम 25%	अनुमेय एफएआर का अधिकतम 1%, निम्नलिखित अधिकतम सीमा तक— क. 300 वर्गमीटर (1.5 हेक्टेयर तक के

क्रम संख्या	सुविधा श्रेणी	आवासीय घटक*	अन्य सहायक सुविधाएँ**
			प्लॉट के लिए) ख. 500 वर्गमीटर (1.5 हेक्टेयर से ऊपर के प्लॉट के लिए)
3.	**पशु चिकित्सालय**	अनुमेय एफएआर का अधिकतम 10%	अनुमेय एफएआर का अधिकतम 1% (300 वर्गमीटर तक)।
4.	**चिकित्सकीय/ पशु चिकित्सा/ नर्सिंग/ पैरामेडिक्स संस्थान**	अनुमेय एफएआर का अधिकतम 20%	अनुमेय एफएआर का अधिकतम 5% (परिसर की आवश्यकताओं के आधार पर)।

* इसमें आवश्यक कर्मचारियों के आवास, रोगियों के परिचारकों के आवास तथा विद्यार्थियों के छात्रावास (चिकित्सकीय/पशु चिकित्सा/नर्सिंग/पैरामेडिकल संस्थानों के मामले में) जैसी सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

**इसमें रिटेल, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, डाकघर, प्रार्थना कक्ष आदि जैसी सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

12.2 पीएसपी - शैक्षणिक सुविधाएं

12.2.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 12.4: शैक्षणिक सुविधाएं - उपयोग परिसर और पारिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषाएं
1.	**प्रारंभिक शिक्षा केंद्र**	विद्यालय के फाउंडेशनल स्टेज के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित सुविधाओं के लिए परिसर (जैसे– प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, डे-केयर सहित प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल आदि।)
2.	**विद्यालय**	विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक एवं खेल सुविधाओं से युक्त परिसर।
3.	**आवासीय विद्यालय**	बारहवीं कक्षा तक की शैक्षणिक एवं खेल सुविधाओं सहित विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा से युक्त परिसर।
4.	**स्पेशल स्कूल**	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जिनमें बौद्धिक रूप से दिव्यांग एवं अन्य दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, के लिए शैक्षणिक (औपचारिक एवं व्यावसायिक) तथा खेल सुविधाओं से युक्त परिसर (जैसे– बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विद्यालय, दिव्यांग व्यक्तियों के विद्यालय आदि।)
5.	**अनुसंधान एवं विकास केंद्र/कॉलेज/कोई अन्य संस्थान**	किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाला परिसर (जैसे– अनुसंधान एवं विकास केंद्र)/ विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक एवं खेल सुविधाओं से युक्त परिसर/

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषाएं
		व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा (तकनीकी/ व्यावसायिक/ प्रबंधन/ रोजगार की तैयारी) हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाला परिसर (जैसे– वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल/ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट, टीचर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, कमर्शियल/सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग सेंटर, होटल मैनेजमेंट, कोचिंग सेंटर आदि)।
6.	**अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर**	परिसर जिसमें ऐसा शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो, जिसे उच्च शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में विद्यार्थियों को शिक्षण, परीक्षा अथवा दोनों की सुविधा प्रदान करने, विभिन्न संकायों में उपाधियाँ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया हो तथा जिसमें प्रायः महाविद्यालय एवं अन्य समान संस्थान सम्मिलित हों।

12.2.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 12.5: शैक्षणिक सुविधाओं के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)/इकाई	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
1.	**प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, स्कूल (छठी तक), स्कूल (बारहवीं तक), स्पेशल स्कूल**	जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है				
2.	**आवासीय विद्यालय**	20,000 तक (2 हेक्टेयर)	40	180	18	अप्र.
	क. पार्क एंड प्ले एरिया	कुल भूमि क्षेत्र का 45%	एनए			
3.	**कॉलेज/अनुसंधान एवं विकास केंद्र/कोई अन्य संस्थान**	1000 अथवा संबंधित मान्यता प्रदान करने वाली संस्था द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक हो।	40	225	18	अप्र
4.	**अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर**	यूजीसी/एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार	-	225	24	अप्र.

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)/इकाई	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
	क. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	कुल भूमि क्षेत्र का 15%				
	ख. पार्क और भूदृश्य	कुल भूमि क्षेत्र का 15%				

पीएसपी – शैक्षणिक सुविधाओं हेतु अन्य नियंत्रण

(i) प्लॉट के क्षेत्रफल में 10% तक की भिन्नता अनुमेय है।

(ii) प्रारंभिक शिक्षण केंद्र के लिए न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर, ग्राउंड कवरेज 40%, अधिकतम फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 150, अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई के साथ न्यूनतम आरओडब्ल्यू 12 मीटर होगी।

(iii) विद्यालय (कक्षा VI तक) के लिए न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर, ग्राउन्ड कवरेज 40%, अधिकतम एफएआर 150, अधिकतम 18 मीटर ऊँचाई के साथ न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगी।

(iv) विद्यालय (कक्षा बारहवीं तक) के लिए न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर, ग्राउन्ड कवरेज 40%, अधिकतम एफएआर 180, अप्रतिबंधित ऊँचाई सहित न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगी।

(v) स्पेशल स्कूल के लिए न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर, ग्राउन्ड कवरेज 50%, अधिकतम एफएआर 120, अधिकतम 18 मीटर ऊँचाई सहित न्यूनतम आरओडब्ल्यू 18 मीटर होगी।

(vi) नए विद्यालयों के मामले में, फ्रंट बाउंड्री वॉल को 6 मीटर पीछे रखा जाएगा, ताकि सेटबैक क्षेत्र के भीतर आगंतुकों के वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जा सके।

(vii) प्लॉट पर स्थान की कमी होने की स्थिति में, विद्यालय साझा आधार पर खेल मैदान विकसित करेंगे।

(viii) विद्यालय के मामले में, रिटेल शॉप, डाकघर, बैंक काउंटर (एटीएम सहित) तथा स्वास्थ्य सुविधा जैसी सहायक सुविधाओं हेतु 200 वर्गमीटर तक का क्षेत्रफल (एफएआर सहित) अनुमेय होगा।

(ix) विद्यालय के मामले में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अथवा जीएनसीटीडी द्वारा अपनाई गई अन्य नीति के अनुसार पाठ्येतर गतिविधियों हेतु अवसंरचना के विकास के लिए अनुमेय एफएआर का न्यूनतम 15% उपयोग किया जाएगा।

(x) विद्यालय के मामले में, खेल सुविधाओं (स्विमिंग पूल सहित) के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस रूम आदि तथा चेंजिंग रूम, पंप रूम आदि जैसी सुविधाओं हेतु

अधिकतम 150 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र को ग्राउंड कवरेज एवं एफएआर की गणना से मुक्त रखा जाएगा।

(xi) न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर आवंटित विद्यालय, इस प्लान में निर्धारित प्रचलित एफएआर का लाभ लेने के पात्र होंगे।

(xii) आवासीय सुविधा का प्रावधान (कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए) :

(क) स्पेशल स्कूल: अनुमेय एफएआर का 20% तक।
(ख) आर एंड डी सेंटर, इंस्टिट्यूट एवं कॉलेज : अनुमेय एफएआर का 30% तक।
(ग) आवासीय विद्यालय : अनुमेय एफएआर का 25% तक

(xiii)कोचिंग केंद्रों के मामले में, न्यूनतम भूखंड क्षेत्र 500 वर्ग मीटर होगा।

12.3 पीएसपी-सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं और सुरक्षा-अग्निशमन सुविधाएं

12.3.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 12.6: सुरक्षा-पुलिस और सुरक्षा-अग्निशमन सुविधाएं - उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषाएं
1.	**यातायात नियंत्रण कक्ष और अन्य सहायक सुविधाएँ**	अस्थायी संरचना का ऐसा परिसर जिसमें यातायात और उससे जुड़ी समस्याओं के प्रबंधन की सुविधाएं हों।
2.	**पुलिस चौकी**	अधिक जन-आवागमन वाले क्षेत्रों, जैसे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, संस्थागत क्षेत्रों तथा रेल/बस/हवाई टर्मिनलों आदि में सुरक्षा प्रदान करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुविधाओं से युक्त परिसर।
3.	**पुलिस/फायर पोस्ट**	फुल फ्लेज्ड स्टेशन की तुलना में सीमित सुविधाओं के साथ आवश्यक जन-सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएँ प्रदान करने हेतु परिसर।
4.	**पुलिस/फायर स्टेशन**	निर्धारित सेवा क्षेत्र के लिए स्थानीय पुलिस के कार्यालय एवं संबंधित गतिविधियों/अग्निशमन संबंधी गतिविधियों तथा अनिवार्य कर्मचारियों के आवास की सुविधाओं से युक्त परिसर।
5.	**डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्यालय और बटालियन/पुलिस लाइन/पुलिस कैंप**	सुरक्षा कर्मियों के कार्यालयों एवं आवास की सुविधा से युक्त परिसर।
6.	**डिस्ट्रिक्ट जेल**	डिस्ट्रिक्ट स्तर पर विधि के अधीन अपराधियों के हिरासत, कारावास एवं सुधार हेतु सुविधाओं से युक्त परिसर।
7.	**प्रशिक्षण**	आग लगने, भवन ध्वस्त होने आदि जैसी आपातकालीन

	संस्थान/कॉलेज	परिस्थितियों से निपटने हेतु अर्धसैनिक बल के प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त परिसर
8.	**फायरिंग रेंज**	सुरक्षा बलों के फायरिंग अभ्यास हेतु सुविधाओं से युक्त परिसर।
9.	**सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स/ सिक्योरिटी फोर्सेज कैंप आदि।**	आंतरिक रक्षा हेतु सिविल संगठन के कार्यालयों एवं अन्य कार्यों की सुविधाओं से युक्त परिसर।
10.	**फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला**	चिकित्सीय ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु सुविधा से युक्त परिसर।
11	**राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान**	राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने वाले संस्थानों अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित/अधिसूचित संस्थानों की सुविधाओं से युक्त परिसर।
12.	**आपदा प्रबंधन केंद्र/इकाई**	आपदा की स्थिति में आपातकालीन बैकअप, अस्पताल, आपदा तैयारी हेतु प्रशिक्षण केंद्र, वायरलेस संचार आदि की सुविधाओं से युक्त परिसर।

12.3.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 12.7: सुरक्षा-पुलिस और सुरक्षा-अग्निशमन सुविधाओं के लिए डीसीएन

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>उपयोग परिसर</th><th>प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)/ यूनिट</th><th>अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)</th><th>अधिकतम एफएआर</th><th>न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)</th><th>ऊँचाई (मीटर)</th></tr>
<tr><td colspan="7">स्थानीय स्तर</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष</td><td colspan="4">क. स्थल की उपयुक्तता के आधार पर सड़क आरओडब्ल्यू के अंतर्गत प्रमुख सड़क चौराहों/ खंडों आदि पर आवश्यकता के अनुसार।

ख. अधिकतम क्षेत्रफल: 25 वर्गमीटर।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पुलिस चौकी</td><td>150 वर्गमीटर तक</td><td>75</td><td rowspan="2">300</td><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">अप्र.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पुलिस/फायर पोस्ट</td><td>2500 वर्गमीटर तक</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="7">सामुदायिक स्तर और उससे ऊपर</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पुलिस/फायर स्टेशन</td><td>1.0 हेक्टेयर तक</td><td rowspan="3">50</td><td rowspan="3">300</td><td rowspan="3">18</td><td rowspan="3">अप्र.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>डिस्ट्रिक्ट जेल</td><td rowspan="2">आवश्यकता के अनुसार</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पुलिस लाइन/ प्रशिक्षण संस्थान/ कॉलेज,</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
	अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान/ कॉलेज, पुलिस फायरिंग रेंज, केंद्रीय पुलिस संगठन/सुरक्षा बल सहित पुलिस कैंप, आपदा प्रबंधन इकाई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्यालय और बटालियन, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला/ राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान					

अप्र.: अप्रतिबंधित, सांविधिक निकायों से आवश्यक अनापत्ति के अधीन।

सुरक्षा–पुलिस एवं सुरक्षा–अग्निशमन सुविधाओं हेतु अन्य नियंत्रण:

(i) यदि उपर्युक्त सुविधाएँ ज़ोन ओ तथा ज़ोन सी एवं ज़ोन डी के बंगला क्षेत्र में स्थित हों, तो 120 का अधिकतम अनुमेय एफएआर लागू होगा।

(ii) पार्किंग मानदण्ड तालिका 11.7 के अनुसार लागू होंगे।

(iii) अनुमेय एफएआर का अधिकतम 30% आवासीय उपयोग एवं अन्य सहायक सुविधाओं के लिए अनुमत होगा।

(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थापनाओं/फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं/सिविल डिफेंस/आपदा प्रबंधन इकाइयों एवं होम गार्डस जैसी सुविधाओं/उपयोग परिसरों का विकास उनके संबंधित मैनुअल के अनुसार किया जाएगा।

(v) दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) द्वारा अग्नि-जोखिम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा अग्निशमन सेवाओं (फायर स्टेशन/फायर पोस्ट) के स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि समुदाय को अग्नि-सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने की दृष्टि से वे प्रभावी ढंग से लाभप्रद हों।

12.4पीएसपी – वितरण सुविधाएं

12.4.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

तालिका 12.8: वितरण सुविधाएँ - उपयोग परिसर और परिभाषाएँ

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	परिभाषाएं	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**गैस गोदाम/ बुर्किंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम**	स्थानीय आबादी को एलपीजी की बुर्किंग, भंडारण एवं आपूर्ति की सुविधा हेतु परिसर।	वॉच एंड वार्ड, बुर्किंग कार्यालय, स्टोर/गोदाम
2.	**मिल्क बूथ/दूध, फल और वेजीटेबल बूथ**	स्थानीय आबादी को दैनिक किराने के सामान की आपूर्ति के लिए बुनियादी सुविधा से युक्त परिसर।	दुग्ध उत्पादों, फल एवं सब्जियों आदि के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु बूथ/निर्मित संरचना, स्टोर।

नोट:

(i) एलपीजी बुर्किंग कार्यालय को मनोरंजन उपयोग क्षेत्र को छोड़कर सभी उपयोग क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकती है।

(ii) संबंधित परिसर के प्राथमिक कार्य से संबद्ध कोई अन्य गतिविधि, जो उस परिसर को नियंत्रित करने वाले संबंधित विनियमों के अनुसार अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, भी अनुमेय होगी

12.4.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 12.9: वितरण सुविधाओं के लिए डीसीएन

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	मानदंड
1.	**मिल्क बूथ/दूध, फल और वेजीटेबल बूथ**	क. संबंधित विभाग के मानक डिज़ाइन के अनुसार। ख. स्वीकृत लेआउट योजना के अनुसार सभी उपयोग क्षेत्रों में अनुमत।
2.	**बुर्किंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम**	क. प्लॉट का क्षेत्रफल– बुर्किंग कार्यालय एवं सुरक्षा कक्ष सहित अधिकतम 600 वर्गमीटर। ख. आवासीय एवं मनोरंजन उपयोग क्षेत्रों को छोड़कर, सांविधिक निकायों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के अधीन, सभी उपयोग क्षेत्रों में अनुमत।

वितरण सुविधाओं के लिए अन्य नियंत्रण:

(i) उचित दर की दुकानें, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास तथा पुनर्वास कॉलोनियों के निकट उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(ii) एलपीजी गोदामों के लिए मानदंड एवं मानक पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) के अनुसार होंगे।

12.5 पीएसपी - सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

12.5.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएं

तालिका 12.10: सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं - उपयोग परिसर और परिभाषाएं

क्रम सं.	उपयोग परिसर	परिभाषाएं
1.	**सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा- स्थानीय स्तर**	स्थानीय स्तर की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों अर्थात् शिक्षण (संगीत, कला, आदि), खेलना, बातचीत, बैठक और सामाजिक सभा स्थल {जैसे वरिष्ठ नागरिक बैठक, युवा कक्ष, शिक्षण केंद्र (संगीत, नृत्य, नाटक आदि), कौशल विकास केंद्र, आदि}
2.	**सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा - बैंकेट हॉल, बारात घर सहित सामुदायिक स्तर**	विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों/प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधाओं वाला ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक स्तर की सार्वजनिक सभा/समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इसमें सांस्कृतिक और सूचना सेवाओं की सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं {जैसे बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थान (संगीत, नृत्य, अन्य प्रदर्शन कलाओं, प्रदर्शनी स्थल, आर्ट गैलरी, पुस्तकालय, संग्रहालय, रचनात्मक कार्यशालाएं, सभागार, छोटे थिएटर), सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, सामुदायिक/मनोरंजनात्मक क्लब आदि के सीखने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं के साथ।} इसमें सामाजिक आयोजनों या समारोह जैसे विवाह, स्वागत समारोह, पार्टी आदि के आयोजन हेतु एक इनक्लोज्ड स्थान या भवन सम्मेलित हो सकता है, जिसमें भोजन पकाने की व्यवस्था हों।
3.	**प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र**	प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों, संगोष्ठियों आदि जैसे बड़े समारोहों और कार्यक्रमों को आयोजित करने की सुविधाओं वाला परिसर। इनमें बड़ी मनोरंजन/सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। (जैसे सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय/अन्य कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी-एवं-फेयर ग्राउंड)

12.5.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 12.11: सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1.	**सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा-स्थानीय स्तर**	40	150	12	अप्र.
2.	**सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा - बैंक्वेट हॉल, बारात घर सहित सामुदायिक स्तर पर**			24	
3.	**प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र**			24	

अप्र.: अप्रतिबंधित, सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।

नोट:

i. प्रदर्शनी एवं फेयर ग्राउंड जैसी गतिविधियों के लिए, अधिकतम ग्राउंड कवरेज 20% और एमएलपी के लिए ग्राउण्ड कवरेज 5% होगा और अधिकतम एफएआर 20 होगा।

सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अन्य नियंत्रण:

i. पार्किंग संबंधी मानदण्ड तालिका सं. 11.7 के अनुसार लागू होंगे।

ii. एल.बी.जेड. एरिया, सिविल लाइन्स बंगलो एरिया, मनोरंजनात्मक उपयोग ज़ोन और विरासत संरचनाओं पर मौजूद मनोरंजनात्मक क्लबों को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया जाएगा।

iii. खुले क्षेत्र में आउटडोर खेलों/खेल सुविधाओं के अलावा, 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक स्विमिंग पूल की अनुमति होगी, जो ग्राउंड कवरेज से मुक्त होगा।

iv. सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा - सामुदायिक स्तर के मामले में, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, रेस्तरां, एम्फीथिएटर, गेस्ट हाउस/गेस्ट रूम और हॉस्टल जैसी सहायक गतिविधियों के लिए अधिकतम 20% एफएआर की अनुमति दी जाएगी।

v. प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के मामले में, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, रेस्तरां, इनडोर खेल, प्रबंधन कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास, गेस्ट हाउस/गेस्ट रूम, हॉस्टल, एम्फीथिएटर, रिटेल

व्यापार, कार्यालय स्थान/व्यावसायिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियों के लिए अधिकतम 60% एफएआर की अनुमति होगी।

12.6 पीएसपी - अन्य पीएसपी सुविधाएं

12.6.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएं

तालिका 12.12: अन्य पीएसपी सुविधाएं - उपयोग परिसर और परिभाषाएं

क्रम सं.	उपयोग परिसर	परिभाषाएं
1.	**शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच)***	बेघर व्यक्तियों के लिए सभी मौसम में आश्रय वाला परिसर। यह स्थानीय सरकार या स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाया जा सकता है।
2.	**धार्मिक/ सामुदायिक सुविधा**	ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक/धार्मिक सुविधाओं (जैसे छोटी और बड़ी धार्मिक सुविधाएं आदि) को समायोजित किया जा सके।
3.	**अन्य पीएसपी सुविधाएं**	ऐसा स्थान जहाँ ये सुविधाएँ हों: क. बुज़ुर्गों/दिव्यांगों/मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल और ट्रेनिंग, रहने और खाने की जगह (जैसे ओल्ड एज होम, बुज़ुर्गों/दिव्यांगों/मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए केयर सेंटर, अनाथालय, बाल गृह आदि), ख. व्यवहार में सुधार के लिए कानूनी सुविधाएँ और सेवाएँ (जैसे सुधार गृह/ऑब्ज़र्वेशन होम/स्पेशल होम/किशोर गृह), ग. कामकाजी महिलाओं/पुरुषों के लिए रहने की सुविधाएँ और बड़ों के लिए पढ़ाई/ट्रेनिंग की सुविधाएँ (जैसे कामकाजी महिला-पुरुष हॉस्टल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र), घ. कूरियर सेवांए, डिजिटल आधारिक संरचना, डाक एवं दूर-संचार सेवाएं। (जैसे सामान्य डाक घर, प्रधान डाक घर, उपनगर स्तर की डिजिटल आधारिक संरचना सुविधा आदि) ङ. समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों की रिकार्डिंग, प्रसारण एवं संप्रेषण, उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीक का अनुसंधान एवं विकास, मौसम संबंधी डेटा का अनुसंधान, विकास एवं पूर्वानुमान, डिजिटल संसाधनों एवं डेटा प्रबंधन संबंधी

		सुविधाएं आदि। (जैसे-रेडियो एवं टेलिविजन स्टेशन, उपग्रह एवं दूरसंचार केंद्र, ऑब्जर्वेटरी एवं मौसम कार्यालय, मीडिया एवं समाचार एजेंसी, मीडिया प्रशिक्षण केंद्र सहित, डिजिटल आधारिक संरचना सुविधा आदि)। च. संचार प्रयोजनों हेतु टावर की स्थापना (जैसे-ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन।)

* पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर सभी उपयोग ज़ोन में अनुमति दी गई है।

12.6.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 12.13: अन्य पीएसपी सुविधाओं के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1.	शहरी बेघरों के लिए आश्रय	60	200	-	अप्र.
2.	धार्मिक/सामुदायिक सुविधा	40	100	18	
3.	अन्य पीएसपी सुविधा	40	150		

अप्र.: अप्रतिबंधित, सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।

अन्य पीएसपी सुविधाओं के लिए अन्य नियंत्रण:

i. शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) का प्रावधान संबंधित एजेंसियों द्वारा रेलवे टर्मिनलों, बस टर्मिनलों, थोक/रिटेल बाजारों, फ्रेट कॉम्प्लेक्सों, पुलिस स्टेशनों आदि में, जहां भी संभव हो, किया जाना चाहिए।

ii. धार्मिक/सामुदायिक सुविधा में, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं, बैंक विस्तार काउंटर, एटीएम, पुस्तकालय, फिटनेस सेंटर, योग प्रशिक्षण केंद्र और रिटेल दुकान/कैंटीन/रेस्तरां (अधिकतम 400

वर्गमीटर) के लिए अधिकतम 5% एफएआर की अनुमति दी जाएगी। प्रचारकों/श्रद्धालुओं/प्रबंधन कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास के लिए अधिकतम 15% एफएआर की अनुमति होगी।

iii. अन्य पीएसपी सुविधा में, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, पुस्तकालय, फिटनेस सेंटर, योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र और प्रबंधन कर्मचारियों के लिए आवास और छात्रावास/डोरमेट्री जैसी सहायक गतिविधियों के लिए अधिकतम 20% एफएआर की अनुमति दी जाएगी।

12.7पीएसपी - श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सीमेट्री

12.7.1 उपयोग परिसर और परिभाषाएं

तालिका 12.14: श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सीमेट्री - उपयोग परिसर और परिभाषाएं

क्रम सं.	उपयोग परिसर	परिभाषाएं	अनुमत गतिविधियां
1.	**कब्रिस्तान/सीमेट्री/ श्मशान भूमि/विद्युत शवदाह गृह**	ऐसा परिसर जिसमें मृतक को दफना कर/शवदाह कर अंतिम संस्कार करने की सुविधा हो।	अनुष्ठान करने के लिए शेड, मृत्यु के पंजीकरण की सुविधाएं, लकड़ी, फूल और अन्य संबंधित सामग्री के लिए रिटेल दुकान, पेयजल, पार्किंग, वॉच एंड वार्ड
2.	**जानवरों को दफनाने का स्थान**	मृत पक्षियों और जानवरों का अंतिम संस्कार करने की सुविधाओं वाला परिसर।	अनुष्ठान करने के लिए शेड, लकड़ी, फूल और अन्य संबंधित सामग्री के लिए रिटेल दुकान, पेयजल, पार्किंग, वॉच एंड वार्ड

12.7.2 विकास नियंत्रण मानदंड (डीसीएन)

तालिका 12.15: श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सीमेट्री के लिए डीसीएन

क्रम सं.	उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1.	**कब्रिस्तान/सीमेट्री/ श्मशान भूमि/विद्युत शवदाह गृह/ जानवरों को दफनाने का स्थान**	एनए	50	12	अ.प्र.

अप्र: अप्रतिबंधित, सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।

i. पंजीकरण कार्यालयों और लकड़ी, फूलों और अन्य संबंधित सामग्री की रिटेल शॉप के लिए अधिकतम 100 वर्गमीटर एफएआर की अनुमति दी जाएगी।

12.8 पीएसपी-सुविधाओं के लिए सामान्य शर्तें

(i) पार्किंग संबंधी मानदण्ड तालिका 11.7 के अनुसार लागू होंगे।

(ii) सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को आवंटित प्लॉटों के मामले में, अधिकतम एफएआर का 15% तक रिहायशी छात्रावास के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(iii) मास्टर प्लान के प्रावधानों और लागू प्रभारों के अनुसार अनुमेय पीएसपी सुविधाओं के साथ एकल या इसके बहु-उपयोग के लिए छोटे पीएसपी प्लॉटों के समामेलन या बड़े पीएसपी प्लॉटों के उप-विभाजन की अनुमति दी जाती है।

अध्याय 13. अन्य नियंत्रण

13.1 अन्य नियंत्रण

13.1.1 टॉल बिल्डिंग्स (ऊँची इमारतें)

टॉल बिल्डिंग्स यानि 100 से अधिक मंजिलों वाली संरचनाओं का डिजाइन ऐसे लैंडमार्क डेवलपमेन्ट्स विकास के रूप में किया जाएगा, जो दिल्ली के स्काईलाइन की पहचान एवं दृश्यात्मक विशिष्टता को मजबूत बनाएं। इनका डिजाइन आस-पास के नगरीय परिवेश के अनुरूप होगा, सार्वजनिक स्थलों की गुणवत्ता में सुधार करेगा तथा एक विशिष्ट स्काईलाइन के निर्माण में योगदान देगा।

पर्याप्त अवसंरचना वाले क्षेत्रों, विशेषकर मास ट्रांजिट कॉरिडोरों तथा प्रमुख वाणिज्यिक एवं मिश्रित उपयोग केन्द्रों में ऊँची इमारतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इनका विकास सघन नगरीय विकास को बढ़ावा देगा, नगरीय विस्तार को कम करेगा तथा भूमि के सक्षम उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

टॉल बिल्डिंग्स के विकास में कॉम्पेक्ट बिल्डिंग फुटप्रिंट अपनाकर भूतल स्तर पर अधिकतम खुले क्षेत्र का प्रावधान किया जाएगा। इससे पब्लिक प्लाजा, भूदृश्यीकृत क्षेत्र, पैदल मार्ग, सामुदायिक सुविधाएँ तथा हरित अवसंरचना का विकास सुनिश्चित होगा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की गुणवत्ता तथा पैदल आवागमन की सुगमता में सुधार होगा।

दिल्ली की स्काईलाइन का विकास सुनियोजित ढंग से किया जाएगा, साथ ही नगर के ऐतिहासिक स्मारकों, औपचारिक मार्गों, धरोहर क्षेत्रों तथा महत्त्वपूर्ण दृश्य कॉरिडोरों का सम्मान एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। टॉल बिल्डिंग्स नगर के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल होंगी।

13.1.2 सैटबैक (आवासीय प्लॉटेड विकास के अलावा)

आवासीय प्लॉट और योजना में विशेष रूप से उल्लिखित क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी विकासों के लिए, न्यूनतम सेटबैक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

तालिका 13.1: न्यूनतम सैटबैक (आवासीय प्लॉटेड विकास के अलावा)

क्रम सं.	प्लॉट का आकार (वर्गमीटर)	न्यूनतम सैटबैक (मी.)			
		फ्रंट (मी.)	रियर (मी.)	साइड (मी.) (1)	साइड (मी.) (2)
1.	60 तक	0	0	0	0
2.	60 से अधिक और 150 तक	3	1.5 (औसत)	-	-
3.	150 से अधिक और 300 तक	4	2 (औसत)	-	-

क्रम सं.	प्लॉट का आकार (वर्गमीटर)	न्यूनतम सैटबैक (मी.)			
4.	300 से अधिक और 500 तक	4	3	3	-
5.	500 से अधिक और 2,000 तक	6	3	3	3
6.	2,000 से अधिक और 10,000 तक	9	6	6	6
7.	10,000 से अधिक	15	12	12	12

नोट:

i. 300 वर्गमीटर से अधिक और 500 वर्गमीटर तक के औद्योगिक प्लॉटों के मामले में, केवल फ्रंट और रियर सेटबैक लागू होंगे।

ii. यदि उपर्युक्त सैटबैक के साथ अनुमेय कवरेज प्राप्त नहीं किया जाता है, तो तत्काल पूर्ववर्ती श्रेणी के सैटबैक की अनुमति दी जा सकती है।

iii. सेटबैक भवन निर्माण उप-विधि के अनुसार ऊंचाई और वेंटिलेशन की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

iv. यदि किसी लेआउट को न्यूनतम निर्धारित सेटबैक से अधिक के साथ मंजूर किया जाता है, तो भवन योजनाओं की मंजूरी में इसका पालन किया जाएगा।

v. दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति विशेष परिस्थितियों में सैटबैक, ग्राउंड कवरेज और ऊंचाई में छूट दे सकती है।

vi. यूबीबीएल में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सैटबैक में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है।

13.1.3 बेसमेंट

i. सभी उपयोग परिसरों में संबंधित एजेंसियों/सांविधिक निकायों के अनुमोदन के अधीन बेसमेंट की अनुमति दी जाएगी।

ii. यदि बेसमेंट को आकस्मिक स्टोरेज, सेवाओं, उपयोगिताओं और पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे एफएआर में नहीं गिना जाएगा।

iii. यदि बेसमेंट का इस्तेमाल उपयोग परिसर, जहां भी अनुमत हो, के अनुरूप गतिविधि के लिए किया जाता है, तो उसे सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन एफएआर में गिना जाएगा। आवासीय उपयोग परिसर में, अनुमेय मिश्रित-उपयोग गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले बेसमेंट को एफएआर में गिना जाएगा।

iv. बेसमेंट को संबंधित एजेंसियों/सांविधिक निकायों के पूर्व अनुमोदन से केवल पार्किंग और सेवाओं की आवश्यकता के अधिकतम समतुल्य तक ही एफएआर से मुक्त सेटबैक लाइन तक की अनुमति दी जाएगी। सेवाओं में एयर कंडीशनिंग प्लांट और उपकरण, वॉटर स्टोरेज, बॉयलर, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन एचटी और एलटी पैनल रूम, ट्रांसफार्मर कम्पार्टमेंट, कंट्रोल रूम, पंप हाउस, जनरेटर रूम और अन्य

यांत्रिक सेवाएं, विद्युत और अग्निशमन उपकरणों की स्थापना और भवन के रख-रखाव के लिए आवश्यक अन्य सेवाएं शामिल हैं।

v. बिल्डिंग लाइन से परे बेसमेंट को जमीन के साथ समतल रखा जाएगा और वेंटिलेशन के यांत्रिक साधनों द्वारा इसे हवादार बनाया जाएगा।

vi. बेसमेंट को जहां भी आवश्यक हो फायर टेंडर का पूरा भार वहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, और यह पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन होगा।

vii. ईएसएस, अग्निशमन स्थापनाओं और भूमिगत पानी की टंकी को न तो ग्राउंड कवरेज में और न ही एफएआर में गिना जाएगा।

13.2 डेटा सेंटर के लिए मानदंड

डेटा सेंटर को निम्नलिखित मानदंडों के साथ औद्योगिक, व्यावसायिक और पीएसपी उपयोग ज़ोन में अनुमति दी जाएगी:

i. न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 18 मीटर आरओडब्ल्यू की सड़क से सटा होगा। अधिकतम अनुमेय एफएआर 400 और अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज 70% होगा, जिसमें ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और जो सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन होगा।

ii. कार्यालय उद्देश्य के अंतर्गत पार्किंग 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर एफएआर एरियाफल की दर से प्रदान की जाएगी।

iii. मौजूदा पीएसपी/औद्योगिक प्लॉट को डेटा सेंटर में बदलने के लिए, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे। सरकार द्वारा तय किए गए लागू शुल्क और प्रभार देय होंगे।

iv. कन्वर्जन के मामले में, प्रभार कन्वर्जन और आवंटित एफएआर तथा अनुमेय एफएआर के बीच अंतर के लिए देय होगा।

13.3 ट्रांस्फरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर)

(i) ट्रांस्फरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) का अर्थ है एक प्लॉट/भूमि पर अप्रयुक्त एफएआर की सीमा को निर्दिष्ट करने वाला एक अवार्ड, जिसे मुख्य योजना के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट वैकल्पिक साइट पर बेचा या उपयोग किया जा सकता है। प्लॉट जहां से टीडीआर ओरिजिनेट होता है, वह 'जनरेटिंग साइट' होगी और जहां इसका उपयोग किया जाता है, वह 'रिसीविंग साइट' होगी।

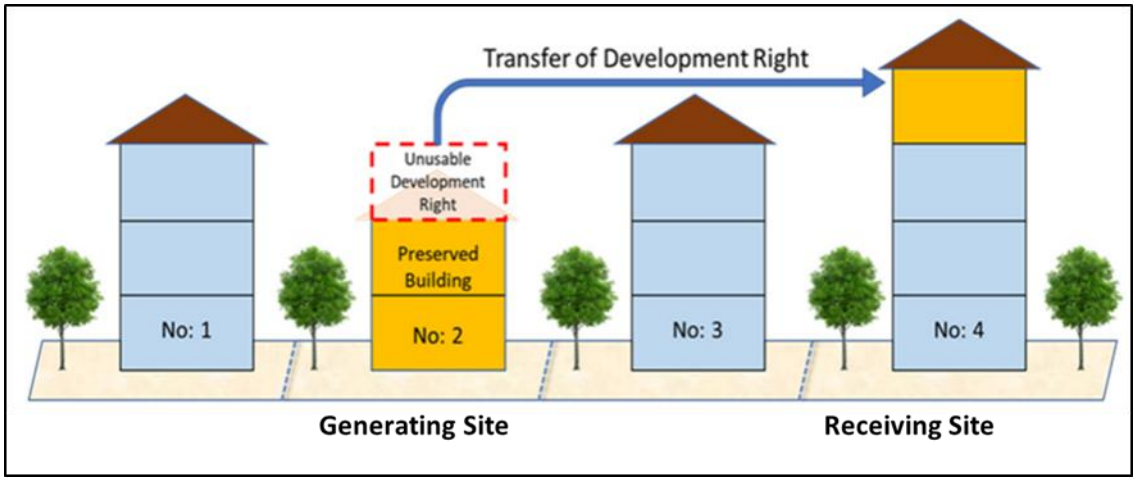

चित्र 10: टीडीआर मैकेनिज्म

(केवल उदाहरण के लिए)

(ii) टीडीआर केवल तभी दिया जाएगा जहां निम्नलिखित मामलों में भूमि/विकास अधिकार का लाभ नहीं उठाया जा सकता:

क. विरासत भवनों का संरक्षण/परिरक्षण

ख. वाल्ड सिटी में भवनों का पुनर्सृजन

ग. इन-सीटू स्लम पुनर्वास स्कीमें/परियोजनाएं

(iii) टीडीआर की सीमा संबंधित अध्यायों और टीडीआर विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। टीडीआर, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित और तय किये गए किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भी प्रदान किया जा सकता है।

(iv) टीडीआर ट्रेडिंग की सुविधा के लिए डीडीए द्वारा एक विशिष्ट सिंगल विंडो पोर्टल विकसित और प्रबंधित किया जाएगा।

(v) टीडीआर एक सक्षम प्रावधान है और किसी भी आवेदक को अधिकार के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। अपेक्षित शुल्क के भुगतान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी टीडीआर प्रमाण-पत्र के रूप में टीडीआर प्रदान किया जाएगा। टीडीआर प्रमाण-पत्र केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर विकास अधिकार प्रदान करेगा और यह हस्तांतरणीय होगा।

(vi) टीडीआर का उपयोग शहर में केवल ऐसे टीडीआर रिसीविंग क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिन्हें डीडीए द्वारा समय-समय पर चिन्हित किया जाता है।

(vii) प्लान की अधिसूचना के बाद टीडीआर के लिए विनियम तैयार किए जाएंगे।

13.4 मिश्रित उपयोग विनियमन

यह नीति उन उद्देश्यों, जिनके लिए उनकी मूल रूप से परिकल्पना की गई थी, के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए आवासीय भूमि और संपत्तियों के उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता को स्वीकार करती है और उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनके तहत विभिन्न स्थितियों में इसकी अनुमति दी जा

सकती है। इसमें नीति के कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ इन क्षेत्रों में इस तरह के अन-अपेक्षित उपयोग के प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले निवारक उपायों को भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, निवासियों द्वारा स्वयं आवश्यक या वांछनीय समझी जाने वाली गैर-आवासीय गतिविधि की सीमा, निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उस क्षेत्र में विकास के पूर्व स्वरूप के आधार पर अलग-अलग क्षेत्र में भिन्न होती है। जबकि कुछ कॉलोनियों को अपनी आजीविका के अभिन्न अंग के रूप में गैर-आवासीय गतिविधि की आवश्यकता हो सकती है, वहीं कुछ अन्य अपनी कॉलोनियों और आस-पड़ोस के आवासीय स्वरूप को बनाए रखना चाह सकती हैं।

पहले की मुख्य योजनाओं में, मिश्रित उपयोग नीति के अनुप्रयोग में एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाया गया था, जो संबंधित नगर निकाय द्वारा अपनाई गई कॉलोनियों के ए से एच तक के वर्गीकरण पर आधारित है। इन कॉलोनियों के वर्गीकरण में कोई भी परिवर्तन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अध्याय के प्रयोजन के लिए लागू नहीं किया जाएगा।

13.4.1 मिश्रित उपयोग के लिए शासी सिद्धांत

i. इस धारा के तहत मिश्रित उपयोग का अर्थ है आवासीय परिसर में गैर-आवासीय गतिविधि का प्रावधान।

ii. मिश्रित उपयोग से आवासीय क्षेत्रों के निकट व्यावसायिक गतिविधियों तक पहुंच आसान हो जाती है और शहर के सभी ज़ोन में आवागमन की आवश्यकता कम होती है। हालांकि, साथ ही, भीड़भाड़, बढ़े हुए यातायात और नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते दबाव से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने और कम करने के लिए इसे विनियमित करने की आवश्यकता है।

iii. मिश्रित उपयोग की अनुमति देने हेतु सर्वोपरि सिद्धांत, समुदाय की जरूरतों को पूरा करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन और पार्किंग प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की आवश्यकता है।

13.4.2 प्रयोज्यता

(i) लुटियंस बंग्लो ज़ोन, सिविल लाइन्स बंग्लो ज़ोन, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के संस्थागत/स्टाफ आवास और सूचीबद्ध विरासत भवनों/परिसरों में इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

(ii) जीएनसीटीडी द्वारा पूर्व में अधिसूचित मिश्रित उपयोग एवं कमर्शियल स्ट्रीट पर पहले से अनुमत गतिविधियां जारी रहेगी। योजना अवधि के दौरान किसी भी नई मिश्रित उपयोग और कमर्शियल स्ट्रीट को अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

(iii) तथापि, **30 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू. अथवा उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों** से लगे आवासीय भूखंडों में (सभी श्रेणी की कॉलोनियों में), जिन्हें न तो मिश्रित उपयोग के रूप में अधिसूचित किया गया है और न ही वाणिज्यिक मार्गों के रूप में अधिसूचित किया गया है, भूखंड स्वामी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन भूतल अथवा स्टिल्ट के मामले में प्रथम निम्न तल पर वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होगी। ऐसे आवासीय भूखंडों पर सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी, सिवाय उन गतिविधियों के जिनमें किसी भी प्रकार के दुर्गंधयुक्त,

खतरनाक, ज्वलनशील, असंगत अथवा प्रदूषणकारी पदार्थों या प्रक्रियाओं का उपयोग/संचालन शामिल हो। **ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियां केवल भूतल अथवा प्रथम निचले तल (स्टिल्ट के मामले में) पर ही अनुमन्य होंगी।**

13.4.3 मिश्रित उपयोग के प्रकार

इस खंड में निर्धारित शर्तों के अनुसार रिहायशी आवासीय इकाइयों और प्लॉटों के अंदर निम्नलिखित प्रकार की गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी:

i. पेशेवर गतिविधियाँ
ii. व्यावसायिक गतिविधियाँ
iii. अन्य गतिविधियां

उपर्युक्त प्रकार की गतिविधियां आगामी पैराग्राफ में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन होंगी और नीति के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले विकास क्षेत्रों में लागू नहीं होंगी।

13.4.4 मिश्रित उपयोग को नियंत्रित करने वाली सामान्य शर्तें

(i) प्लॉटेड आवास:

क. जहां एक आवासीय प्लॉट में केवल एक आवासीय इकाई है, उस इकाई में केवल एक प्रकार के मिश्रित उपयोग (अर्थात रिटेल दुकान या पेशेवर गतिविधि या अन्य गतिविधियों में से एक) की अनुमति होगी।

ख. जहां एक आवासीय प्लॉट में एक से अधिक आवासीय इकाइयां हैं, उनमें से प्रत्येक आवासीय इकाई को केवल एक मिश्रित उपयोग गतिविधि (या तो रिटेल दुकान या पेशेवर गतिविधि या अन्य गतिविधियों में से कोई एक) करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) समूह आवास: पैरा 13.4.8 में उल्लिखित के अनुसार केवल 01 (एक) पेशेवर गतिविधि और एक छोटी दुकान की अनुमति होगी। समूह आवास की लेआउट योजना में विशेष रूप से प्रदान की गई रिटेल दुकानों की अनुमति होगी। तथापि, मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग क्षेत्र/खंडों/सड़कों पर डीडीए फ्लैटों के पूरे भूतल को मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। ऐसे फ्लैटों में, अधिकतम 20 वर्गमीटर आकार की केवल एक छोटी दुकान की अनुमति है और शेष क्षेत्र का उपयोग पेशेवर गतिविधि के लिए किया जा सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों के उद्देश्य हेतु डीडीए के दो या दो से अधिक फ्लैटों के समामेलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.4.5 पेशेवर गतिविधियाँ

i. पेशेवर गतिविधियों का अर्थ आवासीय परिसरों से संचालित होने वाली किसी भी रजिस्टर्ड कंसलिंटग प्रैक्टिसेज से होगा, जैसे कि डॉक्टर, वकील, वास्तुकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत और कार्य लेखाकार, इंजीनियर, नगर नियोजक, मीडिया पेशेवर, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, प्रबंधन पेशेवर*, आहार विशेषज्ञ/पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी और किसी भी पेशेवर काउंसिल/निकाय के साथ मान्यता प्राप्त कोई अन्य पेशेवर।

ii. इन्हें निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार सभी आवासीय उपयोग परिसरों (प्लॉट विकास और समूह आवास) में अनुमति दी जाएगी:

क. समूह आवास और बहु आवासीय इकाइयों वाले प्लॉटेड विकास में, किसी भी तल पर पेशेवर गतिविधि की अनुमति दी जाएगी, जो अनुमत अथवा संस्वीकृत एफएआर, जो भी प्रत्येक आवासीय इकाई का कम हो, के अधिकतम 50% के अधीन होगी ।

ख. यदि प्लॉटेड विकास में एकल आवासीय इकाई हो, तो पेशेवर गतिविधि केवल किसी एक मंजिल पर ही अनुमत होगी, लेकिन उस प्लॉट पर अधिकतम अनुमत या स्वीकृत एफएआर में से जो भी कम हो, उसके 50% से कम तक ही सीमित होगी।

ग. प्लॉटेड विकास में बेसमेंट में व्यावसायिक/पेशेवर गतिविधियों की अनुमति भवन उपविधियों के संबंधित प्रावधानों, संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों तथा अन्य वैधानिक स्वीकृतियों के अधीन होगी। अगर बेसमेंट का प्रोफेशनल इस्तेमाल करने से प्लॉट पर अनुमत एफएआर से ज्यादा हो जाता है, तो इस अतिरिक्त एफएआर का उपयोग सरकार की मंजूरी से निर्धारित उचित चार्जेज का भुगतान करने पर किया जा सकता है।

नोट: *प्रबंधन पेशेवर एआईसीटीई/ यूजीसी/ केंद्रीय मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से एमबीए की डिग्री / डिप्लोमा और दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन की सदस्यता होनी चाहिए।

13.4.6 व्यावसायिक गतिविधियां

निर्धारित शर्तों के अनुसार, पिछले मास्टर प्लान के दौरान स्थानीय निकाय/जीएनसीटीडी द्वारा पहले से अधिसूचित मिश्रित उपयोग वाली स्ट्रीटों और व्यावसायिक स्ट्रीटों पर ही व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

i. **मिश्रित उपयोग स्ट्रीट:**

क. अधिसूचित मिश्रित उपयोग स्ट्रीट से सटे प्लॉट पर, ग्राउंड फ़्लोर को केवल ज़्यादा से ज़्यादा अनुमत ग्राउंड कवरेज की सीमा तक इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।

ख. मिश्रित उपयोग, निम्नलिखित न्यूनतम आरओडब्ल्यू शर्तों के साथ जीएनसीटीडी द्वारा पहले से अधिसूचित मिश्रित उपयोग स्ट्रीटों (2183 संख्या में) पर अनुमत होगा:

तालिका 13.2: मिश्रित उपयोग वाली स्ट्रीटों के लिए आरओडब्ल्यू की शर्तें

क्रम सं.	कॉलोनी का प्रकार	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)
1.	ए, बी कॉलोनियां	18
2.	सी, डी कॉलोनियां	क. नियमित आवासीय प्लॉटेड विकास में 18 मीटर ख. अनुलग्नक 16 के अनुसार पुनर्वास कॉलोनियों में 9 मीटर ग. नियमित अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी के बाहर के क्षेत्र और शहरी गांवों में कोई भी सड़क

क्रम सं.	कॉलोनी का प्रकार	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)
3.	ई, एफ, जी, एच कॉलोनियां	क. नियमित प्लॉटेड विकास में 13.5 मीटर ख. अनुलग्नक 16 के अनुसार पुनर्वास कॉलोनियों में 9 मीटर ग. वाल्ड सिटी नियमित अनधिकृत कॉलोनियां, पुनर्वास कॉलोनियां, वाल्ड सिटी के बाहर के क्षेत्र और शहरी गांवों में कोई भी सड़क

ii. **कमर्शियल स्ट्रीट**: जीएनसीटीडी द्वारा पूर्व में अधिसूचित कमर्शियल स्ट्रीट (355 संख्या में) पर निम्नलिखित न्यूनतम आरओडब्ल्यू शर्तों के साथ व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाएगी:

तालिका 13.3: व्यावसायिक उपयोग स्ट्रीटों के लिए आरओडब्ल्यू की शर्तें

क्रम सं.	कॉलोनी का प्रकार	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)
1.	ए, बी कॉलोनियां	इन कॉलोनियों के भीतर किसी भी कमर्शियल स्ट्रीट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2.	सी, डी, ई, एफ, जी, एच कॉलोनियां	क. नियमित आवासीय प्लॉटेड विकास में 24 मीटर, ख. अनुलग्नक 16 के अनुसार पुनर्वास कॉलोनियों, नियमित अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, वाल्ड सिटी के बाहर का क्षेत्र, वाल्ड सिटी और शहरी गांवों में कोई भी सड़क

क. अधिसूचित कमर्शियल स्ट्रीट से सटे प्लॉट पर व्यावसायिक उपयोग के अनुमोदित एफएआर का 100% उपयोग करने की अनुमति होगी।

(iii) अन्य स्ट्रीट/सड़कें: **30 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू. अथवा उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों/मार्ग** से लगे आवासीय भूखंडों में (सभी श्रेणी की कॉलोनियों में), जिन्हें न तो मिश्रित उपयोग के रूप में अधिसूचित किया गया है और न ही वाणिज्यिक मार्गों के रूप में अधिसूचित किया गया है, निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन भूतल अथवा स्टिल्ट के मामले में प्रथम निम्न तल पर वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होगी। ऐसे आवासीय भूखंडों पर सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी, सिवाय उन गतिविधियों के जिनमें किसी भी प्रकार के दुर्गंधयुक्त, खतरनाक, ज्वलनशील (जिनके लिए PESO से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक हो), असंगत अथवा प्रदूषणकारी पदार्थों या प्रक्रियाओं का उपयोग/संचालन शामिल हो। **ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियां केवल भूतल अथवा प्रथम निचले तल (स्टिल्ट के मामले में) पर ही अनुमन्य होंगी।** अनुमेय कमर्शियल गतिविधियाँ, तालिका 13.4 में उल्लिखित गतिविधियों से अप्रभावित होंगी।

(iv) मिश्रित उपयोग और कमर्शियल स्ट्रीट पर विभिन्न गतिविधियों की अनुमेयता नीचे दी गई तालिका 13.4 के अनुसार होगी:

तालिका 13.4: अधिसूचित स्ट्रीटों पर अनुमेय गतिविधियां

क्रम सं.		मिश्रित उपयोग स्ट्रीट	कमर्शियल स्ट्रीट
1.	अनुमेय गतिविधियाँ	क. रिटेल शॉप, मरम्मत की दुकानें, पर्सोनल सर्विसिज शॉप्स, कार्यालय, कैफे, एटीएम और रिटेल बैंकिंग। ख. संबंधित धारा के तहत दी गई अनुमति के अनुसार पेशेवर गतिविधियां और अन्य गतिविधियां।	क. एलएससी में अनुमत गतिविधियां ख. रिटेल शॉप, मरम्मत की दुकानें, पर्सोनल सर्विसिज शॉप्स, कार्यालय, रेस्तरां, कैफे, बैंक और एटीएम। ग. अनुमेयता के अनुसार पेशेवर गतिविधियां, अन्य गतिविधियां और व्यावसायिक गतिविधियां।
2.	शर्तों के साथ अनुमेय गतिविधियाँ	क. 18 मीटर और उससे अधिक आरओडब्ल्यू पर तैयार निर्माण सामग्री की रिटेल शॉप को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब कोई कटिंग, पॉलिशिंग या कोई अन्य प्रसंस्करण गतिविधि नहीं की गई हो। ख. 30 मीटर या उससे अधिक आरओडब्ल्यू पर ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानों और वर्कशॉप की अनुमति है ग. कबाड़ की दुकानें, जो केवल कांच और कागज के कचरे का निपटान करती हैं।	क. 18 मीटर और उससे अधिक आरओडब्ल्यू पर तैयार निर्माण सामग्री की रिटेल शॉप को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब कोई कटिंग, पॉलिशिंग या कोई अन्य प्रसंस्करण गतिविधि नहीं की गई हो। ख. ईंट, बजरी, रेत और सीमेंट की रिटेल दुकानों को अधिकतम 50% ग्राउंड कवरेज के साथ न्यूनतम 100 वर्गमीटर के प्लॉटों पर केवल ई, एफ, जी और एच प्रकार की कॉलोनी में अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण सामग्री प्लॉट के भीतर रखी गई है। ग. 24 मीटर और उससे अधिक आरओडब्ल्यू पर बैंक्वेट हॉल

क्रम सं.		मिश्रित उपयोग स्ट्रीट	कमर्शियल स्ट्रीट
			की अनुमति है। घ. 30 मीटर और उससे अधिक आरओडब्ल्यू पर ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानों और वर्कशॉप की अनुमति है। ड. जीएनसीटीडी की मौजूद नीति के अनुसार इंडपेंडेंट फूड आउटलेट जैसे क्लाउड किचन आदि।
	जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं है	क. किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, खतरनाक, ज्वलनशील, गैर-संगत और प्रदूषणकारी पदार्थों या प्रक्रियाओं से जुड़ी गतिविधियाँ ख. ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें/ वर्कशॉप, टायर रिसोलिंग/री-ट्रेडिंग, और बैटरी चार्जिंग ग. स्टोरेज, गोदाम, वेयरहाउसिंग घ. कबाड़ की दुकान (कागज और कांच के कचरे को छोड़कर) ड. शराब की दुकान च. प्रिंटिंग, रंगाई, वार्निशिंग छ. कच्ची (अनफिनिश्ड) निर्माण सामग्री की दुकानें* ज. रेस्तरां** झ. सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई कोई अन्य गतिविधि	क. किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, खतरनाक, ज्वलनशील, गैर-संगत और प्रदूषणकारी पदार्थों या प्रक्रियाओं से जुड़ी गतिविधियां। ख. सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई कोई अन्य गतिविधि

*एमपीडी-2021 मानदंडों के अनुसार अनुमोदित ई, एफ, जी, एच कॉलोनियों में सीमेंट, बजरी और रेत की किसी भी मौजूदा दुकान को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी दुकानों को ईंट बेचने की भी अनुमति होगी।

** केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24.10.2019 को जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 3844 (ई), की तिथि या उससे पहले मौजूद केवल उन रेस्तरां को वैध लाइसेंस और सभी सांविधिक अनुमोदनों के साथ केवल भूतल पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

v. **पैडेस्ट्रियन स्ट्रीट:** किसी भी अधिसूचित मिश्रित उपयोग / कमर्शियल स्ट्रीट को स्थानीय निकाय द्वारा पैडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट (पीएसएस) के रूप में घोषित किया जा सकता है। 6 मीटर या उससे कम आरओडब्ल्यू की अधिसूचित स्ट्रीट्स को अनिवार्य रूप से पीएसएस के रूप में घोषित किया जाएगा और पार्किंग का प्रावधान स्वामी द्वारा इस अध्याय में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्लॉट के भीतर या सामान्य पार्किंग स्थल में किया जाएगा।

13.4.7 अन्य गतिविधियां

तालिका 13.6 के अनुसार अन्य गतिविधियां सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक गतिविधियां जिन्हें आवासीय प्लॉटों में अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि आरओडब्ल्यू, प्लॉट का आकार और नीचे तालिका 13.5 और तालिका 13.6 में दी गई अन्य शर्तें पूरी हों। ऐसी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, चाहे स्ट्रीट्स को मिश्रित उपयोग वाली स्ट्रीट या कमर्शियल स्ट्रीट के रूप में अधिसूचित किया जाए या नहीं।

तालिका 13.5: अन्य गतिविधियों की अनुमति के लिए आरओडब्ल्यू की शर्तें और प्लॉट का आकार

क्रम सं.	कॉलोनी का प्रकार	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)*	न्यूनतम प्लॉट आकार (वर्गमीटर)
1.	ए, बी कॉलोनियां	24 मी.	200
2.	सी, डी कॉलोनियां	क. नियमित आवासीय प्लॉटेड विकास में 24 मीटर	200
		ख. अनुलग्नक 16 के अनुसार पुनर्वास कॉलोनियों में 13.5 मीटर	75
		ग. नियमित अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी के बाहर के क्षेत्र और शहरी गांवों में 9 मीटर	75
3.	ई, एफ, जी, एच कॉलोनियां	क. नियमित प्लॉटेड विकास में 13.5 मीटर,	200
		ख. अनुलग्नक 16 के अनुसार पुनर्वास कॉलोनियों में 9 मीटर ग. वाल्ड सिटी, नियमित अनधिकृत	75

क्रम सं.	कॉलोनी का प्रकार	न्यूनतम आरओडब्ल्यू (मी.)*	न्यूनतम प्लॉट आकार (वर्गमीटर)
		कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, वाल्ड सिटी के बाहर का क्षेत्र और शहरी गांवों में 6 मीटर	
4.	कोई भी क्षेत्र, जो ऊपर कॉलोनी के प्रकारों में शामिल नहीं है	24 मी.	200

*6 मीटर आरओडब्ल्यू और उससे कम की पैडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट्स को अन्य गतिविधियां करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे ऊपर निर्धारित प्लॉट आकार की शर्तों को पूरा करते हों

तालिका 13.6: विभिन्न गतिविधियों की अनुमति के लिए विशिष्ट शर्तें

क्रम सं.	गतिविधि	शर्तें
1.	स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सा सुविधाओं सहित) जैसे डिस्पेंसरी, क्लीनिक, क्लीनिकल लैबोरेट्री, पैथोलॉजी लैबोरेट्री, सैंपल क्लेक्शन सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर	क. भवन के भीतर रेडिएशन के रिसाव को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ ही रेडिएशन आधारित गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ख. वाल्ड सिटी (ए-डब्ल्यूसी), वाल्ड सिटी (ए-ओडब्ल्यूसी) के अलावा अन्य क्षेत्र, नियमित अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों और शहरी गांवों में ऐसी गतिविधियों के लिए न्यूनतम आरओडब्ल्यू और प्लॉट आकार की आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी।
2.	स्वास्थ्य सुविधा जैसे मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, वृद्धावस्था केंद्र	क. रेडिएशन बेस्ड गतिविधियों को भवन के भीतर रेडिएशन के रिसाव को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ ही अनुमति दी गई है।
3.	व्यायामशाला, योग/ध्यान केंद्र, इनडोर खेल सुविधाएं, डे-स्पा, वजन घटाने वाले केंद्र, आयुर्वेदिक इलाज प्रदान करने वाले आयुर्वेदिक केंद्र, फिटनेस और सौंदर्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सैलून सहित कल्याण और	केवल भूतल और बेसमेंट में ही अनुमति है

क्रम सं.	गतिविधि	शर्तें
	फिटनेस केंद्र,	
4.	पुस्तकालय और वाचनालय	
5.	प्रारंभिक शिक्षा केंद्र जैसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी, मोंटेसरी स्कूल, प्ले स्कूल और क्रेच	क. केवल भूतल और बेसमेंट में ही अनुमति है ख. बेसमेंट में किसी भी कक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेसमेंट का उपयोग केवल खेल क्षेत्रों, रीडिंग रूम, कंप्यूटर निर्देश या छोटी अवधि की अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
6.	उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों के अलावा होम बेस्ड ट्यूशन सेंटर (जिसमें बारहवीं कक्षा तक के स्कूली छात्र हों)।	किसी भी तल पर अनुमति है ।
7.	ललित कलाओं, प्रदर्शन कलाओं आदि के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण केन्द्र।	
8.	वे कोचिंग सेंटर, जो संरचित पाठ्यक्रमों के अलावा सीधे डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करते हैं या नियमित स्कूल जैसी कक्षाएं आयोजित करते हैं।	सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार।
9.	एआईसीटीई/एनसीटीई द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई/पॉलिटेक्निक/ पेशेवर प्रशिक्षण संस्थान/ प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान)	
10.	कमरों की संख्या चाहे कितनी भी हो, भोजन(डाइनिंग) की सुविधा वाला गेस्ट हाउस (लॉजिंग हाउस सहित)	
11.	छात्रावास और पेइंग गेस्ट आवास	

नोट:

i. ए और बी कॉलोनियों में बैंक, एनजीओ, कोचिंग/ट्यूशन सेंटर, वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास/पेइंग गेस्ट आवास की अनुमति नहीं होगी।

ii. उपरोक्त गतिविधियां सांविधिक प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन होंगी।

13.4.8 छोटी दुकानें

i. केवल आवासीय प्लॉट में भूतल पर अधिकतम 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली छोटी दुकानें, जो प्लॉट में आवासीय इकाइयों की अधिकतम अनुमेय संख्या या संख्या चार, जो भी कम हो, तक सीमित हैं उनमें निम्नलिखित 24 मदों/ गतिविधियों को व्यापार करने की अनुमति है। ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों के मामले में, भूतल पर 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल की केवल एक छोटी दुकान की अनुमति होगी।

ii. अनुमत दुकानों/गतिविधियों के प्रकार:

क. सब्जियां/फल/फूल

ख. बेकरी आइटम/कन्फेक्शनरी आइटम;

ग. किराना/जनरल स्टोर;

घ. डेयरी उत्पाद;

ङ. स्टेशनरी/किताबें/उपहार/पुस्तक बाइंडिंग;

च. फोटोस्टेट/फैक्स/एसटीडी/पीसीओ;

छ. साइबर कैफे/कॉल फोन बूथ;

ज. एलपीजी सिलेंडरों के बिना एलपीजी बुकिंग कार्यालय/शोरूम;

झ. आटा चक्की;

ञ. मांस/मुर्गी पालन और मछली की दुकान (काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी);

ट. पान की दुकान;

ठ. नाई की दुकान/हेयर ड्रेसिंग सैलून/ब्यूटी पार्लर;

ड. कपड़े धोने/ड्राई क्लीनिंग/इस्त्री करना;

ढ. बैठने की व्यवस्था के बिना मिठाई की दुकान/चाय की दुकान;

ण. केमिस्ट की दुकान/क्लिनिक/डिस्पेंसरी/पैथोलॉजी लैब;

त. ऑप्टिकल की दुकान;

थ. सिलाई की दुकान;

द. इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की दुकान; तथा

ध. फोटो स्टूडियो;

न. केबल टीवी/डीटीएच ऑपरेशन;

प. होजरी/रेडीमेड गारमेंट्स/कपड़े की दुकान;

फ. एटीएम

ब. साइकिल मरम्मत की दुकान

भ. पीडीएस के तहत राशन की दुकान और मिट्टी के तेल की दुकान।

कोई अन्य वस्तु/गतिविधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

13.4.9 मिश्रित उपयोग के लिए निबंधन एवं शर्तें

(i) अनुमोदन और लागू प्रभार इस प्रकार होंगे:

क. गैर-आवासीय गतिविधियों वाली सभी आवासीय इकाइयों को संबंधित स्थानीय निकाय के साथ पंजीकृत किया जाएगा;

ख. भूमि/संपत्ति के स्वामियों को संबंधित स्थानीय निकाय से भवन/लेआउट प्लानों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचलित एमपीडी और यूबीबीएल के अनुसार सभी मानदंडों और मानकों को पूरा किया जाए और आवश्यक शुल्क और प्रभारों का भुगतान किया जाए।

ग. वैध लाइसेंस प्राप्त करना और उस अवधि जिसके दौरान संपत्ति का उपयोग गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए किया जाता है, के लिए सभी लागू प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

घ. संबंधित स्थानीय निकाय संपत्तियों की नियमित निगरानी और जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वह उसके साथ पंजीकृत हो या नहीं। संगत अधिनियमों के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अलावा, वैध पंजीकरण के बिना या इस प्लान की शर्तों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियां समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित जुर्माने का भुगतान स्थानीय निकाय को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ङ. मिश्रित उपयोग के लिए अनुमति या पंजीकरण को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी शर्त, जिसके तहत इस तरह के मिश्रित उपयोग अनुमेय/अनुमत है, के उल्लंघन के मामले में रद्द या निलंबित किया जा सकता है।

ii. सभी प्रकार की गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

क. विशेष आवासीय उपयोग के लिए लागू एफएआर और ग्राउंड कवरेज मानदंड लागू रहेंगे।

ख. सड़कों या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. पेशेवर, कमर्शियल और अन्य गतिविधियों सहित मिश्रित गतिविधियों को एक ही प्लॉट के भीतर अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि सभी निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो और प्रति आवासीय इकाई में केवल एक प्रकार की गतिविधि की गई हो।

घ. प्रासंगिक प्रावधानों, सांविधिक मंजूरी, आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियों के अधीन बेसमेंट के भीतर गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

ङ. मुख्य पहुंच मार्ग के साथ प्लॉटों पर बाउंड्री वॉल और स्टिल्ट वैकल्पिक होंगे। स्टिल्ट पार्किंग के बिना प्लॉटों में, प्लॉट के भीतर या प्लॉट के आस-पास के क्षेत्र में पार्किंग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही एक्टिव फ्रंटेज की अनुमति दी जा सकती है।

च. स्थानीय निकाय, यातायात पुलिस और आरडब्ल्यूए/एसोसिएशनों के परामर्श से, यातायात का आकलन करेंगे और आस-पास के आवासीय क्षेत्रों में यातायात के फैलाव के बिना पर्याप्त पार्किंग प्रावधान (स्टिल्ट/स्टैक पार्किंग सहित) और उचित प्रवेश और निकास व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

छ. उपयोग की आवश्यकता के अनुसार संबंधित एजेंसियों द्वारा जल आपूर्ति, सीवरेज, बिजली और यातायात प्रबंधन सहित पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

ज. पर्यावरण सुरक्षा उपायों और उपद्रव नियंत्रण उपायों को लागू किया जाएगा। खतरनाक, ज्वलनशील, प्रदूषणकारी, या गैर-संगत पदार्थों या प्रक्रियाओं से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झ. आवासीय मिश्रित उपयोग वाले परिसरों में शराब की दुकानों, बार, डिस्को, पब और क्लबों जैसी निषिद्ध गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. पार्किंग आवश्यकताओं को निम्नानुसार पूरा किया जाएगा:

क. 2.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर क्षेत्र का उपयोग गैर-आवासीय गतिविधि (पेशेवर गतिविधियों सहित) के लिए किया जा रहा है। ऐसे प्लॉट पार्किंग मानदंडों में किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

ख. पार्किंग आवश्यकताओं को प्लॉट के भीतर ही निवासियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

ग. प्लॉट के भीतर पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता के मामले में, इसे स्थानीय निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाने वाली पार्किंग प्रबंधन योजना के भाग के रूप में सामूहिक रूप से एक सामान्य पार्किंग सुविधा के रूप में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्वामी/उपयोगकर्ता द्वारा विनियोजित प्रभार/प्रभाव शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

iv. मार्किट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एमटीए), संबंधित स्थानीय निकायों और आरडब्ल्यूए के परामर्श से, सभी मौजूदा अधिसूचित मिश्रित उपयोग और कमर्शियल स्ट्रीट (पीएसएस सहित) के लिए सुधार योजनाएं तैयार करेंगे।

क. इंप्रूवमेंट प्लान में भीड़भाड़ कम करने (यातायात प्रबंधन, पार्किंग प्रबंधन), अग्नि सुरक्षा और नागरिक जन-सुविधाओं के साथ-साथ वित्तपोषण और निष्पादन पहलुओं के लिए कार्यनीतियों को शामिल किया जाएगा।

ख. इंप्रूवमेंट प्लानों को संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ग. ऐसे प्लानों को मुख्य योजना की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के भीतर तैयार और पांच वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाएगा। सुधार योजना का कार्यान्वयन पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार संबंधित एमटीए और स्थानीय निकाय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

घ. जो स्ट्रीट निर्धारित अवधि के भीतर इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहती हैं, उन्हें अन-अधिसूचित माना जाएगा।

नोट: इस दस्तावेज के साथ संलग्न विस्तृत सेवा योजनाएँ संबंधित विभागों/संगठनों/स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। साथ ही, समय-समय पर इनकी समीक्षा और अद्यतन किया जाएगा।

[फा. सं. के-12011/5/2021-डी.डी.I]

श्रीमती डी. तारा, सचिव

संक्षिप्ताक्षर

ए

एएआई- भारतीय विमानपत्तटन प्राधिकरण
एआईसीटीई – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एम्स - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआरएचसी – अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स
एएसआई - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
एटीए - एक्टिव ट्रेवल एरिया
एटीएम - ऑटोमेटिड टेलर मशीन

बी

बीआरटीएस- बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

सी

सीबीओ - समुदाय आधारित संगठन
सीसी - कम्युनिटी सेंटर
सीसीटीवी – क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
सी एंड डी वेस्ट - निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट
सीईटीपी – कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
सीजीएचएस – को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
सीएमपी - कॉम्परिहेंसिव मोबिलिटी प्लान
सीएनजी - संपीड़ित प्राकृतिक गैस
सीएनसीआर - केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
सीपी - कनॉट प्लेस
सीपीसीबी - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीआरएमपी - सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना
सीएससी – कंविनियन्स शॉपिंग सेंटर

डी

डीसी - डिस्ट्रिक्ट सेंटर
डीसीएन- विकास नियंत्रण मानदंड
डीडीए - दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीडीएमए- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीई – डेवलपर एंटिटी
डीईआरसी - दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
डीएफसी - डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डीएफएस- दिल्ली अग्निशमन सेवा
डिस्कॉम - वितरण कंपनी
डीजेबी - दिल्ली जल बोर्ड
डीएमसी - आपदा प्रबंधन केंद्र
डीएमआईसी - दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर
डीएमयू - आपदा प्रबंधन इकाइयां
डीपीसीसी - दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
डीएसआईआईडीसी – दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम

डीयू - आवासीय इकाई

इ

ईसीएस - एक्विवैलेन्ट कार स्पेस
ईडीसी - एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज
ईएसएस- इलेक्ट्रिक सब स्टेशन
ईवी - इलेक्ट्रिक व्हीकल
ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ईवीसीएस- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

एफ

एफएआर – फ्लोर एरिया रेशियो

जी

जीडीपी - सकल घरेलू उत्पाद
जीआईएस - भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएनसीटीडी – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जीपीसीडी - गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन
जीपीआरए - सामान्य पूल रिहाइशी आवास
जीएसडीपी - सकल राज्य घरेलू उत्पाद

एच

एचसीसी - विरासत संरक्षण समिति
एचडीसी – हाई डेंसिटी कॉरिडोर
एचडीआई - मानव विकास सूचकांक
एचएसआर- हाई-स्पीड रेल
एचटी - हाई टेंशन

आई

आईसीडी - अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईईसी - अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र
आई एंड एफसी - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
आईएफसी - इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स
आईपीटी - इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट
आईएसबीटी- अंतर्राज्यीय बस अड्डा
आईटीईएस - सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं
आईटीएस - इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम

एल

एलबीजेड - लुटियंस बंगला जोन
एलडीओ – लाइट डीजल ऑइल
एलईडी – लाइट एमिटिंग डायोड
एलआईजी - निम्न आय वर्ग
एलओपी – लेआउट प्लान
एलपीजी – तरल पेट्रोलियम गैस
एलटी – लो टेंशन

एम

एमसीसी - मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर
एमजीडी - मिलियन गैलन प्रति दिन
एमआईसीई - बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां
एमएसएमई – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसडब्ल्यू- म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट
एमटीए - मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन
एमयूजेड - मल्टी-यूटिलिटी जोन

एन

एनए – लागू नहीं
एनसीआर - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरपीबी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एनसीटीडी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
एनसीटीई - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
एनजीओ – गैर-सरकारी संगठन
एनएचएआई - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएमटी - गैर- मोटर चालित परिवहन
एनओसी - अनापत्ति प्रमाण पत्र
नोएडा - न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एनआर /अ.प्र.- कोई प्रतिबंध नहीं

ओ

ओडब्ल्यूसी – वॉल्ड सिटी के अलावा
ओ एंड एम – संचालन और रखरखाव

पी

पीबीएस - पब्लिक साइकिल शेयरिंग
पीईएसओ- पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन
पीडीएस - सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएमएपी - पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजना
पीपीपी - सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीएसपी - सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
पीएसएस - पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट्स
पीडब्ल्यूडी - लोक निर्माण विभाग
पी एंड टी - डाक और दूरसंचार

आर

आर एंड डी - अनुसंधान और विकास
आरएफआईडी - रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
आरएनपी – रोड़ / सड़क नेटवर्क प्लान
आरओडब्ल्यू - मार्गाधिकार
आरआरटीएस - रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

आरटीवी - रैपिड ट्रांजिट व्हीकल्स
आरडब्ल्यूए - रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन

एस

एसकेओ- सुपीरियर केरोसिन ऑयल
एसटीपी - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
एसयूएच - शहरी बेघरों के लिए आश्रय

टी

टीडीआर - हस्तांतरणीय विकास अधिकार
टीओडी – पारगमन उन्मुख विकास

यू

यूबीबीएल - एकीकृत भवन निर्माण उप-विधि
यूसी - अनधिकृत कॉलोनियां
यूईआर – शहरी विस्तार सड़क
यूजीसी - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएलबी - शहरी स्थानीय निकाय
यूएमटीए – एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण

वी

वीएम - वर्टिकल मिक्सिंग

जेड

जेडडीपी – ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान

परिभाषाएं

ए

एक्टिव फ्रंटेज (सक्रिय फ्रंटेज)
एक स्ट्रीट का ऐसा हिस्सा जहां दृश्य/ भौतिक पारगम्यता के माध्यम से सड़क और भवन के बीच एक सक्रिय जुड़ाव है। इसमें ऑर्केड मार्ग, कॉलोननेड, दुकान का फ्रंट, पदयात्रियों का प्रवेश/निकास, प्लाजा, प्रवेश बिंदु, पारदर्शी खिड़कियां आदि शामिल हो सकती हैं।

एक्टिव ट्रैवल (सक्रिय यात्रा)
सक्रिय यात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने के उद्देश्य से पैदल चलने और साइकिल चलाने की गतिविधि शामिल है।

एक्टिव ट्रैवल एरिया (सक्रिय यात्रा क्षेत्र (एटीए))
पैदल चलने और साइकिल चलाने के बुनियादी ढांचे में सुधार कर सक्रिय यात्रा को बढ़ावा देने के लिए चिह्नित किया गया एक स्थान/ क्षेत्र।

एक्टिव ट्रैवल कॉरिडोर्स (सक्रिय यात्रा गलियारे)
साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों की मौजूदा या प्रत्याशित उच्च हिस्सेदारी वाले चिह्नित सक्रिय यात्रा मार्ग।

एडेप्टिव रीयूज (अनुकूल पुन: उपयोग)
यह अनुमेय और संगत उपयोगों को समायोजित करने के लिए एक भवन के पुन: उपयोग की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक इमारतों में एडेप्टिव रीयूज से दीर्घकालिक उपयोग के साथ-साथ सौंदर्यपरक एवं ऐतिहासिक मूल्यों को बनाए रखा जा सकता है।

एडल्ट एजुकेशन सेंटर (प्रौढ़ शिक्षा केंद्र)
व्यस्कों को उनके सुविधाजनक समय में औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा वाला एक परिसर।

अमेनटीज एफएआर (सुविधाओं के लिए एफएआर)
अमेनटीज के लिए एफएआर अनियोजित क्षेत्रों में अतिरिक्त सार्वजनिक और सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए एक प्रोत्साहन एफएआर (अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त) है।

आंगनवाड़ी
आंगनबाड़ी, एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत रिहायशी आवास/स्थानीय स्तर पर 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं आदि के लिए सेवा प्रदान करने वाला केंद्र है ।

असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी (सहायता प्राप्त जीवन-निर्वाह की सुविधाएं)
असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी एक आवासीय परियोजना है, जहां पंजीकृत सेवा प्रदाता(ओं) के माध्यम से दिव्यांग या बुजुर्ग निवासियों के लिए आवासीय परिसर के भीतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

ऑडिटोरियम
एक परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए एक आवृत्त जगह होती है और संगीत, नाटक, गायन, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच होता है।

बी

बैंक
बैंकिंग संबंधी कार्य निष्पादन और परिचालन के लिए कार्यालय परिसर ।

बैंक्वेट हॉल
छोटी सार्वजनिक सभाओं, सामुदायिक समारोहों, विवाह आदि के आयोजन के लिए एक परिसर ।

बिग बॉक्स रिटेल
एक बड़े भौतिक स्थान पर स्थित खुदरा भंडार जो भंडारण सुविधाओं के साथ उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है।

बायोस्वेल
वर्षा जल को बहने से रोकने, संसाधित करने और जमीन में वापस प्रविष्ट कराने के लिए वनस्पति से ढके, उथले, भूदृश्य गड्ढे के तौर पर बनायी गई एक हरित अवसंरचना सुविधा ।

ब्लू एसेट्स
पारिस्थितिक विशेषताएं जैसे यमुना नदी और आर्द्रभूमि, तालाब, झील, प्राकृतिक नाले और मानव निर्मित सुविधाएं जैसे नहरें, *बावड़ी*, कुएं आदि।

ब्राउनफील्ड क्षेत्र
ब्राउनफील्ड क्षेत्र वह भूमि है जिसे पहले इस्तेमाल या विकसित किया गया हो।

बिल्टअप एरिया (निर्मित क्षेत्र)
परिसर के भीतर सभी मंजिलों पर एक भवन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र, जिसे विभिन्न गतिविधियों या प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसमें कैंटिलीवर भाग, बेसमेंट, स्टिल्ट/ पोडियम, यूटिलिटी, सेवाएं, मेजेनाइन फ्लोर (यदि कोई हो), इसी प्रकार के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस)
उच्च गुणवत्ता वाली बस आधारित जन परिवहन प्रणाली जो अलग-अलग राइट ऑफ वे इंफ्रास्ट्रक्चर, तीव्र और लगातार संचालन एवं विपणन और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के माध्यम से तेज, आरामदायक, विश्वसनीय और लागत प्रभावी शहरी आवागमन प्रदान करता है।

सी

कारपेट एरिया
रेरा अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया है कि एक अपार्टमेंट की बाहरी दीवारों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र, सर्विस शाफ्ट के अंतर्गत क्षेत्र, विशेष बालकनी या बरामदा क्षेत्र और विशेष खुली छत क्षेत्र को छोड़कर, कुल उपयोग योग्य तल क्षेत्र, लेकिन इसमें अपार्टमेंट की आंतरिक विभाजन की दीवारों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र शामिल है।

कैरिजवे (परिवहन मार्ग)
कैरिजवे केवल मोटर चालित वाहनों की आवाजाही के लिए एक आरक्षित स्थान है, यदि गैर- मोटर चालित वाहनों के लिए मार्गाधिकार के भीतर अलग-अलग स्थान आरक्षित है और मिश्रित यातायात के लिए यदि एनएमटी के लिए अलग-अलग स्थान आरक्षित नहीं है।

सर्कुलर इकोनॉमी (प्रवाही अर्थव्यवस्था)
एक आर्थिक मॉडल, जिसमें मूल्य को अधिकतम उपयोग और अपशिष्ट को कम करने के लिए संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है।

क्लिनिक
चिकित्सक द्वारा बाहरी रोगियों के उपचार के लिए सुविधायुक्त परिसर।

क्लिनिकल प्रयोगशाला
किसी बीमारी के लक्षणों की पुष्टि के लिए विभिन्न जाँच करने का सुविधायुक्त एक परिसर ।

कमर्शियल सेंटर्स (व्यावसायिक केंद्र)
ये व्यवसाय, व्यापार और खरीदारी के प्रमुख केंद्र हैं। इनमें मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, एलएससी, सीएससी शामिल हैं।

सामुदायिक कार्य केंद्र
सामुदायिक कार्य केंद्र ऐसी सुविधाएं हैं जो निवासियों को उनकी आजीविका के लिए प्रदान की जाती हैं। इन्हें वर्टिकल मिक्सिंग और बहु सुविधा प्लॉटों (मल्टी फेसिलिटी प्लॉट्स) पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

कन्जेशन प्राइसिंग (भीड़-भाड़ मूल्य-निर्धारण)
कन्जेशन प्राइसिंग एक परिवर्तनशील मूल्य निर्धारण कार्यनीति है जिसका उद्देश्य शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रभार लगाकर भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करना है।

कंसोर्टियम (संघ)
स्थानिक विकास कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए एक सेक्टर/ ब्लॉक के भूमि/ संपत्ति मालिकों द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल।

सांस्कृतिक और सूचना केंद्र
किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक और सूचना सेवाओं का सुविधायुक्त एक परिसर।

कल्चरल सर्किट्स

सुरक्षा में सुधार करके, स्टैगरिंग गतिविधियों द्वारा भीड़ कम करके, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थानों को अधिकतम उपयोग करके, औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों की उत्पादकता में सुधार करके एवं कल्चरल इकोनॉमी बनाकर एक सक्रिय नाइट लाइफ को बढ़ावा देने वाले पब्लिक स्पेस नेटवर्क।

कल्चरल इकोनॉमी

शहर में और उन क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक गतिविधि और पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों के मनोरंजन के लिए खुले रहते हैं उनमें निरंतर कार्य और उत्पादन के लिए वैकल्पिक समय और स्थान उपलब्ध कराने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियां

सांस्कृतिक परिसर/ प्रेसिंटस

सांस्कृतिक परिसर, एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर वास्तुकला, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं साहचर्य मूल्यों के साथ मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों के संकेन्द्रण का है, जो स्ट्रीट और कोहेसिव बिल्ट फॉर्म रूप में एक दूसरे से जुड़ा होता है।

साइकिल ट्रैक
साइकिल चलाने के लिए आरक्षित स्थान।

डी

डेटा सेंटर
डेटा सेंटर एक भवन/केंद्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहां कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, भंडारण, प्रोसेसिंग, वितरण या उपयोग की अनुमति देने के उद्देश्य से संकेंद्रित है।

डेवलपर एंटिटी (विकासकर्ता संस्था (डीई))
डेवलपर एंटिटी में भूमि/ संपत्ति के मालिक/बहु-संस्थाएं शामिल हैं, जो स्थानिक विकास में भाग लेने के लिए एक वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौते के माध्यम से या जैसा कि विशिष्ट नीति में निर्धारित किया गया है के अनुसार एक साथ आते हैं।

डिस्पेंसरी
सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्थानों द्वारा प्रबंधित चिकित्सा सलाह और दवा की व्यवस्था के लिए एक परिसर।

पशु पक्षियों के लिए डिस्पेंसरी
सार्वजनिक/ निजी या धर्मार्थ संस्थानों द्वारा प्रबंधित एक परिसर जिसमें पशु और पक्षियों के लिए चिकित्सा सलाह और दवाओं की सुविधा हो।

ई

ईको-कल्चरल एसेट्स (पारिस्थितिक-सांस्कृतिक संपदा)
ऐसी विशेषताएं जहां एक भूदृश्य के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि संरक्षित स्मारक और विरासत भवनों को खुले हरित क्षेत्रों, उद्यान, निर्मित जल प्रणाली जैसे टैंक, स्टैपवैल (बावड़ी) आदि।

एम्पलॉइयर हाउसिंग (नियोक्ता आवास)

एम्पलॉइयर हाउसिंग में मुख्य रूप से केंद्रीय, राज्य और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराए गए आवास, साथ ही सार्वजनिक एजेंसियों के संस्थागत/ कर्मचारी आवास शामिल हैं।

एनकम्ब्रैंस
कोई भी कानूनी या भौतिक एनकम्ब्रैंस जो संपत्ति की हस्तांतरणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और जब तक बाधा को हटा नहीं दिया जाता तब तक इसका मुक्त उपयोग प्रतिबंधित कर सकता है।

एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस (बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी))
सार्वजनिक अवसरंचनाएँ और सेवाएं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सड़क, जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, हरित क्षेत्र आदि शामिल हैं उनके निर्माण, उनको तैयार करने और स्थापित करने की लागत के लिए डेवलपर एंटिटी संस्था/ कंसॉर्टियम द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रभार है।

एफ

फार्म हाउस
स्वामी द्वारा कृषि भूमि/निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में अपनी भूमि पर निर्मित ऐसा घर जिसमें सर्वेंट क्वार्टर, फार्म, पशुओं के लिए छप्पर और निगरानी के लिए स्थान सहित आवासीय ईकाई हो।

फ्लोर एरिया/ एफएआर एरिया
प्लॉट एरिया पर एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) लागू करने के पश्चात प्राप्त क्षेत्र।
फ्लोर एरिया = एफएआर x प्लॉट एरिया

जी

गोडाउन/ स्टॉरिज/ कोल्ड स्टॉरिज (गोदाम/ भंडारण/ शीत भंडार-गृह)
एक परिसर जहां सामान और वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधाएं, माल वाहनों के लिए सर्विसिंग और आईडल पार्किंग शामिल है।

सरकारी कार्यालय
सरकारी संगठनों/ पीएसयू/ यूएलबी के कार्यालय के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर ।

ग्रीन एसेट्स (हरित परिसंपत्तियां)
पारिस्थितिक विशेषताएं जैसे वन, बाग, नदी के किनारे का विकास, नियोजित पार्क, पेड़ और भू-दृश्य वाले क्षेत्र, मनोरंजनात्मक हरित क्षेत्र, बगीचे और बिल्ट फैब्रिक में ग्रीन रूफ्स आदि।

ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर (ग्रीन-ब्लू अवसंरचना)

ग्रीन और ब्लू एसेट्स का परस्पर जुड़ा नेटवर्क, जो प्राकृतिक या डिज़ाइन किए गए लेआउट का एक हिस्सा हो सकता है।

ग्रीन बिल्डिंग

ऐसा भवन जो अपने डिजाइन, निर्माण और संचालन में, नकारात्मक प्रभावों को कम या समाप्त करता है, और जलवायु और प्राकृतिक पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करता है।

ग्रीन इकॉनोमीज (हरित अर्थव्यवस्थाएं)

ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी लाएं, ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता बढ़ाएं, तथा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र प्रणाली की क्षति की रोकथाम करें। इसके उदाहरणों में अर्बन फार्मिंग, बागवानी, सौर फार्म आदि शामिल हैं।

ग्रीनफील्ड क्षेत्र

किसी शहर के भीतर आमतौर पर बड़ी खाली भूमि पर नए विकास हेतु उपलब्ध क्षेत्र ।

ग्रीन वेज

पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रेक्रीशनल उपयोग के लिए अलग रखी गई भूमि का एक भाग जहां साइकिल चलाने और पैदल चलने की सुविधाओं के साथ वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है।

ग्रॉस रेजिडेंशियल यूज (सकल आवासीय उपयोग)

आवासीय क्षेत्र जिसमें ग्रुप हाउसिंग और प्लॉटेड हाउसिंग टाइपोलॉजी दोनों शामिल हों, जिनमें पार्क, व्यावसायिक सुविधाएं, स्कूल, डिस्पेंसरी, धार्मिक भवन, यूटिलिटी, स्थानीय स्तर की सुविधाएं आदि सम्मिलित हों ।

एच

हेरिटेज एसेट्स (विरासत परिसंपत्तियां)

हेरिटेज एसेट्स में विरासत मूल्यों के मूर्त (चल और अचल विरासत परिसंपत्तियां जैसे स्मारक, विरासत भवन, स्थल, सड़क, उद्यान, भूदृश्य, आदि और पेंटिंग, मूर्तियां, पांडुलिपियां आदि) और अमूर्त तत्व (प्रथाएं, ज्ञान, कौशल, रहन-सहन और परंपराएं जैसे त्योहार, कला रूप और लोक संस्कृति, व्यंजन, नृत्य और नाटक आदि) शामिल हैं।

हेरिटेज टीडीआर

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार विकास अधिकारों के नुकसान के लिए सूचीबद्ध विरासत भवनों के स्वामियों को प्रोत्साहन एफएआर और/या टीडीआर के रूप में दिया जाने वाला मुआवजा है।

हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज (घरेलू उद्योग)

एक गैर-प्रदूषणकारी, गैर-हानिकारक औद्योगिक इकाई जिसे मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार आवासीय परिसर से संचालित करने की अनुमति दी गई है।

आई

इंटरएक्टिव जोन

प्राकृतिक और हेरिटेज एसेट्स के भीतर पहचाने गए विशिष्ट क्षेत्र और ट्रेल्स, जहां मनोरंजन के उद्देश्य से पर्याप्त सुविधाओं के प्रावधान (शौचालय, पीने का पानी, आराम करने के स्थान, आगंतुक सूचना केंद्र आदि) के साथ केवल विनियमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है।

इंटमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी)

इंटमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी) किराए पर लिए गए/ साझा परिवहन के साधन हैं जो सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को जोड़ने के लिए फीडर के रूप में या निजी परिवहन उपयोग के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में काम

कर सकते हैं। आईपीटी में साइकिल-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी और साझा मोड/ फीडर सेवा के रूप में काम करने वाले किसी भी अन्य प्रकार के वाहन शामिल हैं।

के

किचन/ रसोई

रसोई का उपयोग एक व्यावसायिक/ केंद्रीय रसोई के रूप में होता है जहां डिलीवरी या टेकआउट के लिए भोजन तैयार किया जाता है।

एल

लैंड पूलिंग
लैंड पूलिंग नीति और विनियमों के अनुसार योजना के उद्देश्य से विभिन्न स्वामित्व के तहत भूमि का संयोजन और पुनर्वितरण ।

लोकल एरिया प्लान

स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा तैयार ऐसी विस्तृत योजना जिसमें संपूर्ण पुनर्विकास अथवा प्रस्तावित विकास योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए स्थानिक रूपरेखा के रूप में विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) या आस-पास के विकास का प्रस्ताव हो। यह भूमि उपयोग और सड़क नेटवर्क, विकास नियंत्रकों, भूमि प्रबंधन उपायों एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना के प्रावधानों सहित क्षेत्र विशिष्ट योजना प्रस्तावों द्वारा जोनल डेवलपमेंट प्लान में सहायता करता है।

एलपीजी गोदाम
स्थानीय आबादी के लिए एलपीजी की बुकिंग, भंडारण और आपूर्ति के लिए एक परिसर।

एम

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस)
एक उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जिसमें उच्च क्षमता, आराम, समग्र आकर्षक, यात्री सूचना प्रणाली में टेकनोलॉजी का उपयोग और पारगमन वाहनों (यानी रेल पटरियां या बस लेन) के लिए विशिष्ट मार्गाधिकार का उपयोग करके विश्वसनीयता सुनिश्चित करना शामिल है।

मास्टर प्लान रोड़ (मुख्य योजना सड़क)
मास्टर प्लान के लैंड यूज प्लान में दिखाई गई सड़कें (30 मीटर से ऊपर)।

मीडिया प्रशिक्षण केंद्र सहित मीडिया और समाचार एजेंसी
एक परिसर, जिसमें मीडिया के सभी प्रकारों के प्रशिक्षण/शिक्षा के साथ या बिना प्रिंट, टेलीविजन और इंटरनेट, समाचार एकत्र करने और समाचार प्रसार की सुविधा हो।

मोटल

एक ऐसा परिसर जिसमें रहने, रूकने और निशुल्क पार्किंग की सुविधाएं हो प्राय: सड़क के किनारे होटल जहां बाहर पार्किंग क्षेत्र के समीप कमरे हो।

मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई)
मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) बड़े पैमाने पर परिवहन के प्रभाव को अधिकतम करने और सतत शहरी परिवहन हेतु विभिन्न परिवहन साधनों के बीच निर्बाध संपर्क है।

मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)
एमएमटीएच एक परिवहन नोड है, जो परिवहन के कई माध्यमों को आपस में जोड़ता है, और इसके फलस्वरूप, परिवहन के प्रभाव और गति में सुधार करता है। मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब यात्रियों के निर्बाध आवागमन को जोड़ता है और साथ ही इसे यात्री पारगमन-आधारित गतिविधियों के साथ जोड़ता है।

मल्टीपर्पज कम्यूनिटि हॉल/ बारात घर (बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल/ बारात घर)
विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवृत स्थान वाला परिसर।

मल्टी-यूटिलिटी जोन (एमयूजेड)
मल्टी-यूटिलिटी जोन (एमयूजेड) बस स्टॉप, स्ट्रीट यूटिलिटीज, पेड़, स्ट्रीट फर्नीचर, वर्षा जल प्रबंधन के लिए रोपण, आईपीटी/ एनएमटी स्टैंड, सशुल्क पार्किंग, आदि को समायोजित करने हेतु प्रदान किया जाता है; ताकि ये कैरिजवे या सुरक्षित पैदल चलने वालों के आवागमन के स्थानों पर अतिक्रमण न करें।

संग्रहालय
प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक इतिहास, कला आदि को दर्शाने वाली वस्तुओं के भंडारण और प्रदर्शनी के लिए सुविधाओं वाला एक परिसर।

एन

नैचुरल एसेट्स (प्राकृतिक संपदा)
प्राकृतिक पारिस्थितिक विशेषताएं जैसे-वन, रिज, नदी, प्रवाह, नाले, झीलें, तालाब और आर्द्रभूमि आदि।

नॉन-हायरेरिकल कॉर्मिशियल सेंटर (एनएचसीसी)
एक ऐसा व्यावसायिक परिसर जिसमें समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुदरा खरीदारी, सामान्य व्यापार कार्यालय, मनोरंजन, आतिथ्य, सामाजिक-सांस्कृतिक और इनसे संबंद्धित उपयोगों की विशाल रेंज हो जो जनसंख्या मानकों पर आधारित न हो।

नर्सिंग होम/ मैटरनिटी होम/ पॉलीक्लिनिक
इनडोर और आउटडोर रोगियों के लिए की चिकित्सा सुविधाओं वाला परिसर यह डॉक्टर या डॉक्टरों के समूह द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। पॉलीक्लिनिक के मामले में, इसे डॉक्टरों के एक समूह द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

नॉन-कंफर्मिंग यूज/ एरिया
मास्टर प्लान और/ या जोनल प्लान के अनुरूप न होने वाली भूमि या भवन का उपयोग ।

नॉन-मोटोराइज्ड ट्रांसपोर्ट (एनएमटी)
परिवहन के साधन जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना और अन्य प्रकार का परिवहन जो मनुष्यों द्वारा संचालित होती है (साइकिल-रिक्शा, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियाँ आदि)।

ओ

ऑब्जर्वेटरी एंड वेदर ऑफिस (वेधशाला और मौसम कार्यालय)
मौसम और उसके पूर्वानुमान से संबंधित डेटा के अनुसंधान और विकास के लिए सुविधायुक्त परिसर।

ऑफ स्ट्रीट पार्किंग
सड़कों/ गलियों के अलावा जैसे सतही, भूमिगत, मल्टी लेवल, यांत्रिक/ स्वचालित पार्किंग।

कार्यालय
एक प्रतिष्ठान, मुख्य रूप से व्यापार और पेशेवर सेवाओं (साझा/ सह-कार्यस्थलों सहित) के लेन-देन और/या खातों और अभिलेखों को रखने के लिए उपयोग किया जाता हो।

वृद्धाश्रम/ दिव्यांगजन/मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों हेतु देखभाल केंद्र/ कामकाजी महिला/ पुरुष हॉस्टल
वृद्धों/ दिव्यांगजन/ मानसिक रूप से विक्षिप्त/ कामकाजी महिलाओं/ पुरुषों के देखभाल और प्रशिक्षण एवं रहने-खाने की सुविधा युक्त एक परिसर।

ऑन-स्ट्रीट पार्किंग
गली अथवा परिवहन मार्ग के किनारे वाहनों की पार्किंग के लिए एक नियंत्रित क्षेत्र जिसे अन्यथा मोटरयुक्त या गैर-मोटर चालित यातायात द्वारा उपयोग किया जा सकता था ।

ओपन एयर थियेटर
दर्शकों के बैठने की सुविधा और प्रदर्शन के लिए एक मंच और खुले आसमान वाला परिसर।

अनाथालय
ऐसा परिसर, जिसमें माता-पिता से वंचित बच्चों के ठहरने की सुविधा हो। इसमें शैक्षिक सुविधाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी ।

पी

पार्किंग प्रबंधन
सड़क के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र, और समय के साथ मांग को प्रबंधित करने के लिए पार्किंग शुल्क लागू किया जा सकता है।

पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र (पीएमए)
पीएमए एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मांग का प्रबंधन करने, उपलब्ध पार्किंग को विनियमित करने और पार्किंग से संबंधित बाह्य तत्वों को कम करने के लिए पार्किंग संबंधी उपायों को लागू करने के लिए निर्धारित किया गया है।

पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजना (पीएमएपी)

पीएमएपी किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की गई एक क्षेत्र स्तरीय योजना है जिसमें सभी मोड के साथ-साथ आवश्यक सड़क सुविधाओं के लिए सभी प्रकार के पार्किंग स्थलों का सीमांकन शामिल है। इसमें ऑन-स्ट्रीट, ऑफ-स्ट्रीट और मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाएं, वेंडिंग जोन, मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन सुविधाएं, खुले हरित स्थान के साथ-साथ संबद्ध यातायात और पैदल यात्री/ एनएमटी परिवहन योजना, साइनेज प्लान, मूल्य निर्धारण कार्यनीति आदि शामिल हैं।

पर्सनेल सर्विस शॉप
दर्जी, नाई आदि जैसी वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करने वाली खुदरा दुकान के समतुल्य परिसर।

तारामंडल
एक ऐसा परिसर जिसमें आकाश और ब्रह्मांड को देखने और अवलोकन करने तथा सूचना के प्रसार की सुविधा हो।

डाकघर
एक ऐसा परिसर जिसमें इससे जुड़े अन्य डाकघरों के डाक और दूरसंचार संबंधी कार्य संचालन की सुविधा हो।

पॉलट्री फार्म (मुर्गीपालन फार्म)

मुर्गी पालन और उसके उत्पादों के एवं प्रसंस्करण की सुविधा वाला एक परिसर इसमें पक्षियों के छप्पर के लिए अस्थायी संरचनाएं हो सकती हैं ।

पूर्व से विद्यमान संस्थान

स्वयं की भूमि, इसमें ग्राम सभा भूमि या रिज भूमि शामिल नहीं है, पर दिनांक 01.01.2026 से पूर्व विद्यमान स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक (आध्यात्मिक सहित) संस्थान जिनके नियमन के लिए उन पर संबंधित स्थानीय निकायों ने विचार किया/जिनकी जाँच की जा रही है। यह पिछली मास्टर प्लान/जोनल डेवलपमेंट प्लान में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है।

प्रेसिडेंट एस्टेट/ संसद भवन

प्रेसिडेंट एस्टेट/ संसद भवन और इससे संबंधित सुविधाओं से युक्त परिसर।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ परिवार कल्याण केंद्र/ बाल चिकित्सा केंद्र/ वृद्ध चिकित्सा केंद्र

ऐसा परिसर जिसमें तक के इनडोर और आउटडोर रोगियों के इलाज की सुविधा हो। इसे गैर-व्यावसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्थान द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केंद्र और मैटरनिटी होम शामिल है।

प्राइमरी स्कूल (प्राथमिक विद्यालय)

कक्षा V तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाओं वाला परिसर ।

सार्वजनिक भवन

शैक्षिक या व्यावसायिक उद्देश्यों, कार्यस्थल, व्यावसायिक गतिविधियों, सार्वजनिक यूटिलिटी, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजक गतिविधियों, चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सुधारगृह या न्यायिक मंच, रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म, रोडवेज बस स्टैंड या टर्मिनस, हवाई अड्डे या जलमार्ग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भवनों सहित बड़े पैमाने पर जनता द्वारा उपयोग या पहुंच प्रदान करने वाले सरकारी या निजी भवन है।

सार्वजनिक सुविधाएं

बड़े पैमाने पर जनता द्वारा उपयोग या उपयोग की पहुंच में आने वाली स्वच्छता सुविधाएं (शुल्क का भुगतान करके या नि: शुल्क)।

सार्वजनिक अवसंरचना

किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा संचालित कोई भी भौतिक या सामाजिक अवसंरचना।

पब्लिक प्लाजा (सार्वजनिक प्लाजा)

प्लाजा ऐसे स्थान हैं जहां पड़ोस के चौकों और 'नुक्कड़' से लेकर संस्थागत प्रांगण, शहर के चौक और सार्वजनिक चौक तक के लोग घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं और एकत्र हो सकते हैं। सघन बस्तियों में, ऐसे स्थान किसी भी आपदा और/या आपात स्थिति में आश्रय/ निकासी के स्थानों की भूमिका भी निभा सकते हैं।

सार्वजनिक स्थान

ऐसा क्षेत्र या स्थान जो सभी लोगों के लिए खुला और सुलभ है और इसमें सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक सभा स्थान (स्कवायर्स, पार्क, बहुउद्देश्यीय मैदान), कनेक्टिंग स्थान (स्ट्रीट्स, सबवे, गलियारे) आदि शामिल हैं।

पब्लिक वाटरफ्रंट (सार्वजनिक वाटरफ्रंट)

वाटरफ्रंट के साथ एक सक्रिय सार्वजनिक किनारा विकसित करने के लिए जलाशयों के समीप डिज़ाइन किए गए सार्वजनिक स्थान।

आर

रेडियो और टेलीविजन स्टेशन

अलग-अलग माध्यम से समाचार और अन्य कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग, प्रसारण और संचरण की सुविधाओं वाला एक परिसर। इसमें कलाकारों के लिए कुछ छात्रावास, टावर जैसी संचरण सुविधाएं शामिल हो सकती है।

रेक्रीशनल क्लब
एक परिसर जिसमें इनडोर खेल के साथ मनोरंजन, स्वीमिंग पूल, आउटडोर खेल, सामाजिक मेल-जोल और छोटे समारोह इकट्ठा होने के लिए जगह के साथ रेस्तरां की सुविधा है।

रिफॉर्मेटरी (सुधारगृह)
व्यवहार संबंधी सुधारों के लिए अपेक्षित सुविधायुक्त परिसर ।

रिफॉर्मेटरी एंड ऑर्फेनेज (सुधारगृह और अनाथालय)
कारावास और व्यवहार संबंधी सुधार के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर जिसमें माता-पिता से वंचित बच्चों के रहने की सुविधा हो इसमें शैक्षिक सुविधाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती।

रेफ्यूज स्पॉट्स
आरडब्ल्यूए/ स्थानीय निकायों द्वारा पहचान किए गए आस-पड़ोस के भीतर कोई भी स्थान जो संक्रामक रोग के प्रकोप के समय स्वस्थ/ अस्वस्थ निवासियों के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराता हो। ऐसे स्थान कम्युनिटी सेंटर, बहु-सुविधा केंद्र या किसी अन्य सार्वजनिक रूप से सुलभ सुविधा में हो सकते हैं।

रिजेनरेशन
एक फ्लैक्सीबल फ्रेमवर्क जो किसी क्षेत्र या भवन, मौजूदा संपत्तियों के पूर्ण या आंशिक पुनर्निर्माण या पुनर्विकास के लिए चिन्हित रिजेनरेशन एरिया में मिले-जुले उपकरणों के उपयोग की अनुमति का विकल्प भी देता है।

रिजेनरेशन एरिया (पुनरूद्धार क्षेत्र)
शहरी रिजेनरेशन एरिया का अर्थ योजना और पुनर्विकास के लिए चिन्हित किसी भी क्षेत्र से है।

धार्मिक सुविधा
धार्मिक प्रकृति के अनुष्ठानों के लिए समर्पित एक परिसर। इसका अलग-अलग धर्मों/ आस्थाओं में अलग-अलग नाम हो सकता है ।

रेंटल हाउसिंग
रेंटल हाउसिंग का अर्थ ऐसी संपत्ति से है, जिसमें स्वामी के अलावा कोई और रह रहा हो, जिसके लिए किरायेदार स्वामी को आपसी सहमति से तय आवधिक किराए का भुगतान करता है।

रिपेयर शॉप
घर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, साइकिल आदि की मरम्मत करने के लिए खुदरा दुकान के समतुल्य परिसर।

रेजिडेंशियल स्कूल (आवासीय विद्यालय)
छात्रों और कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास के साथ बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा और खेल सुविधाओं वाला परिसर ।

रेस्तरां
खाना पकाने की सुविधा सहित व्यावसायिक आधार पर खाद्य सामग्री परोसने के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर । इसमें बैठने की व्यवस्था के लिए आवृत्त या खुला स्थान या दोनों हो सकते हैं।

रिटेल शॉप (खुदरा दुकान)
सीधे उपभोक्ता को वस्तुओं की बिक्री के लिए आवश्यक भंडारण के साथ परिसर।

राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू)
राईट ऑफ वे, यातायात के सभी साधनों की आवाजाही के लिए एक आरक्षित स्थान है, जिसमें पैदल यात्री, साइकिल, साइकिल रिक्शा, बसें, कार, स्कूटर, टैक्सी, ऑटोरिक्शा आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार पैदल चलने की जगह या मोटर वाहन की आवाजाही के स्थान पर अतिक्रमण किए बिना

सेवाओं भूमिगत/ भूमि के ऊपर यूटिलिटी, सार्वजनिक सुविधाओं और जन-सुविधाओं, विक्रेताओं, पेयजल के कियोस्क आदि के लिए राईट ऑफ वे के भीतर स्थान नियोजित और आरक्षित किया जाता है।

रोड नेटवर्क प्लान (आरएनपी)
रिजेनरेशन को सक्षम बनाने, पहुंच में सुधार करने और सेवाओं के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक सड़क नेटवर्क को दर्शाने वाली एक योजना ।

एस

उपग्रह और दूरसंचार केंद्र
उपग्रह और दूरसंचार प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं वाला परिसर।

मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांगजनों के लिए स्कूल
मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक (औपचारिक और व्यावसायिक) और खेल सुविधाओं वाला परिसर।

सेकेण्डरी स्कूल (माध्यमिक विद्यालय)
छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाओं वाला परिसर।

सेक्टर
मौजूदा अथवा प्रस्तावित सड़कों अथवा भौतिक सुविधाओं जैसे हाई टेंशन लाइनों, रेलवे लाइनों, नालियों आदि से घिरा क्षेत्र।

सीनियर सेकेण्डरी स्कूल (उच्च माध्यमिक विद्यालय)
बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाओं वाला परिसर ।

सर्विस सेंटर
मरम्मत/ सेवा गतिविधियों (जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वर्कशॉप; गैस गोदाम; डेटा सेंटर; सामान्य व्यापार; हार्डवेयर और निर्माण सामग्री, ई-कॉमर्स डिलीवरी, आदि) में लगे प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित/ नामित परिसर।

सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी (सेवा प्रदाता एजेंसी)
जल आपूर्ति, सीवरेज निपटान, बिजली आपूर्ति, सड़कों के निर्माण, संचार और अन्य वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी।

शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस (शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच))
बेघर व्यक्तियों के लिए हर मौसम में आश्रय वाला परिसर। यह स्थानीय सरकार अथवा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित हो सकता है।

सिंगल विंडो सिस्टम (एकल खिड़की प्रणाली)
नीति/ योजना के कार्यान्वयन के समयबद्ध तरीके से प्रबंधन करने के लिए आवेदन, सत्यापन, अनुमोदन, शिकायत आदि प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य को सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया उपाय है।

साइट प्लान
विकास संहिता के विशिष्ट खंडों द्वारा यथा अपेक्षित भूमि के एक टुकड़े पर संरचनाओं, पार्किंग क्षेत्रों, खुली जगह, भूदृश्यांकन और अन्य विकास सुविधाओं के प्रस्तावित स्थान को दर्शाने वाली एक विस्तृत योजना।

सौर फार्म
सौर फार्म या सौर क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्थापित सौर प्रतिष्ठान हैं, जहां फोटोवोल्टिक पैनल (सौर पैनल) का उपयोग सूर्य की ऊर्जा को संचय करने के लिए किया जाता है।

स्टेच्युटरी बॉडी (सांविधिक निकाय)

एक सांविधिक निकाय या सांविधिक प्राधिकरण कानून (संविधि) द्वारा स्थापित निकाय।

सुपीरियर केरोसीन तेल और लाइट डीजल तेल (एसकेओ-एलडीओ) आउटलेट

स्थानीय आबादी को आपूर्ति के लिए सुपीरियर केरोसिन तेल और लाइट डीजल तेल (एसकेओ-एलडीओ) के खुदरा भंडारण की सुविधा वाला परिसर।

टी

टैक्टिकल अर्बनिज्म (सुनियोजित शहरीकरण)

सुनियोजित शहरीकरण या पॉप-अप शहरीकरण आरक्षित लेन द्वारा पैदल चलने वालों और एनएमटी आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए सड़क के एक भाग को अस्थायी रूप से फिर से जोड़ने का एक उपाय है, जिससे सड़क का हिस्सा पैदल चलने वालों आदि के लिए अनुकूल हो जाता है।

टर्शियरी हैल्थ केयर सेंटर (तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र)

मरीजों के इलाज के लिए विशिष्ट प्रकृति की उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं जैसे सुपर स्पेशियलिटी/ मल्टी-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास केंद्र आदि प्रदान करने वाला परिसर। सार्वजनिक, निजी या धर्मार्थ संस्था द्वारा इसका प्रबंधन किया जा सकता है।

यू

अनधिकृत कॉलोनियां (यूसी)

यूसी के अंतर्गत सटे हुए क्षेत्र की कॉलोनी/ निर्माण शामिल हैं जिनमें लेआउट प्लान और/या बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसी की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

अर्बन फार्मिंग शहरी खेती

स्थानीय आबादी की जरूरतों के लिए शहरों में और आसपास खेती या पशुपालन, जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन एवं खाद बनाने आदि के माध्यम से भोजन और अन्य उत्पादों को उगाने, प्रसंस्करण और वितरण करने का व्यावहारिक कार्य है।

यूटिलिटी (उपयोगिता)

सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण और जलवायु/ प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, परिवहन, जल आपूर्ति और सीवेज निपटान लाइनों/ बुनियादी ढांचे, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन संरचना, बिजली आपूर्ति लाइनों, अक्षय ऊर्जा या ऐसी किसी अन्य संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों/ संगठनों द्वारा निष्पादित/ प्रोत्साहित संरचनाएं है। यूटिलिटी संरचनाएं यूबीबीएल के अनुसार होंगी।

वी

वेंडिंग बूथ (विक्रेता बूथ)

मैकेनिकल स्थापना या अन्य किसी माध्यम से दैनिक जरूरतों या उपभोग्य सामग्रियों की बिक्री के लिए बूथ के रूप में एक परिसर।

उपयोगों का वर्टिकल मिश्रण

भवन में मिश्रित उपयोग के लिए प्लॉट में चिह्नित संगत उपयोग परिसरों के मिश्रण का प्रावधान ।

स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

एक ऐसा परिसर जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार तथा ब्लड बैंक आदि जैसी चिकित्सा सुविधाएं हों।

डब्ल्यू

वॉकेबिलिटी

वॉकेबिलिटी से आशय वह सीमा है जहां तक निर्मित वातावरण/ बुनियादी ढांचा (बाधा मुक्त, सुरक्षित, सुप्रकाशित, आरामदायक आदि) के अनुसार एक क्षेत्र पैदल चलने योग्य हो।

वॉक प्लान

पैदल यात्री और साइकिल चलाने के पर्याप्त बुनियादी ढांचे के प्रावधान हेतु किसी विशिष्ट गंतव्य नोड के आसपास कम से कम 500 मीटर (5-10 मिनट की पैदल दूरी) के एक प्रभाव क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजना।

वेयरहाउस/ गोदाम/ शीत भंडारण गृह

मुख्य रूप से सामान, माल या वाणिज्य वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाला कोई भी भवन।

वॉच एंड वॉर्ड (निगरानी परिसर)

निगरानी परिसर से आशय भवन या भवन के उस भाग से है जिसका उपयोग सुरक्षा कर्मचारी अपने आश्रय/ शौचालय के साथ विश्राम के लिए करते हैं।

वॉटर सेंस्टिव अर्बन डिजाइन (जल संवेदनशील शहरी डिजाइन)

एक पद्धति जो शहरी नियोजन को शहरी जल चक्र (जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल, वर्षा जल और भूजल प्रबंधन सहित) के प्रबंधन, सुरक्षा और संरक्षण के साथ एकीकृत करती है, ताकि शहरी जल प्रबंधन प्राकृतिक जलीय और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील हो।

वीकली मार्केट (साप्ताहिक बाजार)

बाजार के रूप में अनौपचारिक इकाइयों के समूह द्वारा सप्ताह में एक बार उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र है। ये बाजार सप्ताह के अलग-अलग दिनों में एक इलाके से दूसरे इलाके में स्थानांतरित होते हैं।

वर्कर हाउसिंग (श्रमिक आवास)

वर्कर हाउसिंग का अर्थ किसी कर्मचारी के आवासीय उपयोग के लिए अस्थायी या सीज़नल रूप से उपयोग की जाने वाली संपत्ति है। यह आवास या तो कार्यस्थल पर या कार्यस्थल से अलग हो सकता है और इसमें आवासीय इकाई/ शयनगृह शामिल हो सकते हैं।

जेड

जोनल प्लान रोड़

जोनल डेवलपमेंट प्लान में दिखाई गई सड़कें (18 मीटर से ऊपर)।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1:	जैव विविधता पार्कों और दिविप्रा द्वारा अनुरक्षित पार्कों की सूची
अनुलग्नक 2:	प्रमुख नालों की सूची (डीपीसीसी के अनुसार)
अनुलग्नक 3:	ग्रीन और ब्लू एसेट्स का रूपात्मक (टाइपोलॉजिकल) वर्गीकरण
अनुलग्नक 4:	डिस्ट्रिक्ट केंद्रों की सूची
अनुलग्नक 5:	उप-शहर स्तरीय थोक बाजारों/आईएफसी की सूची
	5क: उप-शहर स्तरीय थोक बाज़ार
	5ख: इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स
अनुलग्नक 6:	नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची
अनुलग्नक 7:	निषिद्ध/नकारात्मक उद्योगों की सूची
अनुलग्नक 8:	औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय गतिविधियों की सूची
अनुलग्नक 9:	अनुमेय घरेलू उद्योगों की सूची
	9क: घरेलू उद्योग
	9ख: अनुमेय घरेलू उद्योग (केवल ग्रामीण आबादी में)
अनुलग्नक 10:	व्यावसायिक केंद्रों में अनुमेय औद्योगिक गतिविधियों की सूची
अनुलग्नक 11:	अधिसूचित असंगत औद्योगिक क्षेत्रों की सूची
अनुलग्नक 12:	ग्रुप हाउसिंग और दिविप्रा फ्लैटों में लेआउट प्लान के भाग के रूप में केवल भूतल पर अनुमेय व्यावसायिक गतिविधियों की सूची
अनुलग्नक 13:	शहर-स्तरीय सर्किटों की सांकेतिक सूची
अनुलग्नक 14:	एमपीडी-2047 के लिए सुझाए गए मुख्य प्रदर्शन संकेतक
अनुलग्नक 15:	सांस्कृतिक परिसरों की सांकेतिक सूची
अनुलग्नक 16:	1962 से पहले निर्मित रिहाइशी और पुनर्वास कॉलोनियों की सूची
अनुलग्नक 17:	निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची
	17क: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ एक वाह्य ग्राम राजस्व सीमा में आने वाले गाँव

	17ख: निम्न घनत्व वाले रिहाइशी क्षेत्र के रूप में घोषित गांव
अनुलग्नक 18:	रेजिडेंशियल यूज जोन: अनुमत उपयोग परिसरों की सूची और अनुमत नहीं उपयोग परिसरों की सूची
अनुलग्नक 19:	व्यावसायिक: अनुमत उपयोग परिसरों की सूची और अनुमत नहीं उपयोग परिसरों की सूची
अनुलग्नक 20:	औद्योगिक: अनुमत उपयोग परिसरों की सूची और अनुमत नहीं उपयोग परिसरों की सूची
अनुलग्नक 21:	उपयोग परिसर और अनुमेय गतिविधियों
अनुलग्नक 22	भूमि उपयोग, उपयोग जोन और उपयोग परिसर

अनुलग्नक 1: जैव विविधता पार्कों और दि.वि.प्रा. द्वारा अनुरक्षित पार्कों की सूची

जैव विविधता पार्कों की सूची

1. यमुना जैव विविधता पार्क
2. अरावली जैव विविधता पार्क
3. कमला नेहरू जैव विविधता पार्क (उत्तरी रिज जैव विविधता पार्क)
4. तिलपथ घाटी जैव विविधता पार्क
5. नीला हौज़ जैव विविधता पार्क
6. तुगलकाबाद जैव विविधता पार्क
7. दक्षिण दिल्ली जैव विविधता पार्क (कालिंदी जैव विविधता पार्क)

दि.वि.प्रा. द्वारा अनुरक्षित पार्कों की सूची (2026)

क्र.सं.	पार्क का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	रिंग रोड, सराय काले खां के साथ इंद्रप्रस्थ पार्क	68.50
2	भगवान दास रोड पर अधिकारी फ्लैट के समीप हरित क्षेत्र	1.48
3	विनोबा पुरी, लाजपत नगर में लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क	14.00
4	लाजपत नगर में नाले के साथ पीएस से रामपुल तक हरित क्षेत्र	1.49
5	लाजपत नगर में शनि देव मंदिर से पंत नगर तक हरित क्षेत्र	1.97
6	राष्ट्रीय स्टेडियम और बेदिल वाला बाग के समीप पुराना किला परिसर में पार्क सहित हरित क्षेत्र	6.78
7	बारापुला क्लोवर लीफ, सराय काले के समीप सनडायल पार्क	6.01
8	निज़ामुद्दीन में अमीर खुसरो पार्क	12.80
9	कटरा अहिरान, निज़ामुद्दीन में पार्क	3.06
10	ईस्ट ऑफ कैलाश में नेबरहुड पार्क	3.85
11	पॉकेट बी, संत नगर पहाड़ी, ईस्ट ऑफ़ कैलाश में पार्क	4.36
12	डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नेहरू प्लेस में हरित क्षेत्र	3.30
13	ग्रेटर कैलाश-I में लेडी श्री राम कॉलेज के सामने पार्क	10.29
14	आर-ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश-I में डिस्ट्रिक्ट पार्क	12.50
15	कालकाजी आस्था कुंज में डिस्ट्रिक्ट पार्क	142.41
16	कालकाजी में हरित क्षेत्र	28.00
17	कालकाजी में पीटीसी के समीप हरित क्षेत्र	16.50
18	तेहखंड फेज-I (डी.ई.एस.यू सब स्टेशन के समीप) में हरित क्षेत्र	127.00

19	गांव तेहखंड में बारात घर के पीछे पार्क	0.79
20	ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज II में पार्क और वुडलैंड	3.14
21	हरकेश नगर में माँ आनंद माई आश्रम में हरित क्षेत्र	100.00
22	जाहपना सिटी फ़ॉरेस्ट	435.00
23	मंदाकनी एन्क्लेव में जेपी क्लब के समीप पार्क	10.02
24	दक्षिण पुरी में चिल्ड्रन पार्क डॉ. अंबेडकर नगर	7.44
25	सीआर पार्क में कालीबाड़ी मंदिर के पास नेबरहुड पार्क	4.11
26	तुगलकाबाद में हरित क्षेत्र और पिकनिक हट	57.99
27	तुगलकाबाद में मनोरंजन परिसर	10.03
28	तुगलकाबाद किले की दीवार के समीप रोलिंग हरित क्षेत्र	5.32
29	एमबी रोड ओआईआर फोर्टवॉल तुगलकाबाद के बीच हरित क्षेत्र	48.00
30	ट्रांजिट कैंप, गोविंदपुरी में हरित क्षेत्र	0.26
31	कालकाजी एक्सटेंशन में पॉकेट ए-10 और ए-11 के बीच नेबरहुड पार्क।	16.72
32	कालकाजी एक्सटेंशन में पॉकेट ए-11 और ए-12 के बीच नेबरहुड पार्क।	9.47
33	कालकाजी एक्सटेंशन में ए-14 में आवासीय परियोजना में हरित क्षेत्र	0.33
34	कालकाजी एक्सटेंशन में पॉकेट ए-14 में डिस्ट्रिक्ट पार्क	6.00
35	पीतमपुरा दि.वि.प्रा. कार्यालय परिसर में पार्क	0.19
36	आनंद विहार और शक्ति विहार, पीतमपुरा में नेबरहुड पार्क	5.26
37	हर्ष विहार, पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	14.55
38	सीएचबीएस पीतमपुरा में सड़क नंबर 42 के समीप डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.34
39	सीएचबीएस पीतमपुरा में मिलन अपार्टमेंट के समीप डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.75
40	सैनिक विहार, पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	19.17
41	विनस अपार्टमेंट, पीतमपुरा में पार्क	0.50
42	सड़क नंबर 44, पीतमपुरा के समीप कम्युनिटी सेंटर में पार्क	1.00
43	पीतम पुरा गांव के समीप पार्क	1.33
44	राजधानी एन्क्लेव, पीतमपुरा में नेबरहुड पार्क	3.23
45	कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.64
46	संदेश विहार, पीतम पुरा में पी एंड टी कॉलोनी में नेबरहुड पार्क	4.62
47	चंद्र लोक और लोक विहार, पीतमपुरा के बीच नेबरहुड पार्क	4.86
48	लोक विहार, पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	7.96
49	शकूरपुर में पुराने बाग	11.15
50	सीएचबीएस पीतमपुरा (संजय वन) में डिस्ट्रिक्ट पार्क	14.00
51	सरस्वती विहार, पीतमपुरा में जोनल हरित क्षेत्र	13.72
52	बृज विहार के समीप सीएचबीएस पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	5.77
53	मंगोल पुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज II में ग्रीन बेल्ट	9.56

54	दीपाली चौक के समीप सीएचबीएस पीतमपुरा में नेबरहुड पार्क	4.03
55	मुल्तान नगर में डिस्ट्रिक्ट पार्क	26.50
56	नांगलोई के महाराजा सूरजमल स्टेडियम में पार्क	4.67
57	डबल टंकी के पास, पीतमपुरा के समीप डिस्ट्रिक्ट पार्क	9.33
58	पीतमपुरा में एसपी/टीपी-ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पार्क	2.52
59	पीतमपुरा में कार्यालय परिसर में हरित क्षेत्र	0.92
60	पीतमपुरा एसपी-ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.28
61	ब्लॉक-एनडी पीतमपुरा में नेबरहुड पार्क	3.28
62	ब्लॉक-टीपी पीतमपुरा में नेबरहुड पार्क	4.42
63	आरपी-ब्लॉक पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	5.85
64	ब्लॉक-एचयू पीतमपुरा में नेबरहुड पार्क	6.57
65	पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क (लाला वाला बाग)	10.36
66	कम्युनिटी सेंटर, केपी-ब्लॉक, पीतमपुरा में हरित क्षेत्र	1.25
67	डिस्ट्रिक्ट पार्क (झील क्षेत्र) पीतमपुरा	59.38
68	शास्त्री नगर, कालिदास मार्ग के बीच हरित क्षेत्र	5.40
69	दरबार खान वाला बाग में पार्क और नर्सरी	9.32
70	शास्त्री नगर में पार्क (राम सिंह वाला बाग)	9.36
71	शास्त्री नगर में (चरखी वाला बाग)	13.00
72	गुलाबी बाग में सिंधोरा कलां में पार्क	11.92
73	पुराने बाग, गुलाबी बाग में पार्क	3.21
74	शास्त्री नगर फेज III में डिस्ट्रिक्ट पार्क	47.17
75	सी-1- पहाड़ी, लॉरेंस रोड में नेबरहुड पार्क	3.04
76	लॉरेंस रोड में नेबरहुड पार्क, रोज़ गार्डन	5.10
77	लॉरेंस रोड पर नेबरहुड पार्क (मजदूर पार्क)	7.40
78	लॉरेंस रोड में महर्षि दयानंद डिस्ट्रिक्ट पार्क	22.63
79	लॉरेंस रोड में डिस्ट्रिक्ट पार्क (नेपाल वाला बाग)	10.89
80	फैज़ रोड में ग्रीन बेल्ट	0.22
81	रानी झांसी रोड में मामा भांजा मजार में पार्क	0.45
82	टेलीफोन एक्सचेंज, करोल बाग के समीप पार्क	2.50
83	मोतिया खान में ब्लॉक 1 और 2, एमआईजी फ्लैट के पीछे हरित क्षेत्र	0.33
84	पंचकुइयां रोड में दरगाह पीर बनवासी पार्क	2.36
85	ईदगाह, झंडेवालान में पार्क	4.50
86	मोतिया खान में पार्क	7.77
87	फैज़ रोड (रानी झासी रोड के बीच) में डिस्ट्रिक्ट पार्क	9.92
88	मॉडल टाउन से राजपुरा छावनी में पार्क और पुराना बाग (रतन वाला बाग)	19.50

89	रेलवे लाइन और जीटीके रोड के बीच हरित क्षेत्र (इस्माइल खान वाला बाग)	22.80
90	अशोक विहार फ्लाई ओवर के समीप चौकी नंबर 4 में पार्क	1.50
91	आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के समीप पार्क।	5.36
92	परमेश्वरी वाला बाग, आज़ादपुर में पार्क और पुराना बाग	6.04
93	हंस सिनेमा जीटीके रोड के पीछे परमेश्वरी वाला बाग में पार्क	6.00
94	रोसनारा क्लब के समीप अंबा सिनेमा के पीछे शक्ति नगर में बिरला टेक्सटाइल द्वारा सौंपी गई भूमि में पार्क	14.96
95	राजपुरा गुड़ मंडी में नजफगढ़ नाले के समीप पार्क।	0.50
96	संदेश विहार पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	21.25
97	पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	5.90
98	अशोक विहार फेज III पिकनिक हट में पार्क	24.00
99	अशोक विहार फेज IV पर जोनल हरित क्षेत्र	17.47
100	गुलाबी बाग में डिस्ट्रिक्ट पार्क	30.50
101	अशोक विहार फेज़ II में डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.22
102	अशोक विहार फेज IV में अशोका गार्डन	76.06
103	अशोक विहार फेज-IV में पुराना बाग (जनक वाला बाग)	9.38
104	अशोक विहार फेज III में डिस्ट्रिक्ट पार्क (बाबा खिम्मन सिंह)	20.00
105	अशोक विहार फेज 1 में ई से आई तक ग्रीन बेल्ट	12.00
106	अशोक विहार फेज-III के समीप सावन पार्क आरयूबी में पार्क	1.35
107	अशोक विहार फेज 1 में चिल्ड्रन पार्क (चौ. लेख राम पार्क)	8.82
108	अशोक विहार फेज I में रेलवे लाइन के समीप ग्रीन बेल्ट	27.84
109	अशोक विहार फेज -1 में कार्यालय परिसर में पार्क	0.50
110	अशोक विहार फेज-I में वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.81
111	अशोक विहार फेज II में बोड़ा कुआं में पार्क और खेल का मैदान	11.74
112	अशोक विहार फेज II में बोड़ा कुआं में नेबरहुड पार्क	2.14
113	अशोक विहार फेज II में पार्क (21 बीघा वाला बाग)	3.09
114	अशोक विहार फेज II में चांदी वाला बाग में पार्क	3.62
115	अशोक विहार फेज-I में वजीर पुर गांव के समीप टॉट लॉट	0.17
116	अशोक विहार फेज III में नेबरहुड पार्क	3.96
117	अशोक विहार फेज II में प्रूडेंस स्कूल के समीप वैष्णवी पार्क और नर्सरी	10.10
118	रेडियो कॉलोनी, धीरपुर के समीप पार्क और जलाशय	2.07
119	ढाका में हरित क्षेत्र	10.00
120	गोपालपुर में हरित क्षेत्र एसएलएफ.	10.00
121	मोरीगेट में पार्क	3.30
122	धीरपुर में ग्रीन बेल्ट	10.00

123	बी-ब्लॉक पश्चिम पुरी में डिस्ट्रिक्ट पार्क	15.35
124	बसई दारापुर में शिवाजी पार्क।	18.00
125	ए-4, सुप्रिया अपार्टमेंट, पश्चिम विहार में नेबरहुड पार्क।	1.69
126	पश्चिम विहार में रोहतक रोड के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क।	2.54
127	पंजाबी बाग एक्सटेंशन में हरित क्षेत्र	8.60
128	बीजी-6 पश्चिम विहार के सामने एनजी नाले के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.19
129	ख्याला में जोनल हरित क्षेत्र	3.50
130	शिवाजी मार्ग, मोती नगर में दि.वि.प्रा. हरित	128.95
131	एम-ब्लॉक विकास पुरी में डिस्ट्रिक्ट पार्क	27.12
132	सी-ब्लॉक, विकासपुरी में खेल का मैदान	5.42
133	एफ-ब्लॉक, विकासपुरी में गोबिंद बिहारी लाल पार्क	10.76
134	जीएच-5 और 7 पश्चिम विहार में के समीप, रोहतक रोड के दक्षिण में डिस्ट्रिक्ट पार्क	9.15
135	केशोपुर में ज़ोनल हरित क्षेत्र	15.04
136	पंखा रोड बुडेला, विकास पुरी के साथ बाहर गिरने वाले नाले पर डिस्ट्रिक्ट पार्क	15.78
137	डीजी-2 गौरी शंकर मंदिर, विकासपुरी फेज-I के समीप सीजीएचएस बुडेला में नेबरहुड पार्क	4.75
138	गंगोत्री अपार्टमेंट, विकासपुरी फेज- II के समीप सीजीएचएस बुडेला में नेबरहुड पार्क	3.50
139	पीरा गढ़ी में पार्क	1.98
140	जहाज अपार्टमेंट के समीप रोहतक रोड के दक्षिण में सोसायटी क्षेत्र में नेबरहुड पार्क	2.70
141	ज्वालापुरी जेजे कॉलोनी में डिस्ट्रिक्ट पार्क	4.66
142	हस्तसाल फेज-II में हरित क्षेत्र	38.00
143	सैनिटरी लैंड फिल पिट नंबर 2 हस्तसाल में पार्क	6.68
144	हस्तसाल फेज- II में खेल का मैदान	5.00
145	भेरा एन्क्लेव के समीप रोहतक रोड के दक्षिण में सोसायटी क्षेत्र में नेबरहुड पार्क	5.76
146	गुरु हरकिशन नगर पश्चिम विहार, रोहतक रोड के दक्षिण में सोसायटी क्षेत्र में नेबरहुड पार्क	5.75
147	सुंदर विहार, पश्चिम विहार रोहतक रोड के दक्षिण में सोसायटी क्षेत्र में नेबरहुड पार्क	8.77
148	जी-17 पश्चिम विहार में डिस्ट्रिक्ट पार्क, एलजी पार्क और खेल का मैदान	28.10
149	सैयद नांगलोई फेज- I, II और III में हरित क्षेत्र (आम का बाग)	220.50
150	हस्तसाल फेज- I में हरित क्षेत्र	48.72
151	एनजी नाला बुडेला, विकास पुरी के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क	13.31
152	टैगोर गार्डन में हरित क्षेत्र	55.26
153	बी-ब्लॉक, पश्चिम विहार के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क फेज- I और III	18.50
154	जी-17 पश्चिम विहार में आरबीआई कॉलोनी और कार्यालय परिसर में डिस्ट्रिक्ट पार्क	5.80
155	आरबीआई कॉलोनी जी-17 पश्चिम विहार में नेबरहुड पार्क।	3.52

156	रक्षा कुंज जी-17, पश्चिम विहार में नेबरहुड पार्क।	2.95
157	एनजी नाला बाहरी रिंग रोड से ख्याला ब्रिज के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क	14.72
158	जी-17 जन्माष्टमी पार्क, पश्चिम विहार में नेबरहुड पार्क।	5.84
159	जी-17 पश्चिम विहार में एसबीआई कॉलोनी में नेबरहुड पार्क।	2.45
160	जीएच-III, पश्चिम विहार में पार्क	0.10
161	पश्चिम विहार में जी-17 में डिस्ट्रिक्ट पार्क और झील	46.50
162	मादीपुर तालाब में मादीपुर और भगवती तालाब में पार्क और झील	16.80
163	ईडन कैसल नर्सरी स्कूल ए-2, पश्चिम विहार के समीप हरित क्षेत्र	0.05
164	विष्णु गार्डन, ख्याला में डिस्ट्रिक्ट पार्क	6.52
165	पीवीसी मार्केट,टिकरी कलां में हरित क्षेत्र	30.00
166	एलआईसी कॉलोनी पश्चिम विहार के समीप रोहतक रोड के दक्षिण में सोसायटी क्षेत्र में नेबरहुड पार्क	2.55
167	अंबिका विहार, पश्चिम विहार के समीप रोहतक रोड के दक्षिण में सोसायटी क्षेत्र में नेबरहुड पार्क	3.19
168	सैयद नांगलोई गांव में जी-17 पश्चिम विहार में डिस्ट्रिक्ट पार्क।	1.15
169	मियावली नगर, पश्चिम विहार के समीप रोहतक रोड के दक्षिण में सोसायटी क्षेत्र में नेबरहुड पार्क	4.27
170	पिकनिक हट, हौज खास में हरित क्षेत्र	64.14
171	हौज खास खेल के मैदान में हरित क्षेत्र	95.3
172	हौज खास में रोज गार्डन सहित डिस्ट्रिक्ट पार्क	100.8
173	आरके पुरम के सामने हौज खास में डिस्ट्रिक्ट पार्क	100.56
174	सी ब्लॉक सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, हौजखास में हरित क्षेत्र	7.5
175	सफदरजंग एन्क्लेव, हौजखास में थेरेपी पार्क	9.18
176	संजय वन, महरौली	773.76
177	कुतब औद्योगिक क्षेत्र में हरित क्षेत्र	12.45
178	महरौली पुरातात्विक पार्क, महरौली।	201.95
179	अंधेरिया मोड़, महरौली के समीप मैंगो ऑर्चर्ड, अंधेरिया मोड़ पार्ट I	9.44
180	समशी तालाब के समीप मैंगो ऑर्चर्ड, अंधेरिया मोड़ पार्ट II	5.29
181	फिरनी रोड ऑक्सीडेसन डिच के बीच मैंगो ऑर्चर्ड अंधेरिया मोड़ पार्ट III	32.9
182	वसंत कुंज में स्मृति वन, सेक्टर ए में हरित क्षेत्र	34.51
183	वसंत कुंज में खाली भूमि में सेक्टर ए, पॉकेट- ए में नेबरहुड पार्क	6.43
184	वसंत कुंज में सेक्टर ए पॉकेट बी और सी में डिस्ट्रिक्ट पार्क	8.5
185	सेक्टर ए, पॉकेट ए, वसंत कुंज में ऑक्सीडेशन डिच के समीप हरित क्षेत्र	5.5
186	सेक्टर ए, पॉकेट बी और सी, वसंत कुंज में हरित क्षेत्र	8.5
187	अंधेरिया मोड़, महरौली में पार्क	6.69

188	अंधेरिया मोड़ फेज-V, महरौली में हरित क्षेत्र	24.33
189	ईट भट्टा, गांव घिटोरनी में वुडलैंड क्षेत्र	68.61
190	सेक्टर बी-5 और 6, वसंत कुंज में नेबरहुड पार्क	5.18
191	सेक्टर बी-10, वसंत कुंज में नेबरहुड पार्क	3.87
192	सेक्टर बी, वसंत कुंज में डिस्ट्रिक्ट पार्क (कैक्टस गार्डन)	7.51
193	वसंत कुंज में सेक्टर बी-1 तालाब क्षेत्र के पास नेबरहुड पार्क	2.96
194	रोज़ वुड अपार्टमेंट, वसंत कुंज में हरित	2.05
195	वसंत कुंज में सेक्टर सी-3 से टी-पॉइंट सेक्टर सी-9 और सी-8 से जैव विविधता पार्क तक ग्रीन बेल्ट सड़क और सेन्ट्रल वर्ज	3.15
196	पॉकेट 9, सेक्टर सी, वसंत कुंज में नेबरहुड पार्क	3.05
197	सेक्टर सी, वसंत कुंज में वसंत वैली स्कूल के पीछे वसंत वाटिका	10.6
198	वसंत कुंज में जेएनयू फेज II के पश्चिम में ग्रैंड होटल के सामने पार्क	27.64
199	वसंत कुंज में डीपीएस और पॉकेट 4, सेक्टर सी के बीच नेबरहुड पार्क	3.18
200	ई-1, वसंत कुंज में हरित क्षेत्र	2.18
201	खसरा नंबर 524, गांव महिपालपुर में जलाशय	3.18
202	रंगपुरी में मलिकपुर सुल्तान गढ़ी मकबरे के समीप हरित क्षेत्र	70
203	सेक्टर डी, पॉकेट-6, वसंत कुंज में दि.वि.प्रा. आवास पॉकेट में हरित क्षेत्र	12.37
204	धौला कुआँ में हरित क्षेत्र	65.82
205	सत्य निकेतन में पार्क और वृक्षारोपण	6.94
206	नानकपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क	17.5
207	आनंद निकेतन (एल एंड डी ओ भूमि) में हरित	1.94
208	वसंत विहार में वसंत उद्यान	43.17
209	बसंत नगर में हरित क्षेत्र	5
210	कम्युनिटी सेंटर बसंत लोक, वसंत विहार में पार्क	3.67
211	गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, वसंत विहार में ग्रीन बेल्ट	4
212	आरके पुरम सेक्टर 6 और 12 बीएसईएस कार्यालय और मोहन सिंह मार्केट (एलएंडडीओ भूमि) में हरित क्षेत्र	13.91
213	सेक्टर 12, आरके पुरम (एलएंडडीओ भूमि) में हरित क्षेत्र	26.00
214	चाणक्यपुरी (एल एंड डी ओ भूमि) में हरित क्षेत्र	5.48
215	सेक्टर 3, आरके पुरम (एल एंड डी ओ भूमि) में हरित क्षेत्र	2
216	सेक्टर 3 और 4, आरके पुरम (एल एंड डी ओ भूमि) में हरित क्षेत्र	16.96
217	सेक्टर 7 एसएम मंदिर, आरके पुरम (एल एंड डी ओ भूमि) में हरित क्षेत्र	1.6
218	डिस्ट्रिक्ट पार्क अवंतिका, सेक्टर-1, रोहिणी	53.05
219	वाई-ब्लॉक मंगोलपुरी के समीप, बुध विहार नाले के साथ हरित क्षेत्र	0.26
220	कार्यालय परिसर, दीपाली चौक, सेक्टर-3, रोहिणी में पार्क	0.32

221	रेमल पब्लिक स्कूल, सेक्टर-3 रोहिणी के पास नेबरहुड पार्क	3.47
222	एच-32, सेक्टर-3, रोहिणी में नेबरहुड पार्क और खेल का मैदान	3.31
223	बी-9, सेक्टर-3, रोहिणी में नेबरहुड पार्क और खेल का मैदान	3.31
224	मल्टीजिम, सेक्टर-3, रोहिणी में नेबरहुड पार्क और खेल का मैदान	3.38
225	पार्क और तालाब क्षेत्र, सेक्टर-3, रोहिणी	4.91
226	नागलोई नाला, सेक्टर-4, रोहिणी के साथ ग्रीन बेल्ट	2.93
227	पॉकेट-सी, सेक्टर-4, रोहिणी में पार्क	0.23
228	पॉकेट-डी-16, सेक्टर-7, रोहिणी में नेबरहुड पार्क	3.6
229	सेक्टर-08, रोहिणी, ए-1 और ए-3 में ग्रीन बेल्ट	3.89
230	सेक्टर-8, डी 11, रोहिणी में नेबरहुड पार्क और खेल का मैदान	3.44
231	रोहिणी, सेक्टर 8 ई-17 और एफ-18 के बीच खेल का मैदान।	3.31
232	पॉकेट-सी 8, सेक्टर-8, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	1.33
233	पॉकेट -बी 5, सेक्टर-8, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	2.56
234	सेक्टर-5, रोहिणी में पार्क और खेल का मैदान	3.18
235	रिठाला सेक्टर-5, रोहिणी में पार्क और जलाशय	9.28
236	सेक्टर-5, रोहिणी में पार्क और वन स्थल संख्या 3	8.67
237	सेक्टर-5, रोहिणी में गैस गोदाम के समीप पार्क और वन स्थल संख्या 3	6.32
238	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 3	3.08
239	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 5	4.81
240	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 6	4.55
241	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 8	6.48
242	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 10	3.12
243	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 11	4.46
244	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 13	3.05
245	सेक्टर-24, रोहिणी में नेबरहुड पार्क संख्या 17	6.48
246	सेक्टर-24 रोहिणी में पेट्रोल पंप के सामने ग्रीन बेल्ट	4.13
247	सेक्टर-24, रोहिणी में पॉकेट -20 से 23 के समीप ग्रीन बेल्ट	4.15
248	सेक्टर-24, रोहिणी में रिठाला नाले के समीप ग्रीन बेल्ट	18.19
249	सेक्टर-24, रोहिणी में पॉकेट 2-4 और 5 के समीप ग्रीन बेल्ट	5.49
250	सेक्टर-24, रोहिणी में दीप विहार के समीप ग्रीन बेल्ट	5.68
251	सेक्टर 24, रोहिणी में 80 मीटर चौड़ी सड़क के समीप ग्रीन बेल्ट	4.44
252	सेक्टर-24, रोहिणी में 60 मीटर चौड़ी सड़क के समीप ग्रीन बेल्ट	4.48
253	सेक्टर-21, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	9.61
254	सेक्टर-22, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	18.23
255	सेक्टर-22, रोहिणी में खेल का मैदान	3.35

256	सरदार पटेल झील, सेक्टर-23, रोहिणी में पार्क	10
257	सेक्टर-23, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	27.8
258	श्री बाला जी एन्क्लेव, सेक्टर -23, रोहिणी में हरित क्षेत्र	0.95
259	सेक्टर-23, रोहिणी में पार्क	13.03
260	7.5 एमजीडी यूजीआर पंप, सेक्टर-23, रोहिणी के समीप हरित क्षेत्र	4.11
261	रेलवे लाइन के समीप नांगलोई गांव में हरित क्षेत्र	6.69
262	सेक्टर-20, रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट पार्क	20.22
263	सेक्टर-33, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	6.09
264	सेक्टर-23, रोहिणी में आवासीय पॉकेट-11ए और 11बी के पीछे हरित क्षेत्र	20.69
265	सेक्टर -35, रोहिणी में 100 मीटर रोड के साथ ग्रीन बेल्ट	16.74
266	पॉकेट बी-4, बी-5, (बवाना रोड) सेक्टर -35, रोहिणी के समीप हरित क्षेत्र	5.6
267	पॉकेट-5, 6, पॉकेट-बी4, सेक्टर-35, रोहिणी में पार्क और वृक्षारोपण	3
268	सेक्टर 35, रोहिणी में बवाना रोड के साथ पार्क।	1.6
269	पॉकेट-5 और 6, रोहिणी के बीच सेक्टर-35 में मध्य हरित क्षेत्र	47
270	ब्लॉक ए और सी, सेक्टर-35 रोहिणी में टॉट-लॉट	9.84
271	ब्लॉक बी पॉकेट-II सेक्टर-29 रोहिणी में पार्क	3.29
272	सेक्टर-29, रोहिणी में एचआईजी फ्लैट के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क	23.22
273	सेक्टर-29, रोहिणी में एलआईजी फ्लैट्स के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क	23.16
274	सेक्टर-29, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	6.54
275	ब्लॉक-डी, सेक्टर 29, रोहिणी में पार्क	14.85
276	सेक्टर-29, रोहिणी में नहरी मार्ग के समीप हरित क्षेत्र	15.5
277	सेक्टर-29, रोहिणी में 80 मीटर सड़क के समीप हरित क्षेत्र	15.5
278	पॉकेट 1, ब्लॉक-बी, सेक्टर-29, रोहिणी में हरित क्षेत्र	2.1
279	पार्क ए और बी सेक्टर-29, रोहिणी में टॉट लॉट	5.96
280	सेक्टर-29, रोहिणी में 80 मीटर सड़क के समीप हरित क्षेत्र	2.18
281	पार्ट-II, यमुना पश्चिमी नहर, सेक्टर-29, रोहिणी में हरित क्षेत्र	47.95
282	सेक्टर-30, रोहिणी में हरित क्षेत्र	22.5
283	सेक्टर-30, रोहिणी में पार्क	3.47
284	सेक्टर-29-30 रोहिणी में पार्क	6.18
285	सेक्टर-10 रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट पार्क (स्वर्ण जयंती पार्क)	170.06
286	दि.वि.प्रा. कार्यालय परिसर, सेक्टर-10 रोहिणी में हरित।	0.25
287	सेक्टर-11, रोहिणी में नर्सरी स्थल संख्या 4 सहित पार्क और वृक्षारोपण	17.56
288	स्थल संख्या 4, सेक्टर 11, रोहिणी में पार्क, वृक्षारोपण और वुडलैंड	14.25
289	सेक्टर-11, रोहिणी में बालाजी के समीप ग्रीन बेल्ट	6.96
290	सेक्टर-XI, रोहिणी में एसएफएस फ्लैटों के सामने पार्क और आरएसपी	6.09

291	सेक्टर-XI, (एक्सटेंशन) रोहिणी में ग्रीन बेल्ट।	16.42
292	सेक्टर-14, रोहिणी में महेश्वरी अपार्टमेंट के पास नेबरहुड पार्क	4.64
293	सेक्टर-14 रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट पार्क, चित्र गुप्त पार्क	30.48
294	जोनल कार्यालय भवन, सेक्टर-14, रोहिणी में हरित	0.23
295	सेक्टर-14, रोहिणी में मधुबन चौक से प्रशांत विहार के समीप ग्रीन बेल्ट	5.1
296	सेक्टर-13 रोहिणी में झुंग अपार्टमेंट के पास नेबरहुड पार्क	5.35
297	सेक्टर-15, रोहिणी नील कंठ मंदिर के समीप ब्लॉक-जी में नेबरहुड पार्क	3.56
298	सेक्टर 15, रोहिणी में नाले के समीप एच-ब्लॉक में ग्रीन बेल्ट	3.5
299	ब्लॉक-जी, सेक्टर-15 रोहिणी में पार्क और खेल का मैदान	5.8
300	सेक्टर -15, रोहिणी में एच-ब्लॉक टैक्सी स्टैंड के पास नेबरहुड पार्क	2.3
301	सेक्टर-16, रोहिणी में पार्क और खेल का मैदान	8.65
302	सेक्टर-16 रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	3.37
303	सेक्टर-17 रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	1.78
304	सेक्टर-32, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट पार्ट-II	13.75
305	सेक्टर-32, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट पार्ट-I	12.98
306	पॉकेट ए-1, सेक्टर-32, रोहिणी में टॉट लॉट	2.03
307	सेक्टर-32, रोहिणी में 60 और 80 मीटर चौड़ी सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट	8.1
308	रोहिणी सेक्टर 38 में ग्रीन बेल्ट	2.99
309	सेक्टर-38, रोहिणी में कंजावला रोड के समीप ग्रीन बेल्ट	3.98
310	सेक्टर-38 रोहिणी में 100 मीटर चौड़ी सड़क के समीप ग्रीन बेल्ट	7.45
311	सेक्टर-39 और 40, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	34
312	शीतला माता मंदिर, रोहिणी में पार्क	0.41
313	सेक्टर-36, रोहिणी में 100 मीटर सड़क के समीप ग्रीन बेल्ट	9.1
314	सेक्टर-36 में 30 मीटर चौड़ी सड़क से 60 मीटर सड़क तक ग्रीन बेल्ट	13.42
315	सेक्टर-36 में हेलीपैड के पीछे ग्रीन बेल्ट	7.18
316	सेक्टर-36, रोहिणी में 30 मीटर से 60 मीटर सड़क हेलीपैड के बीच में ग्रीन बेल्ट	21.6
317	ब्लॉक-सी, पॉकेट-1, सेक्टर-36, रोहिणी में टॉट-लॉट और वन	3.73
318	पॉकेट-1, ब्लॉक-ए, सेक्टर-36, रोहिणी में टॉट-लॉट और पार्क	5.21
319	पॉकेट-2, ब्लॉक-ए, सेक्टर-36, रोहिणी में टॉट-लॉट और पार्क	1.27
320	पॉकेट-3, ब्लॉक-ए, सेक्टर-36, रोहिणी में टॉट-लॉट और पार्क	2.49
321	पॉकेट-3, ब्लॉक-सी, सेक्टर-36, रोहिणी में टॉट-लॉट और पार्क	1.28
322	पॉकेट-2, ब्लॉक-सी, सेक्टर-36, रोहिणी में टॉट-लॉट और पार्क	2.42
323	ब्लॉक-सी, पॉकेट-3, सेक्टर-36, रोहिणी में टॉट-लॉट पार्क और वन	1.28
324	सेक्टर-37, रोहिणी में 100 मीटर चौड़ी सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट	13.96
325	ब्लॉक-सी-1, सेक्टर-37, रोहिणी में टॉट लॉट पार्क	5.2

326	पॉकेट -सी 2, सेक्टर 37, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	3.55
327	सेक्टर 37, रोहिणी में पॉकेट-सी1 में ग्रीन बेल्ट पार्ट-II	18.38
328	सेक्टर-37, रोहिणी में पॉकेट-बी-03 के समीप ग्रीन बेल्ट	10.19
329	सेक्टर-37, रोहिणी में 60 मीटर चौड़ी हेलीपैड सड़क ब्लॉक बी-3 के साथ ग्रीन बेल्ट	13.99
330	सेक्टर-37, रोहिणी में पॉकेट-सी 1 में 60 मीटर चौड़ी हेलीपैड सड़क के समीप ग्रीन बेल्ट	9.16
331	सेक्टर-34, रोहिणी में सेंट्रल हरित क्षेत्र	49.78
332	पॉकेट-1 से 4, सेक्टर-34, रोहिणी में पार्क और वृक्षारोपण	18.71
333	ब्लॉक ए और सी, सेक्टर-34, रोहिणी में टॉट-लॉट्स	29.29
334	सेक्टर-34, रोहिणी में हरित क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट	20
335	पॉकेट सी-1 और सी-2 सेक्टर -34, रोहिणी में 45 मीटर सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट और पार्क	7.28
336	सेक्टर-34, रोहिणी में पॉकेट ए1 और ए2, के बीच ग्रीन बेल्ट	10.77
337	सेक्टर-25, रोहिणी में पॉकेट 1 के पास नेबरहुड पार्क संख्या 3	3.56
338	सेक्टर-25, रोहिणी में रेयान पी स्कूल के सामने नेबरहुड पार्क संख्या 4	4.17
339	सेक्टर-25, रोहिणी में पॉकेट- 7 के पास नेबरहुड पार्क संख्या 5	3.43
340	शाहबाद डेयरी, सेक्टर-25, रोहिणी में पार्क	4.59
341	सेक्टर-25, रोहिणी में एसपीएस से दिल्ली इंस्टीट्यूट तक ग्रीन बेल्ट	4.58
342	सेक्टर -25, रोहिणी में 60 मीटर चौड़ी सड़क के साथ दिल्ली इंस्टीट्यूट के समीप ग्रीन बेल्ट	2.58
343	पॉकेट 1 से 8, सेक्टर-25, रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	6.33
344	सेक्टर-26, रोहिणी में जजेज फ्लैटों के समीप पार्क	0.73
345	सेक्टर - 26, रोहिणी में आरएसपी और ग्रीन बेल्ट	2.86
346	सेक्टर-27, रोहिणी में मंदिर के साथ ग्रीन बेल्ट	3.84
347	सेक्टर-27, रोहिणी में पार्क	5.63
348	सेक्टर-27, ब्लॉक-सी, रोहिणी में हरित क्षेत्र	0.11
349	सेक्टर-27, रोहिणी में जोनल हरित क्षेत्र	4.54
350	शाहबाद, सेक्टर-27, रोहिणी में पार्क	3.25
351	सेक्टर -25, रोहिणी में सीएनजी पंप के समीप ग्रीन बेल्ट	20.26
352	सेक्टर -28, रोहिणी में हरित क्षेत्र पार्ट-I	20.89
353	पाकेट सी-1, सेक्टर-28, रोहिणी में पार्क	4.65
354	ब्लॉक सी-2, सेक्टर-28 रोहिणी में ग्रीन बेल्ट	4.94
355	सेक्टर-28, रोहिणी में एलआईजी/एमआईजी फ्लैटों के बीच हरित क्षेत्र पार्ट-II,	22.13
356	पॉकेट सी-4, सेक्टर-28, रोहिणी में पार्क	5.94
357	सेक्टर 28, रोहिणी में सीएनजी पंप के समीप ग्रीन बेल्ट	12.04
358	सेक्टर 28, रोहिणी में पश्चिमी यमुना नहर के समीप ग्रीन बेल्ट	6.60

359	सेक्टर-28, रोहिणी में 80 मीटर सड़क के समीप ग्रीन बेल्ट	16.1
360	पॉकेट- ए3 और ए5, सेक्टर-28, रोहिणी में हरित क्षेत्र	4.25
361	अरुण जेटली पार्क, सिरी फोर्ट।	133.66
362	सिरी फोर्ट फेज-1 में हरित क्षेत्र रिशाल वाला	12.08
363	कृषि विहार, जीके-I के बीच हरित क्षेत्र	4.9
364	मार्शल टीटो मार्ग में पार्क और सीड बेड	4.94
365	मार्शल टीटो मार्ग (मॉडल पार्क) में पार्क और पहाड़ी क्षेत्र	23.41
366	बेगमपुर के समीप विजय मंडल में पार्क	46
367	लाडो सराय फेज-I में हरित क्षेत्र (तारा वाला)	7.44
368	क्रिसेंट मॉल, लाडो सराय के समीप दि.वि.प्रा. पार्क	1
369	लाडो सराय फेज-1 में चिल्ड्रन पार्क।	8.5
370	मैदानगढ़ी में नेबरहुड पार्क-1	1.6
371	मैदानगढ़ी में नेबरहुड पार्क-2	2
372	मैदानगढ़ी में रग्बी मैदान	3.41
373	लाडो सराय फेज-II में हरित क्षेत्र (इंडियन गार्डन)	10.87
374	लाडो सराय, फेज़-1 में कुतुब नर्सरी	6
375	लाडो सराय, फेज-II, में हरित क्षेत्र	53
376	लाडो सराय में सिटी पार्क	125.5
377	लाडो सराय में हरित क्षेत्र	56
378	साकेत में डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.76
379	जे – ब्लॉक, साकेत में नेबरहुड पार्क	4.78
380	डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत में हरित क्षेत्र	3.76
381	ई – ब्लॉक, साकेत में नेबरहुड पार्क	5.44
382	डी – ब्लॉक, साकेत में नेबरहुड पार्क	5.46
383	बत्रा अस्पताल के सामने संगम विहार में पार्क	13.76
384	तुगलकाबाद में काया माया मंदिर के समीप हरित	11.24
385	तुगलकाबाद में टोंगिया प्लांटेशन में हरित क्षेत्र	11.06
386	पुल प्रहलादपुर, फेज़-I में पार्क	34
387	तुगलकाबाद में आदिलाबाद किले के पास हरित क्षेत्र	20
388	तुगलकाबाद मनोरंजन परिसर जोन-III फेज़-I	75
389	पुल प्रहलादपुर फेज-II में पार्क	6
390	मस्जिद मोठ पंचशील में डिस्ट्रिक्ट पार्क	20
391	सतपुला झील में चिराग दिल्ली गांव और खिड़की गांव के समीप डिस्ट्रिक्ट पार्क	40.5
392	शेख सराय, फेज-I में कार्यालय भवन के पास नेबरहुड पार्क और सीड बेड	1.65
393	शेख सराय, फेज-I में पॉकेट बी और सी के पास नेबरहुड पार्क	6

394	सर्वप्रिय विहार में पार्क	3.63
395	पंचशील में पार्क (झीलवाला)	4.8
396	शाहपुर जट में मुख्य अभियंता, दक्षिणी जोन दि.वि.प्रा. कार्यालय के समीप टॉट लॉट	1.39
397	हौज़ खास में तिकोना पार्क (माँ शारदा पार्क)	4.42
398	अगस्त क्रांति मार्ग (एशियन गेम्स विलेज परिसर) के साथ ग्रीन बेल्ट	6.75
399	पंचशील के समीप एशियन गेम्स विलेज परिसर में पार्क	7.81
400	हौज़ खास में नेबरहुड पार्क (गुलमोहर पार्क)	11.5
401	संजय झील, त्रिलोकपुरी, मयूर विहार	165.34
402	मयूर विहार फेज-I में डिस्ट्रिक्ट सेंटर मयूर प्लेस में हरित क्षेत्र	3.95
403	मयूर विहार फेज-I एक्सटेंशन में सीजीएचएस के समीप पार्क	8.92
404	मयूर विहार फेज-I में सीजीएचएस के समीप पार्क	3.76
405	मयूर विहार फेज-I में कोटला गांव के समीप त्रिलोक पुरी में पार्क	9.94
406	नेहरू एन्क्लेव के समीप शकरपुर में पार्क	14.17
407	क्लोवर लीफ, जसोला फ्लाई ओवर में हरित क्षेत्र	15.16
408	बहापुर में हरित क्षेत्र	20.98
409	जसोला में हरित क्षेत्र	4.83
410	सरिता विहार में पॉकेट-डी और ई में पार्क	6.78
411	सरिता विहार में सड़क संख्या 13 के साथ हरित क्षेत्र	12.00
412	जसोला में अपोलो अस्पताल के समीप लाला हरदयाल डिस्ट्रिक्ट पार्क	12.85
413	सरिता विहार में डिस्ट्रिक्ट पार्क।	17.04
414	जसोला में खेल परिसर के समीप ऑर्नामेंटल पार्क	3.85
415	न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने अशोका पार्क	21.50
416	कोंडली में स्मृतिवन	56.95
417	मंडावली फाजलपुर में रेलवे लाइन के समीप ग्रीन बेल्ट	3.25
418	मंडावली फाजलपुर में इंजीनियरिंग एस्टेट के समीप तिकोना पार्क	4.83
419	मंडावली फाजलपुर में चिल्ड्रन पार्क	4.99
420	उत्सव ग्राउंड, पटपड़गंज में पार्क	6.00
421	मंडावली फाजलपुर में पार्क और जलाशय	8.93
422	प्रतापगंज में पार्क	15.76
423	डिस्ट्रिक्ट पार्क पटपड़गंज	16.67
424	मंडावली फाजलपुर में पार्क खेल का मैदान	3.50
425	गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली में एनएच 24 हिंडन कट में हरित क्षेत्र	4.93
426	कोंडली में डिस्ट्रिक्ट पार्क।	6.75
427	कोंडली, पूर्वी दिल्ली में आवासीय पॉकेट का हरित क्षेत्र	2.93
428	वसुंधरा एन्क्लेव में खेल का मैदान I और II सीजीएचएस	7.38

429	डिस्ट्रिक्ट पार्क, पॉकेट-सी, आईएफसी, गाजीपुर	8.18
430	खिचड़ीपुर में हरित क्षेत्र	1.60
431	गाजीपुर में हरित क्षेत्र	1.68
432	आनंद विहार में नेबरहुड पार्क	3.63
433	मयूर विहार फेज़-1 में विज्ञानलोक और आनंद विहार के बीच पार्क	3.50
434	मानक विहार में नेबरहुड पार्क	3.81
435	रेलवे लाइन आनंद विहार में डिस्ट्रिक्ट पार्क	3.39
436	विवेक विहार में सड़क संख्या 56 के सामने हरित क्षेत्र	16.00
437	शांति विहार में नेबरहुड पार्क	3.25
438	बाहुबली एन्क्लेव में नेबरहुड पार्क	6.40
439	सैनी एन्क्लेव में नेबरहुड पार्क	4.65
440	सूरजमल विहार में नेबरहुड पार्क	5.50
441	योजना विहार में नेबरहुड पार्क	3.20
442	झिलमिल फेज- II में नेबरहुड पार्क (चिल्ड्रन पार्क)	4.12
443	झिलमिल फेज- II में हरित क्षेत्र (डीयर पार्क)	7.88
444	गोकलपुर में हरित क्षेत्र	4.00
445	आईटीआई विवेक विहार में हरित क्षेत्र	4.32
446	प्रीत विहार में डिस्ट्रिक्ट पार्क	5.50
447	मधुबन एन्क्लेव प्रीत विहार में नेबरहुड पार्क	3.40
448	सी-ब्लॉक, प्रीत विहार में नेबरहुड पार्क	6.70
449	जी-ब्लॉक, प्रीत विहार में नेबरहुड पार्क	4.45
450	गुजरात विहार में नेबरहुड पार्क	3.28
451	खुरेजी खास के पास हरित भूमि	1.48
452	ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर	4.15
453	पीएनबी कॉलोनी, लक्ष्मी नगर में पार्क और खेल का मैदान	7.40
454	गीता कॉलोनी के मार्जिनल बंध पर हरित भूमि	5.06
455	दिलशाद गार्डन में डिस्ट्रिक्ट पार्क (डीयर पार्क)	13.64
456	दिलशाद गार्डन में डिस्ट्रिक्ट पार्क (सीड बेड)	11.62
457	दिलशाद गार्डन में डिस्ट्रिक्ट पार्क	8.25
458	दिलशाद गार्डन में डिस्ट्रिक्ट पार्क (आई-पॉकेट)	4.10
459	पॉकेट-बी, दिलशाद गार्डन में नेबरहुड पार्क (हनुमान वाटिका)	3.25
460	महाराजा सूरजमल पार्क	15.30
461	सीबीडी, सेंटर शाहदरा	8.35
462	नंद नगरी फेज-I में डिस्ट्रिक्ट पार्क	13.50
463	नंद नगरी फेज-II में डिस्ट्रिक्ट पार्क	8.00

464	मंडोली रोड पर हरित क्षेत्र	11.00
465	सुंदर नगरी में डिस्ट्रिक्ट पार्क और जलाशय	9.00
466	कांति नगर के दक्षिण में डिस्ट्रिक्ट पार्क	21.22
467	बीड़ी नंबर-22 बाग, लोनी रोड के पूर्व, गोकल पुरी में हरित क्षेत्र	4.20
468	लोनी रोड के पूर्व में शाहदरा में नेबरहुड पार्क	5.00
469	ज़ियाउद्दीन वाला बाग, शास्त्री नगर में हरित क्षेत्र	5.00
470	गोकलपुर गांव में हरित क्षेत्र (मंदिर वाला पार्क)	0.09
471	पुलिस स्टेशन के सामने भजन पुरा, पूर्वी दिल्ली में हरित भूमि	0.56
472	मौजपुर में मौजपुर अखाड़ा वाला पार्क	0.52
473	बी-5 यमुना विहार में हरित क्षेत्र	1.43
474	शास्त्री पार्क में डिस्ट्रिक्ट पार्क	10.00
475	मार्जिनल बंध, शास्त्री पार्क में पार्क	3.38
476	चौहान खादर, शास्त्री पार्क में पार्क	5.00
477	ब्लॉक ए-2, जनक पुरी में नेबरहुड पार्क	9.50
478	ए1 ब्लॉक, (पंखा रोड), जनकपुरी में ग्रीन बेल्ट	4.77
479	ए-ब्लॉक जनकपुरी में सत्य वती पार्क	14.38
480	ए-5ए-ब्लॉक जनकपुरी में नेबरहुड पार्क	4.35
481	सी-ब्लॉक जनकपुरी में सी-4जी मंदिर के पास नेबरहुड पार्क	6.30
482	सी-ब्लॉक जनक पुरी में नेबरहुड पार्क सी-1	5.30
483	सी-2 ब्लॉक, जनक पुरी में नेबरहुड पार्क और नर्सरी	4.50
484	सी-2 ब्लॉक, जनकपुरी में नेबरहुड पार्क	4.62
485	जनकपुरी में पोसंगी पुर गांव के समीप खेल का मैदान	7.60
486	बी-ब्लॉक जनकपुरी में डिस्ट्रिक्ट पार्क	24.25
487	बी-1, जनकपुरी में नेबरहुड पार्क	3.57
488	जनक पुरी में डी-ब्लॉक (स्टाफ क्लब के पास) में डिस्ट्रिक्ट पार्क	12.25
489	बी-1, जनक पुरी में नेबरहुड पार्क (बाबा वाला पार्क)	5.90
490	बी-2-बी जनकपुरी में कार्यालय परिसर से सटा हुआ नेबरहुड पार्क	10.04
491	बी2 ब्लॉक, जनक पुरी में नेबरहुड पार्क (कारगिल पार्क)	3.19
492	मसूदाबाद में साई बाबा मंदिर के समीप हरित क्षेत्र	8.40
493	नजफगढ़ एक्सटेंशन में ग्राम सभा की भूमि पर अजय पार्क, नजफगढ़ और हबीयतपुर	4.50
494	श्याम विहार के समीप, जेड ब्लॉक के पास हरित क्षेत्र।	0.99
495	पुलिस स्टेशन नजफगढ़ के समीप एमटीएनएल कार्यालय के पास हरित क्षेत्र	0.89
496	सर गंगा राम अस्पताल के समीप हरित क्षेत्र, राजेंद्र नगर	0.05
497	लोकेश पार्क (दौलत राम), नजफगढ़	1.60
498	लोकनायकपुरम, डी-ब्लॉक के समीप बक्करवाला में ग्रीन बेल्ट	8.17

499	बक्करवाला में कम्युनिटी पार्क	22.73
500	लोक नायकपुरम, बक्करवाला में पॉकेट-ई में हरित क्षेत्र	1.80
501	हरि नगर में शहीद पवन साहनी चौक के समीप भगवान परशु राम पार्क (नेबरहुड पार्क)	6.20
502	हरि नगर में जेल रोड के साथ 300 फीट चौड़ी ग्रीन बेल्ट	21.26
503	डीडीयू अस्पताल, हरि नगर के समीप उधम सिंह पार्क (नेबरहुड पार्क)	7.26
504	राजौरी गार्डन में एमआईजी फ्लैटों के पास डिस्ट्रिक्ट पार्क	10.79
505	राजौरी गार्डन में एलआईजी फ्लैटों के पास डिस्ट्रिक्ट पार्क	8.94
506	जी8 क्षेत्र, राजौरी गार्डन में पार्क झील और वन	46.70
507	मानक विहार, फतेह नगर में तिहाड़ गांव के पास नेबरहुड पार्क	7.67
508	भूली भटियारी, झंडेवालान में पार्क और वन	73.14
509	'एस/आर' आर-ब्लॉक राजिंदर नगर में पार्क और वन	174.14
510	दशघरा, टोडापुर में पार्क और जलाशय	9.58
511	नारायणा से इंद्रपुरी के बीच हरित क्षेत्र	31.02
512	अशोका पहाड़ी, फैज रोड, करोल बाग में पार्क	0.23
513	सर गंगा राम हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर के पास स्टाफ क्वार्टर के समीप हरित क्षेत्र	1.00
514	ई5 से ई10, पटेल नगर में रॉक गार्डन	10.25
515	प्रसाद नगर में पार्क और झील	7.35
516	नारायणा विहार में नेबरहुड पार्क	7.22
517	कीर्ति नगर में दिविप्रा जिम के पास टंकीवाला पार्क	1.00
518	डॉ. हेडगेवार डिस्ट्रिक्ट पार्क, कीर्ति नगर	6.63
519	औद्योगिक क्षेत्र नारायणा फेज-II मे समीप सत्य पार्क	21.94
520	गुरु तेग बहादुर, सरस्वती गार्डन में खुला स्थान	4.47
521	कीर्ति नगर में हरित क्षेत्र	4.42
522	मायापुरी फेज-II में डिस्ट्रिक्ट पार्क (साल्वेज पार्क)	22.70
523	ब्लॉक डी, जनकपुरी में नेबरहुड पार्क	3.45
524	मायापुरी फेज-II में डॉ. सुशीला नैयर पार्क	19.50
525	माया पुरी लिंक रोड पर मोहन मंदिर पार्क	6.50
526	माया पुरी लिंक रोड पर शिव मंदिर पार्क	3.70
527	दिल्ली छावनी के समीप पंखा रोड के साथ हरित क्षेत्र (आरओबी रेवाड़ी रेलवे लाइन के पास)	0.61
528	प्रियदर्शनी उद्यान डिस्ट्रिक्ट पार्क, राजौरी गार्डन	14.38
529	माया पुरी लिंक रोड पर जल शोधन पार्क	4.53
530	माया पुरी लिंक रोड पर जस्सा सिंह पार्क	8.50
531	सीड बेड पार्क, माया पुरी लिंक रोड	3.50

532	पार्क (80 एसएफएस में), माया पुरी लिंक रोड	3.90
533	महर्षि दयानंद पार्क, सुभाष नगर	11.31
534	केशव पार्क, सुभाष नगर	7.19
535	मयूर नेचर पार्क, मयूर विहार।	930.00
536	मदनपुर खादर में हरित क्षेत्र	146.98
537	बांसेरा, बिरसा मुंडा चौक, सराय काले खां	402.77
538	डीएनडी फ्लाईवे के समीप कालिंदी अविरल	240.00
539	एनएच-24 और सीडब्ल्यूजी फ्लैटों के बीच हरित क्षेत्र	19.60
540	अक्षरधाम में सीडब्ल्यूजी गाँव में हरित क्षेत्र (आतंरिक और बाह्य)	32.26
541	अमृत जैव-विविधता पार्क	311.22
542	यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में हरित क्षेत्र	250.00
543	आईटीओ ब्रिज पर हरित क्षेत्र	8.00
544	मिलेनियम डिपो यमुना नदी मुहाना	60.00
545	सी विद्युत स्टेशन, आईटीओ में हरित क्षेत्र और वुडलैंड	12.00
546	फिरोज शाह कोटला और रिंग रोड के बीच रोज गार्डन	5.59
547	राजघाट के समीप आनंदिता	9.00
548	रिंग रोड के साथ लाल किले के पीछे दिल्ली चलो पार्क	14.60
549	रिंग रोड के साथ सद्भावना पार्क	10.87
550	रिंग रोड के साथ क्रांति उद्यान	9.57
551	यमुना पुस्ता पर गोल्डन जुबली पार्क	11.89
552	यमुना वाटिका	455.10
553	राजघाट पावर प्लांट के समीप इको-टूरिज़्म परियोजना	48.23
554	असिता पार्क, यमुना बाढ़ मैदान क्षेत्र	434.00
555	सेक्टर-19, रोहिणी में पार्क और खेल का मैदान (बाबा वाला बाग)	12.68
556	सेक्टर-19, रोहिणी में रेलवे लाइन के पास ग्रीन बेल्ट	4.00
557	सेक्टर-19, रोहिणी में पुराना बाग	10.62
558	सेक्टर-19 रोहिणी में पुराना बाग (गणपत वाला बाग)	10.74
559	सेक्टर-19 रोहिणी में पुराना बाग (मंगतवाली बगीची)	0.91
560	सेक्टर-19 रोहिणी में जेलदार वाला बाग	10.50
561	सेक्टर-19 रोहिणी में रिंग रोड के समीप ग्रीन बेल्ट	4.73
562	सेक्टर-18 रोहिणी में हरित क्षेत्र (आई ब्लॉक में)	1.04
563	ब्लॉक-एच-3, सेक्टर -18 रोहिणी में पार्क	3.60
564	शालीमार बाग में पार्क	3.86
565	ब्लॉक-बी शालीमार बाग में पुराना बाग	32.00
566	ब्लॉक- एए और एबी, शालीमार बाग में नेबरहुड पार्क	3.81

567	शालीमार बाग में डिस्ट्रिक्ट पार्क (मोटे वाला बाग)	14.88
568	डिस्ट्रिक्ट पार्क राम स्वरूप ठाकुर दास वाला बाग, शालीमार बाग	19.60
569	शालीमार बाग में सहीपुर गांव के समीप पार्क (साध वाला बाग)	5.25
570	डिस्ट्रिक्ट पार्क कर्नल वाला बाग, शालीमार बाग	11.12
571	ब्लॉक-बी, शालीमार बाग क्लब, शालीमार बाग में पार्क और कम्युनिटी सेंटर	1.25
572	डिस्ट्रिक्ट पार्क एपी-ब्लॉक शालीमार बाग	5.14
573	ब्लॉक- बीसी, बीएल, शालीमार बाग में नेबरहुड पार्क	6.48
574	ब्लॉक-बीक्यू और बीएम, शालीमार बाग में नेबरहुड पार्क	38.90
575	डिस्ट्रिक्ट पार्क (राम बाग) शालीमार बाग	11.00
576	डिस्ट्रिक्ट पार्क बाग, हैदर पुर	11.89
577	डिस्ट्रिक्ट पार्क नानक वाला बाग, हैदरपुर	5.37
578	किंग्सवे कैंप के समीप बुराड़ी में कोरोनेशन पार्क	53.77
579	जीटीके डिपो, जहांगीरपुरी के समीप सेंट्रल स्टोर जीटीके डिपो में पार्क और आरएसपी	0.50
580	शाह आलम बांध मार्ग, आदर्श नगर और जहांगीरपुरी के समीप सराय पीपल थला (ग्राम सभा भूमि) में हरित	3.25
581	भलस्वा में संजय एन्क्लेव के पीछे हरित क्षेत्र	24.22
582	भलस्वा गांव में तिकोना पार्क	2.96
583	भलस्वा में भलस्वा गोल्फ कोर्स और भलस्वा झील के समीप हरित क्षेत्र	10.00
584	मुकंदपुर गांव के समीप तिकोना पार्क	0.23
585	शालीमार बाग में शीश महल सी और डी ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट पार्क	185.73
586	मुख्य योजना 100 मीटर सड़क जीटी रोड से पश्चिमी यमुना नहर नरेला के साथ ग्रीन बेल्ट	113.59
587	पैकेट ए से एच सेक्टर बी-2 नरेला में पार्क और आरएसपी	2.04
588	सेक्टर बी-2, नरेला में पार्क और खेल का मैदान	4.25
589	सेक्टर बी-2, ए-ब्लॉक नरेला में ग्रीन बेल्ट	5.40
590	सेक्टर बी-2, ई-ब्लॉक नरेला में ग्रीन बेल्ट	3.80
591	गांव सिरसपुर, नरेला फेज-III में ईडब्ल्यूएस दि.वि.प्रा. फ्लैटों के समीप पार्क	1.20
592	सिंघोला, नरेला (मार्बल मार्केट के पास) में कैक्टस गार्डन	7.50
593	टिकरी गांव के सामने ग्रीन बेल्ट	2.46
594	ट्रांजिट कैंप टिकरी खुर्द नरेला के समीप पार्क	3.50
595	नरेला में सिंघोला गांव के सामने हरित क्षेत्र	6.00
596	नरेला में 80 मीटर जीटी रोड से कार्यालय परिसर के साथ ग्रीन बेल्ट	35.87
597	सेक्टर बी-4 नरेला में पार्क	7.05
598	पॉकेट-14 सेक्टर बी-4, नरेला में सीआईएसएफ कैंप के पीछे हरित क्षेत्र	3.00
599	सेक्टर बी-4 नरेला में पुराना बाग	5.00

600	पॉकेट 1, 6, 9 सेक्टर बी-4, नरेला में हरित क्षेत्र	6.37
601	सेक्टर बी-4, नरेला में ग्रीन बेल्ट और आरएसपी	10.95
602	पॉकेट 13 सेक्टर बी-4, नरेला में पुलिस कॉलोनी के समीप पार्क	2.50
603	शाहपुर गढ़ी गांव, नरेला में हरित क्षेत्र	9.50
604	शाहपुर गांव के समीप ग्रीन बेल्ट	3.00
605	श्मशान घाट नरेला के सामने ग्रीन बेल्ट	3.13
606	नरेला में 60 मीटर चौड़ी सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट	12.65
607	नरेला में सेक्टर ए-1 से ए-4 में ग्रीन बेल्ट और पार्क	75.80
608	नरेला में सेक्टर ए-1 से ए-4 तक 40 मीटर चौड़ी सड़क के साथ पार्क	2.56
609	सेक्टर ए-1 से ए-4 नरेला (माता मनसा देवी मंदिर के पास) में पार्क	2.54
610	सेक्टर ए-1 से ए-4 नरेला में पार्क (ग्रीन बेल्ट के समीप और 20+20 मीटर चौड़ी सड़क)	3.04
611	नरेला में 30 मीटर चौड़ी सड़क के साथ सेक्टर ए-1 से ए-4 तक पार्क	8.73
612	नरेला में सेक्टर ए-1 से ए-4 में पॉकेट-1ए में हरित	0.52
613	नरेला में सेक्टर ए-1 से ए-4 में पॉकेट-1बी में हरित	1.26
614	सेक्टर ए-6, नरेला में पॉकेट-1, 7 में हरित	4.23
615	सेक्टर ए-6, नरेला में ग्रीन बेल्ट और आरएसपी	4.14
616	सेक्टर ए-6, नरेला में पार्क और खेल का मैदान	9.12
617	सेक्टर ए-5, नरेला में नेबरहुड पार्क	4.55
618	सेक्टर ए-5, नरेला में ग्रीन बेल्ट और आरएसपी	4.05
619	सेक्टर ए-5, नरेला में एसएफएस फ्लैटों का हरित क्षेत्र	4.22
620	सेक्टर ए-5, नरेला में पार्क और खेल का मैदान	6.39
621	सेक्टर ए-5, नरेला में एसएफएस फ्लैटों के पीछे ग्रीन बेल्ट	25.00
622	सेक्टर ए-7 नरेला में खेल परिसर में हरित क्षेत्र	5.83
623	सेक्टर ए-7, नरेला में ग्रीन बेल्ट और आरएसपी	0.58
624	पुराना बाग, नरेला।	5.50
625	डिस्ट्रिक्ट पार्क (स्मृतिवन) सेक्टर ए-7, नरेला	31.17
626	पॉकेट- I, III, IV, सेक्टर ए-9 नरेला में हरित क्षेत्र	4.24
627	सेक्टर ए-9, नरेला (मामुरपुर गांव के समीप) में पार्क और आरएसपी	1.20
628	आवासीय पॉकेट-1, सेक्टर ए-9 नरेला में हरित	1.64
629	आवासीय पॉकेट -2, 4, 6, सेक्टर ए-10, नरेला में पार्क और आरएसपी	9.66
630	सेक्टर ए-10, नरेला (कुरनी गांव के समीप) में हरित क्षेत्र और पुराना बाग	33.47
631	सेक्टर ए-10, नरेला में पार्क और खेल का मैदान	2.10
632	कस्तूरी राम इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर ए-10 नरेला के साथ ग्रीन बेल्ट	1.46
633	ग्रामीण पुराने टैंक, सेक्टर A-10, नरेला में सर्वोदय बाल विद्यालय के समीप हरित क्षेत्र	16.11
634	नई मंडी, नरेला के समीप पार्क।	1.15

635	पुराने बाग, नरेला में पार्क और सीड बैड	2.82
636	भोरगढ़ गांव के समीप नरेला में पार्क	3.61
637	दिविप्रा कार्यालय परिसर, नरेला के समीप नरेला में पार्क	2.38
638	पुराना बाग, नरेला	7.13
639	80 मीटर सड़क (एफसीआई गोदाम से सनोट स्कूल तक) नरेला के साथ ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज	48.52
640	हरित क्षेत्र, विशाल वाला बाग, नरेला	31.91
641	पुराना बाग- लधड़ वाला बाग (एफसीआई गोदाम के समीप) नरेला	5.82
642	पश्चिमी यमुना नहर, नरेला के समीप सेंट्रल वर्ज	7.53
643	नरेला में 80 मीटर सड़क (सनोट स्कूल से सीआरपी कैंप तक) के साथ ग्रीन बेल्ट	12.91
644	आवासीय पॉकेट-3, सेक्टर जी-6, नरेला में हरित क्षेत्र	4.38
645	आवासीय पॉकेट-4, सेक्टर जी-6, नरेला में हरित क्षेत्र	4.25
646	आवासीय पॉकेट-5, सेक्टर जी-6, नरेला में हरित क्षेत्र	4.10
647	आवासीय पॉकेट-6, सेक्टर जी-6, नरेला में हरित क्षेत्र	4.13
648	पॉकेट- 1, 2, सेक्टर जी-8, नरेला में पुनर्वास कॉलोनी के समीप पार्क और आरएसपी	4.93
649	पैकेट-3 सेक्टर जी-8 नरेला में ईडब्ल्यूएस आवासों के समीप पार्क और आरएसपी	9.34
650	आवासीय पॉकेट-4, सेक्टर जी-7/जी-8 नरेला में पार्क	6.45
651	आवासीय पॉकेट-5, सेक्टर जी-7/जी-8 नरेला में पार्क	7.87
652	सेक्टर-10 द्वारका (एलिफैंटा सोसाइटी के पास) में पार्क	3.29
653	सेक्टर-10 द्वारका में पार्क (स्टोर वाला)	10.00
654	सेक्टर 10, द्वारका (एनएचएआई भवन के सामने) में हरित क्षेत्र	0.95
655	सेक्टर 5, द्वारका (सेंट्रल स्कूल के समीप) में डिस्ट्रिक्ट पार्क	20.72
656	सेक्टर 5, द्वारका (बीजीएस स्कूल के समीप) में डिस्ट्रिक्ट पार्क	11.46
657	सेक्टर -5, द्वारका में केंद्रीय नर्सरी	7.94
658	सेक्टर 5, द्वारका (पालम नाले के समीप) में पार्क	5.42
659	सेक्टर 5, द्वारका में पार्क	16.69
660	सेक्टर-5, द्वारका (पालम नाले के समीप) में हरित क्षेत्र	14.57
661	सेक्टर-11 द्वारका में एमआईजी/एलआईजी दि.वि.प्रा. फ्लैटों पॉकेट 4 के समीप पार्क	5.22
662	सेक्टर -11 द्वारका में दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज पार्क	5.93
663	सेक्टर-11 द्वारका में स्वामी श्रद्धानंद पार्क	18.40
664	सेक्टर -11, द्वारका (लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के सामने) में हरित क्षेत्र	12.29
665	सेक्टर-11, द्वारका (पेट्रोल पंप के पीछे) में हरित क्षेत्र	3.24
666	सेक्टर-11, द्वारका (दिविप्रा खेल परिसर के पीछे) में हरित क्षेत्र	22.27
667	सेक्टर 3, द्वारका (बालाजी अपार्टमेंट के समीप) में पार्क	3.22
668	सेक्टर 12, द्वारका फेज-II में कारगिल कॉलोनी के सामने हरित क्षेत्र	10.63

669	सेक्टर 4 द्वारका में पार्क	3.75
670	सेक्टर 4 द्वारका (राजस्थानी अपार्टमेंट के समीप) में पार्क और खेल का मैदान	3.75
671	सेक्टर 17 द्वारका फेज-II (सीएनजी पंप के समीप) हरित क्षेत्र	8.5
672	सेक्टर 17 द्वारका फेज-II में हरित क्षेत्र	5.6
673	सेक्टर 18 बी (एलएंडटी), द्वारका में हरित	4.76
674	सेक्टर 18 बी, द्वारका (बहुमंजिला फ्लैटों के समीप) में पार्क	4.76
675	सेक्टर 18 बी, द्वारका (पिंक अपार्टमेंट के समीप) में पार्क	4.1
676	सेक्टर 18 ए, द्वारका फेज II (कारगिल हाउसिंग के समीप) में हरित पार्क	5.15
677	सेक्टर 13, द्वारका फेज II (पॉकेट बी बी के साथ) में हरित क्षेत्र	7.27
678	सेक्टर 13, द्वारका फेज II (प्रगति पब्लिक स्कूल के समीप) में हरित क्षेत्र	8.33
679	सेक्टर 13, द्वारका फ़ोन II (सेक्टर 17 द्वारका के सामने) में हरित क्षेत्र	11.42
680	सेक्टर-15 द्वारका फेज- II में पार्क	5.69
681	सेक्टर 14 द्वारका फेज- II(बौद्धिक संपदा भवन के समीप) में पार्क	3.34
682	सेक्टर 16 ए, द्वारका में डिस्ट्रिक्ट पार्क	4.85
683	सेक्टर 16 बी, द्वारका में पार्क	4.24
684	सेक्टर 19 द्वारका (अंबराही गांव के प्लॉटेड क्षेत्र के समीप) में पार्क	6.67
685	सेक्टर 19 द्वारका (टेलीफोन एक्सचेंज के समीप) में पार्क	4.84
686	सेक्टर 19 ए द्वारका (पुलिस कॉलोनी के समीप) में डिस्ट्रिक्ट पार्क	11.94
687	सेक्टर 19 ए द्वारका (फुटबॉल क्लब के समीप) में डिस्ट्रिक्ट पार्क	12.69
688	सेक्टर 19 द्वारका (पॉकेट 2 के समीप) डिस्ट्रिक्ट पार्क	11.5
689	एमएस एमआईजी आवास, पॉकेट-03, सेक्टर-19बी द्वारका में हरित	1.35
690	सेक्टर 16 सी, द्वारका में रोज गार्डन	11.72
691	सेक्टर 16 डी, द्वारका में शौर्य वन	35.64
692	सेक्टर 16 बी, द्वारका (कब्रिस्तान के समीप) में पार्क	3.82
693	सेक्टर 16 सी, द्वारका में वुडलैंड पार्क	56
694	सेक्टर 16 सी, द्वारका (टेलीफोन एक्सचेंज के समीप) में पार्क	6
695	सेक्टर-16 बी द्वारका फेज-II में एमआईजी फ्लैटों का हरित	0.47
696	सेक्टर 23 द्वारका फेज-I पार्क (पार्क नंबर 4) में पार्क	3.56
697	सेक्टर 22 द्वारका फेज-I (संसद विहार अपार्टमेंट के समीप) में पार्क	3.35
698	सेक्टर 22 द्वारका फेज-I (खेल का मैदान) में पार्क	4.63
699	सेक्टर 22 द्वारका फेज-I (माउंट कारमेल स्कूल के समीप) में पार्क	4.63
700	सेक्टर 23 बी द्वारका (100 मीटर सड़क के समीप) में पार्क और जलाशय	3.1
701	सेक्टर-23बी द्वारका फेज-II (पॉकेट-10) में ग्रीन बेल्ट (1,2,3 और 4)	2.94
702	सेक्टर-23बी, द्वारका, फेज-II में पॉकेट-07 में ग्रीन बेल्ट (1,2,3,4 और 5)	1.66
703	सेक्टर-23 बी द्वारका फेज-II (राधा स्वामी सत्संग भवन के पीछे) में ग्रीन बेल्ट	2.77

704	पॉकेट-7 सेक्टर 23 बी, द्वारका में ग्रीन बेल्ट	4.18
705	सेक्टर-23 बी (पॉकेट 08) (गोल्फ लिंक सोसाइटी) में पार्क	4.38
706	भरथल गांव, सेक्टर-26, द्वारका में पार्क।	3.50
707	सेक्टर 23, द्वारका, फेज-I में डिस्ट्रिक्ट पार्क	34.10
708	सेक्टर-24 द्वारका फेज-II (धूल सिरस गांव) में सामुदायिक हॉल के साथ हरित क्षेत्र	0.65
709	सेक्टर 19 बी, द्वारका (निरंकारी सत्संग भवन के समीप) में पार्क	5.21
710	सेक्टर 19 बी (ओपीजी स्कूल के समीप)/ हरित क्षेत्र, द्वारका में पार्क	4.17
711	सेक्टर 19 बी द्वारका (पालम नाले के समीप) में पार्क	7
712	सेक्टर 19 बी द्वारका (बहुमंजिला के समीप) में पार्क	14.03
713	सेक्टर 19 बी द्वारका (पीर वाला पार्क) में पार्क	16.7
714	सेक्टर 24, द्वारका (विद्युत शवदाह गृह के समीप) में पार्क और वन	12.84
715	पॉकेट-6, नसीरपुर में पार्क (बुद्ध जयंती पार्क)	4.05
716	पॉकेट- 21 नसीरपुर (मदर डेयरी के समीप पार्क) में पार्क	3.15
717	नसीरपुर में जलाशय	10.72
718	पॉकेट 20-डी, डाबड़ी/ महावीर एन्क्लेव में हरित क्षेत्र	0.37
719	बिंदापुर में पार्क (जिम वाला पार्क)	3.55
720	बिंदापुर में पार्क (तालाब वाला पार्क)	3.15
721	डी-ब्लॉक बिंदापुर में टॉट लॉट	0.58
722	पार्क सेक्टर - 7, द्वारका (मीडिया अपार्टमेंट के समीप) में पार्क	4.1
723	सेक्टर-7 द्वारका (हरिजन बस्ती के समीप) में पार्क	2.1
724	सेक्टर- 7, द्वारका में पार्क (स्टोर वाला पार्क)	4.2
725	सेक्टर-20, द्वारका (सेक्टर-9 मेट्रो स्टेशन के सामने) में हरित क्षेत्र	9.94
726	सेक्टर-2, द्वारका में पार्क।	6.50
727	सेक्टर -8, द्वारका में शाहबाद मोहम्मदपुर में जलाशय और पार्क	3.6
728	सेक्टर-8, द्वारका (तालाब वाला पार्क) में ग्रीन बेल्ट	7.98
729	सेक्टर-8, द्वारका में पार्क	6
730	सेक्टर-9, द्वारका (पार्क नंबर-02, गैस गोदाम के समीप) में पार्क	4.87
731	सेक्टर-9, द्वारका (पार्क नंबर-03, आईटीएल पब्लिक स्कूल के पास) में पार्क	6.67
732	सेक्टर-9, द्वारका (पार्क नंबर 4, आज़ाद हिंद अपार्टमेंट के समीप) में पार्क	4.36
733	सेक्टर-06 द्वारका (पार्क नंबर-01, डाकघर के समीप) में पार्क	8.72
734	सेक्टर-06 द्वारका (पार्क नंबर-03, स्टोर वाला पार्क के सामने) में पार्क	4.99
735	सेक्टर-06 द्वारका (पार्क नंबर-07, पालम विहार कॉलोनी) में पार्क	3.11
736	सेक्टर-06 द्वारका (पार्क नंबर-02, प्लाजा पार्क) में पार्क	13.10
737	अरावली जैव विविधता पार्क	699.00
738	नीला हौज़ जैव विविधता पार्क	9.65

739	तिलपथ वैली, जैव विविधता पार्क	172.00
740	तुगलकाबाद, जैव विविधता पार्क	200.00
741	कालिंदी, जैव विविधता पार्क	284.17
742	यमुना जैव विविधता पार्क	457.00
743	उत्तरी रिज (कमला नेहरू), जैव विविधता पार्क	301.00
744	यमुना घाट क्षेत्र	82.00
745	सिग्नेचर ब्रिज के समीप मजनू का टीला में पार्क	11.92
746	यमुना वनस्थली	762.54

अनुलग्नक 2: प्रमुख नालों की सूची (डीपीसीसी के अनुसार)

1. नजफगढ़ नाला
2. मेटकाफ हाउस नाला
3. खैबर पास नाला
4. स्वीपर कॉलोनी नाला
5. मैगजीन रोड नाला
6. आईएसबीटी नाला
7. टोंगा स्टैंड नाला
8. सिविल मिल नाला
9. सेन नर्सिंग होम नाला
10. नाला संख्या 14
11. पावर हाउस नाला
12. इंद्रपुरी नाला
13. सोनिया विहार नाला
14. कैलाश नगर नाला
15. शास्त्री पार्क नाला
16. बारापुला नाला
17. महारानी बाग नाला
18. पुरानी आगरा नहर नाला
19. जैतपुर नाला
20. सरिता विहार ताल (पूल)
21. तुगलकाबाद नाला
22. एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के पास नाला
23. सरिता विहार ब्रिज (मथुरा रोड) के पास नाला
24. शाहदरा नाला
25. साहिबाबाद नाला
26. मोलड़बंद नाला
27. अबुल फजल नाला
28. सप्लीमेंट्री नाला

अनुलग्नक 3: ग्रीन और ब्लू एसेट्स का रूपात्मक वर्गीकरण

1. **पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र**

   भूमि आधारित

   - अरावली (रिज), आरक्षित वन
   - संरक्षित वन
   - सिटी फ़ॉरेस्ट
   - जैव-विविधता पार्क

   जल आधारित

   - यमुना नदी और उसके बाढ़ के मैदान
   - सभी प्राकृतिक नाले
   - मार्शेस और वेटलैंड्स
   - झीलों सहित जलाशय (1 हेक्टेयर और इससे अधिक)

   सरकारी एजेंसियों द्वारा चिन्हित प्राकृतिक संरक्षा/ संरक्षण के लिए कोई अन्य क्षेत्र।

2. **पारिस्थितिक-सांस्कृतिक संपदा**
   - प्राकृतिक नालों और जलाशयों के बफर
   - पुरातत्व पार्क, ऐतिहासिक उद्यान और ऐतिहासिक स्मारकों का वातावरण।
   - बाओली (बावड़ी), कुएँ और तालाब
3. **नियोजित ग्रीन-ब्लू एसेट्स और अन्य मनोरंजनात्मक क्षेत्र**
   - नियोजित पार्क, खुले स्थान और बहुउद्देश्यीय मैदान
   - खेल केंद्र/ परिसर, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स
   - बगीचे, पौधों की नर्सरी
   - जूलॉजिकल पार्क, एवियरी और बॉटनिकल गार्डन
4. **संभावित शहर स्तरीय ग्रीन-ब्लू एसेट्स**
   - बंद की गई खानें और खदानें, लैंडफिल स्थल/ पुनरूद्धार भूमि, आदि।
   - प्राकृतिक नालों के नव विकसित बफर

नोट:

दिविप्रा द्वारा समय-समय पर पहचान की गई किसी अन्य एसेट्स को जोड़कर सूची को बढ़ाया जा सकता है।

अनुलग्नक 4: डिस्ट्रिक्ट केंद्रों की सूची

1. नेहरू प्लेस
2. राजेंद्र प्लेस
3. भीकाजी कामा प्लेस
4. जनकपुरी
5. लक्ष्मी नगर
6. शिवाजी प्लेस (राजा गार्डन)
7. झंडेवालान
8. नेताजी सुभाष प्लेस (वजीरपुर)
9. साकेत
10. मंगलम प्लेस (रोहिणी)
11. यमुना पार क्षेत्र- शाहदरा
12. रोहिणी - ट्विन डिस्ट्रिक्ट सेंटर
13. पीरागढ़ी (रोहतक रोड)
14. पश्चिम विहार
15. शालीमार बाग
16. धीरपुर एक्सटेंशन (जहांगीरपुरी)
17. मजनू का टीला (खैबर पास)
18. दिलशाद गार्डन
19. शास्त्री पार्क (शाहदरा)
20. मयूर विहार
21. रोहिणी फेज-III/ IV/ V
22. द्वारका
23. नरेला

अनुलग्नक 5: सब-सिटी स्तर के थोक बाजारों/ आईएफसी की सूची।

5क सब-सिटी स्तरीय थोक बाजार

क्र.सं.	अवस्थिति	वस्तु/ गतिविधियां
1.	आजादपुर	फल और सब्जी
2.	ओखला	फल और सब्जी
3.	केशोपुर	फल और सब्जी
4.	नारायणा	लोहा और इस्पात
5.	रोहतक रोड परिवहन केंद्र	परिवहन/ वेयरहाउसिंग
6.	संजय गांधी परिवहन केंद्र	परिवहन/ वेयरहाउसिंग
7.	नरेला मंडी	अनाज
8.	नजफगढ़	अनाज
9.	कीर्ति नगर	लकड़ी

5ख इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लैक्स

क्र.सं.	इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लैक्स
1.	गाजीपुर (एनएच-24)
2.	नरेला (एनएच-1)

अनुलग्नक 6: नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची

1. नारायणा औद्योगिक क्षेत्र
2. झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री
3. मोतिया खान स्कीम
4. डीसीएम फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
5. शहजादा बाग औद्योगिक क्षेत्र
6. गुलाबी बाग औद्योगिक क्षेत्र
7. जहांगीरपुरी के पास राजस्थान उद्योग नगर जी.टी. रोड
8. जहांगीरपुरी के पास एसएमए को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट जी.टी. रोड
9. जहांगीरपुरी के पास एसआईएसआई औद्योगिक क्षेत्र जी.टी. रोड
10. राणा प्रताप बाग के पास जी.टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र
11. शिवाजी रेलवे स्टेशन (मिंटो रोड) के पास, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र
12. ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज.I, II और III
13. मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया
14. मोदी फ्लोर मिल्स के पास एसआईएसआई कॉम्प्लेक्स ओखला
15. जखीरा के पास नजफगढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र
16. कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र
17. मायापुरी फेज I और II
18. उद्योग नगर रोहतक रोड
19. विकासपुरी के पास केशव पुर लेदर टेनरी स्कीम (सेवा केंद्र का हिस्सा)
20. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र
21. लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र
22. मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज I और II
23. झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र
24. पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र
25. फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र
26. नरेला औद्योगिक एस्टेट
27. बवाना औद्योगिक एस्टेट
28. कंझावला औद्योगिक एस्टेट
29. पीवीसी बाजार टिकरी कलां

नोट:

1. *लैंड पूलिंग क्षेत्रों की योजना तैयार करते समय अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों/विकास को इंगित किया जाएगा।*
2. *अनुमोदित कार्य-एवं-उद्योग केंद्र, सेवा केंद्र आदि, जहां भूमि उपयोग/पूर्व मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य किया गया है, का औद्योगिक उपयोग जारी रहेगा। यह निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होने के अधीन है।*
3. *सूची में अतिरिक्त परिवर्धन/ परिवर्तन एनसीटी दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से किए जा सकते हैं।*

अनुलग्नक 7: निषिद्ध/ नकारात्मक उद्योगों की सूची

निम्नलिखित का निर्माण करने वाले उद्योग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निषिद्ध होंगे:

1. आर्क/ इंडक्शन फर्नेस
2. अम्ल
3. क्षार
4. पशु और मछली के तेल
5. एल्डिहाइड
6. एसिड स्लरी
7. एसिटाइलाइड्स, फ्रिडाइन्स, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ई-नेप्थॉल आदि।
8. अमोनियम सल्फोजेनाइड, आर्सेनिक और इसके यौगिक, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम साइनाइड, बेरियम इथाइलसल्फेट, बेरियम एसीटेट सिनाबार, कॉपर सल्फोसायनाइड, फेरोसाइनाइड, हाइड्रो साइनाइड, हाइड्रो सायनिक एसिड, पोटेशियम बायोकालेट, पोटेशियम, साइनाइड, पोटाश के प्रशिया, फाइनिगैल्क एसिड, सिल्वर साइनाइड।
9. विमान निर्माण।
10. बूचड़खाने, पशु रक्त प्रसंस्करण (एनिमल ब्लड प्रोसेसिंग) (मौजूदा को छोड़कर, नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक बूचड़खाने का पुनर्वास संबंधित एजेंसियों से सभी मंजूरियों के अधीन होगा और इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन के अधीन अनुमति दी जाएगी)। ये आदेश पूर्णतः संबंधित स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आवश्यकता पर निर्भर होंगे।
11. बिटुमेन ब्लोइंग (गर्म)
12. ईंट भट्ठा (कच्चे माल के रूप में ताजी मिट्टी, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग)
13. बी-नेप्थॉल
14. बेकेलाइट पाउडर (फॉर्मेल्डीहाइड से शुरू)
15. बारली माल्ट और एक्सट्रेक्ट
16. बोन-ग्रिस्ट, बोन-मील, अस्थियों का लवण, अस्थियों का खुले में भण्डार, अस्थि शुष्कन
17. अस्थि चारकोल निर्माण
18. ब्लास्ट फर्नेस - कोयले से चलने वाला
19. साइकिलें (एकीकृत संयंत्र)
20. ब्रूअरी और पीने योग्य स्पिरिट (हालांकि, 500 लीटर/दिन क्षमता तक की माइक्रोब्रेवरी को किसी भी रेस्तरां/ होटल/ क्लब में स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि साइट पर अपशिष्ट जल शोधन सुविधा स्थापित हो और अन्य सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन हो)
21. क्लोरीनयुक्त पैराफिन मोम शोधन
22. कार्बन ब्लैक
23. सीमेंट उद्योग
24. कैल्शियम कार्बाइड, फास्फोरस, एल्यूमीनियम धूल पेस्ट और पाउडर, तांबा, जस्ता, आदि (इलेक्ट्रोथर्मल उद्योग)
25. क्रेन, होइस्ट और लिफ्ट (एसेम्बली को छोड़कर)
26. सामान्य औद्योगिक मशीनरी (जैसे हाइड्रोलिक उपकरण, ड्रिलिंग उपकरण, बॉयलर इत्यादि)
27. डीओपी (डायोक्टाइल थैलेट), डीबीपी और प्लास्टिसाइज़र
28. ड्राई सेल बैटरी
29. डाई और डाई इन्टरमिडिएट्स
30. लकड़ी का आसवन, लकड़ी का रासायनिक सीजनिंग(प्राकृतिक सीजनिंग को छोड़कर)

31. विस्फोटक, यानी आतिशबाजी, गनपाउडर, गन कॉटन इत्यादि।
32. अर्थ मूविंग मशीनरी/ उपकरण (असेंबली का निर्माण)
33. बिजली के तार और केबल (100 से अधिक श्रमिक, 2000 वर्ग मीटर प्लॉट)
34. फैटी एसिड
35. कवकनाशी और कीटनाशक
36. फ्लेक्सोग्राफिक स्याही
37. ईंधन तेल, ज्वलनशील तेल और अन्य तेल जैसे कि स्टेचेटिक तेल, शोल तेल, ल्यूब्रिकेंट्स
38. फाउंड्री (कपोला फर्नेस)। {हालांकि, किसी भी प्रकार की फर्नेस की निरंतरता सीपीसीबी और डीपीसीसी के निर्धारित मापदंडों के भीतर होगी}।
39. गैस कम्प्रेसर
40. ग्रेफाइट उत्पादन
41. कांच की भट्टी (1 टन/ दिन क्षमता से अधिक)
42. गैसें-कार्बन-डाइसल्फ़ाइड, अल्ट्रामरीन ब्लू, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, आदि (एलपीजी/ सीएनजी/ ऑक्सीजन/ मेडिकल गैसों के अलावा)
43. ग्लनेडुलर/ ग्लेन्ड्स का निष्कर्षण
44. हड्डियों और मांस से गोंद और जिलेटिन
45. हॉट मिक्स प्लांट (डीपीसीसी/ सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित को छोड़कर)
46. खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण अर्थात अस्पताल/ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र/ चिकित्सा/ औद्योगिक अपशिष्ट। हालांकि, नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र को संबंधित एजेंसियों से पर्यावरण मंजूरी सहित सभी मंजूरी और इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन के अधीन अनुमति दी जाएगी। ये आदेश पूर्णतः स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आवश्यकता पर निर्भर होंगे।
47. पॉलीयूरेथेन फोम
48. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फुलमिनेट
49. लोहा/ इस्पात धातु फोर्जिंग (वायवीय हथौड़े का प्रयोग करके)
50. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फुलमिनेट
51. औद्योगिक ट्रक, ट्रेलर आदि।
52. लीनियर एल्केड बेंजीन
53. द्वितीयक सीसा उद्योग सहित सीसा निर्माण (अपशिष्ट स्क्रैप से सीसा की वसूली)
54. चूने की भट्टी।
55. चमड़ा शोधन और रंगाई (कच्ची खाल/ सेमी फिनिश खाल)
56. लोकोमोटिव और वैगन
57. मेथनॉल
58. मिथाइलेटेड स्पिरिट
59. मैकेनिकल स्टोन क्रशर और कोर्स सेंड की धुलाई
60. लुगदी और कागज का विनिर्माण
61. मेलामाइन रेजिन
62. मिनरल साल्ट (जिसमें एसिड का उपयोग शामिल है: कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, फिटकरी, आदि)
63. असेंबली को छोड़कर डीजल इंजन, जनरेटर का विनिर्माण
64. मोटर साइकिल, स्कूटर, कार, टेम्पो, ट्रक आदि।
65. न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग, पल्पिंग, फ्रेश पेपर मेकिंग

66. कंपाउंडिंग (बड़े पैमाने पर) के लिए उर्वरकों के मिश्रण को छोड़कर नाइट्रोजिनस और फॉस्फेटिक उर्वरक
67. कार्बनिक विलायक, क्लोरीनयुक्त खनिज, मेथनॉल, एल्डिहाइड, मिथाइलेटेड स्पिरिट
68. पेट्रोलियम कोक प्रसंस्करण, ईंधन के रूप में नहीं
69. पोट्रीज/ अपवर्तक (कोयले या भट्टी के तेल का उपयोग करके)
70. रेजिन सहित पॉलीथिलीन पॉलिमर
71. पेंट उद्योग (नाइट्रो सेल्युलोज और अल्काइड रेजिन आधारित)
72. प्लास्टिसाइज़र विनिर्माण
73. पाइरिडाइन्स
74. फिनोल फॉर्मेल्डीहाइड रेजिन और पाउडर
75. पोर्सिलीन उत्पाद मिट्टी के बर्तन (प्रति दिन 2 टन से अधिक उत्पादन क्षमता के कोयले का उपयोग करना)
76. रबड़ का घोल और थिनर (नाप्था और रबर स्क्रैप का उपयोग करके)
77. मिश्रण के अयस्क सल्फाइड ऑक्साइड को भूनना
78. रेयॉन फाइबर निर्माण
79. रेफ्रेक्ट्रीज
80. रबर का रिक्लेमेशन
81. टायर और ट्यूब का उत्पादन (डिवलकेनाइजेशन)
82. सैक्रीन
83. द्वितीयक ज़ीन उद्योग
84. सिंथेटिक रबर
85. गलाना
86. असेंबली को छोड़कर सिलाई मशीनें (एकीकृत इकाइयाँ)
87. स्लूइस गेट्स और गियर
88. स्टेनलेस स्टील पिकलिंग
89. भाप इंजन
90. स्टील पाइप और ट्यूब (निरंतर वेल्डेड/निर्बाध)
91. चीनी, खांडसरी
92. सोडियम सिलिकेट उद्योग (1 टन से अधिक/दिन)
93. पत्थर उत्खनन
94. टेक्सटाइल (सभी शिफ्टों में 100 से अधिक श्रमिक, एक एकड़ जमीन, 100 एलकेडी पानी)
95. थोरियम, रेडियम और इसी तरह के समस्थानिक और रेयर अर्थ की रिकवरी
96. टर्बाइन
97. यूरिया और फेनिल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन
98. वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकृत
99. अपशिष्ट (कच्चा/ जला हुआ) तेल प्रसंस्करण (रिफाइनरी)

नोट:

1. *ऊपर उल्लिखित किसी भी गतिविधि को शामिल करने वाली उपयोगिता सेवा की अनुमति पर्यावरणीय कानूनों के अधीन होगी।*
2. *निषिद्ध उद्योगों की सूची में अतिरिक्त परिवर्धन/ परिवर्तन किया जा सकता है यदि ऐसा करना केंद्र सरकार, एनसीटी दिल्ली सरकार की अनुशंसाओं पर उचित और जनहित में समझती है।*

अनुलग्नक 8: औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय गतिविधियों की सूची

- इस श्रेणी में उच्च प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), उच्च मूल्य वर्धित और ज्ञान गहन गतिविधियों में लगे व्यवसाय शामिल होंगे।
- इस औद्योगिक उपयोग जोन में कई प्रकार की गतिविधियों या उपयोगों की अनुमति है जो प्रौद्योगिकी और अनुसंधान-उन्मुख उद्योग हैं और जो प्रकृति से नॉन-मेनुफैक्चरिंग हैं।

1. सॉफ्टवेयर उद्योग
   - क. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम इंटीग्रेशन करने वाले उद्योग।
   - ख. कंप्यूटर और दूरसंचार सुविधाओं के इंटरफेस को इंटेग्रेटिंग और मैनुपुलेट करने वाले उद्योग।
   - ग. सॉफ्टवेयर उत्पाद और मोबाइल एप्लिकेशन।
2. आईटी सेवा उद्योग
   - क. इंटरनेट और ईमेल सेवा प्रदाता
   - ख. वर्ल्ड वाइड वेब सेवा प्रदाता ईकॉमर्स और कॉन्टेंट विकास।
   - ग. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) सेवाएं
   - घ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी सैट, आईएसडीएन सेवाएं
   - ड़. इलेक्ट्रॉनिक/ आईटी डेटा सेंटर गतिविधियां
3. आईटीईएस उद्योग
   - क. ग्राहक संपर्क सेवाएं, जैसे, कॉल/ संपर्क केंद्र और ईमेल सहायता डेस्क
   - ख. बैक-ऑफिस प्रोसेसिंग
   - ग. वित्त और लेखा (दूरस्थ रूप से प्रदान किया गया)
   - घ. बीमा दावा प्रसंस्करण (दूरस्थ रूप से प्रदान किया गया)
   - ङ. मानव संसाधन सेवाएं और अन्य परामर्श (दूर से प्रदान की गई)
   - च. वेबसाइट विकास और रखरखाव सेवाएं उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा
   - छ. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग
   - ज. सॉफ्टवेयर विस्तार विकास
   - झ. इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और उत्पाद विकास
   - ञ. इंजीनियरिंग डिजाइन और उत्पाद विकास
   - ट. दुनिया भर में फैले डेटाबेस प्रदान करके या डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करके उपयोग की सूचना आवश्यकताओँ को पूरा करने वाले उद्योग।
   - ठ. सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न या सभी घटकों के परिष्कृत परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले उद्योग।
   - ड. दूरसंचार और सक्षम सेवाएं।
4. मीडिया
   - क. टीवी और वीडियो कार्यक्रम प्रोडक्शन।
   - ख. फोटो कम्पोजिंग और डेस्कटॉप पब्लिकेशन।
   - ग. प्रकाशन
   - घ. ऑडियोविजुअल सेवाएं
5. जैव प्रौद्योगिकी/ चिकित्सा
   - क. अनुसंधान एवं विकास और उत्पादों या प्रक्रियाओं का निर्माण, जो विशिष्ट जीवित प्रणालियों (पौधों, जानवरों और रोगाणुओं या उनके भागों) का उपयोग करते हैं या इनसे प्राप्त होते हैं और या वहां से प्राप्त एंजाइम/जैव उत्प्रेरक
   - ख. जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल
   - ग. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं
6. अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन
   - क. इलेक्ट्रॉनिक्स आर एंड डी-डिजाइन और उत्पाद विकास
   - ख. इंजीनियरिंग आर एंड डी- डिजाइन और उत्पाद विकास

ग. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास

घ. डिजाइन गारमेंट्स उद्योग, रत्न और आभूषण, वेब डिजाइन आदि।

ङ. टेक्सटाइल डिजाइनिंग और फैब्रिक टेस्टिंग आदि।

च. इंटर डिसीप्लिनरी आर एंड डी सेवाएं

7. व्यावसायिक सेवाएँ (दूरस्थ रूप से प्रदान की जाने वाली)

क. कानूनी सेवाएँ

ख. वित्तीय, लेखा, लेखा परीक्षा, बहीखाता और कराधान सेवाएं

ग. वास्तुकला और इंजीनियरिंग सेवाएं

घ. विज्ञापन एजेंसी और प्रशिक्षण सेवाएं

ङ. बाजार अनुसंधान और जनमत सेवाएं

च. प्लेसमेंट, प्रबंधन, उच्च शिक्षा और परामर्श सेवाएं

छ. इक्विटी अनुसंधान

8. शैक्षिक सेवाएं

क. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (एआईसीटीई/ एनसीटीई मानदंड के अनुसार एआईसीटीई/ एनसीटीई अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए आईटीआई/ पॉलिटेक्निक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/ प्रबंधन संस्थान/ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

(उपर्युक्त शैक्षिक गतिविधियों को अधिकतम स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के स्तर तक अनुमति दी जाएगी।)

9. अन्य

क. पैकेजिंग

ख. इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली (इलेक्ट्रिकल) वितरण सेवाएं

ग. टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सेवा और मरम्मत।

नोट:

1. किसी स्ट्रीट या सड़क के भाग का न्यूनतम मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) जिस पर क्र.सं. 7 से 9 में उल्लिखित गतिविधियों की अनुमति इस प्रकार है:

i. 1000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट - 12 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू)

ii. 1000 वर्ग मीटर से ऊपर के प्लॉट - 18 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू)

2. सूची में अतिरिक्त परिवर्धन/ परिवर्तन एनसीटी दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से किए जा सकते हैं।

अनुलग्नक 9: अनुमेय घरेलू उद्योगों की सूची

9 क. घरेलू उद्योग

1. अगरबत्ती और इसी तरह के उत्पाद
2. एल्यूमिनियम हैंगर (वायर ड्राइंग और एनोडाइजिंग को छोड़कर)
3. आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक/ यूनानी दवाएं
4. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की असेंबली और मरम्मत
5. सिलाई मशीनों की असेंबली और मरम्मत
6. हाथ के औजारों की असेंबली
7. बैडमिंटन शटलकॉक की असेंबली
8. बिजली के उपकरणों, कूलर/हीटर आदि की असेंबली और मरम्मत।
9. टाइपराइटर की असेंबली और मरम्मत (फॉन्ट कास्टिंग को छोड़कर)
10. बेक्लाइट स्विच की असेंबली
11. मापन उपकरणों की असेंबली और मरम्मत (पारा और खतरनाक सामग्री को संभालने के अलावा)
12. आटा चक्की
13. बाटिक कार्य
14. ब्लॉक बनाना और फोटो एनलार्ज करना
15. बिस्किट, पापे, केक और कुकीज बनाना
16. बटन बनाना, बटन और हुक लगाना
17. बुकबाइंडिंग
18. ब्रश और झाड़ू (हाथ से)
19. केलिको और वस्त्र उत्पाद
20. बेंत और बांस के उत्पाद
21. कैसेट रिकॉर्डिंग
22. प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ/बिना क्ले और मॉडलिंग
23. कॉयर और जूट उत्पाद
24. कार्डबोर्ड बॉक्स
25. मोमबत्तियाँ
26. तांबे और पीतल आर्ट वेयर्स
27. रस्सा, रस्सी और सुतली बनाना
28. बढ़ईगीरी
29. कॉन्टैक्ट लेंस
30. कैनवस बैग और होल्ड-ऑल मेकिंग
31. कैंडी, मिठाई, रसमलाई आदि (डिब्बाबंद नहीं होने पर)
32. कपास/ रेशम छपाई (हाथ से)
33. कंप्यूटर मरम्मत और साइबर सूचना केंद्र
34. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
35. दरी और कालीन बुनना
36. डिटर्जेंट (बिना भट्टी के)
37. डाटा प्रोसेसिंग
38. डेयरी उत्पाद उदाहरण के लिए क्रीम, घी, पनीर आदि।
39. ड्राई क्लीनिंग (बड़ी वर्कशॉप को छोड़कर)

40. डेस्क टॉप पब्लिशिंग
41. कढ़ाई
42. एनामेलिंग विट्रियस (कोयले के उपयोग के बिना)
43. पिक्चर्स और मिरर की फ्रेमिंग
44. फाउंटेन पेन, बॉल पेन और फेल्ट पेन
45. सोने और चांदी के धागे, कलाबट्टू
46. होजरी उत्पाद (रंगाई और ब्लीचिंग के बिना)
47. कढ़ाई सहित हैट, टोपी, पगड़ी
48. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
49. फाउंटेन पेन हेतु स्याही बनाना
50. इंटरलॉकिंग और बटनिंग
51. आभूषण की वस्तुएं
52. खादी और हथकरघा
53. खुसत्ती
54. बुनाई कार्य
55. फीता उत्पाद
56. चमड़े के जूते
57. चमड़े की बेल्ट और बकल की असेंबली (हाथ से)
58. लेदर और रेक्सिन मेड अप
59. दूध क्रीम अलग करना
60. जूट उत्पादों का निर्माण
61. बिंदी बनाना
62. नेम प्लेट बनाना
63. निम्नलिखित वस्तुओँ का उत्पादन:
    i. ब्लैंको केक
    ii. ब्रश
    iii. कुल्फी और कन्फैक्शनरी
    iv. क्रेयॉन
    v. जैम, जेली और फल प्रीजर्वर्स
    vi. संगीत वाद्ययंत्र (मरम्मत सहित)
    vii. लेस वर्क और इसी तरह के कार्य
    viii. सजावटी चमड़े के सामान जैसे पर्स, हैंडबैग
    ix. छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक
64. पेपर स्टेशनरी आइटम और बुक बाइंडिंग
65. पिठ हैट, फूलों की माला और पिच
66. पी.वी.सी. उत्पाद (अधिकतम एक मोल्डिंग मशीन)
67. पेपर मशीन
68. इत्र और सौंदर्य प्रसाधन
69. फोटो सेटिंग
70. फोटोस्टेट और साइक्लोस्टाइलिंग
71. ड्राइंगिस की एनलार्जिंग सहित ड्राइंगिस की फोटो प्रति
72. शैंपू की पैकेजिंग

73. बालों के तेल की पैकेजिंग
74. वड़ी, पापड़ आदि बनाना
75. चटनी मसालों, मसालों, मूंगफली और दाल आदि का प्रसंस्करण।
76. पान मसाला
77. मिठाई और नमकीन का उत्पादन (एक टन/दिन से कम)
78. कागज की लुगदी
79. कागज के कप, प्लेटें, फाइल कवर और लेटर पैड (बिना छपाई के)
80. फोटोग्राफी (डेवलेपिंग और मुद्रण)
81. घड़ियों और दीवार घड़ियों की मरम्मत
82. राखी बनाना
83. घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत
84. रेडीमेड गारमेंट्स (धुलाई के बिना)
85. साइकिल की मरम्मत
86. कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत और एसेम्बली
87. चमड़े और पीवीसी सामग्री के उपयोग को छोड़कर बैग, ब्रीफ केस, सूटकेस की मरम्मत
88. पानी के मीटर, स्टेबलाइजर, यूपीएस आदि की मरम्मत।
89. रबड़ की मोहरें
90. पत्थर की नक्काशी
91. खेलकूद का सामान/स्पोर्टस नेट
92. सर्जिकल बैंडेज रोलिंग और कटिंग
93. स्टोव पाइप, सेफ्टी पिन और एल्यूमीनियम बटन (हैंड प्रैस)
94. सिल्वर फोयल बनाना
95. साड़ी फॉल बनाना
96. जूते का फीता
97. स्टाम्प पैड
98. स्क्रीन प्रिंटिंग
99. सिलाई
100. थ्रेड बॉल्स और कॉटन फिलिंग
101. खिलौने और गुड़िया
102. टाई
103. टमाटर केचप
104. छाता एसेम्बली
105. बर्तन धोने का पाउडर (केवल मिश्रण और पैकेजिंग)
106. वेलवेट कढ़ाई वाले जूते/ शाल
107. सेवई और मैक्रोनी
108. लकड़ी की नक्काशी और सजावटी लकड़ी के सामान
109. वूल बॉलिंग और लाची बनाना
110. लकड़ी/ कार्डबोर्ड के आभूषण बक्से (विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन)
111. ऊन की बुनाई (मशीन के साथ)
112. जरी जरदोजी

9 ख.अनुमेय घरेलू उद्योग (केवल ग्राम आबादी में)

1. लोहारी का कार्य
2. बेंत और बांस के उत्पाद
3. प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ/बिना क्ले और मॉडलिंग
4. दरी/कालीन/साड़ी बुनाई (डाइंग और ब्लीचिंग को छोड़कर)
5. रेफ्रिजरेशन द्वारा आइसक्रीम और वाटर कूलिंग (कोल्ड स्टोरेज के बिना)
6. पत्थर की नक्काशी
7. ग्रामीण मिट्टी के बर्तन उद्योग (भट्टी के बिना)
8. ग्रामीण तेल घानी
9. लकड़ी की नक्काशी और सजावटी लकड़ी के सामान

9 क और 9 ख में उल्लिखित कोई भी उद्योग निम्नलिखित नहीं करेगा:

1. एनोडाइजिंग
2. ब्लीचिंग
3. कोयले को जलाना
4. कैनिंग सुविधा
5. रंगाई
6. इलेक्ट्रोप्लेटिंग
7. मोल्डिंग वर्क्स
8. सीएफसी गैसों का उपयोग
9. वार्निश
10. धुलाई

नोट:

1. खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 की अनुसूची I और/या II के तहत सूचीबद्ध रसायनों का भंडारण प्रतिबंधित होगा।

2. इकाइयों द्वारा किसी भी प्रकार के बहिस्राव/ उत्सर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शोर मानकों का पालन करेंगे।

3. सूची में अतिरिक्त परिवर्धन/ परिवर्तन एनसीटी दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से किए जा सकते हैं।

अनुलग्नक 10: व्यावसायिक केंद्रों में अनुमेय औद्योगिक गतिविधियों की सूची।

1. एयर कंडीशनर के पुर्जे
2. एल्यूमीनियम दरवाजे/ खिड़कियां/ फिटिंग/ फर्नीचर
3. साइकिल की असेंबली और मरम्मत
4. ऑटो पार्ट्स
5. बेल्ट और बकल
6. बल्ब (बैटरी)
7. कपड़े की रंगाई
8. कपास ओटाई
9. साइकिल की चेन/ ताले
10. हीरा काटने और चमकाने का काम
11. इलेक्ट्रिक फिटिंग (स्विच, प्लग पिन आदि)
12. इलास्टिक उत्पाद
13. इंजीनियरिंग कार्य
14. फाउंड्री (उद्योग विभाग/ डीपीसीसी की निर्धारित सीमा के अनुसार लघु कार्य)
15. रेफ्रिजरेशन द्वारा आइसक्रीम और वाटर कूलिंग (कोल्ड स्टोरेज के बिना)
16. आइस बॉक्स और कूलर बॉडी
17. लोहे की ग्रिल और दरवाजे बनाना
18. जूट उत्पाद
19. चाबी के छल्ले
20. चाकू बनाना
21. संगमरमर पत्थर की वस्तुएँ
22. धातु खराद काटना
23. मोटर वाइंडिंग कार्य
24. प्रिंटिंग प्रेस
25. पेंच और कील
26. कैंची बनाना
27. चश्मा और ऑप्टिकल फ्रेम
28. स्टील का फर्नीचर/ अलमारी
29. स्टील लॉकर
30. स्टील स्प्रिंग्स
31. शल्य चिकित्सा यंत्र और उपकरण
32. टेबल लैंप और शेड्स
33. टिन बॉक्स बनाना
34. ट्रांसफार्मर कवर
35. टीवी, रेडियो, कैसेट रिकॉर्डर आदि।
36. टीवी/ रेडियो/ ट्रांजिस्टर कैबिनेट
37. टाइपराइटर पार्ट्स का निर्माण और असेंबली
38. पानी के मीटर की मरम्मत
39. पानी की टंकियाँ

40. वेल्डिंग का कार्य
41. वायर बुनाई
42. लकड़ी के फर्नीचर का कार्य
43. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं

नोट:

1. ये सभी उद्योग गैर-खतरनाक और गैर-प्रदूषणकारी प्रकृति के होंगे और इस श्रेणी की सभी औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

2. सूची में अतिरिक्त परिवर्धन/ परिवर्तन एनसीटी दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से किए जा सकते हैं।

अनुलग्नक 11: अधिसूचित असंगत औद्योगिक क्षेत्रों की सूची

1. आनंद पर्वत
2. शाहदरा
3. समयपुर बादली
4. जवाहर नगर
5. सुल्तानपुर माजरा
6. हस्तसाल पॉकेट - ए
7. नरेश पार्क एक्सटेंशन
8. लिबासपुर
9. पीरागढ़ी गांव
10. ख्याला
11. हस्तसाल पॉकेट - डी
12. शालीमार गांव
13. नई मंडोली
14. नवादा
15. रिठाला
16. स्वर्ण पार्क मुंडका
17. हैदरपुर
18. करावल नगर
19. डाबड़ी
20. बसईदारापुर
21. प्रह्लादपुर बांगर
22. मुंडका और मुंडका उद्योग नगर
23. रणहोला
24. नंगली सकरावती
25. नेताजी सुभाष विहार, टिकरी कलां

नोट:

सूची में अतिरिक्त परिवर्धन/ परिवर्तन एनसीटी दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से किए जा सकते हैं।

अनुलग्नक 12: ग्रुप हाउसिंग और दिविप्रा फ्लैटों में लेआउट प्लान के भाग के रूप में केवल भूतल पर अनुमेय व्यावसायिक गतिविधियों की सूची

1. सब्जियां/ फल/ फूल
2. बेकरी आइटम/ कन्फेक्शनरी आइटम
3. किराना/जनरल स्टोर
4. डेयरी उत्पाद
5. स्टेशनरी/ पुस्तकें/ उपहार/ बुक बाइंडिंग
6. फोटोस्टेट/ फैक्स/ एसटीडी/ पीसीओ
7. साइबर कैफे/ कॉल फोन बूथ
8. एलपीजी सिलेंडर के बिना एलपीजी बुकिंग ऑफिस/ शोरूम
9. आटा चक्की
10. मांस/मुर्गी पालन और मछली की दुकान (पशुवध की अनुमति नहीं दी जाएगी)
11. पान की दुकान
12. नाई की दुकान/ हेयर ड्रेसिंग सैलून/ ब्यूटी पार्लर
13. लॉन्ड्री/ ड्राई क्लीनिंग/ इस्त्री करना
14. मिठाई की दुकान/ चाय की दुकान जहां बैठने की व्यवस्था न हो
15. केमिस्ट शॉप/ क्लीनिक/ डिस्पेंसरी /पैथोलॉजी लैब
16. ऑप्टिकल शॉप
17. दर्जी की दुकान
18. इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप
19. फोटो स्टूडियो
20. केबल टीवी/ डीटीएच ऑपरेशन
21. होज़री/ रेडीमेड गारमेंट्स/ कपड़े की दुकान
22. एटीएम
23. साइकिल रिपेयर शॉप
24. पीडीएस के तहत राशन की दुकान और मिट्टी के तेल की दुकान

नोट:

कोई अन्य मद/ गतिविधि जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

अनुलग्नक 13: शहर-स्तरीय सर्किटों की सांकेतिक सूची

1. कोरोनेशन पार्क-शाहजहाँनाबाद
2. लाल किला- हुमायूँ का मकबरा
3. पुराना किला-राष्ट्रपति भवन
4. हुमायूं का मकबरा-सफदरजंग का मकबरा
5. सफदरजंग का मकबरा-महरौली
6. तुगलकाबाद-जहाँपनाह-महरौली
7. महरौली-सुल्तान गढ़ी

नोट:

संबंधित एजेंसियां अन्य सर्किटों की पहचान भी कर सकती हैं।

अनुलग्नक 14: दिल्ली मास्टर प्लान - 2047 के लिए सुझाए गए मुख्य प्रदर्शन संकेतक

क्र.स.	केपीआई	माप के मानदंड
1.	स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी	"अच्छे" और उससे ऊपर की श्रेणी में आने वाले स्थानीय पीएम 2.5 अवलोकनों की संख्या (पिछला वर्ष - वर्तमान वर्ष) / अवलोकनों की कुल संख्या x100 जिसमें, • स्थानीय पीएम 2.5 = स्थानीय कारक x पीएम 2.5 मान • अवलोकन = निगरानी केन्द्रों की संख्या x 365 (दैनिक मापन के लिए) • अच्छी श्रेणी और उससे बेहतर = सीपीसीबी द्वारा प्रदान किए निदेशों के अनुरूप है।
2.	जल प्रदूषण में कमी	प्राकृतिक जलाशयों में मापी गई विघटित ऑक्सीजन (पिछला वर्ष – वर्तमान वर्ष) / प्राकृतिक जलाशयों में वांछित न्यूनतम विघटित ऑक्सीजन x 100 जिसमें, • प्राकृतिक जलाशयों में नदी, जलाशय और प्राकृतिक नाले शामिल हैं • न्यूनतम वांछित विघटित ऑक्सीजन (निगरानी के प्रथम चरण के लिए) = 4 एमजी/लीटर (सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार बाद में संशोधित किया जाएगा)
3.	हरित क्षेत्र में वृद्धि	बेसलाइन के संदर्भ में नगर के हरित क्षेत्र (%) में वार्षिक वृद्धि (उदाहरण 2021 के आंकड़े)।
4.	पुनरूद्धार किए गए जलाशयों में वृद्धि	1 हेक्टेयर एवं उससे अधिक आकार के पुनरूद्धार किए गए जलाशयों की संख्या (वर्तमान वर्ष-पिछला वर्ष) / 1 हेक्टेयर एवं उससे अधिक आकार के कुल जलाशय x 100
5.	बाढ़ के जोखिम में कमी	बेसलाइन के संदर्भ में बाढ़ के हॉटस्पॉट की संख्या में कमी।
6.	अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग में वृद्धि	शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग (वर्तमान वर्ष - पिछला वर्ष) / कुल सृजित अपशिष्ट जल x 100
7.	भूजल स्तर में वृद्धि	उन अवलोकन वाले कुंओं की संख्या में वृद्धि जिनके भूजल की गहराई "सुरक्षित" श्रेणी में है।

8.	लैंडफिल स्ट्रेस में कमी	लैंडफिल तक पहुंचने वाला कुल अपशिष्ट (पिछला वर्ष - वर्तमान वर्ष) / कुल सृजित अपशिष्ट x 100
9.	अपशिष्ट से संपदा में परिवर्तन करने में वृद्धि	पुनःचक्रित सी एवं डी उत्पादों से उत्पन्न राजस्व में वृद्धि।
10.	कुल ऊर्जा उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में वृद्धि	नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग (वर्तमान वर्ष - पिछला वर्ष) / कुल ऊर्जा उपयोग x 100
11.	भूकंपरोधी भवनों में वृद्धि	भूकंपरोधी पंजीकृत भवनों की संख्या (वर्तमान वर्ष - पिछला वर्ष) / भूकंपरोधी आवश्यकता वाले पंजीकृत भवनों की संख्या x 100
12.	आग लगने में कमी	बेसलाइन के संदर्भ में आग की घटनाओं की संख्या में कमी।
13.	नए आवास स्टॉक में लघु प्रारूप वाले आवासों की हिस्सेदारी में वृद्धि	लघु प्रारूप में निर्मित आवासीय इकाईयों की संख्या (वर्तमान वर्ष - पिछला वर्ष) / निर्मित नई अधिकृत आवासीय इकाईयों की संख्या x 100
14.	स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वृद्धि (आईएसआर/ स्वस्थाने उन्नयन/ नई जगह)	कार्यान्वित स्लम पुनर्वास परियोजनाओं की संख्या।
15.	सार्वजनिक परिवहन की ओर रुख	परिवहन के सार्वजनिक और साझा साधनों की कुल यात्राओं का निजी साधनों की कुल यात्राओं से अनुपात (पैदल यात्राओं को छोड़कर)।
16.	स्वच्छ ईंधन (क्लीन फ्यूल) पर चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि	स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले पंजीकृत नए वाहनों की संख्या (वर्तमान वर्ष-पिछला वर्ष) / कुल नए पंजीकृत वाहन x 100
17.	मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)	स्वतः स्पष्ट।
18.	संरक्षित विरासत स्थलों की संख्या	संरक्षित विरासत स्थलों की संख्या।

19.	सार्वजनिक सड़कों की जीवंतता में वृद्धि	प्रासंगिक मानकों/दिशानिर्देशों के अनुसार डिजाइन की गई 18 मीटर और उससे अधिक की सड़कों की लंबाई (वर्तमान वर्ष - पिछला वर्ष) / 18 मीटर और उससे अधिक की सड़कों की कुल लंबाई x 100
20.	कार्यबल में महिला भागीदारी में वृद्धि	15–64 वर्ष की आयु के बीच की कुल महिला कर्मचारी (वर्तमान वर्ष-पिछला वर्ष) / 15–64 वर्ष की आयु के बीच की कुल महिलाएं x 100

अनुलग्नक 15: सांस्कृतिक परिसरों की सांकेतिक सूची

1. निजामुद्दीन दरगाह- हुमायूं का मकबरा परिसर- सुंदर नर्सरी
2. शमशी किला- जहाज महल- जफर महल-बावली-आदम खान का मकबरा- कुतुब मीनार परिसर
3. विजय मंडल - बेगमपुर - सराय शाहजी - लाल गुंबद
4. त्रिकोणा पार्क- शाहपुर जट- तोहफे वाला गुंबद- एशियाड विलेज सोसाइटी
5. फिरोज शाह का मकबरा- हौज खास गांव - हौज खास झील
6. खिड़की मस्जिद- सतपुला नाला- चिराग दिल्ली में स्मारक - जहाँपनाह वन
7. वाल्ड सिटी (विरासत क्षेत्र) के भीतर सांस्कृतिक प्रेसिंटस: ऐतिहासिक बाजार

नोट: *संबंधित एजेंसियां अन्य परिसरों की पहचान भी कर सकती हैं।*

अनुलग्नक 16: वर्ष 1962 से पूर्व निर्मित रिहाइशी और पुनर्वास कॉलोनियों की सूची

1. अलीगंज
2. अंधा मुगल
3. बलबीर नगर
4. भारत नगर
5. बी.के. दत्त कॉलोनी
6. दिलशाद गार्डन
7. गांधी नगर
8. गीता कॉलोनी
9. गुलाबी बाग
10. इंद्रपुरी
11. जंगपुरा - ए
12. जंगपुरा - बी
13. जंगपुरा एक्सटेंशन
14. जवाहर नगर
15. कालकाजी
16. कमला नगर
17. करोल बाग
18. किंग्सवे कैंप
19. कीर्ति नगर
20. किशन गंज
21. किशन नगर
22. लाजपत नगर - I से IV
23. मलका गंज
24. मालवीय नगर
25. मानसरोवर गार्डन
26. मॉडल बस्ती
27. मॉडल टाउन
28. मोती नगर
29. मुल्तान नगर
30. नानकपुरा
31. निकोलसन मार्ग
32. न्यू राजिंदर नगर
33. ओल्ड राजिंदर नगर
34. आउट्रम लाइन्स
35. पटेल नगर (ईस्ट)
36. पटेल नगर (वेस्ट)
37. पटेल नगर (साउथ)
38. प्रताप नगर
39. प्रेम नगर

40. पंजाबी बाग
41. राजौरी गार्डन
42. राणा प्रताप बाग
43. रमेश नगर
44. राम नगर
45. रोहतास नगर
46. रूप नगर
47. सराय रोहिल्ला
48. शाहदरा
49. शक्ति नगर
50. शेख सराय
51. शिवाजी पार्क
52. सुभाष नगर
53. तिलक नगर
54. तिमारपुर
55. तिहाड़ - I और II
56. विनोबा पुरी
57. विजय नगर

नोट: *भारत सरकार के अनुमोदन से प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य सहित कोई अन्य कॉलोनी।*

अनुलग्नक 17: लो डेंसिटी एरिया वाले गांवों की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

17 क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ एक परिधि ग्राम राजस्व सीमा में आने वाले गाँव- 47 गाँव

क्रम सं.	योजना जोन	गाँव का नाम
(1)	जोन जी	1. बिजवासन (पार्ट) 2. कापसहेड़ा 3. सलाहपुर
(2)	जोन जे	4. रजोकरी (पार्ट)
(3)	जोन के-II	5. बामनोली (पार्ट) 6. बिजवासन (पार्ट)
(4)	जोन एल	7. बादुसराय 8. बक्करगढ़ 9. देवराला 10. ढांसा 11. गालिबपुर 12. गुमानहेड़ा 13. ईसापुर 14. जैनपुर 15. झड़ोदा कलां (पार्ट) 16. झटीकरा 17. कैर 18. कंगनहेड़ी 19. मित्राउं (पार्ट) 20. मुंढेला कलां 21. मुंढेला खुर्द 22. नानकहेड़ी 23. राघवपुर 24. रौता 25. शिकारपुर 26. सुरेखपुर (पार्ट) 27. टीकरी कलां (पार्ट)
(5)	जोन पी- I	28. बाकनेर 29. घोगा 30. लामपुर 31. मामुरपुर
(6)	जोन पी- II	32. हामिदपुर 33. झंगोला 34. पल्ला

		35. सिंघू 36. ताजपुर कलां
(7)	जोन एन	37. औचंदी 38. मुंगेशपुर 39. कुतबगढ़ 40. खोड़ पंजाब 41. चतेसर 42. जोन्टी 43. गढ़ी रिंधाला 44. निजामपुर-राशिदपुर 45. टिकरीकलां (पार्ट) 46. हरोली
(8)	जोन ई	47. मंडोली

17 ख. लो डेंसिटी वाले रिहायशी क्षेत्र के रूप में घोषित गांव - 23 गांव

1. सयूरपुर*
2. सतबड़ी*
3. छतरपुर
4. खानपुर
5. देवली*
6. भाटी*
7. फतेहपुरबेरी*
8. असोला*
9. जौनापुर
10. चंदन होला
11. गदईपुर
12. सुल्तानपुर
13. महरौली*
14. रजोकरी
15. समालखा
16. घिटोरनी*
17. रंगपुरी*
18. होलम्बी खुर्द
19. बकोली
20. बख्तावरपुर
21. हिरंकी
22. बिजवासन
23. बामनोली

नोट:

1. *निम्न घनत्व क्षेत्र में आने वाले गाँवों में ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट (टीओडी) लागू नहीं होगी*
2. *क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लिखित 5 गाँव (अनुलग्नक 17ख) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाली प्रासंगिक शर्तों, जो प्राधिकरण द्वारा लागू की जाएंगी, के अधीन होंगे।*
3. **ऐसे गांव जहां रीजनल पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में कम घनत्व वाले आवासीय विकास की अनुमति दी जा सकती है।*
4. *उपर्युक्त गांवों में आने वाले किसी भी अनुमोदित लेआउट/ योजना को अनुमोदित माना जाएगा।*
5. *"ग्राम" शब्द का अर्थ "रेवेन्यू विलेज बाउंड्री" है।*

अनुलग्नक 18: रेजिडेंशियल यूज जोन - अनुमत उपयोग परिसरों की सूची और अनुमत नहीं उपयोग परिसरों की सूची:

रिहाइशी	
उपयोग परिसर – अनुमत	**उपयोग परिसर – अनुमति नहीं है**
व्यावसायिक (स्थानीय स्तर) • कनविनियेंस शॉपिंग सेंटर (सीएससी), लोकल शॉपिंग सेंटर (एसएससी) • सर्विस मार्केट, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बाज़ार	**व्यावसायिक** • कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर (डीसी) • इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, होलसेल मार्केट, वेयरहाउसिंग स्कीम • भंडारगृह/गोदाम/भंडार/शीतगृह प्लॉट • होटल/बजट होटल, सर्विस अपार्टमेंट
उद्योग • घरेलू उद्योग	**उद्योग** • औद्योगिक प्लॉटेड, औद्योगिक फ्लैटेड, एकीकृत औद्योगिक पार्क
परिवहन • मल्टी-लेवल पार्किंग • फ्यूल स्टेशन • परिचालन- रेल/एमआरटीएस/सड़क/आरआरटीएस/हाई स्पीड रेल	**परिवहन** • हवाई अड्डा (हॉस्पिटेलिटी डिस्ट्रिक्ट सहित) • रेल टर्मिनल/ एकीकृत यात्री टर्मिनल • आईएसबीटी, बस डिपो, बस टर्मिनल • यार्ड/डिपो - मेट्रो रेल/आरआरटीएस/एचएसआर
यूटिलिटी • स्थानीय स्तर की सुविधाएँ, जिनमें स्थायी कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन (FCTS) भी शामिल हैं।	**यूटिलिटी** • सामुदायिक स्तर और उससे ऊपर की सुविधाएं
सरकारी • स्थानीय/सरकारी रखरखाव कार्यालय • यूटिलिटी कार्यालय/सेवा प्रदाता एजेंसियां (स्थानीय स्तर पर)	**सरकारी** • जिला न्यायालय/पारिवारिक न्यायालय • सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय), एकीकृत कार्यालय परिसर
सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (स्थानीय स्तर) • अन्य स्वास्थ्य सुविधा • पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा • स्वास्थ्य केंद्र • अस्पताल (विदेशी मिशन में) • प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, स्कूल (छठी तक), स्कूल (बारहवीं तक), स्पेशल स्कूल • सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा- स्थानीय स्तर • बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, मनोरंजन क्लब • शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) • धार्मिक/सामुदायिक सुविधा • अन्य पीएसपी सुविधाएँ धोबी घाट/लॉन्ड्री सहित	**सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक** • अस्पताल • पशु चिकित्सा अस्पताल • मेडिकल/ नर्सिंग/ अन्य पैरामेडिकल कॉलेज • पशु चिकित्सा संस्थान • आवासीय विद्यालय • अनुसंधान एवं विकास केंद्र/कॉलेज/कोई अन्य संस्थान • विश्वविद्यालय कैंपस • सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा- बैंक्वेट हॉल • सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा - सामुदायिक स्तर

• वितरण सुविधाएं • पुलिस चौकी, पुलिस/अग्निशमन चौकी • पुलिस/अग्निशमन स्टेशन	• प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र • सुरक्षा-पुलिस और सुरक्षा-अग्निशमन सुविधाएं – सामुदायिक स्तर और उससे ऊपर • गैस गोदाम/एलपीजी गोदाम बुकिंग कार्यालय सहित • कब्रिस्तान/ कब्रिस्तान/ श्मशान घाट/ विद्युत शवदाह गृह • जानवरों के लिए श्मशान/कब्रिस्तान
मिश्रित उपयोग विनियमों के भाग के रूप में अनुमत गतिविधियां	मिश्रित उपयोग विनियमों के भाग निषिद्ध कोई अन्य गतिविधि

अनुलग्नक 19: व्यावसायिक उपयोग क्षेत्र: अनुमत उपयोग परिसरों और अनुमत नहीं उपयोग परिसरों की सूची:

व्यावसायिक	
परिसर का उपयोग – अनुमत	**परिसर का उपयोग – अनुमति नहीं है**
आवासीय • ग्रुप हाउसिंग, स्टूडियो अपार्टमेंट, किफायती किराये के आवास परिसर, राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह, छात्रावास • धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	**आवासीय** • प्लॉटेड आवास • विदेशी मिशन
उद्योग • घरेलू उद्योग • अनुमत औद्योगिक गतिविधि	**उद्योग** • औद्योगिक प्लॉटेड, औद्योगिक फ्लैटेड, एकीकृत औद्योगिक पार्क
परिवहन • मल्टी-लेवल पार्किंग • फ्यूल स्टेशन • परिचालन- रेल/एमआरटीएस/सड़क/आरआरटीएस/हाई स्पीड रेल	**परिवहन** • हवाई अड्डा (हॉस्पिटेलिटी डिस्ट्रिक्ट सहित) • रेल टर्मिनल/ एकीकृत यात्री टर्मिनल • आईएसबीटी, बस डिपो, बस टर्मिनल • यार्ड/डिपो – मेट्रो रेल/आरआरटीएस/एचएसआर
यूटिलिटी • स्थानीय स्तर की सुविधाएँ, जिनमें स्थायी कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन (FCTS) भी शामिल हैं।	**यूटिलिटी** • सामुदायिक स्तर और उससे ऊपर की सुविधाएं
सरकारी • स्थानीय/सरकारी रखरखाव कार्यालय • यूटिलिटी/सेवा प्रदाता एजेंसियों के कार्यालय • जिला न्यायालय/पारिवारिक न्यायालय • सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय), एकीकृत कार्यालय परिसर	**सरकारी** -
सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक • अन्य स्वास्थ्य सुविधा • पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा • स्वास्थ्य केंद्र • अस्पताल (सामान्य व्यवसाय और वाणिज्य में) • प्रारंभिक शिक्षा केंद्र • अनुसंधान और विकास केंद्र/कॉलेज/कोई अन्य संस्थान (सामान्य व्यवसाय और वाणिज्य में) • पुलिस चौकी, पुलिस/अग्निशमन चौकी, पुलिस/अग्निशमन स्टेशन • मिल्क बूथ/दूध, फल और सब्जी बूथ	**सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक** • अस्पताल • पशु चिकित्सा अस्पताल • चिकित्सा/पशु चिकित्सा/नर्सिंग/पैरामेडिक्स संस्थान • स्कूल, स्पेशल स्कूल, आवासीय विद्यालय • अनुसंधान एवं विकास केंद्र/कॉलेज/कोई अन्य संस्थान • विश्वविद्यालय परिसर • सुरक्षा-पुलिस और सुरक्षा-अग्निशमन सुविधाएं – सामुदायिक स्तर और उससे

• गैस गोदाम/एलपीजी गोदाम बुकिंग कार्यालय सहित • सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा- स्थानीय स्तर पर बैंक्वेट हॉल, बारात घर सहित • सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा-सामुदायिक स्तर • प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र • शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) • धार्मिक/सामुदायिक सुविधा • अन्य पीएसपी सुविधाएँ	ऊपर • कब्रिस्तान/ शमशान /शमशान घाट/ विद्युत शवदाह गृह • जानवरों के लिए शमशान/कब्रिस्तान

अनुलग्नक 20: औद्योगिक उपयोग क्षेत्र: अनुमत उपयोग परिसरों और अनुमत नहीं उपयोग परिसरों की सूची:

औद्योगिक	
परिसर का उपयोग – अनुमत	**उपयोग परिसर–अनुमति नहीं है**
आवासीय • ग्रुप हाउसिंग, स्टूडियो अपार्टमेंट, किफायती किराये के आवास परिसर, राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह, छात्रावास • धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	**आवासीय** • प्लॉटेड आवास • विदेशी मिशन
व्यावसायिक • कनविनियेंस शॉपिंग सेंटर (सीएससी), लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) • कम्युनिटी सेंटर • सर्विस मार्केट, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बाज़ार • इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, होलसेल मार्केट, वेयरहाउसिंग स्कीम • गोदाम/भंडारण/शीत गृह भंडार हेतु प्लॉट • होटल, सर्विस अपार्टमेंट, बजट होटल	**व्यावसायिक** • डिस्ट्रिक्ट सेंटर
परिवहन • बस टर्मिनल, बस डिपो • मल्टी-लेवल पार्किंग • फ्यूल स्टेशन • परिचालन- रेल/एमआरटीएस/सड़क/आरआरटीएस/हाई स्पीड रेल	**परिवहन** • हवाई अड्डा (हॉस्पिटेलिटी डिस्ट्रिक्ट सहित) • रेल टर्मिनल/ एकीकृत यात्री टर्मिनल • आईएसबीटी • यार्ड/डिपो - मेट्रो रेल/आरआरटीएस/एचएसआर
यूटिलिटी • स्थानीय और उप-सिटी लेवल के परिसर का उपयोग	**यूटिलिटी** • सिटी लेवल पर परिसर का उपयोग
सरकारी • जिला न्यायालय/पारिवारिक न्यायालय • सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय), एकीकृत कार्यालय परिसर	**सरकारी** -

अनुलग्नक 21: परिसर का उपयोग और अनुमेय गतिविधियाँ

1.आवासीय:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**ग्रुप हाउसिंग**	आवासीय (आवासीय इकाइयाँ) खुदरा दुकान, पर्सनेल सर्विस शॉप, सोसायटी कार्यालय / पंजीकृत आरडब्ल्यूए कार्यालय, सामुदायिक कक्ष / बस्ती विकास केंद्र, क्रेच / डे केयर सेंटर, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय / वाचनालय, सामुदायिक / मनोरंजन हॉल / कक्ष, स्वीमिंग पूल, धार्मिक सुविधा, वॉच एण्ड वार्ड , एटीएम।
2.	**प्लॉटिड आवास**	आवासीय (भूखंड/ आवासीय इकाइयाँ), सोसायटी कार्यालय / पंजीकृत आरडब्ल्यूए कार्यालय (50 वर्ग मीटर तक), स्वीमिंग पूल। यदि पर्यटन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित योजना के तहत पंजीकृत है, तो रिहायशी प्लॉट/इकाई में बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट आवास एक अनुमत गतिविधि हो सकती है।
3.	**स्टूडियो अपार्टमेंट**	आवासीय (इकाइयाँ), खुदरा दुकान, पर्सनेल सर्विस शॉप, सोसायटी कार्यालय / पंजीकृत आरडब्ल्यूए कार्यालय, सामुदायिक कक्ष / बस्ती विकास केंद्र, क्रेच / डे केयर सेंटर, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय / वाचनालय, सामुदायिक / मनोरंजन हॉल / कक्ष, स्वीमिंग पूल, धार्मिक सुविधा, डाइनिंग एरिया, वॉच एण्ड वार्ड, एटीएम।
4.	**धर्मशाला या इसके समकक्ष**	खुदरा दुकान, पर्सनेल सर्विस शॉप, सामुदायिक/मनोरंजन कक्ष/कक्ष, डॉरमेट्री, अतिथि कक्ष, डाइनिंग एरिया, वॉच एण्ड वार्ड, एटीएम.
5.	**राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह**	खुदरा दुकान, पुस्तकालय / वाचनालय, कम्युनिटी / मनोरंजन हॉल / कक्ष, स्वीमिंग पूल, डॉरमेट्री, अतिथि कक्ष, डाइनिंग एरिया, वॉच एण्ड वार्ड, सम्मेलन हॉल और संबंधित सुविधाएं, सरकारी कार्यालय, स्मारिका दुकानें, रेस्तरां, एटीएम, कर्मचारी आवासीय आवास।
6.	**किफायती किराये के आवास परिसर**	आवासीय (इकाइयाँ), खुदरा दुकान, पर्सनेल सर्विस शॉप, सोसायटी कार्यालय / पंजीकृत आरडब्ल्यूए कार्यालय, सामुदायिक कक्ष / बस्ती विकास केंद्र, क्रेच / डे केयर सेंटर, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय / वाचनालय, सामुदायिक / मनोरंजन हॉल / कक्ष, धार्मिक सुविधा, डॉरमेट्री, डाइनिंग एरिया, वॉच एण्ड वार्ड, एटीएम, आंगनवाड़ी।
7.	**गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस**	डाइनिंग एरिया, वॉच एण्ड वार्ड, खुदरा और पर्सनेल सर्विस शॉप को फ्लोर एरिया के 20% तक ही सीमित रखा जाएगा।
8.	**छात्रावास**	डाइनिंग एरिया, वॉच एण्ड वार्ड, आवास, खुदरा और पर्सनेल सर्विस शॉप को तल क्षेत्रफल के 20% तक ही सीमित रखा जाएगा।
9.	**विदेशी मिशन**	विदेशी मिशन और उससे जुड़ी सुविधाएं/ऑफिस।

2. व्यावसायिक:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**कनविनियेंस शॉपिंग सेंटर सेंटर (सीएससी)**	खुदरा दुकान, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, उचित मूल्य की दुकान, मरम्मत / सर्विस, पर्सनेल सर्विस शॉप , कार्यालय, रेस्तरां, बैंक, एटीएम, डिस्पेंसरी, क्लिनिक (पशु चिकित्सा सहित), स्पा, जिम और सैलून, क्रेच / डे केयर, अनुमत उद्योग (अनुलग्नक 10)
2.	**लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी)**	खुदरा दुकान, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/अनौपचारिक इकाई, दवाइयों और ड्रग्स के स्टॉकिस्ट और डीलर, उचित मूल्य की दुकान, मरम्मत/सर्विस, पर्सनेल सर्विस शॉप, कार्यालय, सरकारी कार्यालय, गेस्ट हाउस, रेस्तरां, कोचिंग सेंटर / संस्थान / शिक्षण सेंटर, मल्टी लेवल पार्किंग, बैंक, एटीएम, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, क्लिनिक (पशु चिकित्सा सहित), पैथ लैब, डायग्नोस्टिक सुविधा, स्पा, जिम और सैलून, क्रेच / डे केयर, अनुमत उद्योग (अनुलग्नक 10), रसोई / क्लाउड किचन
3.	**कम्युनिटी सेंटर (सीसी)**	खुदरा दुकान, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, दवाइयों और ड्रग्स के स्टॉकिस्ट और डीलर, मरम्मत / सर्विस, पर्सनेल सर्विस शॉप, कार्यालय, सरकारी कार्यालय, सम्मेलन सुविधा, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, होटल/बजट होटल, गेस्ट हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं, कोचिंग सेंटर / संस्थान / शिक्षण केंद्र, पुलिस चौकी, अग्नि शमन चौकी, फ्यूल स्टेशन, मल्टी-लेवल पार्किंग, सर्विस मार्केट, मोटर गैराज और वर्कशॉप, बैंक, एटीएम, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, क्लिनिक (पशु चिकित्सा सहित), पैथ लैब, डायग्नोस्टिक सुविधा, स्पा, जिम और सैलून, संग्रहालय / कला दीर्घा, क्रेच / डे केयर, एम्फीथिएटर / ओपन एयर थिएटर (ओएटी), ई-कॉमर्स डिलिवरी केंद्र अनुमत उद्योग (अनुलग्नक'-10), रसोई/क्लाउड किचन
4.	**डिस्ट्रिक्ट सेंटर / सब-सीबीडी**	खुदरा दुकान, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, दवाइयों और ड्रग्स के स्टॉकिस्ट और डीलर, मरम्मत/सर्विस, पर्सनेल सर्विस शॉप, कार्यालय, सरकारी कार्यालय, सम्मेलन सुविधा, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, होटल/बजट होटल, गेस्ट हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं, कोचिंग सेंटर / संस्थान / शिक्षण केंद्र, पुलिस चौकी, अग्नि शमन चौकी फ्यूल स्टेशन, बस टर्मिनल, मल्टी-लेवल पार्किंग, सर्विस मार्केट, मोटर गैराज और वर्कशॉप, बैंक, एटीएम, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, क्लिनिक (पशु चिकित्सा सहित), पैथ लैब, डायग्नोस्टिक सुविधा, स्पा, जिम और सैलून, संग्रहालय / कला दीर्घा, क्रेच / डे केयर, एम्फीथिएटर / ओपन एयर थिएटर (ओएटी), ई-कॉमर्स डिलिवरी केंद्र, अनुमत उद्योग (अनुलग्नक'-10), रसोई/क्लाउड किचन, डेटा सेंटर
5.	**सर्विस मार्केट**	खुदरा दुकान, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाई, दवाओं और ड्रग्स के

		स्टॉकिस्ट और डीलर, उचित मूल्य की दुकान, मरम्मत/सर्विस, पर्सनेल सर्विस शॉप, सरकारी ऑफिस, रेस्टोरेंट, सर्विस मार्केट, मोटर गैराज और वर्कशॉप, एटीएम, क्रेच/ डे केयर, ई-कॉमर्स डिलीवरी सेंटर, जिन इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त है अनुमत उद्योग (अनुलग्नक'-10)
6 .	**अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बाज़ार**	खुदरा दुकान, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाई, मरम्मत/सर्विस, पर्सनेल सर्विस शॉप, सर्विस मार्केट, मोटर गैराज और वर्कशॉप, एटीएम, क्रेच/ डे केयर
7.	**मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर (एमसीसी)**	खुदरा दुकान, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, दवाइयों और ड्रग्स के स्टॉकिस्ट और डीलर, मरम्मत / सेवा, पर्सनेल सर्विस शॉप, कार्यालय, सरकारी कार्यालय, सम्मेलन सुविधा, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, होटल/बजट होटल, गेस्ट हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं, कोचिंग सेंटर / संस्थान / शिक्षण केंद्र, पुलिस चौकी, अग्नि शमन चौकी, फ्यूल स्टेशन, बस टर्मिनल, मल्टी-लेवल पार्किंग, सर्विस मार्केट, मोटर गैराज और वर्कशॉप बैंक, एटीएम, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, क्लिनिक (पशु चिकित्सा सहित), पैथ लैब, डायग्नोस्टिक सुविधा, स्पा, जिम और सैलून, संग्रहालय / कला दीर्घा, क्रेच / डे केयर, एम्फीथिएटर / ई-कॉमर्स डिलीवरी सेंटर / ओपन एयर थिएटर (ओएटी), अनुमत उद्योग (अनुलग्नक'-10), रसोई/क्लाउड किचन

नोट: *रेडिएशन लीकेज को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बाद, व्यावसायिक क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने की अनुमति दी जाएगी।*

3. आईएफसी, होलसेल मार्केट, वेयरहाउसिंग स्कीम:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स**	थोक दुकान, गोदाम, भंडारण, स्टोरेज, पुलिस चौकी, यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन चौकी, डिस्पैंसरी, क्लिनिक, बहुस्तरीय पार्किंग, शहरी बेघरों के लिए आश्रय, वॉच एण्ड वार्ड, कार्यालय (व्यावसायिक/सरकारी/प्रशासनिक), खुदरा दुकान, रेस्तरां, बजट होटल/गेस्ट हाउस/बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाएं, मरम्मत/सेवा/मोटर गैरेज और वर्कशॉप, एटीएम के साथ बैंक, फ्यूल स्टेशन, बसों/माल वाहनों के लिए टर्मिनल, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयां
2.	**होलसेल / सब सिटी मार्केट**	थोक दुकान, गोदाम, भंडारण, पुलिस चौकी, यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन चौकी, डिस्पैंसरी, क्लिनिक, बहुस्तरीय पार्किंग, शहरी बेघरों के लिए आश्रय, वॉच एण्ड वार्ड, कार्यालय (व्यावसायिक/सरकारी/प्रशासनिक), खुदरा दुकान, रेस्तरां, मरम्मत/सेवा/मोटर गैरेज और वर्कशॉप, एटीएम के साथ बैंक, फ्यूल स्टेशन, बसों/माल

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
		वाहनों के लिए टर्मिनल, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयां
3.	वेयरहाउसिंग स्कीम	थोक दुकान, गोदाम, भंडारण, शहरी बेघरों के लिए आश्रय, वॉच एण्ड वार्ड, कार्यालय (व्यावसायिक / सरकारी / प्रशासन), खुदरा दुकान, रेस्तरां, मरम्मत / सेवा / मोटर गैरेज और वर्कशॉप, केवल एटीएम, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां

4. होटल:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	होटल	सर्विस अपार्टमेंट, अतिथि आवास (कमरे, सुइट्स आदि सहित), बैंक्वेट सुविधा, सम्मेलन सुविधा, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, हेल्थ क्लब, व्यावसायिक कार्यालय/सरकारी कार्यालय, खुदरा और पर्सनेल सर्विस शॉप, भोजन और संबंधित सुविधाएं, वॉच एण्ड वार्ड, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयाँ।
2.	सर्विस अपार्टमेंट	सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट अतिथि आवास (कमरे, सुइट्स वगैरह सहित), सम्मेलन सुविधा, रेस्तरा, स्वीमिंग पूल, व्यावसायिक कार्यालय/सरकारी कार्यालय, खुदरा और पर्सनेल सर्विस शॉप, डाइनिंग और उससे जुड़ी फैसिलिटी, वॉच एण्ड वार्ड कक्ष, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयाँ।
3.	बजट होटल	अतिथि आवास (कमरे, सुइट्स आदि सहित), रेस्तरां, व्यावसायिक कार्यालय / सरकारी कार्यालय, खुदरा और पर्सनेल सर्विस शॉप, भोजन और संबंधित सुविधाएं, वॉच एण्ड वार्ड, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयाँ।

5. उद्योग:

क्रम संख्या	**उपयोग परिसर**		**अनुमत गतिविधियाँ**
1.	**औद्योगिक प्लॉटेड**	**400 वर्गमीटर तक**	अनुमेय औद्योगिक गतिविधि, खुदरा बिक्री आउटलेट/ दुकान/ मरम्मत दुकान, रसोई/ क्लाउड किचन।
		400 वर्गमीटर से अधिक और 2000 वर्गमीटर तक	अनुमेय औद्योगिक गतिविधि, खुदरा बिक्री आउटलेट / दुकान / मरम्मत की दुकान, कैंटीन, प्रशासनिक कार्यालय, कार्यालय (सह-कार्य / इनक्यूबेशन केंद्र सहित), वॉच एण्ड वार्ड, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, रसोई / क्लाउड किचन।
		2000 वर्गमीटर से ऊपर	अनुमेय औद्योगिक गतिविधि, खुदरा बिक्री आउटलेट / दुकान / मरम्मत की दुकान, कैंटीन, प्रशासनिक कार्यालय, कार्यालय (सह-कार्य / इनक्यूबेशन केंद्र सहित), वॉच एण्ड वार्ड , कर्मचारियों / कार्यकर्ता के लिए आवासीय, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, एटीएम, रसोई / क्लाउड किचन।
2.	**औद्योगिक फ्लैटेड**		अनुमेय औद्योगिक गतिविधि, खुदरा बिक्री आउटलेट / दुकान / मरम्मत की दुकान, कैंटीन, प्रशासनिक कार्यालय, कार्यालय (सह-कार्य / इनक्यूबेशन केंद्र सहित), वॉच एण्ड वार्ड, कर्मचारियों / कार्यकर्ता के लिए आवासीय, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, एटीएम, रसोई / क्लाउड किचन।

6. *मनोरंजनात्मक :*

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**रीजनल पार्क**	वन/जंगल, वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स/गजेबो, जूलॉजिकल गार्डन/पक्षी अभ्यारण, बॉटनिकल गार्डन, ऑर्चर्ड/अर्बोरेटम/ग्रीनहाउस इत्यादि, पौधों की नर्सरी इत्यादि, विशेष पार्क (बटरफ्लाई पार्क, फर्नेरियम इत्यादि), रखरखाव कार्यालय/प्रशासन कार्यालय, ओपन एयर थिएटर/एम्फीथिएटर, शूटिंग रेंज, पुलिस चौकी/अग्नि शमन चौकी, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयां, कैंपिंग स्थल।
2.	**सिटी पार्क**	वन/जंगल, वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स/गज़ेबो, जूलॉजिकल गार्डन/पक्षी अभ्यारण, बोटैनिकल गार्डन, बगीचे/अर्बोरेटम/ग्रीनहाउस इत्यादि, पौधों की नर्सरी इत्यादि, विशेष पार्क (बटरफ्लाई पार्क, फर्नेरियम इत्यादि), रखरखाव कार्यालय/प्रशासन कार्यालय, ओपन एयर थिएटर/एम्फीथिएटर, पुलिस चौकी /अग्नि शमन चौकी, राष्ट्रीय स्मारक (मंत्री मंडल/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित), एक्वेरियम, खेल गतिविधि, खेल का मैदान, खेल क्षेत्र/चिल्ड्रन पार्क/चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन क्लब, ओपन-एयर फूड कोर्ट, रेस्तरां/कैफे, मैकेनिकल सवारी, खेल, प्रदर्शन, थीम प्रदर्शन इत्यादि, ओपन जिम, मल्टी-जिम, सभी क्षमताओं का खेल क्षेत्र, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयां, पुस्तकालय/वाचनालय क्षेत्र, अस्थायी सार्वजनिक त्यौहार/प्रदर्शनियां# ।
3.	**डिस्ट्रिक्ट पार्क**	वन/जंगल, वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स/गज़ेबो, जूलॉजिकल गार्डन/पक्षी अभ्यारण, बोटैनिकल गार्डन, बगीचे/अर्बोरेटम/ग्रीनहाउस इत्यादि, पौधों की नर्सरी इत्यादि, विशेष पार्क (बटरफ्लाई पार्क, फर्नेरियम इत्यादि), रखरखाव कार्यालय/प्रशासन कार्यालय, ओपन एयर थिएटर/एम्फीथिएटर, पुलिस चौकी/अग्नि शमन चौकी, राष्ट्रीय स्मारक (मंत्री मंडल/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित), एक्वेरियम, खेल गतिविधि, खेल का मैदान, खेल क्षेत्र/चिल्ड्रन पार्क/चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन क्लब, ओपन-एयर फूड कोर्ट, रेस्तरां/कैफे, मैकेनिकल सवारी, खेल, शो, थीम प्रदर्शन इत्यादि, ओपन जिम, मल्टी-जिम, सभी क्षमताओं का खेल क्षेत्र, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयां, पुस्तकालय/वाचनालय क्षेत्र, अस्थायी सार्वजनिक त्यौहार/प्रदर्शनियां#
4.	**कम्युनिटी पार्क**	वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स / गज़ेबो, रखरखाव कार्यालय / प्रशासन कार्यालय, खेल गतिविधि, खेल का मैदान, खेल क्षेत्र / चिल्ड्रन पार्क / चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, ओपन-एयर फूड कोर्ट, ओपन जिम, मल्टी-जिम, सभी क्षमताओं का खेल क्षेत्र, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, पुस्तकालय/ वाचनालय क्षेत्र।
5.	**नेबरहुड पार्क**	खेल का मैदान / चिल्ड्रन पार्क / चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, ओपन जिम, सभी क्षमताओं का खेल का मैदान।
6.	**एम्यूजमेंट पार्क**	वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स / गज़ेबो, जूलॉजिकल गार्डन / पक्षी अभ्यारण, बगीचे / आर्बोरेटम / ग्रीनहाउस, इत्यादि, पौधों की नर्सरी, इत्यादि, विशेष पार्क (बटरफ्लाई पार्क, फर्नेरियम इत्यादि), रखरखाव कार्यालय / प्रशासन कार्यालय, ओपन एयर

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
		थिएटर / एम्फीथिएटर, एक्वेरियम, खेल का मैदान, खेल क्षेत्र / चिल्ड्रन पार्क / चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन क्लब, ओपन-एयर फूड कोर्ट, रेस्तरां / कैफे, मैकेनिकल सवारी, गेम, शो, थीम प्रदर्शन इत्यादि, सभी क्षमताओं का खेल क्षेत्र, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, पुस्तकालय / वाचनालय क्षेत्र।
7.	**सिटी मल्टीपर्पस ग्राउंड**	वॉच एण्ड वार्ड, रखरखाव कार्यालय/ प्रशासन कार्यालय, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयाँ, अस्थायी सार्वजनिक त्यौहार/ प्रदर्शनियाँ#
8.	**डिस्ट्रिक्ट मल्टीपर्पस ग्राउंड**	वॉच एण्ड वार्ड, रखरखाव कार्यालय/ प्रशासन कार्यालय, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयाँ, सार्वजनिक बैठक/ सार्वजनिक सभा/ विवाह/ उत्सव पंडाल/ सामाजिक समारोह/ सार्वजनिक संबोधन मंच आदि/ सार्वजनिक मेला मैदान/ मेला, अस्थायी सार्वजनिक उत्सव/ प्रदर्शनियाँ.#
9.	**कम्युनिटी मल्टीपर्पस ग्राउंड**	वॉच एण्ड वार्ड, रखरखाव कार्यालय/ प्रशासन कार्यालय, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयाँ, सार्वजनिक बैठक/ सार्वजनिक सभा/ विवाह/ उत्सव पंडाल/ सामाजिक समारोह/ सार्वजनिक संबोधन मंच आदि/ सार्वजनिक मेला मैदान/ मेला, अस्थायी सार्वजनिक उत्सव/ प्रदर्शनियाँ. #
10.	**पुरातत्व पार्क**	वन/जंगल, वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स/गज़ेबो, बाग/अर्बोरेटम/ग्रीनहाउस आदि, पौधों की नर्सरी, रखरखाव कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, ओपन एयर थिएटर/एम्फीथिएटर, ओपन-एयर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट/कैफे, वेंडिंग बूथ/कियोस्क/अनौपचारिक इकाइयां, पुस्तकालय/वाचनालय एरिया,अस्थायी सार्वजनिक उत्सव/ओपन एयर एग्ज़िबिशन, व्याख्यान / आगन्तुक केंद्र/ सूचना केंद्र।
11	**ऐतिहासिक स्मारक**	वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स / गज़ेबो, मेंटेनेंस ऑफिस / प्रशासनिक कार्यालय, ओपन एयर थिएटर / एम्फीथिएटर, ओपन-एयर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट / कैफे, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, पुस्तकालय/वाचनालय एरिया, अस्थायी सार्वजनिक उत्सव / ओपन एयर एग्जीबिशन, व्याख्यान / आगन्तुक केंद्र/ सूचना केंद्र।
12.	**जैव विविधता पार्क**	वन/जंगल, वॉच एण्ड वार्ड, पिकनिक हट्स/गज़ेबो, बाग/अर्बोरेटम/ग्रीनहाउस इत्यादि, पौधों की नर्सरी, विशेष पार्क (बटरफ्लाई पार्क, फर्नेरियम इत्यादि), पेड़-पौधों और जानवरों के लिए विशेष सुविधाएं, रखरखाव कार्यालय /प्रशासनिक कार्यालय / ओपन एयर थिएटर/एम्फीथिएटर, ओपन-एयर फूड कोर्ट, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयां, पुस्तकालय/वाचनालय क्षेत्र, व्याख्यान / आगन्तुक केंद्र, / सूचना केंद्र। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, कैंपिंग स्थल।
13.	**हरित बफर**	वन/जंगल, पिकनिक हट्स / गज़ेबो, बाग / आर्बोरेटम / ग्रीनहाउस आदि, पौधों की नर्सरी, रखरखाव कार्यालय / प्रशासनिक कार्यालय, ओपन एयर थिएटर / एम्फीथिएटर, खेल का मैदान / चिल्ड्रन पार्क / चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, ओपन जिम, अस्थायी सार्वजनिक त्यौहार / ओपन एयर प्रदर्शनी, कैंपिंग स्थल।

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
14.	अंतर्राष्ट्रीय खेल केंद्र / डिविशनल स्पोर्ट्स सेंटर	बहुद्देशीय स्टेडियम, स्टेडियम, एक्वेटिक सेंटर (कवर किया हुआ या पूर्ण आकार के प्रतियोगिता पूल के साथ, एक प्रशिक्षण / लैप पूल, डाइविंग पूल जिसका उपयोग वाटर पोलो और सिंक्रोनाइज्ड तैराकी के साथ-साथ अन्य जलीय मनोरंजक सुविधाओं जैसे वॉटरस्लाइड्स, वेव पूल, हाइड्रोथेरेपी पूल, आदि के लिए भी किया जा सकता है।), प्रदर्शनियों, शो, मेलों, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मनोरंजनात्मक क्लब, दावतों, कई खेलों और संबंधित कार्यक्रमों, खेल सुविधाओं (आउटडोर और इनडोर), खेल अकादमी / खेल प्रशिक्षण केंद्र, खेल चिकित्सा केंद्र, तरणताल , सहायक बुनियादी ढांचे के लिए बहुउद्देश्यीय हॉल (आवश्यकतानुसार बैठने की क्षमता); भंडारण स्थान / चेंजिंग रूम, मल्टी-जिम इत्यादि जैसी सुविधाओं के लिए स्थान, खुदरा दुकान, रेस्तरां / कैफेटेरिया, बैंक एक्सटेंशन (काउंटर), कार्यालय (विभागीय), खिलाड़ियों / खिलाड़ियों के लिए छात्रावास / आवासीय आवास , रखरखाव और प्रबंधन कर्मचारी, यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष, कियोस्क (सूचना डेस्क / टिकट काउंटर इत्यादि), बच्चों का कोना, वॉच एण्ड वार्ड, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, अखाड़ा, संगीत कार्यक्रम सुविधाएं, शैक्षणिक कार्यक्रम, शो, मेले, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मेलन##।
15.	डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर	स्टेडियम, प्रदर्शनी, शो, मेले, सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजनात्मक क्लब, बैंक्वेट, कई खेल और उनसे जुड़े कार्याक्रमों के लिए बहुद्देशीय हॉल (आवश्यकतानुसार बैठने की क्षमता) खेल सुविधाएं (आउटडोर और इनडोर), खेल एकेडमी/खेल प्रशिक्षण केंद्र स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर, तरणताल, सहायक ढांचा ; चेंजिंग रूम, मल्टी-जिम वगैरह जैसी फैसिलिटी के लिए भंडारण का स्थान /स्थान, खुदरा दुकान, (रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया, बैंक एक्सटेंशन (काउंटर), ऑफिस (डिपार्टमेंटल), खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल/रहने का स्थान, रखरखाव और प्रबंधन स्टाफ, रखरखाव और पुलिस नियंत्रण कक्ष, कियोस्क (सूचना डेस्क / टिकट काउंटर इत्यादि), बच्चों का कोना, वॉच एण्ड वार्ड, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, अखाड़ा, संगीत कार्यक्रम सुविधाएं, शैक्षणिक कार्यक्रम, शो, मेले, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मेलन ##।
16.	कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर	खेल सुविधाएं (आउटडोर और इनडोर), स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर, तरणताल, मनोरंजनात्मक क्लब, सहायक ढांचा, भंडारण की जगह / चेंजिंग रूम, मल्टी-जिम वगैरह जैसी सुविधाओं के लिए जगह, खुदरा दुकान, रेस्टोरेंट/ कैफेटेरिया,

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
		बैंक एक्सटेंशन (काउंटर), ऑफिस (डिपार्टमेंटल), यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष, कियोस्क (सूचना डेस्क/ टिकट काउंटर वगैरह), बच्चों का कोना, वॉच एण्ड वार्ड, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयां, अखाड़ा।
17.	**लोकल लेवल प्ले एरिया**	बच्चों का कोना, खेल का मैदान।

दि.वि.प्रा*/किसी दूसरे संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार।*

संबंधित एजेंसी/विभाग की संबंधित नीति के अनुसार सीमित समय के लिए गतिविधियों की अनुमति है।

7. सरकारी:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, आदि**	न्यायालय, सरकारी और प्रशानिक कार्यालय, रिहायशी, डाकघर, कैंटीन/ कैफेटेरिया, पुलिस पोस्ट, फरपोस्ट, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉप, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, बैंक और एटीएम, वकीलों का चैंबर, व्यावासायिक कार्यालय, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिम/ योग/ मेडिटेशन सेंटर (इन-हाउस), क्रेच/ चाइल्ड केयर सेंटर, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ इनफॉर्मल यूनिट
2.	**सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय)**	सरकारी और प्रशासनिक कार्यालय, रिहाइशी, डाकघर, कैंटीन/ कैफेटेरिया, पुलिस चौकी, रेस्तरां, खुदरा दुकान, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, बैंक और एटीएम, व्यावसायिक कार्यालय, डिजिटल अवसंरचना सुविधा, जिम/ योग/ ध्यान केंद्र (इन-हाउस), क्रेच/ चाइल्ड केयर सेंटर, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयां
3.	**एकीकृत कार्यालय परिसर**	सरकारी और प्रशासनिक कार्यालय, रिहायशी, डाकघर, कैंटीन/ कैफेटेरिया, पुलिस चौकी, रेस्तरां, खुदरा दुकान, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, बैंक और एटीएम, व्यावसायिक कार्यालय, डिजिटल अवसंरचना सुविधा, जिम/ योग/ ध्यान केंद्र (इन-हाउस), क्रेच/ चाइल्ड केयर सेंटर, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयां

8. स्वास्थ्य सुविधाएं: परिसर का उपयोग और अनुमेय गतिविधियां

क्रंम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**डिस्पेंसरी, क्लिनिक**	प्रशासनिक कार्यालय, प्रयोगशाला, वॉच एण्ड वार्ड रेजिडेंस (20 वर्गमीटर तक), खुदरा, एटीएम, वेंडिंग बूथ/कियोस्क
2.	**डिस्पेंसरी, क्लिनिक (पशु चिकित्सा)**	प्रशासनिक कार्यालय, जानवरों और पक्षियों के बाह्य उपचार की सुविधाएं, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), खुदरा, एटीएम वेंडिंग बूथ/कियोस्क
3.	**स्वास्थ्य केंद्र**	प्रशासनिक कार्यालय, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), खुदरा, कैंटीन/ कैफेटेरिया, एटीएम, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क, प्रार्थना कक्ष

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
4.	**अस्पताल**	प्रशासनिक कार्यालय, नशामुक्ति/ पुनर्वास सेंटर, अनुसंधान और विकास सुविधाएं, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, पुस्तकालय/वाचनालय, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), खुदरा, कैंटीन/ कैफेटेरिया, एटीएम, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क, स्टाफ के लिए रहने की जगह, रोगी परिचारक आवास, हॉस्टल, बैंक एक्सटेंशन/ डाकघर काउंटर, प्रार्थनाकक्ष, क्रेच/ डे-केयर सुविधाएं, सभागार
5.	**नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र**	प्रशासनिक कार्यालय, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्र, नैदानिक सुविधाएं, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), खुदरा, कैंटीन/कैफेटेरिया, कर्मचारियों के लिए आवास, रोगी परिचारक आवास, छात्रावास, सभागार
6.	**पशु चिकित्सा अस्पताल**	प्रशासनिक कार्यालय, जानवरों और पक्षियों के इनडोर उपचार की सुविधाएं, जानवरों और पक्षियों के आउटडोर उपचार की सुविधाएं, अनुसंधान और विकास सुविधाएं, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, पुस्तकालय /वाचनालय वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), खुदरा, कैंटीन/ कैफेटेरिया, एटीएम, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क, कर्मचारियों के लिए आवास, रोगी परिचारक आवास, छात्रावास, बैंक एक्सटेंशन/ डाकघर काउंटर, प्रार्थना कक्ष, क्रेच/ डे-केयर सुविधाएं, सभागार
7.	**मेडिकल कॉलेज**	प्रशासनिक कार्यालय, नशा मुक्ति/ पुनर्वास केन्द्र, अनुसंधान और विकास सुविधाएं, लैबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, एजुकेशन सुविधाएं, प्रयोगशाला /वाचनालय, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), खुदरा, कैंटीन/ कैफेटेरिया, एटीएम, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क, स्टाफ के लिए रहने की जगह, रोगी परिचारक आवास , हॉस्टल, इनडोर गेम्स हॉल, बैंक एक्सटेंशन/ डाकघर काउंटर, प्रेयर रूम, क्रेच/ डे-केयर सुविधाएं, ऑडिटोरियम
8.	**पशु चिकित्सा संस्थान**	प्रशासनिक कार्यालय, जानवरों और पक्षियों के इनडोर उपचार की सुविधाएं, जानवरों और पक्षियों के आउटडोर उपचार की सुविधाएं, अनुसंधान और विकास सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, नैदानिक सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, पुस्तकालय /वाचनालय, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), कैंटीन / कैफेटेरिया, एटीएम, वेंडिंग बूथ / कियोस्क, कर्मचारियों के लिए आवास, छात्रावास, इनडोर गेम्स हॉल, बैंक एक्सटेंशन / डाकघर काउंटर, प्रार्थना कक्ष, क्रेच / डे-केयर सुविधाएं, सभागार
9.	**नर्सिंग और पैरामेडिक्स संस्थान**	प्रशासनिक कार्यालय, अनुसंधान और विकास सुविधाएं, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, पुस्तकालय/वाचनालय, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), खुदरा, कैंटीन/कैफेटेरिया, एटीएम, वेंडिंग बूथ/कियोस्क, स्टाफ के लिए रहने की जगह, रोगी परिचारक आवास ,

क्रंम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
		डाकघर हॉस्टल, इनडोर गेम्स हॉल, बैंक एक्सटेंशन/पोस्ट ऑफिस काउंटर, प्रार्थना कक्ष, क्रेच/डे-केयर सुविधाएं, सभागार

9. शिक्षण सुविधाएं:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**प्रारंभिक शिक्षा केंद्र**	क्रेच और डे केयर सेंटर, कैंटीन/कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, इनडोर गेम्स हॉल, खेल का मैदान , पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय
2.	**स्कूल (छठी तक)**	नर्सरी स्कूल, कैंटीन/ कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, खुदरा दुकान*, इनडोर गेम्स हॉल, स्वीमिंग पूल, वर्कशॉप/ प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय
3.	**स्कूल (बारहवीं तक)**	नर्सरी स्कूल, कैंटीन/कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, खुदरा दुकान*, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, सभागार, इनडोर गेम्स हॉल, स्वीमिंग पूल, डाक घर, वर्कशॉप/प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय
4.	**आवासीय विद्यालय**	क्रेच और डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, कियोस्क/वेंडिंग बूथ/अनौपचारिक इकाईयाँ, कैंटीन/कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, खुदरा दुकान*, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, सभागार, इनडोर गेम्स हॉल, स्वीमिंग पूल, डाक घर, हॉस्टल सुविधा, ज़रूरी स्टाफ और स्टूडेंट के रहने की जगह, वर्कशॉप/प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय
5.	**स्पेशल स्कूल**	कियोस्क/ वेंडिंग बूथ/ अनौपचारिक इकाईयाँ, कैंटीन/ कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, खुदारा दुकान*, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, सभागार, इनडोर गेम्स हॉल, डाक घर, हॉस्टल सुविधा, ज़रूरी स्टाफ और स्टूडेंट के रहने की जगह, पुनर्वास केंद्र, वर्कशॉप/ प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासासनिक कार्यालय
6.	**अनुसंधान एवं विकास केंद्र**	कियोस्क/ वेंडिंग बूथ/ अनौपचारिक इकाइयाँ, कैंटीन/ कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, सभागार, इनडोर गेम्स हॉल, छात्रावास सुविधा, आवश्यक कर्मचारियों और छात्रों का आवासीय उपयोग, वर्कशॉप/ प्रयोगशालाएँ, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय
7.	**संस्था**	क्रेच और डे केयर सेंटर, कियोस्क/वेंडिंग बूथ/अनौपचारितक इकाईयाँ, कैंटीन/कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, खुदरा दुकान*, बैंक

		एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, सभागार, इनडोर गेम्स हॉल, हॉस्टल सुविधा, ज़रूरी स्टाफ और स्टूडेंट के रहने की जगह, वर्कशॉप/प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय
8.	**कॉलेज**	कियोस्क/ वेंडिंग बूथ/ अनौपचारिक इकाईयॉं, कैंटीन/ कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, खुदरा दुकान*, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, सभागार, इनडोर गेम्स हॉल, स्वीमिंग पूल, डाकघर, हॉस्टल सुविधा, ज़रूरी स्टाफ और स्टूडेंट के रहने की जगह, वर्कशॉप/ प्रयोगाशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय
9.	**विश्वविद्यालय परिसर**	कियोस्क/ वेंडिंग बूथ/ अनौपचारिक इकाईयॉं, कैंटीन/ कैफेटेरिया, 20 वर्ग मीटर तक का वॉच एण्ड वार्ड, खुदरा दुकान*, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, एटीएम, सभागार, इनडोर गेम्स हॉल, स्वीमिंग पूल, डाक घर, हॉस्टल सुविधा, ज़रूरी स्टाफ और स्टूडेंट के रहने की जगह, वर्कशॉप/ प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय

**स्कूलों के मामले में, लेखन सामग्री/किताबें/यूनिफॉर्म के लिए खुदरा दुकानों की अनुमति होगी।*

10.सुरक्षा-पुलिस सुविधा: उपयोग परिसर और अनुमत गतिविधि

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**यातायात नियंत्रण कक्ष**	प्रशासन और सेवा संचालन के लिए क्षेत्र,
2.	**पुलिस आउटपोस्ट**	टॉयलेट और नहाने की सुविधा और रसोई के साथ डॉरमेट्री, प्रशासन और सेवा परिचालन क्षेत्र, आधिकारिक कक्ष जिसमें एनसीआर (असंज्ञेय रिपोर्ट) रिकॉर्ड करने और आपातकालीन उपकरण रखने की सुविधा हो।
3.	**पुलिस पोस्ट**	कैंटीन / कैफेटेरिया , प्रशासन और सेवा परिचालन के लिए क्षेत्र,
4.	**पुलिस स्टेशन**	स्टाफ़ के रहने की जगह, कैंटीन / कैफ़े , एटीएम के साथ बैंक एक्सटेंशन काउंटर, प्रशासन और सेवा परिचालन के लिए जगह, एनसीआर (असंज्ञेय रिपोर्ट) रिकॉर्ड करने और आधिकारिक कक्ष जिसमें आपातकालीन उपकरण रखने की सुविधा हो, कम्युनिकेशन सेंटर, नाइट शेल्टर।
5.	**जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन**	कर्मचारियों के लिए आवास, कैंटीन / कैफेटेरिया, एटीएम के साथ बैंक एक्सटेंशन काउंटर, छात्रावास, शौचालय और स्नान सुविधाओं और रसोईघर के साथ छात्रावास, इनडोर खेल सुविधा, प्रशासन और सेवा संचालन के लिए क्षेत्र, खेल का मैदान, संचार केंद्र, सर्विस वर्कशॉप, धार्मिक सुविधा, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, वाचनालय / पुस्तकालय, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, स्वास्थ्य

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
		सुविधा।
6.	**पुलिस लाइन**	कर्मचारियों के लिए आवास, कैंटीन / कैफेटेरिया, एटीएम के साथ बैंक एक्सटेंशन काउंटर, छात्रावास, शौचालय और स्नान सुविधाओं और रसोईघर के साथ छात्रावास, इनडोर खेल सुविधा, प्रशासन और सेवा संचालन के लिए क्षेत्र, संचार केंद्र, सर्विस वर्कशॉप, धार्मिक सुविधा, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाइयां, वाचनालय / पुस्तकालय, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, स्वास्थ्य सुविधा।
7.	**डिस्ट्रिक्ट जेल**	कैंटीन/ कैफेटेरिया, खेल का मैदान/ खेल सुविधा, कर्मचारियों के लिए आवास**,** खुदरा दुकान, स्वास्थ्य सुविधा, वॉच एण्ड वार्ड, स्वास्थ्य केंद्र।
8.	**पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज**	कैंटीन/ कैफेटेरिया, एटीएम के साथ बैंक एक्सटेंशन काउंटर, छात्रावास, खेल का मैदान/ खेल सुविधा, कर्मचारियों के लिए आवास**,** खुदरा दुकान, सभागार, स्वीमिंग पूल, डाकघर काउंटर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, आपातकालीन बैकअप/ आपदा तैयारी, वॉच एण्ड वार्ड, संचार केंद्र, वाचनालय/ पुस्तकालय, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयां, स्वास्थ्य केंद्र।
9.	**पुलिस फायरिंग रेंज**	छात्रावास, खेल का मैदान/ खेल सुविधा, कर्मचारियों के लिए आवास, खुदरा दुकान, स्वीमिंग पूल, वॉच एण्ड वार्ड, संचार केंद्र, वाचनालय/ पुस्तकालय, गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयाँ।
10.	**नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड वगैरह।**	कैंटीन/ कैफेटेरिया, एटीएम के साथ बैंक एक्सटेंशन काउंटर, छात्रावास, खेल का मैदान/ खेल सुविधा, कर्मचारियों के लिए आवास**,** खुदरा दुकान, सभागार, स्वास्थ्य सुविधा, वॉच एंड वार्ड, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयाँ, स्वास्थ्य केंद्र।
11	**फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला**	कैंटीन/ कैफेटेरिया, कर्मचारियों के लिए आवास**,** वॉच एण्ड वार्ड।
12.	**राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान**	कैंटीन/ कैफेटेरिया, एटीएम के साथ बैंक एक्सटेंशन काउंटर, छात्रावास, खेल का मैदान/ खेल सुविधा, कर्मचारियों के लिए आवास**,** खुदरा दुकान, सभागार, स्विमिंग पूल, स्वास्थ्य सुविधा, आपातकालीन बैकअप/ आपदा तैयारी, वॉच एंड वार्ड, संचार केंद्र, वाचनालय/ पुस्तकालय, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, वेंडिंग बूथ/ कियोस्क/ अनौपचारिक इकाइयां, स्वास्थ्य केंद्र।
13.	**केंद्रीय पुलिस संगठन**	बैंक एक्सटेंशन काउंटर, खुदरा दुकान, स्विमिंग पूल, संचार केंद्र, ध्यान /अध्यात्मिक प्रशिक्षण की सुविधाएं, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, स्टाफ के

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
		रहने की जगह, हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र, जानवरों के अस्पताल, नशा मुक्ति/पुनर्वास केंद्र, कैंटीन/कैफेटेरिया।
14.	**सुरक्षा बल शिविर**	बैंक एक्सटेंशन काउंटर, खुदरा दुकान, स्विमिंग पूल, संचार केंद्र, ध्यान/अध्यात्मिक प्रशिक्षण की सुविधाएं, गैर व्यावसायिक के उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, स्टाफ के रहने की जगह, हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र, जानवरों के अस्पताल, नशा मुक्ति/पुनर्वास केंद्र, कैंटीन/कैफेटेरिया।
15.	**पुलिस शिविर**	बैंक एक्सटेंशन काउंटर, खुदरा दुकान, स्विमिंग पूल, संचार केंद्र, ध्यान/अध्यात्मिक प्रशिक्षण की सुविधाएं, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, स्टाफ के रहने की जगह, हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र, जानवरों के अस्पताल, नशा मुक्ति/पुनर्वास केंद्र, कैंटीन/कैफेटेरिया।

11.सुरक्षा-अग्नि सुविधाएं:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**अग्निशमन चौकी**	स्टाफ के लिए रहने की जगह/हॉस्टल, कैंटीन, प्रशासन और परिचालन सेवा के लिए जगह।
2.	**अग्निशमन केंद्र**	स्टाफ के लिए रहने की जगह/हॉस्टल, सर्विस वर्कशॉप, वॉच एंड वार्ड, कैंटीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, प्रशासन और परिचालन सेवा के लिए जगह, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर
3.	**अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान**	स्टाफ़ के लिए रहने की जगह/हॉस्टल, वॉच एंड वार्ड, स्वास्थ्य केंद्र, अभ्यास और राहत शिविर/आपदा की तैयारी के लिए खुला अभ्यास मैदान, संचार केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा, कैंटीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, प्रशासन और परिचालन सेवा के लिए जगह, कियोस्क, रीडिंग रूम/पुस्तकालय, इनडोर गेम्स की सुविधा, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर
4.	**आपदा प्रबंधन केंद्र**	स्टाफ के लिए रहने की जगह/हॉस्टल, सर्विस वर्कशॉप, वॉच एंड वार्ड, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, अभ्यास और राहत शिविर/आपदा की तैयारी के लिए खुला अभ्यास मैदान, संचार केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा, आपातकालीन बैकअप, कैंटीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, प्रशासन और परिचालन सेवा के लिए क्षेत्र, कियोस्क, रीडिंग रूम/पुस्तकालय, इनडोर गेम्स की सुविधा, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर।
5.	**आपदा प्रबंधन इकाइयाँ**	स्टाफ़ के लिए रहने की जगह/हॉस्टल, सर्विस वर्कशॉप, वॉच एंड वार्ड, स्वास्थ्य केंद्र, अभ्यास और राहत शिविर/आपदा की तैयारी के लिए खुला अभ्यास मैदान, संचार केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा, आपातकालीन बैकअप, कैंटीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, प्रशासन और परिचालन सेवा के लिए क्षेत्र , कियोस्क, रीडिंग रूम/पुस्तकालय, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर

12.वितरण सुविधाएं:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**गैस गोदाम**	वॉच एंड वार्ड, स्टोर का भंडारण / गोदाम, प्रभारी कार्यालय
2.	**एलपीजी गोदाम बुकिंग कार्यालय सहित**	वॉच एंड वार्ड, बुकिंग कार्यालय, भंडारगृह / गोदाम
3.	**मिल्क बूथ/दूध, फल और सब्जी बूथ/दिल्ली दूध आपूर्ति बूथ**	डेयरी उत्पाद/फल और सब्ज़ियों आदि के प्रदर्शन के डिस्प्ले और बिक्री के लिए बूथ/बना हुआ ढ़ाचा, भंडार गृह

13.सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं:

क्रम संख्या .	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा - स्थानीय स्तर**	कैंटीन / कैफेटेरिया, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, सार्वजनिक समारोहों, विवाह, खाना पकाने की सुविधा और अन्य सुविधाओं के लिए हॉल, कार्यालय, गेस्ट हाउस / अतिथि कक्ष।
2.	**सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा**	कैंटीन / कैफेटेरिया, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, वॉच एंड वार्ड निवास (20 वर्ग मीटर तक), सामुदायिक हॉल, संगीत, नृत्य और नाटक प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय / रीडिंग रूम, कार्यालय, ओपन एयर थिएटर / एम्फीथिएटर, गेस्ट हाउस / अतिथि कक्ष।
3.	**सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (सामुदायिक स्तर पर)- बैंक्वेट हॉल, बारात घर**	कैंटीन / कैफेटेरिया, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, रेस्तरां, वॉच एंड वार्ड निवास (20 वर्ग मीटर तक), प्रदर्शनी केंद्र और कला दीर्घा, सामुदायिक हॉल, छात्रावास, संगीत, नृत्य और नाटक प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय / रीडिंग रूम, सभागार / थिएटर, सार्वजनिक समारोहों, विवाह, खाना पकाने की सुविधा और अन्य सुविधाओं के लिए हॉल, संग्रहालय, एटीएम, कार्यालय, ओपन एयर थिएटर / एम्फीथिएटर, बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण और बैठक कक्ष, खुदरा दुकान, गेस्ट हाउस / अतिथि कक्ष, इनडोर / आउटडोर खेल, स्विमिंग पूल।
4.	**प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र**	कैंटीन / कैफेटेरिया, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, वेंडिंग बूथ / कियोस्क / अनौपचारिक इकाई, रेस्तरां, वॉच एंड वार्ड निवास (20 वर्ग मीटर तक), प्रदर्शनी केंद्र और कला दीर्घा, सामुदायिक हॉल, संगीत, नृत्य और नाटक प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय / रीडिंग रूम, सभागार / थिएटर, सार्वजनिक समारोहों, विवाह, खाना पकाने की सुविधा और अन्य सुविधाओं के लिए हॉल, संग्रहालय, एटीएम, कार्यालय, होटल, पुलिस चौकी, अग्निशमन चौकी, रखरखाव स्टाफ के लिए आवास, ओपन एयर थिएटर / एम्फीथिएटर, मेला मैदान, सभा और बैठक स्थान / सम्मेलन केंद्र , फिल्म सेंटर, बहुउद्देश्यीय

क्रम संख्या .	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
		प्रशिक्षण और बैठक कक्ष, खुदरा दुकान, गेस्ट हाउस / गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल, ड्राइव-इन, सिनेमा/ ओपन-एयर सिनेमा/रूफटॉप सिनेमा

14.अन्य पीएसपी सुविधाएं:

क्रम संख्या	उपयोग परिसर	अनुमत गतिविधियाँ
1.	**शहरी बेघरों के लिए आश्रय**	डॉरमेट्री, रसोई, डाइनिंग सुविधा, शहरी बेघरों के लिए आश्रय और संबंधित सुविधाएं।
2.	**धार्मिक / सामुदायिक सुविधा**	खुदरा दुकान, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, प्रचारकों/ भक्तों/ प्रबंधन कर्मचारियों के लिए आवास, रसोईघर, प्रार्थना कक्ष, सभागार, पुस्तकालय, संग्रहालय/ कला दीर्घा/ प्रदर्शनी केंद्र, योग प्रशिक्षण केंद्र, भोजन सुविधा/ कैंटीन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सभास्थल, आश्रम, स्नान घाट, गौशाला, दरगाह, डिस्पेंसरी , क्लिनिक (धर्मार्थ सहित), प्रशिक्षण और शिक्षा सुविधाएं, रेस्तरां, वॉच एण्ड वार्ड (20 वर्ग मीटर तक), एटीएम, प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्थान, ध्यान/ आध्यात्मिक प्रशिक्षण/ कला के अन्य रूपों के लिए सुविधाएं।
3.	**अन्य पीएसपी सुविधा**	स्टाफ के लिए रहने का आवास, हॉस्टल / डॉरमेट्री, रसोई, प्रार्थना कक्ष, पुस्तकालय, योग प्रशिक्षण केंद्र, रहने की सुविधा वाला केयर होम, इन हाऊस उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर, डाइनिंग सुविधा, वेलफेयर सेंटर /कौशल केंद्र, डिस्पेंसरी, क्लिनिक (धर्मार्थ सहित), वॉच एंड वार्ड घर (20 वर्ग मीटर तक), प्रशासन कार्यालय के लिए स्थान, ध्यान / आध्यात्मिक प्रशिक्षण / कला के दूसरे रूपों के लिए सुविधाएं, ट्रेनिंग और शिक्षा के लिए सुविधाएं, सुधार / परामर्श सुविधाएं, कानून / कोर्ट (किशोर)। **पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन सुविधाएं:** डाकघर काउंटर, कूरियर सेवा कार्यालय, डिजिटल इंफ्रा सुविधा / कियोस्क, खुदरा दुकान, कैंटीन / कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, कर्मचारियों के लिए आवास / रिहाइशी, वॉच एंड वार्ड, प्रशासन और सेवा संचालन, डाक और डिजिटल सेवाएं, पुस्तकालय/वाचनालय, विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं के लिए आवास, प्रेस क्लब, डाइनिंग एरिया, मीडिया (प्रिंट, टेलीविजन और इंटरनेट), अनुसंधान प्रयोगशाला। ट्रांसमिशन टावर, वॉच एंड वार्ड।

15.शमशान घाट और कब्रिस्तान:

क्रम संख्या	**उपयोग परिसर**	**अनुमत गतिविधियाँ**
1.	**कब्रिस्तान**	पूजा-पाठ के लिए शेड, मृत्यु पंजीकरण की सुविधा, लकड़ी, फूल और दूसरी चीज़ों की खुदर दुकान, पीने का पानी, पार्किंग, वॉच एंड वार्ड
2.	**शमशान घाट/ विद्युत शवदाह गृह**	पूजा-पाठ के लिए शेड, मृत्यु पंजीकरण की सुविधा, लकड़ी, फूल और दूसरी चीज़ों की खुदरा दुकान, पीने का पानी, पार्किंग, वॉच एंड वार्ड
3.	**जानवरों के लिए कब्रिस्तान/ शमशान**	पूजा-पाठ के लिए शेड, लकड़ी, फूल और दूसरी चीज़ों की खुदरा दुकान, पीने का पानी, पार्किंग, वॉच एंड वार्ड

अनुलग्नक 22: भूमि उपयोग, उपयोग क्षेत्र और उपयोग परिसर

भूमि उपयोग	उपयोग क्षेत्र		उपयोग परिसर
आवासीय	आरडी	आवसीय क्षेत्र	प्लॉटेड आवास
			ग्रुप हाउसिंग, किफायती किराये के आवास परिसर, स्टूडियो अपार्टमेंट, राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह, छात्रावास
			धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस
	आरएफ	विदेशी मिशन	विदेशी मिशन
व्यावसायिक	सी 1	सामान्य व्यवसाय और वाणिज्य	कनविनियेंस शॉपिंग सेंटर (सीएससी), लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी)
			कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
			व्यावसायिक प्लॉट: कनॉट प्लेस और उसके विस्तार में खुदरा और वाणिज्य, फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावसायिक परिसर
			सर्विस मार्केट, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बाज़ार
	सी2	थोक और गोदाम, शीत गृह भंडार और तेल डिपो, आईएफसी	इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, होलसेल मार्केट, वेयरहाउसिंग स्कीम
			गोदाम/भंडारण/शीत भंडार गृह के लिए प्लॉट
	सी 3	होटल	होटल, बजट होटल, सर्विस अपार्टमेंट
उद्योग	एम1	विनिर्माण, सेवा उद्योग और मरम्मत उद्योग	औद्योगिक प्लॉटेड, औद्योगिक फ्लैटेड, एकीकृत औद्योगिक पार्क
रेक्रीशनल	पी1	रीजनल पार्क	रीजनल पार्क
	पी2	सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क, कम्युनिटी पार्क, बहुउद्देशीय मैदान, हरित बफर	टॉट लॉट, हाउसिंग एरिया पार्क, हाउसिंग एरिया प्लेग्राउंड, नेबरहुड पार्क, नेबरहुड खेल का मैदान
			कम्युनिटी पार्क, कम्युनिटी मल्टीपर्पस ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट पार्क, डिस्ट्रिक्ट मल्टीपर्पस ग्राउंड, सिटी पार्क, सिटी मल्टीपर्पस ग्राउंड, पुरातत्व पार्क, जैव विविधता पार्क, एम्यूजमेंट पार्क
	पी 3	ऐतिहासिक स्मारक	विरासत संरचनाएं/स्मारक
	पी4	खेल सुविधाएं/परिसर/केंद्र, स्टेडियम	कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर, डिविशनल स्पोर्ट्स सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय खेल केंद्र
			गोल्फ कोर्स/क्लब

परिवहन	टी1	हवाईअड्डा	हवाई अड्डा (हॉस्पिटेलिटी डिस्ट्रिक्ट सहित)
	टी2	टर्मिनल/ डिपो/ यार्ड/ स्टेशन	रेल टर्मिनल/ एकीकृत यात्री टर्मिनल
			आईएसबीटी, बस डिपो, बस टर्मिनल, बहुस्तरीय पार्किंग
			मेट्रो रेल/आरआरटीएस/एचएसआर यार्ड/डिपो
			फ्यूल स्टेशन
	टी3	परिचालन-रेल/एमआरटीएस/सड़क/आरआरटीएस /हाई स्पीड रेल	परिचालन-रेल/एमआरटीएस/सड़क/आरआरटीएस/हाई स्पीड रेल
यूटिलिटी	यू1	जल (शोधन संयंत्र आदि)	पानी, सीवरेज, बिजली/पावर, सॉलिड वेस्ट, ड्रेन सहित अन्य संबंधित बुनियादी सुविधाएं और परिचालन संरचनाएं
	यू2	सीवरेज (शोधन संयंत्र आदि)	
	यू3	बिजली (बिजली घर, सब-स्टेशन आदि)	
	यू4	सॉलिड वेस्ट (शोधन, निपटान आदि के लिए साइट)	
	यू5	ड्रेन	
सरकारी	जी1	राष्ट्रपति एस्टेट और संसद भवन	राष्ट्रपति एस्टेट और संसद भवन
	जी2	सरकारी कार्यालय परिसर / न्यायालय / सार्वजनिक उपक्रम	जिला न्यायालय/पारिवारिक न्यायालय
			सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय), एकीकृत कार्यालय परिसर
	जी3	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)
सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	पीएस1	सामान्य सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	अन्य स्वास्थ्य सुविधा
			स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा, पशु चिकित्सा अस्पताल
			अस्पताल
			मेडिकल/ नर्सिंग/ अन्य पैरामेडिकल कॉलेज/ पशु चिकित्सा संस्थान
			प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, स्कूल (छठी तक), स्कूल (बारहवीं तक), आवासीय विद्यालय, स्पेशल स्कूल
			कॉलेज / अनुसंधान और विकास केंद्र / कोई

			अन्य संस्थान।
			अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर
			सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा- स्थानीय स्तर
			सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (सामुदायिक स्तर) - बैंक्वेट हॉल, बारात घर सहित
			प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र
			शहरी बेघरों के लिए आश्रय
			धार्मिक/सामुदायिक सुविधा
			अन्य पीएसपी सुविधाएँ
			पुलिस आउटपोस्ट, पुलिस/अग्निशमन पोस्ट, पुलिस/अग्निशमन स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट जेल, पुलिस लाइंस/प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, पुलिस फायरिंग रेंज, केंद्रीय पुलिस संगठन/सुरक्षा बलों सहित पुलिस कैंप, आपदा प्रबंधन इकाई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्यालय और बटालियन, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला/राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान
			कब्रिस्तान/शमशान/ विद्युत शवदाह गृह, जानवरों के लिए कब्रिस्तान/शमशान
कृषि और जलाशय	ए 1	कृषि भूमि	कृषि संबंधित सभी गतिविधियाँ
	ए2	नदी और जलाशय	नदी और जलाशय

नक्शे

नक्शों की सूची:

1. नक्शा-1. दिल्ली की भूमि उपयोग
2. नक्शा-2. प्लानिंग जोन (खंड)
3. नक्शा-3. परिवहन नेटवर्क
4. नक्शा-4. स्थानिक विकास नीतियां

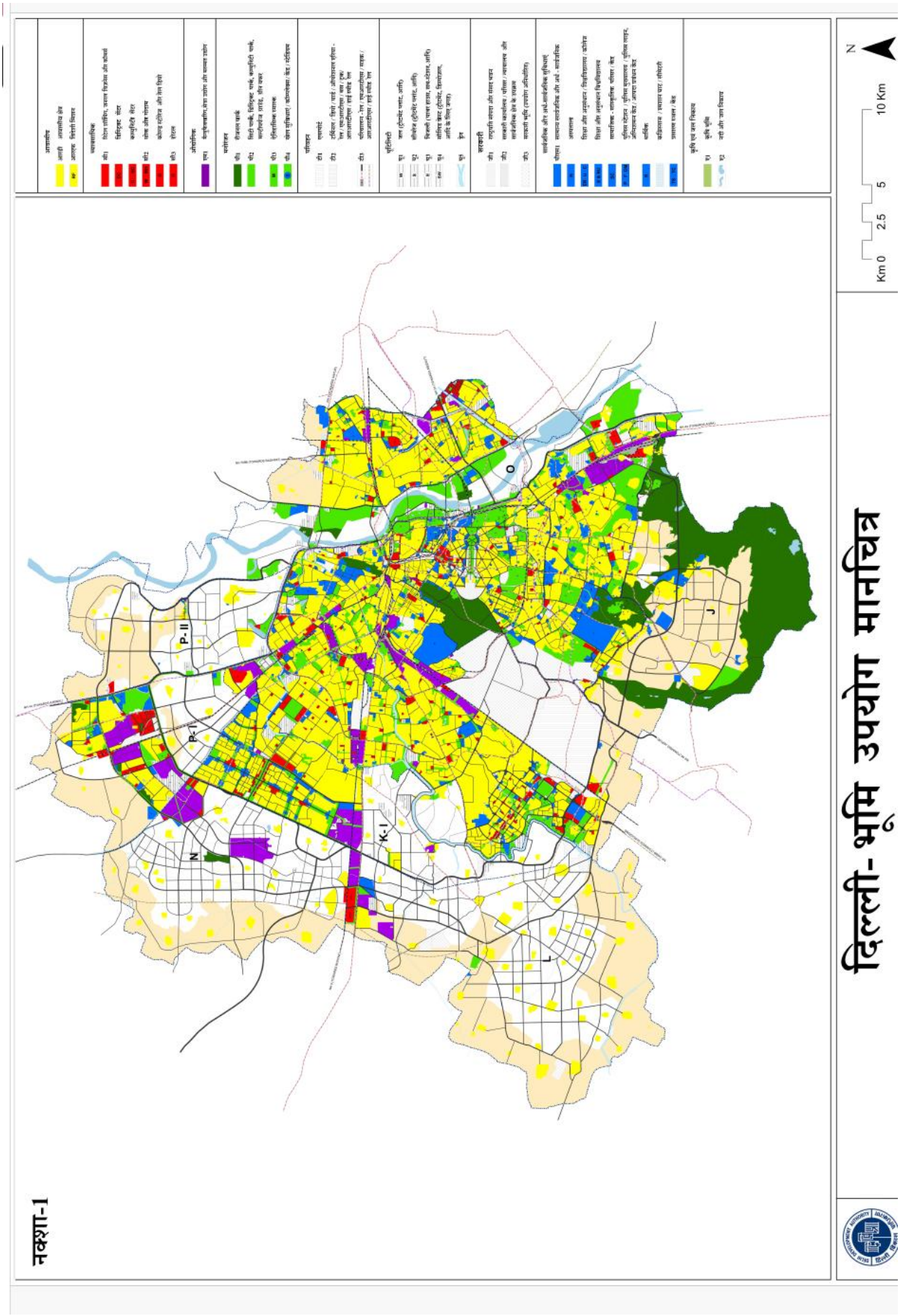
दिल्ली- भूमि उपयोग मानचित्र
नक्शा-1
N
Km 0 2.5 5 10 Km
P-II
P-I
N
K-I
J
O
J

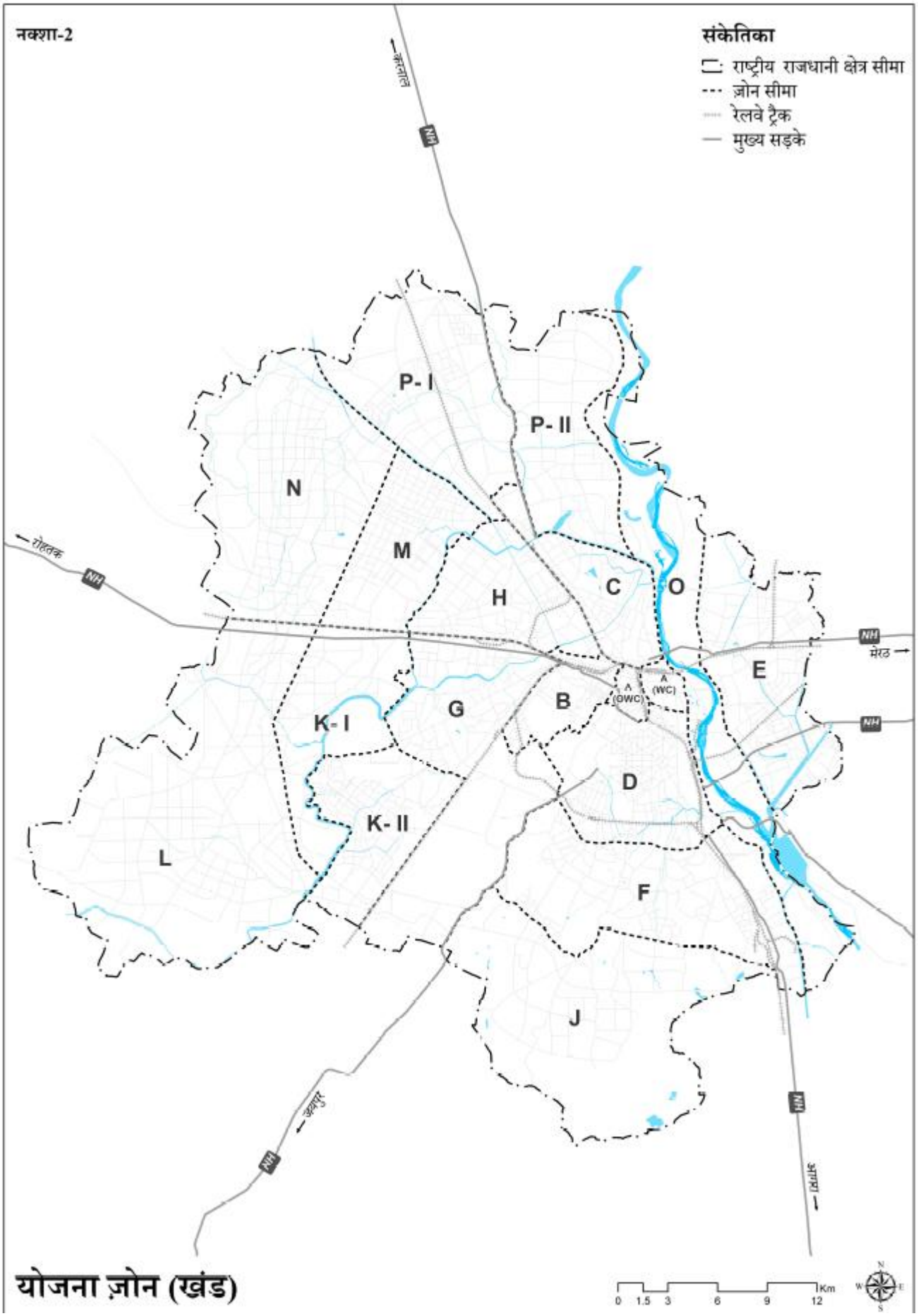
नक्शा-2
संकेतिका
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा
ज़ोन सीमा
रेलवे ट्रैक
मुख्य सड़के
करनाल
रोहतक
मेरठ
अलवर
शिमला
NH
P- I
P- II
N
M
H
C
O
E
B
G
K- I
K- II
D
L
F
J
(OWC)
(IWC)
योजना ज़ोन (खंड)
0 1.5 3 6 9 12 Km

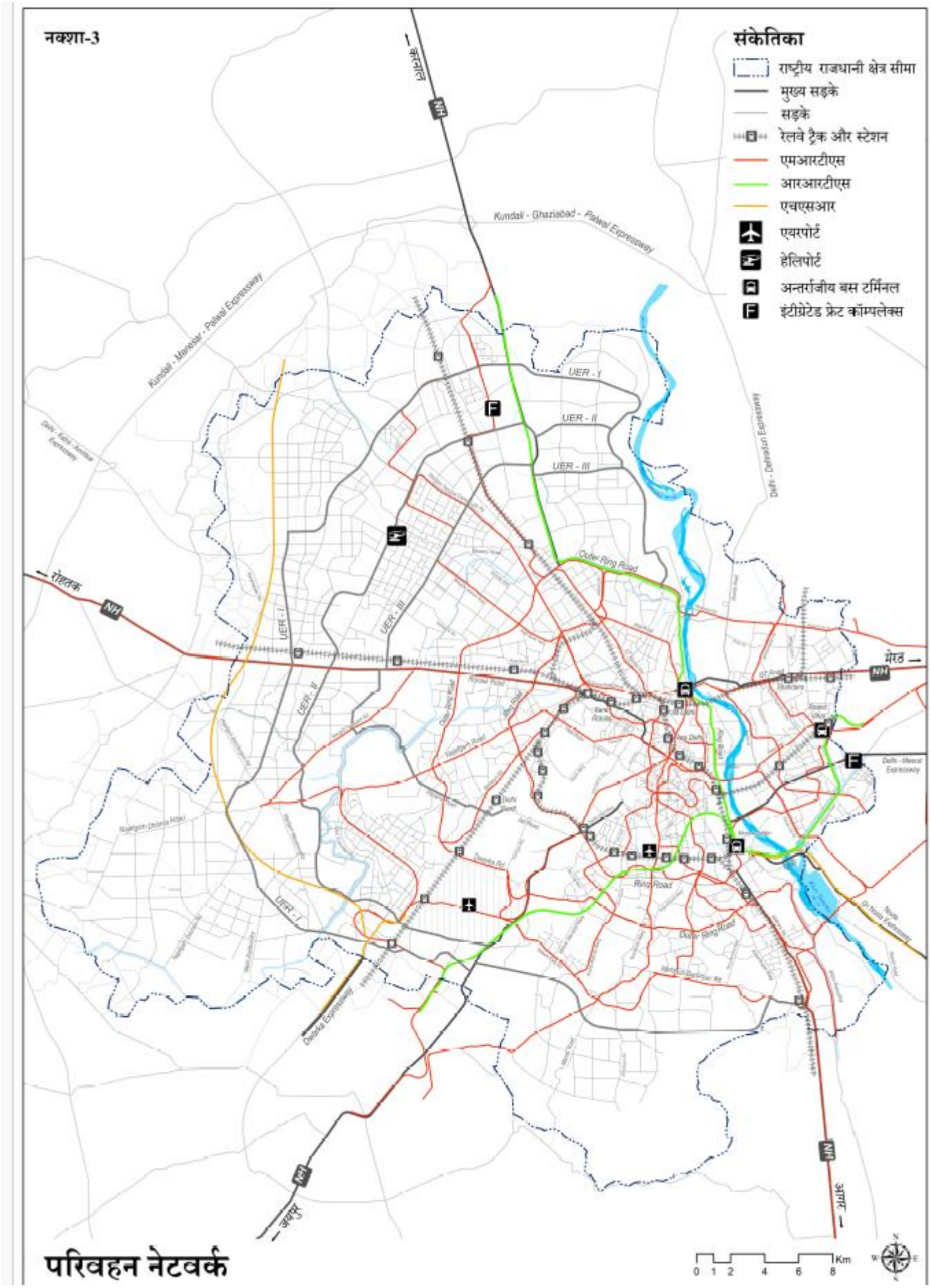
नक्शा-3
संकेतिका
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा
मुख्य सड़के
सड़के
रेलवे ट्रैक और स्टेशन
एमआरटीएस
आरआरटीएस
एचएसआर
एयरपोर्ट
हेलिपोर्ट
अन्तर्राजीय बस टर्मिनल
इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्पलेक्स
करनाल
NH
Kundali - Ghaziabad - Palwal Expressway
Kundali - Manesar - Palwal Expressway
Delhi - Dehradun Expressway
UER - I
UER - II
UER - III
Outer Ring Road
रोहतक
मेरठ
आगरा
जयपुर
Delhi - Meerut Expressway
Dwarka Expressway
Ring Road
परिवहन नेटवर्क
0 1 2 4 6 8 Km

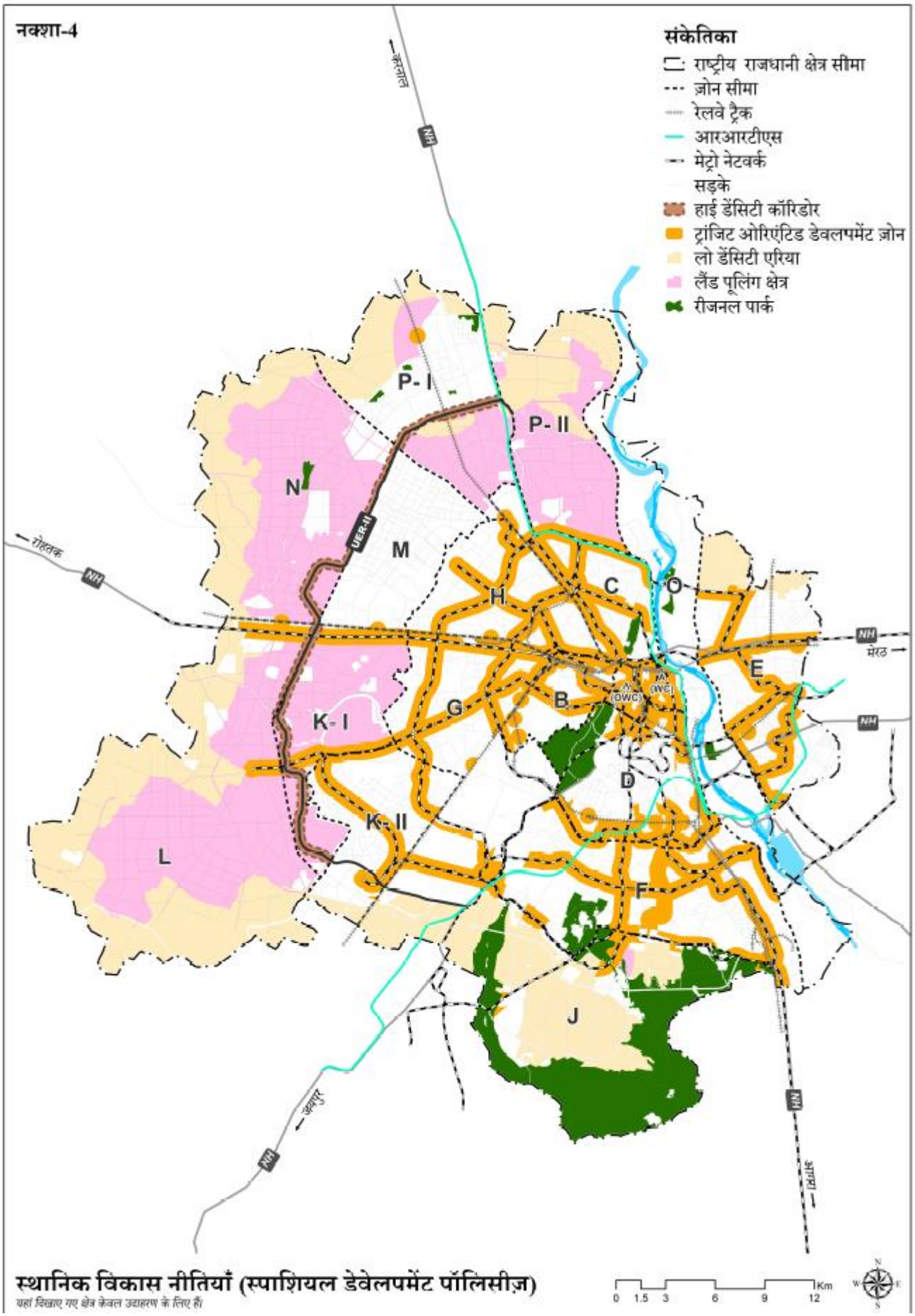

स्थानिक विकास नीतियाँ (स्पाशियल डेवेलपमेंट पॉलिसीज़)

यहां दिखाए गए क्षेत्र केवल उदाहरण के लिए हैं।

सर्विस प्लान

सर्विस प्लान

1. सर्विस प्लान - **दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)**

2. सर्विस प्लान - **सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, जीएनसीटीडी (आईएंडएफसीडी)**

3. सर्विस प्लान - **दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)**

4. सर्विस प्लान - **दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)**

5. सर्विस प्लान - **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी)**

6. सर्विस प्लान - **पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी)**

7. सर्विस प्लान – **विद्युत विभाग, जीएनसीटीडी और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)**

8. सर्विस प्लान - **इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)**

9. सर्विस प्लान - **सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, जीएनसीटीडी**

1. सर्विस प्लान – दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)

दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के लिए परिप्रेक्ष्य योजना - 2047

एजेंसी: दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)

(क) पानी की आपूर्ति

1. वर्तमान में पानी की मांग

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पहले प्रति व्यक्ति पेयजल आवश्यकता @ 60 जीपीसीडी पर विचार किया था। 2021 के लिए 23 मिलियन की अनुमानित आबादी के अनुसार, पानी की मांग 1380 एमजीडी होने का अनुमान है।

2. 2047 के लिए पानी की मांग का अनुमान

दिल्ली जल बोर्ड ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2047 तक, 32 मिलियन (3.2 करोड़) की आबादी के लिए लगभग 1600 एमजीडी पीने योग्य पानी @ 50 जीपीसीडी (225 एलपीसीडी) की आवश्यकता होगी। भावी नियोजित विकास के लिए, पीने योग्य पानी की उपलब्धता अधिकतम 40 जीपीसीडी (180 एलपीसीडी) तक सीमित होगी।

3. प्रति व्यक्ति जल आवश्यकता को अपनाने का आधार:

सीमित जल संसाधनों के कारण, विभिन्न गैर-पीने योग्य उपयोगों के लिए वांछित गुणवत्ता मानकों के गैर-पीने योग्य रीसाइकल्ड पानी के उपयोग द्वारा पीने योग्य पानी की मांग को युक्तिसंगत बनाया गया है। भावी नियोजित विकास के लिए, पीने योग्य पानी की उपलब्धता अधिकतम 40 जीपीसीडी तक सीमित होगी, जैसा कि तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका 1 भावी विकास के लिए उपयोग के अनुसार पीने योग्य पानी की मांग

पेयजल की मांग	मात्रा
आवासीय	135 एलपीसीडी
गैर-आवासीय (व्यावसायिक/संस्थागत आदि फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए 5 एलपीसीडी सहित)	20 एलपीसीडी
आग बुझाने हेतु पानी की मांग	2 एलपीसीडी

ट्रांसमिशन लॉस @ 15%	23 एलपीसीडी
कुल	**180 एलपीसीडी (40 जीपीसीडी)**

आवासीय विकास और गैर-आवासीय विकास (लगभग 75 एलपीसीडी) में शौचालय फ्लशिंग उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता को दोहरी पाइपिंग प्रणाली के साथ वांछित गुणवत्ता मानक के गैर-पीने योग्य रीसाइकल्ड पानी के उपयोग से पूरा करना होगा। औद्योगिक प्रक्रिया, जल और बागवानी/उद्यान/कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की मांग को भी वांछित गुणवत्ता मानकों के वेस्ट वॉटर के रीसाइकल्ड से अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता होगी। रीसाइकल्ड पानी के उपयोग को सक्षम करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जैसे दोहरी पाइपिंग और प्लंबिंग आदि डीडीए/भूमि विकास एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। नए भवनों (लैंड पूलिंग/पुनर्विकास) के लिए, भवन योजना मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों द्वारा दोहरी पाइपिंग लागू की जा सकती है।

दोहरी पाइपिंग के लिए प्लंबिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कठिन है और मौजूदा विकास में लागू करने के लिए अधिक लागत वाला है। इसलिए, दिल्ली जल बोर्ड ने आकलन किया है कि भावी नियोजित विकास में 40 जीपीसीडी की पेयजल मांग के साथ, शहर के स्तर पर पीने योग्य पानी की कुल आवश्यकता को 60 जीपीसीडी से घटाकर 50 जीपीसीडी किया जा सकता है।

4. 2047 के लिए वॉटर ऑगमेंटेशन कार्य योजना

यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए फ्रेश वॉटर संसाधन सीमित हैं और यह स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। इसलिए, भविष्य में जल आपूर्ति के लिए एक दोहरी रणनीति भूजल और सतही जल संसाधनों दोनों के ऑगमेंटेशन पर केंद्रित है, साथ ही वेस्ट जल शोधन में वृद्धि करने और इसके पुन: उपयोग, वर्षा जल संचयन पहल, जलाशयों की बहाली आदि की आवश्यकता पर भी जोर देती है।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वॉटर ऑगमेंटेशन योजना यहां तालिका-2 के अंतर्गत दी गई है:

तालिका 2 वॉटर ऑगमेंटेशन कार्य योजना

जल स्रोत	पानी का स्रोत	वॉटर ऑगमेंटेशन की प्रस्तावित मात्रा (एमजीडी में)
लघु से मध्यम अवधि की योजना (110 एमजीडी)		
1. भूजल निष्कर्षण	क. पल्ला क्षेत्र में अतिरिक्त ट्यूबवैलों की स्थापना (200 ट्यूबवैल)	22
	ख. ऐक्वफर रीचार्ज और जलाशयों/झीलों से भूजल निष्कर्षण (शोधित बहिस्राव के पुन: उपयोग सहित)	23
2. यमुना के अप्रयुक्त पानी में एचपी का भाग	हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार यमुना नदी के अप्रयुक्त जल आबंटनों के उपयोग के लिए दिल्ली को यमुना का अतिरिक्त जल प्रदान किया गया है।	65
मध्यम से दीर्घकालिक योजनाएं (291 एमजीडी)		
3. सिंचाई प्रयोजनों के लिए यमुना जल के 51 क्यूसेक का प्रतिस्थापन	दिल्ली को हथिनीकुंड/ताजेवाला में आवंटित सिंचाई जल के 51 क्यूसेक का उपयोग पेयजल की आवश्यकताओं के लिए किया गया है।	16
4. अपस्ट्रीम स्टोरेज	अपस्ट्रीम स्टोरेज- रेणुकाजी, लखवाड़ और किशाऊ बांध परियोजनाएं (2026-2035 के बीच फेज के लिए नियोजित)	275* (*यह *एक अत्यधिक अस्थायी गणना है। हालांकि, सटीक आवंटन यूवाईआरबी द्वारा तय किया जाएगा, जहां दिल्ली को आशा है कि पेयजल आवश्यकताओं को आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी और दिल्ली द्वारा रिटर्नफ्लो पर दिल्ली में यमुना के पानी के आवंटन में*

		उसकी उपभोग्य जरूरतों के लिए विचार किया जाएगा।)
पानी की वर्तमान उपलब्धता		**1000 एमजीडी**
2047 तक अतिरिक्त जल संवर्धन		**401 एमजीडी**
2047 तक पानी की कुल उपलब्धता		**1401 एमजीडी**

*प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा

सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन जल संसाधनों के ऑगमेंटेशन के लिए अल्पावधि से मध्यावधि योजनाओं को अगले चार से पांच वर्षों में धीरे-धीरे पूरा किए जाने की संभावना है। जल संसाधनों के ऑगमेंटेशन के लिए मध्यम से दीर्घावधि योजनाओं का जल अगले दस वर्षों में धीरे-धीरे उपलब्ध होने की संभावना है। तथापि, दिल्ली में सतही वॉटर ऑगमेंटेशन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों द्वारा रचनात्मक सहयोग और तीन अपस्ट्रीम परियोजनाओं (रेणुकाजी बांध, किशाऊ बांध और लखवाड़ बांध) को अति शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक सुविधा और हस्तक्षेप पर निर्भर करता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को जल आपूर्ति अवसंरचना के लिए अपेक्षित भूमि निर्धारित करनी होती है और दिल्ली जल बोर्ड को जल शोधन संयंत्रों और बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों के साथ प्राथमिक यूजीआर/मास्टर संतुलन जलाशयों (एमबीआर) की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करानी होती है। दिल्ली में जल आपूर्ति में सुधार के संबंध में जेआईसीए की अध्ययन रिपोर्ट में मास्टर प्लान विकास जोन-वार प्राथमिक यूजीआर/एमबीआर का सुझाव दिया गया है जिनकी कुल 1560 एमजीडी की पंपिंग क्षमता और चार नए जल शोधन प्लांट हैं। प्रस्तावित चार नए जल शोधन संयंत्रों के लिए भूमि की स्थिति तालिका-3 में दी गई है।

तालिका 3 नए डब्ल्यूटीपी के लिए भूमि की आवश्यकता

क्रम संख्या.	**डब्ल्यूटीपी का नाम**	**क्षमता (एमजीडी)**	**भूमि की स्थिति**	**मास्टर प्लान विकास क्षेत्र**
1	इरादत	80	डीजेबी के पास उपलब्ध है	पी-1
2	द्वारका फेज II	50	-यथा-	एल
3	नजफगढ़	75	डीडीए को उपलब्ध कराना होगा	एल
4	छतरपुर	80	-यथा-	जे

भूमि की आवश्यकता में भावी विस्तार और सहायक अवसंरचना के लिए डब्ल्यूटीपी और बीपीएस के साथ यूजीआर के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा, वर्ष 2047 तक 32 मिलियन की अनुमानित आबादी को पूरा करने के लिए अन्य 325 एमजीडी के लिए जल शोधन संयंत्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी। इन डब्ल्यूटीपी के लिए भूमि को कच्चे पानी के स्रोत और किए जाने वाले नियोजित विकास के आधार पर नीचे उल्लिखित मानदंडों के अनुसार निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

- **जल शोधन संयंत्रों के लिए:**

- 80 एमजीडी (363 एमएलडी) क्षमता - 300 एम^2/एमएलडी
- 40 एमजीडी (182 एमएलडी) क्षमता - 400 एम^2/एमएलडी

- **बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के साथ भूमिगत जलाशयों के लिए:**
  - 5 एमएल क्षमता - 700 एम^2/एमएल
  - 50 एमएल क्षमता - 600 एम^2/एमएल

भूमि की आवश्यकता का आकलन दिल्ली मास्टर प्लान-2047 के लिए अनुमानित जनसंख्या तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि डिजाइन अवधि अर्थात 2051 के लिए जनसंख्या अनुमानों और भावी शहरी विस्तार पर विचार करने की आवश्यकता है।

5. डीजेबी द्वारा जल संरक्षण पहल

5.1 वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल पुनर्भरण:

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने यह आकलन किया है कि दिल्ली में पुनर्भरण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कुल 175 एमसीएम (38,546 एमजी) में से 24.39 एमसीएम (5,372 एमजी) के संभावित वार्षिक वर्षा जल अपवाह का आकलन किया है। इसे वर्षा जल नालों में चेक डैम और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से साकार करने का प्रस्ताव है। छत पर वर्षा जल संचयन की वार्षिक क्षमता लगभग 14.69 एमसीएम (3,236 एमजी) आंकी गई है।

वर्षा जल संग्रहण (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने छतों पर वर्षा जल संचयन को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश भी

प्रकाशित किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने 2019 में पीडब्ल्यूडी/डीएमसी/जीओआई/डीडीए आदि द्वारा बनाए गए 89 भवनों की पहचान की है, जहां आरडब्ल्यूएच प्रणाली स्थापित करना संभव है। जनता सहित सभी सरकारी विभागों को बड़े पैमाने पर दिल्ली के लिए लागू भवन निर्माण उप-विधि के प्रावधानों के अनुसार आरडब्ल्यूएच प्रणाली को लागू करना होगा। भवन योजना और कार्य समापन मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों को भवन निर्माण उप-विधि के प्रावधानों को लागू करना होगा।

आवेदकों को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने की सुविधा के लिए क्षेत्र में ग्यारह और मुख्यालय में एक वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इन वर्षा केंद्रों के प्रभारी नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। वर्षा जल संचयन के प्रचार के लिए समय-समय पर गहन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है।

6. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सेवा स्तर में सुधार के प्रयास

दिल्ली जल बोर्ड ने समयबद्ध तरीके से पानी और सीवर कनेक्शनों की मंजूरी लेने में सुधार करने और बिलिंग और राजस्व संग्रहण दक्षता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को लागू करना, स्व-बिलिंग और ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, सार्वजनिक सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी, समयबद्ध शिकायत निवारण, नए पानी/सीवर कनेक्शन की मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण, पानी की बर्बादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई आदि।

दिल्ली जल बोर्ड का प्रयास दिल्ली के नागरिकों को पानी का समान वितरण प्रदान करना और पर्याप्त दबाव पर लगातार पेयजल की उनकी 24x7 मांग को पूरा करना है। इसके लिए, दिल्ली जल बोर्ड गैर-राजस्व जल को कम करने और रिसाव के माध्यम से कीमती पीने योग्य पानी के भौतिक नुकसान को कम करने के लिए जिला मीटरयुक्त क्षेत्रों के गठन सहित जल आपूर्ति वितरण के अवसंरचना में सुधार कर रहा है। जल लेखा परीक्षा के लिए बड़ी मात्रा में फ्लो मीटरों को लगाया जाना, पुरानी/क्षतिग्रस्त जल पाइपलाइनों को बदलना, जिला मीटर युक्त क्षेत्र (डीएमए), मौजूदा चंद्रावल और वजीराबाद डब्ल्यूटीपी के तहत जल वितरण अवसंरचना में सुधार, डब्ल्यूटीपी, यूजीआर और जल वितरण प्रणालियों आदि में एससीएडीए प्रणालियों की इंस्टॉलेशन जैसे कई कार्य किये जा रहे हैं।

(ख) वेस्ट वॉटर/सीवरेज

1. 2047 के लिए वेस्ट वॉटर अनुमान

आपूर्ति किए गए जल के 80% पर 32 मिलियन की आबादी (जल आपूर्ति @50 जीपीसीडी) के लिए अनुमानित वेस्ट वॉटर उत्पादन 1280 एमजीडी है।

2. 2047 के लिए परिप्रेक्ष्य सीवेज निपटान योजना

2047 के लिए परिप्रेक्ष्य सीवरेज निपटान योजना में दिल्ली के सीवरेज रहित क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम बिछाने, मौजूदा एसटीपी का नवीकरण, नए एसटीपी या ड्रेन के मुहाने पर निर्माण, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में विकेन्द्रीकृत एसटीपी का निर्माण, मौजूदा एसटीपी को बीओडी: टीएसएस <10:10 के उच्च मापदंडों में अपग्रेड करने और लैंड पूलिंग क्षेत्र में जीरो लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज (जैडएलडब्ल्यूडी) नीति आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। 2047 के लिए सीवरेज विकास योजना एसएमपी-2031 से बहुत अधिक प्रेरित है और यह डीजेबी द्वारा शुरू की जा रही सीवरेज मैनेजमेंट कार्य योजना का विस्तार है। इसलिए, वास्तविक विकास पैटर्न और स्थानिक वितरण के आधार पर उपयुक्त आवश्यकता आधारित संशोधनों के साथ, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तैयार सीवरेज मास्टर प्लान-2031, दिल्ली मास्टर प्लान-2047 की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगी।

इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मौजूदा सीवर नेटवर्क के व्यापक मूल्यांकन और अवसंरचना कमियों की पहचान करने के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन में उपयुक्त स्थानों की पहचान के साथ-साथ मौजूदा एसटीपी/एसपीएस की क्षमता की उपयुक्तता का मूल्यांकन और मौजूदा एसटीपी/एसपीएस को बढ़ाने या नए एसटीपी/एसपीएस की स्थापना की आवश्यकता का आकलन शामिल है। इस अध्ययन में दिल्ली जल बोर्ड के मौजूदा सीवर नेटवर्क और एसटीपी/एसपीएस अवसंरचना में सुधार के लिए सिफारिशें भी प्रदान की जाएंगी।

दिल्ली जल बोर्ड ने अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में काफी प्रगति की है। आज तक, 1,260 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज की सुविधा प्रदान की गई है, और वर्तमान में 144 अतिरिक्त कॉलोनियों में काम प्रगति पर है। परिणामस्वरूप, दिल्ली की लगभग 83% आबादी अब सीवरेज नेटवर्क से जुड़ गई है।

दिल्ली जल बोर्ड भी वेस्ट को एक मूल्यवान ऊर्जा संसाधन में बदलने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वर्ष के दौरान, डीजेबी संयंत्रों में बायोगैस और हाइडल पॉवर के माध्यम से

बिजली उत्पादन प्रति दिन लगभग 49,886 किलोवाट घंटे तक पहुंच गया है, जो स्थायी ऊर्जा उपयोग और परिचालन लागत को कम करने में योगदान देता है।

विभिन्न भौतिक कारकों और ज़ोनिंग मानदंडों के आधार पर, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छावनी और हवाई अड्डा क्षेत्रों को छोड़कर, पहले छह जोनों के बजाय अब 12 (बारह) सीवेज-ड्रेनेज जोनों में सीमांकित किया गया है। जोनों को मुख्य रूप से प्रत्येक जोन/सब-जोन से वेस्ट जल उत्पादन, मौजूदा डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी/ डब्ल्यूडब्ल्यूपीएस की क्षमता और यदि आवश्यक हो तो किसी भी अतिरिक्त डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी/ डब्ल्यूडब्ल्यूपीएस के लिए भूमि की उपलब्धता के आधार पर निरूपित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए सीवरेज स्कीमें मौजूदा सीवरेज अवसंरचना, विभिन्न परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित सीवरेज अवसंरचना, किसी विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं, जनसंख्या अनुमानों, वेस्ट वॉटर उत्पादन की मात्रा, प्रस्तावित सीवरेज अवसंरचना के लिए भूमि की उपलब्धता और स्थल व्यवहार्यता पर विचार करते हुए तैयार की जाती हैं।

निम्नलिखित तालिका प्रस्तावित निरूपित जोनों और सब-जोनों को सूचीबद्ध करती है:

क्र.सं.	**ड्रेनेज जोन**	**सब-ड्रेनेज जोन**
जोन 1	शाहदरा (एसएचडी)	यमुना विहार (वाईवी)
		सोनिया विहार (एसवी)
		कोंडली (केएन)
जोन 2	ओखला (ओकेएच)	ओखला (ओके)
		ताजपुर (टीपी)
जोन 3	केशोपुर (केएसपी)	केशोपुर (केपी)
जोन 4	रोहिणी-रिठाला (आरआर)	रिठाला (आरटी)
		रोहिणी (आरएच)
जोन 5	कोरोनेशन पिलर (सीओआर)	कोरोनेशन पिलर (सीपी-1)
		कोरोनेशन पिलर (सीपी-2)
जोन 6	द्वारका (डीडब्ल्यूके)	द्वारका (डीके-1)

		द्वारका (डीके-2)
जोन 7	नजफगढ़ (एनजेएफ)	नजफगढ़ (एनजे)
		झुलझुली (जेएच)
		ढिचाऊं कलां (डीके)
		सोमेश विहार (एसवी)
जोन 8	निलोठी (एनएलटी)	निलोठी (एनटी-1)
		निलोठी (एनटी-2)
जोन 9	नरेला (एनआरएल)	नरेला (एनआर)
		पल्ला (पीएल)
		जींदपुर (जैडपी)
जोन 10	दक्षिण दिल्ली (एसडी)	महरौली (एमएच)
		वसंतकुंज (वीके)
		घिटोरनी (जीएच)
		महिपालपुर (एमपी)
		कापसहेड़ा (केएच)
जोन 11	बाहरी दक्षिण दिल्ली (ओएसडी)	फतेहपुरबेरी और चंदनहोला (एफसी)
		राजपुर खुर्द (आरके)
जोन 12	कंझावला-बवाना (केबी)	कंझावला (केजे)
		बवाना (बीडब्ल्यू)

3. 2047 के लिए सीवेज शोधन संवर्धन कार्य योजना:

वर्ष 2047 की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीवेज शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	कुल (एमजीडी)
1.	वर्तमान सीवेज शोधन क्षमता	814
2.	28 मार्च तक अतिरिक्त शोधन क्षमता	231
3.	भूमि पूल क्षेत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के आधार पर डिजाइन करने का प्रस्ताव है। इसलिए, लैंड पूलिंग एजेंसियों द्वारा 75 लाख आबादी के लिए डीएसटीपी का निर्माण किया जाना है, जिसमें 40 जीपीसीडी की दर से 80% जल आपूर्ति की जा सके।	240
	महायोग	**1285 एमजीडी**

3.1 मौजूदा एसटीपी का विवरण और बीओडी/टीएसएस के मापदंडों के साथ संवर्धित क्षमता

प्रस्तावित संवर्धित क्षमताओं के विवरण के साथ-साथ मौजूदा एसटीपी का उनकी क्षमता और बीओडी/टीएसएस के मापदंडों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	प्लांट का नाम	वर्तमान क्षमता एमजीडी में (संवर्धित)	डिजाइन पैरामीटर (बीओडी: टीएसएस)	क्षमता संवर्धन हेतु प्रस्तावित एसटीपी एमजीडी में
1	कोंडली फेज-1	10	<10:10 एमजी/1	
2	कोंडली फेज -2	25	<10:10 एमजी/1	
3	कोंडली फेज -3	10	<10:10 एमजी/1	
4	कोंडली फेज -4	45	<10:10 एमजी/1	
5	चिल्ला	9	<10:10 एमजी/1	
6	सोनिया विहार	7(7)	<10:10 एमजी/1	
7	यमुना विहार फेज-2	15(5)	<10:10 एमजी/1	

8	कोरोनेशन न्यू	70	<10:10 एमजी/1	
9	कोरोनेशन फेज -2	20	<10:10 एमजी/1	
10	कोरोनेशन फेज-3	10	<10:10 एमजी/1	
11	रोहिणी	25(10)	<10:10 एमजी/1	
12	नरेला	15	<10:10 एमजी/1	
13	रिठाला फेज -1	40	<10:10 एमजी/1	
14	रिठाला फेज -2	40	<10:10 एमजी/1	
15	पप्पनकलां फेज -I	30	<10:10 एमजी/1	
16	पप्पनकलां फेज-II	20	<10:10 एमजी/1	
17	कापसहेड़ा	5	<10:10 एमजी/1	
18	निलोठी फेज -I	60	<10:10 एमजी/1	
19	निलोठी फेज-II	20	<10:10 एमजी/1	
20	केशोपुर फेज -2	20	<10:10 एमजी/1	
21	केशोपुर फेज -3	60	<10:10 एमजी/1	
22	नजफगढ़	5	<10:10 एमजी/1	
23	सीडब्ल्यूजी	1	<10:10 एमजी/1	
24	ओखला फेज -6	30	<10:10 एमजी/1	
25	ओखला न्यू	124	<10:10 एमजी/1	
26	दिल्ली गेट फेज-II	15	<10:10 एमजी/1	
27	एसएनएच ड्रेन	2.2	<10:10 एमजी/1	
28	दिल्ली गेट फेज –I	2.2	<10:10 एमजी/1	
29	मोलर बंद	0.66	<30:50 एमजी/1	0.34

30	यमुना विहार फेज -1	10	<30:50 एमजी/1	10
31	यमुना विहार फेज -3	25	<20:30 एमजी/1	30
32	केशोपुर फेज -1	12	<20:30 एमजी/1	6
33	वसंत कुंज फेज -1	2.2	<30:50 एमजी/1	1
34	वसंत कुंज फेज-2	3	<30:50 एमजी/1	1.5
35	घिटोरनी	5	<30:50 एमजी/1	2.5
36	ओखला फेज - 5	16	<30:50 एमजी/1	8
37	महरौली	5	<20:30 एमजी/1	2.5
कुल एमजीडी		**814.26**		**61.84**

3.2 **नए एसटीपी का निर्माण:** एसटीपी की शोधन क्षमता के अंतर का विश्लेषण किया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार नए एसटीपी का निर्माण किया जाएगा।

यमुना नदी में अप्रयुक्त ड्रेनों के पानी को रोकने के लिए कई स्थानों पर ड्रेनों के मुहाने पर एसटीपी का निर्माण करने का प्रस्ताव है। भूमि के आवंटन के बाद निम्नलिखित ड्रेनों के मुहाने पर डीएसटीपी के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी:

1. शास्त्री पार्क
2. कैलाश नगर
3. मोरी गेट
4. सेन नर्सिंग होम ड्रेन/12 और 12ए
5. जैतपुर ड्रेन
6. आरएमई 180

3.3 **नए विकेन्द्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्रों (डीएसटीपी) का निर्माण (170 एमजीडी):** दिल्ली के सीवर रहित क्षेत्र से सीवेज के शोधन के लिए 170 एमजीडी की कुल क्षमता वाले 29 नए डीएसटीपी निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	डीएसटीपी का नाम	क्षमता (एमजीडी में)
1	मितराओं	17
2	घेवरा	1.5
3	कैर	1
4	ककरोला	5.5
5	कांगनहेरी	2
6	दिचाऊं कलां	5.5
7	जट खोर (जट खोर-0.5, पंजाब खोर-0.5, कुतुबगढ़-2)	3
8	मोहम्मदपुर माजरी	7
9	कंझावला	10
10	जौंती (निजामपुर-2, गढ़ी रिंधाला-1.5, जौंती-0.5)	4
11	खेड़ा खुर्द	1.5
12	जींदपुर	15
13	सारंगपुर गांव	5
14	गालिबपुर गांव	2.5
15	काजीपुर गांव	1
16	जाफरपुर गांव	2.5
17	खेड़ा डाबर गांव	1
18	हसनपुर गांव	2.5
19	शिकारपुर गांव	1
20	ताजपुर पहाड़ी	18.5

21	फतेहपुर बेरी	8.5
22	बाजितपुर ठाकरान (बाजितपुर-4, औचंदी-1)	5
23	सुंगरपुर (पल्ला-1.5, ताजपुर-1)	2.5
24	रंगपुरी	6
25	नयाबांस	5.5
26	ताजपुर खुर्द	15
27	टिकरी कलां	4.5
28	बिजवासन	1.5
29	घिटोरनी	15
	कुल	**170.5**

3.4 बिना सीवर वाले क्षेत्रों में नेटवर्क का विस्तार: दिल्ली में सीवर रहित क्षेत्र में मुख्य रूप से अनधिकृत कॉलोनियां शामिल हैं। शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा परिचालित सूची के अनुसार, दिल्ली में 1782 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क बिछाने की वर्तमान स्थिति और कार्य योजना नीचे तालिकाबद्ध है:

क्र.सं.	स्थिति	अप्रैल 2026 तक कम्यूटेटिव स्थिति (संख्या)	समय-सीमा	टिप्पणी
1.	सीवर लाइन बिछाई गई और अधिसूचित की गई	1265	पूर्ण	दिसंबर 2027 तक हाउस सीवर कनेक्शन प्रदान किया जाना बाकी है।
2.	सीवर नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है	135	अगस्त, 2027 तक चरणबद्ध तरीके से	
3.	सीवर नेटवर्क का कार्य निविदा स्तर पर है	197	जनवरी, 2028 तक	

4.	कॉलोनियां जहां एनओसी की प्रतीक्षा है/ओ-जोन	175	संबंधित विभाग से एनओसी/मंजूरी प्राप्त होने के बाद लगभग 18 महीने	वन विभाग/ओ जोन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा
5.	विकेन्द्रीकृत एसटीपी के साथ जिन कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाना है,	27	इन कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए डीएसटीपी के लिए भूमि की उपलब्धता के बाद 18 महीने का समय लगेगा।	डीडीए और राजस्व विभाग द्वारा भूमि के आवंटन और कब्जे के बाद कार्य किया जाएगा। चूंकि, एसपीएस और विकेन्द्रीकृत एसटीपी के निर्माण के लिए भूमि की पहचान किए बिना और उस पर कब्जा लिए बिना सीवर नेटवर्क को अलग से नहीं बिछाया जा सकता।
	कुल	**1799**		

3.5 लैंड पूलिंग क्षेत्र में प्रत्याशित सीवेज उत्पादन: सीवरों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडब्ल्यूडी) नीति के अनुसार, डीडीए विकास/लैंड पूलिंग क्षेत्रों में भवन/परिसर के भीतर विकेन्द्रीकृत एसटीपी का निर्माण किया जाना है। चूंकि, सीवेज का शोधन लैंड पूलिंग क्षेत्र के भीतर किए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए लैंड पूलिंग क्षेत्रों के लिए किसी केन्द्रीकृत सीवरेज शोधन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। सेक्टर/हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर डीएसटीपी से शोधित वेस्ट का फ्लशिंग, बागवानी और अन्य उद्देश्यों के लिए अधिकतम पुन: उपयोग किया जाएगा और अप्रयुक्त शोधित वेस्ट का उपयोग आस-पास के जलाशयों आदि को भरने के लिए किया जा सकता है। लैंड पूलिंग क्षेत्रों के लिए, विकेन्द्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्रों (डीएसटीपी) का निर्माण करने की आवश्यकता होगी और सेक्टर लेआउट योजना के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान-2047 में डीएसटीपी के लिए भूमि का प्रावधान करना आवश्यक होगा। एसटीपी/एसपीएस/ईपीएस के निर्माण के लिए भूमि आवश्यकता मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क. 22.7 एमएलडी (5 एमजीडी तक) तक की क्षमता के लिए सीवेज पंपिंग स्टेशन और एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन सहित एसटीपी के लिए भूमि की आवश्यकता - **650 एम^2/एमएलडी**

ख. 22.7 एमएलडी (5 एमजीडी से अधिक) से अधिक क्षमता के लिए सीवेज पंपिंग स्टेशन और एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन सहित एसटीपी के लिए भूमि की आवश्यकता - **1100 एम^2/एमएलडी**।

ग. सीवेज पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए **50 एम^2/एमएलडी** और एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन के लिए **50 एम^2/एमएलडी** भूमि की आवश्यकता।

4 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रभावी सीवरेज मैनेजमेंट और ड्रेनों/नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए की गई पहल:

4.1 शोधित बहिस्राव का बेहतर उपयोग

गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए शोधित बहिस्राव के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास में, डीजेबी ने लगभग सभी डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी में शोधित वेस्ट के लिए फिलिंग पॉइंट स्थापित किए हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) ≤10 पीपीएम है और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टीएसएस) ≤10 भी है, जो इसे गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाता है। दिल्ली जल बोर्ड ने डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी, एनटीपीसी, भारतीय रेल (उनके माल डिब्बों और कैरिज वाशिंग के लिए) और अन्य ऐसी कई सरकारी एजेंसियों को पत्र लिखा है और उनके साथ कार्यशालाएं आयोजित की हैं और उन्हें शोधित बहिस्राव का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, अपनी नई नीति में विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से, डीजेबी का लक्ष्य शोधित वेस्ट के उपयोग को बढ़ाना है।

दिल्ली जल बोर्ड उपलब्ध लगभग 792 एमडी सीवेज में से लगभग 745 एमजीडी का शोधन करता है। उपलब्ध 745 एमजीडी शोधित बहिस्राव में से 117 एमजीडी का उपयोग बागवानी, पीपीसीएल, निर्माण, डीटीसी, डीडीए आदि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। वर्ष 1994 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत तटवर्ती राज्यों के बीच जल बंटवारे की व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य वापसी प्रवाह के रूप में यमुना नदी में 267 एमजीडी शोधित बहिस्राव छोड़ा जा रहा है। बागवानी प्रयोजन, झील के पुनरुद्धार आदि के लिए लगभग 86 एमजीडी शोधित बहिस्राव की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है।

4.2 दिल्ली में परिधीय सीवरों का नवीनीकरण

अधिकांश परिधीय सीवर बहुत पुराने हैं और उनकी संरचनात्मक स्थिति गंभीर रूप से खराब हो चुकी है तथा इनकी आर्थिक उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण इनमें परिचालन संबंधी कमियां दिखाई पड़ती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, परिधीय प्रणाली के पुनर्वास का प्रस्ताव किया गया है, ताकि संयंत्रों की स्थापित क्षमता के इष्टतम उपयोग और यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए शहर में उत्पन्न संपूर्ण सीवेज को एसटीपी में स्थानांतरित किया जा सके। इसलिए, दिल्ली जल बोर्ड परिधीय सीवरों के पुनरूद्धार का काम शुरू करना चाहता है, जो सीवरों के धंसने, सीवेज गैस से संबंधित संरचनात्मक कमियों, सीवर के ज्वाइंट्स के रिसाव और सीवर पाइप के ज्वाइंट्स के खुलने, भारी मात्रा में गाद जमा होने, मैनहोल में कूड़े और मलबे को

अंधाधुंध फेंकने के कारण रुकावट, व्यापार वेस्ट का अवैध निर्वहन और सीवरों के ढ़हने जैसी कई समस्याओं के कारण निष्क्रिय हो चुके हैं या आंशिक रूप से कार्यात्मक हैं।

4.3 मिनी सीवर सफाई मशीनों की तैनाती

दिल्ली जल बोर्ड ने शारीरिक श्रम द्वारा खतरनाक सीवर सफाई कार्यों को खत्म करने के लिए विशेष रूप से निर्मित, टेलर-मेड सीवर सफाई मशीनों को लगाया गया है। इन मशीनों की तैनाती से संकरी गलियों में स्थित सीवर लाइनों को अब मानव प्रवेश की आवश्यकता के बिना यांत्रिक रूप से साफ किया जा सकता है। पूरी दिल्ली में सीवर लाइनों की कुशल और त्वरित सफाई के लिए डीजेबी द्वारा मिनी सीवर सफाई मशीनों के अलावा, रिसाइक्लर मशीनें, गाद निकालने वाली मशीनें, जेटिंग-कम-सक्शन मशीन, सुपर सकर मशीन और डीआईसीसीआई जैसी मशीनों को भी तैनात किया गया है।

4.4 सेप्टेज प्रबंधन नियम 2018

दिल्ली जल बोर्ड ने सेप्टिक टैंक और उससे जुड़े वेस्ट के संग्रहण, इसकी ढुलाई और निपटान के लिए दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम-1998 के तहत 'दिल्ली जल बोर्ड सेप्टिक टैंक वेस्ट मैनेजमेंट विनियम अधिनियम -2018' में सेप्टेज मैनेजमेंट नियमों को लागू करने का प्रयास किया। सैप्टेज विनियम 2018 के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड ने निजी टैंकर ऑपरेटरों को 136 लाइसेंस जारी किए हैं और वे अनधिकृत कॉलोनियों/सीवर रहित क्षेत्रों में अलग-अलग घरों से सेप्टेज के संग्रहण और निपटान में लगे हुए हैं। सेप्टेज का औसत संग्रह लगभग 2.7 करोड़ लीटर प्रति माह है।

4.5 दिल्ली में बरसाती ड्रेनों में वेस्ट वॉटर का प्रबंधन:

डीजेबी दिल्ली में यमुना नदी में गिरने वाले 22 प्रमुख ड्रेनों से बहने वाले सीवेज को रोकने के लिए भी ठोस प्रयास कर रहा है। इन 22 ड्रेनों में से 2 प्रमुख ड्रेन हैं जिनके सीवेज को रोका जाना संभव नहीं है और उनके सब-ड्रेनों के सीवेज को आईएसपी के माध्यम से रोका गया है, 10 ड्रेनों के सीवेज को पहले ही रोका जा चुका है, 7 स्थानों पर 8 ड्रेनों के मुहाने पर एसटीपी प्रस्तावित हैं, शेष 1 ड्रेन के सीवेज को रोकने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और 1 ड्रेन अर्थात अबू फजल के सीवेज को रोका नहीं जाएगा क्योंकि इसके माध्यम से ओखला एसटीपी के वेस्ट को यमुना नदी में छोड़ना प्रस्तावित है।

2. सर्विस प्लान – सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, जीएनसीटीडी (आईएंडएफसीडी)

जल निकासी प्रबंधन के लिए सर्विस प्लान
एजेंसी: सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी)

1. प्रबंधन रणनीति

विशेष सिफारिश

प्रभावी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर संपूर्ण वर्षा जल निकासी प्रणाली के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी एक ही संस्था की होनी चाहिए।

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा ड्रेनों की खुदाई और सफाई

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास मशीनरी की तैनाती और उसे लाने ले जाने के लिए प्रमुख ड्रेनों के साथ बड़े तटबंध हैं और इनके किनारों पर निकाली गई गाद को भी इसके अंतिम निपटान तक रखा जाता है, या नालों के साथ निचले इलाकों / गड्ढों को भरकर या निर्धारित सैनिटरी लैंडफिल साइटों में स्थानांतरित करके गाद का निपटान किया जाता है।

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के ड्रेनों के तटबंधों को सुदृढ़ करना

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के संबंधित प्रभागों द्वारा मानसून की शुरुआत से पहले, सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी तटबंधों की स्थिरता जांच की जाती है और आई एण्ड एफसी विभाग के संबंधित डिविजनों द्वारा पुनरूद्धार/मरम्मत का कार्य किया जाता है। इस संबंध में संबंधित इंजीनियरों द्वारा मुख्यालय को एक प्रमाण-पत्र भी भेजा जाता है। सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास हाइड्रोलिक उत्खनन और डोजर के रूप में इस तरह के बहाली/सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए विभागीय मशीनरी भी है।

विभिन्न ड्रेनों की रीमॉडलिंग

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के ड्रेनों के संबंध में, अब तक की स्थिति के अनुसार तटबंध को मजबूत करने/फिर से तैयार करने के प्रस्ताव और उनकी वर्तमान स्थिति अनुलग्नक 19बी-i के रूप में संलग्न है। ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि अधिकांश ड्रेनों का तटबंध अच्छी और स्थिर स्थिति में है और उन्हें मजबूत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्रेनों के रिमॉडलिंग की आवश्यकता के संबंध में भी इसी प्रकार की स्थिति पाई गई है। नजफगढ़ पॉन्ड ड्रेन और बण्ड ड्रेन में रिमॉडलिंग का कार्य प्रगति पर है। कुछ ड्रेनों, जैसे एस्केप ड्रेन नंबर 1 और रिलीफ ड्रेन के लिए, रीमॉडलिंग का कार्य आवश्यक है, लेकिन भूमि की कमी है। केएसएन ड्रेन के रिमॉडलिंग की आवश्यकता है क्योंकि इस ड्रेन का अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र शहरीकृत है और कई अनधिकृत कॉलोनियां भी निर्मित हो गई हैं और निर्मित की जा रही हैं। इससे वर्षा जल, जो इस ड्रेन से बहता है, के रिसाव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसके अलावा, अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज

नेटवर्क की कमी के कारण सीवेज, घरेलू वेस्ट और अन्य वेस्ट वॉटर भी अन्य एजेंसियों के विभिन्न ड्रेनों के माध्यम से केएसएन ड्रेन में बह रहा है।

रीमॉडलिंग के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि दोनों तरफ का निकटवर्ती क्षेत्र विकसित और शहरीकृत है। इसलिए, केएसएन ड्रेन के रिमॉडलिंग के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। अन्य ड्रेनों के लिए, भविष्य में उनकी आवश्यकता के अनुसार रीमॉडलिंग और सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

नहरें और उनका प्रबंधन

दिल्ली में सिंचित भूमि में सिंचाई के पानी के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यकता और अनिवार्यता के अनुसार, सभी मरम्मत और अनुरक्षण कार्य, सफाई/खुदाई/गाद निकालना, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण आदि कार्य किए जा रहे हैं।

सभी प्रमुख आईएंडएफसी ड्रेनों के लिए बफर का सीमांकन, संरक्षण और प्रबंधन

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के स्वामित्व और रखरखाव वाले 57 प्रमुख ड्रेन हैं। भावी विकास के लिए ड्रेन के साथ-साथ उपलब्ध बफर भूमि/अतिरिक्त भूमि चौड़ाई को तालिकाबद्ध किया गया है और अनुलग्नक 19बी-ii के रूप में संलग्न किया गया है।

समस्याग्रस्त ड्रेन

आठ समस्याग्रस्त ड्रेन हैं, जिनका विवरण सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा साझा की गई सर्विस प्लान रिपोर्ट में दिया गया है:

क्रम सं.	ड्रेन का नाम	समस्याएं/बाधाएं	निवारक उपाय
1.	एस्केप ड्रेन नंबर 1	ड्रेन में बिछी पानी की दो मुख्य पाइपलाइनों के कारण ड्रेन का प्रवाह बाधित हो रहा है, एक भू-भाग में गाद निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, डब्ल्यूटीपी से भारी गाद जमा हो गई है, ड्रेन का तल समतल है।	पानी की दो मुख्य पाइपलाइनों को स्थानांतरित किया जा सकता है।
2.	बिहारीपुर ड्रेन	दोनों तरफ से मकानों से घिरा हुआ, गाद निकालने वाली मशीन	एक समानांतर कैरिज-वे की व्यवस्था की जा सकती है, दोनों ओर अनियोजित /अनधिकृत

		की आवाजाही के लिए जगह नहीं है, एमएसडब्ल्यू और गाय के गोबर की भारी डंपिंग होती है।	निर्माण को ढहाया जा सकता है।
3.	बण्ड ड्रेन	दोनों तरफ से मकानों से घिरा हुआ, गाद निकालने वाली मशीन की आवाजाही के लिए जगह नहीं है, एमएसडब्ल्यू और गाय के गोबर की भारी डंपिंग होती है।	बार स्क्रीन लगाई गई है, बाईपास ड्रेन का निर्माण किया गया है, अवरोधों को दूर किया गया है, एक समानांतर कैरिज-वे प्रदान किया जा सकता है, दोनों तरफ अनियोजित / अनधिकृत निर्माण को ढहाया जा सकता है।
4.	रिलीफ ड्रेन	गाद निकालने वाली मशीन की आवाजाही के लिए जगह नहीं है, स्थानीय निवासियों द्वारा ड्रेन में एमएसडब्ल्यू की भारी डंपिंग की जाती है, फेरीवालों द्वारा प्रतिदिन वेस्ट डाला जाता है।	ड्रेन की ओर अनियोजित/अनधिकृत निर्माण को ढ़हाने पर विचार करते हुए सीआरपीएफ कैंप से खजूरी चौक तक के भू-भाग में एक समानांतर कैरिज-वे की व्यवस्था की जा सकती है। उचित आउटफॉल के साथ पूरी लंबाई में ड्रेन को फिर से तैयार करने के लिए एनएचएआई को कहा जा सकता है।
5.	किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन	106 अनधिकृत, सीवर रहित कालोनियां घरेलू अपशिष्ट, सीवेज और एमएसडब्ल्यू की डंपिंग करती हैं, बाढ़ के मौसम के दौरान वेस्ट शोधित जल में अधिक गाद आती है जिसके कारण गाद जमा हो जाती है।	डीडीए को मुख्य डीडीए रोड ड्रेन के दो बिंदुओं पर केएसएन ड्रेन में गिरने वाले अपने वेस्ट वॉटर को डीडीए के ड्रेनों में मोड़ना होगा। केएसएन ड्रेन की तीन कलवर्ट को ढ़हाया जाएगा और जल मार्ग को बढ़ाने और वेस्ट वॉटर के सुचारू बहाव के लिए पर्याप्त ह्यूम पाइप बिछाए जाएंगे।
6.	पंखा रोड ड्रेन	एमएसडब्ल्यू और अन्य घरेलू और बाजार वेस्ट प्रतिदिन भारी मात्रा में गिराया जाता है, मशीनों की तैनाती के लिए तट नहीं है और उचित रास्ता नहीं है, हाई टेंशन ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद हैं, ड्रेन में अतिक्रमण है, इनलेट/ आउटफाल ड्रेनों से भारी मात्रा में तैरती सामग्री गिरती है, गाद, मलबा आदि गिरता है, स्थानीय लोगों द्वारा अपने घरों और दुकानों के सामने सामग्री का ढेर न लगाने के लिए प्रतिरोध है।	दोनों तरफ आरसीसी रिटेनिंग वॉल के निर्माण की एक योजना बनाई जाएगी, आस-पास के इलाकों में वेस्ट फेंकने से रोकने के लिए पुलों पर एम.एस. जालियां लगाई गई हैं, जमीनी हकीकत जानने के लिए समय-समय पर डीजेबी और बीएसईएस के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है, लोगों को घरेलू कचरा और वेस्ट की डंपिंग और फेंकने से रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर एमएस बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ड्रेन के नवीकरण की योजना बनाने के लिए विशेष एजेंसियों को आमंत्रित किया जाये। जल रक्षक की तैनाती की जाए।

7.	नसीरपुर नाला	एमएसडब्ल्यू और अन्य घरेलू और बाजार वेस्ट प्रतिदिन भारी मात्रा में गिराया जाता है, मशीन की तैनाती के लिए तट नहीं हैं और उचित रास्ता नहीं है, जल मार्ग में पानी की पाइपलाइन, बिजली और टेलीफोन केबलें मौजूद हैं, हाई टेंशन ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है, ड्रेन में अतिक्रमण है, इनलेट/आउटफॉलिंग ड्रेनों से भारी मात्रा में तैरती हुई सामग्री गिरती है, गाद जमा है, मलबा आदि गिरता है, गाद निकालने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, स्थानीय लोगों द्वारा अपने घरों और दुकानों के सामने सामग्री का ढेर लगाना प्रतिबंधित है।	पुलों के ऊपर एम.एस. जाली लगाई गई हैं; संवेदनशील बिंदुओं पर एमएस बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ड्रेन के नवीकरण की योजना बनाने के लिए विशेष एजेंसियों को आमंत्रित किया जा रहा है, ड्रेन की प्रभावी सफाई के लिए विशेष मशीनरी के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है, ड्रेन में सीवरेज के पानी को रोका जाए, जल रक्षक की तैनाती की जाए, आउटफॉलिंग ड्रेन के मुहाने पर एमएस जाली लगाई जा रही है।
8.	असोला ड्रेन	घरों और बाजारों से एमएसडब्ल्यू के संग्रहण, ढलावों के निर्माण के लिए नागरिक एजेंसी अर्थात एमसीडी की अक्षमता, स्थानीय लोगों के बीच नागरिक भावना और जागरूकता की कमी। मौजूदा परिस्थितियों में ड्रेनों की सफाई के लिए उपयुक्त विशेष मशीनों की कमी; चूककर्ताओं का चालान करने की शक्ति का अभाव।	डीजेबी इस क्षेत्र में एसटीपी का निर्माण कर सकता है और सीवर लाइनें बिछा सकता है। एमसीडी घरेलू वेस्ट और सी एंड डी वेस्ट के एमएसडब्ल्यू के संग्रह के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करेगा। ड्रेन की प्रभावी सफाई के लिए विशेष मशीनरी के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाए। तकनीकी और वर्कचार्ज कर्मचारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। ड्रेन में सीवरेज के पानी को गिरने से रोका जाए। ड्रेन के किनारे रहने वाले लोगों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाई जाए।

2. बाढ़ प्रबंधन

शीर्ष समिति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण उपायों की सिफारिश, पर्यवेक्षण और समन्वय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। एलएम बण्ड कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, विभिन्न विभागों अर्थात एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी और डीडीए के नियंत्रण कक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहता है ताकि भारी बारिश के कारण जल निकासी में रूकावट के मामले में शिकायतें प्राप्त की जा सकें और उचित निवारक कार्रवाई की जा सके। डीएम (पूर्व) के कार्यालय में आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष राहत और बचाव कार्यों के लिए काम कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर, संभागीय आयुक्त बाढ़ को नियंत्रित करने, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने, खाद्य सामग्री के वितरण और अन्य संबंधित मामलों में सेना से सहायता मांग सकते हैं।

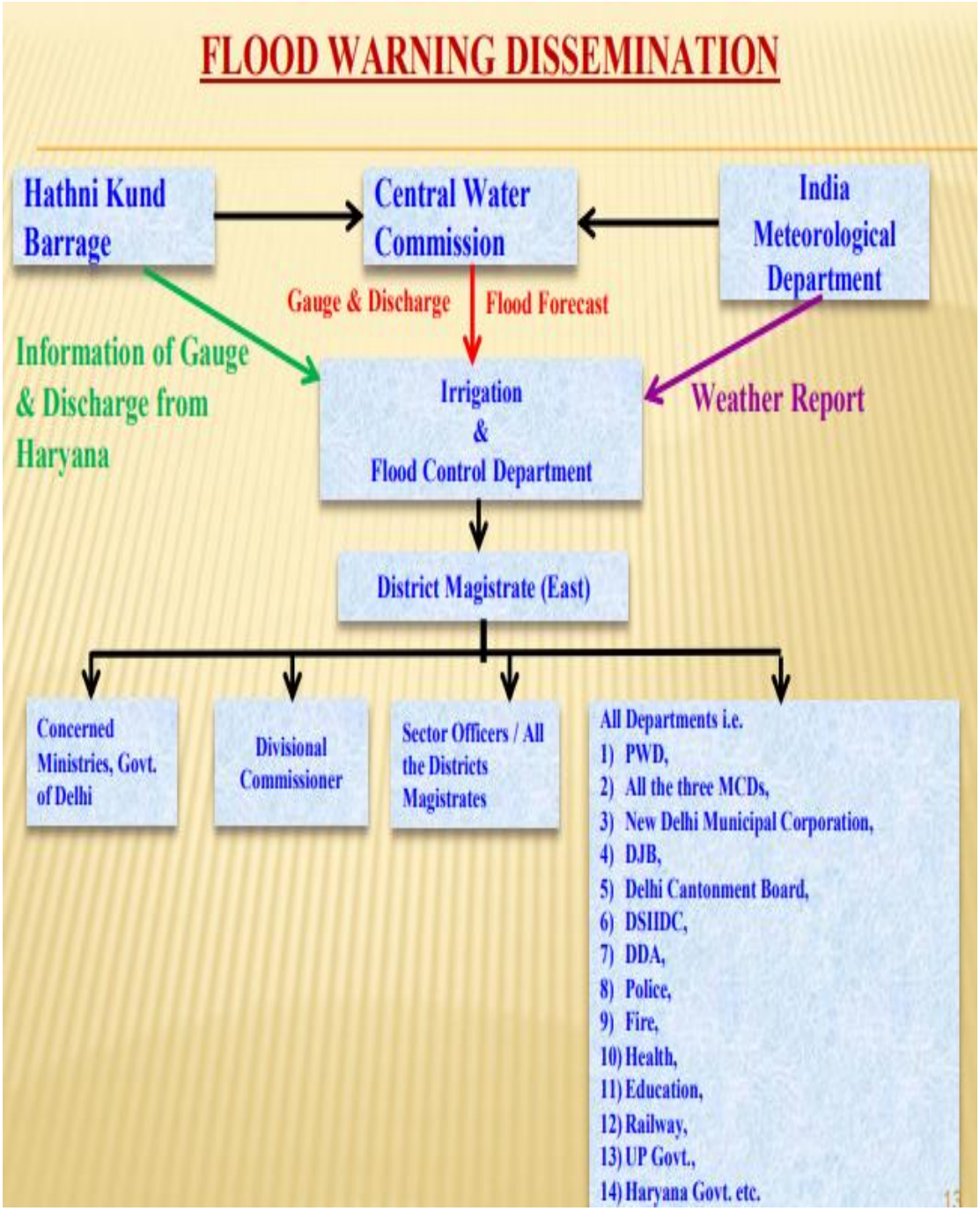

सेक्टर कमेटी

प्रत्येक ज़िले के लिए डीएम रैंक के सेक्टर ऑफिसर की देखरेख में सेक्टर कमेटी भी बनाई जाती है। सेक्टर ऑफिसर ज़िला स्तर पर अलग-अलग विभागों के बीच एक सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम भी करता है, ज़रूरत पड़ने पर लोगों को निकालने की व्यवस्था करता है और रहने के लिए राहत कैंप में रहने की व्यवस्था करवाता है और राहत सप्लाई वितरित करता है।

सेक्टर कमेटी के कार्य: इसके गठन के तुरंत बाद, सेक्टर कमेटियां अपने अधिकार क्षेत्र में बैठक करती है और बाढ़ या ड्रेनेज जाम से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठाने हेतु योजना बनाती हैं।

बाढ़ की चेतावनी

पहली चेतावनी सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम तब जारी करता है जब हथिनीकुंड बैराज से पानी का डिस्चार्ज एक लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो जाता है या मनासी में साहिबी/एनजी ड्रेन के लिए पानी का डिस्चार्ज 3500 क्यूसेक से ज़्यादा हो जाता है - जिसके बाद संबंधित सेक्टर कंट्रोल रूम काम करना शुरू कर देते हैं और अपने-अपने इलाकों में नज़र रखते हैं। दूसरी चेतावनी तब जारी की जाती है जब हथिनीकुंड बैराज से पानी का डिस्चार्ज 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो जाता है या मनासी में साहिबी/एनजी ड्रेन के लिए डिस्चार्ज 70000 क्यूसेक से ज़्यादा हो जाता है - नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने का इंतज़ाम किया जाता है। पुलिस और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के कर्मचारी दाएं और बाएं सीमांत तटों पर पेट्रोलिंग करते हैं और संवेदनशील जगहों पर नज़र रखते हैं। तीसरी चेतावनी तब जारी की जाती है, जब हथिनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो, जबकि साहिबी या मनासी से पानी का डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो जाता है। साहिबी/एनजी ड्रेन के लिए यह चेतावनी तब जारी की जाएगी जब मनासी बैराज से डिस्चार्ज एक लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो। खतरे वाली जगहों पर रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अलर्ट रहें और ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर चले जाएं।

संवेदनशील स्थान			
पुराने रेलवे पुल का स्तर	**क्रम सं.**	**संवेदनशील स्थल**	**अपेक्षित कार्रवाई**
205.33 (अनंतिम खतरे का स्तर)	1.	रेस्क्यू बोट क्लब आर/बी यमुना नदी	नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
	2.	मोनेस्ट्री मार्केट आर/बी यमुना नदी	नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
	3.	गीता घाट- एंट्री पॉइंट आर/बी यमुना नदी	नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
	4.	कुदसिया घाट आर/बी यमुना नदी	गेट/इनलेट के संचालन के लिए हाइड्रा तैनात किया गया था।
	5.	निगम बोध घाट आर/बी यमुना नदी	मिट्टी से भरे बैग रखकर दरारें भरी गईं।
	6.	तांगा स्टैंड रेगुलेटर आर/बी यमुना नदी	-यथा-
	7.	विजय घाट रेगुलेटर आर/बी यमुना नदी	नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
	8.	ड्रेन नंबर 12 और 12 ए आर/बी यमुना नदी	लगातार पंपिंग के लिए पंप लगाए गए और नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
	9.	आरएमई के आरडी-180 मीटर पर रेगुलेटर	-यथा-
	10.	चिल्ला रेगुलेटर	आवश्यकतानुसार गेट बंद किए गए
	11	जहांगीरपुरी ड्रेन के आरडी-1135 मीटर पर बुराड़ी रेगुलेटर।	- यथा-
206.00	12.	नीम करोली-गौशाला आर/बी यमुना नदी	नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
	13.	सिविल मिलिट्री ड्रेन रेगुलेटर आर/बी यमुना नदी	आवश्यकतानुसार बंद कर दिए गए
	14.	ट्रांस यमुना क्षेत्र में एलएफ बण्ड शैंक रोड 1400 मीटर शैंक रोड 800 मीटर	शैंक्स और तटबंध के कटाव को रोकने के लिए कठोर पत्थर और मिट्टी के बैग डाले गए।

	15.	ड्रेन नंबर 14 रेगुलेटर आर/बी यमुना नदी	लगातार पंपिंग के लिए पंप लगाए गए और नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
	16.	सप्लीमेंट्री ड्रेन के आरडी 2700 मीटर के पास आरएमई के साथ टो ड्रेन का आउटफॉल	नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गई।
207.00	17.	रिंग रोड आर/बी यमुना नदी के किनारे डीजेबी साइट	नदी के किनारे से पानी को अंदर आने से रोकने के लिए मिट्टी से भरी हुई अतिरिक्त बोरियां रखी गईं।

3. आईएंडएफसी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

- **बाढ़ की निगरानी**

बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखने के लिए, पूरे मानसून सीज़न में कंट्रोल रूम और वायरलेस नेटवर्क बनाए जाते हैं और सीडब्ल्यूसी, आईएमडी और पड़ोसी राज्यों की सक्रिय मदद से यमुना नदी और साहिबी नदी के डिस्चार्ज और उनके पानी के लेवल का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। आज तक हुई बारिश का डेटा, पिछले 24 घंटों में हुई बारिश और बारिश के साथ-साथ बाढ़ के पूर्व अनुमान वाली दैनिक मौसम रिपोर्ट तैयार की जाती है और सभी हितधारकों के साथ साझा की जाती है ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

- **तटबंधों का संरक्षण और रखरखाव**

विभाग ने शहर को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए अलग-अलग समय में ऊपरी तटबंध बनाए हैं और इन तटबंधों को बचाने और बनाए रखने के लिए, विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के बाढ़ सुरक्षा और रखरखाव कार्य जैसे तटबंधों की सुरक्षा, स्पर्स की सुरक्षा/निर्माण/जीर्णोद्धार, लॉन्चिंग एप्रन, स्टोन पिचिंग आदि नियमित रूप से किए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कर्मचारी दाएं और बाएं सीमांत तटबंधों पर 24x7 पेट्रोलिंग करेंगे और संवेदनशील स्थानों पर नज़र रखेंगे।

- **नियामक**

शहर के क्षेत्र में यमुना नदी में सीधे गिरने वाले अलग-अलग ड्रेनों के 15 आउटफॉल पर आईएंडएफसी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए और मेंटेन किए गए रेगुलेटर को समय-समय पर चलाना होगा ताकि नदी में ज़्यादा बाढ़ और भारी स्थानीय बारिश होने पर शहर के ड्रेनेज को ठीक से पंप किया जा सके। नदी में भारी डिस्चार्ज के समय रेगुलेटर/गेट बंद कर दिए जाते हैं ताकि नदी का शहर की तरफ उल्टा बहाव रोका जा सके। अगर भारी स्थानीय बारिश या लोनी-सहारनपुर उत्तर प्रदेश के ऊपर के इलाकों में बारिश की वजह से शाहदरा ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए दिल्ली में भारी डिस्चार्ज होता है, तो चिल्ला रेगुलेटर के गेट समय पर खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के साथ करीबी संपर्क बनाए रखना होगा। बाढ़ की स्थिति से पैदा होने वाली किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए नावों और इमरजेंसी पोर्टेबल पंप सेट को तैयार रखना होगा।

- **संसाधन**
  बाढ़ की स्थिति से पैदा होने वाली किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए नावों और इमरजेंसी पोर्टेबल पंप सेट को तैयार रखना होगा। मानसून के मौसम में आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने के लिए आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के पास संसाधन उपलब्ध हैं।
- **नदी प्रशिक्षण कार्य**
  नदी के दोनों किनारों पर या केवल एक तरफ, नदी की कुछ उपयुक्त लंबाई तक के लिए, जहां नदी कस्बों या शहरों से गुज़र रही हो, इनका निर्माण किया जा सकता है। (ii) स्पर्स या ग्रोइन्स: इनका निर्माण, उस किनारे की रक्षा के लिए किया जाता है, किनारे से धारा को मोड़कर जहां से इन्हें विस्तारित किया जाता है (iii) किनारों की पिचिंग और लॉन्चिंग एप्रन का प्रावधान: एक नदी के किनारों को सीधे पत्थर की पिचिंग, या कंक्रीट ब्लॉकों द्वारा, या ईंट की लाइनिंग द्वारा या वनस्पतिक आवरण उगाकर, संरक्षित किया जाता है। कंक्रीट ब्लॉक बहुत महंगे होते हैं, और ज्यादातर पत्थर की पिचिंग को अपनाया जाता है, यदि यह बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध हो। नदी के तटबंधों को तट की सामग्री के आधार पर 1:1 से 2:1 तक अलग-अलग स्थिर ढलान देकर स्थिर बनाया जाता है। इसके बाद उन पर पिचिंग की जाती है ताकि कटाव को रोकने के लिए उन्हें पर्याप्त मजबूत बनाया जा सके।

- **फ्लड प्लेन ज़ोन**
  मनोज मिश्रा बनाम भारत संघ (ओ.ए. सं. 06/2012) के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.01.2015 के आदेश के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि पारिस्थितिकी, जैव विविधता और नदी के प्रवाह के हित में हर 25 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के लिए बाढ़ क्षेत्र की पहचान की जानी चाहिए। आईआईटी दिल्ली ने 2011 की बाढ़ को 25 वर्षों में एक बार आने वाली बाढ़ के रूप में चिन्हित किया है, जिसके दौरान ताजेवाला से अधिकतम डिस्चार्ज रिलीज और पुराने रेलवे पुल पर दर्ज अधिकतम गेज 6,41,462 क्यूसेक डिस्चार्ज के संबंध में 205.72 था। वर्ष 2011 में विभिन्न स्थानों पर देखे गए अधिकतम जल स्तरों के आधार पर जीएसडीएल द्वारा बाढ़ क्षेत्र के नक्शे की 20 शीटें तैयार की गई हैं, जिसमें 205.72 के स्तर को राउंड ऑफ करके 206.00 किया गया है और यमुना नदी में बाढ़ क्षेत्र के भौतिक सीमांकन के लिए इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

4. योजना अवधि के दौरान चिन्हित किए गए प्रमुख बुनियादी ढ़ांचे या विशेष परियोजनाएँ, साथ ही परियोजनाओं का विवरण और उनकी समय-सीमा।

तालिका 3. विशेष परियोजनाओं की सूची

क्रम.सं.	परियोजना का नाम	लक्ष्य	समय-सीमा
1.	मानसून के मौसम में पल्ला से वजीराबाद तक यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी को रोककर जलाशयों का निर्माण।	जैसा कि कॉन्सेप्चुअल प्लान में प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट को लगभग 1180 एकड़ के बड़े लेवल पर लागू करने से पल्ला से हिरंकी तक यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र का पुनर्भरण होगा और डीजेबी के ट्यूबवेल के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से भू-जल का उपयोग किया जा सकता है और दिल्ली में ताज़े पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए	

		डीजेबी द्वारा इस नेटवर्क को और बढ़ाया जा सकता है।	
2.	घोगा ड्रेन पर पायलट प्रोजेक्ट का विवरण	इस एक्टिविटी का उद्देश्य वेस्ट वॉटर की गुणवत्ता में सुधार करना और ड्रेनों को फिर से ठीक करना है। घोगा ड्रेन में बहने वाले वेस्ट वॉटर को शोधित करने के लिए कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम जैसी इकोलॉजिकली संवेदनशील और टिकाऊ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम दस लाख लीटर वेस्ट वॉटर को शोधित करने का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट में एसडब्ल्यूएबी आधारित वेटलैंड सिस्टम का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत घोगा ड्रेन में बहने वाले 1 एमएलडी वेस्ट वॉटर को शोधित करने और 1 किमी. के अंतराल पर पत्थर के बोल्डर के साथ 0.50 मीटर ऊंचे 6 चेक डैम के निर्माण की परिकल्पना की गई है।	
3.	पायलट प्रोजेक्ट: रजोकरी जलाशय का पुनरुद्धार	जलाशय के पुनरुद्धार के लिए विभाग द्वारा रजोकरी जलाशय के पुनरुद्धार हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित था: (i) पारिस्थितिकीय तौर पर स्थाई तकनीक से सीवरेज के पानी का शोधन करना ताकि बीओडी, सीओडी, घुले हुए और सस्पेंडेड सॉलिड जैसे प्रदूषक कम किये जा सके और उसे जलाशय के लिए अनुमेय स्तर पर लाया जा सके। (ii) खुले क्षेत्र की लैंडस्केपिंग के साथ-साथ हॉर्टिकल्चर का काम और क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था । इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना, सुंदर नज़ारा और हरियाली बढ़ाने के लिए बाउंड्री वॉल पर बेल वाले पौधे लगाना, मनोरंजन के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करने के उद्देश्य से ओपन जिम के उपकरण, बच्चों के खेलने के उपकरण लगाना वांछित था और यह कार्य चल रहा है, जो दिनांक 30.04.2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।	नेशनल वॉटर इनोवेशन समिट और अवाड्र्स 2020 के अंतर्गत दिनांक 28.08.2020 को इसको एक्सीलेंस **अवार्ड** दिया गया।
4.	पल्ला से वज़ीराबाद तक यमुना नदी के	तटबंध को ऊंचा करने और मौजूदा सिंगल लेन को टू-लेन कैरिजवे तक चौड़ा करके सुदृढ़ करने के	

	किनारे तटबंधों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण।	लिए योजनाएं तैयार की गईं। इन्हें टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी (टीएसी) ने अपनी 36वीं और 41वीं मीटिंग में रखा और अनुमोदित किया। पल्ला से वजीराबाद तक तटबंध को चौड़ा करने और सुदृढ करने पर अनुमानित 3800 लाख रुपये खर्च होंगे।	
5.	नजफगढ़ ड्रेन के किनारे वाटर फ्रंट का विकास	जीएनसीटी, दिल्ली ने छावला ब्रिज से बसईदारापुर ब्रिज तक नजफगढ़ ड्रेन पर वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए व्यापक परामर्श सेवाओं के लिए 6.22 करोड़ रुपये की एक स्कीम को मंज़ूरी दे दी है। इसमें नजफगढ़ ड्रेन के बाएं और दाएं किनारे पर टू-लेन सड़क और अलग-अलग पुलों की डिज़ाइनिंग भी शामिल है।	टेंडर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
6.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)	राष्ट्रीय जल विज्ञान (एनएचपी) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त भारत सरकार की एक योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को 100% अनुदान दिया जाता है। आईएंडएफसी विभाग और डीजेबी ने दिल्ली राज्य के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में एनएचपी पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपी का लक्ष्य ये मुख्य निम्न काम करना है: **क.** सभी नदी बेसिन में हाइड्रो-मेट नेटवर्क बनाना और उसे अपग्रेड करना। **ख.** पूरे हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल डेटा को एक स्टैंडर्ड सेंट्रल डेटाबेस पर लाना ताकि आसानी से स्टोरेज, वैलिडेशन, एनालिसिस और विस्तार किया जा सके। ग. नदी बेसिन की स्थिति के अनुसार बाढ़ के पूर्वानुमान, जलाशय के संचालन, जलसंसाधन नियोजन एवं प्रबंधन, संयुग्मी उपयोग आदि के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास करना। घ. प्रशिक्षण डेटा सेंटर, उत्कृष्टता केंद्रों आदि के माध्यम से राज्यों की क्षमता का निर्माण करना और स्वयं को शामिल करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इस कार्य के लिए कुल 3679.76 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, इस कार्य को अलग-अलग केंद्रीय और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा पूरा किया जाना है। इस उद्देश्य हेतु, दिल्ली राज्य के लिए 25.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।	प्रस्तावित कार्य का कुछ हिस्सा चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा और शेष कार्य आगामी वर्षों में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर, रियल टाइम में उत्पन होने वाला अलग-अलग डेटा एनएचपी के सर्वर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उपलब्ध होगा और सभी राज्य सरकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकेगा।

		नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएंडएफसी विभाग और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को मंजूरी दी गई है: - 1. दिल्ली में ड्रेनेज नेटवर्क पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम। 2. दिल्ली में बारिश के लिए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम। 3. भू-जल मापन उपकरण । 4. जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन ।	
7.	नजफगढ़ नाले के दाहिने किनारे का सुदृढ़ीकरण और ऊंचाई बढ़ाना।		पहले ही शुरू किया जा चुका है।
8.	आईएंडएफसी विभाग को सौंपे गए 10 जलाशयों का पुनरुद्धार	दिल्ली में जलाशय अत्यंत खराब स्थिति में हैं और पर्यावरणीय पतन के विभिन्न स्तरों से गुजर रहे हैं। इसलिए, दिल्ली सरकार ने जलाशयों के विकास और पुनरुद्धार का कार्य एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में शुरु किया है। हालांकि आईएंडएफसी विभाग भूस्वामित्व वाली एजेंसी नहीं है, लेकिन उसने वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार 10 जलाशयों के पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया है। इन जलाशयों का पुनरुद्धार समग्र रूप से वेटलैंड का निर्माण करके किया जा रहा है, जो पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और स्थाई हैं और 1 एमएलडी से कम वेस्ट निर्वहन के लिए सबसे बढ़िया इन-सीटू शोधन हैं। पुनरुद्धार के भाग के रूप में स्थानीय जनता के मनोरंजन के उद्देश्य से प्रभावी उपयोग की सुविधा हेतु आवश्यक लैंडस्केपिंग का कार्य, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, बेंच, सोलर लाइटिंग, टॉयलेट जैसी सार्वजनिक सुविधाएं, जहां भी संभव हो, एम्फीथिएटर की स्थापना की जाएगी । एसटीपी और लैंडस्केपिंग सहित उपर्युक्त 10 जलाशयों के पुनरुद्धार की अनुमानित लागत 21.54 करोड़ रुपये है।	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंज़ूरी मिलने के बाद, सभी कोडल औपचारिकताओं सहित उपर्युक्त 10 जलाशयों के पुनरुद्धार को पूरा करने की अवधि 18 महीने होगी।

5. परियोजनाओं के लिए अनुमानित भूमि की आवश्यकता

गाद निकाली गई मिट्टी के निपटान में विभाग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एमसीडी इसे लेने में अनिच्छुक है; इसलिए, यह आवश्यक है कि डीडीए ड्रेनों के किनारे अलग-

अलग जगहों पर भूमि के टुकड़े उपलब्ध कराए, जिनका आकार प्रत्येक 10 किमी. के अंतराल पर लगभग 1 हेक्टेयर हो (कुल मिलाकर लगभग 1000 हेक्टेयर)।

यह सिफारिश की जाती है कि सीवर, पानी, बिजली, संचार आदि के रूप में जो सर्विस लाइने हैं उन्हें आईएंडएफसी ड्रेनों की भूमि की सीमा से बाहर स्थानांनतरित कर दिया जाना चाहिए।

आईएंडएफसी भूमि के बड़े हिस्सों का उपयोग नागरिक एजेसियों द्वारा डलावों के निर्माण के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मौजूदा ड्रेनों के पूरे संरेखण के साथ एमएसडब्ल्यू के साथ-साथ सीएंडडी वेस्ट के संग्रहण, प्रोसेसिंग, स्थानांनतरण और निपटान के लिए नाले की सीमा के बाहर अलग भूमि चिन्हित की जानी चाहिए।

6. एमपीडी 2041 को ध्यान में रखते हुए अनुमानित भूमि की आवश्यकता

संभावित रीमॉडलिंग, उनके रखरखाव, ग्रीन बेल्ट के निर्माण, निकाली गई वेस्ट प्रोसेसिंग, सर्विस रोड, सर्विस लाइनों, सीएंडडी वेस्ट और अतिरिक्त स्टोर आदि को ध्यान में रखते हुए नालों की स्थिति के अनुसार अनुमानित भूमि की आवश्यकता अनुलग्न 19बी-ii के रूप में संलग्न है।

ड्रेनों के किनारे भविष्य में उपयोग के लिए उपलब्ध अतिरिक्त भूमि ड्रेनों के साथ-साथ उनके फैलाव/स्थान के आधार पर भिन्न होती है। नजफगढ़ के ऊपरी हिस्सों में इसकी चौड़ाई 135 मीटर से ज़्यादा है, जबकि निचले हिस्से (जो बहुत ज़्यादा शहरीकृत है) में यह घटकर 25 मीटर रह जाती है। दूसरे ड्रेनों में भी ऐसी ही स्थिति है। इस अतिरिक्त भूमि का उपयोग सीवर लाइनों, पानी की पाइपलाइनों, एचटी लाइनों, कम्युनिकेशन केबलों आदि जैसी सर्विस लाइनों के साथ-साथ ढलावों, छठ पूजा घाटों, मोहल्ला क्लीनिकों, पार्क आदि के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

ड्रेनों के किनारे ग्रीन ज़ोन बनाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध नाले की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है।

7. मुख्य लक्ष्य जिन्हें एमपीडी-2041 कार्य योजना में शामिल किया जाएगा।

घटक	वर्तमान स्थिति	2041 के लिए लक्ष्य	चरणबद्ध योजना
मुख्य ड्रेनों के किनारे बनाए गए और मेंटेन किए गए बफ़र की लंबाई (किमी. में)	ड्रेन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, कैचमेंट एरिया, डिज़ाइन डिस्चार्ज, तटबंधों की मौजूदा स्थिति और ड्रेन के किनारे बफर भूमि की ड्रेन-वार स्थिति अनुलग्नक 19बी-ii के रूप में संलग्न है।		

8. सुझाव और सिफ़ारिशें

मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत नियोजित किए जाने वाले उप-नगरों में नए ड्रेनों के निर्माण के लिए, जल निकासी प्रणाली के नियोजन/निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई है:-

क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मौजूदा ड्रेनेज नेटवर्क को, लैंड पूलिंग पॉलिसी/एमपीडी-2041 के अंतर्गत नियोजित किए जाने वाले उप-नगरों के ड्रेनेज नेटवर्क को जोड़ने के लिए, व्यवहार्यता की सीमा के अंदर रीमॉडल किया जा सकता है, जब भी प्रासंगिक हो, हितधारकों के परामर्श से आईएंडएफसी विभाग के साथ विवरण साझा किया जाए।

ख) ड्रेनों के दोनों तरफ़ पूरे मार्ग में निरंतर ग्रीन लाइनों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

ग) सीवर, पानी, बिजली, कम्युनिकेशन जैसी सर्विस लाइनों के लिए ड्रेन की सीमा क्षेत्रों से बाहर एक अलग प्रावधान किया जाना चाहिए।

घ) एमएसडब्ल्यू के साथ-साथ सीएंडडी वेस्ट के संग्रहण, प्रोसेसिंग, परिवहन, स्थानांतरण, निपटान के लिए भूमि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

ङ) नया विकास इस तरह से किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित शहरीकरण के साथ क्षेत्र से होने वाले कुल जल जमाव में बढ़ोतरी न हो। इसके लिए तालाबों, पार्कों, पोरस पेवमेंट, ग्रीन बेल्ट, आर्टिफिशियल झीलें/या अन्य रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और भंडारण संरचनाओं आदि के रूप में आवश्यक उपाय अपनाए जा सकते हैं।

च) ड्रेनेज और बाढ़ प्रबंधन में शामिल अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम उपायों के बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इन्हें अपनाया जा सके।

आईएंडएफसी सर्विस प्लान के लिए संदर्भित अनुलग्नक:

अनुलग्नक 19बी-i: तटबंध सुदृढ़ीकरण/ड्रेनों के रिमॉडलिंग की स्थिति

अनुलग्नक 19बी-ii: आईएंडएफसी विभाग के ड्रेनों के किनारे बफ़र्स का विवरण

अनुलग्नक 19बी-iii: एफ्लुएंट इरीगेशन सिस्टम का विवरण

अनुलग्नक 19बी-i: तटबंध सुदृढ़ीकरण/ ड्रेनों के रिमॉडलिंग की स्थिति

ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)	तटबंध की वर्तमान स्थिति	क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।	क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।
सीडी-I				
नजफगढ़ ड्रेन, सीडी-I-45316 मी	45.31	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)
पालम ड्रेन	4.20	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)
पालम लिंक ड्रेन	1.47	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)
नजफ़गढ़ पॉण्ड ड्रेन	1.95	स्थिर	नहीं	हाँ, कार्य प्रगति पर है।
नसीरपुर लिंक ड्रेन	2.90	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)
बिजवासन ड्रेन	4.20	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)
पंखा रोड ड्रेन	3.60	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)
शाहबाद मोहम्मदपुर ड्रेन	0.23	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)
मुधेला ड्रेन सीडी-I-6920 मी,	6.95	स्थिर	नहीं	लागू नहीं (एनए)

ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)	तटबंध की वर्तमान स्थिति	क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।	क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।
सीडी-II				
सप्लीमेट्री ड्रेन डी 16436 मीटर से आरडी 22471 मीटर	6.04	निरीक्षण का रास्ता i) एल/बी 17700 से 19362- सीसी रोड ii) आर/बी 16436 से 16700- सीसी रोड iii)आर/बी 21350 से 22137-सीसी रोड मोहल्ला क्लिनिक (आरडी 17700मीटर आर/बी) आरडी 16436 मीटर से 22471 मीटर के बीच अलग-अलग स्थानों पर 1500 पौधे लगाने का प्रस्ताव है। 350 पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं और उनका रख-रखाव किया जा रहा है।	-लागू नहीं (एनए)- सेक्शन पहले से ही लाइन किया गया है	-लागू नहीं (एनए)- सेक्शन पहले से ही लाइन किया गया है
नजफगढ़ ड्रेन, आरडी 45316 मीटर से आरडी 57140 मीटर	11.82	निरीक्षण रोड i) एल/बी आरडी 47390 मीटर से आरडी 48300 मीटर सीसी/बिटुमिनस रोड	फिलहाल सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है - भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर	फिलहाल रीमॉडलिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है - भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर रीमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा।

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
		ii) एल/बी आरडी 54346 मीटर से नोज़ पॉइंट सीसी/बिटुमिनस रोड iii) एल/बी आरडी 56306 मीटर से आरडी 57106 मीटर सीसी/बिटुमिनस रोड iv) आर/बी आरडी 46870 मीटर से आरडी 48315 मीटर सीसी रोड v) आर/बी आरडी 54346मीटर से आरडी 56704 मीटर बिटुमिनस रोड	सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा।	
सीडी-III				
ट्रंक ड्रेन नं. I, सीडी-III-5260 मी, आरडी 0 मीटर से आरडी 3200 मीटर आर.डी. 3200 मी. से 5260 मी.	5.26	अच्छी	नहीं	नहीं
ट्रंक ड्रेन नंबर II आरडी-4550 मी. से आरडी-3900 मी. आरडी-3900 मी. से आरडी-3230 मी.	4.55		नहीं	नहीं

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
आरडी-3230 मी. से आरडी-1980 मी.		अच्छी		
आरडी-1980 मी. से आरडी-0 मी.				
शाहदरा आउटफॉल ड्रेन	5.90	अच्छी	नहीं	नहीं
आरडी-5900 मीटर से आरडी-0 मीटर				
गाज़ीपुर ड्रेन	6.15	अच्छी	नहीं	नहीं
आरडी-0 मीटर से आरडी-2135 मीटर				
आरडी-2135 मी. से आरडी-3505 मी.				
आरडी-3505 मी. से आरडी-5090 मी.				
आरडी-5090 मी. से आरडी-6157 मी.				
शाहदरा लिंक ड्रेन	4.56	अच्छी	नहीं	नहीं
आरडी 4545 मीटर से आरडी-3500 मीटर = 45.15 मीटर				
आरडी 3500मीटर से आरडी-3065 मीटर = 53.50मीटर				
आरडी 3065 मीटर से आरडी-2565 मीटर = 44.50 मीटर				

ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)	तटबंध की वर्तमान स्थिति	क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।	क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।
आरडी 2565 मीटर से आरडी-2150 मीटर = 36.45 मीटर				
आरडी 2150 मीटर से आरडी 1330 मीटर = 43.45 मीटर				
आरडी 1330 मीटर से आरडी-930 मीटर = 43.45 मीटर				
आरडी 930मीटर से आरडी-330मीटर = (कवर किया हुआ हिस्सा) 43.00मीटर				
आरडी 330मीटर से आरडी 130मीटर = 43.45मीटर				
सीडी-IV				
ट्रंक ड्रेन नंबर I, सीडी-IV-5260 मीटर से 13387 मीटर	8.13	अच्छी	नहीं	नहीं
आर.डी. 5260 मी. से 6690मी.	1.43			
आर.डी. 6690मी. से 10330मी.	3.64			
आरडी 10330 मीटर से 13387 मीटर	3.06			

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
करावल नगर ड्रेन	2.48	अच्छी	नहीं	नहीं
बिहारीपुर ड्रेन	1.00	तटबंध के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।	नहीं	नहीं
आरडी 0मीटर से आरडी 650मीटर	0.65			
आरडी 650 मीटर से आरडी 1000 मीटर	0.35			
बण्ड ड्रेन	3.45	तटबंध के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।	हाँ	मौजूदा हिस्से पर ड्रेन की रीमॉडलिंग का काम चल रहा है क्योंकि ड्रेन के किनारे पर्याप्त भूमि मौजूद नहीं है।
एस्केप ड्रेन नंबर I	2.98	आरडी 0 मीटर से आरडी 2650 मीटर तक अच्छा है। आरडी 2650 मीटर से आरडी 2980 मीटर तक तटबंध के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।	लागू नहीं (एनए)	ड्रेन घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुज़र रहा है। भूमि की कमी की वजह से, आरडी 1650 मीटर से आरडी 2560 मीटर के बीच रीमॉडलिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, भविष्य में रीमॉडलिंग की आवश्यकता है।
आरडी 0 मी से 980 मी	0.98			
आर.डी. 980मी. से 1650मी.	0.67			
आर.डी. 1650मी. से 2650मी.	1.00			
आर.डी. 2650मी. से 2980मी.	0.33			
एस्केप ड्रेन नंबर II	0.45	अच्छी	नहीं	नहीं
रिलीफ ड्रेन	2.18	तटबंध के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।	लागू नहीं (एनए)	ड्रेन घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुज़र रहा है। भूमि की कमी की वजह से, रीमॉडलिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, भविष्य
आरडी 0 मी. से 695 मी.	0.70			
आर.डी. 695 मी. से 965 मी.	0.27			
आर.डी. 965 मी. से 1860 मी.	0.90			

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
आर.डी. 1860 मी. से 2180 मी.	0.32			में रीमॉडलिंग की आवश्यकता होगी।
सीडी-V				
अली ड्रेन	2.78	1 तरफ सड़क, 1 तरफ एनटीपीसी।	नहीं	नहीं
असोला ड्रेन	3.39	दाहिनी ओर 400 से 600 आरडी तक।	निजी भूमि से कच्चा टेढ़ा-मेढ़ा ड्रेन गुज़रता है और पानी खुले मैदान में फैल जाता है और ड्रेन का कोई आउटफॉल नहीं है।	
मोलर बंद एक्सटेंशन ड्रेन	1.38	नहीं	नहीं	नहीं
सरिता विहार ड्रेन	1.30	कच्चा	नहीं	नहीं
सीडी-VI				
ड्रेन संख्या 6	14.73	अच्छी स्थिति	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
बुराड़ी क्रीक	8.86	अच्छी स्थिति	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
बुराड़ी ड्रेन	6.04	अच्छी स्थिति	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
न्यू ड्रेन	5.40	अच्छी स्थिति	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
जगतपुर लिंक ड्रेन (लिंक ड्रेन नंबर II)	2.46	अच्छी स्थिति	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
टो ड्रेन	4.00	अच्छी स्थिति	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
सीडी-VII				
बवाना एस्केप ड्रेन	19.79	सुदृढ़ है	नहीं	नहीं
बांकनेर लिंक ड्रेन	5.43	अच्छी	हाँ	नहीं
खेड़ा खुर्द ड्रेन	5.20	अच्छी	हाँ	हाँ
घोगा लिंक ड्रेन	5.12	अच्छी	नहीं	नहीं
नया बास लिंक ड्रेन	3.00	अच्छी	नहीं	हाँ
सन्नोठ लिंक ड्रेन	3.35	अच्छी	नहीं	हाँ
अलीपुर लिंक ड्रेन	0.88	अच्छी	नहीं	नहीं
टिकरी खुर्द लिंक ड्रेन	1.94	अच्छी	हाँ	हाँ
खेड़ा कलां ड्रेन (लिंक)	0.86	अच्छी	नहीं	नहीं
बवाना ड्रेन आरडी 9561मीटर से आरडी 11391मीटर	1.830	अच्छी	नहीं	नहीं
नांगलोई ड्रेन सीडी-VII-2100मी	2.10	अच्छी	नहीं	नहीं

ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)	तटबंध की वर्तमान स्थिति	क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।	क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।
सीडी-VIII				
मुंगेशपुर ड्रेन आरडी 15850 मीटर से आरडी 37550 मीटर	21.65	कच्चा	-	-
बाज़ितपुर ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 8049 मीटर	8.05	कच्चा	-	-
बवाना ड्रेन रोड 0 मीटर से रोड 9561 मीटर	10.83	कच्चा	-	-
लाडपुर लिंक ड्रेन आरडी 0 से आरडी 2300 मीटर	2.30	कच्चा	-	-
कटेवड़ा लिंक ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 1330 मीटर	1.33	बी/कार्य	-	-
जटखोर लिंक ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 3760 मीटर	3.76	कच्चा	-	-
नांगल ठाकरान लिंक ड्रेन रोड 0 मीटर से रोड 900 मीटर	0.90	कच्चा	-	-
मदनपुर ड्रेन आरडी 4100 मीटर से आरडी 8229 मीटर	4.13	कच्चा	-	रेलवे लाइन क्रॉसिंग के ऊपर की ओर घेवरा गांव के पास नाले का चैनलाइज़ेशन आवश्यक है।

ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)	तटबंध की वर्तमान स्थिति	क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।	क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।
किराड़ी सुलेमान आरडी 4150 से आरडी 7850 मीटर	3.70	ड्राई ब्रिक	-	केएसएन ड्रेन की रीमॉडलिंग आवश्यक है क्योंकि इस ड्रेन का ज़्यादातर कैचमेंट एरिया शहरीकृत है और कई अनधिकृत कॉलोनियाँ भी बन गई हैं और विकसित हो रही हैं। इस कारण से, बारिश के पानी की भूमि में रिसने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस पूरे पानी को इसी ड्रेन से ले जाना पड़ता है। इसके अलावा, अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क की कमी के कारण सीवेज, घरेलू वेस्ट और दूसरा गंदा पानी भी दूसरी सरकारी एजेंसियों के अलग-अलग नालों के माध्यम से केएसएन ड्रेन में बह रहा है। रीमॉडलिंग के लिए कोई भूमि मौजूद नहीं है क्योंकि दोनों ओर के आस-पास का इलाका विकसित और शहरीकृत है। इसलिए, केएसएन ड्रेन की रीमॉडलिंग के लिए भूमि लेने की आवश्यकता है।

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
सुल्तानपुर ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 9200 मीटर	9.20	कच्चा	रूपाली एन्क्लेव में कराला-कंझावला रोड के ऊपर की तरफ किनारे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	-
रसूलपुर लिंक ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 750 मीटर	0.75	कच्चा	-	-
सीडी-IX				
आरडी से आरडी 16436 मीटर तक सप्लीमेंट्री ड्रेन	16.44	सप्लीमेंट्री ड्रेन के किनारे निरीक्षण रोड, डलाव, डीजेबी की ट्विन पाइपलाइन, पीडब्लयूडी रोड, प्लांटेशन और मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि हैं।	सुदृढ़कीरण की आवश्यकता	रीमॉडलिंग आवश्यक है
सीडी-X				
जहांगीर पुरी आउटफॉल ड्रेन	**5.47**			
आरडी 0 मीटर से आरडी 1700 मीटर		आरडी 0 मीटर से आरडी 4800 मीटर तक दोनों तरफ के किनारे पीसीसी टाइल लाइनिंग और आरडी 4800 मीटर से आरडी 5470 मीटर तक दोनों तरफ के किनारे स्टॉन पिचिंग	आरडी 1135 मीटर पर नियामक का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। (यह कार्य मैकेनिकल डिवीज़न-II द्वारा वर्ष	नहीं
आरडी 1700 मीटर से आरडी 3000 मीटर				
आरडी 3000 मीटर से आरडी 4000 मीटर				
आरडी 4000 मीटर से आरडी 4800 मीटर				
आरडी 4800 मीटर से आरडी 5470 मीटर				

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
			2020-21 में किया जा रहा है।)	
सीडी-XI				
संप्लीमेंट्री ड्रेन, सीडी-XI				
आरडी 22471मी से आरडी 25075मी	2.604	सप्लीमेंट्री ड्रेन के बाएं किनारे पर भूमि/सड़क है जहाँ पार्क, मोहल्ला क्लिनिक, छठ घाट, निरीक्षण रोड और डलाव बनाए गए हैं। सप्लीमेंट्री ड्रेन के बाएं किनारे पर लगभग 10000 पौधे लगाए गए हैं। दाहिने किनारे पर कच्चा निरीक्षण रोड है, जो एनजी ड्रेन और सप्लीमेंट्री ड्रेन का समान किनारा है।	सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता	रीमॉडलिंग आवश्यक है
आरडी 25075 मीटर से आरडी 26060 मीटर	0.985			
आरडी 26060मी से आरडी 28080मी	2.020			
आरडी 28080मी से आरडी 31300मी	3.220			
आरडी 31300 मीटर से आरडी 34500 मीटर	3.200			
सीडी- XII				
मदनपुर ड्रेन (आरडी 0 मीटर से आरडी 4100 मीटर)	4.10	-	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
किरारी सुलेमान नगर ड्रेन (आरडी 0 मीटर से आरडी 4100मीटर)	4.10	-	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
(आरडी 0मीटर से आरडी 1722मीटर)	1.72	-		
(आरडी 1722 मीटर से आरडी 3700 मीटर)	1.98	-		
(आरडी 3700 मीटर से आरडी 4100 मीटर)	0.40	-		
मुंडका पेरिफेरल ड्रेन (आरडी 0 मीटर से आरडी 2345 मीटर)	2.35	-	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
रणहोला तालाब ड्रेन (आरडी 0 मीटर से आरडी 1160 मीटर)	1.16	-	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
सीडी-XIII				
मुंगेशपुर ड्रेन सीडी-XIII-10362 मीटर	10.362 0मीटर से 1575 मीटर = 1575 मीटर से आरडी. 6600 मीटर आरडी.6600 मीटर से 10362 मीटर	स्थिर	नहीं	नहीं

ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (कि.मी. में)**	**तटबंध की वर्तमान स्थिति**	**क्या कोई सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित या अपेक्षित है।**	**क्या ड्रेन की रीमॉडलिंग प्रस्तावित/अपेक्षित है।**
भूपानिया चुडानिया ड्रेन (हरियाणा भाग सहित)	8.55 आरडी. 0 मीटर से 2736 मीटर आरडी. 6280 मीटर से 8550मीटर आरडी. 2736 मीटर से 6280 मीटर (हरियाणा राज्य)	स्थिर	नहीं	नहीं
मुधेला ड्रेन सीडी-XIII-6950 से 12560मीटर तक	5.60	स्थिर	नहीं	नहीं
नंगली सकरावती लिंक ड्रेन, सीडी-XIII- आरडी-0 मीटर से 385 मीटर = 385 मीटर, सीडी-XIII-आरडी-1712 मीटर से 2262 मीटर = 550 मीटर	0.93 आरडी. 0 मीटर से 385 आरडी. 1712 मीटर से आरडी.2262 मीटर	स्थिर	नहीं	नहीं

अनुलग्नक 19बी-ii: आईएंडएफसी विभाग के ड्रेन के किनारे बफरों का विवरण

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (किमी में)**	**पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार**	**पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है**	**ड्रेन की गहराई (मीटर में)**	**बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)**	**रीमॉडलिंग एवं विस्तार**	**संचालन और रख-रखाव**	**हरित पट्टी का निर्माण**	**गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए**	**सर्विस रोड के लिए**	**बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए**	**सी एंड डी वेस्ट के लिए**	**आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त स्टोर के लिए।**	**अन्य, यदि कोई हो**	**कुल (हेक्टेयर में)**	**टिप्पणी**
एफसी-I																
जहांगीर पुरी आउटफॉल ड्रेन	**5.47**															
आरडी 0 मीटर से आरडी 1700 मीटर		75.00	54.00	1.80 मीटर	21.00	प्रत्येक ओर 3.50 मीटर कुल = 7.00 मीटर	---	प्रत्येक ओर 2.00 मीटर कुल = 4.00 मीटर	---	---	प्रत्येक ओर 2 मीटर कुल = 4.00 मीटर	---	---	---	8.20	
आरडी 1700 मीटर से आरडी 3000 मीटर		66.00	48.00		18.00											
आरडी 3000 मीटर से आरडी 4000 मीटर		31.00	27.00		4.00											

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (किमी में)**	**पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार**	**पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है**	**ड्रेन की गहराई (मीटर में)**	**बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)**	**रीमॉडलिंग एवं विस्तार**	**संचालन और रख-रखाव**	**हरित पट्टी का निर्माण**	**गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए**	**सर्विस रोड के लिए**	**बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए**	**सी एंड डी वेस्ट के लिए**	**आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।**	**अन्य, यदि कोई हो**	**कुल (हेक्टेयर में)**	**टिप्पणी**
आरडी 4000 मीटर से आरडी 4800 मीटर		35.00	33.00		3.00											
आरडी 4800 मीटर से आरडी 5470 मीटर		54.00	43.00		12.00											
ट्रंक ड्रेन नं. I, सीडी-III-5260 मीटर																
आरडी 0 मीटर से आरडी 3200 मीटर	5.26	54.86	38.00	2.67	16.86		10.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00	20.00		15.68	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ड्रेन घनी आबादी वाले इलाके से गुज़र रहे हैं, प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण तभी संभव है जब डीडीए द्वारा प्रस्तावित ड्रेन के आस-पास के क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाए।
आरडी 3200 मीटर से 5260 मीटर		22.86	20.00		2.86		24.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			12.98	

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (किमी में)	पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार	पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है	ड्रेन की गहराई (मीटर में)	बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)	रीमॉडलिंग एवं विस्तार	संचालन और रख-रखाव	हरित पट्टी का निर्माण	गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए	सर्विस रोड के लिए	बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए	सी एंड डी वेस्ट के लिए	आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।	अन्य, यदि कोई हो	कुल (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
आरडी 5260 मीटर से 6690 मीटर	1.43	45.00	33.00	4.00	12.00		8.00	10.00			5.00	5.00			4.00	
आरडी 6690 मीटर से 10330 मीटर	3.64	45.00	25.00	4.50	20.00			10.00			5.00	5.00			7.28	
आरडी 10330 मीटर से 13387 मीटर	3.06	37.00	15.00	4.50	22.00			10.00			5.00	5.00			6.11	
ट्रंक ड्रेन नंबर II	4.55			2.60												

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (किमी में)**	**पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार**	**पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है**	**ड्रेन की गहराई (मीटर में)**	**बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)**	**रीमॉडलिंग एवं विस्तार**	**संचालन और रख-रखाव**	**हरित पट्टी का निर्माण**	**गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए**	**सर्विस रोड के लिए**	**बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए**	**सी एंड डी वेस्ट के लिए**	**आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।**	**अन्य, यदि कोई हो**	**कुल (हेक्टेयर में)**	**टिप्पणी**
आरडी-4550मी से आरडी-3900मी		15.24	15.24		0.00		32.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			4.62	
आरडी-3900मी से आरडी-3230मी		32.74	20.05		12.69		20.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			3.95	
आरडी-3230 मीटर से आरडी-1980 मीटर		45.24	20.55		24.69		8.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			5.88	
आरडी-1980 मीटर से आरडी-0 मीटर		54.86	22.80		32.06			7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			7.72	
शाहदरा आउटफॉल ड्रेन	5.90			3.26												

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (किमी में)	पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार	पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है	ड्रेन की गहराई (मीटर में)	बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)	रीमॉडलिंग एवं विस्तार	संचालन और रख-रखाव	हरित पट्टी का निर्माण	गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए	सर्विस रोड के लिए	बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए	सी एंड डी वेस्ट के लिए	आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त स्टोर के लिए।	अन्य, यदि कोई हो	कुल (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
आरडी-5900 मीटर से आरडी-0 मीटर		135.00	58.764		76.236			10.00	14.00		5.00	5.00			20.06	
गाज़ीपुर ड्रेन	6.15			3.11												
आरडी-0 मीटर से आरडी-2135 मीटर		104.00	54.44		49.56		5.00	7.50	14.00		5.00	5.00			7.79	
आरडी-2135 मीटर से आरडी-3505 मीटर		104.00	53.83		50.17			7.50			5.00	5.00			2.40	
आरडी-3505 मीटर से आरडी-5090 मीटर		104.00	52.59		51.41			7.50			5.00	5.00			2.77	

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (किमी में)**	**पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार**	**पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है**	**ड्रेन की गहराई (मीटर में)**	**बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)**	**रीमॉडलिंग एवं विस्तार**	**संचालन और रख-रखाव**	**हरित पट्टी का निर्माण**	**गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए**	**सर्विस रोड के लिए**	**बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए**	**सी एंड डी वेस्ट के लिए**	**आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।**	**अन्य, यदि कोई हो**	**कुल (हेक्टेयर में)**	**टिप्पणी**
आरडी-5090 मीटर से आरडी-6157 मीटर		85.00	47.73		37.27		5.00	7.50	7.00	3.50	5.00	5.00			3.52	
शाहदरा लिंक ड्रेन																
आरडी 4545मी से आरडी-3500मी	4.56	45.15	22.25	2.135	22.90		10.00	7.50	10.00		5.00	5.00			3.92	
आरडी 3500मी से आरडी-3065मी		53.50	22.25		31.25		10.00	7.50	10.00		5.00	5.00			1.63	

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (किमी में)	पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार	पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है	ड्रेन की गहराई (मीटर में)	बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)	रीमॉडलिंग एवं विस्तार	संचालन और रख-रखाव	हरित पट्टी का निर्माण	गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए	सर्विस रोड के लिए	बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए	सी एंड डी वेस्ट के लिए	आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।	अन्य, यदि कोई हो	कुल (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
आरडी 3065मी से आरडी-2565मी		44.50	22.25		22.25			7.50	5.00		5.00	5.00			1.13	
आरडी 2565मी से आरडी-2150 मीटर		36.45	22.25		14.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.93	
आरडी 2150 मीटर से आरडी 1330 मीटर		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			1.85	
आरडी 1330 मीटर से आरडी-930 मीटर		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.90	

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (किमी में)**	**पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार**	**पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है**	**ड्रेन की गहराई (मीटर में)**	**बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)**	**रीमॉडलिंग एवं विस्तार**	**संचालन और रख-रखाव**	**हरित पट्टी का निर्माण**	**गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए**	**सर्विस रोड के लिए**	**बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए**	**सी एंड डी वेस्ट के लिए**	**आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।**	**अन्य, यदि कोई हो**	**कुल (हेक्टेयर में)**	**टिप्पणी**
आरडी 930मीटर से आरडी-330 मीटर (कवर किया हुआ हिस्सा)		43.00	15.45		27.55			7.50	5.00		5.00	5.00			1.35	
आरडी 330 मीटर से आरडी 130 मीटर		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.45	
करावल नगर ड्रेन	2.48	38.96	14.00	4.00	24.96			5.00			5.00	5.00			3.72	
बिहारीपुर ड्रेन	1.00	4.00														

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (किमी में)**	**पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार**	**पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है**	**ड्रेन की गहराई (मीटर में)**	**बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)**	**रीमॉडलिंग एवं विस्तार**	**संचालन और रख-रखाव**	**हरित पट्टी का निर्माण**	**गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए**	**सर्विस रोड के लिए**	**बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए**	**सी एंड डी वेस्ट के लिए**	**आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।**	**अन्य, यदि कोई हो**	**कुल (हेक्टेयर में)**	**टिप्पणी**
आरडी 0 मीटर से आरडी 650 मीटर	0.65	4.50	2.00	1.50	2.50	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	3.00	3.00			2.14	
आरडी 650 मीटर से आरडी 1000 मीटर	0.35	8.00	2.00	1.50	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00	3.00			1.02	
बण्ड ड्रेन	3.45	7.50	3.70	2.00	3.80	5.00	4.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			10.00	
एस्केप ड्रेन नंबर I	2.98															
आरडी 0 मी से 980 मी	0.98	25.90	8.00	4.00							3.00	3.00			0.60	

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	**ड्रेन की लंबाई (किमी में)**	**पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार**	**पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है**	**ड्रेन की गहराई (मीटर में)**	**बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)**	**रीमॉडलिंग एवं विस्तार**	**संचालन और रख-रखाव**	**हरित पट्टी का निर्माण**	**गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए**	**सर्विस रोड के लिए**	**बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए**	**सी एंड डी वेस्ट के लिए**	**आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।**	**अन्य, यदि कोई हो**	**कुल (हेक्टेयर में)**	**टिप्पणी**
आर.डी. 980मी. से 1650मी.	0.67	23.00	6.00	3.00	17.90		4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.74	
आरडी 1650 मीटर से 2650 मीटर	1.00	18.23	6.00	2.50	17.00	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			3.10	
आरडी 2650 मीटर से 2980 मीटर	0.33	17.00	2.80	2.00	12.23	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.02	
एस्केप ड्रेन नंबर II	0.45	30.00	10.00	3.00	20.00			5.00			3.00	3.00			0.50	
रिलीफ ड्रेन	2.18															

आई एंड एफ सी विभाग के ड्रेन के किनारे बफर का विवरण																
						अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता										
ड्रेन का नाम	ड्रेन की लंबाई (किमी में)	पहुंच के अनुसार भूमि की कुल चौड़ाई (मीटर में) / मार्गाधिकार	पहुंच के अनुसार ऊपर की ड्रेन की चौड़ाई (मीटर में) जिसमें वॉटर-वे भी शामिल है	ड्रेन की गहराई (मीटर में)	बैलेंस लैंड की चौड़ाई (मीटर में) (बफ़र्स)	रीमॉडलिंग एवं विस्तार	संचालन और रख-रखाव	हरित पट्टी का निर्माण	गाद मुक्त मिट्टी के प्रोसेसिंग के लिए	सर्विस रोड के लिए	बिजली लाइन, कम्युनिकेशन केबल, पाइप लाइन, पानी/सीवर और ढलाव जैसी सेवाओं के लिए	सी एंड डी वेस्ट के लिए	आईएंडएफसी डिपार्टमेंट के अतिरिक्ति स्टोर के लिए।	अन्य, यदि कोई हो	कुल (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
आरडी 0 मी से 695 मीटर	0.70	27.00	13.00	2.00	14.00		3.00		3.00	6.00	3.00	3.00			1.26	
आरडी 695 मीटर से 965 मीटर	0.27	दलदली भूमि दिखाई नहीं देती				5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.76	
आरडी 965 मीटर से 1860 मीटर	0.90	8.00	2.60	1.20	5.40	5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			2.52	
आरडी 1860 मीटर से 2180 मीटर	0.32	15.00	5.00	1.50	10.00		3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.74	
														एफसी-I	154.24	

एफसी-II																
ड्रेन संख्या 6	14.73	1. आरडी 0 मीटर से 2650मीटर = 45.00 मीटर	1. आर डी 0 मीटर से 1725 मीटर = 26.95 मीटर	3.40 मीटर से 4.10 मीटर तक भिन्न होता है	1. आर डी 0 मीटर से 1725 मीटर = 18.05 मीटर।	(26.95x0.5)x 1725 = 23244 वर्ग मीटर	----	आरडी 0 से 13025 मीटर = 13025 मीटर x 5 मीटर x 2 = 130250 वर्गमीटर	आरडी 10000 मीटर से आरडी 11000 मीटर 40000 वर्गमीटर	----	सेवाओं के लिए 13025x2 = 26050 वर्गमीटर ढ़लाव आरडी के लिए 2600 मीटर आरडी 2315 आरडी 2975 आरडी 12000 आरडी 117005 x 15मीटर x 15मीटर = 1025 वर्गमीटर	----	आरडी 2600 मी = 20मी x 15मी = 300 वर्गमीटर	----	37.275	
		2. आरडी 2650मीटर से 6600 मीटर = 44.00 मीटर	2. आरडी 1725 मीटर से 2250 मीटर = 26.60 मीटर		2. आरडी 1725 मीटर से 2250 मीटर = 18.40 मीटर	(26.6x0.5)x (2250-1725) = 6983 वर्ग मीटर	----	----	----	----			आरडी 7700 मी = 20मी x 15मी = 300 वर्गमीटर			
		3. आरडी 6600 मीटर से 12500 मीटर = 40.00	3. आर डी 2250 मीटर से 2650 मीटर = 22.05		3. आर डी 2250 मीटर से 2650 मीटर = 27.95	(22.05x0.5)x (2650-2250) = 4410 वर्ग मीटर	----	----	----	----		----	----	----		

		मीटर	मीटर		मीटर										
		4. आरडी 12500 मीटर से 14725 मीटर = 28.00 मीटर	4. आरडी 2650 मीटर से 2825 मीटर = 26.60 मीटर		4. आर डी 2650 मीटर से 2825 मीटर = 17.40 मीटर	(26.6x0.5)x (2825-2650) = 2328 वर्ग मीटर	----	----	----	----		----	----		
			5. आरडी 2825 मीटर से 6600 मीटर = 28.70 मीटर		5. आरडी 2825 मीटर से 6600 मीटर = 15.30 मीटर	(28.7x0.5)x (6600-2825) = 54171 वर्ग मीटर	----	----	----	----		----	----		
			6. आरडी 6600मी. से 7730मी. = 26.4 5 मीटर.		6. आरडी 6600 मीटर से 7730 मीटर = 13.5 5 मीटर	(26.45x0.5)x (7730-6600) = 14944 वर्ग मीटर	----	----	----	----	----	----	----		
			7. आरडी 7730मी. से 9700मी. = 26.10 मीटर		7. आरडी 7730मी. से 9700मी. = 13.90 मीटर	(26.1x0.5)x (9700-7730) = 25709 वर्ग मीटर	----	----	----	----	----	----	----		

			7. आरडी 9700मी. से 10700 मी. = 23.50 मीटर		7. आरडी 9700 मीटर से 10700 मी. = 16.50 मीटर	(23.5x0.5)x (10700-9700) = 11750 वर्ग मीटर	----	----	----	----	----	----	----	----		
			8. आरडी 10700 मीटर से 12500 मी. = 19.2 0 मीटर		8. आरडी 10700 मीटर से 12500 मी. = 20.8 0 मीटर	(19.2x0.5)x (12500-10700) = 17280 वर्ग मीटर	----	----	----	----	----	----	----	----		
			9. आरडी 12500 मी. से 14725 मीटर = 12.50 मीटर		9. आरडी 12500 मीटर से 14725 मीटर = 15.50 मीटर	(12.5x0.5)x (14725-12500) = 13906	----	----	----	----	----	----	----	----		

बुराड़ी क्रीक	8.86	20.00	10 से 12	2.10	10 से 8	(12x0.5)x (8867) = 53202 वर्ग मीटर	----	आरडी 0 मीटर से आरडी 8867 मीटर x 5.0 मीटर x 2 = 88670 वर्गमीटर	----	आरडी 0 मीटर से आरडी 8867 मीटर x 3.0 मीटर = 26601 वर्गमीटर	सेवाओं के लिए आरडी 0 मीटर से आरडी 8867 मीटर x 2.0 मीटर = 17734 वर्गमीटर ढलाव के लिए आरडी 450 मीटर के पास आरडी 1050मीटर के पास आरडी 1450 मीटर के पास आरडी 1950 मीटर के पास आरडी 4150 मीटर के पास आरडी 5250 मीटर के पास आरडी 5850 मीटर के पास आरडी 6500 मीटर के पास आरडी 7850 मीटर के पास आरडी 450 मीटर नया कोर्स	----	500 वर्गमीटर (आरडी 2300 मीटर के पास, आरडी 6000 मीटर के पास)	----	18.90	

											10x15x15 = 2250 वर्गमीटर					
बुराड़ी ड्रेन	6.04	3.50 से 6.00 मीटर	3.50 से 6.00 मीटर	0.60	शून्य	(5x0.5)x (6040) = 15100 वर्ग मीटर	आरडी 0 मीटर से आरडी 5488 मीटर तक 5488 x 5.00 = 27440 वर्गमीटर	आरडी 0 मीटर से आरडी 5488 मीटर तक 5488 x 5.00x2 =54880 वर्गमीटर	----	----	सेवाओं के लिए 5488x2 = 10976 वर्गमीटर ढ़लाव के लिए आरडी 3500 मीटर के पास आरडी 5100	----	----	----	10.8846	

											मीटर के पास 2 x 15.00x 15.00 = 450.00 वर्गमीटर					
नई ड्रेन	5.40	61.00	48.00	5.20	13.00	(48x0.5)x (5400) = 129600 वर्ग मीटर	.....	आरडी 0 से 5400 मीटर तक 5400x5x2 = 54000 वर्गमीटर	----		आरडी 0 से 5400 मीटर तक की सेवाओं के लिए 5400*2 = 10800 वर्गमीटर		.....	....	19.44	
जगतपुर लिंक ड्रेन (लिंक ड्रेन नंबर II)	2.46	4.00	2.50	2.50	1.50	(2.5x0.5)x (2460) = 3075 वर्ग मीटर	आरडी 0 मीटर से आरडी 500 मीटर तक 500 x 5.00 = 2500 वर्गमीटर	आरडी 0 से 2460 मीटर 2460x5x2 = 24600 वर्गमीटर	----	----	सेवाओं के लिए 2460x2 = 4920 वर्गमीटर ढलाव के लिए आरडी 300 मीटर के पास 1 x 15.00x 15.00 = 225.00 वर्गमीटर	----	----	----	3.532	

टो-ड्रेन	4.00	1.50	1.50	1.20	शून्य	(1.5x0.5)x (4000) = 3000 वर्ग मीटर	आरडी 0 मीटर से आरडी 4000 मीटर तक 4000 x 5.00 = 20000 वर्गमीटर	आरडी 0 मीटर से आरडी 4000 मीटर तक 4000x5x2 = 40000 वर्गमीटर	----	----	सेवाओं के लिए 4000x2 = 8000 वर्गमीटर ढलाव के लिए आरडी 3240 मीटर के पास आरडी 2500 मीटर के पास आरडी 1900 मीटर के पास आरडी 850 मीटर के पास 4 x 15.00x 15.00 = 900.00 वर्गमीटर	----	----	----	7.19	
												कुल क्षेत्रफल सीडी-VI			**97.22**	
बवाना एस्केप ड्रेन	19.79	40.50 मीटर (औसत)	19.425 मीटर (औसत)	1.50 से 4.80	21.0475	भविष्य की आवश्यकता के लिए रीमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 19790 मीटर = 19790 मीटर चौड़ाई विस्तारित 10 मीटर 19790 x 10 = 1, 97,900 वर्गमीटर या 19.79 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 19790 मीटर = 19790मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 19790 x 5 = 1,97,900 वर्गमीटर या 19.79 हेक्टेयर।	आरडी 11000 मीटर क्षेत्र में 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर।	सर्विस लेन के लिए लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 19790 मीटर = 19790मीटर चौड़ाई 4.25 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 19790 x 4.25 = 1,	i) आरसी 19100 मीटर और 19200 मीटर (बुढ़पुर) ii) आरडी 4165 मीटर से आरडी 4795 मीटर (आर/बी के पास) जेजे अमर कॉलोनी बवाना - नरेला रोड.(iii)	-	आरडी 9900 मीटर क्षेत्र 15मीटर x 15 मीटर = 225 वर्गमीटर 0.02 हेक्टेयर पर स्टोर के लिए	-	78.28	

										68,215 वर्गमीटर या 16.82 हेक्टेयर।	आरडी 13400 मीटर (आर/बी) मेट्रो विहार होलम्बी कलां क्षेत्रफल 3x 15मीटर x 15 मीटर = 675 वर्गमीटर 0.0675 हेक्टेयर					

बांकनेर लिंक ड्रेन	5.43	14.10 औसत	11.25	1.00	2.85	भविष्य की आवश्यकता के लिए रिमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5430 मीटर = 5430मीटर चौड़ाई विस्तारित 8 मीटर क्षेत्रफल 5430 x 8 = 43,440 वर्गमीटर या 4.34 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5430 मीटर = 5430मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 5430 x 5 = 54300 वर्गमीटर या 5.43 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5430 मीटर = 5430मीटर चौड़ाई 4.25 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 5430 x 4.25 = 46,155 वर्गमीटर या 4.62 हेक्टेयर।	आरडी 2950 मीटर (सबोली रोड क्रॉसिंग कलवर्ट के पास). आरडी 3906 मीटर (प्याऊ मनियारी रोड क्रॉसिंग). क्षेत्रफल 2x 15 मीटर x 15 मीटर = 450 वर्गमीटर 0.045 हेक्टेयर	-	-	-	14.435	

खेड़ा खुर्द ड्रेन	5.20	6.75	3.40	0.80	3.35	भविष्य की आवश्यकता के लिए रिमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5200 मीटर = 5200 मीटर चौड़ाई विस्तारित 5 मीटर क्षेत्रफल 5200 x 5 = 26,000 वर्गमीटर या 2.60 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5200 मीटर = 5430 मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 5200 x 5 = 52000 वर्गमीटर या 5.20 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5200 मीटर = 5200 मीटर चौड़ाई 4.25 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 5200 x 4.25 = 44,200 वर्गमीटर या 4.42 हेक्टेयर।	आरडी 740 मीटर (भट्टे वाला रोड के पास) क्षेत्रफल 15मीटर x 15 मीटर = 225 वर्गमीटर 0.0225 हेक्टेयर	-	-	-	12.243	

घोगा लिंक ड्रेन	5.12	5.00	5.00	0.80	0.00	भविष्य की आवश्यकता के लिए रिमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5120 मीटर = 5120मीटर चौड़ाई विस्तारित 5 मीटर क्षेत्रफल 5120 x 5 = 25600 वर्गमीटर या 2.56 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5120 मीटर = 5120मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 5120 x 5 = 51200 वर्गमीटर या 5.12 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 5120 मीटर = 5120 मीटर चौड़ाई 4.25 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 5120 x 4.25 = 43520 वर्गमीटर या 4.35 हेक्टेयर।	-	-	-	-	12.03	

नया बास लिंक ड्रेन	3.00	8.50 औसत	7.00	0.45 से 0.50	1.50	भविष्य की आवश्यकता के लिए रिमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 3000 मीटर = 3000मीटर चौड़ाई विस्तारित 5 मीटर क्षेत्र 3000 x 5 = 15000 वर्गमीटर या 1.50 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 3000 मीटर = 3000मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 3000 x 5 = 30000 वर्गमीटर या 3.00 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 3000 मीटर = 3000 मीटर, चौड़ाई 4.25 मीटर, ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 3000 x 4.25 = 25500 वर्गमीटर या 2.55 हेक्टेयर।	आरडी 490 मीटर कल्वर्ट (मेट्रो विहार होलंबी खुर्द के सामने) क्षेत्रफल 15मीटर x 15 मीटर = 225 वर्गमीटर0.0 225 हेक्टेयर	-	-	-	7.073	

सन्नौठ लिंक ड्रेन	3.35	10.80	9.00	1.40	1.80	भविष्य की आवश्यकता के लिए रिमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 3350 मीटर = 3350मीटर चौड़ाई विस्तारित 5 मीटर क्षेत्रफल 3350 x 5 = 16750 वर्गमीटर या 1.68 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 3350 मीटर = 3350मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 3350 x 5 = 33500 वर्गमीटर या 3.35 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 3350 मीटर = 3350 मीटर चौड़ाई 4.25 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 3350 x 4.25 = 28475 वर्गमीटर या 2.85 हेक्टेयर।	-	-	-	-	7.88	

अलीपुर लिंक ड्रेन	0.88	30.00	3.50	2.50	26.50	भविष्य की आवश्यकता के लिए रिमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 880 मीटर = 880मीटर चौड़ाई विस्तारित 5 मीटर क्षेत्रफल 880 x 5 = 4400 वर्गमीटर या 0.44 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 880 मीटर = 880मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 880x 5 = 8800 वर्गमीटर या 0.88 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 880 मीटर = 880मीटर, चौड़ाई 4.25 मीटर, ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 880 x 4.25 = 7480 वर्गमीटर या 0.75 हेक्टेयर।	आर डी 0 मीटर, (किरण गार्डन के पास) ii) आर डी 435 मीटर (अलीपुर सिटी फॉरेस्ट रोड के पास) क्षेत्रफल 2 x 15 मीटर x 15 मीटर = 450 वर्गमीटर 0.045 हेक्टेयर			-	2.115	

टिकरी खुर्द लिंक ड्रेन	1.94	एनएच-1 भूमि में मौजूद ड्रेन	3.50	0.80	-	भविष्य की आवश्यकता के लिए रिमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 1940 मीटर = 1940 मीटर चौड़ाई विस्तारित 5 मीटर क्षेत्रफल 1940 x 5 = 9700 वर्गमीटर या 0.97 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 1940 मीटर = 1940मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 1940x 5 = 19400 वर्गमीटर या 1.94 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 1940 मीटर = 1940 मीटर चौड़ाई 4.25 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 1940 x 4.25 = 16490 वर्गमीटर या 1.65 हेक्टेयर।	-	-	-	-	4.56	

खेड़ा कलां ड्रेन (लिंक)	0.86	7.54	3.00	2.00	4.54	भविष्य की आवश्यकता के लिए रीमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 860 मीटर = 860 मीटर विस्तारित चौड़ाई 5 मीटर क्षेत्र 860 x 5 = 4300 वर्गमीटर या 0.43 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 860 मीटर = 860मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 860x 5 = 8600 वर्गमीटर या 0.86 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 860 मीटर = 860मीटर, चौड़ाई 4.25 मीटर, ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 860 x 4.25 = 7310 वर्गमीटर या 0.73 हेक्टेयर।	-	-	-	-	2.02	

बवाना ड्रेन आरडी 9561 मीटर से आरडी 11391 मीटर	1.830	2.45 मीटर	2.45 मीटर	2.80 मीटर औसत	2.45 मीटर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

नांगलोई ड्रेन सीडी-VII-2100 मीटर	2.10	17.50	9.16	2.00	8.34	भविष्य की आवश्यकता के लिए रीमॉडलिंग और विस्तार ड्रेन के साथ लंबाई आरडी 0 मीटर से आरडी 2100 मीटर = 2100 मीटर विस्तारित चौड़ाई 5 मीटर क्षेत्रफल 2100 x 5 = 10500 वर्गमीटर या 1.05 हेक्टेयर।	-	लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 2100 मीटर = 2100मीटर चौड़ाई 5 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 2100 x 5 = 21000 वर्गमीटर या 2.10 हेक्टेयर।	-	सर्विस लेन के लिए लम्बाई आरडी 0 मीटर से आरडी 2100 मीटर = 2100 मीटर चौड़ाई 4.25 मीटर ड्रेन के दोनों ओर क्षेत्रफल 2 x 2100 x 4.25 = 17850 वर्गमीटर या 1.79 हेक्टेयर।	-	-	-	-	4.94	
												कुल क्षेत्रफल सीडी-VII			**145.58**	

मुंगेश पुर ड्रेन आरडी 15850 मीटर से आरडी 37550 मीटर	21.65	32.69 मीटर से 10.00 मीटर	8.54 मीटर से 18.76 मीटर	1 मीटर से 1.50 मीटर	24.15 मीटर से 1.46 मीटर	(12.70 x 0.50 x 21650/10000) =13.74 हेक्टेयर	-	(2 x 5 x 21650/10000) =21.65 हेक्टेयर	आर डी 21785 मीटर से आर डी 21285 मीटर (500 x 100/10000)=5 हेक्टेयर	-	ढ़लाव के लिए (5 x 15 x 15 /10000) =0.11 हेक्टेयर	-	-	-	40.50	
बाज़ितपुर ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 8049 मीटर	8.05	8.60 मीटर से 12.00	4.47 मीटर	1.00 मीटर	5.83 मीटर	(4.09 x 0.50 x 8050/10000) =1.64 हेक्टेयर	-	(2 x 5 x 8050/10000) =8.05 हेक्टेयर	-	-	ढ़लाव के लिए (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 हेक्टेयर	-	-	-	9.75	
बवाना ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 9561 मीटर	10.83	5.30 मीटर से 12.00 मीटर	4.75 मीटर	0.75 मीटर	0.55 मीटर से 7.25 मीटर	(4.47 x 0.50 x 10830/10000) =2.42 हेक्टेयर	(1.50 x 10830/10000) =1.62 हेक्टेयर	(2 x 5 x 10830/10000) =10.83 हेक्टेयर	-	-	ढ़लाव के लिए (4 x 15 x 15 /10000) = 0.09 हेक्टेयर	-	-	-	14.96	

लाडपुर लिंक ड्रेन आरडी 0 से आरडी 2300 मीटर	2.30	11.00 मीटर	2.92 मीटर	0.30 मीटर	8.08 मीटर	(1.67 x 0.50 x 2300/10000) =0.19 हेक्टेयर	-	(2 x 5 x 2300/10000) =2.30 हेक्टेयर	-	-	-	-	-	-	2.49	
कटेवड़ा लिंक ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 1330 मीटर	1.33	2.50 मीटर	0.60 मीटर	0.80 मीटर	1.90 मीटर	(0.60 x 0.50 x 1330/10000) =0.04 हेक्टेयर	-	(2 x 5 x 1330/10000) =1.33 हेक्टेयर	-	-	-	-	-	-	1.37	
जटखोर लिंक ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 3760 मीटर	3.76	2.75 मीटर से 3.50 मीटर	1.834 मीटर से 2.587 मीटर	0.30 मीटर	0.163 मीटर से 1.66 मीटर	(1.45 x 0.50 x 3760/10000) =0.27 हेक्टेयर	(1.50 x 3760/10000) =0.56 हेक्टेयर	(2 x 5 x 3760/10000) =3.76 हेक्टेयर	-	-	-	-	-	-	4.59	
नांगल ठकरान लिंक ड्रेन रोड 0 मीटर से रोड 900 मीटर	0.90	3.64 मीटर	2.14 मीटर	ड्राई	1.50 मीटर	(1.67 x 0.50 x 900/10000) =0.07 हेक्टेयर	(1.50 x 900/10000) =0.135 हेक्टेयर	(2 x 5 x 900/10000) =0.90 हेक्टेयर	-	-	-	-	-	-	1.11	
मदनपुर ड्रेन आरडी 4100 मीटर से आरडी 8229	4.13	12.50 मीटर	9.02 मीटर	1.00 मीटर	3.48 मीटर	(4.85 x 0.50 x 4130/10000) =1.00 हेक्टेयर	-	(2 x 5 x 4130/10000) =4.13 हेक्टेयर	-	-	ढ़लाव के लिए (3 x 15 x 15 /10000) = 0.06 हेक्टेयर	-	-	-	5.19	

मीटर																
किराड़ी सुलेमान आरडी 4150 से आरडी 7850 मीटर	3.70	7.50 मीटर से 15 मीटर	6.98 मीटर	2.02 मीटर	0.52 मीटर से 8.02 मीटर	(3.66 x 1.0 x 3700/10000) =1.35 हेक्टेयर	-	(2 x 5 x 3700/10000) =3.70 हेक्टेयर	-	-	ढलाव के लिए (5 x 15 x 15 /10000) = 0.11 हेक्टेयर. सभी सेवाओं के लिए (1.50 x 3700/10000) = 0.55 हेक्टेयर. कुल = 0.66 हेक्टेयर	-	-	-	5.71	

सुल्तानपुर ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 9200 मीटर	9.20	4.20 मीटर से 12.60 मीटर	4.57 मीटर	0.75 मीटर	8.03 मीटर	(2.945 x 0.50 x 9200/10000) =1.35 हेक्टेयर	(1.50 x 9200/10000) =1.38 हेक्टेयर	(2 x 5 x 9200/10000) =9.20 हेक्टेयर	-	-	ढलाव के लिए (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 हेक्टेयर	-	-	-	11.99	
रसूलपुर लिंक ड्रेन आरडी 0 मीटर से आरडी 750 मीटर	0.75	6.80 मीटर	3.214 मीटर	0.30 मीटर	3.61 मीटर	(0.91 x 0.50 x 750/10000) =0.03 हेक्टेयर	-	(2 x 5 x 750/10000) =0.75 हेक्टेयर	-	-	-	-	-	-	0.78	
												कुल क्षेत्रफल सीडी-VIII			**98.44**	
मदनपुर ड्रेन (आरडी 0मीटर से आरडी 4100 मीटर)	4.10	14.50 (औसत)	11.50	1.00	3.00	(4100 x 3.00) /10000 = 1.23 हेक्टेयर	(2300 x 5.00) /10000=1.15 हेक्टेयर	(4100 x 2.00 x 5.00) /10000=4.10 हेक्टेयर	आर डी 900 मीटर) (500 x 100/10000)=5 हेक्टेयर	(4100 + 2300) x 4.25 /10000=2.72 हेक्टेयर	ढ़लाव के लिए (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 हेक्टेयर	-	(2 x 15 x 15) /10000= 0.045 हेक्टेयर (आरडी 3700 और आरडी 900)	-	14.31	

किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन (आरडी 0मीटर से आरडी 4100मीटर)	4.10	15.00मी से 24.00मी	(क) 9.00 मीटर से 11.00 मीटर (ख) 5.30 मीटर आरसीसी ट्रफ सेक्शन		(क) 6.00 मीटर से 13.00 मीटर (ख) 9.70 मीटर से 19.70 मीटर	(2400 x 5.00) /10000 = 1.20 हेक्टेयर	(1150 x 5.00) /10000=0.60 हेक्टेयर	(4100 + 2400) x 5.00 /10000=3.25 हेक्टेयर	आर डी 2900 मीटर) (500 x 100/10000)=5 हेक्टेयर	(4100+ 2700) x 4.25 /10000=2.89 हेक्टेयर	ढलाव के लिए (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 हेक्टेयर	-	(2 x 15 x 15) /10000= 0.045 हेक्टेयर (आरडी 1400 और आरडी 1722)	-	13.05	
(आरडी 0मीटर से आरडी 1722मीटर)	1.72			1.40												
(आरडी 1722मीटर से आरडी 3700मीटर)	1.98			1.80												
(आरडी 3700मीटर से आरडी 4100मीटर)	0.40			1.40												

मुंडका पेरिफेरल ड्रेन (आरडी 0मीटर से आरडी 2345मीटर)	2.35	2.50	2.00	1.50	0.50	-	(2350 x 5.00) /10000=1.175 हेक्टेयर	(2350 x 2.00 x 5.00) /10000=2.35 हेक्टेयर	-	(2350+ x 4.25 x 2.00 /10000 =2.00 हेक्टेयर	-	-	(1 x 15 x 15) /10000= 0.023 हेक्टेयर (आरडी 850)	-	5.55	
रणहोला तालाब ड्रेन (आरडी 0 मीटर से आरडी 1160 मीटर)	1.16	1.20	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

एफसी-III																
सप्लीमेंट्री ड्रेन आरडी 16436 मीटर से आरडी 22471 मीटर	6.04	55.00	50.00	3.66	5	--	9.00	12.00	3	6.00	6	-	-	-	36.00	
नजफगढ़ ड्रेन, आरडी 45316 मीटर से आरडी 57140मीटर	11.82	70.00	45.00	5.50	25.00	--	18	24	3	12	12	-	-	-	69.00	
सप्लीमेंट्री ड्रेन आरडी 0 से आरडी 16436 मीटर तक	16.44	आरडी 0 मीटर से आरडी 8800 मीटर =152.40	61.40	3.66	आरडी 0 मीटर से आरडी 8800 मीटर = 91.00 मीटर	-	-	-	-	-	9 हेक्टेयर.	-	-	-	9	
		आरडी 8800 मीटर से आरडी 9400 मीटर = 113.00 मीटर			आरडी 8800 मीटर से आरडी 9400 मीटर = 51.60 मीटर	-	-	-	-	-		-	-	-		

		आरडी 9400 मीटर से आरडी 16436 मीटर = 123.10 मीटर			आरडी 9400 मीटर से आरडी 16436 मीटर = 61.70 मीटर	-	-	-	-	-		-	-	-		
सप्लीमेंट्री ड्रेन, सीडी-XI																
आरडी 22471मी से आरडी 25075मी	2.604	68.30	46.27		22.03	-	4	5	-	3	3	-	-	-	15	
आरडी 25075 मीटर से आरडी 26060 मीटर	0.985	103.00	48.72		54.28	-	-	-	-	-	1				1	
आरडी 26060 मी से आरडी 28080 मी	2.020	125.00	48.72	3.66	76.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
आरडी 28080 मी से आरडी 31300 मी	3.220	84.67	48.72		35.95		4.5	3	-	3	3				13.5	
आरडी 31300 मीटर से आरडी 34500	3.200	118.00	48.72		69.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

मीटर																
													कुल		143.50 हे.	
													कुल क्षेत्रफल एफसी-III		143.50	
एफसी-IV																

नजफगढ़ ड्रेन, सीडी-I-45316मी	45.31	आरडी. 0 मीटर से 17905 मीटर-200 मीटर से 325 मीटर आरडी. 17905 मीटर से 20180 मीटर-150 मीटर से 200 मीटर आरडी. 20180 मीटर से 22435 मीटर-250 मीटर से 300 मीटरआरडी. 22435 मीटर से 28180 मीटर – 200 मीटर से 250 मीटर आरडी. 28180 मीटर से	आरडी. 0 मीटर से 6000 मीटर-126.68 मीटर आरडी. 6000 मीटर से 12000 मीटर-झील का हिस्सा आरडी. 12000 मीटर से 17905 मीटर-110.00 मीटर आरडी. 17905 मीटर से 30180 मीटर - 120.00 मीटर आरडी. 30180 मीटर से 45316 मीटर - 98.00 मीटर	– – 4.90	– – 135.82 95.00 117.00	– 12000x30 x2= 720000 वर्गमीटर 5905x55= 324775 वर्गमीटर12275x30x2= 736500 वर्गमीटर 15136x30 x2= 908160 वर्गमीटर कुल 2689435 वर्गमीटर	– 12000x12x2= 288000 वर्गमीटर 5905x12x2=141720 वर्गमीटर12275x12 x2=294600 वर्गमीटर 15136x12x2= 363264 वर्गमीटर कुल 1087584 वर्गमीटर	– 12000x25x2= 600000 वर्गमीटर 5905x25 x2= 295250 वर्गमीटर12275x25 x2=613750 वर्गमीटर 15136x25x2= 756800 वर्गमीटर कुल 2265800 वर्गमीटर	– {45000} वर्गमीटर	– 12000x15x2 = 360000 वर्गमीटर 5905X15x2 = 177150 वर्गमीटर12275X15x2= 368250 वर्गमीटर 15136X15x2= 454080 वर्गमीटर कुल 1359480 वर्गमीटर	– 12000 x10x2 = 240000 वर्गमीटर 5905x 10x2 =118100 वर्गमीटर 12275 x10x2 = 245500 वर्गमीटर 15136 x10x2 = 302720 वर्गमीटर कुल 906320 वर्गमीटर	– 3000/2100 वर्गमीटर 1475/1033 वर्गमीटर 3068/2148 वर्गमीटर 3782/2648 वर्गमीटर 19254 वर्गमीटर	– 2000 वर्गमीटर 2000 वर्गमीटर 2000 वर्गमीटर2000 वर्गमीटर 2000 वर्गमीटर कुल 8000 वर्गमीटर	– – – – –	838.07	

		30180 मीटर – 250 मीटर से 300 मीटर आरडी. 30180 मीटर से 31880 मीटर – 180 मीटर से 250 मीटर आरडी. 31880 मीटर से 34350 मीटर – 150 मीटर से 175 मीटर आरडी. 34350 मीटर से 37180 मीटर - 150मीटर से 200 मीटर आरडी.														

		37180 मीटर से 38960 मीटर – 200 मीटर से 225 मीटर आरडी. 38960 मीटर से 40680 मीटर – 180 मीटर से 200 मीटर आरडी. 40680 मीटर से 42930 मीटर – 180 मीटर से 220 मीटर आरडी. 42930 मीटर से 44800 मीटर – 250 मीटर से 300														

		मीटर आरडी. 44800 मीटर से 45316 मीटर – 200 मीटर से 250 मीटर														

पालम ड्रेन	4.20	37.00	18 से 10.34	2.50	22.83	–	4200x12x2 =100800 वर्गमीटर	4200x25 x2= 210000 वर्गमीटर दोनों तरफ	5000 वर्गमीटर	4200x15x 2= 126000 वर्गमीटर	4200x5 x2= 42000 वर्गमीटर	1050/ 735 वर्ग मीटर	2000 वर्गमीटर	–	48.75	
पालम लिंक ड्रेन	1.47	10.00 (लगभग)	4.50 से 2.25	1.30	6.62	1470x10x 2 = 29400 वर्गमीटर	1470x12x2 = 35288 वर्गमीटर दोनों तरफ	1470x5x 2 = 14700 वर्गमीटर	2000 वर्गमीटर	1470x7.50 x2= 22050 वर्गमीटर	1470x5 x2= 14700 वर्गमीटर	368/ 257	2000 वर्गमीटर	–	12.08	
नजफ़गढ़ पॉण्ड ड्रेन	1.95	17.00 (लगभग)	4.50	0.95	12.50	1950x10x 2 = 39000 वर्गमीटर	1950x12x2 = 46800 वर्गमीटर	1950x5x 2= 19500 वर्गमीटर	2000 वर्गमीटर	1950x7.50 x2= 29250 वर्गमीटर	1950x5 x2= 19500 वर्गमीटर	488/ 340	–	–	15.69	
नसीरपुर लिंक ड्रेन	2.90	12.00 (लगभग)	6.50	2.10	5.50	2900x10x 2= 58000 वर्गमीटर	2900x12x2 =69600 वर्गमीटर दोनों तरफ	2900x5x 2= 29000 वर्गमीटर	3000 वर्गमीटर	2900x7.50 x2= 43500 वर्गमीटर	2900x5 x2= 29000 वर्गमीटर	725/ 508	2000 वर्गमीटर	–	23.53	
बिजवासन ड्रेन	4.20	20.00 से 30.00	4.00	0.91	21.00	4200x10x 2 = 84000 वर्गमीटर	4200x12x2 =100800 वर्गमीटर दोनों तरफ	4200x5x 2= 42000 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर	4200x7.50 x2= 63000 वर्गमीटर	4200x5 x2= 42000 वर्गमीटर	1050/ 735	2000 वर्गमीटर	–	34.06	

पंखा रोड ड्रेन	3.60	19.60 से 24.00	8.00	2.30	13.80	3600x10x2 = 72000 वर्गमीटर	3600x12x2 = 86400 वर्गमीटर दोनों तरफ	3600x25 x2= 180000 वर्गमीटर	4000 वर्गमीटर	3600x7.5 x2= 54000 वर्गमीटर	3600x5 x2= 36000 वर्गमीटर	900/ 630	2000 वर्गमीटर	–	43.59	
शाहबाद मोहम्मद पुर ड्रेन	0.23	14.50	2.35	1.22	12.15	–	225x12x2= 5400 वर्गमीटर दोनों तरफ	225x5x2 =2250 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर	225x7.50 x2=3375 वर्गमीटर	225x5x 2=2250 वर्गमीटर	57/40	2000 वर्गमीटर	–	1.64	
मुधेला ड्रेन सीडी-I- 6920मी,	6.95	16.50	5.00	1.52	11.50	6950x10x 2= 139000 वर्गमीटर	–	6950x5x 2 = 69500 वर्गमीटर	2000 वर्गमीटर	6950x7.50 x2 = 104250 वर्गमीटर	6950x5 x2 = 69500 वर्गमीटर	1740/ 1200	–	–	38.72	
													कुल सीडी-I		1056.13	
अली ड्रेन	2.78	40.45	35.00	4.00	5.00	--	2780X12X 2= 66720 वर्गमीटर (6.67 हेक्टेयर)	2780X10 X2 = 55600 वर्गमीटर (5.56 हेक्टेयर)	2000 वर्गमीटर (0.2 हेक्टेयर)	--	2780X5 X2= 2780 वर्गमीटर (2.78 हेक्टेयर)	500 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर (0.085 हेक्टेयर)	500 वर्ग मीटर (0.05 हेक्टेयर)	--	15.345	

असोला ड्रेन	3.39	5.00 मीटर (औसत)	2 से 5	औसत गहराई 3.00	2 से 5	5470X4 = 21880 वर्गमीटर (2.19 हेक्टेयर)	5470X12X 2=131280 वर्गमीटर (13.13 हेक्टेयर)	5470X10 X2= 109400 वर्गमीटर (27.35 हेक्टेयर)	2000 वर्गमीटर (0.2 हेक्टेयर)	5470X7= 38290 वर्गमीटर (3.8 हेक्टेयर)	5470X5 X2= 54700 वर्गमीटर (5.47) हेक्टेयर	500 वर्गमीटर और 300 वर्गमीटर (0.085 हेक्टेयर)	2000 वर्ग मीटर (0.2 हेक्टेयर)		52.425	
मोलर बंध एक्सटेंशन ड्रेन	1.38	0 से 615 - 2.25	615 से 1335 - 2.25	1.50 से 2.25 मीटर	शून्य	--	1380X12X 2=33120 वर्गमीटर (3.31 हेक्टेयर)	1380X10 X2= 27600 वर्गमीटर (2.76 हेक्टेयर)	2000 वर्गमीटर (0.2 हेक्टेयर)	1380X7 = 9660 वर्गमीटर (0.97 हेक्टेयर)	1380X5 X2 = 1380 वर्गमीटर (1.38 हेक्टेयर)	500 वर्गमीटर और 300 वर्गमीटर (0.085 हेक्टेयर)	2000 वर्ग मीटर (0.2 हेक्टेयर)	--	8.905	
सरिता विहार ड्रेन	1.30	20.00	15.00	2.50	5.00	--	1300X12X 2= 31200 वर्गमीटर (3.12 हेक्टेयर)	1300X10 X2=2600 वर्गमीटर (2.6 हेक्टेयर)	2000 वर्गमीटर (0.2 हेक्टेयर)	1300X7= 9100 वर्ग मीटर (0.91 हेक्टेयर)	1300X5 X2= 13000 वर्गमीटर (1.30 हेक्टेयर)	500 वर्गमीटर और 300 वर्गमीटर (0.085 हेक्टेयर)	2000 वर्गमीटर (0.2 हेक्टेयर)	-	8.415	
													कुल सीडी-V		85.09	

मुंगेश पुर ड्रेन सीडी-XIII-10362 मी.	10.3620 मी. से 1575 मी. = 1575 मी. से आरडी. 6600 मी.आरडी. 6600 मी. से 10362 मी.	137 54 66	29.02 29.02 29.02	3.32	107.98 24.98 36.98	10362x 30x2 = 621720.00 वर्गमीटर अथवा 62.17 हेक्टेयर	10362x50x2 =1036200 वर्गमीटर अथवा 103.62 हेक्टेयर	10362x2 5x2= 518100.00 वर्गमीटर अथवा 51.81 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	10362x20x 2 = 414480.00 वर्गमीटर अथवा 41.45 हेक्टेयर	-	2 हेक्टेयर	0.80 हेक्टेयर		= 263.85 - 82.21 (उपलब्ध भूमि)= 181.64	
भूपानिया चुडानिया ड्रेन (हरियाणा भाग सहित)	8.55 आरडी 0 मी. से 2736 मी.आरडी. 6280 मी से 8550 मी.आरडी. 2736 मी. से 6280 मी. (हरियाणा राज्य)	90 65 22	22 22 अ-सीमांकन भाग	3.05	6843-	8550x30x 2 = 513000 वर्गमीटर अथवा 51.30 हेक्टेयर	8550x50x2 =855000 वर्गमीटर अथवा 85.50 हेक्टेयर	8550x25 x2= 427500 वर्गमीटर अथवा 42.75 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	8550x20x 2 = 342000 वर्गमीटर अथवा 34.20 हेक्टेयर	-	2 हेक्टेयर	0.80 हेक्टेयर		= 218.55 - 47.18 उपलब्ध भूमि = 171.37	
मुधेला ड्रेन सीडी-XIII-6950 से 12550 मी. तक	5.60	17.6	6.57	0.91	11.3	5600x15x 2 = 168000 वर्गमीटर अथवा 16.80 हेक्टेयर	5600x20x2 = 224000 वर्गमीटर अथवा 22.40 हेक्टेयर	5600x25 x2= 280000 वर्गमीटर अथवा 28.00 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	5600x20x 2 = 242000 वर्गमीटर अथवा 22.40 हेक्टेयर	-	0.40 हेक्टेयर	0.40 हेक्टेयर		92.40-9.86 उपलब्ध भूमि = 82.54	

नांगली सकरावती लिंक ड्रेन, सीडी-XIII-आरडी -0 मी. से 385 मी. = 385 मी., सीडी-XIII-आरडी-1712 मी. से 2262 मी. = 550 मी.	0.93 आरडी 0 मी. से 385 आरडी. 1712 मी. से आरडी.2262 मी.	1.80 1.20	1.80 1.20	1.50	00	930x5x1 = 4650 वर्गमीटर अथवा 0.47 हेक्टेयर	930x5x1 = 4650 वर्गमीटर अथवा 0.47 हेक्टेयर	-	-	930x20x1 = 18600 वर्गमीटर अथवा 1.86 हेक्टेयर	-	0.40 हेक्टेयर	0.40 हेक्टेयर		= 3.6 - 0.14 उपलब्ध भूमि = 3.46	
														कुल सीडी-XIII	439.01	
														कुल अनुमानित भूमि क्षेत्रफल एफसी-IV	1580.23	
														कुल क्षेत्रफल (एफसी-I + एफसी-II + एफसी-III + एफसी-IV)	**2252.10**	

अनुलग्नक 19बी-iii: बहिस्राव (एफ्लुएंट) जल सिंचाई प्रणाली का विवरण

I. केशोपुर बहिस्राव वॉटर सिंचाई प्रणाली (केईआईएस)

सिविल डिवीज़न संख्या XII के अंतर्गत सिंचाई नेटवर्क, जिसे केशोपुर बहिस्राव (एफ्लुएंट) जल सिंचाई प्रणाली (केईआईएस) के नाम से भी जाना जाता है, में सिंचाई चैनल और माइनर एवं फीडर चैनल शामिल हैं, जो कुल 30.40 किमी की लंबाई में फैले हुए हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड के केशोपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित बहिस्राव (एफ्लुएंट) जल लेते हैं इसके बाद, पूरे वर्ष पम्पिंग के माध्यम से इसे केशोपुर पंप हाउस और तिलंगपुर कोटला पंप हाउस से दिल्ली के पश्चिमी ज़िले के निलोठी, रणहोला, मुंडका, तिलंगपुर कोटला, बापरोला, बक्करवाला, दिचाऊँकलां, हिरणकूदना और नीलवाल गांवों में खेती की ज़मीन पर सिंचाई के लिए सप्लाई किया जाता है। कुल सिंचित एरिया लगभग 1630 एकड़ है। सिंचाई चैनलों और माइनर्स के साथ-साथ लगभग 20.00 किमी लंबे निरीक्षण पथ वाला एक रोड नेटवर्क भी है, जिससे सिंचाई नेटवर्क पर नज़र रखने, रोज़ाना रिपेयर मेंटेनेंस इत्यादि में आसानी होती है। इसका उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा दैनिक आवागमन के लिए भी किया जा रहा है। 180 क्यूसेक पानी उक्त सिंचाई नेटवर्क सिस्टम से भेजा और वितरित किया जाता है ताकि खेती की ज़मीन की सिंचाई हो सके।

II. बुराड़ी में कोरोनेशन बहिस्राव (एफ्लुएंट) जल सिचांई प्रणाली (सीटीपी)

सिविल डिवीजन संख्या VII के अंतर्गत सिंचाई नेटवर्क, जिसे बुराड़ी क्षेत्र के लिए बहिस्राव (एफ्लुएंट) जल सिंचाई प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, में सिंचाई चैनल और माइनर एवं फीडर चैनल शामिल हैं, जो कुल 17.37 किलोमीटर लंबाई में फैले हैं, जिनके माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के कोरोनेशन पार्क के पास, डीजेबी के कोरोनेशन पिलर सीवेज ट्रीटमेंट फेज- I और II (20 एमजीडी), फेज- III (10 एमजीडी) से लिए बहिस्राव (एफ्लुएंट) शोधित जल लिया जाता है, इसके बाद इसे बुराड़ी स्थित पंप हाउस के माध्यम से वर्ष भर पम्पिंग द्वारा दिल्ली के पश्चिमी जिले बुराड़ी, झाड़ौदा, भलस्वा, मुकुंदपुर, कादीपुर, इब्राहिमपुर गांवों में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सप्लाई किया जाता है। कुल सिंचित एरिया लगभग 325 एकड़ है। सिंचाई चैनलों और माइनर्स के साथ-साथ लगभग 17.37 किमी लंबे निरीक्षण पथ वाला एक रोड नेटवर्क भी है, जिससे सिंचाई नेटवर्क पर नज़र रखने, रोज़ाना रिपेयर मेंटेनेंस इत्यादि में आसानी होती है। इसका उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा दैनिक आवागमन के लिए भी किया जा रहा है। 20 क्यूसेक पानी ऊपर दिए गए सिंचाई नेटवर्क सिस्टम से भेजा और वितरित किया जाता है जिससे खेती की भूमि की सिंचाई हो सके।

III. ओखला बहिस्राव (एफ्लुएंट) सिंचाई प्रणाली

सिविल डिवीज़न संख्या V के तहत सिंचाई नेटवर्क, जिसे ओखला बहिस्राव (एफ्लुएंट) जल सिंचाई प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, वह 05.00 किमी में फैला सिंचाई चैनल है इसके माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिए बहिस्राव (एफ्लुएंट) शोधित जल लिया जाता है, और फिर इसे दिल्ली के साउथ-ईस्ट ज़िले के अली, मदनपुर खादर और जैतपुर गाँवों में सिंचाई के लिए सप्लाई किया जाता है। कुल सिंचित एरिया लगभग 500 एकड़ है। सिंचाई चैनलों और माइनर्स के साथ-साथ निरीक्षण

पथ वाला एक रोड नेटवर्क भी है, जिससे सिंचाई नेटवर्क पर नज़र रखने, रोज़ाना रिपेयर मेंटेनेंस इत्यादि में आसानी होती है, तथा इसका उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा दैनिक आवागमन के लिए भी किया जाता है। 20 क्यूसेक पानी ऊपर दिए गए सिंचाई नेटवर्क सिस्टम के ज़रिए पहुँचाया और बाँटा जाता है ताकि उक्त खेती की ज़मीन की सिंचाई हो सके।

निष्कर्ष:

दिल्ली क्षेत्र में तेज़ी से शहरीकरण होने के कारण से, दिल्ली में कृषि भूमि का क्षेत्र कम हो रहा है, इसलिए ऊपर बताए गए बहिस्राव (एफ्लुएंट) सिंचाई प्रणालियों के पुनर्निर्माण/विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

बहिस्राव (एफ्लुएंट) सिंचाई प्रणालियों की प्रमुख योजना

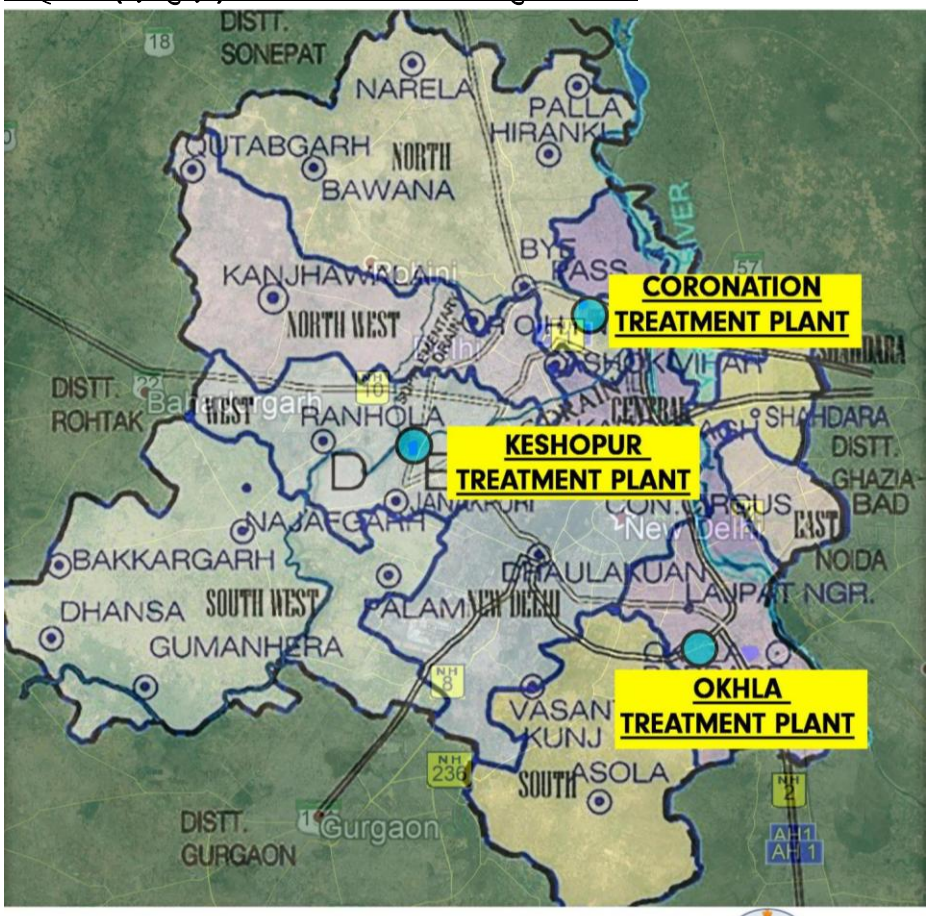

I&FC Deptt. Govt. of NCT of Delhi

3. सर्विस प्लान – दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)

दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हेतु परिप्रेक्ष्य योजना – 2041

एजेंसी: दिल्ली छावनी बोर्ड

1. पृष्ठभूमि - दिल्ली छावनी बोर्ड

दिल्ली छावनी का प्रशासन एक बोर्ड के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें 16 सदस्य होते हैं, जिनमें से 08 मनोनीत/पदेन सदस्य होते हैं और 08 सदस्य सिविल और सैन्य क्षेत्र में रहने वाली जनता द्वारा चुने जाते हैं। छावनी में सिविल और सैन्य आबादी अलग-अलग क्षेत्रों में रहती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में दोनों क्षेत्रों की ज़रूरतें और चुनौतियाँ एक-दूसरे से भिन्न हैं।

दिल्ली छावनी बोर्ड के बारे में बुनियादी जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम.सं.	मद	विवरण
1	स्थापना वर्ष	1914
2	कुल क्षेत्रफल	10452 एकड़
3	कुल जनसंख्या (जनगणना 2011)	1,10,351
4	वार्डों की संख्या	08
5	व्यावसायिक क्षेत्र	02
6	शहरी गाँव	06
7	स्कूल	16
8	स्लम	02
9	सड़कों की लंबाई	50.60 कि.मी.
10	अस्पताल/औषधालय	04
11	पार्क	17

2. दिल्ली छावनी बोर्ड में सॉलिड वेस्ट उत्पादन

1 सॉलिड वेस्ट उत्पादन- वर्तमान स्थिति

क्रम.सं.	मद	विवरण	
1	प्रतिदिन उत्पन्न कुल सॉलिड वेस्ट	68 एमटी	
2	सिविल एरिया से प्रतिदिन उत्पन्न वेस्ट	23 एमटी	12 एमटी ड्राई वेस्ट
			11 एमटी वेट वेस्ट
3	आर्मी एरिया से प्रतिदिन उत्पन्न वेस्ट	45 एमटी	24 एमटी ड्राई वेस्ट
			21 एमटी वेट वेस्ट
4	ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन प्रोसेस किया जाने वाला कुल सूखा वेस्ट	30 एमटी	
5	ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन प्रोसेस किया जाने वाला गीला वेस्ट।	07 एमटी	
6	ओखला में लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन डाला जाने वाला वेस्ट	31 एमटी	

सिविल एरिया - वर्तमान स्थिति

1. घरेलू वेस्ट को स्रोत पर ही गीले और सूखे हिस्सों में अलग किया जाता है। अब तक लगभग 95% वेस्ट स्रोत पर ही अलग किया जाता है।
2. सिविल एरिया से इकट्ठा किया गया सारा वेस्ट विभिन्न वेस्ट ट्रांसफर सेंटर (डब्ल्यूटीसी) में भेजा जाता है।
3. सभी डब्ल्यूटीसी को ड्राई और वेट वेस्ट को अलग-अलग हिस्सों में अस्थायी भंडारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
4. डब्ल्यूटीसी में जमा हुए वेस्ट में से रिसाइकिल होने वाली चीज़ें उठाने के लिए रैग पिकर्स को सिस्टम में शामिल किया गया है।

2 स्रोत पर सेगरीगेशन के लिए कार्य योजना – म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट

सिविल एरिया	आर्मी एरिया
अनुमान है कि 2041 तक सिविल एरिया से प्रतिदिन 37 एमटी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलने की संभावना है। बोर्ड के सामने चुनौती सिविल एरिया में स्रोत सेगरीगेशन का लेवल	आर्मी एरिया की आबादी में ज़्यादातर आर्मी के जवान हैं। इसलिए, यह अनुमान है कि आज जेनरेट होने वाले नगर निगम सॉलिड वेस्ट की मात्रा और 2041 में जेनरेट होने वाले वेस्ट की

	बनाए रखना है। इसके लिए, नियमित रूप से निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है: क. घर-घर जाकर वेस्ट इकट्ठा करने वाले वाहन के साथ दो सैनिटरी गाइड होते हैं, वे अनाउंसमेंट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सिर्फ़ अलग किया हुआ वेस्ट ही इकट्ठा किया जाए। ख. जो लोग अलग किया हुआ वेस्ट नहीं दे रहे हैं, उन पर नज़र रखने के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है। बार-बार ऐसा करने वालों को दिल्ली छावनी बोर्ड के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। ग. निवासियों के साथ नियमित बातचीत और नुक्कड़ नाटक, मोहल्ला बैठक आदि के रुप में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि निवासियों को स्रोत सेगरीगेशन के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जा सके। घ. रैग पिकर्स/सफाईवालों को मासिक आधार पर सेगरीगेशन के स्तर में सुधार लाने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रैग पिकर्स को अलग-अलग आई-कार्ड जारी किए गए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक सिस्टम में शामिल किया गया है।	मात्रा में कोई अंतर नहीं होगा। क. ट्रांज़िट कैंप, ऑफ़िसर मेस, सेना इकाइयों और संस्थानों के सामुदायिक रसोईघरों में उत्पन्न खाद्य वेस्ट से ऑन-साइट खाद बनाने के लिए एक प्रणाली पर काम किया जा रहा है। ख. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि सेना के अधिकारियों से डी-सेंट्रलाइज़्ड कंपोजिटिंग मशीनें स्थापित करने के लिए कहा जाएगा। इस कदम से स्रोत पर सेगरीगेशन की समस्या काफी कम हो जाएगी, जिससे ओखला में लैंडफिल साइट पर ले जाए जाने वाले नॉन-रीसाइकिलेबल वेस्ट की मात्रा कम हो जाएगी। ग. यह निर्णय लिया गया है कि स्टेशन मुख्यालय और दिल्ली छावनी बोर्ड, आर्मी एरिया में मौजूद आरडब्ल्यूएएस को अपने कंपाउंड में ही गीले वेस्ट को अलग करने और प्रोसेस करने के लिए जागरूक करेंगे।
3	**म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट संग्रहण**	
	सिविल एरिया	**आर्मी एरिया**
	सिविल एरिया के लिए, घर-घर में अलग किए गए सूखे और गीले वेस्ट को इकट्ठा करने हेतु 14 गाड़ियां लगाई गई हैं। इन गाड़ियों को सॉलिड वेस्ट को अलग करके ले जाने के लिए सही तरीके से मॉडिफाई किया गया है। डोर-टू-डोर कलेक्शन की कुछ खास बातें नीचे दी गई हैं: क. सभी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाया गया है। ख. वेस्ट सेगरीगेशन के विशेष संदेश को	आर्मी एरिया के लिए, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करने के लिए 27 वाहन लगाए गए हैं। सूखे और गीले वेस्ट के लिए अलग-अलग बिन प्रदान किए गए हैं। आर्मी एरिया से इकट्ठा किया गया वेस्ट सीधे ओखला में प्रोसेसिंग प्लांट और लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है।

	घोषणा प्रणाली में शामिल किया गया है। ग. स्रोत पर अलग-अलग वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए कर्मचारियों को वार्डवार तैनात किया गया है। घ. दिल्ली छावनी बोर्ड की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं।	

3. प्रबंधन रणनीति

3.1 सॉर्टिंग और मटीरियल रिकवरी सुविधा का विवरण

दिल्ली छावनी बोर्ड के इलाके में ड्राई और वेट वेस्ट को अलग-अलग रखने की सुविधा वाले ग्यारह सेकेंडरी स्टोरेज पॉइंट हैं। इनमें से, टिगरिस रोड पर एक सेकेंडरी स्टोरेज पॉइंट को सॉर्टिंग और मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में बदल दिया गया है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 30 एमटी वेस्ट निपटाने की है। इसके अतिरिक्त, टिगरिस रोड पर जमा वेस्ट से रिसाइकिल होने वाली चीज़ें उठाने के लिए रैग पिकर को सिस्टम में शामिल किया गया है। तद्नुसार, 2041 में होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो और मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाई जाएंगी।

3.2 सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग का विवरण

संग्रह के बाद सारा वेस्ट, वेस्ट स्थानांतरण केंद्र ले जाया जाता है, जहाँ से रीसाइकल होने वाला वेस्ट निकाला जाता है। इसलिए, सॉलिड वेस्ट को संबंधित गाड़ियों से ओखला ले जाया जाता है। औसतन, लगभग 30 एमटी सूखे वेस्ट और 7 एमटी गीले वेस्ट को क्रमशः एक वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट में निपटान किया जाता है। ओखला में वेस्ट की प्रोसेसिंग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्रबंधन के तहत की जाती है। ओखला में लैंडफिल साइट पर सिर्फ़ 31 एमटी सॉलिड वेस्ट डाला जा रहा है। दिल्ली छावनी में उत्पन्न होने वाले सॉलिड वेस्ट का 100% या तो संसाधित किया जाता है या दैनिक आधार पर लैंडफिल साइट पर डाला जाता है।

मार्केट एरिया से उत्पन्न खाद्य वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए विशेष रूप से एक पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी कुल क्षमता 175 कि.ग्रा. है, पिछले 2 वर्षों से टिगरिस रोड पर डब्ल्यूटीसी में पूरी तरह से फंक्शनल है।

यह भी प्रस्तावित है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में उत्पन्न गीले वेस्ट को संभालने के लिए 4 साल के अंदर अलग-अलग जगहों पर 10 एमटी की क्षमता वाली 4 से 5 सॉर्टिंग-कम-कंपोज़िटिंग मशीनें लगाई जाएंगी।

3.3 प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन का विवरण

50-माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। सहायक स्वच्छता निरीक्षक मार्केट एरिया में नियमित जाँच करते हैं और यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो जुर्माना भी लगाते हैं।

प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक चम्मच, डिस्पोजेबल प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक प्लेट आदि जैसे नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की विशिष्ट वस्तुओं को पहचानने और उनके स्थान पर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं के उपयोग के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वस्तुओं को बदलने के ये तरीके गोपीनाथ बाज़ार में सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं और समिति व्यावसायिक क्षेत्रों में जाकर यह सुनिश्चित करती है कि लोगों और दुकानदारों को इस तरह की आदत हो जाए।

टिगरिस रोड पर वेस्ट ट्रांसफर सेंटर में प्लास्टिक और पॉलीथीन वेस्ट सामग्री की गांठें बनाने के लिए एक बेलिंग मशीन स्थापित की गई है, ताकि वेस्ट बीनने वालों के लिए कूड़े को संभालना/निपटाना आसान हो सके।

3.4 उद्यान वेस्ट के प्रबंधन का विवरण

छावनी क्षेत्र में अलग-अलग आकार के कुल 17 पार्कों का रख-रखाव किया जा रहा है। सभी पार्कों में उद्यान का वेस्ट इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं।

उद्यान के वेस्ट को सबसे पास की श्रेडिंग मशीन तक ले जाया जाता है, जिनमें से चार को छावनी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। कटे हुए उद्यान के वेस्ट को प्राकृतिक प्रक्रिया से खाद में बदला जाता है, और उचित मात्रा में ईवीएम का छिड़काव भी किया जाता है। इससे बनी खाद का उपयोग इसकी भौगोलिक सीमाओं के भीतर किया जा रहा है।

3.5 कंस्ट्रक्शन एण्ड डेमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट के प्रबंधन का विवरण

क) दिल्ली छावनी परिसर में दैनिक औसतन 1.0 एमटी तक सी एंड डी वेस्ट उत्पन्न होता है।

ख) सी एंड डी वेस्ट के लिए झरेड़ा गांव में एक केंद्रीय भंडारण सुविधा बनाई गई है, ताकि इसे आगे निपटाने से पहले अस्थायी रूप से रखा जा सके।

ग) सी एंड डी वेस्ट को केंद्रीय भंडारण सुविधा से ईडीएमसी के प्रबंधन में, आईएलएंडएफएस द्वारा शास्त्री पार्क में बनी भंडारण सुविधा तक ले जाया जाता है।

घ) दिल्ली छावनी बोर्ड और सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं (एमईएस) के अंतर्गत काम करने वाले सभी ठेकेदारों को सी एंड डी वेस्ट के निपटान के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

ङ) अनधिकृत स्थलों पर डंपिंग रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है।

च) डिफॉल्टरों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

4. सुधार के लिए दक्षता, प्रणाली के लक्ष्य और समय-सीमा तथा अन्य पहलुओं का एमएसडब्ल्यूएम

4.1 चरणबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए सुविधाओं की स्थापना। 'जीरो वेस्ट' पर्यावरण प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के साथ मिश्रित वेस्ट को संभालने में सक्षम, 'सॉर्टिंग-कम-कंपोस्टिंग' प्रौद्योगिकी-आधारित प्रोसेसिंग मशीनें स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। पहले चरण में, 20 एमटी क्षमता की मशीन 15 दिसंबर, 2021 तक स्थापित की जाएगी और मशीन के प्रदर्शन और सततता का मूल्यांकन करने के बाद, दिल्ली छावनी के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक क्षमता की शेष मशीनों को स्थापित किया जाएगा ताकि नागरिक और सेना दोनों क्षेत्रों की वेस्ट प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

4.2 प्रौद्योगिकी का मुख्य विवरण और इसके लाभ निम्नानुसार हैं:

क) स्रोत पर वेस्ट को अलग करने की आवश्यकता को कम किया जा सकता है क्योंकि मशीनें अलग-अलग और मिश्रित वेस्ट दोनों को संसाधित कर सकती हैं।

ख) दैनिक वेस्ट के सेगरीगेशन और विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग के संबंध में माननीय एनजीटी/न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

ग) सॉर्टिंग सह कम्पोस्टिंग तकनीक बड़े पैमाने पर कमी में उच्च दक्षता प्रदान करती है और प्रति टन वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए सबसे कम सीएपीईएक्स पर उपलब्ध है।

4.3. उपरोक्त तकनीक को अपनाने से, मशीन द्वारा सेगरीगेशन के बाद, पूरे गीले वेस्ट को खाद में बदलने की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग दिल्ली छावनी क्षेत्र में मौजूदा हरित बेल्ट और पार्कों में आसानी से किया जा सकता है। इनपुट वेस्ट का नॉन-बायोडिग्रेडेबल घटक जो एससीएफ (पृथक ज्वलनशील अंश) के रूप में निकलेगा, उसे संघनन के बाद पास के सीमेंट संयंत्रों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। निष्क्रिय घटक को निर्माण और डिमोलिशन प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार नियमित सी और डी वेस्ट के साथ उपचारित किया जाएगा। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप दिल्ली छावनी में 'जीरो वेस्ट परिदृश्य' होगा।

4.4. समय-सीमा:

क) पैरा 4 में दी गई परियोजना की 20 एमटी क्षमता के लिए चरण-1 को दिसंबर, 2021 तक पूरा करने की उम्मीद थी और शेष मशीनों को 31 मार्च, 2022 तक स्थापित किया जाना था।

ख) स्रोत स्तर पर वेस्ट उत्पादन को कम करने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

ग) स्वच्छता और सफाई के विचारों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार स्वच्छता कर्मियों के लिए कार्यशालाओं/लेक्चरों का आयोजन करना।

घ) जीएनसीटीडी/डीपीसीसी द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रोसेसिंग संयंत्रों में खतरनाक एमएसडब्ल्यू को ले जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह, ई-वेस्ट को ईको पार्क को सौंपने की योजना है, जिसे अगले दो वर्षों में जीएनसीटीडी द्वारा स्थापित किए जाने की संभावना है।

5. रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और रिसाइकल्ड एवं अपसाइकल्ड उत्पादों के लिए बाज़ार को बढ़ावा देने की योजनाओं के बारे में जानकारी

क) घरेलू वेस्ट से मूल्यवान वस्तुओं को अलग करने की आवश्यकता के अनुसार सामग्री पुनः-प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) की स्थापना। इस प्रकार की रीसाइकल की गई सामग्री का उपयोग सीधे या पुनर्संसाधन के बाद किया जा सकता है।

ख) एमआरएफ केंद्रों के माध्यम से फर्नीचर, घरेलू उपकरण आदि जैसे थोक वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए अभियान आयोजित करना। आम जनता को एमआरएफ में ऐसे वेस्ट को जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ग) वेस्ट से अलग की गई रिसाइकिल होने योग्य सामग्री जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी, कपड़े आदि को रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकलर्स को दिया जाएगा। इस तरह की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगी और आर्थिक लाभ को भी बढ़ावा देंगी। एक्सएपीईआर 'सॉर्टिंग कम कम्पोस्टिंग' मशीनों का डिज़ाइन रैग-पिकर्स द्वारा रिसाइकिल होने योग्य पदार्थों को सुविधाजनक और अत्यधिक कुशल तरीके से हटाने में सक्षम बनाता है।

घ) सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग। जहां भी संभव हो प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करने के लिए इस संबंध में निविदा दस्तावेज में शर्तें (क्लॉज़) शामिल की गई हैं।

ङ) दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट के प्रोसेसिंग के लिए वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों की भागीदारी।

6. वेस्ट मैनेजमेंट में नागरिकों/ स्थानीय उद्यमों /कबाड़ी वालों आदि की सुविधा के लिए कार्य योजना।

क) स्रोत पर वेस्ट को अलग करने की समस्या को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बावजूद, रैग-पिकर का महत्व कम नहीं हुआ है। वास्तव में, वे रिसाइकिल योग्य सामग्री की अधिक मात्रा एकत्र करने में सक्षम होंगे, जो सामान्य मौजूदा व्यवस्था के अनुसार बड़े पैमाने पर लैंडफिल में चली जाती हैं। इससे निश्चित रूप से रैग-पिकर्स और रिसाइकलर्स को अधिक पारिश्रमिक मिलेगा।

रिसाइकिलिंग से संबंधित कोई स्थानीय उद्यम नहीं हैं और न ही डिफेंस की भूमि पर इन्हें स्थापित करने की कोई योजना है। हालांकि, प्रौद्योगिकी पर आधारित संशोधित एमएसडब्ल्यूएम योजना, दिल्ली छावनी में नागरिकों के लिए बहुत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करेगी।

4. सर्विस प्लान - नगर निगम (एमसीडी)

दिल्ली के लिए अपडेटिड सर्विस प्लान (परिप्रेक्ष्य वर्ष 2047)

एजेंसी: दिल्ली नगर निगम

1. परिचय

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत नियमित एक सांविधिक नागरिक निकाय है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1484.46 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा सबसे बड़ा नागरिक निकाय होने के नाते, इसे 2012 में तीन भागों यथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में विभाजित किया गया था। इसे दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 22 मई 2022 को फिर से एकीकृत किया गया था।

1366.89 वर्ग किमी के क्षेत्रफल के साथ, जो दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 94.27% है, एमसीडी की वर्तमान जनसंख्या लगभग 2.26 करोड़ है। इसमें 250 वार्ड हैं जो 12 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित हैं। वर्तमान में, कुल सॉलिड वेस्ट उत्पादन लगभग 13500 टीपीडी है। इसमें 1200 अनुमोदित नियोजित विकास हैं जिनमें 567 नियमित कॉलोनियां (1961 से 1994) और 44 पुनर्वास कॉलोनियां शामिल हैं। यहाँ 1797 अनधिकृत कॉलोनियाँ, 304 शहरीकृत गाँव, 47 ग्रामीण गाँव, 30 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 27 अनियोजित औद्योगिक समूह हैं। स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त, प्रवास, रोजगार, उच्च शिक्षा और निवास के मामले में अत्यधिक पसंदीदा शहर होने के कारण दैनिक आधार पर दिल्ली आने वाली अस्थायी आबादी का भी भारी प्रवाह है। प्रति व्यक्ति वेस्ट उत्पादन के वर्तमान रुझानों को देखते हुए, शहर में उत्पन्न नगर निगम सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) की कुल मात्रा वर्ष 2047 तक 13,500 टीपीडी से बढ़कर 25764 टीपीडी होने की संभावना है।

चित्र 1: दिल्ली नगर निगम का वार्ड मानचित्र

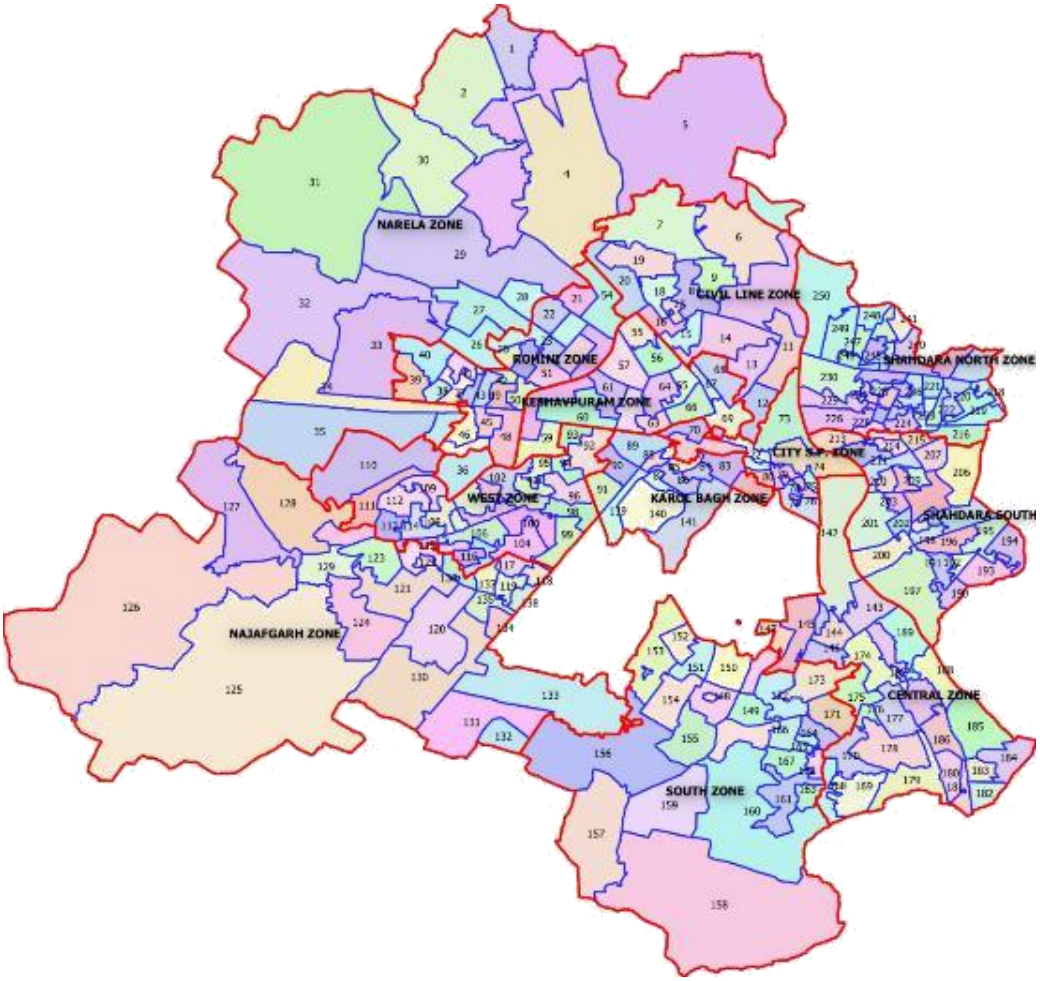

तालिका 4: शहर का प्रोफ़ाइल

क्रम सं.	विवरण	आँकड़े
1	जनसंख्या (वर्तमान)	2.26 करोड़
2	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	1366.89 (एमसीडी) 1484 (दिल्ली) (94.27%)
3	आवासों की संख्या (वर्तमान)	60 लाख
4	वार्डों की संख्या	250
5	जोनों की संख्या	12

2. जनसंख्या और वेस्ट अनुमान

ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान 2041 ने विभिन्न मापदंडों पर विकास की धारणाओं से संबंधित क्रमशः उच्च, मध्यम और निम्न विकास परिदृश्यों के आधार पर 2041 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाया है। कोहोर्ट कॉम्पोनेन्ट विधि का उपयोग कुल प्रजनन दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय लिंग अनुपात और प्रवासन के संदर्भ में अलग-अलग धारणाओं के साथ निम्न, मध्यम और उच्च परिदृश्य में जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। पिछले दो दशकों में विकास दर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, मध्यम विकास परिदृश्य (29.1 मिलियन) को शहर के लिए सबसे संभावित अनुमान के रूप में अपनाया गया है। इसी आधार पर, एमसीडी ने ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की वर्ष 2021 से 2041 तक अनुमानित जनसंख्या की वृद्धि दर को लेकर अनुमान लगाए हैं। तदनुसार, अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2021-2047 के दौरान एमसीडी में वेस्ट उत्पादन में वृद्धि का पूर्वानुमान निम्नानुसार है: -

तालिका 5: ड्राफ्ट एमपीडी 2041 पर आधारित अनुमान

वर्ष	अनुमानित जनसंख्या	प्रति व्यक्ति वेस्ट उत्पादन (किलोग्राम/दिन में)	वेस्ट मात्रा एमटी/दिन में
2021	20600000	0.560	11536
2022	21012000	0.567	11920
2023	21432240	0.575	12316
2024	21860885	0.582	12726
2025	22298102	0.590	13149
2026	22600000	0.597	13500
2027	23052000	0.605	13949
2028	23513040	0.613	14413
2029	23983301	0.621	14893
2030	24462967	0.629	15388
2031	24800000	0.637	15803
2032	25296000	0.645	16328

2033	25801920	0.654	16871
2034	26317958	0.662	17433
2035	26844318	0.671	18012
2036	26900000	0.680	18284
2037	27438000	0.689	18893
2038	27986760	0.698	19521
2039	28546495	0.707	20170
2040	29117425	0.716	20841
2041	29200000	0.725	21172
2042	29784000	0.734	21876
2043	30379680	0.744	22604
2044	30987274	0.754	23355
2045	31607019	0.764	24132
2046	32239159	0.773	24935
2047	32883943	0.783	25764

3. एमएसडब्ल्यू का संग्रह और परिवहन

एमसीडी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न नगर निगम सॉलिड वेस्ट के संग्रह, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए निगम ने अपने सभी 12 क्षेत्रों के लिए पीपीपी आधार पर प्राइवेट कन्सेशनेर को नियुक्त किया है। घर-घर जाकर वेस्ट संग्रहण प्राथमिक संग्रहण वाहनों अर्थात मैनुअल ट्राइसाइकिल, ई-ट्राइसाइकिल और ऑटो टिपरों के माध्यम से किया जाता है, जिसे बाद में माध्यमिक भंडारण बिंदुओं अर्थात ढलाओं और एफसीटीएस में ले जाया जाता है। 500 ढलाओ, 320 ऑपरेशनल एफसीटीएस और 21 एफसीटीएस निर्माणाधीन हैं। इन माध्यमिक भंडारण बिंदुओं पर, वेस्ट बीनने वाले व्यक्ति एकत्र किए गए वेस्ट को अलग करते हैं और अपनी दैनिक आजीविका कमाने के लिए रीसाइकिल होने योग्य वस्तुओं को पुनः प्राप्त करते हैं। शेष वेस्ट को फिर रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स के माध्यम से निर्दिष्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी और डंपसाइटों में ले जाया जाता है।

तालिका 6: एमएसडब्ल्यू का जोन वार उत्पादन, संग्रह और परिवहन

क्रम सं.	ज़ोन	वार्डों की संख्या	दैनिक तौर पर इकट्ठा होने वाला वेस्ट (टीपीडी में)	एजेंसी/ कन्सेशनेर	प्रारंभ तिथि	पूर्ण होने की तिथि	प्रोसेसिंग और निपटान बिंदु

1	केंद्रीय	25	1600	मेसर्स जेएस एनवायरो सर्विसेज	18.07.2025	18.10.2026 (या नए कन्सेशनेर को काम पर लगाने, जो भी पहले हो)	तेहखण्ड डब्ल्यूटीई + ओखला डब्ल्यूटीई
				मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड	30.09.2026 (11.06.2026 को नए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए)	29.09.2033	
2	दक्षिण	23	1200	मेसर्स एस.एस.आई.एल	20.04.2017	19.10.2026 (या नए कन्सेशनेर को काम पर लगाने, जो भी पहले हो)	तेहखण्ड डब्ल्यूटीई + ओखला डब्ल्यूटीई
				मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड	30.09.2026 (11.06.2026 को नए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए)	29.09.2033	
3	पश्चिम	25	1500	मेसर्स ए2जेड एनवायरो/ईईएसएल	30.06.2017	20.10.2026 (या नए कन्सेशनेर को काम पर लगाने,जो भी पहले हो)	तेहखण्ड डब्ल्यूटीई + ओखला डब्ल्यूटीई
				मेसर्स जे एस एनवायरो सर्विसेज	30.09.2026 (04.05.2026 को नए रियायत	29.09.2033	

					समझौते पर हस्ताक्षर किए गए))		
4	नजफगढ़	22	800	मेसर्स डीडब्ल्यूएमएन	09.02.2021	08.02.2029	तेहखण्ड डब्ल्यूटीई + ओखला डब्ल्यूटीई
5	रोहिणी + पार्ट नरेला	23	1100	मेसर्स डीएमएसडब्ल्यूएसएल	17-07-2009	16-07-2029	नरेला बवाना एकीकृत प्रोसेसिंग सुविधा
6	सिविल लाइन्स + पार्ट सिटी-एसपी	15	700	मेसर्स डीएमएसडब्ल्यूएसएल	17-07-2009	16-07-2029	
7	केशव पुरम	15	800	मेसर्स डीएमएसडब्ल्यूएसएल	17-07-2009	16-07-2029	
8	करोल बाग	13	1100	मेसर्स मेट्रो वेस्ट	19.01.2022	19.01.2031	भलस्वा डंपसाइट
9	सिटी-एसपी	12	1200	मेसर्स एजी एनवीरो	18-जनवरी-22	17.01.2032	भलस्वा डंपसाइट
10	नरेला	16	800	मेसर्स आईपीएमएसडब्ल्यूएसएल	19-01-2022	19.01.2031	भलस्वा डंपसाइट
11	शाहदरा साउथ	26	1300	मेसर्स मेट्रो वेस्ट	01-10-2020	21.05.2031	गाजीपुर डंपसाइट + डब्ल्यूटीई ओखला
12	शाहदरा उत्तर	35	1400	मेसर्स मेट्रो वेस्ट	01-10-2020	30.09.2029	गाजीपुर डंपसाइट + डब्ल्यूटीई ओखला
कुल		**250**	**13500**				

4. प्रोसेसिंग और निपटान सुविधाएं

एमसीडी के पास लगभग 13500 टीपीडी सॉलिड वेस्ट उत्पादन है, जिसमें से लगभग 7642 टीपीडी वेस्ट को विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं के संयोजन के माध्यम से संसाधित किया जाता है और शेष 5858 टीपीडी वेस्ट मौजूदा डंपसाइटों पर डंप किया जाता है। ड्राई और वेट वेस्ट उत्पादन का प्रतिशत अनुपात 40:60 है। वर्तमान और प्रस्तावित वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाएं निम्नानुसार हैं: -

तालिका 7: मौजूदा वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाए

क्र.सं.	**परियोजनाएँ**	**क्षमता (टीपीडी)**
1	ओखला में 1950 टीपीडी क्षमता वाला डब्ल्यूटीई प्लांट (2012 में स्थापित)	1550 (एमसीडी) 400 (एनडीएमसी और डीसीबी)
2	नरेला-बवाना में एकीकृत एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग प्लांट (2014 में स्थापित)	2400
3	गाज़ीपुर में डब्ल्यूटीई प्लांट (2017 में स्थापित)	1300
4	डब्ल्यूटीई प्लांट, तेहखण्ड (अक्टूबर 2022 में स्थापित)	2000
5	घोगा डेयरी (आईजीएल) में सीबीजी प्लांट	100
6	कम्पोस्टर्स (20)	20
7	विकेंद्रीकृत खाद के गड्ढे (211)	20
8	मटीरियल पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (155)	252
कुल		**7642**

तालिका 8: प्रस्तावित वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाएँ

क्र.सं.	**प्रोसेसिंग सुविधा**	**संख्या**	**स्थान**	**क्षमता (टीपीडी में)**	**कार्य पूरा करने की संभावित समय-सीमा**
1	नरेला-बवाना में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट	1	नरेला – बवाना	3000	दिसंबर 2028
2	वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गाजीपुर	1	गाजीपुर	2000	दिसंबर 2028
3	ओखला में 1950 टीपीडी के मौजूदा	1	ओखला	1000	मार्च 2027

क्र.सं.	प्रोसेसिंग सुविधा	संख्या	स्थान	क्षमता (टीपीडी में)	कार्य पूरा करने की संभावित समय-सीमा
	डब्ल्यूटीई का 2950 टीपीडी तक विस्तार				
4	तेहखण्ड में 2000 टीपीडी के मौजूदा डब्ल्यूटीई का विस्तार कर 3000 टीपीडी किया जाएगा	1	तेहखण्ड	1000	दिसंबर 2027
5	आईजीएल के साथ सीबीजी प्लांट	1	गाजीपुर	350	दिसंबर 2027
6	बायो-सीएनजी प्लांट	1	ओखला	300	अगस्त 2027
कुल (टीपीडी में)				**7650**	

एमसीडी, दिसंबर 2028 के आखिर तक वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को अभी के **7,642 टीपीडी** से बढ़ाकर **15,292 टीपीडी** कर देगी, जिससे साल 2031 के आखिर तक सॉलिड वेस्ट में होने वाली बढ़ोतरी का निपटान किया जा सकेगा।

4.1 पुनः प्राप्त भूमि पर ताज़ा वेस्ट प्रोसेसिंग

कम से कम 5900 टीपीडी कैपेसिटी वाली इंटीग्रेटेड फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के डेवलपमेंट के लिए निलामी की कारर्वाई जो की बायोमाइनिंग द्वारा रिक्लेम्ड क्षेत्र पर शुरू की गईं । इस पहल का उद्देश्य डंपसाइट पर फेंके जा रहे बचे हुए वेस्ट को प्रोसेस करना और तय समय-सीमा पाने के लिए बायोमाइनिंग की प्रोग्रेस को बढ़ाना है।

क्र.सं.	स्थान	टीपीडी में क्षमता	क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्तमान स्थिति
1	भलस्वा लैंडफिल	1800	12	• बायोमाइनिंग से मिली भूमि पर यह सुविधा शुरू की जाएगी • कार्य सौंपने की तिथि: 16.06.2026 • सुविधाओं के शुरू होने की संभावित तिथि: 31.10.2026
2	शिंघोला लैंडफिल	700	6.61	
3	ओखला लैंडफिल	1400	10	
4	बवाना	1200	10	• डीडीए द्वारा आवंटित भूमि • कार्य सौंपने की तिथि: 16.06.2026 • सुविधाओं के चालू होने की संभावित तिथि: 31.10.2026
5	गाजीपुर	800	5	
कुल		**5900**	**43.61**	

4.2 वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु आगामी एसडब्ल्यूएम परियोजनाएँ

क्र.सं.	एमएसडब्ल्यू सुविधा	स्थान	क्षमता (टीपीडी में)	समय-सीमा
1	फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग	भलस्वा लैंडफिल में पुनः प्राप्त भूमि	1800	2026
2	फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग	सिंघोला लैंडफिल में पुनः प्राप्त भूमि	700	2026
3	फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग	ओखला लैंडफिल में पुनः प्राप्त भूमि	1400	2026
4	फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग	बवाना	1200	2026
5	फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग	गाजीपुर	800	2026
6	मौजूदा डब्ल्यूटीई प्लांट्स की क्षमता 1000 टीपीडी तक बढ़ाना	ओखला और तेहखण्ड	2000	2027
7	बायो-सीएनजी/सीबीजी	ओखला और गाज़ीपुर	650	2027
8	डब्ल्यूटीई प्लांट	नरेला बवाना और गाज़ीपुर	5000	2028
9	बायो-मीथेनेशन/ बायो-सीएनजी	नंद नगरी सेंट्रल स्टोर के पास	50	2028
10	बायो-मीथेनेशन/ बायो-सीएनजी	तेहखण्ड	100	2029
11	बायो-मीथेनेशन/ बायो - सीएनजी	रानीखेड़ा	200	2029
12	बायो-मीथेनेशन/ बायो - सीएनजी	मैदान गढ़ी	150	2029
13	बायो-मीथेनेशन/ बायो - सीएनजी	हस्तसाल	200	2029
14	गाज़ीपुर डब्ल्यूटीई का 2000 से 3000 टीपीडी तक विस्तार	गाजीपुर	1000	2034
15	बायो मीथेनेशन/ बायो -सीएनजी	भलस्वा डंपसाइट	500	2034
16	बायो -मीथेनेशन/ बायो - सीएनजी	गाज़ीपुर डंपसाइट	500	2034
17	बायो -मीथेनेशन/ बायो - सीएनजी	ओखला डंपसाइट	500	2034

18	नरेला बवाना डब्ल्यूटीई का 3000 से 4000 टीपीडी तक विस्तार	नरेला बवाना	1000	2035
टीपीडी में भविष्य की वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता			**17,750**	
साल 2035 तक टीपीडी में कुल उपलब्ध वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी (डब्ल्यूटीई + बायो-सीएनजी/सीबीजी + कम्पोस्ट)			**25,392**	

4.3 वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2047 तक का रोडमैप

वर्ष	अनुमानित जनसंख्या	प्रति व्यक्ति वेस्ट उत्पादन (किलोग्राम/दिन में)	वेस्ट मात्रा एमटी/दिन में	मौजूदा वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की कैपेसिटी (टीपीडी) का स्टेटस	प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि (टीपीडी)	कुल मौजूदा सुविधाओं की क्षमता (टीपीडी में)	टीपीडी में अंतर	प्रोसेसिंग सुविधाएं
2026	22600000	0.597	13500	7642	5900	13542	0	भलस्वा, बवाना, सिंघोला, ओखला और गाजीपुर में ताजा वेस्ट प्रोसेसिंग
2027	23052000	0.605	13949	13542	2650	16192	0	ओखला और तेहखण्ड में डब्ल्यूटीई प्लांट का विस्तार, ओखला और गाजीपुर में सीबीजी प्लांट
2028	23513040	0.613	14413	16192	5050	21242	0	गाजीपुर और नरेला बवाना में वेस्ट टू एनर्जी और सेंट्रल स्टोर के पास नंद नगरी में बायो-मीथेनेशन प्लांट
2029	23983301	0.621	14893	21242	650	21892	0	तेहखण्ड , रानीखेड़ा, हस्तसाल और मैदान गढ़ी में बायो-मीथेनेशन/बायो-सीएनजी
2030	24462967	0.629	15388	21892	0	21892	0	
2031	24800000	0.637	15803	21892	0	21892	0	
2032	25296000	0.645	16328	21892	0	21892	0	
2033	25801920	0.654	16871	21892	0	21892	0	
2034	26317958	0.662	17433	21892	2500	24392	0	गाज़ीपुर डब्ल्यूटीई का 2000 से 3000 टीपीडी तक विस्तार और

								भलस्वा, ओखला और गाज़ीपुर डंपसाइट्स पर बायो-मीथेनेशन/बायो-सीएनजी
2035	26844318	0.671	18012	24392	1000	25392	0	नरेला बवाना डब्ल्यूटीई का 3000 से 4000 टीपीडी तक विस्तार
2036	26900000	0.680	18284	25392	0	25392	0	
2037	27438000	0.689	18893	25392	0	25392	0	
2038	27986760	0.698	19521	25392	0	25392	0	
2039	28546495	0.707	20170	25392	0	25392	0	
2040	29117425	0.716	20841	25392	0	25392	0	
2041	29200000	0.725	21172	25392	0	25392	0	
2042	29784000	0.734	21876	25392	0	25392	0	
2043	30379680	0.744	22604	25392	0	25392	0	
2044	30987274	0.754	23355	25392	0	25392	0	
2045	31607019	0.764	24132	25392	0	25392	0	
2046	32239159	0.773	24935	25392	0	25392	0	
2047	32883943	0.783	25764	25392	0	25392	372	

5. विकेन्द्रीकृत वेस्ट मैनेजमेंट

दिल्ली शहर में वैल्यू चेन में सबसे बड़ी कमी वाले स्रोत पर ही वेस्ट को अलग करने के लिए, निगम निम्नलिखित तरीकों से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रहा है:-

i. जीरो वेस्ट कॉलोनियाँ

जीरो वेस्ट कॉलोनी एक सतत् दृष्टिकोण है जिसे एमसीडी ने 1 सितंबर 2022 को शुरू किया है। अब तक, विभिन्न स्थानों में **कुल 680 कॉलोनियों** को जीरो वेस्ट कॉलोनी घोषित किया जा चुका है। इन कॉलोनियों में स्रोत स्थल पर 100 प्रतिशत वेस्ट सेगरीगेशन, वेट वेस्ट का कम्पोस्टिंग तथा ड्राई वेस्ट अधिकृत रिसाइक्लर्स या एमसीडी के वेस्ट संकलकों को सौंपने जैसे प्रयास लागू किए जा रहे हैं। नियमित रूप से प्रतिवर्ष एक बार सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं तथा जीरो वेस्ट कॉलोनी पहल के अंतर्गत **प्रोत्साहन योजना** प्रदान की जाती है। लक्ष्य है की प्रत्येक माह प्रति ज़ोन **पाँच नई जीरो वेस्ट कॉलोनियाँ** बनाई जाएं।

ii. थोक वेस्ट उत्पादक (बीडब्ल्यूजी)

एमसीडी ने अपने 311 ऐप में बीडब्ल्यूजी के पंजीकरण और उनके वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी के लिए एक मॉड्यूल बनाया है। अब तक 12 ज़ोन में लगभग **3965 बीडब्ल्यूजी** पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से **1995 बीडब्ल्यूजी** ऑन-साइट कंपोस्टिंग कर रहे हैं। और बीडब्ल्यूजी का पुनः आकलन और पहचान की जाएगी और बाद में केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उनको पंजीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नए एसडब्ल्यूएम नियमावली 2026 के अनुसार थोक वेस्ट मैनेजमेंट को लागू करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एसडब्ल्यूएम नियमावली 2026 के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए अन्य कदम

1. एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2026 को लागू करने में मदद के लिए आईआईटी दिल्ली और अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर सिटी लेवल और वार्ड लेवल पर वेस्ट जेनरेटर मैपिंग और कम्प्लायंस मॉनिटरिंग की जा रही है।

2. एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2026 के तहत बीडब्ल्यूजी को हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देने के लिए एजेंसियों/एनजीओ का पैनल बनाने के लिए ईओआई मंगाया गया है ।

3. एनएसकेएफडीसी को वेस्ट इकट्ठा करने और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल मैनपावर की ट्रेनिंग और लगातार क्षमता बढ़ाने के लिए लगाया गया है, जिसमें इनफॉर्मल वेस्ट बीनने वाले, कंसेशनेयर कर्मचारी और एमसीडी सैनिटेशन फील्ड स्टाफ शामिल हैं।

4. सभी ज़ोनों ने मौजूदा वार्ड-लेवल संसाधन और इस्तेमाल का आकलन करने के लिए वार्ड सैनिटेशन मैनेजमेंट प्लान तैयार किए हैं, और पहचानी गई कमियों और ज़रूरतों के आधार पर ज़ोनल कंसेशनेयर के माध्यम से और संसाधन उपयोग किए जाएंगे।

5. आयुक्त, एमसीडी ने सभी बड़े थोक वेस्ट उत्पादक को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली, 2026 का अनिवार्य पालन करने के बारे में डीओ लेटर जारी किए हैं।

6. सभी ज़ोनल डिप्टी कमिश्नरों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली, 2026 को असरदार तरीके से लागू करने और सख्त निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 19.02.2026, 29.04.2026, और 05.05.2026 के निर्देशों/आदेशों का उनके अपने अधिकार क्षेत्र में ज़रूरी पालन और ज़्यादा प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।

7. माननीय मेयर की ओर से सभी वार्ड पार्षदों को एसडब्ल्यूएम नियम 2026 और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और आदेशों को लागू करने में उनके योगदान के लिए डीओ लेटर जारी किए गए हैं।

8. नागरिकों और संस्थाओं के बीच स्रोत सेगरीगेशन और विकेन्द्रीकृत वेस्ट प्रोसेसिंग प्रथा को बढ़ावा देने के लिए नियमित आईईसी क्रियाकलाप, सोशल मीडिया आउटरीच और जन जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

6. डेयरी वेस्ट मैनेजमेंट

दिल्ली में अधिकृत और अनधिकृत डेयरियों और गौशालाओं से लगभग 1500 टीपीडी गोबर और डेयरी वेस्ट निकलता है। डेयरी कॉलोनियों में वेस्ट उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार है:-

डेयरी/ गौशाला	**संख्या**	**मवेशियों की संख्या**	**एमटी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला वेस्ट**
अधिकृत डेयरी	11	52,000	520
अनधिकृत डेयरी	500	~ 20,000 (अनुमानित संख्या)	200
अधिकृत गौशाला	04	~ 24,000	240
अनधिकृत गौशाला	06	~ 20,000 (अनुमानित संख्या)	200
कुल	521	~ 1,23,000	1,160 (अनुमानित संख्या)

बायोगैस सुविधाएं

क्रम सं.	स्थान	टीपीडी में क्षमता	कार्यक्षेत्र	कमिशनिंग के लिए समय-सीमा
1	नंगली डेयरी	200	नंगली और ककरोला डेयरी कॉलोनी	सितंबर 2025 में उद्घाटन और पूरी तरह से कार्यरत
2	गोयला डेयरी	200	गोयला डेयरी कॉलोनी	अगस्त 2026
3	घोगा डेयरी	200	घोघा, शाहबाद, झाड़ोदा और भलस्वा डेयरी कॉलोनी	सितंबर 2026
4	गाज़ीपुर डेयरी	300	गाजीपुर	दिसंबर 2027
कुल		**900**		

8.14 एकड़ ज़मीन पर 125 टीपीडी बायोगैस प्लांट लगाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एमओयू प्रक्रियाधीन है। परियोजना की लागत 57 करोड़ रुपये है।

दिल्ली में दिसंबर 2027 तक लगभग 1,025 टीपीडी की कुल प्रोसेसिंग क्षमता वाली पांच बायोगैस फैसिलिटी बनाने की संभावना है। निकट भविष्य में उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर फैसिलिटी विकसित की जाएँगी।

योजनाधीन चरण

अतिरिक्त 625 टीपीडी क्षमता का लक्ष्य (डीडीए भूमि)

क्षेत्र	प्रस्तावित स्थान	क्षमता (टीपीडी)	क्षेत्रफल (एकड़ में)	स्थिति
नजफगढ़	कमल पार्क के सामने सागर पुर में खुला स्थान	200	2.5-3.0	भूमि आबंटित किए जाने पर विचार किया जा रहा है
दक्षिणी	मसूदपुर डेयरी	75	1.43	
केंद्रीय	जी-ब्लॉक, सरिता विहार	100	1.66	
रोहिणी	इंदिरा कैंप के सामने, सेक्टर 3	200	2.5-3	
शाहदरा उत्तर	श्री राम कॉलोनी, पुलिस स्टेशन के पास, खजूरी खास	50	1.00	
कुल		**625**	**4.09**	

इन पहलों से, दिल्ली लगभग 1,650 टीपीडी की डेयरी वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता प्राप्त कर लेगी।

7. कन्सट्रक्शन एवं डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट

दिल्ली में सी एंड डी वेस्ट लगभग 5500-6000 टीपीडी उत्पन्न होता है।

क्रम सं.	सी एंड डी प्लांट	क्षमता (टीपीडी)
1	बक्करवाला	1000
2	बुराड़ी	2000
3	रानीखेड़ा	1000
4	शास्त्री पार्क	1000
कुल (टीपीडी)		**5000**
5	ओखला डंपसाइट पर पुनः प्राप्त भूमि	1000 • वर्क ऑर्डर दिनांक 30.12.2024 को जारी किया गया है। • डीपीसीसी ने दिनांक 24.03.2026 को सीटीई जारी किया • सिविल कार्य प्रगति पर है • शुरू होने की संभावित तारीख दिसंबर 2026 है

एमसीडी के पास आम लोगों के लिए **125 प्राइमरी सी एंड डी वेस्ट कलेक्शन साइट** हैं । सभी प्राइमरी सी एंड डी साइट को जियो-मैप किया गया है और वे आम लोगों के देखने के लिए एमसीडी की वेबसाइट-mcdonline.nic.in पर दिखाई देती हैं। इन साइट से सी एंड डी वेस्ट को सी एंड डी कंसेशनेयर रेगुलर तौर पर हटाते हैं।

दिनांक 09 मार्च, 2026 से प्रभावी, गृह-विकसित ऑनलाइन **दिल्ली मलबा पोर्टल** (delhi.tracewaste360.in) विकसित किया गया है, जिसमें वेस्ट जेनरेटर्स, प्राधिकृत परिवहनकर्ताओं तथा कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्रों का एकीकरण किया गया है। यह पोर्टल कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट के स्रोत-स्थान से लेकर दिल्ली स्थित प्राधिकृत रीसाइकल संयंत्रों तक उसकी संपूर्ण ट्रैकिंग, अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सुव्यवस्थित चैनलाइजेशन को सुगम बनाएगा।

बल्क जेनरेटर्स तथा ठेकेदारों के लिए यह अनिवार्य किया जाता है कि वे निर्माण एवं डिमोलिशन मलबा अथवा अन्य अवशेष को सीधे कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्रों तथा निर्धारित लैंडफिल स्थलों पर ही डम्प / निष्पादित करें। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों में रीसाइकल्ड निर्माण एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं तथा सी एंड डी वेस्ट के उप-उत्पादों के उपभोग / उपयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष 2025-2026 के लिए सी एंड डी वेस्ट से रीसाइकल्ड उत्पादों का ऑफटेक / उपयोग-लक्ष्य लगभग 9,85,250 निर्धारित किया गया है,

जिसके विरुद्ध दिनांक 01.04.2025 से 31.05.2026 की अवधि में विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा लक्ष्य का लगभग **18.2%** प्राप्त किया गया है तथा विभिन्न निजी एजेंसी द्वारा लक्ष्य का लगभग **76.65%** प्राप्त किया गया है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में रिसाइकल किए गए कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट मटीरियल / उत्पादों के प्रभावी उपयोग के लिए "सी एंड डी ऑफटेक एनसीआर" वेबसाइट विकसित की गई है:
(https://cndofftakencr.in/dashboard)

8. लेगेसी वेस्ट का निवारण

i. एमसीडी के अधिकार-क्षेत्र में तीन डम्प साइटें हैं, अर्थात् ओखला, भलस्वा एवं गाज़ीपुर, जो कुल 202 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं। वर्ष 2019 में इन तीनों डम्प साइटों पर लेगेसी वेस्ट की कुल मात्रा लगभग 280 लाख एमटी थी।

ii. ये स्थल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2000 (जिसमें वर्ष 2016 में संशोधन किया गया) की अधिसूचना से पूर्व स्थापित किए गए थे। चूँकि, ये डम्प साइटें एसडब्ल्यूएम नियमों की अधिसूचना से पूर्व अस्तित्व में आ गई थीं, अतः इनका स्थापना कार्य उन मानकों का अनुपालन किए बिना ही किया गया, जो लैंडफिल स्थल पर लागू किए जा सकते थे। इन स्थलों की क्षमता बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है और इन पर डाले गए वेस्ट की ऊँचाई सामान्य भूमि स्तर से 5560 मीटर से अधिक तक पहुँच गई है; तथापि किसी अन्य वैकल्पिक स्थल / सुविधा की अनुपलब्धता के कारण इन स्थलों पर सामान्य भूमि स्तर से ऊपर भराव की ऊँचाई बढ़ाते हुए वेस्ट डम्पिंग जारी रखी गई। इन स्थलों की आयु बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर नये स्थान (स्पेस) सृजित करने के प्रयास किए गए, जिनके अंतर्गत खुदाई मशीनों और बुलडोज़रों के माध्यम से गड्ढे / खाइयाँ, तटबंध, किनारों की ढलानें, सीढ़ीनुमा भाग आदि बनाकर नये भराव स्थल विकसित किए गए।

iii. तीनों डम्प साइटों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

विवरण	**ओखला**	**भलस्वा**	**गाज़ीपुर**	**कुल**
स्थान	माँ आनंदमयी मार्ग	जी.टी. करनाल रोड	दिल्ली-मेरठ राजमार्ग	
लैंडफिल का स्थापना वर्ष	1996	1994	1984	
लैंडफिल स्थल का क्षेत्रफल (एकड़ में)	62	70	70	**202 एकड़**
ऊँचाई मीटर में, (वर्ष 2019 से पूर्व)	60	65	65	
विरासत (लेगेसी) वेस्ट की मात्रा लाख एमटी में, (वर्ष 2019)	60	80	140	**280 एलएमटी**

iv. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओए न. 519/2019 एवं 386/2019 में दिनांक 17.07.2019 तथा 19.11.2019 को पारित आदेशों के अनुपालन में, तत्समय की दिल्ली नगर निगमों ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर 2019 से विरासत वेस्ट का बायोमाइनिंग प्रारंभ कर दिया।

v. अक्टूबर 2019 से ओखला, भलस्वा एवं गाज़ीपुर डम्प साइटों पर 280 लाख एमटी लेगेसी वेस्ट के सुधार के उद्देश्य से ट्रॉमलिंग मशीनों के माध्यम से बायोमाइनिंग की प्रक्रिया आरंभ की गई।

vi. बायोमाइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वेस्ट को अलग-अलग वर्गों में पृथक किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी तथा कपड़ा, जिन्हें वेस्ट-आधारित ईंधन (आरडीएफ) के रूप में प्राप्त किया जाता है; पत्थर एवं मलबा निर्माण एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट के रूप में प्राप्त होता है; इसके अतिरिक्त लैंडफिल हेतु निष्क्रिय मिट्टी तथा उद्यानों आदि के लिए जैव-मृदा प्राप्त होती है। इन पृथक वर्गों को पुनः उपयोग एवं रीसाइकल के सिद्धांतों के अनुसार सर्वोत्तम उपयोग के लिए विभिन्न स्थलों पर भेजा जाता है, जैसे कि:

क) **निष्क्रिय भाग – कुल जैव-खननित मात्रा का लगभग 70-75%**: कम ऊँचाई वाले भू-खण्डों तथा राजमार्ग परियोजनाओं में लैंडफिल सामग्री के रूप में उपयोग हेतु।

ख) **निर्माण एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) – कुल जैव-खननित मात्रा का लगभग 15-20%**: लैंडफिल सामग्री के रूप में तथा टाइलें, पत्थर-धूल एवं पेवर ब्लॉक आदि के निर्माण हेतु।

ग) **वेस्ट-आधारित ईंधन – कुल जैव-खननित मात्रा का लगभग 5-10%**: कोयला-आधारित उद्योगों, जैसे सीमेंट कारख़ानों, बॉयलरों आदि में वैकल्पिक ईंधन के रूप में, ताकि कोयले की खपत में कमी लाई जा सके।

vii. मई 2022 में दिल्ली की तीनों नगर निगमों के एकीकरण के उपरांत, सॉलिड वेस्ट के जैव शोधन हेतु स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 [एसएमबी (अर्बन) 2.0] के अंतर्गत 776.47 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई। भारत के स्वच्छ भारत मिशन में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में, तथा माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के मार्गदर्शन में, तीनों डम्प साइटों के बायोमाइनिंग और जैव निवारण के एकीकृत कार्य की परिकल्पना की गई, जिसके अंतर्गत ठेकेदार को लेगेसी वेस्ट के बायोमाइनिंग तथा जैव खननित अंशों के निष्पादन – दोनों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। इस मॉडल का उद्देश्य बायोमाइनिंग संबंधी कार्यों की दक्षता में वृद्धि करना तथा निर्धारित लक्षित तिथि तक 100 प्रतिशत निवारण सुनिश्चित करना है।

viii. नवंबर 2022 में प्रत्येक डम्प साइट के लिए 30 लाख एमटी (जिसे 45 लाख एमटी तक विस्तारित किया जा सकता है) लेगेसी वेस्ट के लिए एकीकृत बायोमाइनिंग कार्य के प्रथम चरण का आरम्भ किया गया, जिसकी दर 745 रुपये प्रति एमटी निर्धारित की गई है। एसबीएम (यू) के अंतर्गत इस प्रथम चरण का कुल संविदा मूल्य 223.50 करोड़ रुपये है।

ix. बायोमाइनिंग की औसत दक्षता पूर्व में लगभग 1500 टीपीडी से बढ़कर **>30,000 टीपीडी** के स्तर तक पहुँच गई है।

x. दिल्ली स्थित ओखला, गाज़ीपुर एवं भलस्वा के तीनों डम्प साइटों पर लेगेसी वेस्ट के बायोमाइनिंग की स्थिति, दिनांक 31.05.2026 की स्थिति के अनुसार, निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

तालिका 9: लेगेसी वेस्ट की बायोमाइनिंग (लाख एमटी में)

डम्प साइट	**कुल वेस्ट (लेगेसी + फ्रेश)* (जून 2022 में ड्रोन द्वारा आयतन-आधारित मूल्यांकन के आधार पर)**	**जुलाई 2022 से डम्प किया गया फ्रेश एमएसडब्ल्यू / सिल्ट / मलबे की मात्रा**	**जुलाई 2022 से जैव-खननित**	**डम्प साइट पर शेष वेस्ट की मात्रा (लाख एमटी में)**	**संचालित ट्रॉमल की संख्या**	**100% निवारण की लक्षित समय-सीमा**
भलस्वा	73	45.66	98.63	20.03	24	दिसंबर 2026
गाज़ीपुर	85	25.71	41.16	69.55	30	दिसंबर 2028
ओखला	45	39.81	68.73	15.45	16	अक्टूबर 2026
कुल	**203**	**110.55**	**208.52**	**105.03**	**70**	

* ड्रोन सर्वे ने ज़मीन से ऊपर की मात्रा ली थी ।

xi. बायोमाइनिंग से पृथक की गई निष्क्रिय सामग्री एवं सी एंड डी वेस्ट को एनएचएआई प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं में सड़क निर्माण हेतु, एनटीपीसी के इको-पार्क में, जैतपुर / ताजपुर स्थित गड्ढों में तथा आस-पास के अन्य निचले क्षेत्रों के भराव कार्य में उपयोग के लिए भेजा गया। वेस्ट-आधारित ईंधन का उपयोग चित्तौड़गढ़ स्थित सीमेंट कारखानों तथा शामली एवं मुज़फ्फरनगर स्थित पेपर मिलों द्वारा किया गया। वर्ष 2025 तक एनएचएआई द्वारा निष्क्रिय एवं सी एण्ड डी सामग्री की कुल 28 लाख एमटी मात्रा का उपयोग किया गया।

xii. **रीयल टाइम मानीटरिंग डैशबोर्ड** को विकसित किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत 'डम्पसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी)' के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के साथ समेकित किया गया है।

xiii. **कुल 80 एकड़ भूमि की पुनर्प्राप्त की गई (भलस्वा 43 एकड़, ओखला 22 एकड़, गाज़ीपुर 15 एकड़)** जिनमें से भलस्वा डम्पसाइट पर 5 एकड़ और ओखला डम्पसाइट पर 2 एकड़ भूमि का उपयोग माननीय उपराज्यपाल के निदेशानुसार **बाँस (बम्बू) रोपण** के लिए किया गया है।

xiv. शुरू में तीनों डंपसाइट की ऊंचाई 50-60 मीटर थी। अब, ओखला और भलस्वा डंपसाइट पर अलग-अलग जगहों पर ऊंचाई **30-40 मीटर** और गाज़ीपुर डंपसाइट पर **10-15 मीटर** कम कर दी गई है।

xv. तीन डम्पसाइटों पर **लेगेसी वेस्ट के पूर्ण निपटान हेतु कुल 109.5 लाख एमटी** के एकीकृत बायोमाइनिंग कार्य के तीसरे चरण के लिए बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया क्रम में है।

xvi. लैंड रिक्लेमेशन के साथ लेगेसी वेस्ट को पूरी तरह से हटाने की टाइमलाइन ओखला डंपसाइट के लिए अक्टूबर 2026, भलस्वा डंपसाइट के लिए दिसंबर 2026 और गाज़ीपुर डंपसाइट के लिए दिसंबर 2027 है।

8.1 इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल फेसेलिटी (ईएसएलएफ)

तेहखण्ड में 25 एकड़ भूमि में 10 लाख घनमीटर क्षमता वाला एक इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल फेसेलिटी (ईएसएलएफ) निर्मित किया गया है, जिसे दिनांक 12.03.2024 को डब्ल्यूटीई प्लांट से प्राप्त अवशिष्ट एवं निष्क्रिय (इनर्ट) पदार्थों के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु चालू किया गया।

एक अन्य ईएसएलएफ का प्रस्ताव सुल्तानपुर डबास में 50 एकड़ भूमि पर है। इस संबंध में, 'ओ' जोन में वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधा हेतु डीडीए द्वारा एमसीडी को गोंडा गुजरांन/सोनिया विहार में आवंटित 42 एकड़ भूमि को वापस लिए जाने हेतु कहा जा रहा है। एमसीडी ने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल सुविधा, सुल्तानपुर डबास के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उक्त लैंड पार्सल को एमसीडी के पास ही बनाए रखा जाए।"

8.2. पुनर्प्राप्त डम्पसाइटों के लिए भावी योजना

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओए संख्या 300/2022 एवं 288/2022 में दिनांक 16.02.2023 को पारित आदेश में निम्नानुसार निदेश दिए गए हैं:

- डम्पसाइट क्षेत्र से वेस्ट पूर्ण रूप से हटाए जाने के उपरांत, संबंधित डम्पसाइट द्वारा अधिग्रहित कुल भूमि के न्यूनतम एक-तिहाई भाग में घना वन विकसित किया जाए।

- भूमि के एक-तिहाई भाग का उपयोग एकीकृत वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य अवसंरचना की स्थापना हेतु किया जा सकता है।
- शेष एक-तिहाई भूमि का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुरूप अन्य किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसमें आवश्यकतानुसार लेगेसी (पुरातन) वेस्ट के निपटान के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इसके एक भाग का उपयोग भी शामिल हो सकता है।

एसडब्ल्यूएम नियम 2026 :-

संबंधित राज्य सरकार या भू-स्वामी अभिकरण, प्रासंगिक विनियमों के अधीन रहते हुए, डम्पसाइट से वेस्ट या लेगेसी वेस्ट पूर्ण रूप से हटाए जाने के बाद उपलब्ध रिक्त भूमि का उपयोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अवसंरचना की स्थापना के लिए करने पर विचार कर सकते हैं।

वेस्ट सृजन में अनुमानित वृद्धि तथा अतिरिक्त वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्रों की प्रस्तावित स्थापना को ध्यान में रखते हुए, प्रोसेसिंग रिजेक्ट्स, निष्क्रिय (इनर्ट) पदार्थों तथा अन्य वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल सुविधाओं की पर्याप्त आवश्यकता होगी। इसी के साथ, अधिक क्षमता-आधारित वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं, जिनमें बायोमीथनेशन प्लांट एवं अन्य केंद्रीयकृत शोधन प्लांट शामिल हैं, की भी आवश्यकता होगी, ताकि बढ़ते वेस्ट प्रवाह का समुचित प्रबंधन किया जा सके। तदनुसार, 100% रेमेडिएशन पूर्ण होने पर पुनर्प्राप्त लैंडफिल स्थलों का उपयोग भावी वेस्ट प्रोसेसिंग अवसंरचना तथा इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल सुविधाओं (ईएसएलएफ) के विकास के लिए रणनीतिक रूप से किया जाएगा, जिससे वर्ष 2047 तक की वेस्ट मैनेजमेंट आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ दिल्ली में सीमित भूमि उपलब्धता से उत्पन्न चुनौतियों का निराकरण किया जा सके। शेष पुनर्प्राप्त भूमि का विकास, योजना एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप, उपयुक्त जन-सुविधाओं एवं अन्य समुदाय-उन्मुख प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

क. ओखला डम्पसाइट के लिए भावी योजना

सुविधा	**क्षमता**	**क्षेत्रफल (एकड़ में)**
ईएसएलएफ	12 लाख एमटी	34
सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट	1000 टीपीडी	8
नवीन सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधा / बायो-सीएनजी	1400 टीपीडी / 500 टीपीडी	10
बाउंड्रीवॉल के चारों ओर के आस-पास घना वन		10
कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)		**62**

ख. भलस्वा डंपसाइट के लिए भावी योजना

सुविधा	**क्षमता**	**क्षेत्रफल (एकड़ में)**
ईएसएलएफ	14 लाख घनमीटर	38
बायोमीथनेशन / बायो सीएनजी	500 टीपीडी	10
नवीन वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधा	1800 टीपीडी	12
बाउंड्री वॉल के चारों ओर घना वनक्षेत्र	—	10
कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	—	**70**

ESLF
Fresh Waste Processing
Bio-CNG

ग. गाज़ीपुर डंपसाइट के लिए भविष्य की योजना

सुविधा	**क्षमता**	**क्षेत्रफल (एकड़ में)**
ईएसएलएफ	12 लाख एमटी	35
डब्ल्यूटीई प्लांट	2000 टीपीडी	15
बायोमीथनेशन / बायो सीएनजी	500 टीपीडी	10
बाउंड्री वॉल के चारों ओर घना वन*		10
कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)		**70**

9. ई-एसबीएम

ई-एसबीएम, वास्तविक समय आधारित वाहन निगरानी प्रणाली है, जिसे अप्रैल 2022 से एमसीडी के सभी 12 जोनों में लागू किया गया है। यह प्रणाली तीन प्रकार के इंटरफेस पर कार्मिक है – कंसेसियनार, एमसीडी अधिकारी तथा नागरिक। प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- सभी प्राथमिक ट्रांसफर स्टेशन, द्वितीयक भंडारण स्थल, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, डंपसाइट, सेनेटरी लैंडफिल आदि का ई-एसबीएम पोर्टल पर जीओ-मैप किया गया है।
- जीपीएस-सक्षम मार्गों पर वाहनों की ट्रैकिंग की जाती है।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- वाहनों के रूट का निर्माण एवं अनुमोदन किया जाता है।
- वाहन प्रकार प्रबंधन तथा मास्टर क्रिएशन किया जाता है।
- दैनिक आँकड़ों हेतु डैशबोर्ड के माध्यम से वाहनों की लाइव मॉनिटरिंग तथा अलर्ट भेजना।
- अक्षांश-देशांतर के साथ-साथ जीपीएस पैकेटों का एकीकरण।
- स्पॉट पेनल्टी जेनरेशन्स।
- ऑटो पेनल्टी जेनरेशन्स।

सभी डम्पसाइटों एवं केन्द्रीकृत वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं में वास्तविक समय में वाहनों के आँकड़ों की निगरानी हेतु आरएफआईडी प्रणाली स्थापित की गई है। यह प्रणाली नगर निगम सॉलिड वेस्ट के संग्रहण, इसकी ढुलाई, निस्तारण तथा प्रसंस्करण की समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 फरवरी, 2025 से ई-एसबीएम पोर्टल के साथ एकीकृत की गई है।

10. एसबीएम (यू) 2.0 के अंतर्गत आईईसी गतिविधियाँ

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2.0 के अंतर्गत, एमसीडी द्वारा दिल्ली के सभी जोनों में जन-जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन, स्रोत-स्तर पर वेस्ट सेगरीगेशन, वेस्ट में कमी, स्वच्छता तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरंतर व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर अभियानों, जागरूकता रैलियों, कार्यशालाओं, जन-जागरूकता कार्यक्रमों, विद्यालय कार्यक्रमों तथा सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से एमसीडी ने नागरिकों, निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), बाज़ार संघों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वच्छता कर्मियों तथा अन्य हितधारकों को सक्रिय रूप से जोड़ते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों एवं स्वच्छता संबंधी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ किया है, ताकि दिल्ली को अधिक स्वच्छ तथा वेस्ट-मुक्त बनाया जा सके।

क) मई 2025 में एमसीडी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में "स्वच्छ दिल्ली अभियान" के अंतर्गत **20-दिवसीय "क्लीन दिल्ली ड्राइव"** संचालित की गई। इस अभियान के दौरान लगभग 3,500 किलोमीटर सड़क क्षेत्र को कवर करते हुए अतिक्रमण, पोस्टर, बैनर, अवैध सामग्री तथा सार्वजनिक स्थानों पर संचित वेस्ट को हटाया गया। अभियान में 33,800 से अधिक स्वच्छता कर्मियों तथा 283 निवासी कल्याण संघों ने सक्रिय भागीदारी की। इस अवधि में 171 जागरूकता अभियान, 58 कार्यशालाएँ, स्कूलों में सहभागिता कार्यक्रम तथा सामुदायिक पहुँच गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनके माध्यम से 43,000 से अधिक नागरिकों तक संदेश पहुँचाया गया। स्वच्छता एवं नागरिक उत्तरदायित्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु अनेक स्थलों पर भित्तिचित्र एवं सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए गए।

ख) 21 मई, 2025 को, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) एवं मेरा युवा भारत (माई भारत) पहल के अंतर्गत डीटीयू परिसर में **"प्लास्टिक-मुक्त सार्वजनिक स्थल"** कार्यक्रम आयोजित

किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं की सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

ग) **विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह (1–5 जून 2025)** के दौरान एमसीडी ने "वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति" विषय पर कई जागरूकता एवं जन-संपर्क गतिविधियाँ आयोजित कीं। गैर-सरकारी संगठनों एवं कंसेशनायरों के सहयोग से दुकानों-पर-दुकान जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें एकल-उपयोग प्लास्टिक में कमी और सतत वेस्ट मैनेजमेंट व्यवहार के बारे में नागरिकों को शिक्षित किया गया। भारत मंडपम में प्लास्टिक वेस्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई, साथ ही विभिन्न जोनों में जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण-मार्च, विद्यार्थियों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यशालाएँ, कपड़े एवं जूट के थैलों का वितरण, कम्पोस्ट वितरण तथा नुक्कड़-नाटक आदि आयोजित किए गए।

घ) 4 जून, 2025 को आईआईटी दिल्ली में **"दिल्ली को हरित भविष्य के लिए सशक्त बनाना" (वेस्ट मैनेजमेंट कार्यशाला)** विषय पर **विश्व पर्यावरण दिवस** मनाया गया। इस कार्यक्रम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने तथा साझेदारी को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

ङ) जुलाई 2025 में एमसीडी द्वारा पूरे दिल्ली में **"सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ" अभियान** लागू किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 14,755 स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं। इस अभियान में विद्यालयों में 5,000 से अधिक हैंडवॉशिंग सेशन, आवासीय कॉलोनियों में 4,500 से अधिक स्वच्छता अभियान, 4,100 से अधिक घर-घर जागरूकता कार्यक्रम तथा सार्वजनिक शौचालयों में 1,000 से अधिक स्वच्छता अभियान शामिल थे। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छ व्यवहार में सुधार, रोग-निवारण, स्वच्छता संबंधी जागरूकता तथा स्थानीय समुदायों में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जन-भागीदारी को बढ़ावा देना था।

च) अगस्त से अक्टूबर, 2025 की अवधि में एमसीडी द्वारा **"दिल्ली फ्रीडम फ्रॉम गार्बेज कैम्पेन"** संचालित किया गया, जिसे स्वच्छता एवं सफाई प्रयासों में सक्रिय नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु जन-आंदोलन के रूप में आरम्भ किया गया था। इस अभियान में आरडब्ल्यूए, बाज़ार संघों, विद्यालयों, एनजीओ तथा विभिन्न सरकारी अभिकरणों ने भाग लिया। इस पहल के अंतर्गत लगभग 42 लाख नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली, साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान, कार्यालय-स्वच्छता अभियान, दीवार सौंदर्यीकरण कार्यक्रम, प्लास्टिक वेस्ट में कमी के अभियान तथा स्वच्छता गतिविधियाँ पूरे दिल्ली में आयोजित की गईं।

छ) इसके अतिरिक्त, 17 सितंबर, से 2 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित **"स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2025"** अभियान, जिसका विषय "स्वच्छोत्सव – स्वच्छ एवं हरित उत्सव तथा जीरो-वेस्ट समारोह" था, जिस के अंतर्गत एमसीडी द्वारा पूरे दिल्ली में व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। अभियान में वृक्षारोपण कार्यक्रम, सामुदायिक शौचालय स्थलों की मैपिंग एवं नियमित स्वच्छता, बाज़ार क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक प्रतिबंध संबंधी जागरूकता कार्यक्रम तथा घर-घर जागरूकता अभियान शामिल थे।

ज) अक्टूबर 2025 के **त्योहारों के दौरान** एमसीडी ने बाज़ारों, छठ पूजा घाटों तथा दिल्ली के अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियों को और अधिक तेज किया। विशेष आईईसी पहल के रूप में बाज़ारों में सेल्फी-पॉइंट स्थापित किए गए, "फ्रीडम फ्रॉम गार्बेज" विषय पर जागरूकता अभियान चलाए गए, आरआरआर केन्द्रों के माध्यम से संग्रहण अभियान आयोजित किए गए तथा त्योहारों के दौरान स्वच्छता एवं वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में जन-संदेश प्रसारित किए गए।

झ) नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच एमसीडी द्वारा पीडब्ल्यूडी, डीयूएसआईबी, डीडीए, डीजेबी एवं अन्य जीएनसीटीडी विभागों के समन्वय से, आवासीय कॉलोनियों, झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों, मेट्रो कॉरिडोरों, संस्थागत क्षेत्रों, पार्कों तथा व्यावसायिक मार्गों में कुल 63 **व्यापक स्वच्छता अभियान** संचालित किए गए। इन अभियानों में लगभग 9,976 मानव संसाधन तैनात किए गए तथा 1,946 एमटी नगरपालिका सॉलिड वेस्ट उठाया गया, जिससे स्वच्छता प्रयासों को अधिक सतत एवं प्रभावी बनाया गया।

ञ) मार्च, 2026 में एमसीडी ने कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी आईईसी प्रयासों को भी मजबूत किया। इस अवधि में मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण तथा 09 मार्च, 2026 से लागू नव विकसित ऑनलाइन सी एंड डी वेस्ट संग्रहण अनुप्रयोग के उपयोग के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाई गई। इस विशेष अभियान के दौरान दिनांक **06.03.2026 से 26.05.2026** के बीच कुल **2.42 लाख एमटी** मलबा संग्रहित किया गया। अभियान में 600 मानव संसाधन, 25 हायवा ट्रक, 12 जेसीबी तथा 15 टाटा 407 वाहनों को लगाया गया। पूर्व में औसत मासिक सी एंड डी वेस्ट संग्रहण मात्र 3000–3500 टीपीडी था, जो अब बढ़कर 6100–6500 टीपीडी हो गया है; इस प्रकार संग्रहण में लगभग 90% से 100% तक वृद्धि दर्ज की गई।

ट) इसके अतिरिक्त, मार्च–अप्रैल 2026 के दौरान एमसीडी द्वारा रेल पटरियों से वेस्ट हटाने हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया, जिसमें दिनांक **06.03.2026 से 31.03.2026** के बीच कुल **102.9 किलोमीटर** लंबाई तक फैली रेल पटरियों से वेस्ट हटाया गया। वेस्ट नियमित रूप से दैनिक आधार पर उठाया जा रहा है। करोल बाग जोन में तैनात की गई 20 रेल बोगियों द्वारा दुर्गम पटरियों की सफाई की गई। इस अभियान के अंतर्गत कुल **21,050 एमटी** लेगेसी वेस्ट हटाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 123 स्थलों पर 49.74 किलोमीटर लंबाई के चिन्हित खंडों की सफाई की गई और **आजादपुर स्टेशन से बादली स्टेशन** तक की रेल पटरी पूर्णतया साफ की गई। **अतिरिक्त संसाधनों** के रूप में 550 मानव संसाधन, 34 टिप्पर्स, 14 रिक्शा, 28 हायवा ट्रक, 11 जेसीबी, 9 रिफ्यूज़ कम्पैक्टर तथा 7 टाटा 407 वाहनों की तैनाती की गई। इन स्थलों पर झुग्गी बस्तियों के निवासियों द्वारा वेस्ट की डम्पिंग के लिए लगभग **61 ट्विन-बिन** लगाए गए। निकटवर्ती निवासियों एवं झुग्गी-निवासियों के लिए उचित वेस्ट निस्तारण पद्धति के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए गए, जिन्हें ट्विन-बिन की स्थापना तथा सतत स्वच्छता हस्तक्षेपों के माध्यम से समर्थित किया गया।

ठ) विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर माननीय महापौर की अध्यक्षता में **एमसीडी के वार्ड पार्षदों के साथ विशेष परिषद बैठक** आयोजित की गई, जिसमें नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2026 (एसडब्ल्यूएम नियम 2026) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी पर बल दिया गया। तत्पश्चात 138 वार्ड पार्षदों के लिए ओखला, भलस्वा एवं गाज़ीपुर स्थित वेस्ट टू-एनर्जी संयंत्रों तथा डम्पसाइटों के अवलोकन दौरे आयोजित किए गए। इन दौरों के माध्यम से पार्षदों को वेस्ट डम्प साइट, लैंडफिल मैनेजमेंट एवं वैज्ञानिक वेस्ट निस्तारण की दिशा में एमसीडी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई।

ड) एमसीडी द्वारा "व्हाई वेस्ट वेडनेसडेज़ फाउंडेशन" (गैर-सरकारी संगठन) तथा "सेलस्मार्ट बाय एटेरो" के सहयोग से एक **"रीसाइकल मेला"** आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के घरों एवं कार्यालयों से उत्पन्न पेपर वेस्ट तथा ई-वेस्ट के सुरक्षित निपटान एवं रीसाइकल को प्रोत्साहित करना था। इस अभियान के दौरान 30 अप्रैल, 2025 से अप्रैल, 2026 तक कुल 5.29 एमटी ड्राइ वेस्ट संग्रहित किया गया।

ढ) निजी एजेंसियों (आईपीसीए तथा "बॉटल ऑफ चेंज" हेतु बिसलेरी) तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एमसीडी के सहयोग से **प्लास्टिक संग्रहण अभियान** संचालित किए गए, जिनके माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट को रीसाइकल एवं उपयोगी परियोजनाओं, जैसे रीसाइकल्ड बेंच, डस्टबिन,

सूचना-पट्ट एवं टी-शर्ट आदि में प्रयोजित किया गया। जनवरी 2025 से मार्च 2026 की अवधि में लगभग 4172 एमटी प्लास्टिक वेस्ट का रीसाइकल किया गया है।

ण) प्रमुख बाज़ार स्थलों पर **रिवर्स वेंडिंग मशीनें / प्लास्टिक श्रेडर मशीनें** स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक बोतलें, कैन इत्यादि के बदले कैश-बैक कूपन, निःशुल्क वाई-फाई जैसी प्रोत्साहन सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

त) नागरिकों के लिए प्रत्येक वार्ड में **"रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल" (आरआरआर केन्द्र)** स्थापित किए गए हैं, जहाँ वे प्रयुक्त वस्तुएँ (जैसे प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री, पुरानी पुस्तकें, पुराने वस्त्र आदि) जमा कर सकते हैं, ताकि उनका पुनः उपयोग अथवा रीसाइकल किया जा सके।

11. एसडब्ल्यूएम अवसंरचना हेतु भूमि की आवश्यकता

संशोधित एमपीडी-2047 के तहत संपूर्ण एमएसडब्ल्यू वैल्यू-चेन तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वेस्ट के निपटान हेतु (उपयुक्त भूमि चिह्नित की जाएगी, जो निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	**ज़ोन**	**स्थान**	**क्षेत्रफल**	**प्रस्तावित एसडब्ल्यूएम सुविधा का प्रकार**
क.	**मैकनाइज्ड सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम**			
1	दक्षिण	सफदरजंग एन्क्लेव, ग्रीन पार्क, नगर वार्ड सं. 150, दक्षिण ज़ोन	—	वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा (फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन – एफसीटीएस) का निर्माण
2	दक्षिण	खसरा सं. 1895, बंध रोड, बाबू अम्बेडकर पार्क के सामने, आया नगर	1326 वर्गमीटर	एफसीटीएस / सेगरीगेशन केन्द्र का निर्माण

क्रम सं.	ज़ोन	स्थान	क्षेत्रफल	प्रस्तावित एसडब्ल्यूएम सुविधा का प्रकार
3	दक्षिण	एग्जिक्यूटिव क्लब रोड, सतबारी, वार्ड सं. 160 (सईद-उल-अजब)	—	वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं का निर्माण
4	रोहिणी	ब्रह्म शक्ति अस्पताल के निकट, सेक्टर-23, रोहिणी का हरित क्षेत्र	780 वर्गमीटर	एफसीटीएस का निर्माण
5	सेंट्रल	कुमार टेक्निकल सेंटर के निकट एवं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पिलर सं. 14 के पास	1200 वर्गमीटर	एफसीटीएस का निर्माण
6	नरेला	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, प्रहलादपुर गाँव, वार्ड सं. 29, पूठ खुर्द के निकट	—	एफसीटीएस का निर्माण
7	नरेला ज़ोन	खसरा सं. 90/17/2, सीड फार्म रोड, अलीपुर, वार्ड सं. 4	—	एफसीटीएस का निर्माण
8	शाहदरा उत्तर ज़ोन	सुंदर नगरी, माता मंदिर के निकट	—	एफसीटीएस का निर्माण
9	नजफगढ़ ज़ोन	द्वारका में 4 स्थलों पर	—	एफसीटीएस का निर्माण
10	सभी 12 ज़ोन	स्थलों की पहचान की जानी है	36 एकड़	प्रत्येक ज़ोन में एक एकीकृत ट्रांसफर स्टेशन (प्रति स्टेशन 3 एकड़)
ख	**वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाएं**			
11	दक्षिण	मसूदपुर डेयरी	1.43	मवेशियों के गोबर

क्रम सं.	ज़ोन	स्थान	क्षेत्रफल	प्रस्तावित एसडब्ल्यूएम सुविधा का प्रकार
			एकड़	आधारित बायोगैस प्लांट
12	नजफगढ़	कमल पार्क के सामने खाली पड़ी भूमि, सागर पुर	2.5-3.0 एकड़	मवेशियों के गोबर आधारित बायोगैस प्लांट
13	सेंट्रल	जी-ब्लॉक, सरिता विहार	1.66	मवेशियों के गोबर आधारित बायोगैस प्लांट
14	रोहिणी	इंदिरा कैंप के सामने, सेक्टर 3	2.5-3	मवेशियों के गोबर आधारित बायोगैस प्लांट
15	शहादरा उत्तर	श्री राम कॉलोनी, पुलिस स्टेशन के पास, खजूरी खास	1.00	मवेशियों के गोबर आधारित बायोगैस प्लांट
16	सभी 12 ज़ोन	स्थलों की पहचान की जानी है।	25 एकड़	05 मवेशियों के गोबर आधारित बायोगैस प्लांट
17	शहादरा उत्तर	घोंडा गुजरान	50	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा
18	सभी 12 ज़ोन	स्थलों की पहचान की जानी है।	12 एकड़	प्रति ज़ोन 02 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) (0.5 एकड़ ज़मीन में 1 एमआरएफ)
19	सभी 12 ज़ोन	स्थलों की पहचान की जानी है।	40 एकड़	500 टीपीडी क्षमता वाले 04 बायो-सीएनजी/सीबीजी प्लांट
20	स्थलों की पहचान की जानी है।		40 एकड़	कुल 5000 टीपीडी क्षमता के 02

क्रम सं.	**ज़ोन**	**स्थान**	**क्षेत्रफल**	**प्रस्तावित एसडब्ल्यूएम सुविधा का प्रकार**
				डब्ल्यूटीई प्लांट
21	स्थलों की पहचान की जानी है।		20 एकड़	कुल 2000 टीपीडी क्षमता का 02 सी एंड डी प्लांट
22	स्थलों की पहचान की जानी है।		30 एकड़	03 सिल्ट वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधा
निपटान				
23	सिविल लाइंस	गोपालपुर वजीराबाद फ्लाईओवर के पास	50 एकड़	इनर्ट और सी एंड डी वेस्ट जैसे बायोमाइन्ड फ्रैक्शन का डिस्पोज़ल
24	स्थलों की पहचान की जानी है।		150 एकड़	उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के लिए 03 इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल सुविधा (ईएसएलएफ)

संशोधित एमपीडी-2047 के अंतर्गत, एसडब्ल्यूएम नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुसार, समूह आवासीय सोसायटियों, मॉल इत्यादि जैसे बल्क वेस्ट जेनरेटर्स के लिए योजनाएँ तैयार करने / स्वीकृत करते समय डीडीए द्वारा वेट वेस्ट के प्रोसेसिंग हेतु पर्याप्त भूमि को पृथक रूप से चिह्नित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लेगेसी वेस्ट के निपटान के संदर्भ में, दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में इनर्ट तथा सी एंड डी वेस्ट के निस्तारण हेतु भूमि / नीचे गड्ढेनुमा जगहों का अभाव है। इस संबंध में, डीडीए द्वारा दिल्ली स्थित निचले क्षेत्रों / गड्ढों को भरने के लिए बायोमाइंड फ्रैक्शन्स, जैसे इनर्ट एवं सी एंड डी वेस्ट के निपटान हेतु उपयुक्त क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए।

5. सर्विस प्लान – नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी)

दिल्ली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का परिप्रेक्ष्य योजना – 2041

एजेंसी: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी)

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए निम्नलिखित अनुमानित जनसंख्या प्रक्षेपण पर विचार किया जाए:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की निश्चित जनसंख्या लगभग 2.67 लाख है।

निम्न विकास परिदृश्य	**मध्यम विकास परिदृश्य**	**उच्च विकास परिदृश्य**
3 लाख	3.2 लाख	3.5 लाख

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मास्टर प्लान, 2041 के अंतर्गत सेवा कार्य-योजना निम्नानुसार है:

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम)

स्थिति	**अपेक्षित जानकारी**	
उत्पादन	कुल एमएसडब्ल्यू उत्पन्न होने की संभावना	350 – 400 एमटी
	ग्रीन वेस्ट, ड्राई वेस्ट (पुनः उपयोग योग्य वेस्ट एवं इनर्ट पदार्थ) का अनुमान	100 एमटी वेट वेस्ट 250 -300 एमटी ड्राई वेस्ट
प्रबंधन रणनीति	**निम्नलिखित के लिए पृथक प्रबंधन योजनाएँ (संग्रह, सेगरीगेशन और प्रसंस्करण);**	
	ग्रीन वेस्ट	हरित / जैविक वेस्ट का प्रबंधन ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, होम कम्पोस्टिंग, कम्पोस्ट गड्ढों, बायोगैस प्लांट तथा ओखला स्थित कम्पोस्ट प्लांट के माध्यम से किया जाता है (लगभग 100 एमटी गीले वेस्ट के लिए)
	पुन: प्रयोज्य वेस्ट	पुन: प्रयोज्य वेस्ट — रीसाइक्लिंग के लिए 25 एमटी (एनजीओ और रीसाइकलर्स)
	इनर्ट	इनर्ट वेस्ट को, वेस्ट टू-एनर्जी प्लांट, ओखला से दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लैंडफिल स्थल पर भेजा जाता है।

	निम्नलिखित स्थितियों के संबंध में सूचना शामिल करने के लिए प्रबंधन योजनाएं;	
	स्थानीय स्तर पर संग्रहण एवं सेगरीगेशन दक्षता में सुधार (जैसे आरडब्ल्यूए/ मोहल्ला/ बाज़ार संघ/ सॉलिड वेस्ट ज़ोन / वार्ड आदि)	घर-घर से वेस्ट का संग्रहण तथा उसका विभाजन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के अनुसार किया जाता है, अर्थात वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट एवं घरेलू खतरनाक वेस्ट
	स्थानीय स्तर पर गीले वेस्ट के प्रोसेसिंग को बढ़ाया जा रहा है, जैसे कम्पोस्टिंग, बायोमीथनेशन आदि।"	पहले ही ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है।
	वेस्ट की छँटाई एवं सामग्री की पुनर्प्राप्ति में सुधार, (एमपीडी ढ़लाव स्थलों को विकेन्द्रित स्तर पर मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी के रूप में पुनः प्रयोजित करने संबंधी सिफारिश करेगा) आदि।	वेस्ट का स्व-स्थाने सेगरीगेशन तथा ड्राई वेस्ट की सूक्ष्म सेगरीगेशन के लिए मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी का निर्माण।
	लैंडफिल साइट्स का सुधार और लेगेसी वेस्ट का दोबारा इस्तेमाल/रीसाइकल	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है
	मौजूदा लैंडफिल को इंजीनियर्ड/साइंटिफिक लैंडफिल में बदलना	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है
	विशेष योजनाएँ; मुख्य एसडब्ल्यूएम सिस्टम में अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करना (ताकि बेहतर मैनेजमेंट हो सके और साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा, साफ़-सफ़ाई और काम की बेहतर स्थितियों को सुनिश्चित किया जा सके)।	पहले से ही प्रणाली में समेकित किया जा चुका है और बताई गई शर्तें प्रदान की जा रही हैं।
	कम्पोस्ट और दूसरे रीयूज़ेबल / रीसाइकल योग्य उत्पादों के लिए मार्किटिंग रणनीतियाँ)।	उत्पादित कम्पोस्ट का उपयोग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उद्यान विभाग द्वारा ही किया जाएगा। पुनः उपयोग योग्य / रीसाइकल योग्य चीज़ें अधिकृत रीसाइक्लरों को सौंप दी जाएंगी।
	जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम	उक्त कार्यक्रम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा पूर्ण सक्रियता के साथ निरंतर संचालित किए जा रहे हैं तथा क्षमता-निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन के प्रभावों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

2. दिल्ली मास्टर प्लान – 2041 की कार्य योजना में सम्मिलित किए जाने वाले मुख्य लक्ष्य:

घटक	वर्तमान स्थिति	2041 के लिए लक्ष्य	चरणबद्ध योजना
एमएसडब्ल्यू संग्रह की दक्षता	100%	100%	**1.1** लागू नहीं (एनए)
एमएसडब्ल्यू पृथक्करण दक्षता	100%	**1.2** 100%	**1.3** 100%
स्थानीय रूप से प्रोसेस किए गए ग्रीन वेस्ट का प्रतिशत (जैसे, कंपोस्ट किया गया या प्रोसेसिंग की कोई अन्य विधि)	100%	100%	**1.4** 100%
रीसाइक्लिंग केंद्रों / उद्योग को भेजे गए रीसाइक्लेबल वेस्ट का प्रतिशत	20%	100%	प्रति वर्ष 10% की वृद्धि
इन्फार्मल वेस्ट वर्कर्स एवं यूनिट्स (रीसाइक्लर, कबाड़ी वाले, कचरा उठाने वाले आदि) की पहचान और सूची	100% (पहले ही हो गया है)	100%	100% पूर्ण हुआ
औपचारिक एमएसडब्ल्यू मैनेजमेंट योजना के साथ एकीकृत किए गए पहचाने गए इन्फार्मल वेस्ट वर्कर्स एवं यूनिट्स का प्रतिशत	**1.5** 100%	**1.6** 100%	**1.7** 100% पूर्ण हुआ
लैंडफ़िल साइट्स पर जाने वाले वेस्ट में कमी	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है
लैंडफ़िल साइट्स का भूमि सुधार (लेगेसी वेस्ट को हरित बनाना और प्रोसेसिंग करना)	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है

6. सर्विस प्लान - पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी)

पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी की ओर से दिल्ली में नॉन-म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु सर्विस प्लान

स्थिति	आवश्यक जानकारी
उत्पादन	**सी एवं डी वेस्ट का अनुमान:** दिल्ली में सी एवं डी वेस्ट उत्पादन की अनुमानित मात्रा 6000-6500 टीपीडी है। वर्तमान में दिल्ली में 4 सी एवं डी वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाएँ हैं, जो नीचे दी गई हैं: (i) जहाँगीरपुरी (बुराड़ी) (2000 टीपीडी) (ii) रानी खेड़ा (1000 टीपीडी) (iii) शास्त्री पार्क (1000 टीपीडी) (iv) बक्करवाला (1000 टीपीडी) **वित्तीय वर्ष 2024 – 25 हेतु दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार:** सी एवं डी वेस्ट उत्पादन की मात्रा - 6156.1 टीपीडी। प्रोसेस / रीसाइकल किए गए सी एवं डी वेस्ट की मात्रा - 2676.3 टीपीडी (43.5%)। उत्पादन और प्रोसेसिंग / रीसाइक्लिंग के बीच का अंतर - 3479.8 टीपीडी (56.5 %) **2047 के लिए लक्ष्य (मिलियन एमटी): 5.4** (18008.2 टीपीडी)** *****दिल्ली में सी एवं डी वेस्ट उत्पादन का अनुमान, नीति आयोग की जनवरी 2019 की रिपोर्ट "निर्माण एवं डेमोलिशन सेक्टर में संसाधन दक्षता पर कार्य नीति" के अनुसार - 4,600 एमटी/दिन (1.38 मिलियन टन प्रति वर्ष)

	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सी एवं डी वेस्ट उत्पादन की 5% वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए। ** वार्षिक उत्पादन की गणना करने के लिए दैनिक उत्पादन को 300 से गुणा किया गया है, क्योंकि सी एवं डी वेस्ट का उत्पादन पूरे वर्ष स्थिर नहीं रहता और मानसून के बरसाती मौसम के दौरान लगभग खत्म हो जाता है। **बायो-मेडिकल वेस्ट: दिल्ली में अतिरिक्त सामान्य बायो-मेडिकल वेस्ट शोधन और निपटान सुविधाओं (सीबीडब्ल्यूटीएफएस) की संख्या और क्षमताओं की आवश्यकता के लिए 2020 में किए गए गैप विश्लेषण अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2031 में भविष्य में कुल बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पादन = 80,000 कि.ग्रा./दिन अनुमानित है। दिनांक 21.12.2016 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी नए सीबीडब्ल्यूटीएफ की अनुमति देने से पहले, निर्धारित प्राधिकरण {दिल्ली के मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी)} को मौजूदा जैव-चिकित्सा वेस्ट प्रबंध और निपटान सुविधा के कवरेज क्षेत्रों में 5 वर्ष में कम-से-कम एक बार जैव-चिकित्सा वेस्ट उत्पादन के संबंध में एक सूची या समीक्षा तैयार करनी होगी। निर्धारित प्राधिकरण को अगले 10 वर्षों के लिए कवरेज क्षेत्र के आधार पर बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पादन का अनुमान लगाना भी ज़रूरी है। **ई-वेस्ट: कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है। ई-वेस्ट की सूची बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।** **प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन:** दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन लगभग 1290 टन प्रति दिन है, जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल नगर निगम सॉलिड वेस्ट उत्पादन का लगभग 10% है, अर्थात् 12862 टन प्रति दिन है।
प्रबंधन रणनीति	**सी एवं डी वेस्ट हेतु प्रबंधन योजना:** दिल्ली में क्रियाशील सी एवं डी प्लांट की प्रोसेसिंग क्षमता (5000 टीपीडी) • जहाँगीर पुरी (बुराड़ी) - 2000 टीपीडी • शास्त्री पार्क - 1000 टीपीडी • बक्करवाला - 1000 टीपीडी

	• रानी खेड़ा (मुंडका) - 1000 टीपीडी (दिल्ली में 4 प्रोसेसिंग सुविधाओं में प्राप्त सी एवं डी वेस्ट: 5000 टीपीडी) **दिल्ली में प्रस्तावित सी एवं डी वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधा (1000 टीपीडी)** ओखला डंपसाइट में 7 एकड़ पुनःप्राप्त भूमि में 1000 टीपीडी क्षमता वाली एक सी एवं डी प्रोसेसिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है, जो 2 ज़ोन अर्थात् केंद्र और दक्षिण के लिए होगी। नीलामी की बोलियाँ प्राप्त होने और तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, वित्तीय बोली दिनांक 30.10.2024 को खोली गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेट और एजेंसी को अनुमोदित किया गया और एजेंसी को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) दे दिया गया है। आरंभ करने की संभावित तिथि दिसंबर, 2026 है। **<u>बायो-मेडिकल वेस्ट</u>:** बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक हेल्थ केयर फेसिलिटी को अपने द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले वेस्ट के संग्रहण, ढुलाई, शोधन और निपटान के लिए संबंधित सीबीडब्ल्यूटीएफ के साथ एक समझौता करना अनिवार्य होगा। दिल्ली में दो सामान्य बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) द्वारा बायो-मेडिकल वेस्ट का संग्रहण, ढुलाई और शोधन का कार्य किया जाता है। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई भूमि पर कार्यरत एक सीबीडब्ल्यूटीएफ की लीज़ समाप्त होने को देखते हुए, डीपीसीसी ने अगले 25 वर्षों अर्थात् वर्ष 2050 में होने वाले बायो-मेडिकल वेस्ट के आने वाले उत्सर्जन के प्रबंधन हेतु दो क्षेत्रों में बीएमडब्ल्यू उत्सर्जन के प्रबंधन के लिए निजी भूमि पर दो नए सीबीडब्ल्यूटीएफ लाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। **क्षेत्र-1: (पूर्व, उत्तर-पूर्व, मध्य और पुरानी दिल्ली जिले) और क्षेत्र-2: (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और बाहरी उत्तरी जिले)** **<u>ई-वेस्ट:</u>** • दिल्ली में 11 ज़िले हैं, इसलिए प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक कलेक्शन सेंटर होना चाहिए ताकि ई-वेस्ट को आसानी से गिराया जा सके।

	• दिल्ली के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम-से-कम 3 ई-वेस्ट ईको-पार्क (क्षेत्रफल में 5 एकड़ से कम न हो) बनाए जाने चाहिए, जहाँ उचित तरीके से डिसमैंटलिंग और नवीकरण का काम किया जा सके। • प्रभावशाली कार्य हेतु दिल्ली में कम से कम दो रीसाइक्लिंग इकाइयाँ बनाई जानी चाहिए और राज्य बोर्ड आसानी से डीलरों की प्रामाणिकता, रीसाइक्लर के साथ कानूनी रूप से जुड़े होने पर नवीकरण और डिसमैंटलिंग की पुष्टि कर सकता है। • ऐसे एटीएम लगाए जा सकते हैं, जहाँ हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बदले कैश बैक दिया जा सके। • यूएलबीएस ई-वेस्ट के निपटान के लिए टोल-फ़्री नंबर और डोर-टू-डोर सेवाएँ दे सकते हैं। • शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दैनिक आधार पर संग्रह हेतु ई-वेस्ट के लिए एक अलग डिब्बे का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे नगर निगम वेस्ट के लिए घर-घर जाकर संग्रह के लिए गीले और सूखे वेस्ट के डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। **<u>प्लास्टिक वेस्ट:</u>** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016, में वर्ष 2018 में संशोधन अधिसूचित किया। जिसका उद्देश्य प्लास्टिक वेस्ट को कम करना, स्रोत स्तर पर अलग-अलग करना और रीसाइक्लिंग करना है। प्लास्टिक वेस्ट के भाग को एकत्र करना और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को अपनाना है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसका परामर्श है: क) यूएलबीएस, एसडीएमएस और डीपीसीसी सहित सभी विभागों को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 02.12.16 और 10.08.17 को जारी उन निदेशों का पालन करना होगा, जिसमें पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक से बने और नॉन-कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होटलों, रेस्टोरेंटों और जनता द्वारा डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक गिलास के प्रयोग पर प्रतिबंध और प्रत्येक गलती पर 5000/- रुपये के पर्यावरणीय मुआवज़े का आदेश है। सभी एजेंसियों को प्लास्टिक को जब्त करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है।

ख) इसके अतिरिक्त, सभी यूएलबीएस और डीपीसीसी को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016, जिनमें 2018 में संशोधन किया गया, के अंतर्गत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक से बने और नॉन-कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध और डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक ग्लास के प्रयोग पर प्रतिबंध के संबंध में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन करने का निदेश दिया गया है।

ग) प्लास्टिक व्यापारियों और विनिर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों को यह भी परामर्श दिया गया कि वे व्यापारियों/निर्माताओं को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों, 2016 जिसमें वर्ष 2018 में संशोधन किया गया, के प्रावधानों का पालन करने के लिए शिक्षित करें और उनका मार्गदर्शन करें। विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी के तौर पर प्लास्टिक व्यापार/निर्माता संघ को उप-नियमों को तैयार करने में यूएलबी को अपना पूर्ण सहयोग देना होगा।

<u>प्लास्टिक वेस्ट के निपटान की तकनीक:</u>

(i) यांत्रिक रीसाइक्लिंग।

(ii) सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग।

(iii) सीमेंट भट्ठों में प्लास्टिक वेस्ट का को-प्रोसेसिंग और वेस्ट टू एनर्जी बनाने वाले संयंत्रों में जलाना।

(iv) प्लास्टिक वेस्ट का ईंधन-तेल में परिवर्तन (रासायनिक रीसाइक्लिंग)।

(v) प्लाज़्मा पाइरोलिसिस टेक्नोलॉजी (पीपीटी) के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट का निपटान।

<u>पीडब्ल्यूएम हेतु कार्य योजना:</u>

1) नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा 2 कूड़ेदानों (सूखा और गीला) में एमएसडब्ल्यू को घर-घर जाकर इकट्ठा करना लागू किया जाएगा;

2) प्लास्टिक वेस्ट को अलग-अलग करने और इसकी रीसाइक्लिंग मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी (एमआरएफ) में की जानी चाहिए, जिसे दिल्ली में प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

3) नगर निगम और हितधारकों की हिस्सेदारी से विभिन्न जिलों में जन-जागरूकता

	कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि लोग **पचास माइक्रोन** से कम मोटाई वाले कैरी बैग का प्रयोग न करें और कूड़ा न फैलाएँ। 4) पीडब्ल्यू को खुले में जलाने से रोकने के लिए स्क्वैड्स का गठन करना। 5) प्लास्टिक का उपयोग रीसाइक्लिंग के **संसाधन** के रूप में किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग सड़क निर्माण, ऊर्जा रिकवरी (जैसे डब्ल्यूटीई को-प्रोसेसिंग), पीडब्ल्यू को तेल में बदलने आदि में किया जाना चाहिए। 6) **एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों,** जैसे कि कैरी बैग, कप, प्लेट, स्ट्रॉ, थर्माकोल उत्पादों आदि **का प्रयोग बंद करना**। 7) सामान्य प्लास्टिक के विकल्प के रूप में सीपीसीबी द्वारा प्रमाणित कंपोस्टेबल उत्पादों, जैसे कि कैरी बैग, कप, स्ट्रॉ आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना। 8) विभिन्न तकनीकों में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करना।
<u>अन्य जानकारी</u> • योजना अवधि के दौरान पहचाने गए प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर या विशेष परियोजनाओं, साथ ही परियोजना का विवरण और उनकी समय-सीमा। • परियोजनाओं हेतु भूमि की अनुमानित आवश्यकताएँ।	**<u>बायो-मेडिकल वेस्ट:</u>** *बायो-मेडिकल नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत, भूमि आबंटन से जुड़े विभाग की ज़िम्मेदारी होगी कि वे राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में सामान्य बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए उचित स्थल उपलब्ध कराएं और ऐसी सुविधा बनाने के लिए स्थल का चुनाव, संबंधित प्राधिकरण, दूसरे हितधारक से परामर्श करके और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा*। दिनांक 21.12.2016 के सीपीसीबी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि वैकल्पिक रूप से इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सुझाए गए स्थान मानदंडों के अनुसार किसी उद्यमी द्वारा **खरीदी गई भूमि पर सीबीडब्ल्यूटीएफ स्थापित करने की अनुमति भी दी जा सकती है**। डीपीसीसी अगले 25 वर्षों (वर्ष 2050 तक) की ज़रूरत को पूरा करने के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि पर 2 सीबीडब्ल्यूटीएफ के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है और परियोजना के वर्ष 2027 के अंत तक पूरी होने की संभावना है। सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीबीडब्ल्यूटीएफ को प्राथमिक रूप से बफ़र ज़ोन की किसी भी आवश्यकता के बिना अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाना चाहिए **(या)** सीबीडब्ल्यूटीएफ को अधिसूचित आवासीय और संवेदनशील क्षेत्रों से उचित दूरी पर स्थित किया जा सकता है और इसकी बफ़र दूरी

	अधिमानतः 500 मीटर होनी चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। **ई-वेस्ट :** • नियमित रूप से जन जागरूकता सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। • नवीकरण, डिसमैंटलर, रीसाइक्लर और डीलरों के लिए वर्ष में दो बार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

दिल्ली मास्टर प्लान 41 एक्शन प्लान में सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य:

घटक	वर्तमान स्थिति	2047 के लिए लक्ष्य	चरणबद्ध योजना
प्रोसेस किए गए सी एवं डी वेस्ट का प्रतिशत (नया + लेगेसी)	इनटेक का 97.44% [1.21 मिलियन टन/ वार्षिक (3310.73 टीपीडी)]	100%	**दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला डेटा**
रीसाइकल किए गए सी एवं डी वेस्ट उत्पादों (टाइलें, ब्लॉक, रीइन्फ़ोर्समेंट, फ़िलिंग मटीरियल आदि) का प्रतिशत।	रीसाइकिल किए गए उत्पाद 60.27% [0.73 मिलियन टन/ वर्ष (1995.51 टीपीडी)] जिसमें लेगेसी सी एवं डी वेस्ट उत्पाद सम्मिलित है]	100%	

7 और 8. सर्विस प्लान - दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) और विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2047 हेतु पावर ट्रांसमिशन सर्विस की परिप्रेक्ष्य योजना की प्रस्तुति

डीटीएल ने दिल्ली-2047 (एमपीडी-2047) के लिए पॉवर ट्रांसमिशन सेवाओं की संशोधित परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। यह योजना वर्ष 2047 तक पिछले लोड ग्रोथ ट्रेंड्स, अर्थात् विकसित क्षेत्रों के लिए 4%, एनडीएमसी क्षेत्र के लिए 2% और विकासशील क्षेत्रों के लिए 7%, का विस्तार करके तैयार किया गया है। दिल्ली के लिए अनुमानित अधिकतम बिजली की माँग वर्ष 2047 तक लगभग 25,500 मेगावाट तक पहुँचने का अनुमान है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप, प्रत्येक सब-स्टेशन की अधिकतम इंस्टॉल्ड क्षमता 500 एमवीए से बढ़ाकर 1000 एमवीए कर दी गई है। फलस्वरूप, भूमि की आवश्यकता में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:

वोल्टेज स्तर	प्रति सब-स्टेशन हेतु भूमि की आवश्यकता
220 केवी	न्यूनतम 10,000 वर्ग मीटर
400 केवी	न्यूनतम 40,000 वर्ग मीटर

सब-स्टेशनों और 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी लाइनों के लिए संबंधित मार्गाधिकार आवश्यकताओं सहित पॉवर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु संशोधित डीडीए ज़ोन-वार परिप्रेक्ष्य योजना, दिल्ली मास्टर प्लान – 2047 में विचार और समावेश हेतु संलग्न की गई है। संशोधित योजना का सारांश निम्नानुसार है:

वोल्टेज स्तर	मौजूदा सब-स्टेशन की संख्या	प्रस्तावित सब-स्टेशन की संख्या (क्रम में अथवा निष्पादन के अधीन)	प्रस्तावित सब-स्टेशनों की संख्या (एमपीडी-2047)	संबंधित मार्गाधिकार की आवश्यकता
765 केवी	02	शून्य	02	ओवरहेड (ओ/एच) ट्रांसमिशन लाइन (टी/एल) के लिए 67 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित
400 केवी	08	02	10	ओ/एचटी/एल के लिए 46 मीटर

220 केवी	43	04	37	भूमिगत केबल हेतु 2x2 मीटर के ओ/एचटी/एल के लिए 32 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित ।

एमपीडी 2047 हेतु पावर ट्रांसमिशन सेवाओं (765/400/220 केवी) की परिप्रेक्ष्य योजना

ज़ोन - ए							
क्रम संख्या	**मौजूदा 400/220केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज लेवल (प्रस्तावित इंस्टॉल्ड क्षमता)**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1	शून्य। इस ज़ोन में कोई ईएसएस नहीं है।	-	-	-	-	-	-
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1	-	220/33 केवी (500 एमवीए)	आसफ़ अली रोड (वॉल्ड सिटी)	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के लिए आवश्यक आकार को संशोधित करके 10000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2037	इससे मौजूदा राजघाट सब-स्टेशन, जैसे कि राजघाट, आईपी, लोधी रोड, आगामी महारानी बाग को राहत मिलेगी। इससे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, दिल्ली मेट्रो रेल और आगामी बहुमंज़िला विकास के नए भार की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी।	1. 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल राजघाट पावर हाउस से प्रस्तावित 220केवी/ 33केवी आसफ अली रोड सब-स्टेशन तक। (2x2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित) 2. 220केवी डी/सी भूमिगत केबल राजघाट

							पावर हाउस से प्रस्तावित 220 केवी/ 33 केवी सब्ज़ी मंडी सब-स्टेशन तक। (2x2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित)

ज़ोन - बी							
क्रम. सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज लेवल (प्रस्तावित इंस्टॉल की गई क्षमता)**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1	देव नगर (करोल बाग)	220/33 केवी	निर्माणाधीन				
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किए जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.	-	400/220/33 केवी (400 केवी पर 2500 एमवीए और 220 केवी पर 600 एमवीए)	आईएआरआई पूसा/देव नगर/पंजाबी बाग	200 × 200 वर्ग मीटर (40,000 वर्ग मीटर)	2030	दिल्ली में मौजूदा सभी 400 केवी सब-स्टेशन दिल्ली के बाहरी हिस्से में हैं। ओवरहेड कॉरिडोर की अनुपलब्धता के कारण, बिजली का भूमिगत केबलों के ज़रिए संचरण किया जा रहा है। 220केवी भूमिगत केबलों की लंबाई कम है और उनकी बिजली ले जाने की क्षमता सीमित है। इसलिए, दिल्ली के मध्य भाग में 400केवी स्तर	प्रस्तावित 400केवी नरेला सब-स्टेशन से प्रस्तावित 400 केवी/220/33केवी आईएआरआई पूसा सब-स्टेशन तक 400केवी एम/सी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन (आरओडब्ल्यू अपेक्षित) या बीबीएमबी रोहतक रोड के 46 मीटर सड़क अपग्रेडेशन के मामले में, प्रस्तावित 400केवी पंजाबी बाग

						के एक मज़बूत स्रोत की तत्काल आवश्यकता है। आईएआरआई पूसा/ बीबीएमबी पंजाबी बाग सब-स्टेशन का अपग्रेडेशन।	(रोहतक रोड) पर 400केवी नरेला-महाराणा बाग का एलआईएलओ।
2.		220/33 केवी (500 एमवीए)	कीर्ति नगर	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2047	मौजूदा क्षेत्र की लोड वृद्धि को पूरा करने के लिए यह प्रस्तावित ईएसएस आवश्यक है।	1. प्रस्तावित 400केवी आईएआरआई पूसा से प्रस्तावित 220 केवी/33 केवी कीर्ति नगर सब-स्टेशन तक 220केवी डी/सी भूमिगत केबल। (2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित) 2. प्रस्तावित हरि नगर से प्रस्तावित 220 केवी/33 केवी कीर्ति नगर सब स्टेशन तक 220 केवी

							डी/सी भूमिगत केबल। (2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित)

ज़ोन - सी							
क्रम. सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज लेवल**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	सब्ज़ी मंडी	220/33 केवी	मौजूद				
2.	संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर (एसजीटीएन)	220/66 केवी					
3.	गोपालपुर	220/66-33 केवी					
4.	तिमारपुर	220/33 केवी					
5.	गोपालपुर	400 केवी	मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशन का	40,000 वर्गमीटर	2029	यह सब-स्टेशन मौजूदा 400 केवी	प्रस्तावित 400 केवी गोपालपुर में डी/सी 400

			400 केवी में अपग्रेडेशन			मंडोला, हर्ष विहार, महारानी बाग आदि को राहत देगा।	केवी नरेला–महारानी बाग का एलआईएलओ।
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1	-	220/33 केवी (600 एमवीए)	आज़ादपुर	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2037	यह सब-स्टेशन आस-पास के इलाके की स्वभाविक वृद्धि की ज़रूरतें पूरी करेगा और मौजूदा गोपाल पुर (33 केवी लेवल) और सब्ज़ी मंडी इलाके को राहत देगा।	1. गोपालपुर से प्रस्तावित 220/33 केवी आज़ाद पुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। 2. प्रस्तावित 220 केवी अशोक विहार से प्रस्तावित 220/33 केवी आज़ाद पुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल।

ज़ोन - डी

क्रम. सं.	मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन	वोल्टेज लेवल	एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता	आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता	टिप्पणियाँ	प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन
1.	इलेक्ट्रिक लेन (हरीश चंद्र माथुर लेन)	220/33 केवी	**मौजूद**				
2.	लोधी रोड	220/33 केवी	**मौजूद**				
3.	पार्क स्ट्रीट	220/66-33 केवी	**मौजूद**				
4.	सरोजिनी नगर	220/33 केवी (500 एमवीए)	भूमि उपलब्ध है		2028	प्रस्तावित सब-स्टेशन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सरोजिनी नगर, नारौजी नगर के जारी विकास के लिए आवश्यक है।	प्रस्तावित 220/33 केवी सरोजिनी नगर सब-स्टेशन पर 220 केवी ट्रॉमा सेंटर- आरके पुरम भूमिगत डबल सर्किट केबल का एलआईएलओ ।
5.	सेंट्रल विस्टा	220/33 केवी (400 एमवीए)	सीपीडब्ल्यूडी ने भूमि निर्धारित की है।		2030	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सेंट्रल विस्टा के प्रगतिधीन विकास के लिए प्रस्तावित	1. महारानी रोड से प्रस्तावित 220/33 केवी सेंट्रल विस्टा सब-स्टेशन तक

					सब-स्टेशन की आवश्यकता है।	220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। 2. प्रस्तावित 220 केवी सरोजिनी नगर से प्रस्तावित 220/33 केवी सेंट्रल विस्टा सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल।

ज़ोन - ई

क्रम सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 के लिए आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	हर्ष विहार (लोनी रोड के पूर्व में)	400/220/ 66 केवी	मौजूदा सब-स्टेशन				
2.	पटपड़गंज	220/66-33 केवी					
3.	गाज़ीपुर	220/66 केवी					
4.	प्रीत विहार	220/33 केवी					

5.	गीता कॉलोनी	220/33 केवी					
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		220/33 केवी (500 एमवीए)	सीलम पुर	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2032	यह सब-स्टेशन मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशन जैसे गीता कॉलोनी, वज़ीराबाद, प्रीत विहार, पटपड़गंज आदि का भार कम करेगा।	1. 220 केवी गीता कॉलोनी से प्रस्तावित 220 केवी सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। टीएल 2×2 मीटर के लिए सड़क के किनारे आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220 केवी दिलशाद गार्डन से प्रस्तावित 220 केवी सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। टीएल 2×2 मीटर के लिए सड़क के किनारे आरओडब्ल्यू अपेक्षित ।

2.		220/66 केवी (640 एमवीए)	दिलशाद गार्डन / नंद नगरी / मंडोली	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2032	यह सब-स्टेशन मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशनों, जैसे वज़ीराबाद, हर्ष विहार आदि का भार कम करेगा।	1. 400/220 केवी हर्ष विहार से प्रस्तावित 220 केवी सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। टीएल 2×2 मीटर के लिए सड़क के साथ आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
3.		400/220/ 33 केवी (400 केवी पर 2000 एमवीए और 220 केवी पर 500 एमवीए)	गीता कॉलोनी	40,000 वर्गमीटर	2032 (400/220 केवी) 2045 (220/33 केवी)	डीडीए मौजूदा 220 केवी डीटीएल गीता कॉलोनी सब-स्टेशन के पास एक ऐसा क्षेत्र आबंटित कर सकता है, जहाँ से 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन को आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसलिए, 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के	प्रस्तावित 400केवी गीता कॉलोनी में 400 केवी नरेला से महारानी बाग तक का एलआईएलओ। 46 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

						लिए किसी अलग कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है।	
4.		220/66 केवी (640 एमवीए)	मयूर विहार	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2040	यह सब-स्टेशन मौजूदा 220 केवी सबस्टेशनों, जैसे कि पटपड़गंज और गाज़ीपुर आदि का भार कम करेगा।	प्रस्तावित मयूर विहार गाज़ी सब-स्टेशन पर मौजूदा 220 केवी डी/सी ओवरहेड महारानी बाग से गाज़ीपुर का एलआईएलओ।
5.		220/66 केवी (640 एमवीए)	यमुना विहार / लोनी रोड	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर	2047	यह प्रस्तावित सब-स्टेशन यमुना विहार क्षेत्र के आस-पास औद्योगिक और आवासीय लोड में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के	1. 220 केवी वज़ीराबाद से प्रस्तावित 220 केवी सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। टीएल 2×2 मीटर के लिए सड़क के किनारे आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

				दिया गया है		लिए भविष्य में विकास के लिए है।	2. 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल 220 केवी दिलशाद गार्डन से प्रस्तावित 220केवी लोनी रोड सब-स्टेशन तक। टीएल 2×2 मीटर के लिए सड़क के किनारे आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन – एफ

क्रम सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	मस्जिद मोठ	22/330 केवी	**मौजूद**				
2.	एम्स	220/33 केवी					
3.	सरिता विहार	220/66 केवी					
4.	आरके पुरम	220/66-33 केवी					
5.	वसंत कुंज	220/66 केवी					
6.	ओखला	220/66-33 केवी					
7.	तुगलकाबाद	400/220/66 केवी					

8.	रिज वैली	220 केवी					
9.	बीपीटीएस	220/66 केवी (480 एमवीए)	मौजूदा 220 केवी स्विचयार्ड में 66 केवी लेवल का निर्माण	2028		प्रस्तावित सब-स्टेशन मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशनों, जैसे कि सरिता विहार, ओखला और तुगलकाबाद आदि का भार कम करेगा।	लागू नहीं (एनए)
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		400/220केवी (2500 एमवीए)	सरिता विहार/बीटी पीएस के समीप	200 × 200 वर्गमीटर (40,000 वर्गमीटर)	2035	दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की दीर्घकालिक लोड आवश्यकता को पूरा करने और तुगलकाबाद एवं महारानी बाग सब-स्टेशनों को राहत देने के लिए।	प्रस्तावित सब-स्टेशन पर मौजूदा 400केवी बल्लभगढ़-महारानी बाग का एलआईएलओ। 46 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
2.		220/33 केवी (600 एमवीए)	नेहरू प्लेस	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2027	प्रस्तावित सब-स्टेशन के आस-पास मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशन, जैसे कि ओखला, मस्जिद मोठ आदि का भार कम करेगा।	प्रस्तावित सब-स्टेशन पर मौजूदा महारानी बाग–मस्जिद मोठ भूमिगत लाइन के एलआईएलओ से 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के

							साथ 2×2 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
3.		220/33 केवी (600 एमवीए)	मालवीय नगर	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2042	प्रस्तावित सब-स्टेशन के आस-पास मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशन जैसे ओखला, मस्जिद मोठ, प्रस्तावित नेहरू प्लेस आदि का भार कम करेगा।	1. प्रस्तावित सब-स्टेशन पर 220 केवी तुगलकाबाद–आरके पुरम भूमिगत केबल का एलआईएलओ। सड़क के साथ 2×2 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. 220केवी बीटीपीएस–मालवीय नगर। सड़क के किनारे 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

4.		220/66 केवी (800 एमवीए)	जेएनयू के पश्चिम में	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2039	यह ईएसएस मौजूदा 220 केवी ईएसएस (वसंत कुंज) का भार कम करेगा और लोड में होने वाली वृद्धि को प्रबंधित करने में सहायता करेगा।	प्रस्तावित रंग पुरी 400 केवी सब-स्टेशन से प्रस्तावित जेएनयू के पश्चिम तक 220केवी भूमिगत केबल। सड़क के किनारे 2×2 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
5.		220/66 केवी (800 एमवीए)	जसोला	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2040	यह ईएसएस मौजूदा 220केवी ईएसएस (सरिता विहार और ओखला) और आगामी बीटीपीएस को राहत देगा और लोड में होने वाली वृद्धि को प्रबंधित करने में सहायता करेगा।	प्रस्तावित सब-स्टेशन पर मौजूदा महारानी बाग–सरिता विहार का 220 केवी डी/सी ओवरहेड का एलआईएलओ। 32 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन - जी

क्रम सं.	मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन	वोल्टेज स्तर	एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता	आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता	टिप्पणियाँ	प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन
1.	पीरागढ़ी	22/33 केवी	**मौजूद**				
2.	डीआईएएल	220/66 केवी					
3.	नारायणा	220/33 केवी					
4.	बुढेला	220/66 केवी	भूमि उपलब्ध है	2028	प्रस्तावित सब-स्टेशन मौजूदा 220केवी सब-स्टेशनों जैसे नजफ़गढ़, पीपीके-II आदि का भार कम करेगा।		प्रस्तावित सब-स्टेशन के लिए ट्रांसमिशन पहले से ही उपलब्ध है।
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		220/33 केवी (300 एमवीए)	पंजाबी बाग	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया	2027	प्रस्तावित सब-स्टेशन के आस-पास मौजूद 220 केवी सब-स्टेशन, जैसे कि पीरागढ़ी, वज़ीरपुर, नारायणा आदि का भार कम करेगा।	1. 220केवी बुढेला से प्रस्तावित सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के साथ 2×2 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. 220केवी

				गया है			देव नगर से प्रस्तावित सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के साथ 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
2.		220/66 केवी (960 एमवीए)	एयरो सिटी	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2033	हवाई अड्डे के आस-पास मौजूद व्यावसायिक केंद्र के बढ़ते लोड की आवश्यकताओं को पूरा करने हतु।	1. प्रस्तावित सब-स्टेशन पर 220 केवी भूमिगत केबल डीआईएएल – महरौली लाइन का एलआईएलओ। 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 400/220 केवी रंग पुरी सब-स्टेशन से 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। 2×2 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

3.		220/66-33 केवी (66 केवी पर 640 एमवीए और 33 केवी पर 400 एमवीए)	जनकपुरी (पंखा रोड)	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2034	इससे प्रस्तावित पंजाबी बाग और मौजूदा नारायणा ईएसएस को राहत मिलेगी और लोड में होने वाली वृद्धि को प्रबंधित करने में सहायता मिलेगी।	प्रस्तावित सब-स्टेशन पर 220 केवी डी/सी ओवरहेड द्वारका-नारायणा लाइन का एलआईएलओ। 32 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
4.		220/33 केवी (500 एमवीए)	हरि नगर / प्रताप नगर	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2043	इससे मौजूदा पप्पनकलां-I और नारायणा ईएसएस को राहत मिलेगी और लोड वृद्धि को प्रबंधित करने में सहायता मिलेगी।	1. प्रस्तावित 220केवी हरि नगर से प्रस्तावित कीर्ति नगर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के साथ 2×2 मीटर का आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220 केवी हरि नगर से प्रस्तावित जनकपुरी सब-स्टेशन तक 220 केवी

							डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के किनारे 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन - एच

क्रम सं.	मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन	वोल्टेज स्तर	एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता	अपेक्षा अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता	टिप्पणियाँ	प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन
1.	रोहिणी- I	220/66 केवी	मौजूद				
2.	वज़ीरपुर	220/33 केवी					
3.	पीरा गढ़ी	220/33 केवी					

एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		220/66 केवी (640 एमवीए)	रोहिणी सेक्टर-1	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2042	इससे मौजूदा रोहिणी ईएसएस को राहत मिलेगी और 2047 तक एवं उसके बाद लोड वृद्धि को प्रबंधित करने में सहायता मिलेगी।	1. प्रस्तावित 220 केवी मंडोली पुरी से प्रस्तावित 220 केवी रोहिणी सेक्टर-1 सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के साथ 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220केवी बेगम पुर से प्रस्तावित 220केवी रोहिणी सेक्टर-1 सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के साथ 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
2.		220/ 33 केवी (600 एमवीए)	अशोक विहार	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार,	2031	इससे मौजूदा शालीमार बाग और वज़ीरपुर	1. 220केवी सब्ज़ी मंडी से प्रस्तावित 220केवी

				भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है		ईएसएस को राहत मिलेगी और लोड में होने वाली वृद्धि को प्रबंधित करने में सहायता मिलेगी।	अशोक विहार सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के साथ 2×2 मीटर की आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220केवी अशोक विहार से 220केवी गोपाल पुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। सड़क के किनारे 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन - जे

क्रम सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	महरौली	220/ 66 केवी			**मौजूद**		

एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		765/400/220 केवी (6000 एमवीए और 2500 एमवीए)	मांडी गाँव	400 × 400 वर्गमीटर (160,000 वर्गमीटर)	2033 (400/220 केवी) 2036 (765केवी)	दक्षिण दिल्ली के बढ़ते लोड की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक 765केवी ईएसएस की आवश्यकता है, जो मौजूदा और प्रस्तावित 400केवी ईएसएस को ग्रिड पावर देगा। इस प्रस्तावित सब-स्टेशन की योजना मांडी गाँव में बनाई गई है।	1. प्रस्तावित 400केवी मांडी में डी/सी 400 केवी बामनौली-तुगलकाबाद का एलआईएलओ। 46 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित है। 2. प्रस्तावित 765केवी मंडी गाँव में 765 केवी आगरा-खेतड़ी का एलआईएलओ। 67 मीटर के आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
2.		400/220 केवी (2500 एमवीए)	रंग पुरी	200 × 200 वर्गमीटर (20,000 वर्गमीटर)	2038	वसंत कुंज और आस-पास के इलाके में भविष्य में लोड में होने वाली वृद्धि हेतु 220 केवी का स्रोत प्रदान करने के लिए।	400 केवी डी/सी ओवरहेड प्रस्तावित 400 केवी मंडी से प्रस्तावित 400 केवी रंग पुरी सब-स्टेशन तक। 46 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

3.		220/66 केवी (800 एमवीए)	मैदान गढ़ी	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके 10,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है	2030	महरौली-तुगलकाबाद ओ/एच लाइन के पास भूमि आवंटित की जा सकती है। इससे मौजूदा महरौली ओखला ईएसएस को राहत मिलेगी।	प्रस्तावित 2220 केवी मैदान गढ़ी सब-स्टेशन पर 220 केवी ओवरहेड महरौली-तुगलकाबाद ओवरहेड लाइन का एलआईएलओ। 32 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित है।
4.		220/ 66 केवी (800 एमवीए)	आया नगर	10,000 वर्गमीटर	2034	इससे मौजूदा महरौली ईएसएस को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य में लोड में होने वाली वृद्धि की पूर्ति के लिए डीटीएल के पास इस दक्षिणी क्षेत्र में 220 केवी का कोई ईएसएस नहीं है।	1. आया नगर में डीआईएएल–महरौली ओ/एचटीएल का एलआईएलओ। 32 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित है। 2. प्रस्तावित मांडी गाँव से 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। 2×2 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित ।

5.		220/ 66 केवी (800 एमवीए)	फ़तेहपुर बेरी / असोला	10,000 वर्गमीटर	2040	इससे डीडीए के ज़ोन-जे के अंतर्गत नए विकास के लिए मौजूदा सरिता विहार, आगामी मैदान गढ़ी और ओखला ईएसएस को राहत मिलेगी।	1. प्रस्तावित 400/220 केवी मांडी से प्रस्तावित 220केवी फ़तेहपुरी बेरी तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। 32 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित फ़तेह पुरी बेरी से प्रस्तावित 220केवी आया नगर तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड प्रस्तावित है। 32 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
6.		220/66 केवी (800 एमवीए)	भाटी माइन्स	10000 वर्ग मीटर	2045	यह दिल्ली के इस दक्षिणी सिरे के बढ़ते लोड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्षमता प्रदान करेगा। इससे मौजूदा सरिता विहार, आगामी मैदान गढ़ी और ओखला ईएसएस को	प्रस्तावित भाटी माइंस सब-स्टेशन पर प्रस्तावित 220 केवी मंडी-फ़तेहपुर बेरी का एलआईएलओ। 32 मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

						डीडीए के ज़ोन-जे के अंतर्गत नए विकास के लिए राहत मिलेगी।	

ज़ोन – के – I

क्रम सं.	मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन	वोल्टेज स्तर	एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता	आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता	टिप्पणियाँ	प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन
1.	नजफ़गढ़	220/66 केवी	**मौजूद**				
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		220/66 केवी (800 एमवीए)	बक्करवाला	10,000	2036	डीडीए के-I ज़ोन के तहत लैंड पूलिंग लोड की आवश्यकता	प्रस्तावित बक्करवाला सब-स्टेशन पर मौजूदा 220 केवी डी/सी ओवरहेड नजफ़गढ़-कंझावला लाइन का एलआईएलओ। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

2.		220/66 केवी (800 एमवीए)	दिचाऊँ कलाँ	10,000	2044	डीडीए के- I ज़ोन के तहत लैंड पूलिंग लोड की आवश्यकता	प्रस्तावित दिचाऊँ कलाँ सब-स्टेशन पर मौजूदा 220 केवी डी/सी ओवरहेड नजफ़गढ़-मुंडका लाइन का एलआईएलओ। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन – के - II

क्रम सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	बामनौली	400/220 केवी	**मौजूद**				
2.	पप्पनकलां – I	220 केवी					
3.	पप्पनकलां – II	220 केवी					
4.	पप्पनकलां – III	220 केवी					
5.	द्वारका सेक्टर–5	400/220 केवी					
6.	भरथल	220/ 66केवी	भूमि उपलब्ध है		2030	प्रस्तावित सब-स्टेशन मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशन	प्रस्तावित भरथल सब-स्टेशन पर 220 केवी बामनौली-

						जैसे पीपीके-III, पीपीके-I आदि का भार कम करेगा।	डीआईएएल का प्रस्तावित एलआईएलओ।
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		220/66 केवी (800 एमवीए)	द्वारका सेक्टर–23	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके **10,000 वर्ग मीटर** कर दिया गया है।	2042	प्रस्तावित सब-स्टेशन मौजूदा 220केवी सब-स्टेशनों जैसे नजफ़गढ़, पीपीके-II, भरथल आदि का भार कम करेगा।	1. 220केवी पीपीके-III से प्रस्तावित द्वारका सेक्टर-23 तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। 2. प्रस्तावित 220केवी भरथल से प्रस्तावित द्वारका सेक्टर-23 तक 20 केवी डी/सी भूमिगत केबल। **2 × 2 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन – एल

क्रम सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	झटिकरा	765/ 400केवी	**मौजूद**				
2.	टिकरी कलां	400/220/ 66 केवी					
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		400/ 220/66 केवी (400 केवी पर 2500 एमवीए और 480 एमवीए)	झटिकरा	200 × 200 वर्ग मीटर	2030	हाई स्पीड रेल की आवश्यकता वाले ज़ोन-एल के विकास के लिए।	झटिकरा में 400 केवी झटिकरा-टिकरी कलां का एलआईएलओ।
2.		400/ 220केवी (2500 एमवीए)	मितराओं	200 × 200 वर्गमीटर	2040	इस ज़ोन को डीडीए लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत विकसित करने की सूचना दी गई है। ये सब-स्टेशन लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के लोड की आवश्यकता पूरी करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने 400 केवी और 220 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन	प्रस्तावित 400केवी मितराओं सब-स्टेशन पर मौजूदा डी/सी झटिकरा-मुंडका लाइन का एलआईएलओ। **46 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

						लाइनों के लिए आरओडब्ल्यू को निर्धारित करने का अनुरोध किया है।	
3.		220/66के वी (480 एमवीए)	मुंडेला खुर्द	10,000 वर्गमीटर	2040	ज़ोन-एल के विकास के लिए इस सब-स्टेशन की आवश्यकता हो सकती है।	1. प्रस्तावित 400 केवी मितराओं से प्रस्तावित 220 केवी मुंढेला खुर्द सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। **32** मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220 केवी ढांसा से प्रस्तावित 220 केवी मुंढेला खुर्द सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। **32** मीटर आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
4.		220/66केवी (480 एमवीए)	छावला/तेजपुर /बड़ुसराय	10,000 वर्गमीटर	2045		1. प्रस्तावित 400 केवी मितराओं से प्रस्तावित 220 केवी छावला/तेजपुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 400केवी झटिकरा से प्रस्तावित 220केवी छावला/तेज पुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सीओवरहेड। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

5.		220/66के वी (480 एमवीए)	ढांसा/इस्सापुर		2035	ज़ोन-एल के विकास के लिए इस सब-स्टेशन की आवश्यकता हो सकती है।	1. प्रस्तावित 400 केवी झटिकरा से प्रस्तावित 220 केवी ढ़ांसा सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220 केवी ढांसा से प्रस्तावित 220 केवी मुंढेला खुर्द सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन – एम

क्रम सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	रोहिणी - 2	220/66 केवी	**मौजूद**				
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		400/220/66केवी (400 केवी पर 2500 एमवीए और 220	बरवाला, सेक्टर-37	200 × 200 वर्गमीटर (40,000 वर्गमीटर)	2033	यह ज़ोन-एन के लैंड पूलिंग क्षेत्र की माँग और रोहिणी क्षेत्र की बढ़ती माँग	765/400 केवी नरेला से प्रस्तावित 400केवी बरवाला सब-स्टेशन तक

		केवी पर 640 एमवीए)				को पूरा करेगा। प्रस्तावित सब-स्टेशन मौजूदा 400केवी बवाना को बड़ी राहत देगा।	400 केवी एम/सी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। **46 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
		220/66 केवी (640 एमवीए)	बेगमपुर	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भूमि के आकार की आवश्यकता को संशोधित करके **10,000 वर्ग मीटर** कर दिया गया है।	2045	सेक्टर-21, 22, 41, बेगमपुर, प्रताप विहार की आवासीय कॉलोनियों और अन्य विकास की लोड वृद्धि की ज़रूरत इस प्रस्तावित ईएसएस के ज़रिए पूरी की जाएगी। अगर सेक्टर-22 रोहिणी में मौजूदा 66केवी ईएसएस के पास एक क्षेत्र (खाली भूमि) निर्धारित की जाती है, तो बिजली	प्रस्तावित 400 केवी बरवाला से प्रस्तावित 220 केवी बेगमपुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी भूमिगत केबल। **2 × 2 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

						की आसान आपूर्ति के लिए यह अधिक उचित होगा, क्योंकि यह जगह मौजूदा 220 केवी ईएचवी ओवरहेड लाइन के अधिक समीप है।	

ज़ोन – एन

क्रम सं.	**मौजूदा 400/ 220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	कंझावला	220/66 केवी	**मौजूद**				
2.	765 केवी नरेला	**मौजूद**					
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		400/220 केवी (2500 एमवीए)	चांदपुर	200 × 200	2040	ज़ोन-एन के विकास के लिए इस सब-स्टेशन की आवश्यकता	765/400 केवी नरेला से प्रस्तावित 400केवी चांदपुर तक

						हो सकती है।	400केवी एम/सी ओवरहेड लाइन। **46 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
2.		220/66केवी (640 एमवीए)	निज़ामपुर	10,000 वर्गमीटर	2036	प्रस्तावित सब-स्टेशन मौजूदा 220केवी सब-स्टेशनों जैसे कि कंझावला, मुंडका, डीएसआई आईडीसी बवाना आदि का भार कम करेगा।	1. प्रस्तावित 220केवी कुतुब गढ़ से प्रस्तावित 220केवी निज़ामपुर तक 220केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. मौजूदा डीएसआईआई डीसी बवाना से प्रस्तावित 220केवी निज़ाम पुर तक 220केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
3.		220/66केवी (640	कुतुबगढ़	10,000 वर्गमीटर	2041	डीडीए प्रस्तावित	1. प्रस्तावित 400केवी चाँद

		एमवीए)				कंझावला औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए निज़ामपुर के पास एक क्षेत्र आवंटित कर सकता है। साथ ही, लोड में वृद्धि की आवश्यकता पूरी करने के लिए डीटीएल के पास इस पश्चिमी क्षेत्र में कोई 220केवी ईएसएस नहीं है।	पुर से प्रस्तावित 220केवी कुतुब गढ़ तक 220केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित निज़ामपुर सब-स्टेशन से 220केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन – ओ

क्रम सं.	**मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन**	**वोल्टेज स्तर**	**एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता**	**आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**	**वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता**	**टिप्पणियाँ**	**प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन**
1.	वज़ीराबाद	220/66 केवी					
2.	कश्मीरी गेट	220/33 केवी					
3.	राजघाट	220/33 केवी					

4.	आईपी पावर	220/33 केवी			**मौजूद**		
5.	प्रगति पावर	220/66 केवी					
6.	महारानी बाग	400/220/66 -33 केवी					
7.	आईपी पावर	400 केवी			मौजूदा 220 केवी का समय आने पर अपग्रेडेशन किया जाएगा।		
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		220/66 केवी (640 एमवीए)	करावल नगर/सभापुर (मौजूदा डीटीएल 220 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के नीचे)	100 × 100 (10,000 वर्गमीटर)	2043	यह सब-स्टेशन मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशन जैसे वज़ीराबाद, हर्ष विहार आदि का भार कम करेगा।	प्रस्तावित 220 केवी सभापुर सब-स्टेशन पर 220 केवी ओवरहेड मंडोला-वज़ीराबाद लाइन का एलआईएलओ।

ज़ोन – पी-I

क्रम सं.	मौजूदा 400/ 220 केवी सब-स्टेशन	वोल्टेज स्तर	एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता	आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता	टिप्पणियाँ	प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन
1.	बवाना	400/220/ 66केवी			**मौजूद**		
2.	नरेला	220/66 केवी					
3.	टिकरी खुर्द	400/220/ 66केवी	भूमि उपलब्ध है		2029	यह प्रस्तावित सब-स्टेशन ज़ोन-पी-II (नरेला सब-सिटी) के नए विकास में सहायता करेगा और मौजूदा नरेला सब-स्टेशन का भार कम करेगा।	टिकरी खुर्द में 400 केवी बवाना-मंडोला का एलआईएलओ ।
4.	डीएसआईआईएससी बवाना	220/66केवी			**मौजूद**		
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		220/66 केवी (800 एमवीए)	होलम्बी कलाँ/शाहपुर गढ़ी/नयाबाँस	100 × 100 (10,000 वर्गमीटर)	2035	ज़ोन-पी-I (नरेला सब-सिटी) के विकास के लिए इस	1. प्रस्तावित 400/220केवी टिकरी खुर्द से होलम्बी कलाँ तक 220 केवी

						सब-स्टेशन की आवश्यकता हो सकती है।	डी/सी ओवरहेड। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220 केवी बुढ़पुर से प्रस्तावित 220 केवी होलम्बी कलाँ तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
2.		220/66 केवी (800 एमवीए)	बूढ़पुर	100 × 100 (10,000 वर्गमीटर)	2040	ज़ोन-पी-I (नरेला सब-सिटी) के विकास के लिए इस सब-स्टेशन की आवश्यकता हो सकती है।	मौजूदा 220 केवी एसजीटीएन लाइन से प्रस्तावित 220 केवी बुढ़पुर तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
3.		220/66 केवी (800 एमवीए)	बांकनेर गाँव		2047	डीडीए डीएसआई आईडीसी बवाना और नरेला आदि के आस-पास के	प्रस्तावित 220 केवी बांकनेर सब-स्टेशन पर मौजूदा 220 केवी नरेला-डीएसआईआई डीसी बवाना

						औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने और इस जगह के आस-पास मौजूद आवासीय क्षेत्रों की बढ़ती लोड की आवश्यकता पूरी करने के लिए बांकनेर के पास एक क्षेत्र आबंटित कर सकता है। अगर संभव हो, तो डीडीए बांकनेर गाँव के क्षेत्र के पास, मौजूदा 220 केवी ईएचवी लाइन के साथ भूमि आवंटित कर सकता है।	ओवरहेड लाइन का एलआईएलओ। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

ज़ोन – पी-II

क्रम सं.	मौजूदा 400/220 केवी सब-स्टेशन	वोल्टेज स्तर	एमपीडी 2047 हेतु आवश्यकता	आवश्यक अनंतिम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्ष के अनुसार सब-स्टेशन की आवश्यकता	टिप्पणियाँ	प्रस्तावित संबंधित ट्रांसमिशन लाइन
	शून्य						
एमपीडी–2047 में सम्मिलित किया जाने वाला नया प्रस्ताव							
1.		765/400/ 220 केवी (765 केवी पर 6000 एमवीए और 400 केवी पर 2500 एमवीए)	पल्ला गाँव	400 × 400 वर्गमीटर (160,000 वर्गमीटर)	2041	इस क्षेत्र को डीडीए लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। यह सब-स्टेशन नए विकास के साथ-साथ दिल्ली की उत्तरी सीमा पर मौजूदा क्षेत्र के लिए बिजली आपूर्ति के एक प्रमुख स्रोत के रूप में आवश्यक है। डीडीए यमुना के तट और दिल्ली की सीमा के	प्रस्तावित 765 केवी पल्ला गाँव में एस/सी मेरठ–बिवानी ओवरहेड लाइन का एलआईएलओ। **67 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

						पास भूमि आबंटित कर सकता है।	
2.		220/66 केवी (640 एमवीए)	नथुपुरा/बुराड़ी/ बदरपुर माजरा	100 × 100 (10,000 वर्गमीटर)	2033	नथुपुरा, बुराड़ी, संत नगर की लोड माँग तेज़ी से बढ़ रही है। यह सब-स्टेशन मौजूदा गोपाल पुर सब-स्टेशन का भार कम करेगा।	प्रस्तावित 220 केवी बुराड़ी सब-स्टेशन पर 220 केवी डी/सी मंडोला-गोपालपुर का एलआईएलओ। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
3.		220/66 केवी (640 एमवीए)	मुखमेलपुर गाँव/बकोली/ हामिदपुर	100 × 100 (10,000 वर्गमीटर)	2040	ज़ोन-पी-II के विकास के लिए इस सब-स्टेशन की आवश्यकता हो सकती है।	1. प्रस्तावित 220 केवी मोहम्मदपुर से प्रस्तावित मुखमेलपुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. प्रस्तावित 220केवी बुराड़ी से प्रस्तावित मुखमेल पुर तक 220केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर**

							आरओडब्ल्यू अपेक्षित।
4.		220/66 केवी (640 एमवीए)	मोहम्मदपुर गाँव	100 × 100 (10,000 वर्गमीटर)	2045	इस क्षेत्र को डीडीए लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत विकसित करने की सूचना दी गई है। डीडीए, डीटीएल की मौजूदा लाइनों के पास ज़मीन आवंटित कर सकता है।	1. 765/400/220 केवी पल्ला गाँव से प्रस्तावित मोहम्मदपुर सब-स्टेशन तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित। 2. मोहम्मदपुर से प्रस्तावित मुखमेलपुर तक 220 केवी डी/सी ओवरहेड लाइन। **32 मीटर** आरओडब्ल्यू अपेक्षित।

9. सर्विस प्लान - इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)

दिल्ली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्लान की संभावित योजना - 2047

एजेंसी: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)

भारत सरकार, भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की इच्छुक है – जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% करना है। आगे चलकर, पीएनजी और सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग पर अधिक ज़ोर देने और एफओ, एलएसएचएस, कोयला आदि जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों के प्रयोग को कम करने की आवश्यकता है। डीज़ल की बढ़ती कीमतों के कारण से डीज़ल वेरिएंट के उत्पादन में गिरावट आ रही है और वाहन ओईएम द्वारा अधिक-से-अधिक सीएनजी वेरिएंट लाँच किए जा रहे हैं।

वर्तमान में एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के अवसर उपस्थित हैं। दिल्ली में प्रयोग में लाए जा रहे डीज़ल ट्रकों/बसों को एलएनजी में बदलने की भी असीम संभावना है। आईजीएल द्वारा योजनाबद्ध बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं के अंतर्गत ई-रिक्शा/दुपहिया वाहनों जैसे नए सेगमेंट का लाभ उठाया जा सकता है।

अगले 5 वर्षों के लिए सीएनजी, औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू बिक्री की मात्रा में अनुमानित वृद्धि नीचे दी गई है। इस क्षेत्र में विकास की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, आईजीएल प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार अपने सर्विस प्लान को अपडेट करेगा।

*तालिका 1: बिक्री की मात्रा (*एमएमएससीएमडी*) में सेगमेंट के आधार पर अनुमानित वृद्धि*

भाग	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	अनुमानित सीएजीआर
सीएनजी (ए)	5.09	5.60	6.16	6.77	7.45	10%
घरेलू (पीएनजी)	0.52	0.57	0.63	0.7	0.77	10%
औद्योगिक (पीएनजी)	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	1%
व्यावसायिक (पीएनजी)	0.20	0.22	0.25	0.28	0.31	12%
पीएनजी (कुल)	0.89	0.97	1.05	1.16	1.26	9%
कुल सीएनजी+पीएनजी	**5.98**	**6.56**	**7.21**	**7.93**	**8.71**	**10%**

1.1.1 सीएनजी तथा पीएनजी: अगले 5 वर्षों में, 110 नए सीएनजी स्टेशनों की योजना बनाई गई है (लैंड पूलिंग ज़ोन को छोड़कर) और अगले 5 वर्षों में लगभग 100 फ़ील्ड रेगुलेटरी स्टेशनों की आवश्यकता होगी

(प्रत्येक स्टेशन के लिए अपेक्षित क्षेत्रफल लगभग 80 वर्गमीटर है)। मदर स्टेशन के लिए 3000 वर्गमीटर और ऑनलाइन स्टेशन के लिए 1080 वर्गमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आईजीएल की योजना आगे चलकर सभी संभावित पीएनजी कनेक्शनों (तकनीकी और सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने वाले) को जोड़ने की है।

10. सर्विस प्लान – सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जीएनसीटीडी

दिल्ली के ड्राफ़्ट मास्टर प्लान (परिप्रेक्ष्य वर्ष 2047) में सम्मिलित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जीएनसीटीडी के अपडेट किए गए सर्विस प्लान का प्रस्तुतीकरण।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कई रणनीति प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहलें आरंभ कर रही है, जिनका उद्देश्य दिल्ली को डिजिटल इनोवेशन, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास, ड्रोन टेक्नोलॉजी तथा भविष्य के लिए तैयार गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

बजट वर्ष 2026–27 में उल्लिखित विज़न तथा दिल्ली के प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम और डिजिटल गवर्नेंस क्षमताओं को मज़बूत बनाने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप, निम्नलिखित प्रमुख पहलों को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है:

1. प्रस्तावित सेमीकंडक्टर नीति वर्ष 2026-27 के अंतर्गत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम की पहल।
2. प्रस्तावित ड्रोन नीति वर्ष 2026-27 के तहत ड्रोन इकोसिस्टम और इनोवेशन की पहल।
3. डीआईएसएचए (डिजिटल इनोवेशन एंड स्मार्ट हब के लिए एडवांसमेंट)।
4. एआई-सक्षम राज्य डेटा सेंटर / सरकारी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर।

इन पहलों को दिल्ली में इनोवेशन, उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाने, एआई -आधारित गवर्नेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, साइबर सुरक्षा क्षमता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के रूप में की गई है।

इन पहलों की रणनीतिक पैमाने और दीर्घकालिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परिसरों की स्थापना के लिए उचित भू-खंडों की आवश्यकता है।

इस संबंध में, अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त पहलों के लिए उचित भू-खंडों की पहचान की जाए और उन्हें आबंटित किया जाए। एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, स्टार्टअप, डिजिटल गवर्नेंस और एडवांस्ड कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के बीच तालमेल बनाने हेतु एक एकीकृत "टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ज़ोन" दृष्टिकोण पर भी विचार किया जा सकता है।

भूमि की अनुमानित आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:

पहल	**अनुमानित भूमि आवश्यकता**
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम	25–30 एकड़
ड्रोन इनोवेशन और टेस्टिंग इकोसिस्टम	10–20 एकड़
डीआईएसएचए इनोवेशन हब	05–10 एकड़
राज्य डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर	01–02 एकड़
कुल भूमि की अनुमानित आवश्यकता होगी	**41–62 एकड़**

प्रस्तावित पहलों से दिल्ली की डिजिटल अर्थव्यवस्था, तकनीकी इकोसिस्टम, रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमताओं और भविष्य हेतु तैयार शासन संरचना को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की आशा है।